उत्तर प्रदेश में दलितों का इतिहास

(एक विवेचनात्मक अध्ययन)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी से

इतिहास विषय में

विद्यावाचस्पति (Ph.D.)

उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

2008

शोध निर्देशक
डॉ० मंजू जौहरी
रीडर
इतिहास-विभाग
दयानन्द वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उरई (जालौन)

शोधकर्ता
मुकेश भूषण
प्रवक्ता
इतिहास विभाग,
राजकीय इण्टर कालेज,
उरई (जालौन)

शोधकेन्द्र
दयानन्द वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उरई (जालौन) उ०प्र० 285001

डॉ0 मंजू जौहरी
रीडर

इतिहास विभाग
दयानन्द वैदिक स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, उरई (जालौन)
दिनांक 27.02.08

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश भूषण आत्मज श्री प्रेमनारायण जो बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी में (इतिहास) विषय में विद्यावाचस्पति (Ph.D.) की उपाधि हेतु मेरे निर्देशन में शोध कार्य हेतु पंजीकृत थे, ने अपना शोध कार्य पूर्ण कर लिया है। इनका शोध विषय निम्नांकत है– ''उत्तर प्रदेश में दलितों का इतिहास'' (एक विवेचनात्मक अध्ययन)

मैं यह भी प्रमाणित करती हूँ कि–

1– मेरी पूर्ण जानकारी में यह शोध प्रबन्ध मौलिक है और अनुसंधान कर्ता के अथक प्रयासों का परिणाम है।

2– अनुसंधान कर्ता (श्री मुकेश भूषण) ने मेरे निर्देशन में 200 दिन उपस्थित होकर अपना शोध कार्य पूर्ण किया है।

Manju Johri

(डॉ0 मंजू जौहरी)
निर्देशिका

भूमिका

आज हम इक्कीसवीं सदी के वैश्वीकरण एवं उत्तर आधुनिकता के युग में प्रवेश कर चुके है और एक ऐसे वातावरण में जीवन बिता रहे है जिसमें भौतिकवादिता, आधुनिकता, व्यक्तिगत ईर्ष्या, जातिगत द्वेष और क्षेत्रीयता आदि की भावना चारों ओर दिखलाई पड़ रहीं है। भारतीय समाज में परम्पराओं एवं रूढ़िवादिताओं का आधिपत्य रहने से, अंदर से यह व्यवस्था अनेक जटिलताओं से घिर चुकी है। एक तरफ आर्थिक सामाजिक विकास की चाह व दूसरी तरफ परम्परागत रूढ़िवादी मूल्य। अतः अब समय आ गया है कि बुद्धिजीवी इस तरह के कार्यो को न करें और दलित वर्ग अपनी भूमिका को इस ओर ईमानदारी से निर्वाह करने की कोशिश करें। भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया में मानव, मानव होगा न कि दलित व सवर्ण के रूप में पहचाना जायेगा। आवश्यकता अविष्कार की जननी होती है, आज पारम्परिक सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन समय की मांग हैं। जिसमें वर्ग, भेद, खत्म होगा और कोई भी दीन हीन नहीं होगा। निश्चिय ही अच्छे कार्यो को अपनाकर, सामाजिक मूल्यों को मानकर, एक स्वच्छ परम्परा की नींव डालकर भारतीय समाज सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हो सकता है।

दलित जातियों का उद्‌भव वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से है। वर्ण व्यवस्था से जांति पाँति से भेदभाव, से घृणा, और हेय से अस्पृश्यता का जन्म हुआ। आज दलित चेतना बहुधा गतिमान है, दलित आन्दोलन एवं साहित्य के पुरोधा उतने जातीय किले को हमेशा के लिए ध्वस्त करने आज का प्रयास किया है और इसमें उन्हें सफलता भी मिलकर ही है।

उत्तर प्रदेश में लगभग दलितों की जनसंख्या 3.51 करोड़ हैं इतने बड़े दलित समाज का उत्पीड़न व शोषण आज भी सम्पूर्ण प्रदेश में जारी है। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? जिसने पूरे दलित समाज को राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिणिक दृष्टि से पंगु बना दिया है।

आज दलित चिंतन का सूर्य अपनी पूर्ण आभा के साथ चमक रहा है। इसका भविष्य अत्यन्त उज्जवल है। दलित चेतना का शौर्य अपने गन्तव्य पर पहुँचेगा। प्रत्येक दलित का जीवन खुश और आनन्दमयी होगा परन्तु दलितों को भी नई सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करना पड़ेगी जिससे उनका जीवन एकाकी न रहे, बल्कि वे सामाजिक बनें।

भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार, से जहाँ एक ओर सभी को सामाजिक और आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने की गारन्टी मिलती है वहीं आज दलित, सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव का शिकार है। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में आज भी दलित बंधुआ मजदूर की जिंदगी जी रहे हैं। समााजिक व्यवस्था आज भी उनका उत्पीड़न कर रही है।

दलित के मूल, में वर्तमान, और भविष्य का वास्तविक आइना है,—दलितों का साहित्य दलितपन का दर्शन और दलितों का प्रतिक्रियावादी लेखन होता है। दलित साहित्य के माध्यम से आज दलितों ने अपने जीवन को श्रेष्ठत्व एवं बुद्धिमानों की श्रेणी में रखने का प्रयास किया है। जहां जातीय व्यवस्था, अछूतपन और भेदभाव का नंगापन होता था वहीं आज सम्पूर्ण समाज में काफी परिवर्तन हुआ हैं जिसका मुख्य कारण समानतावादी और समतावादी विचारधारा का प्रचार प्रसार हैं।

दलितों में वर्तमान समय में तीव्र गति से जागृति हो रही है, आज वह अपने विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह उन्नति कर सके। आज दलितों को

इतिहासकारों एवं समाजविदों ने उनकी समस्याओं और सम्भावनाओं को रेखांकित करने का प्रयास किया है। जिससे दलितों की मानसिकता बदलें ओर शून्य पड़ा समाज चैतन्य हो जाये। जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सकें।

दलित साहित्य ने दलितों की सामाजिक प्रतिबद्धता सामाजिक वैचारिकता और संवैधानिक मूल्यों और समानतावादी बिन्दुओं पर केन्द्रित होकर नये मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया है।

दलित आज स्वतन्त्र रूप से संगठित होना चाहते हैं तो उसे अपने आप को सबल, सक्रिय और सुसंस्कृत होना होगा, इसके लिए उसकी जागरूकता, शिक्षा और सामाजिक न्याय को प्राप्त करना पड़ेगा, जिससे सम्पूर्ण दलित समाज व्यक्तिपरक न होकर बल्कि प्रवृत्तिपरक बन सकें। आज दलितों के विकास के लिए सम्पूर्ण समाज की व्यवस्था बदल गई है जिससे उनको हीन भावना से ऊपर उठना चाहिए।

आज की स्थिति में दलित वर्ग का भविष्य चुनौतियों से भरा हुआ है, उसे आशा के विपरीत भी आशा के दीप जलाना हैं इसके लिए उसे अपने आपको चैतन्य आत्मबल से पूर्ण आत्मसंयम एवं आत्म पराकाष्ठा की पहचान करना होगी जिससे वह मानसिक गुलामी से छुटकारा पाकर अपनी परम्परागत अयोग्यताओं को समाप्त कर एक बौद्धिक वर्ग की श्रेणी में आ सकें।

सम्पूर्ण शोध प्रबन्ध को आठ अध्यायो में विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय के पूर्व प्रस्तावना को शामिल किया गया है जिसमे शोध की अवधारणा, उद्देश्य क्षेत्र एवं पृष्ठभूमि है। शोध प्रबन्धा को क्रमवार व्यवस्थित करने के लिए प्रस्तावना एक आधार का कार्य करती है जिससे शोध प्रबन्ध की स्वरूपता और विस्तृतीकरण का विवरण मिलता है।

शोध प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में दलितों (शूद्र) का प्राचीन इतिहास, वर्ण व्यवस्था तथा जातियों, उपजातियों की उत्पत्ति तथा समाज सुधारकों द्वारा किए गये सराहनीय कार्य, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दलितों का सामाजिक आर्थिक एवं मौलिक विकास आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त गाँधीवादी, मार्क्सवादी, और अम्बेडकर वादी विचारधारा का दलितों पर प्रभाव और प्रभावशाली तर्कों के द्वारा दलितों के उत्थान करने के प्रयास सम्मिलित हैं।

द्वितीय अध्याय में शोध ग्रंथ के मुख्य बिन्दु उत्तर प्रदेश में दलित समाज दलित जातियों एवं उपजातियों का जनपदीय आधार पर सर्वेक्षणात्मक अध्ययन तथा आजादी के पूर्व दलितों की समस्याएं और आजादी के पश्चात दलितों के जीवन में सांस्कृतिक संवैधानिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक बदलाव को रेखांगित किया गया हैं। परन्तु वर्तमान में आज भी अनुसूचित जातियों की बहुत सी समस्याऐं हैं जो उनके लिए चुनौतियाँ है। प्रस्तुत अध्याय में इनका समाधान करनी की व्याख्या भी प्रस्तुत की गयी है।

तृतीय अध्याय में दलित आंदोलन के संघर्ष में भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ, दलित समाज के शोषण का ताना–बाना एवं समाज सुधारकों द्वारा उत्थान के प्रयास प्रारम्भ करना, उनमें प्रमुख रूप से फूले, पेरियार गांधी, अम्बेडकर और मार्क्स है जिन्हांनें दलित समुदाय को वैज्ञानिक तर्को पर जीवन जीने का अधिकार सिखाया, उनमें मुख्य रूप से भूमण्डलीयकरण, बाजारीकरण एवं जातीयता का ह्रास भी मुख्य है। इसके अन्तर्गत इतिहासकारों, शिक्षाविदों, दार्शनिकों एवं चिन्तकों ने दलितों की वास्तविक स्थिति से समाज को अवगत कराया और दलित समाज में जागृति का आयाम प्रतिपादित किया।

चतुर्थ अध्याय के माध्यम से उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता संग्राम में दलितों की भूमिका को उजागर किया गया है। इसके अतरिक्त भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रति दलित जातियों एवं उपजातियों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया गया है। जिससे वे अपने दलितत्व के जीवन से छुटकारा पा सकें इसके अतिरिक्त गरीबी, कुपोषण एवं भुखमरी जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकें क्योंकि वह भी मानवता की पराकाष्ठा के अन्तर्गत आते हैं। इस अध्याय के अन्तर्गत दलित वर्ग अपने और प्रजातांत्रिक मूल्यों को समझे जिससे अमानवीय कृत्यों को प्रतिबंधित किया जा सके। इन विद्वानों को रेखांकित किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के पंचम अध्याय में दलितों पर अत्याचार का विवरण दिया गया है। उनकी दयनीय स्थिति में अशिक्षा, कुपोषण, गरीबी का प्रमुख योगदान है। इस विषय की विकराल स्थिति का खुलासा करना भी शोधार्थी का मुख्य उद्देश्य है।

षष्ठम् अध्याय के माध्यम से दलितों में तीव्रगति से जागृति उत्पन्न हो रही है तथा वह आज दृढ़ संकल्प हैं अपने दलितत्व के जीवन से मुक्ति पाने के लिए। आज सवर्ण समाज से को दलितों को सत्ता के उच्च पदों पर स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। जिसका हम स्वप्न में भी नहीं देखते थे परन्तु दलितों में शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिये तथा स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा दलितों के जीवन की नीति और नियति दोनो बदले गये है तथा दलित साहित्य भी दलितों के पुनरूत्थान के लिए आवश्यक है जिससे सम्पूर्ण समाज का ढाँचा बदला जा सके।

सप्तम अध्याय के माध्यम से दलित समाज की समस्याओं एवं सम्भावनाओं को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। आज भी दलित महिलाओं को उत्तर प्रदेश में कुंठित जीवन जीना पड़ रहीं हैं, और चेतना शून्य हैं, उन्हें चैतन्य और गतिशील बनाने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी पड़ेगीं जिससे उनका जीवन सामाजिक, आर्थिक बिन्दुओं पर केन्द्रित हो सके इसके लिए बहुत से आयोग भी गठित किए गये हैं। एवं संवैधानिक सिफारशें भी की गई। इस अध्याय के अन्तर्गत इन प्रमुख प्रश्नों का हल किया गया है।

अध्याय अष्ठम में दलित समाज की राजनीतिक भागीदारी दलित समाज के उत्थान के लिए शासनादेश एवं अध्यादेशों के विवेचनात्मक अध्ययन का विवरण दिया गया है इसके माध्यम से दलित वर्ग का भविष्य उज्जल और सकरात्मक दक्ष की ओर अग्रसर का विदेयन किया गया है।

'दलितों का इतिहास' का मुख्य उद्देश्य दलितों के जीवन को विवेचना करना है। जिससें समाज से पृथक हुये दलितों का अकेलापन दूर किया जा सकें। समाज के अन्दर दलितों की जिंदगी और उनका शोषण आज भी कहीं न कहीं पर जीवन को व्यापकता से जोड़ता है सामाजिक एवं संवैधानिक आधार शिलाओं से जिसमें दलितों का जीवन सातत्वपूर्ण एवं आत्मीयपूर्ण बनाने के लिए उनके जीवन को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना पड़ेगा। जिससे उनका जीवन प्रकाशमयी एवं ज्योतिमयी सिद्धान्तों पर जाकर टिके और वो एक अच्छे स्वच्छंद एवं स्वतन्त्र गरिमामण्डित जीवन जी सकें।

आभार

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की पूर्ति में मेरी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहायता करने तथा प्रोत्साहित करने वाले हित चिंतकों के प्रति कृतज्ञता –भाव प्रकट करना मेरा प्रथम कर्तव्य ही नही वरन धर्म भी है।

जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते है, जिनसे उऋण होना सम्भव नहीं होता और न उऋण होने की इच्छा ही होती है। इसी तरह का ऋण मुझ पर पूजनीया डॉ0 मंजू जौहरी जी की कृपा का है। यह शोध प्रबन्ध आपके आशीर्वाद एवं कृपापूर्ण सुदक्ष एवं सक्षम निर्देशन का परिणाम है इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। सातत्यपूर्ण व्यस्तता के बावजूद आपने निरन्तर प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देकर मेरी अत्यन्त सहायता की है। पितृ तुल्य श्री विजय करन नाथ विसारिया जी (एडवोकेट) ने बार–बार मुझे प्रोत्साहित कर मेरा मार्गदर्शन किया यदि आपका इतना सक्रिय एवं आत्मीय निर्देशन न होता तो इस शोध प्रबन्ध की मैं कल्पना भी नही कर सकता था। आपकी इस सह्रदयता को आभार के चन्द शब्दों में बांधकर मैं सीमित नही करना चाहता। इस लक्ष्य पथ पर आपसे मुझे जो स्नेह, प्रेरणा और आत्मीयता मिली, वह आजीवन नही भुलाई जा सकती हैं। आपके इस स्नेह, प्रेरणा और अशीर्वाद का मैं सदैव अभिलाषी रहूँगा।

जिन विद्वानों के विचारों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मुझे शोध प्रबन्ध को तैयार करने में सहायता मिली उनमें आदरणीय डॉ0 सुबोध सक्सेना, डॉ0 ज्योति सक्सेना, राजनतिक चिंतक डॉ0 आदित्य कुमार रीडर राजनीति विभाग, डी0वी0सी0 उरई, सामाजिक चिंतक डॉ0 बीरेन्द्र सिंह यादव प्रवक्ता हिन्दी विभाग, डी0वी0सी0 उरई, जिला जालौन के विद्यालय निरीक्षक श्री मंशाराम जी (P.E.S.) तथा मेरे प्रधानाचार्य श्री रतन सिंह (P.E.S.) राजकीय इण्टर कालेज, उरई आदि के नाम उल्लेखनीय है। इन सभी गुरूजनों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के प्रणयन में मुझे विभिन्न पुस्तकालयों से सामग्री संकलित करने में मदद मिली। इनमें दयानन्द वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय उरई का पुस्तकालय, राजकीय पुस्तकालय, उरई, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, केन्द्रीय पुस्तकालय दिल्ली प्रमुख हैं। मैं इन पुस्तकालयों की उत्तम व्यवस्था तथा व्यवस्थापकों के सहयोग के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। विशेष रूप से राम कम्प्यूटर के रामजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होने इस शोध प्रबन्ध का अंतिम रूप देने में सहयोग प्रदान किया।

परम पूजनीय सद्‌गुरू श्री जयदयाल जी महाराज, जगत जननी माँ श्री आशा जियां, श्री विष्णु प्रकाश जी तथा मेरे पूज्य पिता श्री प्रेमनारायण, पूज्यनीया माता श्रीमती लक्ष्मी देवी जी के

असीम धैर्य, त्याग तथा शुभकामनाओं का ही यह फल है जिन्होंने इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण कराने में किसी भी भौतिक संसाधनों की कमी नही रहने दी। जिन्दगी का पर्याय सहधर्मिणी भगवती तथा सभी बन्धुओं के सक्रिय सहयोग तथा उचित परामर्श, वैचारिक सहयोग तथा निरन्तर प्रोत्साहन ने जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की है इसे आजीवन भुलाया नहीं जा सकता है। श्री राजकुमार तिवारी, श्री महेन्द्र सिंह, श्री राजू, कु0 भारती पटैरिया, कु0 रचना गुप्ता, शमीमा, नसीमा, सोहरॉब, तथा सभी मित्रों के सहयोग के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने अपने अमूल्य समय को निकालकर मेरी छोटी–छोटी आवश्यकताओं का खयाल रखा और उन्हें शिद्दत के साथ पूरा किया। जिससे इस शोध प्रबन्ध को पूरा करने में मदद् मिली।

संत गुरू रविदास जयंती

21 फरवरी, 2008,

मुकेश भूषण

(शोध छात्र, इतिहास विभाग)

प्रवक्ता रा0इ0 का0

उरई (जालौन) 285001 उ0प्र0

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना

प्रस्तावना

अवधारणा

किसी भी समाज की सरंचना सरल या जटिल होती है। जब किसी समाज की प्रारम्भिक अवस्था होती है तो उसका स्वरूप बड़ा सरल और साधारण होता है परन्तु जैसे–जैसे विकास की ओर अग्रसर होता हैं तो उसमें बहुत से सामान्य व असामान्य व्यापक परिवर्तन होते रहते हैं सामाजिक परिवर्तन अपने अनेक अर्थो में राजनैतिक, सांस्कृतिक दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक, जनसेवा, स्वास्थ्य और मानव अधिकार के क्षेत्र में नवीन एवं अलग सम्भावनाएं संजोये रहता है।

भारतीय समाज कई सदियों से रूढ़ेवादिता की जंजीरों में जकड़ा रहा है। आजादी से पूर्व के भारत का स्वरूप और कुछ था परन्तु आजादी के बाद का भारत का स्वरूप बहुत परिवर्तित है। आज समाज में छुआँछूत और भेद–भाव रहित संस्कृति ने जन्म लिया है जिसके कारण से दलित समाज को सम्मान से जीने का अधिकार मिला।

हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसे हम दलित वर्ग के नाम से जानते हैं। रूढ़िवादिता के शिंकजे में हमेशा उलझा रहा जिसका मुख्य कारण सामाजिक विसंगतियां असमानताऐं और बहुत सी उच्च वर्ग द्वारा उत्पन्न सामाजिक कट्टरपंथिता और सामाजिक अन्याय, जिस कारण से दलित वर्ग हमेशा गुलामगीरी का जीवन जीता रहा।

दलितों को नवजागृत करना उन्हें स्वतन्त्रता समानता और बंधुत्व जैसी पराकाष्ठाओं पर केन्द्रीय भूत करना यही शोध का लक्ष्य है जिससें दलित दयनीय और शोचनीय स्थिति से निकलकर अपने जीवन को सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक बनाए जिससे उनकी जीवन पद्धति समानता की श्रेणीं में आ सके। दलित समाज के सामने बहुत से मुद्दें हैं जिनका सम्बन्ध मानवता और प्राकृतिता के सोपानों पर टिकनें में हैं। वर्तमान में दलितों की विरासत संवैधानिक सुधारात्मक पक्ष कठिन हैं जिससे वे अपने जीवन की अवधारणाओं को रचनात्मक बना सकें।

भारतीय संविधान में प्रदान किए गये मूल अधिकार जहां एक ओर सभी को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वतन्त्रता समानता और बन्धुत्व का आश्वासन देते हैं वहीं दूसरी ओर समाज में बहुत सी विषमताएं जैसे अशिक्षा कुपोषण गरीबी दरिद्रता आदि व्याप्त हैं। यदि उनमें से कुछ लोग चिन्तन करके भेदभाव की आवाज उठातें हैं तो उसे अमानवीय और दर्दनाक तरीके से कुचल दिया जाता हैं या सरे आम उसका उत्पीड़न किया जाता है।

आज समाज में बहुत से बन्धुआ मजदूर तिरस्कृत उपेक्षित एवं शोषित जीवन जी रहे हैं जबकि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं फिर भी दलित समाज की प्रगति में बहुत से तत्व बाधक है जिससे दलित समाज को उचित लाभ प्राप्त नही हो पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण अशिक्षा एवं गरीबी हैं।

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य हैं जिसमें आज भी बहुत सी सामाजिक

कुप्रथायें है। उ0प्र0 के दलित समाज में अदम्य साहस और संकल्प शक्ति रही है साथ ही इस समाज में झकझोरनें वाली आशा और निराशा की किरणें टिमटिमाती भी नजर आती हैं।

समय–समय पर दलित समाज को जागृति करने के अनेक महापुरूष हुए है जिनमें डॉ0 अम्बेडकर ने समाज की भलाई के लिए और धर्म के हित के लिए समाज को दोष मुक्त करने का जो कार्य किया वह प्रशंसनीय है। वे भगवान बुद्ध के उत्तराधिकारी एवं अनुयायी कहलानें योग्य हैं क्योंकि उन्होंने दीन दुखियों शोषितों पीड़ितों, पददलितों उपेक्षितों तथा ऐसे नर नारियों को नया जीवन दिया जिन पर सदियों से अत्याचार ढायें जाते रहे हैं और यदि डॉ0 अम्बेडकर जैसे युगपुरूष हमारे देश में न हो तो जुल्मों का यह सिलसिला जारी रहता। उन्होंने मानवतावाद का एक नया जीवन दिया जिससे सम्पूर्ण समाज की संस्कृति एवं सभ्यता की रक्षा हो सकें और दलित समाज एक नया रूप धारण कर आडम्बर एवं कायरता से दूर हो सके।

उद्देश्य

आज दलितों का दार्शनिक चिंतन एक सामाजिक चिंतन है। जिसमें कई प्रकार के नये अध्याय एवं नयी धारणायें सम्मिलित हैं, जिससे दलितों को नई दिशा, नई ज्योति तथा नया आयाम प्राप्त हों तथा वे अपनी योग्यता, निपुणता, कुशाग्रता, बुद्धि उपलब्धि लक्ष्य के प्रति कर्तव्य निष्ठ होकर समाज में नये मूल्यों को स्थापित करें जिससे जीवन की असमानताओं से छुटकारा पा सकें।

आज उत्तर प्रदेश में दलित संघर्षरत है, जिससें उनका जीवन स्वच्छ एवं कल्याणकारी बने तथा वो जातीय भेद को महसूस न करें। चूकिं जाति हिन्दू धर्म को प्राण हैं जो वर्तमान रूप में प्रचलित है जब तक जाति प्रथा होगी भारत में सामाजिक संस्कार एवं रिश्तों में बाधा रहेगीं जो समाज में विषमता एवं अमानवता के बीज बोती रहेगी जिससे दलितों का सामाजिक अपमान और उनके व्यक्तित्व पर कुठाराघात होता रहेगा।

आज आधुनिकता के आइने में दलितों के विकास के लिए नई अवधारणायें नये मूल्य एवं नये दर्शन को स्थापित करना चाहिए जिससें सभी को न्याय मिलें और उनका जीवन व्यापकता की श्रेणीं में आ सकें यह तभी सम्भव है जब सम्पूर्ण समाज में समता और समानता की लहर दौड़े जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति दलितों से प्रेमत्व और सहिष्णुता की भावना उद्वेलित करें और समाज में नई आंकाक्षा विकसित हों, तभी सही अर्थों में मानवता की रक्षा हो सकेंगी।

उत्तर प्रदेश में दलितों का इतिहास (एक विवेचनात्मक अध्ययन) के निम्न उद्देश्य है।

1– आज दलित समाज का भविष्य वीभत्स परिस्थितियों से एवं बहुत सी सामाजिक एवं धार्मिक चुनौतियों से भरा है ऐसा क्यों?

2– प्रदेश की राजनैतिक अस्थिरता की दृष्टि से आज भी उत्तर प्रदेश में गंभीर जातीय भेदभाव है इसके क्या कारण है?

3– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में दलित समाज अलग–अलग बिखरा नजर आ रहा है। क्या इसका मुख्य कारण जातिगत विषमता है?

4— क्या आज दलितों को क्या मुख्य अभिव्यक्ति वातावरण बनाना होगा जो कि भारतीय दलित समाज को नेतृत्व प्रदान कर सकें।

5— दलितों के बहुमुखी विकास एवं प्रगति के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन—कौन सी संम्भावनाएं है?

6— क्या आज का दलित भारतीय राजनीति में पूर्ण रूप से सहभागी हैं या नहीं?

7— उत्तर प्रदेश राजनीति में ही नही बल्कि संस्कृति, इतिहास सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से भी यह प्रान्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा क्यों?

8— आज उत्तर प्रदेश का दलित समाज अमानवता के बिन्दुओं में फंसा हुआ है इससे छुटकारा पाने के लिए राज्य सरकार का क्या योगदान है?

9— भारतीय संविधान, विशाल जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए उसे अनुच्छेदों की कितनी सार्थकता हैं?

10— आज अछूत समाज के पास वैभवशाली वस्तुओं का अभाव है जिस कारण से वह उपेक्षित और तिरस्कृत दृष्टि से देखें जाते हैं। ऐसा क्यों।

11— अछूतों का उत्थान राष्ट्र का उत्थान हैं ये विचार कहाँ तक न्याय संगत है?

12—दलितों का समानता तथा सम्मान के मानव अधिकारों को सुलभ कराया जाए। यह कहाँ तक सार्थक एवं संकल्पनात्मक है?

क्षेत्र

प्रस्तुत शोध का शीर्षक उत्तर प्रदेश में दलितों का इतिहास" में आज दलित समाज में विभिन्न प्रकार से तटस्थ और तलस्पर्शी दिखाई देता है जिसका मुख्य कारण उत्तर प्रदेश के नगरों गाँवों एवं कस्बों में उच्च एवं निम्नवर्ग का भेद भाव व्याप्त हैं आज भी बहुत से सुधारवादी चिन्तकों ने अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर सामाजिक रिश्तों को जोड़ने का प्रयास किया। परन्तु यह बहुत बड़ी विडंम्बना हैं कि समाज ने उनके विचारों को नहीं समझा।

उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बहुत सी विसंगतियां, मुख्य रूप से पारस्परिक विरोधी जन भावनाओं को उत्पन्न कर, दलितों को कहीं पर तोड़ती हैं तो कहीं पर जोड़ती है। ऐसा महसूस होता है कि कल्पना सच्चाई में बदल रही है परन्तु उसकी गति में मंदिता है तथा उसमें स्फूर्ति का अभाव हैं।

उत्तर प्रदेश में दलितों को आज अशक्त से सशक्त बनाने के लिए उनको सुसंस्कृत एवं शिक्षित बनना पड़ेगा जिससे उनकी जनभावनाएं बदले और स्वयं को पहचाने कि हम मनुष्य है या पशु। इसके लिए जिम्मेदार सामाजिक विकास व्यवस्था और संवैधानिक सुरक्षा को पहचानना पडेगा।

आज उत्तर प्रदेश में दलितों का वास्तिविक स्वरूप बदला है परन्तु यह जिस गति से बदल रहा हैं उसमें बहुत सी सामाजिक एवं राजनीतिक समेकता और समरूपता में सुधारों की आवश्यकता हैं जिससे सम्पूर्ण समाज को एक नये आयाम स्थापित करने के लिए का प्रकाश रश्मि मिल सकें।

उत्तर प्रदेश में दलितों की स्थिति हमेशा से ही अकल्याणकारी रहीं जिन्होनें अपने जीवन को विभिन्न रूपों में, चर्मकार, शिल्पकार, कर्मकार बनकर उच्च वर्ग की सेवा की उस वर्ग ने हमेशा इनको गुमराह किया और उनकों वास्तविकता से दूर रखा।

उत्तर प्रदेश में दलितपन की व्यवस्था कोई प्राकृतिक नहीं हैं बल्कि हिन्दू जाति व्यवस्था की उपज है। मानवीय समाज के विकास के इतिहास से पता चलता है कि समाज में शोषक और शोषित ऐसे दो वर्ग आज भी हैं। सत्ताहीन और सत्ताधारी ऐसे दो वर्ग हर समाज तथा हर काल में मौजूद रहते हैं जिन्होनें दलित वर्ग का हमेशा शोषण किया और अपने को श्रेष्ठता एवं पांडित्य की शाखाओं पर केन्द्रीयभूत किया है।

आज उत्तर प्रदेश में आवश्यकता है कि दार्शनिक, मार्गदर्शक एवं आदर्शपुरूषों की, जिससे समाज में अछूतपन, दलितपन, उत्पीड़नवाद और शोषणवाद को मानवतावादी, समतावादी एवं साम्यवादी बिन्दुओं पर केन्द्रीयभूत किया जा सके।

वर्तमान में डॉ0 अम्बेडकर की प्रेरणा आदर्श, आस्था निष्ठा प्रतिबद्धता तथा दर्शन की आवश्यकता हैं, जिससे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के दलित समाज को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न एवं शोषण से बचाया जा सकें,, जिससे उसका जीवन परम्परावाद पुरोहितवाद, पुराणप्रियता धर्मान्धता, धर्मवाद, ब्राहमणवाद एवं जाँति वाद से मुक्त हो सकें।

उत्तर प्रदेश में दलित एवं गैर दलितों के बीच में एक चाहर दीवारी हैं जिस कारण से दलित वर्ग आज भी अनपढ़, दकियानूसी, अधंविश्वासी और धर्मान्धता की जिंदगी जी रहा है आज उसे सामाजिक न्याय के प्रश्नों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, परन्तु जो हमेशा सोचते रहे अपने न्याय और अधिकारों के बारे में परन्तु प्रतिबन्धों ने उनके जीवन को विभिन्न प्रकार के कष्टों में दबा दिया गया।

उत्तर प्रदेश में निसंदेह यह बात सत्य है कि दलितों और गैर दलितों का नजरिया अभी बदला नहीं है उसका मुख्य कारण दुराग्रह, विकृत मनोवृत्ति एवं कट्टरपंथिता हैं क्योंकि दलितों ने हमेशा से ही मुक्ति तथा सम्मान पांने का प्रयास किया, परन्तु शोषक वर्ग ने इनकी विकासात्मक एवं सुधारात्मक उद्देश्यों विचारों एवं दर्शन को कुचला और उनको कभी बढ़ने का मौका नहीं दिया।

दलित केवल प्रगति शीलता या तटस्थता का सिद्धान्त नहीं हैं। बल्कि दलितों को शोषण एवं अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाकर अपने आपको विकासोन्मुखी बनाना होगा, जिससे उनके जीवन में वास्तविकता एवं प्रमाणिकता आ सकें और वे सम्पूर्ण जीवन को यातनामयी अभिव्यक्ति से बच सकें। इसके लिये आवश्यक हैं कि शोषणवादी संस्कृति में बदलाव लाने की। जिससे दलित अपने आपको निष्ठुर एवं नकारात्मक दासत्व की जिन्दगी से बचा सकें और वे एक सामान्य नागरिक बनकर राष्ट्रीय और सामाजिक एकता से जुड़े यही उनकी वास्तविक पहचान होगी।

सामाजिक सांमजस्य एवं सामाजिक समरसता उभरकर समाज में समभाव ला सकती है जिससें समाज के सभी जाति के लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करें जिससे न्याय की गरिमा बनी रहें। मानव–मानव का दोहन और

शोषण न करें, जिससे समाज की गरिमा एवं मानवता के बिन्दु जीवित बने रहें। सवर्ण और असवर्ण सब मिलकर एक हों, केवल एक ही जाति हो, मानव जाति''।

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश भारत का अति महत्वपूर्ण राज्य है। इस राज्य की अपनी अलग संस्कृति एवं सभ्यता है इसमें बहुत से समातएं एवं विषमतायें भी हैं जिनसें बहुत सारी राजनीतिक एवं आर्थिक हलचल रहती हैं। उत्तर प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रदेश हैं जो विभिन्न प्रकार के पौराणिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक साक्ष्यों को अन्तर्निहित करता हैं। जो भौगोलिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अपना विशिष्ट योगदान रखता है।

आज सचमुच सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सामाजिक समस्याओं एवं दलितों की असंगति पूर्ण जीवन को समाप्त करने के लिए विद्वानों एवं महापुरूषों ने अपने विचार प्रस्तुत किए जिससे दलित समाज के अधनंगे अज्ञानी, अशिक्षित गरीब, शोषित, पीड़ित एवं उपेक्षित वर्ग की दास्तानों का पता चलता हैं।

आज दलितों ने अपने जीवन के उत्थान के लिए अपने आप को जागरूक किया।

स्वतन्त्रोत्तर उत्तर भारत के इतिहास में दलितों द्वारा सामाजिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। समाज व्यवस्था बनान हिन्दू धर्म व्यवस्था बनाम जाति व्यवस्था के विरूद्ध शंखनाद किया गया जिससे सम्पूर्ण दलित समाज आत्म विश्वास और आत्म सम्मान की जिंदगी जी सकें।

महात्मा गॉधी और डा0 अम्बेडकर ने हिन्दू समाज की मानसिकता को बदलने का प्रयास किया। डॉ0 अम्बेडकर के दलित चिंतन की आवश्यकता हिन्दू वर्ण व्यवस्था के खिलाफत से जुड़ी है। डॉ0 अम्बेडकर ने दलितों को सम्मान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समता का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे, शायद यही एक मात्र कारण है कि आज उत्तर प्रदेश का दलित जीवन की सच्चाई को समझ सका है। कि जीवन किस तरह से जीये तथा अपनी जीवन पद्धति को अधिक से अधिक स्वच्छ एवं कलात्मक कैसे बनाऐं?

दलितों ने अपने समूचें जीवन में अछूतपन, त्याज्यता, पक्षपात, एवं रूढ़िवादिता जैंसे विषयों के कटाक्ष सुनें और उन्होनें केवल हिन्दू समाज के कथित उच्च वर्ग के लोगों की प्रताड़नायें सहीं और अपने जीवन को कुंठित किया।

आज उत्तर प्रदेश में दलित समाज के जीवन को विकसित करने में भारतीय संविधान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिससे सामाजिक दासता से उनको मुक्ति मिल सकें। डॉ0 अम्बेडकर के मिशन का असली उद्देश्य दलित वर्ग के स्त्री पुरूषों को वाजिब अधिकार दिलाना है। सामर्थ्य तो बहुतो में है परन्तु लड़ते कितने है सोचतें अनेक है परन्तु करते कितने हैं। अन्याय और शोषण को सहते बहुत है परन्तु उनका प्रतिरोध करतें कितने है वो बिरले ही होते है, और वह चमकता सूरज दलितों के लिए डॉ0 अम्बेडकर ही है।

चमन वालो! अगर तर्ज ऐ अमल अपना न बदलोगे।

चमन बदनाम भी होगा। चमन वीरान भी होगा।।''

दलितों की आज स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है तथा हिन्दू धर्म की विषैली, आडम्बरों से भरी हुई स्थायी परायणता को भी धीरे–धीरे नष्ट किया जा रहा है तथा आजीवन सदियों से पीड़ित दलितों को मानवाधिकार दिलाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे दलित एक यर्थाथयमी जिंदगी जी सके जो कि सदियों से घुटन और त्रासदीपूर्ण जिंदगी जी रहे थे।

आज दलित अपने जीवन में दिव्य ज्योति का अनुभव कर रहा है उसके पथ एवं जीवन के रास्ते आलोकित हो रहे है उसे केवल शिक्षित संगठित एवं संघर्ष के रास्ते अपनाने पड़ेगें, जिससे उसका जीवन वास्तविकता एवं सच्चाई की पराकाष्ठा पर खरा उतरें, तथा किसी प्रकार का उनके साथ अत्याचार एवं भेदभाव न हो। छुआछूत की दीवारें समाप्त कर दी जाएं तथा समाज में विषमता एवं छिछलापन समाप्त हो जाये और उनका जीवन एक सामाजिक समरसता पूर्ण बने तथा सामाजिक व मानवीय मूल्य उनकी रक्षा करें यही अनुसंधानकर्ता का मुख्य लक्ष्य है।

प्रथम अध्याय

दलितो का प्राचीन इतिहास

दलितों का प्राचीन इतिहास पुरातात्विक दृष्टि से सामाजिक विषमताओं और सामाजिक बहिष्कार पर केन्द्रीय भूत हैं। जिसमें बहु सी दलित जातियों को विभिन्न इतिहासकारो, समाजशास्त्रियों, समाजविदों एवं भाषा विशेषज्ञों ने कई प्रकार के पक्ष और विपक्ष में भ्रममूलक अपने तर्क प्रस्तुत किये हैं। देश की एकता, संस्कृति, कला और आर्थिक समृद्धता का बहु आयामी योगदान भी दलितों के इतिहास को भ्रममूलक बनाने में अपना विशिष्ट महत्व रखता है।

भारत के वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल (रामायण व महाभारत काल) बौद्ध एवं जैन काल में लिखे गये विभिन्न धार्मिक ग्रन्थों के उद्धरणों से दलित जातियों को अलग–अलग नाम से सम्बोधित किया गया जिनको शूद्र, अस्पृश्य, चांडाल एवं अद्विज के नाम से उनको उद्बोधित करके समाज ने उनको तिरस्कृत घृणित एवं हेय दृष्टि से देखा।

ऋग्वेद से बौद्धकाल , बौद्धकाल से नव जागरण काल के भारतीय समाज के लगभग पांच हजार वर्षों के सामाजिक इतिहास में वर्ण व्यवस्था जाति विभेदिता, अस्पृश्यता, दासता एवं शोषणता के अनेक लिखित प्रमाण मिलते हैं।

दलित शब्द वर्तमान समय में समाज के लिये कसौटी मय है जो विचारों एवं चिन्तकों के लिए चिन्तन का विषय हैं। दलित शब्द के सम्बन्ध में आदि काल से नवजागरण काल तक अलग–अलग मनीषियों, विद्वानों एवं इतिहासवेत्ताओं ने कई प्रकार के शब्दों की व्युत्पत्ति की। आज दलित शब्द समाज के सामने एक नई पृष्ठ भूमि तैयार करता हैं और बुद्धिजीवी वर्ग को चैतन्य करने के लिए एक नई विश्लेषणात्मक, सकारात्मक एवं संकल्पनात्मक, पटाक्षेप की प्रस्तुति करता है कि दलित शब्द क्या है? कैसा है? इसकी क्या उपयोगिता है? एवं वर्तमान समय में यह शब्द समाज को किस प्रकार जागरूक करता है।

दलित इतिहास का वर्तमान वास्तविक स्परूप जानने के लिए भारत की प्राचीन जाति व्यवस्था के इतिहास पर दृष्टिपात करना आवश्यक है यद्यपि अस्पृश्य और दलित जातियाँ इतिहास के हर दौर में सामाजिक विषमताओं और सामाजिक बहिष्कार, अस्पृश्यता, जातिभेद और दासता का शिकार थीं, लेकिन देश की एकता, संस्कृति, कला और आर्थिक समृद्धि में उसके बहुआयामी योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके उदय और विकास, अधःपतन और जीवन संघर्ष के विषय में धर्म शास्त्रों के अतिरिक्त इतिहास में अपूर्ण अथवा अति रंजित जानकारी मिलती है।[1]

ऋग्वेंद से बौद्धकाल, बौद्धधर्म के पतन से लेकर नवजागरणकाल के भारतीय समाज के लगभग 5000 साल के सामाजिक इतिहास में वर्ण व्यवस्था, जाति विभेद, अस्पृश्यता और पतनशील दासता के अनेक लिखित प्रमाण बिखरे पड़े हैं। इरफान हबीब ने के अनुसार– हमारे इतिहास की ऐसी कोई भी व्याख्या विचार योग्य नहीं हो सकती जिसमें जाति व्यवस्था की भी व्याख्या सम्मिलित न हो।[2]

शाब्दिक दृष्टि से "वर्ण" शब्द के तीन मुख्य अर्थ लिये जाते हैं जो (अ) वरण या चुनाव करना, (ब) रंग, (स) वृत्ति अथवा व्यवसाय। वर्ण के अर्थ में "रंग" को अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है। सैनार्त के अनुसार–"आर्यों ने वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 'आर्य वर्ण' और

'दास वर्ण' के लिए किया था।[3]

प्रो० धुर्ये ने भी कहा है कि यह शब्द आर्यों को सफेद (श्वेत) तथा दासों के लिए काले रंग में विभेद करने के लिए हुआ था।[4]

प्रो० हटन ने भी वर्ण का प्रयोग अभिप्राय रंग से ही लिया है अर्थात ब्राह्मण श्वेत, क्षत्रिय लाल, वैश्य पीले तथा शूद्र काले रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।[5]

श्री यास्काचार्य ने भी 'निरूपत' में वर्ण शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में कहा है कि वर्ण की उत्पत्ति 'वरण' अथवा चुनाव करने का अर्थ देने वाले "वृ" (वृत्तिचरणों) धातु से हुई है अर्थात वर्ण वह है जिसको व्यक्ति विशेष अपने क्रम व स्वभाव के अनुसार स्वयं चुनता है। सांख्य दर्शन में भी रूप या रंग का ही वर्ण माना गया है।[6]

पुराणों में भी अनेक स्थानों पर शुक्ल ब्राह्मण, रक्त क्षत्रिय, पीत वैश्व तथा कृष्ण शूद्र का उल्लेख मिलता हैं। मोटे तौर पर वर्ण व्यवस्था सामाजिक विभाजन की वह व्यवस्था है जिसका आधार जन्म की तुलना में कर्म का महत्व अधिक है। इस कर्म का विभाजन रंग के आध ार पर नहीं किया जा सकता है। इस विभाजन का वास्तविक आधार तो गुण, प्राकृतिक स्वभाव और प्रवृत्ति ही हो सकती हैं, और इस सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए कार्यों का विभाजन आवश्यक था, तभी कर्मों व गुणों के आधार पर समाज के सदस्यों को विभिन्न समूहों में विभाजित करने की जो व्यवस्था आरम्भ की गई, उसी को वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया था। अतः वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की सामाजिक व्यवस्था का ही दूसरा नाम था।

वेदों को परम पवित्र मानने वाले, संस्कृत भाषा का प्रयोग करने वाले तथा इन्द्र के अधिनायकत्व में विभिन्न देव समूह की स्तुति करने वाले लोगों ने स्वयं को "आर्य" कहा है। समस्त संस्कृत साहित्य तथा उससे सम्बद्ध अन्य भाषाओं में आर्य शब्द का व्यापक प्रयोग मिलता है। आर्य शब्द, 'उच्च कुल' तथा 'स्वतंत्रता' के अर्थ को भी प्रतिध्वनित करता है।[7] इन आर्यो के मूल निवास स्थान अथवा आदि देश के विषय में पर्याप्त मत वैभिन्य है। प्रसिद्ध इतिहासकार विन्सेन्ट स्मिथ ने इस समस्या को मात्र इतना कहकर ही टाल दिया है। कि इसका भविष्य में कोई मतैक्य स्थापित ही नहीं किया जा सकता। भाषा विज्ञान, शरीर रचना, विज्ञान तथा पुरातत्व और इतिहास आदि साधनों के आधार पर विद्वानों ने इस समस्या का हल ढूढ़ने का प्रयत्न किया है।

आर्यों का आदि–देश यूरोप था।[8] आर्यो के आदि देश यूरोप होने के संदर्भ में विद्वानों ने पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिये हैं।

पक्ष में तर्क

(1) भारत की संस्कृत और योरोपीय भाषाओं का साम्य सिद्ध करता है कि भारत, यूरोप की भाषाओं का श्रोत एक था।

(2) यूरोप की लिथ्यूनियम भाषा ही समस्त भारत–यूरोप भाषा–परिवार में अत्यधिक अपरिस्कृत और अत्याधिक प्राचीनतम् है। इसीलिए लिथ्यूनियम या उसके समीपस्थ कोई प्रदेश आर्यों का मूल देश रहा होगा।[9]

भाषा विज्ञान के आधार पर यूरोप के किसी प्रदेश को आर्यों का मूल देश मान लेने के विरोध में आलोचकों ने अधोलिखित तर्कों का प्रतिपादन किया है।

विपक्ष में तर्क

1–भाषा विज्ञान का आधार भ्रम मूलक है।

2–एक प्रदेश में दो विभिन्न विरोधी जातियाँ भी रह सकती है और उनमें भाषा संबंधी साम्य हो सकता है।

3–यूरोप के साहित्य में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं हैं जो आर्यों के वेदों का समकालीन हो।[10]

कुछ विद्वानों ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया हैं[11] इसके समर्थन में कई प्रकार के तर्क दिये गये हैं। लेकिन आर्यो का मूल स्थान मध्य एशिया मानने में अनेक बाधायें है। ये निम्न है।

1–उनका मूल स्थान ऐसा प्रदेश होना चाहिए, जो वर्षा से पर्याप्त रूप से परिपूर्ण हो, उसमें जल बाहुल्य हो, भूमि उर्वरक कृषि के उपयुक्त हो तथा चारागाहों का आधिक्य हो क्योंकि वे कृषि व्यवसाय से संबंधित हैं।

2–इस क्षेत्र के आधुनिक निवासियों में कोई ऐसा संकेत दृष्टिगोचर नहीं होता, जो आर्यों की सभ्यता झलकाता हो।

3–भारतीय आर्यों के साहित्य में कहीं भी मध्य एशिया का संकेत नहीं है।[12]

बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि, आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव प्रदेश था परन्तु इसके भी विपक्ष में कई ऐसे तर्क हैं जो इस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं करते।[13] कुछ विद्वान भारतवर्ष को ही आर्यो का मूल स्थान मानते हैं ऐसा मानने वाले विद्वानों में महामहोपाध्याय पंडित गंगानाथ झा, श्री अविनाश चन्द्र दास, श्री सम्पूर्णानन्द, श्री डी0एस0 त्रिवेदी, श्री कल्लू महोदय, श्री राजबली पांडे जी का भी यही मानना है।[14]

भारत में आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान से प्रारम्भ हुआ था। प्रारम्भ में यह गंगा नदी के पश्चिमी क्षेत्र तक विस्तृत था। आर्यो के इस विस्तार का अनुमान ऋग्वेद तथा अन्य वेदों में वर्णित नदियों के आधार पर लगाया जाता हैं। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुछ नदियों का उल्लेख है– जैसे कु, सुवास्तु, गोमती, क्रुम। इसके साथ ही सरस्वती, सिन्धु, वितस्ता, असिकनी, पुरूष्णी, विपाशा और शतलज की संज्ञाओं से युक्त सप्तसैंधव–नदियों का उल्लेख हैं ऋग्वेद में गंगा यमुना नदियों का नाम क्रमशः तीन और एक बार लिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि आर्यों ने सप्तसैंधव प्रदेश में विस्तार किया था तथा वे गंगा यमुना के मैदान से अभी अपरिचित थे। धीरे–धीरे उनका विस्तार होने लगा। इस काल में आर्यो का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मालवा तक तथा पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में गंगा नदी के पश्चिमी तट तक हो चुका था। दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्व में इनका प्रवेश नही हो पाया था। सप्त सैन्धव प्रदेश में निवास करने के पश्चात् उत्तर वैदिक काल आते–आते वे दक्षिण तथा पूर्व के प्रदेशों की ओर अग्रसर हो गये परिणाम स्वरूप कुरूक्षेत्र, गंगा–यमुना का तटवर्ती प्रदेश, काशी, कोसल, विदेह आदि आर्यों की सभ्यता के केन्द्र बनते गये। इसी प्रकार उन्होंने कुरू पांचाल प्रदेश को हस्तगत किया। यह आर्य सभ्यता का प्रमुख केन्द्र बन गया।

ऋग्वैदिक सभ्यता के सामाजिक संगठन के आधार पर जिस समय आर्य आये उस समय वे पूर्णरूप से एक जाति थे। उनमें कर्म तथा जन्मानुसार वर्ण की विभिन्नता की भावना नाम

मात्र भी नहीं थी। वे भेदभाव रहित, दृष्टिकोण से मिलजुल कर कृषि कर्म, व्यवसाय तथा धार्मिक अनुष्ठान करते थे। ऋग्वेद के श्लोकों में व्याभिचार, सतीत्वहरण, वैवाहित विश्वासघात, गर्भपात कराने, धोखे, चोरी और डकैती के उल्लेख मिलते हैं।[15] इसीलिए ऋग्वैदिक लोगों को न तो हम भोले–भाले चरवाहे मान सकते हैं और न ही अत्यधिक सभ्य। इस वेद में जिस संस्कृति का चित्रण किया गया है, उससे ज्ञात होता हैं कि आर्य फुर्तीले, प्रसन्नचित तथा युद्धप्रिय लोग थे जिनकी रूचियाँ सरल और कुछ असभ्य थीं।

आर्य प्रमुखतः तीन प्रकार के वस्त्र धारण करते थे (1) अधोवस्त्र (2) उत्तरीय (3) अधिवास। ऋग्वेद में सिर पर धारण की जाने वाली पगड़ी का भी उल्लेख हैं पेशस्कारी नामक स्त्रियाँ सूई द्वारा कढ़ाई करके वस्त्र बनाती थीं।[16]

इस सभ्यता में स्त्री, पुरूष दोनों श्रृंगार करते थे। श्रृंगार में स्त्रियों को विशेष रूचि थी। श्रृंगार विभिन्न प्रकार के पुष्पों से किया जाता था। आर्य पुरूष लम्बे बाल रखते थे। नाई को वप्ता कहा जाता था।[17] स्त्री पुरूषों में आभूषण समान रूप से प्रिय थे। आभूषण सोना, चांदी तथा कीमती पत्थर से बनते थे। मनोरंजन के लिए संगीत मुख्य साधन था। वाद्यों में वीणा, शंख, झॉझ, मृदंग तथ दुन्दुभि आदि प्रमुख थे।

इस काल में स्त्रियों के लिए शिक्षा के द्वार खुले थे।[18] पर्दा प्रथा नही थी। कई ऋषि स्त्रियों की रचनाएँ ऋग्वेद संहिता में हैं। वे वीरता व साहस में काफी आगे थी। पुत्र के अभाव में पुत्री को पुत्र सदृश्य समझा जाता था, उसे हेय तथा घृणा की वस्तु नहीं माना जाता था। कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी। उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था।

विवाह के मामलों में स्त्रियों की बड़ी स्वतन्त्रता थी। यौवनावस्था में स्त्री–पुरूष परस्पर मिला जुला करते थे। अपनी रूचि के अनुसार प्रेम किया करते थे, तथा प्रेम के कारण विवाह कर लिया करते थे। विधवा विवाह निषेध नहीं था। ऋग्वेद की एक ऋचा में उसी स्त्री से, जो अपने पति के शव के साथ लेटी हुई है, कहा गया है–स्त्री उठो। तुम उसके पास लेटी हो जिसकी इहलीला समाप्त हो गयी है। अपने पति से दूर हट कर जीवितों के संसार में आओं और उसकी पत्नी बनो जो तुम्हारा हाथ पकड़ता हैं और तुमसे विवाह करने का इच्छुक हैं।[19] अतः विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित थी।

दास प्रथा भी इस काल में प्रचलित थी।[20] ऋग्वेद में एक ऋषि उषा पुत्रों के साथ–साथ दासों की प्रार्थना करता है। राजा त्रदस्यु ने पचास दासियाँ दान में दीं थीं।[21] एक प्रार्थना में कहा गया है कि हे अग्नि! अभ्यावर्तिनि चायमान ने मुझे बीस बैल इत्यादि के साथ–साथ बहुत सी लड़कियाँ भीं दीं।[22] इन उल्लेखों से यह प्रमाणित होता है कि समाज में दास प्रथा का प्रचलन था परन्तु इस प्रथा का प्रचलन प्राचीन यूनानियों या रोम की भाँति नही था।

नैतिक आदर्श के मामले से अनेक मंत्रों में असत्य की बड़ी निंदा की गई हैं। असत्य तथा झूठा अपराध लगाने वाले को शाप दिया जाता था।[23] ऋग्वेद के अनुसार देवता, इन्द्र के नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे[24] शिक्षा का स्वरूप इस काल में मौखिक था। आचार्य का घर विद्यालय था। वह वैदिक, शास्त्रीय शिक्षा भी देते थे।

इस सभ्यता का आर्थिक जीवन पूर्णतया कृषि पर निर्भर था। यह सभ्यता ग्राम प्रधान थी। आर्यों ने साफ सुथरी कृषि योग्य उर्वरा भूमि प्राप्त करने के लिए वन प्रदेशों का सफाया कर दिया था। उत्पन्न किये जाने वाले अन्नों में गेहूँ तथा जौ प्रमुख थे। ऋग्वेद में स्थान–स्थान पर समय पर वर्षा के लिये प्रार्थनाएं की गई हैं।[25]

आर्यों की कला–कौशल में भी परिपूर्ण दक्षता थी। हर ग्राम में बढ़ई, लुहार तथा कुम्हार होता था।[26] बढ़ई, हाल, रथ नाव घरो के लिये दरवाजे, खिड़कियाँ आदि बनाता था। वह लकड़ी पर सुन्दर नक्काशी भी करते थे। लुहार हलों के फल, धूरे, तलवार तथा दैनिक जीवन में काम आने वाली अन्य चीजें बनाता था। ऋग्वेद में जुलाहों एवं सुनारों का भी उल्लेख मिलता हैं। जुलाहे कपड़ा बुनते थे। सुनार आभूषण तैयार करते थे। रंगकार कपड़े रंगते थे। कुम्हार उपयोगी बर्तन तथा खिलौने बनाते थे। चर्मकार पशुओं की खाल से नाना प्रकार के आवश्यक उपकरणों को तैयार करते थे। उन्हें चमड़ा पकाने की कला का भी ज्ञान भली भांति था। समाज में शिल्पकारों दस्तकारों तथा कारीगरों को महत्व प्राप्त था। विभिन्न प्रकार के उद्योग–धंधों के करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को थी। कर्म प्रधान होने के कारण सभी के आर्थिक कर्म समान रूप से आदणीय थे।[27]

सभ्यता की गति निरन्तर तथा अबाध होती हैं। पुराना बिल्कुल समाप्त नहीं होता और नया बिल्कुल नहीं आता। इसकाल में आर्य सभ्यता का विस्तार क्रम आगे बढ़ा। इस युग की सभ्यता का केन्द्र कुरूक्षेत्र था। यहां पर कुरू, पांचाल, वंश तथा उशीनर आदि आर्य राज्य थे। इन आर्य राज्यों के अतिरिक्त शिवि, वैत, मत्स्य, द्रव्य, विदर्भ आदि आर्य समूहों के अन्तर्गत प्रदेश थे। इस प्रकार लगभग सम्पूर्ण उत्तर भारत, मध्य भारत (मुख्यतः पूर्वी भाग) तथा दक्षिण भारत के प्रदेशों में आर्य फैल चुके थे। इस काल के ग्रंथों में आंध्र जाति, पुन्ड्र, मुतिव, पुलिन्द तथा शब्द आदि का भी उल्लेख मिलता हैं परन्तु ये सभी अनार्य समूह थे। सम्भव है कि ये अनार्य समूह आर्यो द्वारा राजनैतिक रूप से प्रभावित थे। इस काल में बदलाव राजा की उस स्थिति में आया जब राजा का पद वंशानुगत हुआ। आर्यो में इस काल में परिवार, जीवन, खानपान, पहनावे, वस्त्राभूषण, मनोरंजन, स्त्रियों की दशा में सुधार हुये। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितिकी ब्राह्मण में अनेक स्त्रियों का नामोल्लेख हैं।[28] विवाह का सामाजिक महत्व भी बहुत था। ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने से छोटी जातियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध जोड़ते थे।

आर्य समाज के प्रसार तथा अनार्यों से नये सम्बन्धों की स्थापना के कारण अब वर्ण अथवा जातियों की समस्याएं उभर कर आने लगी थी। फलस्वरूप अब सामाजिक स्तर के स्पष्टीकरण की आवश्यकता अनुभव होने लगी। दृष्टिकोण का परिवर्तन आर्यो के साहित्य तथा सामाजिक संगठन पर असर डाल रहा था। ऋग्वेद के पहले नौ मण्डलों के समय वर्ण–व्यवस्था बन चुकी थी। परन्तु उत्तर वैदिक काल में जो चातुर्वर्ण्य बना अर्थात् जाति–पाँति की जो व्यवस्था दृष्टिगोचर हुई, वह एक विचित्र संस्था हैं।[29] वैसे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एवं अंकुरण तो ऋग्वैदिक काल में ही हो चुका था, परन्तु अब उसका विकास हो रहा था। अब यह वर्गीकरण साधारण से जटिलता की ओर विकसित हो रहा था। धार्मिक अनुष्ठानों के बढ़ते महत्व तथा जीवन जटिलता के प्रति बदलते दृष्टिकोण के कारण वर्ण सम्बन्धी भावनाएं तेजी के साथ उभर रहीं थीं।

वैवाहिक नियम अब कुछ कठोर होने लगे थे। मिश्रण के भय के कारण स्त्रियों की स्वतन्त्रता का ह्रास हो रहा था तथा सामाजिक नियम रूढ़िवादी होते जा रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अब सुसंगठित वर्णो का रूप धारण करते जा रहे थे। वर्ण–व्यवस्था का विकास शुरू हो गया, परन्तु अभी तक पूर्णत्व प्राप्त नहीं हो सका था। इस काल में यह व्यवस्था विकास क्रम के मध्य चरण में थी। इस काल में विभिन्न क्षेत्रों के समान स्तर वाले व्यक्तियों में संगठन की भावना पैदा हो रही थी। यह एक स्वस्थ्य प्रवृत्ति थी। हितों की रक्षा नियमों की स्पष्ट व्याख्या, कर्तव्य सीमा का निर्धारण, कार्य विभाजन का सीमांकन तथा उत्तरदायित्व का भार आदि निश्चित कर देने से वस्तुतः समाज को लाभ ही होता है। उत्तर वैदिक काल में भी ऐसा ही हुआ। वर्णभेद का आधार कर्मगत या जन्मगत नही था। इस बात के अनेक प्रमाण उपलब्ध है कि इस युग में सभी प्रकार की श्रेणियों से उठकर लोग ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेते थे। जैसे ऋग्वेद में विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि कहा गया है, किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण में क्षत्रिय।[30]

वर्ण व्यवस्था, जातियाँ

वर्ण व्यवस्था के उद्‌गम का मूल कारण कुलीनता की प्राप्ति या समाज में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना हैं। जैसे–जैसे मानव की बुद्धि या विकास हुआ वैसे–वैसे शारीरिक श्रम के स्थान पर ज्ञान का महत्व स्थापित होने लगा। ऋषियों और ब्राह्मणों ने अनेक आविष्कार किए तथा बुद्धि के बल पर कला–कौशल आदि का विकास करके श्रेष्ठता प्राप्त की। ब्राह्मण ग्रंथों में पुरोहितों की महिमा का वर्णन किया गया हैं क्योंकि यज्ञ कार्य जटिल बना दिया गया था। यज्ञों का आयोजन पुरोहितों के हाथ में आ गया था। अतः राजन्यों पर भी पुरोहितों का ही आधिपत्य हो गया था। क्योंकि बिना पुरोहितों के यज्ञ कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता था।[31]

विभिन्न धर्म ग्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के भिन्न–भिन्न कर्तव्य या वर्ण–धर्म बतलाए गए हैं। ऐसा करने का प्रमुख उद्देश्य समाज को श्रम विभाजन का लाभ पहुंचाना था। प्रत्येक वर्ण धर्म के दायित्वों को निर्धारित कर, एक ओर यह प्रयास किया गया कि सभी कार्य विशेष ज्ञान के आधार पर पूर्ण किए जाएं, और दूसरी तरफ यह भी कि कोई भी अन्य वर्ण किसी अन्य वर्ण के कार्यों में हस्तक्षेप न करें।[32]

ब्राह्मण

तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार "ब्राह्मण दिव्य वर्ण वाला है।" "वह पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता है" तथा "जिसमें समस्त देवता वास करते है" पंचविश ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण इतना पवित्र है। कि उसके विषय में कोई पूछताछ नहीं करनी चाहिए। इन उल्लेखों से स्पष्ट हैं कि इस काल में ब्राह्मण के पद तथा प्रतिष्ठा में भारी बढ़ोत्तरी हो रही थी। जैसे–जैसे ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा और उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। ब्राह्मणों को विद्या का बल था। ऐतरेय ब्राह्मण कहता है, कि विद्या बड़ा पुण्य है जिसके पास विद्या है वह इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। ब्राह्मणों के कार्य क्षेत्र में वेदों का पठन पाठन, यज्ञादि का सम्पादन, धर्म अनुष्ठान तथा राजा को मंत्रणा देना था। शिक्षा का चालन भी मुख्यतः उन्हीं के हाथों में था। वे अपने तपस्वी, त्यागपूर्ण और आदर्श जीवन के कारण श्रद्धा तथा आदर के पात्र थे। वे नैतिकता के प्रतीक समझे जाते थे। इनके बारे में यहाँ तक प्रचलित था। कि राजा अपनी शक्ति ब्राह्मण

से ही प्राप्त करता था।[33]

अध्यापनमध्ययनं यजनं तथा।

दान प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम् कल्पयत्।।[34]

अर्थात् पढ़ना–पढ़ाना, यज्ञ करना–कराना, दान देना और दान लेना इनका कार्य है। ब्राह्मणों को सौंपे गए सभी दायित्वों का संबंध सात्विक गुणों से है जिन्हें श्रेष्ठ माना गया है। यही कारण है कि इन्हें समाज में सर्वोच्च वरीयता या स्थिति प्रदान की गई। इनका स्थान समाज में ऊँचा रहा।

क्षत्रिय

शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ तथा दूसरे स्थान पर ब्राह्मण को क्षत्रिय से श्रेष्ठ कहा गया हैं।[35] इस प्रतियोगी स्तर का कारण सम्भवतः वे अनेक क्षत्रिय थे,[36] जिन्होंने गहन अध्ययन करके तत्वज्ञान प्राप्त किया था। देश की रक्षा, समाज, राज्य को सुव्यवस्था प्रदान करना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना तथा राजनैतिक विस्तार करना, क्षत्रियों का परम कर्तव्य था। क्षत्रियों के पास सैन्यबल था, राजनैतिक प्रभुता थी, विद्याव्यसन भी था, उनका पद ब्राह्मणों से कुछ ही कम था। वैदिक साहित्य में यह कथन आया है, कि ब्राह्मण और क्षत्रिय मिल कर संसार का भार उठाते हैं।

प्रजानां रक्षणं दानमिज्यब्यिनमेव च।

विषयेष्व प्रसशितश्च क्षत्रियस्य समासतः।।[37]

अर्थात प्रजा की रक्षा, दान, यज्ञ, अध्ययन, नित्य, भोज इत्यादि विषयों में रूचि क्षत्रियों का धर्म हैं क्षत्रिय को इतना समर्थ होना चाहिए कि वह दुष्टों को दंड दे सकें। महाभारत में उसे क्षत्रिय माना गया हैं जो वेदों के अध्ययन और ब्राह्मणों को दान देने में रूचि रखता है तथा अन्य क्षत्रियोचित कर्मों को पूरा करता हैं। इसी प्रकार गीता में क्षत्रिय के सात धर्म स्वीकार किए गए हैं–शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से न भागना, दान करना व निःस्वार्थ भाव से प्रजा की रक्षा करना।[38]

वैश्य

शेष आर्य जो 'विश' वर्ग से सम्बन्धित थे, अब विश्य या वैश्य कहलाने लगे। 'विश्य' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाजसनेयि संहिता में मिलता हैं। इस वर्ग का कार्य कृषि व्यवसाय, व्यापार तथा उद्योग धंधों द्वारा धनार्जन करना था। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यो का अधिकांश भाग (जो बहुसंख्यक साधारण आर्य थे न ब्राह्मण थे, न क्षत्रिय थे) अपना जीविकोपार्जन कृषि कर्म द्वारा करते थे इसी वर्ग में गिने जाते थे। वैश्यों को अपेक्षाकृत कम अधिकार प्राप्त था। राज्य की आय का श्रोत यही वर्ण था। इनमें कई उपजातियाँ भी थी जैसे स्वर्णकार, लोहार, बढ़ई आदि। उत्तर वैदिक साहित्य में वैश्यों को 'अन्यस्थ बल कृत' कहा गया हैं जिससे प्रकट होता है कि समाज में इनका स्थान क्रमशः ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद आता हैं।[39]

पशूनां रक्षण दानभिज्याब्यिनमेव च।

वणिज्यपथं कुसी द च वैश्यस्य कृषिमेव च।।[40]

अर्थात पशुओं की रक्षा, दान, यज्ञ, अध्ययन, वाणिज्य, ब्याज लेना, कृषि कार्य वैश्यों के धर्म हैं।

इस प्रकार वैश्यों का धर्म समाज के भरण–पोषण का दायित्व अपने ऊपर लेकर समाज के अस्तित्व को बनाए रखना हैं। महाभारत में भी कहा गया है कि वैश्य वेदों के अध्यन

से सम्पन्न होकर व्यापार, पशु–पालन एवं कृषि कार्य में रूचि रखता हो। आगे वैश्यों का यह कर्तव्य है कि वे उचित माध्यमों से धन का संग्रह करें।

शूद्र

वर्ण व्यवस्था के उपरोक्त तीन वर्णों में समस्त आर्य, कतिपय अनार्य तथा समिश्रित वर्ग सम्मिलित थे। परन्तु कुछ अनार्य जातियां इतनी निम्न स्तर की समझी गई कि, वे इस वर्ण व्यवस्था से लगभग बाहर ही रखी गई आर्यो ने अपने आगमन पर जिन अनार्यों को पराजित किया तथा ऋग्वेद में जिन्हें 'दस्यु' 'दास' की संज्ञाएं दी गई थी, अब उन्हें शूद्र वर्ण में रख दिया गया। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार "शूद्र आर्यो के भृत्य हैं, जो इच्छानुसार रखे या निकाले जा सकते है। शूद्रों को वेद अध्ययन करने का अधिकार नही था। वे अस्पृश्य थे, शूद्र स्त्री से सम्पर्क तथा विवाह निषिद्ध था तथा वे भूमि के स्वामी नही हो सकते थे। इनका निवास स्थान ग्राम या नगर के बाहर होता था। ऋग्वेद के पुरूषसूक्त में शूद्र शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में शूद्र वर्ण का उल्लेख अन्य वर्णों के साथ मिलता हैं।[41]

शूद्र शब्द को वेदांत सूत्र में बादरायण ने दो भागों में विभक्त किया हैं 'शुच्' (शोक) और 'द्र' जो 'दु' धातु से बना है और जिसका अर्थ है दौड़ना (शगुस्य तदानादर श्रवणात् तदाद्रवणतः सूच्यते)[42] इसकी टीका करते हुये शंकर ने इस बात की तीन वैकल्पिक व्याख्याएं की हैं, कि जनाश्रुति शूद्र क्यों कहलाया। (अ) 'वह शोक के साथ दौड़ गया– वह शोक–निगम्न हो गया। (शुचम् अभिद्रुद्राव), (ब) उस पर शौक दौड़ आया', –'उस पर संताप छा गया' (शुचा व अभिदुवे) (स) 'अपने शोक के कारणवह रैक्व दोड़ गया। (शुचा ब रैक्वम् अभिदुद्राव)[43] शंकर का निष्कर्ष है, कि शूद्र शब्द के विभिन्न अंगों की व्याख्या करने पर ही उसे समझा जा सकता है, अथवा नही।[44] शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति और शंकराचार्य जी द्वारा उसकी व्याख्या दोनों ही वस्तुतः असंतोषजनक हैं[45] पाणिनी के व्याकरण में उणादिसूत्र के लेखक ने इस शब्द की ऐसी व्युत्पत्ति की है, जिसमें शूद्र शब्द के दो भाग किए गए हैं, अर्थात् धातु शुच् या शुक् + र [46] प्रत्यय 'र' की व्याख्या करना कठिन है। और यह व्युत्पत्ति भी काल्पनिक और अस्वाभाविक लगती हैं।[47] पुराणों में जो परंपराएं हैं, उनसे भी शूद्र शब्द शुच् धातु से संबद्ध जान पड़ता है, जिसका अर्थ होता है संतृप्त होना। कहा जाता है, कि 'जो खिन्न हुए भागे, शारीरिक श्रम करने के अभ्यस्त थे तथा दीन–हीन थे, उन्हें शूद्र बना दिया गया।[48] आदि मध्य काल के बौद्ध शब्द कोष में शूद्र शब्द क्षुद्र का पर्याय बन गया।[49] इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि शूद्र शब्द क्षुद्र शब्द से सम्बन्धित हैं।[50]

एकमेव तू शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्।

एतेषाभेव वर्णन शुश्रुषामनुंसूयया ।।[51]

अर्थात शूद्रों का धर्म है कि वह पहले तीनों वर्णों की बिना निंदा किए भरपूर सेवा करें।

शूद्र के लिए यह भी कहा गया है कि वह जहां तक संभव हो उसे किसी ब्राह्मण की सेवा के रूप में कार्य करना चाहिए। क्षत्रिय यां वैश्य का सेवक तो उसे आजीविका कमाने की दृष्टि से आवश्यकतानुसार ही बनना चाहिए। शूद्रों को अध्ययन–मनन, धन संग्रह एवं वर्णों के व्यवसाय को नहीं अपनाना चाहिए।[52]

इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था के माध्यम से लोगों को यह विश्वास दिलाया

गया कि जो वर्ण अपने–अपने वर्णों का पालन करेगा उसे आगामी जन्म में उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त होगी। अतः सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रियों को विद्या के साथ अध्ययन एवं युद्ध कार्य तथा वैश्यों ने व्यापार उन्नति के साथ कृषि कार्य को पूरा किया। इनमें शूद्रों का योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि शूद्रों ने संस्कृति की पवित्रता एवं श्रम विभाजन के नाम पर दास जीवन को अंगीकार किया तथा बिना विद्रोह किए कठोर शारीरिक श्रम को अपना उद्देश्य माना।

इस काल में वर्णों के बीच जटिलता आना प्रारम्भ हो गयी थी। वर्णों का सम्बोधन निम्न प्रकार से था, जो बिल्कुल भिन्न हैं। ब्राह्मण को 'एहि' (आइये), क्षत्रिय का 'आगहि' (आओ), वैश्व को 'आद्रव' (जल्दी आओ) तथा शूद्र को 'आधाव' (छोड़ कर आओ)। इससे सप्ष्ट है कि वर्ण भेद उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे थे।[53]

उत्तर वैदिक के अन्त तक सामाजिक जीवन अत्यन्त व्यापक एवं जटिल हो चुका था। इस काल के बाद सूत्रकाल का आरम्भ हुआ। सामान्यतः सातवीं या छठी शताब्दी ई० पू० से लेकर तीसरी शताब्दी ई०पू० तक का समय सूत्रकाल कहा जा सकता है।[54] सूत्रों में 'गौतम धर्म सूत्र' सबसे प्राचीन माना गया हैं गृह्य और धर्म सूत्रों का गृहस्थ और सामाजिक जीवन से सम्बन्धा होने के कारण अधिक ऐतिहासिक महत्व हैं। इस समय समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, खानपान, पहले जैसा ही था। दूध, दही, मक्खन घी का प्रयोग पहले की तरह ही होता था। वेशभूषा में पर्याप्त सादगी थी। मनोरंजन एवं स्त्रियों की दशा में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। स्त्रियाँ यज्ञ एवं उत्तराधिकार के लिये स्वतंत्र नही थी।[55] राजा अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाता था। यह प्रावधान भी था, कि राजा भी उन सम्पूर्ण नियमों का पालन करे जो जनता के लिये निधारित हैं।[56] शासन प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। इस काल की न्याय व्यवस्था बहुत विचित्र थी कि न्याय प्रदान करने में वर्ण का विशेष ध्यान रखा जाता था। शूद्र यदि चोरी, हत्या या भूमि का अपहरण करे, तो उसे मृत्युदण्ड दिया जाये। और यदि ब्राह्मण वैसा करे तो उसे अंधा कर दिया जाये।[57]

सूत्रकाल तक आते–आते वर्णों का पारस्परिक विभेद अपने चरम पर जा रहा था। प्रथम तीन वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) को मिला कर 'द्विज' संज्ञा दी गयी और इन्हें शूद्रों से अलग माना जाने लगा।

वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को चौथे स्थान पर रखा गया और उनकी स्थिति बदतर होती जा रही थी। इस काल में ब्राह्मणों की स्थिति मजबूत थी। वे आवश्यकता पड़ने पर अपने वर्णगत कार्यों को अन्य वर्णों के कार्यों में बदल सकते थे। वह अपने लिये दूसरों की खेती व्यवसाय, तथा महाजनी भी करा सकते थे।[58] वर्ण व्यवस्था के नियमों का लचीलापन केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को ही सुलभ था। शूद्र वैसे ही नहीं बल्कि उससे भी बदतर कर दिये गये। अगर शूद्र वेद सुन ले, तो कान में लाख भर देनी चाहिये, अगर वेदों के बारे में बताये, तो जिव्हा काट लेनी चाहिऐ और यदि याद करे तो शरीर के दो टुकड़े कर देने चाहिये।[59]

समाज में ब्राह्मण–क्षत्रिय की स्थिति अधिक मजबूत हुयी। वैश्य, जिसका तीसरा स्थान था, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य के द्वारा अपना निर्वाह करते थे। उनकी सामाजिक एवं सांस्कृ

तिक स्थिति धीरे–धीरे शूद्रों के निकट आती जा रही थी। अब समाज में अस्पृश्यता का उदय हुआ। शूद्र अस्पृश्य माने जाने लगे, जो नगर के बाहर निवास करते थे। वर्ण कठोर होकर जाति में बदल गये जिनका आधार कर्म न होकर जन्म माना गया। शूद्रों को समाज में अत्यन्त निकृष्ट तथा अधिकार विहीन वर्ण माना गया। उन्हें अध्ययन, यज्ञ, मंत्रोच्चारण आदि का अधिकार नहीं था। वशिष्ट उन्हें श्मशान के समान अपवित्र बताते है। उनका एक मात्र कार्य दूसरों की सेवा द्वारा अपना निर्वाह करना था। उन्हें सम्पत्ति रखने का अधिकार नही था। तथा वे जो कुछ सम्पत्ति बनाते भी थे, वह अन्य वर्णों के उपयोग के लिए थी। पाणिनि ने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है– निरवासित (नगर के बाहर रहने वाले) तथा अनिरवासित (नगर की सीमा में रहने वाले) इनमें से पहले प्रकार के शूद्र अस्पृश्य माने जाते थे।[60]

गौतम धर्म सूत्र ने यह व्यवस्था दी, कि शूद्र को उच्च वर्णों के भोजन का उच्छिष्ट (जूठन) ग्रहण करना चाहिए तथा उनके द्वारा उतार फेंके गये जूते, छाता, चटाई वस्त्रादि का उपयोग करना चाहिए। एक स्थान पर बताया गया हैं, कि जो वस्त्र चूहों द्वारा काटकर चिथड़ा कर दिये जाते थें। वे ही शूद्रों के उपयोग के लिये होते थे। शूद्रों के ऊपर आर्थिक आसमानतायें लाद दीं गयी तथा उन्हें बेगार के लिये मजबूर किया गया। राजनैतिक संगठनों में शूद्रों का कोई स्थान नहीं रह गया तथा न्याय के मामले में भी उनके साथ भेद भाव होने लगा। उनके लिये कठोरतम दण्ड का विधान किया गया। आपस्तम्ब तथा बौद्धायन ने यह विधान किया, कि शूद्र की हत्या करने वाले व्यक्ति के लिये वही प्रायश्चित होता है जो कौवे, उल्लू, मेंढ़क, कुत्ते आदि की हत्या के लिये है।[61]

समाज में अस्पृश्यता का उदय हुआ तथा शूद्र को अछूत माना जाने लगा आपस्तम्ब के अनुसार शूद्र द्वारा स्पर्श किया गया अन्न ब्राह्मण के लिए त्याज्य हैं गौतम अनुसार ब्राह्मण को शूद्र का स्पर्श हुआ पानी नहीं पीना चाहिये।[62]

उपरोक्त तथ्यों से विदित होता हैं कि सूत्रकाल के समापन तक शूद्रों की स्थिति बदतर हो चुकी थी। शूद्रों से प्रत्येक प्रकार का भेद–भाव प्रारम्भ हो चुका था।

महाकाव्य काल का निर्धारण सूत्रकाल के बाद माना जाता है। इस काल में रामायण और महाभारत के समय को समाहित किया गया हैं ये दोनों महाकाव्य एक युग में नहीं लिखे गये रामायण की भौगालिक पृष्ठ उसे महाभारत से पहले का सिद्ध करती हैं[63] रामायण की रचना मूलतः चौथी शताब्दी ई0 पू0 हुयी। महाभारत की रचना का भी मूलतः काल यही माना गया है। रामायण का अन्तिम स्वरूप दूसरी शताब्दी ईसवी के लगभग तथा महाभारत का अन्तिम और वर्तमान स्वरूप चौथी शताब्दी ईस्वी माना गया है।[64] यह काल 500 ई0पू0 से 200 ई0 पू0 तक माना जा सकता है। इस काल का सामाजिक जीवन कुछ भिन्नताओं के साथ पूर्ववत् ही था। इस काल में वर्णो का रूप और अधिक विस्तृत हो गया था। अब स्वयं एक वर्ण के कई वर्ग बनते जा रहे थे, उदाहरणार्थ–ब्राह्मणों में छः प्रमुख वर्ग उल्लिखित है। ब्राह्मसम, देवसम, चाण्डालसम, क्षत्रियसम तथा वैश्यसम। इस काल में सम्पूर्ण राज–सत्ता तो क्षत्रियों के हाथ में थी, परन्तु ब्राह्मण को धर्म–आदर्श और नैतिकता की प्रतिमूर्ति माना जाने लगा। ब्राह्मण की उत्कृष्टता, पवित्रता तथा देवतुल्यता की भावना सर्वसम्मति रूप से स्वीकार कर ली गयी। आम नागरिक अब इनके कोप

एवं श्राप से थर्राती थी। अब जन्म ही जाति–निर्णय का प्रधन मापक बन चुका था।[65]

रामायण काल में शूद्र वर्ण समाज का निम्नतर वर्ण था। वैश्य वर्ण भी धीरे–धीरे शूद्रों के नजदीक आ गया था। शूद्र न तो तप कर सकता था और न ही विद्याध्ययन के लिए गुरूकुलों में ही जा सकता था। उसका कार्य केवल सेवा करना ही मात्र था। यदि कोई शूद्र अपने वर्ण के कर्म का अतिक्रमण करता था, तो उसे दण्डस्वरूप मृत्यु दी जाती थी। यह आशय बाल्मीकि रामायण में '–शम्बूक–वध' नामक कथा से लगाया जा सकता था। वह कथा इस प्रकार है–

बोलिउ तापस रामसन, हे श्री रघुकुल–केतु
भाषहुँ सुनिय लगाय चित, वंश सहित तप–हेतु।।

(श्री बाल्मीकि जी कह रहे है कि वह तपस्वी श्री रामचन्द्र जी से बोला कि हे रघुकुल की पताका राम! मैं अपने वंश सहित तपस्या का कारण कहता हूँ आप चित लगाकर सुनिये)

है मम जन्म शूद्र कुलमाही, सुरपुर हेत करहूँ तप काही।
इति तन जान अमरपुर चहहूँ, कै दिव्यत्व अवशि कछु लहहूँ।।

(मेरा जन्म शूद्र वंश में हुआ है। और में यह तपस्या बैकुंठ के लिए कर रहा हूँ। मैं इसी शरीर से देवलोक जाना चाहता हूँ। या कुछ देवत्व तो जरूर ही पालूंगा।)

लीन्हिउ सत्यव्रतः करि धारण, कहि शम्बूक करिहुँ उच्चारण।
सुनि यह तिहि अनुचित हठ हेरी, श्री रघुनाथ करी नहिं देरी।।

(इसलिए मैंने सत्य को धारण कर लिया है मुझे आप शम्बूक कह कर पुकारिये। यह सुनकर और उसका अनुचित हठ देखकर श्री रामचन्द्र जी ने जरा भी देर नहीं लगाई और)

दिप्त म्यान सन खड्ग निकारी, दीन्हिउ काटि तासु सिर डारी।
लखि वह चरित अग्नि, सुररई, धनि धनि कहिउ सुरन युत।।

(म्यान से चमकती हुई तलवार, निकालकर उसका सर काट कर पृथ्वी पर डाल दिया। यह चरित्र देखकर अग्निदेव और महाराज इन्द्र देवताओं सहित आकर धन्य–धन्य करने लगें)[66]

इसी प्रकार एकलव्य नामक एक निषाद बालक को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इंकार कर दिया तथा अपनी निष्ठा एवं लगन से जब उसने स्वयं ही धुनर्विद्या में अर्जुन के समकक्ष योग्यता प्राप्त कर ली तो छल से उसके दायें हाथ का अंगूठा द्रोणाचार्य जी ने गुरू–दक्षिणा में मांग लिया। परन्तु इस काल में कहीं कहीं शूद्रों की स्थिति में सुधार के भी संकेत मिलते हैं। महाभारत में जोर देकर कहा गया है कि शूद्र सेवकों का भरण–पोषण करना द्विज का कर्तव्य है।[67] यह भी पता चलता है कि मंत्रि मण्डल में शूद्र प्रतिनिधि रखे जाते थे। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के अवसर पर शूद्र प्रतिनिधि को आमंत्रित किया था।[68] सर्वप्रथम शांति पर्व में ही यह विधान मिलता हैं, कि चारों वर्णो को वेद सुनना चाहिए तथा शूद्र से भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।

महाभारत में विदुर, मातंग, कायव्य आदि व्यक्तियों के नाम ऐसे है जो जन्म से शूद्र होते हुए भी समाज में प्रतिष्ठत स्थान प्राप्त किये हुए थे। सेवा –वृत्ति के अतिरिक्त उन्हें 'वार्ता' अर्थात् कृषि, पशु–पालन वाणिज्य आदि का अधिकार था[69] गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि चारो

वर्णों की उत्पत्ति गुण कर्म के आधार पर की गयी हैं। गुण तीन प्रकार के कहे गये है सतोगुण (सत्य), रजोगुण (रज), तमोगुण (तम)। सतोगुण ज्ञान रजोगुण राग (आसक्ति) तथा तमोगुण अज्ञान अथवा अंधकार का सूचक बताया गया हैं प्रत्येक प्राणी में प्रकृति के अनुसार कोई न कोई गुण अवश्य विद्यमान रहता हैं (गुणाः प्रकृति संभवाः) अतः जिसमें सत्य की प्रधानता है वह ब्राह्मण, रज की प्रधानता है वह क्षत्रिय तथा रज तथा तम की प्रधानता है वह वैश्य तथा जिसमें तम की प्रधानता है वह शूद्र होता हैं।[70]

इस प्रकार धर्म शास्त्रों के समय में वर्ण व्यवस्था का जो रूप निर्धारित हुआ, वह बाद में समाज के लिए आदर्श बन गया। गुप्तकाल वर्ण व्यवस्था में नमनीयता बनी रही। गुप्त काल में भी वर्णव्यवस्था पूर्णरूप से प्रतिष्ठित थी। चारों वर्णों की सामाजिक स्थिति में भेद किया गया था। वाराहमिहिर के अनुसार ब्राह्मण का आवास पांच कमरो वाला, क्षत्रिय का चार, वैश्य का तीन तथा शूद्र का दो कमरों वाला होना चाहिए। न्याय व्यवस्था में भी विभिन्न वर्णों की स्थिति के अनुसार भेद–भाव किया जाता था। गुप्त कालीन समृतियां शूद्रों को व्यापार शिल्प एवं कृषि कार्य करने की अनुमति देती हैं। बृहस्पति ने प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं को बेचना शूद्र का सामान्य आचरण बताया है किन्तु मृच्छकटिकम् में कुछ शूद्र अधिकारियों का वर्णन मिलता हैं इस काल में शूद्रों को महाकाव्यों तथा पुराणों के श्रवण का अधिकार प्राप्त हो गया था जिससे शूद्रों के प्रति समाज के बदले दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। इस काल के स्मृति ग्रन्थों से समाज में अस्पृश्यता के प्रचलन का भी पता चलता हैं फाहियान ने अपने विवरणों में भी इस बात की पुष्टि की है। गुप्तों के समय दासों का भी प्रचलन था। सामान्यतया युद्धबन्दियों को दास बनाकर रखा जाता था। और इनके शरीर पर उसके स्वामी का अधिकार था। हर्ष के काल में अवश्य शूद्रो को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने का संकेत मिलता हैं उसके काल में सिन्ध देश का शासक शूद्र जाति का बताया गया है किन्तु इस समय भी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अछूत जाति का था।[71] हन्दे बसांग ने कसाई, मछुआरे, जल्लाद, भंगी आदि को अछूत जातियों में रखा है। पूर्व मध्यकाल में शूद्रों का सम्बन्ध कृषि से हो जाने के कारण उनकी स्थिति में सुधार आया। शूद्रों ने कृषक के रूप में वैश्यों का स्थान ग्रहण कर लिया। पराशर स्मृति में वैश्य तथा शूद्रों के लिए समान रूप से कृषि, वाणिज्य तथा शिल्प कार्य करने का विधान मिलता हैं शूद्रों की स्थिति में यह परिवर्तन सामन्ती प्रवृत्ति के विकास के कारण हुआ क्योंकि भूस्वामियों एवं सामन्तों को कृषि कार्य हेतु बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति शूद्र वर्ण द्वारा ही सम्भव थी। यद्यपि पूर्व मध्यकाल में जातियों तथा उपजातियों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि हो चुकी थी जिससे परम्परागत चार वर्ण अनेकानेक जातियों में बिखर गये। इस समय की जातियों में सर्वाधिक संख्या शूद्रों की ही थी। ऐसा अनेक पेशेवर जातियों को अछूतों की श्रेणी में सम्मिलित करने के कारण हुआ।[72] गुप्तकाल के बाद बाह्य आक्रमणों के कारण समाज में अव्यवस्था फैली, जिससे वर्ण व्यवस्था को ठोस आधार पर प्रतिष्ठित करने के प्रयास हुये। खान–पान एवं विवाह में कटट्रता आई। इस समय शूद्रों ने वैश्यों का स्थान ग्रहण कर लिया। शूद्र व्यापार का कार्य करने लगा था। गुप्तकालीन स्मृतियाँ शूद्रों को सभी प्रकार की वस्तुओं की बिक्री का अधिकार प्रदान करती हैं। "विक्रयः सर्वपण्यानाम् शूद्र धर्म उदाहृतः"। बृहस्पति स्मृति[73] में इस काल के पहले मौर्यकाल में भी शूद्रों की स्थिति में

कुछ सुधार के चिन्ह दिखते थे अर्थशास्त्र में शूद्रों का धर्म द्विजातियों की सेवा के साथ–साथ 'वार्ता' अर्थात कृषि, पशुपालन और वाणिज्य भी बताया गया है। (शूद्रस्य द्विजातिशुश्रुषा वार्ता[74]) इसके बाद सभी कालों में अब तक शूद्रों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।

इस तरह समाज में शासकों और महंतों ने पूर्व से ही कृषि तथा पशु पालने के कार्य में व्यस्त आर्यो अनार्यो को वैश्य या बस्ती वाला बताकर तीसरा स्थान दिया और शिप्ली या शूद्रों को (जिनकी संख्या कम थी), चतुर्थ स्थान दिया। फिर भी जैसा कि उपरोक्त तथ्यों से विदित होता है, कि वैश्यों और शूद्रों का समाज में स्थान एक जैसा नही था। आम लोगों ने कृषि और पशुपालन कार्य या कोई अन्य शिल्प कार्य अपनी इच्छा से अपनाया था। किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों में उन सब को तृतीय और चतुर्थ स्थान दिया। इस स्थानीयकरण को शूद्रों और वैश्यों ने पूर्णतया नकारा। यह स्थानीयकरण कागजी ही बना रहा।

इसके पश्चात् प्रत्येक क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले लोगों की अलग–अलग श्रेणियाँ बनी। लकड़ी के समस्त कार्यो को करने वाले बढ़ई तथा लुहार अस्त्र–शस्त्र निर्माता बनें। वैश्यों से व्यापारी वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। कृषकों से पशुपालन वर्ग अलग हुए। परन्तु उनका वर्गीकरण वर्ण के नाम से ही हुआ। वर्ण को पार करके कृषक योद्धा हो सकता था। शूद्र कृषि कर सकता था। उनमें से कोई भी व्यक्ति किसी विशेष कार्य से बंधा हुआ नहीं था। विवाह के मामले में भी वह पूर्ण स्वतन्त्र था और खान–पान में भी किसी प्रकार का बंधन नहीं था। इस प्रकार के सम्पूर्ण बंधन स्मृतियों ने सुझाएं और छठवीं से दसवीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित वर्ण व्यवस्था लागू हुयी, जिन्होनें कर्मों को जन्म से जोड़कर जाति बना दिया। यही से प्रारम्भ हुआ जातिवाद का अमानवीय कृत्य। इसका आशय यह लगाया जा सकताा है कि, दलितों के साथ दुर्व्यवहार वर्ण–व्यवस्था के कारण ही हुआ।

''वर्ण व्यवस्था वैदिक धर्म की देन है।'' देश और विदेश के अधिकांश विद्वानों का मत है कि आर्यो का इस देश में ईसा से 3000 से 4000 वर्ष पूर्व आना आरंभ हुआ। श्री बाल गंगाध ार तिलक का विचार है कि आर्य साइबेरिया से अफगानिस्तान के रास्ते भारत में आए। स्वामी दयानंद सरस्वती उन्हें तिब्बत से आना मानते हैं। डा0 रामशरण शर्मा, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के0एन0 पणिक्कर, प्रसिद्ध इतिहासकार आर0सी0 मजूमदार और रोमिला थापर भी आर्यो का भारत में आगमन बाहर से आना सिद्ध करते हैं। हां, कुछ लोग इन्हें केस्पियन सागर के तट से आए हुए मानते हैं। विद्वानों का विचार है कि जलप्लावन, अनाज और चारागाहों की खोज में ही आर्यों का भारत में आगमन हुआ।[75]

आर्यो के भारत में आने से पूर्व पश्चिमोत्तर भाग में अनेक आर्यो की एक ऊंची सभ्यता मौजूद थी। यह नगरों की सभ्यता थी। सुनियोजित नगर, सड़कें, नालियां आदि की व्यवस्था थी। इनके किले थे, यह संपन्न थें इसे ही इतिहास में 'मोहनजोदड़ों और हड़प्पा की सभ्यता'' कहा जाता है।

ईसा से 1500 वर्ष पूर्व तक आर्यो का भारत में आना जारी रहा। आर्यों के भारत में आने पर अनार्यों से इनका संघर्ष हुआ। यह संघर्ष सदियों तक चलता रहा। इस संघर्ष को ही कुछ लोग ''देवासुर संग्राम'' नाम देते हैं। इस संघर्ष में अनार्य पराजित हुए। उनके नगर, किले

तथा सभ्यता नष्ट–भ्रष्ट कर दी गई।

आर्यो के सेनापति इंद्र थे। इंद्र पहले एक व्यक्ति थे, बाद में सेनापति की उपाधि ा इंद्र हो गई। इनके उपनेता उपेन्द्र (विष्णु) थे। इनके अन्य सहायक अग्नि, वायु वरूण और यम आदि थे। आर्य अपने को "देव" कहते थे और अनार्यो को 'दस्यु' के नाम से पुकारते थे। उस समय अनार्य बड़े प्रबल थे। इनके सेनापति का नाम 'वृत्रासुर' था। बाद में अनार्यों के सेनापति की उपाधि ही 'वृत्रासुर' हो गई। इनके कई प्रतापी राजा थे जिनमें शम्बर, चुमुरि, नमुचि, हिरण्यकशिपु, शदासुर, कृष्ण, पिपु, प्रमुख थे।[76]

आर्यो–अनार्यो के इस संघर्ष में जब अनार्य पराजित हो गए तो हजारों अनार्यों का वध कर दिया गया। उनकी स्त्रियों को आर्यो द्वारा अपने घरों में रख लिया गया। बहुत से अनार्यो एवं बच्चों को दास बना लिया गया। दास बनाकर उनसे विभिन्न कार्य लिए गए। कुछ 'दास' बाद में आर्यो के सहायक हो गए। आर्यो और दस्युओं का बराबर युद्ध होता रहा किंतु दास ओर आर्यो का युद्ध नहीं होता था। आर्यो से लड़ते हुए अनार्य या दस्यु दक्षिण में चले गए और कुछ पर्वतों और वनों मे जाकर बस गए।

आर्य यज्ञों में पशुओं की बलि देते थे और पशुओं का मांस भी खाते थें वेदों में अश्वमेघ ओर गौमेध यज्ञ का वर्णन है। अनार्य इसके घोर विरोधी थे। इसके कारण भी उनमें संघर्ष होते रहे। आर्य विजेता थे। उनका रंग गोरा, कद लंबा, नाक लंबी थी। विजेता होने के कारण वे अपने को श्रेष्ठ समझते थे। इसलिए वे अनार्यों को अपमानजनक नामों जैसे शिश्नदेवा, अनास, कृ ष्णवर्णा, दस्यु, पंचमवर्ण, चांडाल, अंत्यज नामों से पुकारते थे। इनका रंग सांवला, कद छोटा, नाक मोटी थी। अनार्यों में द्रविड़, असुर, किन्नर, नाग, दैत्य, दानव, वानर, राक्षस, निषाद, किरात, कंबोज, पुलिंद, ऋक्ष आदि अनेक जातियाँ थी। द्रविड़ दक्षिण में बढ़ते गए। कुछ विद्वानों का विचार है कि यही 'तमिल' कहे जाने लगे। वानर और ऋक्ष जातियों का प्रभुत्व दक्षिण में ही था। किन्नर पर्वतीय भागों मे थे। नागों का प्रभुत्व पश्चिमोत्तर भारत और मध्य भारत में था। राक्षस 'रक्ष संस्कृति' के उपासक थे। इनका प्रभुत्व विंध्याचल के दक्षिण में था। अन्य जातियां यत्र–तत्र बिखरी थी।

जातियाँ

जातियाँ वर्ण व्यवस्था की पूरक है, या यूँ कह सकते हैं कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू तो शायद गलत नहीं होगा। जाति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के "जन" धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ प्रजातीय "जन्म" अथवा भेद से लिया जा सकता है। जाति शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में कास्ट शब्द का उपयोग किया जाता है। कास्ट शब्द का प्रादुर्भाव–पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुआ है। कास्टा का अर्थ नस्ल, प्रजातीय अथवा आनुवांशिक तत्व या गुणों का संग्रह है। कास्ट को लैटिन शब्द कास्ट्स से भी अभ्युदित बताया गया है, जिसका अर्थ शुद्धता से है, स्पेन ने निवासियों द्वारा इस शब्द का प्रयोग पहले किया गया। परन्तु भारतीयों के संदर्भ में पुर्तगालियों द्वारा इसका प्रयोग पंद्रहवीं शताब्दी के मध्य में किया गया। कास्ट शब्द की बर्तनी फ्रेंच शब्द से निकली है जिसका प्रयोग 1740 ईसवीं में एकेडमीज में हुआ हैं इसके पहले कास्ट शब्द ही प्रचलित था। स्पेनिस शब्द कास्टा का प्रयोग यूरोपियन, भारतीयों और नीग्रों के लिया हुआ।[77]

प्राचीन भारतीय समाज को व्यवस्थाओं के आधार पर प्रथमतः तीन वर्ण ब्राह्मण

राजन्य (क्षत्रिय) तथा वैश्व स्थापित किये गये। सभी वर्ण कोई भी व्यवसाय करने के लिए पूर्णरूप से स्वतन्त्र थे। एक वर्ण में भिन्न–भिन्न व्यवसाय करने वाले समूह थे। चौथा वर्ण शूद्र, तीनों वर्णो की सेवा में लगा था। किसी भी व्यवसाय का चुनाव करने के लिए उन पर किसी भी जाति विशेष की मोहर नहीं थी। जन्म से व्यवसाय का कोई सम्बन्ध नही था। समय व्यतीत होता गया, विभिन्न वर्ण के लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवसाय किये जाने लगे, जिससे उनके पेशेवर समूह हो गये। इस प्रकार से विघटन होने पर इन्हें जाति की संज्ञा दी गयी। अतः वर्ण जन्म पर अवलम्बित होकर पैतृक हो गया और जाति बनने लगी। जातियों का उद्‌गम् एक संगठित इकाई से नहीं हुआ, वरन् कई कबीले जो परस्पर अन्य जातियों के साथ विवाह सम्बन्ध में बंध गये, जातियों की उत्पत्ति का कारण बने वे कबीले जो जातियों में परिवर्तित हो गये, आपस में विवाह सम्बन्धों को नही पसन्द करते थे, इसका कारण उनका पुश्तैनी झगड़ा ही था। वे एक दूसरे से अपने को श्रेष्ठ समझते थे और इनके संस्कार, परम्परायें भी भिन्न होतीं थीं।[78] "जब वर्ण पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है, तो उसे जाति कहते है।"[79] जाति सामाजिक वर्गीय सरंचना का वह कठोर रूप हैं। जिसमें व्यक्तियों का पद प्रस्थिति क्रम में जन्म अथवा अनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होता है।[80] मदार के अनुसार, "जाति एक बंद वर्ग है।[81]

इस प्रकार यह कहा जा सकता है, कि व्यक्ति पर जाति का प्रभाव और नियन्त्रण जन्म से लेकर मृत्यु तक अनवरत बना रहता है।

उत्पादन के आदिम स्तर के वर्ग का दूसरा नाम जाति है।[82] जाति शब्द का पहली बार उल्लेख क्रम जाति के अर्थ में निरूक्त में किया जाता है।[83] वृहदारण्यकोपनिषद में वैश्य के लिए जाति शब्द व्यवहार में लाया गया। उत्तर वैदिक काल से ही जाति शब्द का व्यवहार जन समुदाय के लिए होने लगा था। गौतम धर्म सूत्र और आपस्तम्ब धर्म सूत्र, ग्रंथों में भी जाति शब्द का उल्लेख पृथक जन समुदाय के अर्थ में ही किया गया हैं[84] मनु ने ब्राह्मण के लिए जाति शब्द का व्यवहार किया है।[85]

मजूमदार के अनुसार जाति प्रथा की उत्पत्ति का आधार वर्ण है, जिसका अर्थ रंग और वर्ण दोनों है। इस अभिप्राय के अनुसार प्रारम्भ में तीन वर्ण क्रमशः श्वेत, लोहित और पीत रंग के आधार पर एक दूसरे पृथक थे, जो इण्डो आर्य प्रजाति और भारत के मूल निवासी प्राग् द्राविड़ और आदि भूमध्य सागरीय प्रजातियों की संपृक्कता से बने थे।

आर्यों के प्रधान कर्म कृषि, पशुपालन और व्यापार थे लेकिन विस्तार के साथ–साथ अनेक उद्योग धन्धों के विकास को प्रोत्साहन मिला। जिससे अलग–अलग व्यवसायिक संघों का निर्माण हुआ। विभिन्न व्यवसायिक संघों में कुछ ऐसे पेशे वाले थे, जो उच्च थे और कुछ निम्न थे। इस प्रकार से पृथक–पृथक व्यवसायिक समूह विभिन्न सामाजिक वर्ग के रूप में विकसित समूह विभिन्न सामाजिक वर्ग के रूप में विकसित हुए। अतः ऋग्वैदिक समाज में ही विभिन्न प्रकार के व्यवसायी और शिल्पी प्रकाश में आ चुके थे,[86] जो कालान्तर में पृथक–पृथक इकाई रूप में आर्थिक जीवन को सम्बद्ध किये थे। इनमें चर्मग्न, यर्चकार, कापीर, लुहार–तष्टा, बढ़ई, वत्ता, मापित, भिषक, वैद्य आदि प्रमुख जातियों का उल्लेख प्राप्त होता है।[87] उत्तर वैदिक युग तक आते–आते अनेक प्रकार के व्यवसायों और शिल्पों का विकास प्रारम्भ हो गया था। नये–नये उद्योग–धन्धों के

कारण विभिन्न व्यवसायगत और शिल्पगत वर्गों का गठन भी होने लगा था। रथकार, सूत, कर्मार, तक्ष, क्षातृ कुलाल, ईषुकृत, धक्कृत, मृगयु, रज्जुसर्ग, वध मणिकार, सुराकर, निषाद, श्वनि (श्वान रक्षक) आदि अनेक व्यवसाय प्रधान वर्गो का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में हुआ है।[88] पापकर्मी के रूप में निषाद का विवरण मिलता हैं[89] वैदिक साहित्य में जाति शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, किन्तु ऐसे वर्गो के नाम मिलते है, जो परावर्ती काल में जातियाँ बन गई जैसे–उग्र, क्षेत्र, सूत पौल्कस, चांडाल, आयोगव आदि।

वैदिक काल की समाप्ति से पूर्व ही चंडाल जैसी निम्न जातियों का विकास हो चुका था। शिल्पों, कलाओं के आधार पर अनेक उपजातियाँ बन चुकी थीं। धर्म सूत्रों में तीन वर्ण को द्विजाति कहा है, इसीलिए उनका उपनयन संस्कार होता था, किन्तु शूद्रों को एक जाति कहा है। शूद्र वर्ण के अर्न्तगत बुनकर, हिरण्यकर, कुलाल इत्यादि अनेक जातियों के लोग जो विभिन्न व्यवसाय और शिल्प में लगे रहते थे। शूद्र की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुए और उसके स्तर में और भी अधिक गिरावट आ गयी। दासों, कर्मकारों, शिल्पियों, और घरेलू सेवकों को शूद्र वर्ण के अर्न्तगत रखा गया। डेढ़ माधक प्रतिदिन की मजदूरी मानी जाती थी।[90]

हथौड़ा, कुल्हाड़ी, तक्षणी आदि बनाने वाले लुहार और बढ़ई इसी वर्ग के सदस्य थे। ऐसे ही तकनीकी कार्य करने वालों का भिन्न–भिन्न समूह था। जो अपने पारम्परिक पेशे को अपनायें हुये थे। बुनकर, बढ़ई (तच्चक) लुहार (कम्मार) दन्तकार, कुम्हार, (कुम्भकार) आदि विभिन्न शूद्रीय वर्ग थे।[91]

सब मिलाकर यह प्रतीत होता है कि शूद्रों (दलितों) का कार्य तीनों की सेवा करना था। और धीरे–धीरे शूद्रों के विभिन्न व्यवसाय (जो सेवा के लिए थे) वे पेशेवर हो गये और वे उन्हीं से जीविका चलाने लगे।

इस प्रकार समाज में शूद्र दो वर्गों में विभक्त हो गये। शिल्पी वर्ग अपनी बनाई हुयी वस्तुओं के मूल्य से जीविका उपार्जित करता था और दास वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों से सेवा सुश्रुषा करते हुए उन्हीं के कुटुम्ब के सदस्य बनकर उनसे भोजन वस्त्र आदि पाता था।[92] बहुत से शूद्र वन प्रदेश में मृगया आदि करते हुए वन्य जीवन बिताते थे। मनु के अनुसार शूद्र को उन सभी कारूकर्म और कर्मों को करना चाहिए, जिनकों करने से द्विजातियों की सेवा होती हो।[93] शिल्पी का व्यवसाय के रूप में अपनाने वाला शूद्र स्वतन्त्र और समृद्ध था। वैदिक युग में धन प्राप्त करने के लिए प्रमुख साधन थे यज्ञ करना, पशु पालन, कृषि तथा शिल्प कृषि और पशु पालन करने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है उस समय मानव श्रम ही उपयोगी था, अतः श्रम करने वालों को शूद्रों की श्रेणी में रखा गया।

इस प्रकार इन जातियों की श्रेणी बन गई। पण्य उत्पादन (क्रय विक्रय तथा व्यापार की सामान्य वस्तुयें) उत्पादन अधिक होता था। श्रेणी वह विशिष्ट शब्द है, जो व्यापारियों या शिल्पियों के संगठन का परिचायक हैं।[94] इन श्रेणियों में विभिन्न कार्य करने वालों का ज्ञान होता हैं। तथा व्यापक रूप की भी सूचना प्राप्त होती हैं।

1–लकड़ी का काम करने वाले (बढ़ई के साथ निर्माण चक्र निर्माता तथा सभी प्रकार से वाहन बनाने वाले आदि सम्मिलित है।)[95]

2—सोना, चांदी आदि धातुओं का काम करने वाले।[96]
3—पत्थर का काम करने वाले।
4—चर्मकार
5—दस्तकार
6—ओदयंत्रिक (पनचक्की चलाने वाले)
7—वंशकार (बांस का काम करने वाले)
8—कसकर (ठठेरे)
9—रत्नकार (जौहरी)
10—बुनकर या जुलाहे
11—कुम्हार
12—तिल—पिषक (तेली)
13—फूस का काम करने वाले और डलिया बनाने वाले
14—रंगरेज
15—चित्रकार[97]
16—धनिक (धान्य के व्यापारी)
17—कृषक[98]
18—कसाई
19—मछुवे
20—नाई तथा मालिश करने वाले
21—मालाकार (माली)[99]
22—नाविक[100]
23—चरवाहे[101]
24—सार्थ सहित व्यापारी[102]
25—डाकू तथा लुटेरे[103]
26—वन आरक्षी, जो सार्थो की रक्षा करते थे।
27—महाजन[104]

इस प्रकार शिल्पीय वर्ग ने अपने को विभिन्न श्रेणियों में संगठित कर लिया था।

शूद्र मुख्यतः दासों, कर्मकारों और घरेलू सेवकों के रूप में कार्य करते रहे। यह श्रम करने वाले शूद्र ही थे। वस्तुतः आर्यो—अनार्यो के द्वारा पराजित और बेदखल कर दिये गये एवं शूद्र वर्ग द्वारा सेवा कराई जाने लगी। शूद्रों के प्रति घृणा इतनी अधिक थी, कि उन्हें शमशान की भाँति बताया गया है।[105] उन्हें धन संचय करने का अधिकार नहीं था।[106] कालान्तर में शूद्रों को दो कोटियों में विभक्त कर दिया गया।

(1) निर्वासित

(2) अनिर्वासित

निर्वासित शूद्र से तात्पर्य था, जिसका स्पर्श किया जाना उचित नहीं था और

अनिर्वासित शूद्र स्पृश्य माने जाते थे अर्थात् इनके हाथ का छुआ हुआ कोई भी पदार्थ अन्य कोई नहीं छू सकता था। परन्तु मौर्य काल तक अनेक शूद्र स्वतन्त्र किसान हो गये थे। समय बीतने के साथ–साथ शूद्र विभिन्न तरह की सामाजिक प्रतिष्ठा वाली अनेक जातियों में बिखर गये और अनेकानेक जनजातियों के अन्तः प्रवेश से इन उपजातियों की संख्या और भी बढ़ती गयी मालाकार, कुम्भकार, राजकारीगर, जुलाहा, दर्जी, रंगसाज आदि का उत्तरोत्तर अपकृष्टता के क्रम में रखा गया है।[107] इसमें कोई संदेह नहीं कि शूद्रों के बीच नौकरों, कढ़ाईकारों, चरवाहों, और नापितों को अधिकांश अन्य प्रकार के शूद्रों को समाज में ऊँचे दर्जे वाला माना जाता था। निचली जातियों में शूद्रों का अछूतों के रूप में विभाजन हुआ और तीव्र हो गया। शूद्रों से निम्न स्तर पर उन लोगों के प्रतिनिधि थे, जो अछूत जाति बहिष्कृत, पारिगणित अथवा अनुसूचित कहलाये। ये धीरे–धीरे पृथक –पृथक जातियों के रूप में छोटे–छोटे समूहों में वे अलग–अलग हो गये। एक समूह का दूसरे समूह में कोई लगाव नही रह गया जैसे वृषल और चांडाल जाति। चांडाल आदि जातियाँ टुकड़ों में विभक्त होकर अछूत बन गये।[108]

आर्थिक प्रभाव एवं जीविकोपार्जन की चिंता के कारण प्रत्येक वर्ण के मनुष्य प्रत्येक प्रकार के कार्यो में संलग्न थे। परिणामस्वरूप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हुआ। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को सुनिश्चित तरीके से करता हुआ, अपनी जीविका कमा सके। व्यवसाय और शिल्प के आधार पर जाति, उपजातियों का निर्माण प्रारम्भ हो गया।[109]

डॉ0 बीरेन्द्र के अनुसार हिन्दु समाज की सनातनी व्यवस्था जिसमें भारतीय दीन–दलित समाज अज्ञानांकार में तड़पड़ाने के साथ चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था में जिसके साथ दरिद्रता की आग में जल रहा था इसके पीछे कारण यह था कि हमारे सिद्धान्त सदियों से ईश्वरकृत औरूषेय एवं प्रश्नों से परे माने जाते रहे क्योंकि इन सिद्धान्तों की जड़े हमारे जेहन में इतनी गहरी कर दी गयी थी। साथ ही इनकी व्याख्या ऐसी की गई थीं जिनका कोई अकाट्य प्रमाण नहीं था। ऐसे मृतवत, अस्पृश्य दलित समाज में भगवान बुद्ध के पश्चात कई शताब्दियों तक कोई एक अकेला ऐसा सामाजिक चितंक भारत में नही अन्तरित हुआ जिसने इन कथाकथित सिद्धान्तो का खण्डन किया हो। हजारों वर्षो से शोषित, पीड़ित, दलित, अछूतजन, शसक–पोषक सवर्ण वर्गो को संगठित रूप देने का कार्य सर्वप्रथम अद्भुत प्रतिभा, सराहनीय निष्ठा, न्यायशीलता स्पष्टवादिता वे, बाबा साहब युगपुरूष डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। आप ज्ञान के भण्डार और दलितों एवं शोषितों के मसीहा बनकर भारतीय समाज में अवतरित हुए। आपने हमें समाज में सर ऊँचा कर बराबरी के साथ चलना सिखाया। आप ऐसे समाज की केवल कल्पना ही कर सकते हैं जब हमारे पुरखों के साथ इन्सान जैसी शक्ल–सूरत होने के बावजूद उन्हें सवर्ण समजा इन्सान नहीं समझता था। ऐसे समाज के प्रति बाबा साहब ने स्वआस्तित्व की सामर्थ्य, अस्मिता एवं क्रान्ति की आग जलाई, जिससे सामाजिक न्याय प्राप्ति के लिए अनेक दलित शोषित कार्यकर्ता आत्मबलिदान के लिए उनके साथ खड़े हो गये।

जाति व्यवस्था का विवेचनात्मक अध्ययन

अतीतकाल में दलित जातियों पर अत्याचार की घटनाएं हुई, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। स्वतन्त्रता के बाद राजनैतिक जागरूकता, शिक्षा की प्रगति, आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण इन जातियों में स्वाभिमान जागृत हुआ है इसलिए कहीं–कहीं वे अन्यायों का प्रतिरोध करने लगे हैं। सामंती और ब्राह्मणी मनोवृत्ति के लोग इसे दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जगह–जगह अब भी इन पर उत्पीड़न की धटनाएं होती रहती हैं।

आज आवश्यकता दोनों के दृष्टिकोणों में बदलाव लाने की है। जो लोग दलितों को गुलाम, बंधुआ मजदूर और अछूत बनाए रखना चाहते हैं उनके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और नागरिक अधिकारों को हड़पना चाहते हैं उन्हें अब अपना दृष्टिकोण बदलना ही पड़ेगा। अगर वे ऐसा नहीं करते तो देश की एकता के लिए यह घातक होगा।

7 अक्टूबर 1978 को पुरी के शंकराचार्य ने श्री ओमप्रकाश थानवी को एक इंटरव्यू देते समय कहा था– "जो जाति पाति नहीं मानता वह हिंदू नहीं।"[110] अगर हिन्दू ध र्म जाति–पाति को बनाए रखना चाहता है तो भारत का दलित इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और इसके विरूद्ध निरंतर संघर्ष करेगा या अन्य धर्म की राह देखेगा। आश्चर्य है कि दलितों को हिंदू धर्म में मानने वाले संगठनों ने भी इसके विरूद्ध आवाज नहीं उठाई। कुछ संगठनों द्वारा गौ हत्या के नाम पर आंदोलन किया जाता है किंतु दलित की हत्या होने पर वे एक शब्द भी नहीं बोलते। क्या इससे जातीय सौहार्द बनेगा? इससे तो कटुता में ही वृद्धि होगी। समाजसेवियों को इस पर विचार करना होगा।

दलित जातियों को भी पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। मनुस्मृति तथा अन्य धार्मिक कहे जाने वाले ग्रंथों में उनके विरूद्ध जो लिखा गया है बार बार उनका उद्धरण देने से कोई लाभ नहीं। इससे तनाव में वृद्धि होती है। कुछ मिलता नहीं।

दलितों को आत्ममंथन करना होगा। दूसरे लोग उन पर परस्पर भेदभाव का जो आरोप लगाते हैं, इसे दूर करना पड़ेगा। हमें दलितों में भी जो सर्वाधिक दलित हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें उनको बड़े भाई की तरह संरक्षण देना चाहिए जिससे सारे दलित एक साथ संगठित हों।[111]

मनुस्मृति, रामचरित मानस तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में शूद्रों (दलितों) के संबंध ा में अपमानजनक टिप्पणियों से ही सभी ब्राह्मणों को एक पैमाने पर नहीं मापना चाहिये। बहुत से ब्राह्मणों ने भी भेदभाव और जातिप्रथा की निंदा की है। इनमें महात्मा चार्वाक, यवनाचार्य शटकोट, नारायण स्वामी, दयानंद सरस्वती, महापंडित राहुल सांकृत्यावन, भागवतशरण उपाध याय, विनायक दामोदर सावरकर, सी0वाई0 चिंतामणि आदि के नाम लिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता महात्मा रानाडे, गोपालकृष्ण गोखले, महात्मागांधी और विचारक स्वामी विवेकानंद ने भी अस्पृश्यता और भेदभाव की निंदा की है। हम जानते है कि डा0 केलुस्कर नामक ब्राह्मण ने ही डॉ0 अंबेडकर को शुरू से शिक्षा हेतु मदद की थी। यह बताने की की आवश्यकता नहीं कि जो जिस संस्कृति और वातावरण में पैदा होता है वह स्वाभाविक

रूप से उसी से प्रभावित होता हैं इसमें उसका कोई दोष नहीं। मनुष्य का किसी देश या जाति में पैदा होना उसके वश की बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर में पैदा होगा तो उसके संस्कार वैसे ही बनेंगे। यदि वह अनुसूचित जाति के घर पैदा होगा तो उसे भी अनुसूचित जाति का संस्कार मिलेगा। इसलिए ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाले को सोचना चाहिए कि यदि उसे अनुसूचित के घर में पैदा होने का संयोग होता तो क्या वे उसी के अनुसार नहीं बन जाते? इसलिए किसी जाति में पैदा होने से उसे श्रेष्ठता अथवा निकृष्टता का चिन्ह मानना उचित नहीं है।[112]

ब्राह्मण राष्ट्रवादी आंदोलन में आगे रहे। इनके कारण बहुत–से गैर–ब्राह्मणों में भी जागृति आई। इसलिए पुरानी पुस्तकों के उद्धरण देकर ब्राह्मणों को गाली देने एवं उनके घर फूंक देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। यह मानना होगा कि जहां हिंदू ध र्म में अन्तर्विरोध है, उसमें जाति–पाति है, छुआछूत है, जन्म के आधार पर ऊँच नीच है वहीं पर यह भी सत्य है कि वह सहिष्णु, उदार और समन्वयवादी हैं हिंदू समाज और हिंदू संस्कृ ति में असहमति और सुधार दोनों की ही परंपरा रही है।

सभी को यहीं रहना है इसलिए ब्राह्मण और दलित वर्गो के लोग मिलकर एक–दूसरे का सम्मान करें। पुरानी कटुता को बीती बात समझकर भूल जाएं। इस प्रकार आपस में सामंजस्य बैठाए। 'जिओ और जीने दो' की भावना अपने मन में पैदा करें तभी देश की एकता कायम रह सकती है।

भारतीय समाज की जाति व्यवस्था सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक रूप से एक जटिल समस्या हैं व्यवहारिक रूप से यह व्यवस्था एक ऐसी संस्था है, जो सभी सम्बन्धित लोगों को भारी कठिनाइयों में डाले हुए है इसे राष्ट्रीय समस्या की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। सैद्धान्तिक दृष्टि से अनेक विद्वान जाति–उत्पत्ति और इनसे जुड़ी समस्याओं के अध्ययन में संलग्न रहे हैं, जिनमें से मुख्य विचारकों ने निम्न प्रकार से अपने मत प्रस्तुत किये है।

जाति व्यवस्था तथा विचारक

डॉ0 अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के संबंध में कहा है कि जातिप्रथा सामाजिक प्रदूषण है। जो अब हिंदू समाज का कोढ़ बन गया हैं। हिंदू समाज में जाति केवल प्रतिष्ठा का ही परिचायक नहीं है बल्कि धार्मिक प्रतिष्ठा का भी परिचायक है। जाति ने ही भारतीय समाज में फूट और कलह पैदा की जिससे भारतीय समाज पतन के गर्त में पहुंच गया। यह उच्च कहे जाने वाले लोगों के हाथ की तलवार है जो बहुमत पर अपने राजनीतिक एवं प्रशासनिक वर्चस्व को बनाए रखती है। इसने व्यक्ति के गुणों व निष्ठा को जाति में ही सीमित व कुंठित कर दिया है।[113] श्री के0एस0 पणिक्कर ने अपनी पुस्तक "कास्ट एंड डेमोक्रेसी" में लिखा है– जातिप्रथा एक सामाजिक साम्राज्यवाद है जो आचारण से पनपा है और जिसको धार्मिक सरंक्षण प्राप्त है।[114] जाति व्यवस्था की बुराईयों और उसके संबंध में कुछ सुधारकों की राय निम्न है : श्री संतराम बी0एन ने "हमारा समाज" नामक ग्रंथ में इस प्रकार दी है–

1– जाति–पाँति के कारण ही भारत चौथाई जनसंख्या अछूत और पददलित बनकर श्वान सूंकर–सा जीवन बिता रही है जिस समाज में अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं।

2— जाति—पाँति के कारण ही विविध हिंदू जातियों के बीच परस्पर प्रेम तथा सहानुभूति का अभाव हो गया है, जिन्हें एकता के सूत्र में बांधना कठिन हो गया है।

3— जाति—पाँति के कारण ही हिंदू, शिल्पकला की दृष्टि से अन्य अहिंदू जातियों की तरह नहीं हो सका। लुहार, दर्जी, कुम्हार, तेली, बढ़ई, नाई, जुलाहा को ओछी दृष्टि से देखा गया इसलिए हिंदू जातियाँ इसे नहीं सीख पाई। रामेश्वर—सेतु, लाक्षागृह, पुष्पक विमान, विचित्र सभा—भवन गैर हिंदू 'दानव' जाति ने बनाए।

4— जाति—पाँति के कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय के अतिरिक्त किसी अन्य जाति का व्यक्ति लाख विद्वान, सदाचारी और धनी हो किंतु सामाजिक दृष्टि से वह हेय समझा जाता है यही कारण है कि बहुत सी शूद्र समझी जाने वाली जातियां अपने को क्षत्रिय और ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए आकाश—पाताल एक कर रही है।

5— जाति व्यवस्था के कारण हिन्दुओं की सहानुभूति उसकी बिरादरी तक ही सीमित रहती है। उसके विचार इतने संकुचित हो जाते हैं कि अन्य विरादरी के लिए उसके मन में कोई स्थान ही नहीं रह जाता है। सरकारी अधिकारी होने पर भी उसके अंदर यह भावना बनी रहती है।

6— जाति—पाँति के कारण ही हिंदू समाज में विविध सामाजिक कुरीतियां पैदा हो गई है।

7— बहुत से विधर्मियों ने जब हिंदू धर्म ग्रहण किया तो उनका विवाह किस जाति में हो यह तय नहीं हो सका। वे फिर हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म में चले गए और हिंदू जाति के कट्टर दुश्मन बन गए।[115]

1— श्री रवींन्द्र नाथ ठाकुर— यदि हिंदू धर्मोन्मत विधर्मियों के धातक आक्रमण से अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें जाति—पाँति त्यागकर अपने को संगठित करना पड़ेगा।

2— महात्मा गांधी— जाति—पाति तोड़कर विवाह करना आपत्तिजनक नहीं है शूद्र पुरूष ब्राह्मण स्त्री से विवाह कर सकता है।

3— पं0 जवाहरलाल नेहरू— भारतवर्ष में जाति—पाँति प्राचीनकाल में चाहे कितनी ही उपयोगी क्यों न रही हों किंतु इस समय सब प्रकार की उन्नति के मार्ग में यह बड़ी भारी बाधा और रूकावट बन रही हैं। हमें इसे जड़ से उखाड़ कर अपनी सामाजिक रचना एक दूसरे ढंग से करनी होगी।

4— डा0 भगवान दास— वर्तमान काल में जातिप्रथा जिस रूप में प्रचलित है उसका एकांत रूप से विनाश ही होगा। अगर भारत की जनता को नया जीवन प्राप्त करना है तो उसे वर्णभेद के वर्तमान रूप को मिटा देना होगा।

5— श्री गणेश शंकर विद्यार्थी— मेरा पूर्ण विश्वास है कि जाति—पाँति के ज़ंजाल के टूटे बिना हिंदुओं का उद्धार न होगा।

6— स्वामी श्रद्धानंद — मैने अपना नियम बना लिया है कि किसी ऐसे विवाह संस्कार में सम्मिलित न हूंगा और न उस जोड़े को आशीर्वाद दूंगा जिसमें जाति—पाति का बंधन तोड़ा न गया हो।

7— डा0 मुंजे—अंतर्जातीय विवाह द्वारा ही हम जाति—पाति को मिटा सकते है।

8— श्री सी0बाई0 चिंतामणि-- वर्ण व्यवस्था मनुष्य की बनाई हुई है, वह ईश्वर की ओर से कदापि नहीं हो सकती। जातीय भाव जो इसकी कृपा से हमारे ह्रदय में जम गए हैं, लानत योग्य हैं। आज इस बात की आवश्यकता है कि इसका खूब विरोध किया जाए।

9— श्री पी0सी0 राय— जाति—पाति के कृत्रिम भेदभाव हमारे देश की उन्नति के मार्ग में बाधा सिद्ध हो रहे हैं इसलिए इन्हें शीघ्र दूर कर देना चाहिए।

10— श्री नारायण स्वामी—जाति—पाति का बंधन हिंदू जाति के लिए कलंक का टीका है। इसमें सारी जाति को छिन्न—भिन्न कर रखा है। हिंदू जाति में परस्पर घृणा और द्वेष प्रचार इसकी कृपा का फल हैं। इसलिए आर्य जाति की उन्नति इस बंधन के तोड़ने पर ही निर्भर है।

11— श्री मालीराव जयकर— हमें जाति—पाति को सर्वथा मिटाकर जन्म की बड़ाई का त्याग कर देना चाहिए।

12— श्री के0 नटराजन— वर्तमान जाति—पाति शास्त्र और तर्क दोनों के विरूद्ध है। यह राष्ट्रीय भावना के विरूद्ध हैं। जितना जल्दी इसमें क्रांतिकारी सुधार होगा उतना ही इससे देश और विशेषकर हिंदुओं का कल्याण होगा।

13— श्री राजा राममोहन राय—ऊँच—नीच और अस्पृश्यता की भावना मानवता की सबसे बड़ी शत्रु है।

14— स्वामी विवेकानंद—प्रत्येक अभिजात वर्ग का कर्तव्य है कि अपने कुलीन तंत्र की क़ब्र वह अपने आप ही खोदे और जितना शीघ्र इसे दफ़न कर सके उतना ही अच्छा है। जितनी ही वह देर करेगा उतनी ही वह सड़ेगी और उसकी मृत्यु भी उतनी ही भंयकर होगी। अतः यह ब्राह्मण जाति का कर्तव्य है कि भारत की दूसरी सब जातियों के उद्धार की चेष्टा करें।

डॉ0 केतकर के अनुसार"जाति एक ऐसी सामाजिक इकाई है, जिसकी दो मुख्य विशेषताऐं होती हैं— (क) जाति में सदस्यता केवल उन्ही तक सीमित रहती है, जो उसमें पैदा होते है और (ख) इसके सदस्य किसी अन्य समुदाय के व्यक्तियों के साथ शादी—विवाह नही कर सकते।[116] वे शादी—विवाह अपने हीं समुदाय में कर सकते है। सामुदायिक जीवन का उल्लंधन बहुत बड़ा अपराध समझा जाता है।

नेसफील्ड के अनुसार, जाति को ऐसा समुदाय बताते हैं, जिसका अन्य समुदाय या वर्ग से सम्बन्ध नहीं होता है। एक जाति के लोग किसी अन्य जाति वाले के यहॉ न उठते—बैठते हैं, न खाते—पीते हैं। प्रत्येक कार्य वे अपने समुदाय के अन्तर्गत ही करते हैं। संक्षेप में, नेसफील्ड के अनुसार, अन्तर्जातीय खान—पान का न होना जाति—व्यवस्था का कारण है।

इन विद्वानों को व्यक्तिगत रूप से समझा जाये, तो प्रत्येक की व्याख्या में या तो बहुत विस्तृत या बहुत संकुचित सामग्री मिलेगी। किसी भी परिभाषा को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इनमें से किसी ने भी आवश्यक तत्वों को सम्मिलित नहीं किया। इन्होंने जाति को एक स्वतन्त्र सामाजिक इकाई मान लिया, परन्तु वास्तविकता कुछ और है। उन्हें जाति को एक बहुत बड़ी व्यवस्था का अंग मानना चाहिए। एक जाति का सम्बन्ध समस्त जाति व्यवस्था

से है। कोई भी जाति निर्पेक्षतः स्वतन्त्र नहीं हैं। यदि इन विद्वानों को सामूहिक रूप से समझा जाये, तो वे एक दूसरे के पूरक है। एक विद्वान की कमी दूसरा पूरी करता है। यहॉ आलोचना की दृष्टि से केवल उन्हीं बातों अथवा तथ्यों की परीक्षण बुद्धिजीवी करेंगें। जो जाति व्यवस्था से सम्बन्धित है।[117]

सैनार्ट के बारे में विद्वानों ने कहा कि वह जाति को एक दूषित विचार के साथ जोड़ते हैं। दूषित विचार का जाति की उत्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं हैं क्योंकि ऐसे विचार का सम्बन्ध केवल पुजारी वर्ग से हैं। पुजारी वर्ग ही दूषित या अदूषित विचारों की ओर ध्यान देता हैं। हालांकि सैनार्ट ने एक महत्वपूर्ण अंग की ओर ध्यान दिया, फिर भी दूषित भावना जाति व्यवस्था की जननी नहीं है। नेस फील्ड खान–पान की अनुपस्थिति को ही जाति की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। उन्होंने समस्या को उल्टा ही समझा क्योंकि खान–पान की अनुपस्थिति जातिवाद का परिणाम है, न कि उसका कारण। रिज्ले की परिभाषा में कोई नवीन बात नहीं है।[118] केतकर की परिभाषा में कुछ नवीन बातें हैं। जैसे एक ही जाति के सदस्य अपनी ही जाति में शादी–विवाह करेंगे। उसके बाहर कोई वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकते हैं। डॉ0 केतकर की परिभाषा वैसे तो ठीक प्रतीत होती है, किन्तु कुछ अंश तक अस्पष्ट है। वह अन्तर्जातीय विवाह एवं सदस्यता के निषेध को दो पृथक–पृथक बातें मानते हैं, लेकिन विद्वानों के अनुसार, वे दोनों एक ही बातें है। यदि शादी–विवाह का निषेध होता है, तो स्वाभाविक रूप से सदस्यता अपने ही समुदाय तक सीमित रहेगी। केवल वे ही व्यक्ति सदस्य बन पायेगें। जो उस समुदाय में पैदा हुए हैं। डॉ0 केतकर की दो विभिन्न बातें एक सिक्के के दो रूप है। उसमें कोई मौलिक भिन्नता नहीं है।[119]

विद्वानों की सम्मति में एक ही जाति में विवाह करने की व्यवस्था जाति की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। इसको जातीय विवाह प्रथा कहते है। यह जाति व्यवस्था का मूलाधार है।

आज संसार के सभ्य समाज में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है, जहाँ अब भी सामुदायिक जीवन बहुत मिलता है। यहॉ सामुदायिक विवाह संहिताएं मिलेगी, जो प्रत्येक जाति में पायी जाती है। अन्य सभ्य समाज में शादी–विवाह के सम्बंध में इतने अधिक कठोर नियम नहीं मिलेंगें, जितने कि भारतीय समाज में हैं। हिन्दु समाज में इसका व्यवहारिक रूप मिलता है। शादी–विवाह के सम्बन्ध में एक समय यही समाज इतना परम्परावादी था कि एक जाति दूसरी जाति के साथ कोई वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकती थी। आजादी मिलने के समय के आस–पास यदा कदा विवाह सम्बन्ध होते थे। जिनका विरोध पूरा समाज दृढ़ता के साथ करता था। ये विवाह अन्तर्जातीय विवाह होते थे। परन्तु आज अन्तर्जातीय विवाह बहुत सामान्य बात होती जा रही है। पिछड़े इलाकों में तो आज भी इसे अक्षम्य पाप समझा जाता है। इस तरह के विवाह करने पर कहीं–कहीं लोगों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।[120]

जब मनु ने 'मनुस्मृति' की रचना की, तो उन्होनें शादी–विवाह के नियमो को और भी कठोर बना दिया। मनु ने इन नियमों को धार्मिक आधार दिया और कहा कि समुदाय

के बाहर शादी करना ईश्वर की इच्छा के विरूद्ध हैं अतः ईश्वर की इच्छा को न मानना पाप समझा जायेगा। पाप का फल आगामी जन्म में मिलेगा अर्थात् अनेक शारीरिक एवं मानिसक कष्ट भोगने पड़ेंगे। वर्तमान स्थिति को संभालने के लिए भी दण्ड–विधान बनाया गया। ऐसे कठोर नियम बनाने का अभिप्राय सामुदायिक जीवन को स्थिर रखना था, जिसके द्वारा शक्ति का केन्द्र एक ही स्थान पर रहे।

मनु एवं उनके अनुयायियों ने मानव–प्रवृत्तियों की जटिलता को ठीक तरह नहीं समझा। प्राकृतिक प्रवृत्तियां इतनी वलवती होती है, कि उन पर संयम रखना आसान बात नहीं हैं कुछ व्यक्तियों ने वासनाओं के वशीभूत होकर सामुदायिक नियमों को तोड़ दिया। ऐसे व्यक्तियों को हिन्दू समाज में पापी की संज्ञा दी जाती है। शास्त्रों का उल्लंघन करना ईश्वर की इच्छा का अपमान करना है। जो व्यक्ति सामुदायिक नियमों को भंग करता था, उसका समुदाय से बहिष्कार कर दिया जाता था। यह पृथक वर्ग अपने पूर्व समुदाय से किसी भी तरह का सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता था। परिणाम यह हुआ कि इन लोगों ने अपने पृथक–पृथक स्थायी वर्ग बना लिये। जितनी घटनाएँ सामुदायिक नियमोल्लंघन की बढ़ती गयी, उतने ही संकुचित वर्ग अथवा जातियाँ बनती गयी। समय बीतता गया और हिन्दू समाज का यह क्रम बढ़ता गया। इसलिए विद्वानों के अनुसार, जातियाँ ऐसी स्थायी एवं निश्चित इकाई हैं, जो आम आबादी में बनावटी रूप से विभाजित होने के कारण बनी। ये इकाइयाँ एक दूसरे से शादी–विवाह नही करतीं। यह बात स्वाजातीय विवाह से नियमबद्ध रखी जाती है। संक्षेप में, अन्तर्जातीय विवाह का न होना जाति–व्यवस्था की जड़ है।

प्राचीन भारत में लड़ाई–झगड़ों के पीछे कुछ भी अभिप्राय रहे हो, लेकिन सामाजिक सामंजस्य की भारी कमी थी। विजय किसी की भी हो, मानव अधिकारों को कुचला गया कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाकर अशिक्षित स्त्री पुरूषों को गुमराह किया गया बहुत से वर्गों की स्वतन्त्रता समता छीन ली गयी। उन्हें मानव स्तर से नीचे गिरा दिया गया उनको पशुतुल्य बना दिया गया हिन्दू समाजिक व्यवस्था अमानुषिक बन गई कटुता का साम्राज्य हो गया फलस्वरूप करोड़ों मनुष्यों को जाति एवं छुआछूत का शिकार होना पड़ा जिससे मानवता की जड़ें हिल गई पतन और अवनति के रास्ते स्थाई बना दिये गये। कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं सामाजिक अधिकार छीन लिये गये। हिन्दू समाज अछूतों से भर गया लोक मान्वता के दुश्मन हो गये। विद्वानों के ह्रदय में इस व्यवस्था के प्रति असन्तोष की भावना उत्पन्न हुई। उन्होनें जाति वाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प उठाया और उन्होनें ऐसा आन्दोलन प्रारम्भ किया जिसका उद्देश्य स्वतन्त्रता एवं समानता की भावनाओं का प्रसार करना था मानव अधिकार सुलभ बनाना था। बुद्धिजीवी हिन्दू समाज में मौलिक सुधार चाहते थे वह सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में थे जो जातिवाद छुआछूत तथा ऊँच नीच की भावनाओं को समाप्त करके समस्त मानव प्राणियों को प्रगति की ओर अग्रसर करें।

डॉ0 बीरेन्द्र के अनुसार विश्व की समस्त मानव जाति दो भागों में विभक्त है जिन्हें हम शोषण और शोषित के अन्तर्गत परिभाषित कर सकते हैं। डार्विन के विकासवाद का महाअस्तित्ववाद का सिद्धान्त मानजाति पर भी लागू है। जिन्होंनें दूसरे मनुष्यों के अस्तित्वों को अपनी आहों को धुँआ भी नहीं दे सकें, भीतर ही भीतर घुटन रखते हुए टूटते चले गये वे शोषित या दलित कहलाये।[21]

सन्दर्भ सूची–1

1– आर चन्द्र, के0एल0 चंचरीक–आधुनिक भारत का आंदोलन पृ0– 03
2– हबीब इरफान–कास्ट एंड मनी इन इण्डियन हिस्ट्री पृ0–3
3– तोमर आर0बी0सिंह–भारतीय सामाजिक व्यवस्था पृ0–31
4– प्रो0 धुर्ये पृ0–47
5– बासम ए0एल0 चंचरीक –आधुनिक भारत का आंदोलन पृ0 –04
6– बासम ए0एल0 पृ---114
7– आर्य इन साइनटिफिक लैंग्वेज इज यूटरली इन एप्लीकेबल टू रेस। इट मीन्स लैंग्वेज एण्ड नथिंग बट लैंग्वेज मेक्समूलर
8– प्रसाद ईश्वरी एवं शैलेन्द्र शर्मा राम शरण, शूद्रों का प्राचीन इतिहास, पृष्ठ–16
9– वही, पृ0 47
10– वही, पृ0 –47
11– प्रसाद ईश्वरी एवं शैलेन्द्र शर्मा, भारत का प्राचीन इतिहास, पृ0–48
12– प्रसाद ईश्वरी एवं शैलेन्द्र शर्मा, भारत का प्राचीन इतिहास, पृ0–50
13– वही
14– वही, पृ0–51
15– वही पृ0–59
16– प्रसाद ईश्वरी एवं शैलेन्द्र शर्मा, भारत का प्राचीन इतिहास, पृ0–60
17– ऋग्वेद 10/142/4
18– ऋग्वेद 1/112/10, 12116/15
19– ऋग्वेद 10/18/801
20– ऋग्वेद 7/4/48
21– ऋग्वेद 8/19/36
22– ऋग्वेद 6/27/8
23– ऋग्वेद 1/147/5
24– ऋग्वेद 7/47/8
25– ऋग्वेद 4/57/1
26– ऋग्वेद 9/112/1, 3/33/9, 10/72/2, 5/9/5, 6/61/7, 1/117/5
27– वही
28– कौशितिकी ब्राह्मण 2/9
29– प्रसाद ईश्वरी एवं शैलेन्द्र शर्मा, भारत का प्राचीन इतिहास, पृ0–72
30– मुखर्जी राधा कुमुद, हिन्दू सभ्यता, पृ0 108
31– बासम ए0एल0 पृ0–114
32– वही पृ0 112–113

33— श्रीवास्तव के0सी0, प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, पृ0—82
34— मनुस्मृति 2/188
35— धुतव्रतों वै राजा —एव च श्रोत्रियश्च तेहवे मनुष्येषु धृतवतौ। शतपथ—ब्राह्मण 5/4/5
36— भण्डाकर, 'शैगविज्म एवं शौविज्म', पृ0—9
37— मनुस्मृति 2/168
38— भगवत गीता 18—43
39— तैत्तिरीय संहिता 2/5/10, कठोपनिषद संहिता 19/10, शतपथ ब्राह्मण 6/4/4, पंचविंश ब्रा0 2/8/1
40— मनुस्मृति 1/91
41— अथर्ववेद 19/32/8, 19/62/1
42— वेदांत सूत्र, बादरायणकृत, पृष्ठ 34 (और)शर्मा आर0एस0 शूद्रों का प्राचीन इतिहास पृष्ठ 36
43— वेदांत सूत्र, बादरायणकृत, पृष्ठ 34 (और)शर्मा आर0एस0 शूद्रों का प्राचीन इतिहास पृष्ठ 36
44— वही
45— शर्मा आर0एस0, शूद्रों का प्राचीन इतिहास पृ037
46— सुचेर दश्च, खण्ड ।।, पृष्ठ —19
47— इंडियन एंटेक्वेरी, खण्ड । पृष्ठ 137
48— शर्मा आर00एस0, शूद्रो का प्राचीन इतिहास, पृष्ठ 37
49— वही
50— वही
51— मनुस्मृति 1/91
52— बासम ए0एल0 पृ0 —117—18
53— श्रीवास्तव के0सी0, प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति, पृष्ठ 81
54— काणे, हिस्ट्री ऑफ धर्म शास्त्र भाग ।, पृष्ठ 11
55— बोधायन धर्म सूत्र 2/50/52
56— गौतम धर्म सूत्र 11/21/22
57— आपस्तम्ब धर्म सूत्र 2/10/27
58— गौतम धर्म सूत्र 10/5/6
59— गौतम धर्म सूत्र 12/46
60— श्रीवास्तव के0सी0, प्राचीन का इतिहास तथा संस्कृति, पृष्ठ 87
61— श्रीवास्तव के0सी0, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, पृष्ठ 155
62— वही
63— मुखर्जी राधा कुमुद, हिन्दू सभ्यता,पृष्ठ 150

64— श्रीवास्तव के0सी0, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, पृष्ठ 90

65— प्रसाद **ईश्वरी एंव शैलेन्द्र शर्मा, भारत का प्राचीन इतिहास, पृष्ठ** 83

66— संक्षिप्त महाभारत, शांति पर्व, पृष्ठ 1110

67— संक्षिप्त महाभारत, शांति पर्व, पृष्ठ 146

68— संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व, पृष्ठ 146

69-- श्रीवावस्तव के0सी0, प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, पृष्ठ —147

70— वही

71— श्रीवास्तव के0सी0 भारत का प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति, पृष्ठ 464—465

72-- वही

73— श्रीवास्तव के0सी0, भारत का प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति, पृष्ठ 155

74— वही, पृष्ठ 154

75— माता प्रसाद—उ0प्र0 की दलित जातियों का दस्तावेज पृ0—01

76— वही पृ0—2

77— फॉन एण्ड वलौस वोयज टू साउथ अमेरिका—1772, 1.1.4.29 (और) विनायक अनुराध ाा प्राचीन भारत में जातियों की सामाजिक गतिशीलता पृ041

78— हमबोल्ड पर्सनल नरेटिव, बाल्यूम ।।।, 26 ऐंस कोटेड बाई वेस्टीमार्क, चेप्टर , 365,

79— कूले सी0एच0 —सोशल आर्गेनाइजेशन, पृ0 —211

80— एंडरसन और पारकर, समाजशास्त्र, पृ0—370

81— मजूमदार और मदान, एक इन्ट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोलॉजी, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई 1957, पृ0—221

82— ब्लैण्ट, सोशल, सर्विस इन इंडिया,पृ0—49—50

83— निरूक्त—12—13, "अग्निचित्वा न रामामुपेयात्। रामा रमण्ययोपयते न धर्माय कृष्ण जातीयाः।"

84— गौतम धर्म सूत्र—11.30 (या) आपस्तम्ब धर्म सूत्र 2.3.1 जात्याचार संशये ध र्मार्थमागत—मग्निमुपसमाधय जाति माचारं च पृच्छेत्।

85— मनु स्मृति 8.20 जातिमात्रोपजीव वा कामं स्याद ब्राह्मणंब्रुवः।

86— ऋग्वेद— 10.142.4, 1.61.4 7.320.20

87— ऋग्वेद—8.2.38

88— अथर्ववेद—3.5.6.7, 2.5.7 (और) तैत्तरीय संहिता—45.4.2, (और) काथका संहिता—17. 13, **तैत्तरीय ब्राह्मण—3.4**

89— ऐतरेय ब्राह्मण 37.7 "यथा हवा इंद निषादा व सेलगा वा। पापकृतों वा। पापकृतो न वित्तवन्तं पुरूषं गृहीत्वा कर्तमन्वस्य वित्तमादाय द्रवन्ति।"

90— जातक 3, पृ0—326 (और) राम शरण—शूद्रों का प्राचीन इतिहास, पृ0—127।

91— दीर्ध निकाय 1, पृ0—51, जातक 6, पृ0—189

92— गौतम धर्म सूत्र, 10.57 से 59 तक

93– मनु स्मृति 8.100

94– मजूमदार आर0सी0, कॉरपोरेट लाइफ़ इन एशिएंट इंडिया, पृ0–18

95– जातक 6, पृ0–427

96– वही

97– जातक 6.1, पृ0–42

98– गौतम धम्र 11.21

99– जातक 3, पृ0–305

100– जातक 4, पृ0–405

101– गौतम धर्म सूत्र, 11.21

102– गौतम और जातक 1, पृ0–3 (और) जातक 2, पृ0– 295

103– जातक 3, पृ0– 388 (और) जातक, 4, पृ0–430

104– गौतम धर्म सूत्र, 11.21

105– वंशिष्ठ धर्म सूत्र 4.3

106– मनु स्मृति, 10, 129

107– चित्त सम्भूत जातक–498 (और) जातक , 4, 391, (और) जातक, 3, 27

108– माता प्रसाद –वही पृ0 10

109– वही पृ0 –10

110– वही पृ0–11

111– वही

112–वही

113–वही

114– अम्बेडकर बी0आर0, कास्ट्स इन इंडिया, 1917, पैरा 6, एवं 9

115– एक लेख जो डॉ0 ए0ए0 गोल्डिनवीजर की एन्थ्रपॉलीज सेमिनार', कोलम्बिया विश्वविद्यालय के समक्ष दिनांक 19 मई, 1916 को पढ़ा गया। पैरा 10

116– वही, पैरा 11

117– वही, पैरा 12 (और) जाटव डी0आर, डॉ0 अम्बेडकर का समाज दर्शन,पृ0–49

118– वही, पैरा 13 (और) जाटव डी0आर0 डॉ0 अम्बेडकर का समाज दर्शन, पृ0–49

119– वही, पैरा 36

120– वही (और) जाटव आर, डॉ0 अम्बेडकर का समाज दर्शन पृ0–50

121– यादव बीरेन्द्र सिंह, दलित विमर्श चिंतन एवं परम्परा नवम्बर 2005,पृ0–68

द्वितीय अध्याय

उत्तर प्रदेश में दलित और दलित जातियाँ

भारतीय समाज में विभिन्न सामाजिक विसंगतियाँ आदि काल से विद्यमान हैं। इन विसंगतियों का सबसे बड़ा शिकार शूद्र समाज ही रहा हैं, जो आज कमोवेश समग्र रूप में दलित नाम से अभिहीत किया जाता है। इस कारण दलित से तात्पर्य उस भारतीय जनसमूह से है जो भारत–भूमि के मूलतः निवासी माने जाते हैं, जिन्हें सम्पूर्ण गैर दलित जातियों (सवर्णों) द्वारा सदियों–सदियों तक दबाया गया, रौंदा गया, कुचला गया। दूसरे शब्दों में जिन्हें जबरन समस्त मानवीय अधिकारों से वंचित किया। इन दलितों को समस्त सवर्णों ने अपनी शक्ति, सामर्थ्य एवं साधन बल पर दबाया, रौदा, कुचला और मानवाधिकार विहीन किया बल्कि अन्य विदेशी आब्राजकों एवं आक्रमणकारियों ने भी इन दलितों पर अमानुषिक अत्याचार किया, न सिर्फ भूमि एवं धन–सम्पत्ति सम्बंधी अधिकार छीना बल्कि उनकी मानवीय जीवन पद्धति (संस्कृति एवं संस्कार) को तहस–नहस कर मानव से बदतर स्थिति –पारिस्थिति में जीवनयापन करने को मजबूर किया। वे आब्राजक आर्यो द्वारा भारत भूमि के पहाड़ी, पठारी, तराई और अन्य निर्जन क्षेत्रों के खदेड़े गये।[1] अथवा मैदानी क्षेत्रों में आर्य एवं अन्य आब्राजक आक्रमणकारियों के साथ सेवा या मजदूरी (चाकरी) के लिये जबरदस्ती मूलबस्ती से बाहर अलग–अलग बसाये गये[2] इन्हें ही कालान्तर में दलित एवं 'आदिवासी' नामों से सम्बोधित किया गया।[3]

अनार्य इस देश के मूल निवासी है, सन कि 1931 में पहली बार भारतीय जनगणना में 'दलित' कहा गया। इसके पूर्व इन्हें अस्पृश्य, अन्त्यज, अन्त्यवासिन, बहिष्कृत दास, दस्यु, चाण्डाल, राक्षस आदि सैकड़ों नामों से सम्बोधित किया गया। 'दलित' शब्द आधुनिक है। सर्वप्रथम श्रीमती एनीबेंसेट ने शोषितों, पीड़ितों के लिए "डिप्रेस्ड" शब्द प्रयोग किया था।[4] भारत की जनगणना–1931 में अस्पृश्य, अन्त्यज एवं अपराधी कही जाने वाली मानवीय अधिकारों से वंचित जातियों की सूची तैयार की गई, जिन्हें दलित कहा गया। जनगणना 1991 के आयुक्त[5] ने निम्न आधारों को लेकर दलितों को परिभाषित किया।

1–जो ब्राह्मणों का प्रभुत्व नही मानते।

2–जो किसी ब्राह्मण या अन्य किसी माने हुए हिन्दू गुरू से गुरूमंत्र नही लेते।

3–जो देवों को प्रणाम नहीं करते।

4–जो हिन्दू देवी –देवताओं को नहीं पूजते।

5–अच्छे ब्राह्मण, जिनके संस्कार नहीं करते।

6–जिनका, कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं होता।

7–जो हिन्दुओं मंदिरों के गर्भ गृह तक नहीं जा सकते।

8–जो स्पर्श अथवा एक निश्चित सीमा के भीतर आकर उस मंदिर अथवा बाह्मण धर्म मानने वाले गैर दलित को अपवित्र करते हैं।

9–जो अपने मुर्दों को गाड़ते है।

10–जो गोमांस खाते है और गौ के प्रति श्रद्धा नही रखते।

सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक दृष्टि से जो जातियां पिछड़

गई हैं। या जिन्हें पिछड़े रहने को विवश कर दिया गया है। वे ही दलित जातियाँ हैं। दलित शब्द आधुनिक किंतु दलितपन प्राचीन है। दलित शब्द के विभिन्न अर्थ हैं।[6]

दलित = दल + त – टूटा हुआ, कटा हुआ, फैला हुआ।

दल् = चूर चूर करना, फाड़ देना।

दलित = दल गया, मर्दित, पीसा गया, विनष्ट किया गया।[7]

मानक अंग्रेजी शब्दकोष में दलित शब्द के लिए "डिप्रेस्ड" शब्द दिया गया है जिसका अर्थ दबाना, नीचा करना, झुकाना, विनती करना, नीचे लाना, स्वर नीचे करना, धीमा करना, मालमत करना, दिल तोड़ना है। दलित वर्ग का अर्थ प्रायः नीची जातियों के अछूत वर्ग से लगाया जाता है। किंतु दलित वर्ग का अर्थ अस्पृश्य वर्ग ही नहीं अपितु सामाजिक रूप से अविकसित, पीड़ित, शोषित, निम्न जातियों के वर्गों की भी गणना दलितों में होती है।[8] इस प्रकार दलित जातियों में निम्न जातियों की गणना की जा सकती है।

डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार कसौटी संख्या 2,5,6,7 और 10 हिन्दुओं से (अछूतों) की अलग पहचान बताती है।[9] जो डॉ0 अम्बेडकर ने 1935 में गर्वनमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट के अधीन जारी, दलित जातियों की एक सूची प्रस्तुत की, जिसमें भारत की 429 जातियाँ शामिल थी।[10] जिन्हें दलित कहा गया। ऐसे लोगों कीसंख्या 1931 की गणना में 5–6 करोड़ थी। इसके बाद इन जातियों को भारत अधिनियम 1935 के तहत अनुसूचित जाति कहा गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अलग–अलग नहीं थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद –341 में अनुसूचित जातियों को व्याख्यायित किया गया है। गांधी जी, जो एक कठोर हिन्दू विचार धारा से प्रभावित थे, उन्होंने दलितों के लिए 'हरिजन' नाम दिया, जिसका अर्थ परमात्मा के बच्चों से हैं।[11] जनगणना रिपोर्ट 2001 के अनुसार इनकी जनसंख्या 35.14 करोड़ बतायी गयी। आदिवासियों (अनुसूचित जन जातियों) की संख्या 10.7 करोड़ के आसपास है जिन्हें संविधान अनुच्छेद–342 में परिभाषित किया गया है।

इस प्रकार दलित जातियों में निम्न जातियों की गणना की जा सकती है।

1–अनुसूचित जातियाँ   2–अनुसूचित जनजातियाँ

3–आत्यधिक पिछड़ी जातियाँ   4–पिछड़ी जातियाँ

अनुसूचित जातियाँ

धार्मिक शब्दावली में इन्हें अतिशूद्र, चंडाल और "अन्त्यज" कहा गया। समाज से सम्बन्धित शब्दावली में उन्हें "अछूत" और कानून से सम्बन्धित शब्दावली में उन्हें "अनुसूचित जाति" कहा गया हैं।

डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार दलित जातियाँ वे हैं, जो अपवित्र होती है।[12] इनमें निम्न श्रेणी के कारीगर, धोबी, मोची, भंगी, बसोर, सेवक जातियां चमार, डोमरी (मरे हुए पशुओं को उठाने वाले), सउरी (प्रसूति गृह का कार्य करने वाले) ढोल, डफली बजाने वाले आते है। कुछ जातियाँ परम्परागत कार्य करने के अतिरिक्त कृषि मजदूरी का भी कार्य करतीं हैं।

अनुसूचित जनजातियाँ

अनुसूचित जनजातियाँ वे जातियाँ है, जो आधुनिक सभ्य समाज से दूर प्रायः पर्वतीय इलाकों और मैदानी भागों में भी ऐसे स्थानों पर रहना पंसद करतीं है, जो अन्य व्यक्ति

समूहों से दूर हो। और स्वेच्छा से गैर आदिम जातियों से मिलना नहीं चाहतीं। इनका अस्तित्व बहुत प्राचीनतम है। ये जातियाँ चिकित्सा अपने एक अलग तरीके से करती हैं। इन्हें भी 1931 में सूचीबद्ध किया गया। उसी समय से इन्हें आदिवासी जातियों तथा भारतीय संविधान में "अनुसूचित जनजाति' कहा गया। इनमें मुख्यतः 5 जनजातियाँ ही है।[13] वे थारू, भुक्सा, भोटिया, राजी, जोनसारी[14] है।

पिछड़ी जातियां

भारत वर्ष के सबसे पुराने धर्म–हिन्दू धर्म की वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत पिछड़ी जातियों को भी शूद्रों की श्रेणी में रखा गया हैं। इसमें अधिकांश जातियों के बारे में अध्ययन करने से पता चलता हैं, कि इनकी भी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं है इन जातियों में से अधिकांश जातियों के हाथों का पका भोजन और इनके हाथों का छुआ पानी सवर्ण जाति के लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन समाज में अछूतों तथा शूद्रों जैसा ही बर्ताव या व्यवहार इनके साथ भी होता है[15] सम्भवतः संकर वर्ण विवाहों के कारण बहुत से क्षत्रियों और ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था की कठोरता से दंडित होकर इस श्रेणी में स्थान मिला।[16]

29 जनवरी 1953 ई0 को काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति के आदेश से पिछड़ी जातियों की विभिन्न पहलुओं की जाँच के लिए आयोग गठित हुआ[17] इस आयोग ने 30 मार्च 1955 ई0 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने पारम्परिक जाति व्यवस्था, शैक्षिक विकास की कमी, सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व का अभाव और व्यापार, वाणिज्य उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को आधार बताया।

समूचे देश में आयोग ने 2399 पिछड़ी जातियों की पहचान की, जिसमें 839 जातियाँ अत्यधिक पिछड़ी थी। उत्तर प्रदेश में 120 पिछड़ी और 27 अत्यधिक पिछड़ी जातियों को नामांकित किया गया।[18] उत्तर प्रदेश सरकार ने मंडल कमीशन के सदंर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पिछड़ी जातियों की नई सूची तैयार कर चुकी हैं।

अनुसूचित जातियों का परिचय

धार्मिक शब्दावली में जिन्हें अतिशूद्र, चंडाल और "अन्त्यज" कहा गया, सामाजिक शब्दावलली में उन्हें ही "अछूत" और कानूनी शब्दावली में इन्हें "अनुसूचित जातियां" कहा गया है। महात्मा गांधी ने इसका नाम "हरिजन" दिया है।[19]

धर्म का आवरण देकर अछूतों के सभी नागरिक अधिकार छीन लिए गए इसलिए इनकी दशा पशुओं से भी हीन हो गई। इन अछूतों को ही "दलित" नाम दिया गया। भारत का संविधान बनने पर इन्हें"अनुसूचित जातियाँ" कहा गया है।

दलित जातियों की व्याख्या सन् 1931 में जनगणना आयुक्त ने करते हुए जातियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया है।

मैंने "दलित जाति" डिप्रेस्ड कास्ट) उन जातियों को माना है जिनके साथ शारीरिक स्पर्श होने के फलस्वरूप उच्च जाति के हिंदुओं के लिए स्वयं को शुद्ध करना आवश्यक हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस शब्द को किसी पेशे से संबद्ध कर दिया जाए। वरन् यह शब्द उन्हीं जातियों के लिए प्रयुक्त होगा। उदाहरण के तौर पर हिंदू समाज में अपनी परंपरागत स्थिति के कारण जिनका मंदिर में प्रवेश निषिद्ध हैं या जिनके कुऐं अलग हैं या जिन्हें

पाठशालाओं में नहीं बैठने दिया जाता हैं और बाहर ही रहना पड़ता हैं या जो इसी प्रकार की अन्य सामाजिक असमानताओं से पीड़ित है।"[20]

डॉ0 अंबेडकर के अनुसार दलित जातियाँ वे हैं जो अपवित्रकारी होती हैं। इनमें निम्न श्रेणी के कारीगर, धोबी, मोची, भंगी, बसोर, सेवक जातियाँ चमार, डोमारी, आते हैं। कुछ जातियाँ परंपरागत कार्य करने के अतिरिक्त कृषि मजदूरी का भी कार्य करती हैं। कुछ दिनों पूर्व तक इनकी स्थिति अर्द्ध दास बँधुआ मजदूर जैसी रही हैं।[21]

सन 2001 की जनगणनानुसार दलित जातियों (अनुसूचित जातियों) की जनंसख्या 35148377 हैं[22] सन् 1991 से 2001 तक की जनसंख्या वृद्धि दर (दशकीय) 25.80 प्रतिशत रही।[23] उत्तर प्रदेश की कुल दलित जातियों (अनुसूचित जाति) की जनसंख्या 2001 के अनुसार 3,51,48, 377 हैं यह जनसंख्या 66 उपजातियों में विभक्त है। सम्पूर्ण देश के सभी प्रदेशों में केवल उत्तर प्रदेश ही एक मात्र प्रदेश है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में उपजातियॉ हैं। 25.80 प्रतिशत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर से इन उपजातियों का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है।

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियाँ

1—अगरिया
2—बधिक
3—बादी
4—बहेलिया
5—बैगा
6—बैसवार
7—बजनिया
8—बाजगी
9—बलहार
10—बलाई
11—बाल्मीकि
12—बंगाली
13—बलमानुष
14—बांसफोड़
15—बरवार
16—बसोड़ (बसोर)
17—बावरिया
18—बेलदार
19—बेरिया
20—भंतू
21—भुईया
22—भुईयार
23—बोरिया
24—चमार, धुसिया, झुसिया, जाटव
25—चेरी
26—दबगर
27—धंगड़
28—धानुक
29—धरकार
30—धोबी
31—डोम
32—डोमर
33—दुसाध
34—धरामी
35—धसिया
36—गोड
37—ग्वाल
38—हबुड़ा
39—हरी
40—हेला
41—कलाबाज
42—कंजर
43—कपाड़ियां
44—करवल

45—खैरहा

46—खरवाल

47—खटीक

48—खोरोट

49—कोल

50—केरी

51—कोरवा

52—लालबेगी

53—मझवार

54—मजहबी

55—मुसहर

56—नट

57—पंखा

58—परहिया

59—पासी, तरमाली

60—पटरी

61—रावत

62—सहारया

63—सनौरिया

64—सांसिया

65—शिल्पकार

66—तुरैहा

अनुसूचित जातियों का जातिवार परिचय

चमार :— चमार को उत्तर प्रदेश में रैदास, जैसवार, अंतर्वेदी, कुरील, धुसिया, जाटव, दोहर, अहरवार, गुलिया, रैदासी, संखवार, छपरबन्द, कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश में सर्वत्र फैले हुए है। भारतवर्ष में 1981 की जनगणना के अनुसार जहां इनकी जनसंख्या अनुसूचित जातियों में 25817567 हैं वही उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या 12914218 है तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 16453894 है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने अपने को "जाटव" के नाम से संगठित किया। अपने को क्षत्रिय वंश से जोड़कर अपने नाम के सामने वे "सिंह" लगाने लगे। इनमें कुछ अपने नाम के आगे पिप्पल, कर्दम, केन, खेम, निम, पिपरियां, लिखते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी अपने को जैसवार राजपूत सिद्ध करने हेतु जैसवार—वंश भास्कर की रचना की है। अधिंकांश खेतिहर मजदूर, दैनिक वेतनभोगी मजदूर है। पहले गांवों में इनसे मरे हुए पशुओं को उठवाने और इनकी स्त्रियों से शिशु की नाल कटवाने का काम लिया जाता था किंतु अब इन लोगों ने आजादी के बाद इस कार्य को बंद कद दिया है। अनुसूचित जातियों में इनकी जनसंख्या सर्वाधिक 55प्रतिशत है। इनमें शिक्षा का प्रसार बढ़ा है। बहुत से आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 और दूसरे बहुत से अधिकारी व कर्मचारी भी इनमें हैं। कारीगरी, व्यवसाय, कृषि क्षेत्रों में भी यह आगे बढ़ रहे है किंतु अभी इनमें अधिकांश गरीब और मजदूर हैं। शिक्षा का प्रसार इनमें बढ़ रहा है। राजनैतिक जागृति भी इनमें है। पहले वे संत रविदास जयंती बड़ी धूमधाम से मनाते थे किंतु अब डा0 अंबेडकर जयंती भी बड़े समारोहपूर्वक मनाते है। राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में भी यह समाज आगें है। सभी राजनैतिक दलों में इनको भागीदारी देने का प्रयास किया जा रहा हैं।

पासीः— उत्तरप्रदेश में अनुसचित जातियों में पासी दूसरी बड़ी जनसंख्या की जाति है। इन्हें तरमाली भी कहते है। अपने को राजपूतों से सम्बद्ध मानते हैं तो कुछ परशुराम से। भारत के उत्तर—पूर्व राज्यों तक यह फैले हुए है। भारतवर्ष में 1981 की जनगणना के अनुसार जहां इनकी जनसंख्या 3981796 है वही उत्तर प्रदेश में ही इनकी जनसंख्या 3425929 है। 2001 की जनगणना से इनकी जनसंख्या 4303379 है। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती जिलों इलाहाबाद, प्रतापगढ़ रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी में इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है।

यह एक लड़ाकू जाति है। कुछ इतिहासकार लखनऊ को लखना पासी द्वारा बसाया गया मानते हैं। उन्नाव जिले में सातन पासी के किले के ध्वंशावशेष अब भी मिलते है। पासी जाति में सात ग्रुप बताए जाते हैं इनमें अरख, बॅारियो, विहिता, कविपासी, गूजर, खटिक, मोथी और राजपासी या राजवंशी हैं इनमें अधिकांश खेतिहर मजदूर हैं। पासी महासभा द्वारा जातीय सुधार का कार्य किया जाा रहा है। इनमें बहुत से उच्च अधिकारी और राजनेता है। शिक्षा अपेक्षाकृत कम है। कहीं शूकर पालते है और कहीं शराब भी बनाते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व इन्हें अपराधशील जाति माना जाता था।

धोबी :– इनको रजक, कनौंजिया भी कहते है। यह कपड़े धोने का कार्य करते हैं। भारत में जहां इनकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 2868518 है, वहीं उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या 1423574 है। तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 1714136 है। इसमें पांच ग्रुप बताए जाते हैं– अयोध्यावासी, बेलवार, जैसवार, कनौजिया, और मगहिया। अपने नाम के सामने यह राम, प्रसा, बिलास, लगाते हैं वे खेती भी करते है, पशुपालन और दूसरे व्यवसाय भी करते हैं वे हिंदू धर्म के अनुयायी हैं अन्य अनूसूचित जातियों में इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हैं किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी स्थिति अच्छी नहीं वे गधे पालते हैं और उस पर कपड़े रखकर नदी–नालों में कपड़े धोने ले जाते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इनमें शिक्षा का अभाव है, लेकिन अब शिक्षा का प्रसार हो रहा है। कुछ उच्च अधिकारी भी इस समाज में हो गए हैं।

खटीक :– इन्हें मेवा फरोश भी कहते हैं। अपने नाम के सामने यह सोनकर लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 496944 है। तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 626527 है। भारत के अधिकांश राज्यों में यह फैले हुए हैं। यह हिन्दू धर्म के रीति–रिवाजों को मानतें हैं। यह शूकर पालते है। सब्जी बेचने का एवं दूसरे व्यवसाय भी यह करते हैं शिक्षा का अभाव है लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी है। कुछ लोग शूकर के बाल का भी व्यवसाय करते हैं कुछ बंदरों का निर्यात करते रहे हैं इस जाति में भी कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त एवं उच्च अधिकारी भी है।

दुसाध :– यह अपने को दुशासन और भीमसेन भी कहते हैं यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, और आजमगढ़ में मिलते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 141177 हैं तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 168956 है। इनकी कई शाखाएं हैं जैसे भारसिया, धरही, गोंडर (गुंडार) कनौजिया, मधेसिया, मगहिया, और राजार। अधिकांश खेतिहर मजदूरी करते हैं। यह सेना में भी भरती होते है। कुछ लकड़ी कटाई का कार्य भी जंगलों में करते हैं। हिंदू धर्म मानने के साथ यह राहु, केतु, छात, बंदी और मनुषदेव की भी पूजा करते हैं। लोकगीत और लोकनृत्य करते हैं। यह कृषि यंत्रों की मरम्मत करते हैं। अपने बच्चों को प्रायः प्राइमरी स्तर तक पढ़ाकर उनकी शिक्षा बंद कर देतें है। शिक्षा का प्रतिशत इनमें कम है। यह शूकरपालन का कार्य भी करते है।

बसोर :– यह डोम जैसी एक जाति हैं इन्हें बसोर, बरार, डोमार, और धानुक कहते हैं। यह जालौन, झांसी, बांदा और हमीरपुर जिलों में आबाद हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या उत्तर पद्रेश में 83396 है। तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 119279 है। बाल विवाह और पुनर्विवाह प्रचलित हैं इनकी शाखाएं पुरनियां, जालोखा और देसावरी हैं। यह कृ

षि मजदूरी करते हैं। टोकरी बनाते हैं, साड़ी और कालीन बुनते हैं और पशुपालन का भी कार्य करते हैं तथा शूकर भी पालते हैं। शिक्षा का अभाव है।

शिल्पकार :– यह उत्तरप्रदेश के हिमालय के पर्वतीय भागों में रहते हैं। यह अपने को शिल्पकार कहते हैं। इन्हें डोम, डूंम, राम, आर्य और हरिजन भी कहा जाता है। यह गोरखनाथ से अपना संबंध मानते हैं। कुमायुं और गढ़वाल में अधिकांश रहते हैं। 1911 में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ आर्य समाज द्वारा लाला लाजपतराय ने यहां आकर इन्हें जागृत किया। उसी समय से यह अपने नाम के आगे आर्य लिखने लगे।

उत्तरप्रदेश में 1931 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 514872 है। तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 671366 है। गढ़वाली, जौनसारी और हिंदी नामों से क्षेत्रों के आधार पर पुकार जाते हैं इनकी शाखाएं –कोली, टमटा, लोहार, अर्स और धारी यह चमार, मोची, धोबी, लोहार, दरजी, मिस्त्री, डोम, भांड का कार्य करते हैं। शिक्षा का प्रतिशत कम हैं। कुछ लोग राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़े हैं।

धानुक – उत्तर प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 330473 हैं तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 404082 है। यह शूकर पालते हैं।यह प्रदेश भर में फैले है। यह प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। धानुक सात शाखाओं में बटें हैं इनके नाम धनगर, ढोलीबाज, कनौजिया, कठेरिया, खाकरपूजा, लौंगवता, सूपबंध हैं यह कृषि करते हैं। कृषि मजदूर भी हैं। ये हिंदू रीति रिवाज मानते हैं। इनकी जातीय पंचायतें है। इनमें शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा है। इस जाति मे कई बड़े अधिकारी उच्च पदों पर हैं। इनमें बहुत से लोग नव–बौद्ध हो रहे हैं। टोकरी बनाना, शूकर पालना, कृषि मजदूर और दूकानों पर मजदूरी भी करते हैं।

बाल्मीकिः– उत्तर प्रदेश में भंगी, लालबेगी, स्वीपर, हेला मेहतर अपने को बाल्मीकि नाम से पुकारते हैं। ये शहरों में सफाई का कार्य करते हैं इसलिए इन्हें सफाई मजदूर भी कहते है। पुरूष और स्त्रियाँ सभी सफाई मजदूरी का कार्य करतें हैं। बाल्मीकि ऋषि को अपना पूर्वज मानते हैं और उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं।

उत्तर प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 744821 है तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 1026614 हैं। ये हिंदू रीति–रिवाज के अनुयायी हैं। कृषि मजदूर, खेतिहर, तथा अन्य नौकरियाँ भी यह करते हैं। शिक्षा का अभाव है। यह शूकर भी पालते हैं। कुछ लोगों में शराब पीने की बुरी आदतें हैं। इनमें जातीय पंचायतें भी हैं। राजनीतिक जागृति इनमें है इसलिए अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संगठित होकर यह संघर्ष भी करते हैं।

कोरीः– इनका संबंध कोल से बताया जाता हैं इनका मुख्य कार्य कपड़े की बुनाई है। इनकी कई शाखाएं हैं जिन्हे अहरवार, बनबटा, धीमार, हलदिया, जैसवार, कबीरपंथी, कमलवंशी, कमरिहा, माहौर, शाक्यवार, और शंखवार कहते हैं उत्तर प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 13815188 हैं तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 1662022 हैं। यह खेती करते हैं कुशल और अकुशल मजदूर भी हैं सरकारी नौकरियों में भी कुछ लोग हैं। यह हिंदू देवी–देवताओं को मानते हैं। प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में मेरठ और आगरा डिवीजन के लोग पूर्व में नहीं थे किंतु अब वे भी अनूसचित जाति की सूची में आ गए है।

डोमः–इनको डोम, डोमड़ा, डुमहरा, डमना और डोम्बो कहते हैं यह घाघरा और पूर्व में रोहिणी

नदियों के मध्य मिलते हैं यह राजा वेणु से अपना संबंध मानते हैं ये वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फैजाबाद और बस्ती जिलों में आबाद हैं उत्तर प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 55990 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 71550 है।

यह सफाई का कार्य करते हैं यह शूकर पालते हैं शूकर और भैंस का मास खातें हैं। शराब बहुत पीते हैं। यह गाँव के किनारे मनुष्यों के शवां को दाह करने में सहायक होते हैं और उसका टैक्स लेते हैं। यह मजदूरी भी करते हैं। शिक्षा नाममात्र की है।

गोंड़:— वाराणसी, मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर, झाँसी और जालौन जिलों में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में 1981 जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 204638 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 212971 है। यह बाल—विवाह करते हैं यह पशु—पालन और खेती करते है, पुराने ढंग से कुओं से सिंचाई करते हैं। कृषि मजदूर और कारीगर भी हैं कुछ व्यापार और व्यवसाय भी करते है। हिंदू देवी—देवताओं के साथ ब्रह्मदेव, नागदेव, दूलदेव, शंकरजी को पूजते है। इनमें ओझाई होती हैं। यह लोकनृत्य और लोकगीत करते हे। इनको पीने के पानी का कष्ट है। विकास खंडों के माध्यम से इनकी कठिनाइयों के समाधान का प्रयास हो रहा है।

कोल:—कोल एक जनजाति के रूप में भी जानी जाती हैं उत्तरप्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 196654 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 268237 हैं। इनकी कई शाखाएँ हैं, जैसे बारवारिया, कोल, मोमांसी, रौटेया, राज—भर, ठकुरिया, और तुरकेला। परिवार में स्त्री की मुख्य भूमिका होतीं हैं। यह कृषि कर्म तथा कृषि मजदूरी करते हैं। यह शराब बनाकर पीते हैं यह शबरी को अपना पूज्य मानते हैं यह विंध्यावासिनी देवी और भगवती देवी की पूजा करते है। विरमी देवी और सिमोरी देवी को भी पूजते है। वनों से लकड़ी काटकर बेचते हैं तेंदू पत्ते तोड़ने का कार्य भी करते हैं।

धरिकार:— उत्तर प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 58711 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 89432 हैं। यह बहराइच, गोंडा, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, फैजाबाद, वाराणसी, जौनपुर और इलाहाबाद जिलों में मिलते है। यह बाँस से टोकरी, पंखे तथा अन्य वस्तुएं बनाते हैं। स्त्री—पुरूष सभी कार्य करते हैं कृषि मजदूरी भी करते हैं। इनकी आर्थिक दशा बहुत खराब हें झोपड़ियों में गुजारा करते हैं। शिक्षा का अभाव है। यह अपने को वेणुवँशी कहते हैं। हिदू रीति—रिवाज को मानते हैं।

खरवार:— खैर का पेड़ काटते रहने के कारण इन्हें खरवार कहते हैं। उत्तरप्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 56477 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 76704 हैं। ये वाराणसी, इलाहाबाद और मिर्जापुर जिलों में मिलते हैं। अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है। यह खेती और पशुपालन का कार्य करते हैं। खदान, मजदूर, रिक्शाचालन और कृषि मजदूरी का कार्य करते हैं। शिक्षा का अभाव है। ओझाई पर विश्वास करते हैं।

मुसहर या बनमानुष:— इन्हें वनराज, बनमानुष और गोनर भी कहते हैं उत्तरप्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार 126018 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 165502 हैं वे अवधी भाषी हैं इनकी तीन शाखाएं हैं जिन्हे भगत, शक्तिया, और तुरकिया कहते है। वेपंडितों से

पूछकर ही बच्चों का नामकरण, शादी–विवाह करते है। वे शूकर पालन, ईंट पाथने, कृषि कार्य, लकड़ी काटकर बेचने, पत्तल और दोना बनाने का कार्य करते हैं। ये शादी के मौकें पर पालकी ढोने और बोझ ढोने का कार्य करते हैं इनकी आर्थिक दशा खराब है, शिक्षा का अभाव हैं ये अधि कांशतः मध्य उत्तरप्रदेश और पूर्वी उत्तरप्रदेश में मिलते है।

बेलदारः– शेरशाह सूरी के समय में सड़कों का निर्माण कार्य बहुत अधिक हुआ। सड़कों की नाप को दागबेल कहते है। दागबेल लगाने वालों को ही बेलदार कहने लगे। यह प्रायः मिट्टी खुदाई और ढुलाई का कार्य करते हैं। उत्तरप्रदेश में 1981 के अनुसार इनकी जनसंख्या 94185 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 122399 हैं। यह गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, वाराणसी और जौनपुर जिलों में मिलते हैं। यह भोजपुरी बोलते हैं। कूछ अपने को चौहान कहते है। हिंदू रीति–रिवाजों को मानते हैं। यह कृषि पुशपालन, उद्योग –धंधे और अन्य व्यवसाय भी करते हैं शिक्षा का अभाव हैं शंकर, काली और दुर्गा की पूजा के साथ माता और हनुमानजी की पूजा भी करते हैं। पूर्वी उत्तरप्रदेश के कुछ जिलों में में केवट जाति भी अपने को बेलदार कहती हैं।

कंजरः– यह अपने को गिडार भी कहते है। कुछ अपने को कुश से संबंधित बताते हैं यह अपने को राजस्थान के महाराणा प्रताप के शिशोदिया राज्य से संबंधित मानते हैं। मुग़लों के आक्रमण के बाद 'इस्लाम कबूल' करने के डर से यह भारत के विभिन्न भागों में और जंगलों में चले गए। वहां शिकार और लूटपाट करते थे। उत्तर प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 50752 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 80167 है। बाल विवाह, और पुनर्विवाह होता है। नथ या अंगूठी पहनाने से विवाह तय माना जाता है। ये खेती करते हैं। कुछ दूसरों के खेतों का काम करते हैं इसके अतिरिक्त खस की चटाई बनाते हैं। सिरकी (छप्पर) बनाते हैं लड़के रिक्शा चलाते हैं और बूट पॉलिश करते हैं। इसके अतिरिक्त कटिंग, मैन्यूफैक्चरिंग का कार्य भी करते हैं यह अपना एक मुखिया चुनते है। इनका पेशा डोम और डफाली जैसा है। बच्चों में लड़कों को तो शिक्षा देने के पक्ष में हैं। किंतु लड़कियों को नहीं। शिक्षा दर बहुत कम है।

नटः– यह अपने नाम के आगें "प्रसाद" एवं नागर लगाते हैं इनकी सभी जातियों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 1981 के अनुसार 44127 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या136675 हैं इनकी अन्य शाखायें कालबेलिया और सपेरा है। राजपूत राजाओं से इनकों सरंक्षण मिलता था। अब तो मजदूरी भी करते हैं। नट–बाजीगरी भी करते हैं। इन्हें नार, नट और नारटक भी कहते हैं। यह पहले राजस्थान में थे। वहां से मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार और बंगाल पहुंचे। शिक्षा का स्तर बहुत नीचें है। यह हिंदू धर्म को मानते है। कुछ नटों ने इस्लाम धर्म को भी अपना लिया है। आर्थिक दशा बहुत खराब है।

भुइयार :– इनकी अन्य शाखाएं हैं–बसिया, बीरकेमिया, चंदनिया, चेतरहिया, चिरिहा, देवरिहा, खुट्टा, परहा, पटपरहा और सुधा है। इनके यहां बाल–विवाह होता है। यह भूमिहीन खेत मजदूर हैं। उत्तरप्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 12635 हैं तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 28139 है। यह बंधुआ मजदूर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुख्यतः इलाहाबाद और सोनभद्र मिर्जापुर जिलों में इनकी जनसंख्या अधिक है। तथा यह घरेलू उद्योग धंधे करते हैं। दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं करना नृत्य करते हैं। शिक्षा का अभाव है।

भुइया (बैगा)– भुइया को दो शाखाएं हैं–एक राय और दूसरी बैगा। भुइया की दा अन्य

उपशाखाएं राय और रघुवंशी हैं। मिर्जापुर, सोनभद्र के भुइयां आठ भागों में बटे हैं। इन्हें तिरवाह, मगहिया, दंडवार, महतवार, महातक, मुसहर, भूमिहार, भुइयार, (भूमिपुत्र) कहा जाता हैं इनमें आपस में विवाह होता हैं। उत्तरप्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 8145 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 14550 है।

ये भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं। खानों में काम करते हैं शिक्षा कीबड़ी कमी हैं हिंदू देवी–देवताओं और त्यौहारो को मानते है।

डोमार:— इन्हें भंगी और मेहतर भी कहते हैं इनकी तुरहिया या तुनहिया शाखा हैं यह सात उपशाखाओं में बंटे हैं। इनके नाम है–तुरहिया, तुरइया, डोम, लालबेगी, हादी, बंसफोर, धानुक और दुसाध। ये राजा हरिश्चंद्र से अपना संबंध बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 1981 की जनसंख्या के अनुसार इनकी संख्या 19196 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 22181 है। ये भूमिहीन खेत मजदूर है। म्युनिसिपल बोर्ड और अस्पतालों में सफाई का काम करते हैं। यह खेती तथा खेत पर मजदूरी करते हैं। हिंदू देवी देवताओं को पूजते है। शिक्षा की कमी है।

हेला :— इन्हें मेहतर भी कहते हैं। यह बस्ती, देवरिया, जौनपुर वाराणसी में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में 1981 के अनुसार इनकी जनसंख्या 29837 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 37191 हैं। यह सफाई मजदूर हैं। आजकल अपने को बाल्मीकि कहने लगे हैं यह भूमिहीन खेत मजदूर हैं। घरेलू उद्योग, सूप, चलनी बनाने का कार्य करते हैं। इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों सम्मिलित हैं। शिक्षा नाममात्र की है। टोकरी बनाते हैं। और बुनाई का काम भी करते हैं। कुछ दूसरे व्यवसाय भी करने लगे है।

मझवार:— इन्हें मांझी भी कहते हैं। यह सरगुजा (मध्यप्रदेश) के गोंड से संबंधित हैं। यह इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र में मिलते हैं। यह वनीय क्षेत्रों में रहते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 12978 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 16,788 हैं। यह लोकनृत्य, लोकगीत के समय स्त्री, पुरूष साथ–साथ नांचते–गाते हैं ढोल या मृदंग बजाते हैं। यह कृषि कार्य पशुपालन, मजदूरी और कुछ व्यवसाय भी करते हैं।

चेरो:— उत्तरप्रदेश बिहार और मध्यप्रदेश में मिलते हैं। चेर साम्राज्य से यह अपना संबंध बताते हैं अकबर के समय भी एक चेरो सामंत चैनपुर (शाहाबाद) बिहार में था। यह कोल्हेनियन भाषा बोलते हैं जो मुंडा की एक शाखा हैं। उत्तरप्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 17239 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 46369 है। यह हिंदी भी बोलते हैं अपने नाम के सामने यह सिंह लगाने लगे हैं विवाह उत्सव दोनों पक्ष मिल कर आयोजित करते हैं। कृषि, पशुपालन मुख्य धंधा है। मजदूरी और नौकरियाँ भी करते हैं। सामाजिक मामले पंचायतों द्वारा जातीय चौधरी तय करते हैं। यह हिंदू देवी–देवता मानते हैं। इनमें लोकनृत्य और लोकगीत प्रिय हैं। पुरूष गाते है और बजाते है। किंतु स्त्रियाँ अकेले ही नृत्य करती है। शिक्षा की तरफ इनका रूझान बढ़ा है।

दबगर :— यह चमारो की एक उपजाति थी। अब यह अलग जाति हैं यह वाराणसी, सासाराम से पलामू (बिहार) में विस्थापित है। ये लोग चमड़े से कंटेनर, जार और कुप्पी (तेल रखने का बर्तन) बनाते हैं ये राजपूतों से अपना संबंध बताते हैं। अधिकांश पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिलतें है। 1981 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या 3203 तथा 2001 की जनगणना

में इनकी संख्या 11600 है। ये भोजपुरी बोलते है। दबगर हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। अपने नाम के सामने यह श्रीवास्तव, निगम, आर्य, शास्त्री, अग्रवाल और लाल लगाते हैं। चौहान, भाटी, देवता और खीची इनके गोत्र हैं। ये चमड़े का कारोबार रिक्शा चालन, व्यापार, मशीन चलाना, कार्ड बोर्ड के डिब्बे बनाते हैं कुछ अन्य व्यवसाय भी करते है।

घासी या घसिया:— यह मध्यप्रदेश के सरगुजा जिले से विस्थापित हैं। यह मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में बसे है। उत्तर प्रदेश में 1981 जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 4531 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 5299 है। ये खेती, घास का दाना, वाद्य यंत्र मरम्मत और लकड़ी का कार्य करते हैं। मजदूरी, पशुपालन भी करते है। ये मनोरंजन गीत और नृत्य करते हैं। हिंदू देवी—देवता पूजते है।

हबूड़ा :— यह साँसिया जैसी जाति है। उत्तर प्रदेश 1981में जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 3529 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 7314 हैं यह मुस्लिम शासकों से अपने को विस्थापित मानते है। और राजपूतों से अपना संबध बताते है। यह अपराधों में संलग्न माने जाते हैं। यह शराब ओर तंबाकू पीते है। इनके कई ग्रुप हैं जिन्हें डाभी, सोलंकी, परमार, भोकल और मंगोती कहते हैं। यह कृषि करते हैं। स्त्रियाँ भी कार्य करके परिवार की आय में वृद्धि करती है। हिंदू देवी देवता मानते हैं। कृषि मजदूरी और रिक्शाचालन करते हैं यह सिरकी भी बनाते हैं। शिक्षा बहुम कम हैं।

हरी :— 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 2121 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 6864 है। यह बंगाल से बिहार तथा दूसरे राज्यों में फैले हुए हैं। यह फतेहपुर में बसे हैं इनका गोत्र अलादी है। अपने नाम के सामने हरिजन और सरदार लगाते हैं। टोकरी बनाते हैं। स्त्रियां मिडवाइफ (दाई) का काम करती हैं। इनमें शिक्षा की कमी हैं।

कलाबाज:— यह अपना संबंध राजस्थान से मानते है। मुगल शासकों के समय यह उत्तरप्रदेश में आ गए। उत्तरप्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 5347 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 9446 है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। पशुपालन, साइकिल मरम्मत, ताँगा चलाना व मजदूरी भी करते हैं। हिंदू रीति रिवाज मानते हैं। ये लोगों के घरो पर जाकर गीत गाते हैं। और सिधा (दाल, चावल, आटा) लेकर अपना खाना बनाते हैं शिक्षा का अभाव है।

कपाड़िया:— यह अपने नाम के आगे कपाड़िया लगाते हैं यह पुराना कपड़ा बेचने का काम करते हैं। कुछ लोग शिवजी के कपाल से इनकी उत्पत्ति मानते हैं यह बिंदकी फतेहपुर में आबाद हे। 1981 की जनगणना में उत्तरप्रदेश में इनकी जनसंख्या 6872 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 13239 है। मुख्यतः यह तेल बनाते हैं। रूद्राक्ष की माला बेचतें है। अपने नाम के आगे यह लोग शर्मा लिखते हैं। यह शराब पीते हैं इनके मां और भाई के बच्चों में शादी हो जाती हैं। हिंदू रीति—रिवाज मानते हैं। स्त्रियाँ खेती करती है। कुछ स्त्रियाँ धरों में घुस कर चोरी भी कर लेती थीं। शिक्षा का अभाव है। खेती भी करते है। कुछ लोग नौकरियाँ भी करते है।

करबल:— यह राजस्थान से विस्थापित होकर इस प्रदेश में आए। इनका पेशा शिकार था। इनके पास करवाल (तलवार) होती थी इसलिए इनका नाम करबल पड़ा। यह बस्ती, गोरखपुर, बाराबंकी, लखनऊ और कानपुर में वसे हैं 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 12154 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 20096 हैं। कुछ जातियों से अपने को छोटा समझते हैं यह भूमिहीन होते है। ये शिकार और लूटपाट करते हैं। वनों के पास रहते हैं। यह कृ

षि कार्य बुनाई, खेत, मजदूर सरकारी सेवाओं में काम करते हैं। यह शराब खूब पीते हैं। स्त्रियाँ धर की देखभाल करती हैं। हिंदू देवी देवता पूजते हैं। कुछ जातियों का छुआ भोजन ग्रहण नहीं करते तथा बच्चों की शिक्षा के पक्ष में है।

खैरहा:— यह खरवार जैसी एक जाति है जो अब अलग नाम से जानी जाती हैं खैर (कत्था) का वृक्ष काटने के कारण इनका नाम खैरहा पड़ा हैं। यह इलाहाबाद, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में अधिक मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 809 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 3716 है। यह ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। इनके यहाँ शादी के बाद छड़ोहर और पुनर्विवाह की प्रथा हैं स्त्रियाँ खेती करती है तथा दूसरे काम भी करती हैं। पशुपालन, मछली मारना और जलाने के लिए लकड़ी लाती हैं। और पीने के लिए पानी दूर से लाती है। भूमि ही इनका मुख्य आर्थिक आधार है। पशुपालन सहायक काम हैं। मजदूरी भी करते हैं। शिक्षा का अभाव हैं। कुछ जातियों से अपने को ऊँचा समझते हैं।

अगरिया:— यह अपना संबंध राजपूतों से बताते है। ये रीवा (मध्यप्रदेश) से विस्थापित होकर उत्तरप्रदेश में आए हैं। ये आगरा, मथुरा और मिर्जापुर जिलों में मिलते हैं। उत्तरप्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 12276 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 20778 है। यह हिंदू रीति–रिवाजों में विश्वास करते हैं करवां नृत्य करते हैं और स्त्री पुरूष साथ–साथ गाते–नाचते हैं। ये खेती, मजदूरी करते हैं। इनमें शिक्षा बहुत कम है।

बधिक:— इनको हिंदू कसाई कहते हैं। यह मुजफ्फरपुर जिले में रहते हैं। उत्तरप्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 7014 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 10010 हैं यह पशु वध का कार्य करते हैं। पक्षियों को पकड़ कर बेंचते हैं। यह पशुपालन, मुर्गीपालन, कृषि कार्य करते हैं शिक्षा बहुत कम हैं। इनकी स्त्रियाँ भी काम करती हैं, हिन्दू त्यौहारों को मानते है।

वादी:— यह जादूगर या नट जैसी जाति है। सहारनपुर जिले में यह मिलते हैं। उत्तरप्रदेश की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 4472 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 6116 है। अपने नाम के आगे गोत्र को लगाते हैं। खानदानी पेशा जादूगरी रहा है। कुछ पेंटर और कुछ खेती करते हैं। हिंदू त्यौहारों को मानते हैं गरीबी है। शिक्षा का अभाव है।

बजनिया:— उत्तर प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 1510 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 2064 है। बजनिया नट चित्तौड़गढ़ के राजा से अपना संबंध बताते हैं। इसलिए वे अपने को राजपूत कहते हैं। ये नृत्य करते हैं। घरेलू कार्य, बाइस्कोप दिखाने के अतिरिक्त कृषि व पशुपालन करते हैं। कुशल, अकुशल मजदूर है। ये हिंदू धर्म मानते हैं। बजनिया नटों में शिक्षा बढ़ रही है। लोकगीत और लोकनृत्य इनको प्रिय है।

बजागी:— यह ड्रम बजाते है, इसलिए इन्हें बाजगी कहते हैं। ये गढ़वाल जिले में मिलते हैं। उत्तरप्रदेश में अब ये जौनसारी जन–जाति में गिने जाते है। हिंदू धर्म को मानते हैं ग्राम में किसी अतिथि के आने पर यह ड्रम बजाकर गाँव वालों को सूचित करते हैं। त्यौहार के अवसरों पर सवर्ण जातियों के यहाँ पुरूष जाकर बाजा बजाते हैं इनकी स्त्रियाँ नाचती हैं। इन्हें कुछ अन्न दे दिया जाता हैं इनकी आर्थिक और सामाजिक दशा दयनीय हैं इनमें शिक्षा नहीं के बराबर हैं पशु चराने का काम भी ये लोग करते है। 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 20788 हैं।

बलाहर:— इन्हें बैरागी, चोबदार या ठाकुर के नाम से भी जाना जाता हैं ये पहले राजस्थान के निवासी थे। वहीं से उत्तरप्रदेश में चले गये, उत्तरप्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 5297 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 6228 है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इनकी कई शाखाएँ हैं इनके यहां बच्चों के विवाह में दहेज चलता है। इनका मुख्य उद्योग खेती और पशुपालन हैं, कुछ अधिया पर खेत करते हैं। कुछ सरकारी और असरकारी सेवाओं में भी कार्य करते हैं। यह हिंदू धर्म को मानते हैं।

बंगाली:— ये सर्प के चर्म का व्यापार करते है और जड़ी बूटियाँ बेचते हैं यह होशियारपुर से कांगड़ा गए। उनमें से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आए। उत्तरप्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 31592 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 41222 हैं। यह मुजफ्फर नगर, मेरठ और बिजनौर जिलों में बसते हैं इनकी स्त्रियाँ पशुपालन करती हैं और घर की देखभाल करती है। ये भेड़ियों का शिकार करते है, जंगली बिल्लयों को भी मारते हैं मछली मारते हैं बोझ ढोते है। कृषि कार्य करते हैं। आर्थिक स्थिति साधारण हैं तथा शिक्षा कम हैं।

बंसफोर:— यह अपने को वेणु वंशी कहते है। उत्तरप्रदेश में 1981 की जनगणना में इनकी जनसंख्या 18530 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 28281 है। यह आजमगढ़ गोरखपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, इलाहाबाद में बसते हैं ये बाँस से टोकरी बनाते हैं। इन्हें डोम की एक उपजाति माना जाता है। ये हिंदू रीति—रिवाज मानते है। भूनिहीन खेत मजदूर होते है।

बरवार:—ये गोंडा, फैजाबाद, बरेली, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, हरदोई और बहराइच में रहते हैं। उत्तरप्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 12001 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 17232 हैं। ये अपना क्षत्रिय गोत्र मानते हैं। इन्हें स्वतंत्रता केपूर्व अपराधशील जाति माना जाता था। खेती करते हैं। भूमिहीन खेत मजदूर हैं तथा मजदूरी एवं अन्य नौकरियां भी करते है। हिंदू रीति—रिवाज इनमें है। अधिकांश प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करते हैं।

बेड़िया :— इन्हें बैंदा, पतुरिया भी कहते है। यह बहराइच, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, प्रातपगढ़ कानपुर, बाराबंकी और आगरा जिलों में आबाद हैं। उत्तरप्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 19504 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 30136 हैं। यह तीन ग्रुपों में बंटे हैं। जिनके नाम कठैरिया, जोगरिया, गंगापारिया है। यह नृत्य गान करते है। कृषि करते हैं, कृषि मजदूर भी हैं। लड़कियां डांस (मुजरा) किराये पर करती हैं। यह हिंदू धर्म मानते हैं। हरसिंह देव की पूजा करते हैं। इनमें शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा है।

भांतू:— माना जाता है कि एक समय ये कभी राणा प्रताप के सेवा में थे। ये आजकल बदायूं जिले के खेखपुर गाँव में मिलते है। 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या उत्तरप्रदेश में 6663 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 15577 है। अधिकांश शहरी क्षेत्रों में रहते है। पुरूष शराब पीते हैं। इनका गोत्र सिंह हैं अपने को राजपूत बताते हैं। शादी अपने गाँव में करते हैं किंतु गोत्र छोड़कर। स्त्रियाँ शीशे के बर्तन, अंगूठी सर पर रखकर बेचती हैं ये हिंदू रीति—रिवाज मानते हैं। ये भूमिहीन खतिहर मजदूर है। थोड़ी बहुत खेती है। कहीं—कहीं चोरी, डकैती, छिनौती और धोखाधड़ी भी करते रहे हैं। यह पूर्व अपराधीन जाति है। अंग्रेजों की सेना में भी भरती होते थे। आर्य समाज और हरिजन सेवक संघ ने इन्हें पुनर्वासित किया। कुछ मजदूरी भी करते हैं।

बौरिया:— यह पासी उपजाति थी, किंतु अब अलग जाति है। इनके निवास कानुपर और हरदोई जिले मुख्य हैं बाराबंकी, फैजाबाद और गोंडा जिलों में भी मिलते है। उत्तर प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 4952 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 6373 हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रहते हैं। ये शराब बहुत पीते है। अपने नाम के सामने रावत, प्रसाद लगाते हैं। इनमें हिंदू रीति रिवाज हैं। ये भूमिहीन होते हैं। कृषि मजदूर, पशुपालक हैं सरकार की सेवाओं में भी जाते हैं। कोटवाधाम (बाराबंकी) और अयोध्या इनके मुख्य धार्मिक स्थान है।

कोरवा:— कोरवा का विश्वास है कि ईश्वर की सृष्टि रचना के साथ ही उनकी उत्पत्ति हुई कुछ कोरवा को द्रविरियन शब्द "कु" से मानते हैं जिसका अर्थ पृथ्वी या पर्वत हैं दूसरा अर्थ "क्रू" से नक्षत्र लगाते है। यह मिरजापुर, सोनभद्र, ललितपुर, झाँसी, जालौन कानुपर, इटावा, और आगरा में मिलते हैं उत्तरप्रदेश की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 1734 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 5078 हैं। स्त्री—पुरूष मिलकर कोई फैसला लेते हैं। स्त्रियाँ भी आर्थिक स्थिति में सहायक होती है।

ये खेती, शिकार और मजदूरी करते हैं। तेंदू का पत्ता तोड़ते हैं। बहेर्रा इकट्ठा करते हैं ये जंगलों में रहना पसंद करते हैं। यह हिंदू धर्म मानते है। शिक्षा की तरफ इनका आकर्षण बढ़ा है। बच्चे अब पढ़ रहे है।

लालबेगी:— अब यह अपने को बाल्मीकि कहते हैं। यह अपनी जन्मभूमि राजस्थान मानते हैं लालबेगी का अर्थ लालबाग है। अपने नाम के सामने बेगी या बाल्मीकि लगाते है। यह तथा इनकी स्त्रियाँ और बच्चे नगरपालिकाओं में सफाई का कार्य करते हैं। ये हिंदू रीति—रिवाज मानते हैं। बाल्मीकि हिंदू धर्म और लालबेगी इस्लाम धर्म मानते है। 2001 की जनगणना में इनकी जनसंख्या 5806 है।

मजहबी:— इन्हें चुद्दा या कहड़ा भी कहते है। यह अपने को जीवन रंगरेता से सम्बद्ध मानते हैं जिन्होनें राजा रणजीत सिंह के समय में सिक्ख धर्म अपनाया था। धर्म परिवर्तन के पूर्व ये बाल्मीकि थे। ये लोग रामपुर, नैनीताल, पीलीभीत जिलों में फैले हुए है। उत्तर प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 2681 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 17331 है। ये हिंदी —पंजाबी बोलते है। साइकिल मरम्मत, कृषि मजदूरी, खेती और कुछ दूसरे व्यवसाय भी करते हैं, शिक्षा नहीं के बराबर है।

पंखा या पनिका:— यह ढुलाई करने वाली जाति हैं इसे पनिखा या कोट्टावर भी कहते हैं यह औरों के लिए पानी ढुलाई का काम करते हैं और दूसरों के लिए पंखे तैयार करते हैं। इसलिए इन्हें ढोने वाला या पंखा बनाने वाली जाति नाम दिया गया हैं। यह मिर्जापुर, सोनभद्र और इलाहाबाद जिलों में मिलते हैं। उत्तरप्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 3783 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 21772 है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। स्त्री—पुरुष दोनों शराब, बीड़ी सिगरेट पीते हैं। गाय का माँस खाते थे। यह नाम के आगे पनिका या पनिखा लगाते हैं। खेती और ढुलाई इनका खानदानी कार्य है। इसके अलावा व्यापार सरकारी, गैरसरकारी नौकरी करना, कुशल, अकुशल मजदूरी करते हैं। ओझाई कराते हैं। स्त्री—पुरुष साथ—साथ लोकनृत्य और गीत गाते हैं, तथा बाजा बजाते हैं बालक और बालिकाओं को अब शिक्षा देने लगे हैं।

परहिया :— कहा जाता हैं कि राजमहल पर्वतीय भाग बंगाल में मूल निवास होने के कारण इन्हें

परियाह अथवा परहिया कहने लगे। कुछ लोगों का विचार है कि बहुत बड़ा ढोल बजाने का काम करते थे इसलिए इन्हें यह नाम मिला।

ये सोनभद्र जिले में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 1072 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 6513 है। यह हुक्का तंबाकू पीते हैं। बाल–विवाह, दहेज विवाह, विच्छेद विवाह, पुनर्विवाह की प्रथा हैं इनकी स्त्रियाँ खेती काकार्य करती हैं। पशुपालन, मत्स्यपालन, ईंधन एकत्रित करना, पीने का पानी भी लाती है, सामाजिक कार्यो में बढ़–चढ़ कर भाग लेती हैं, यह वनों के पास की भूमि में रहना पंसद करते हैं। खेत मजदूर हैं तथ दूसरे उद्योग धंधे करते हैं। शिक्षा की तरफ इनका रूझान बढ़ा हे। मजदूरी भी करते हैं।

पतरी:— माना जाता हैं कि यह गोंड राजा के यह सलाहकार थे। इन्हें मझवार की एक शाखा भी माना जाता हैं ये मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में मिलते हैं। उत्तरप्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 1257 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 2664 है। पतरी शब्द पटवारी से बना हैं जो गाँव का एक कर्मचारी होता हैं, पुरूष बीड़ी, तंबाकू, शराब, सिगरेट पीते हैं विशेष अवसरों पर स्त्रियां भी शराब पीती हैं। ये खेती, पशुपालन करते हैं। आजकल मजदूरी, व्यापार उद्योग धंधे भी करने लगे हैं। इनकी जातीय पंचायतें हैं। हिंदू देवी–देवता मानते हैं। भगवती, भद्रकाली की पूजा करते है। इनके बच्चों में शिक्षा बढ़ रही है।

सहरिया:— इन्हें रावत, सहोरिया, साहोरिया, बनरावत, सुरानिया, और सोरोरेन भी कहते है। ये ललितपुर जिले में मिलते हैं। इनको सहरा (जंगल) में रहने के कारण सहरिया कहते है। ये कोल, मुंडा, क्रक, भील, भुइया, जैसी जाति हैं। उत्तरप्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 21902 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 29320 है। पहले यह बिना कमीज के धोती पहनते थे यह खेत मजदूरी, लकड़ी कटाई, शहद इकट्ठा करना, टोकरी बनाना, खानों में काम करना, पत्थर तोड़ना आदि काम करते हैं। शिक्षा की कमी है। कुछ जातियों से यह अपने को ऊँचा समझते हैं। हिंदू धर्म के देवी देवता पूजते है।

साँसिया:— यह एक ऐसी जाति है जो संगीत यंत्रों को सांसी नामक औजार से ठीक करते है। इसलिए इन्हे साँसिया कहते हैं। यह गजनी से भटनार और चित्तौड़गढ़ आए। उत्तरप्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 757 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 6660 है। यह मेरठ, मुजफ्फर नगर और मुरादाबाद जिलों में मिलते हैं। ये भूमिहीन खेत मजदूर हैं कुछ और अस्थायी मजदूर हैं कुछ कारीगरी भी करते हैं। ये हिंदू धर्म मानते हैं। अब ये शिक्षा की तरफ उन्मुख हुये हैं।

बहेलिया:— इन्हें अहूलिया भी कहते हैं अपने नाम के सामने ये राना लगाते हैं ये अपने को शिशोदिया राजपूत चित्तौड़गढ़ से संबद्ध मानते हैं इनका विश्वास है। कि राणा प्रताप की पराजय के बाद वे जंगलों में तरफ भाग गए। ये पक्षी पकड़ने और शहद इकट्ठा करने का काम करते है। 1981 की जनगणना के अनुसार उत्तरप्रदेश में इनकी जनसंख्या 57470 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 85227 है। ये पशुपालन करते हैं खेती भी करते हैं कुछ उद्योग धंधे भी करते है ये कई भागों में बंटे है जैसे– सिसोदिया, गहलोत, क्राउल, अहेरिया और पासी। विवाह में दहेज चलना है। पुनर्विवाह भी होते हैं अब यह पंखा बनाना, रिक्शा चलाना, सब्जी बेचना, लकड़ी चीरना, ब्रश बनाना आदि काम करने लगे हैं। ये हिंदू धर्म मानते हैं।

बलाई:— यह मीना भी कहलाते जाते है। ये अपने को राजस्थान से आया हुआ मानते हैं पहले ये मथुरा आए, वहां से अन्यत्र फैले। 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या उत्तरप्रदेश में 1321 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 2288 है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अपने नाम के सामने मीना लगाते है। यह पुनर्विवाह और विधवा विवाह करते हैं। हिंदू रीति—रिवाज मानते हैं। अधिकांश भूमिहीन हैं। खेतों पर यह मजदूरी करते हैं। सरकारी और गैर—सरकारी सेवाओं में नौकरी भी करते हैं। उद्योगों में भी काम करते हैं। कुछ व्यापार भी करते हैं ये बच्चों को शिक्षा के पक्ष में हैं।

बावरिया:— ये मुजफ्फर नगर में मिलते हैं उत्तरप्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 4893 तथा 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 7019 है। इनका कहना है। कि यह चित्तौड़ से विस्थापित होकर दिल्ली आए। ये पहले एक बावड़ी के किनारे रूके। उसी के नाम पर इनको बावरिया कहा जाने लगा। यह राजपूतों से अपना संबंध मानते हैं ये सुभाव को शिकारी और अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। ये खेती करते है। दूसरों के यहां खेतों पर मजदूरी करते हैं। ये सरकारी सेवाओं में भीं हैं पशुपालन, कृषि यंत्रों का निर्माण झोपड़ी बनाने का कार्य को भी करते हैं।

उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ

उत्तर प्रदेश में केवल पाँच अनुसूचित जनजातियाँ हैं।[24] यह अधिकांश जातियाँ अब उत्तराचंल में निवास करती है।

1—थार
2—भुक्सा
3—भौटिया
4—राजी
5—जौनसारी

उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों की सूची

अधिसूचना संख 1914/सत्रह —बि—1—1 (क) 30—1989 दिनांक 06.10.1989 द्वारा निर्धारित पिछड़ी जातियों[25] की सूची निम्नलिखित हैं।

1—अहीर
2—अरख
3—काछी
4—कहार
5—केवल या मल्लाह
6—किसान
7—कोइरी
8—कुम्हार
9—कुर्मी
10—कम्बोज
11—कसगर
12—कुंजड़ा या राईन
13—गोसाई
14—गूजर
15—गड़रिया
16—गद्दी
17—गिरी
18—चिंकवा (कस्साव)
19—छीपी
20—जोगी
21—झोजा
22—डफाली
23—तमोली
24—तेली
25—दर्जी
26—धीवर
27—नक्काल
28—नट (जो अनुसूचिज जाति में शामिल न हो)
29—नायक
30—फ़कीर

31—बंजारा
32—बढ़ई
33—बारी
34—बैरागी
35—बिंद
36—बियार
37—भर
38—भुर्जी या भड़भूजा
39—भाठियारा
40—माली
41—मनिहार
42—मुराव या मुराई
43—मोमिन (अंसार)
44—मिरासी
45—मुस्लिम कायस्थ
46—नद्दाफ (धुनिया) मन्सूरी
47—गारछा
48—रंगरेज
49—लोध, लोधा, लोधी, लोद, लोधी, राजपूत
50—लोहार
51—लोनिया
52—सोनार
53—स्वीपर(जो अनु0जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो।
54—हलवाई
55—हलवाई
56—हज्जाम (नाई)

उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ी जातियाँ—

उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ी जातियाँ की पहचान के लिए डा0 छेदी लाल साथी आयोग ने प्रदेश की 40 जातियों को इस सूची में रखा है। साथी आयोग ने काका कालेलकर आयोग से इसमें 27 जातियाँ रखी हैं।[26] शेष 13 जातियों को उन्होंने उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों की सूची में छांटा है, पूरी सूची निम्नलिखित है।

1—अहिरवासी
2—बंजारा / कूटा
3—बारी
4—बिंद
5—मल्लाह या केवट, चाई, सोहरिया, नाविक
6—डफाली
7—दलेरा
8—धरही या पंवरिया, तंवर, सिंघारिया
9—धीमर या धीवर
10—गड़रिया या गौरिया
11—गंधीला
12—कहार या धारक या कामकार
13—हलालखोर
14—कबड़िया
15—कनेरा या खंगार
16—कीर या किरार
17—नुनिया / लोनिया
18—मांझी
19—मिरासी
20—मेवाती
21—नायक
22—नक्काल
23—नियारिया
24—रमैया
25—रावा
26—सोयरी
27—बियार
28—नाई
29—कुम्हार
30—माली या सैनी
31—भर या राजभर
32—बढ़ई
33—लोहार
34—काछी

35—भुर्जी या भड़भुजा
36—मुसलिम धोबी
37—पटुवा
38—भिश्ती
39—तुरहा

उत्तर प्रदेश में दलित जातियों का जनपदीय आधार पर सर्वेक्षणात्मक अध्ययन—

उत्तर प्रदेश में जनसंख्या 1971 से प्रति 10 वर्ष के बाद कुल जनसंख्या और उसमें अनुसूतिचत जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2001 तक निम्न प्रकार रही है।

सन	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या
1971	88341144	18549916	198565
1981	110832013	23453339	232705
1991	139112287	29276455	287901
2001	166197921	35148377	107963

उत्तर प्रदेश की जंनगणना वर्ष 2001 के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का विस्तृत रूप निम्निलिखित है।

जनसंख्या[27]	
कुल व्यक्ति	166197921
कुल पुरूष	87565369
कुल स्त्री	78632552
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)[28]	
कुल व्यक्ति	35148377
कुल पुरूष	18502838
कुल स्त्री	16645539
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)[29]	
कुल व्यक्ति	107963
कुल पुरूष	55834
कुल स्त्री	52129

उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनंसख्या निम्नलिखित है।

1—सहारनपुर

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	2896863
पुरूष (व्यक्ति)	1553322
स्त्री (व्यक्ति)	1343541
कुल जनसंख्या (अनुसूवित जाति)	629350
पुरूष (अनुसूचित जाति)	338440
स्त्री (अनुसूचित जाति)	290910
कुल जनंसख्या (अनुसूचित जनजाति)	498
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	279
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	219

2— मुजफ्फर नगर—

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	3543362
पुरूष (व्यक्ति)	1893832
स्त्री (व्यक्ति)	1649530
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	0478324
पुरूष (अनुसूचित जाति)	0257135
स्त्री (अनुसूचित जाति)	0221189
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	087
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	042
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	045

3— बिजनौर

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	3131619
पुरूष (व्यक्ति)	1651908
स्त्री (व्यक्ति)	1479711
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	655806
पुरूष (अनुसूचित जाति)	348650
स्त्री (अनुसूचित जाति)	307156
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	2427
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	1279
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	1148

4— मुरादाबाद—

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	3810983
पुरूष (व्यक्ति)	2032302
स्त्री (व्यक्ति)	1778681
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	604253
पुरूष (अनुसूचित जाति)	324631
स्त्री (अनुसूचित जाति)	279622
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	304
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	162
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	142

5— रामपुर

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	1923739
पुरूष (व्यक्ति)	1023775
स्त्री (व्यक्ति)	899964
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	257365
पुरूष (अनुसूचित जाति)	137704
स्त्री (अनुसूचित जाति)	119661
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	358
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	237
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	121

6— ज्योतिबा फूले नगर—

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	1499068
पुरूष (व्यक्ति)	795228
स्त्री (व्यक्ति)	703840
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	258857
पुरूष (अनुसूचित जाति)	137571
स्त्री (अनुसूचित जाति)	121286
कुल जनंसख्या (अनुसूचित जनजाति)	024
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	014
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	010

7— मेरठ

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	2997361
पुरूष (व्यक्ति)	1601578
स्त्री (व्यक्ति)	1395783
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	552692
पुरूष (अनुसूचित जाति)	296882
स्त्री (अनुसूचित जाति)	255810
कुल जनंसख्या (अनुसूचित जनजाति)	236
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	112
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	124

8— बागपत

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	1163991
पुरूष (व्यक्ति)	630077
स्त्री (व्यक्ति)	533914
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	127813
पुरूष (अनुसूचित जाति)	69389
स्त्री (अनुसूचित जाति)	58424
कुल जनंसख्या (अनुसूचित जनजाति)	48
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	27
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	21

9— गाजियाबाद

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	3290586
पुरूष (व्यक्ति)	1769042
स्त्री (व्यक्ति)	1521544
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	593780
पुरूष (अनुसूचित जाति)	319934
स्त्री (अनुसूचित जाति)	273846
कुल जनंसख्या (अनुसूचित जनजाति)	207
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	112
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	095

10– गौतम बुद्ध नगर

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	1202030
पुरूष (व्यक्ति)	652819
स्त्री (व्यक्ति)	549211
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	196022
पुरूष (अनुसूचित जाति)	105830
स्त्री (अनुसूचित जाति)	90192
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	398
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	214
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	184

11– बुलन्दशहर

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	2913122
पुरूष (व्यक्ति)	1550326
स्त्री (व्यक्ति)	1362796
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	588683
पुरूष (अनुसूचित जाति)	315015
स्त्री (अनुसूचित जाति)	273668
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	188
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	103
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	085

12– अलीगढ़

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	2992286
पुरूष (व्यक्ति)	1607402
स्त्री (व्यक्ति)	1384884
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	634270
पुरूष (अनुसूचित जाति)	340763
स्त्री (अनुसूचित जाति)	293507
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	230
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	126
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	104

13– हाथरस

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	1336031
पुरूष (व्यक्ति)	718930
स्त्री (व्यक्ति)	617101
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	336739
पुरूष (अनुसूचित जाति)	181283
स्त्री (अनुसूचित जाति)	155456
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	069
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	043
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	023

14— मथुरा—

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	2074516
पुरूष (व्यक्ति)	1127512
स्त्री (व्यक्ति)	947004
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	406600
पुरूष (अनुसूचित जाति)	219514
स्त्री (अनुसूचित जाति)	187086
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	231
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	114
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	117

15— आगरा

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	3620436
पुरूष (व्यक्ति)	1961282
स्त्री (व्यक्ति)	1659154
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	788395
पुरूष (अनुसूवित जाति)	427324
स्त्री (अनुसूचित जाति)	361070
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	866
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	454
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	412

16— फिरोजाबाद

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	2052958
पुरूष (व्यक्ति)	1108668
स्त्री (व्यक्ति)	944290
कुल जनसंख्या (अनुसूचित ज़ाति)	387047
पुरूष (अनुसूचित जाति)	209651
स्त्री (अनुसूचित जाति)	177396
कुल जनंसख्या (अनुसूचित जनजाति)	193
पुरूष (अनुसूचित ज़नजाति)	104
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	089

17— एटा

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	2790410
पुरूष (व्यक्ति)	1509199
स्त्री (व्यक्ति)	1281211
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	478665
पुरूष (अनुसूचित जाति)	259626
स्त्री (अनुसूचित जाति)	219039
कुल जनंसख्या (अनुसूचित जनजाति)	030
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	016
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	014

18— मैनपुरी

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	1596718
पुरूष (व्यक्ति)	859934
स्त्री (व्यक्ति)	736784
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	308390
पुरूष (अनुसूचित जाति)	166886
स्त्री (अनुसूचित जाति)	141504
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	710
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	368
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	342

19— बरेली

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	3618589
पुरूष (व्यक्ति)	1934119
स्त्री (व्यक्ति)	1684470
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	457771
पुरूष (अनुसूचित जाति)	246091
स्त्री (अनुसूचित जाति)	211680
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	375
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	205
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	170

20— पीलीभीत

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	1645183
पुरूष (व्यक्ति)	876368
स्त्री (व्यक्ति)	768815
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	250495
पुरूष (अनुसूचित जाति)	133828
स्त्री (अनुसूचित जाति)	116667
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	1793
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	938
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	855

21— शाहजहाँपुर

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	2547855
पुरूष (व्यक्ति)	1383408
स्त्री (व्यक्ति)	1164447
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	451492
पुरूष (अनुसूचित जाति)	245812
स्त्री (अनुसूचित जाति)	205680
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	097
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	048
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	049

22— लखीमपुर खीरी

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	3207232
पुरूष (व्यक्ति)	1713908
स्त्री (व्यक्ति)	1493324
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	820359
पुरूष (अनुसूचित जाति)	437094
स्त्री (अनुसूचित जाति)	383265
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	37949
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	19353
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	18596

23— सीतापुर

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	3619661
पुरूष (व्यक्ति)	1941374
स्त्री (व्यक्ति)	1678287
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	1153626
पुरूष (अनुसूचित जाति)	619501
स्त्री (अनुसूचित जाति)	534125
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	367
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	191
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	176

24— हरदोई

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	3398306
पुरूष (व्यक्ति)	1842698
स्त्री (व्यक्ति)	1555608
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	1065848
पुरूष (अनुसूचित जाति)	584638
स्त्री (अनुसूचित जाति)	484210
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	203
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	106
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	97

25— उन्नाव

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	2700324
पुरूष (व्यक्ति)	1422509
स्त्री (व्यक्ति)	1277815
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	827255
पुरूष (अनुसूचित जाति)	432367
स्त्री (अनुसूचित जाति)	394888
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	957
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	521
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	436

26— लखनऊ

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	3647834
पुरूष (व्यक्ति)	1932317
स्त्री (व्यक्ति)	1715517
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	776502
पुरूष (अनुसूचित जाति)	410227
स्त्री (अनुसूचित जाति)	366275
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	2868
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	1527
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	1341

27— रायबरेली

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	2872335
पुरूष (व्यक्ति)	1472230
स्त्री (व्यक्ति)	1400105
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	856749
पुरूष (अनुसूचित जाति)	435161
स्त्री (अनुसूचित जाति)	421588
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	1802
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	927
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	875

28— फर्रुखाबाद

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	1570408
पुरूष (व्यक्ति)	849800
स्त्री (व्यक्ति)	720608
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	258080
पुरूष (अनुसूचित जाति)	140497
स्त्री (अनुसूचित जाति)	117583
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	911
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	479
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	432

29— कन्नौज

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	1388923
पुरूष (व्यक्ति)	744170
स्त्री (व्यक्ति)	644753
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	256038
पुरूष (अनुसूचित जाति)	138808
स्त्री (अनुसूचित जाति)	117230
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	047
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	023
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	024

30— इटावा

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	1338871
पुरूष (व्यक्ति)	720749
स्त्री (व्यक्ति)	618122
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	313470
पुरूष (अनुसूचित जाति)	170172
स्त्री (अनुसूचित जाति)	143298
कुल जनंसख्या (अनुसूचित जनजाति)	016
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	012
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	004

31— औरैया

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	1179993
पुरूष (व्यक्ति)	635762
स्त्री (व्यक्ति)	544231
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	326788
पुरूष (अनुसूचित जाति)	178101
स्त्री (अनुसूचित जाति)	148687
कुल जनंसख्या (अनुसूचित जनजाति)	068
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	045
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	023

32— कानपुर देहात

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	1563336
पुरूष (व्यक्ति)	844339
स्त्री (व्यक्ति)	718997
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	388419
पुरूष (अनुसूचित जाति)	211051
स्त्री (अनुसूचित जाति)	177368
कुल जनंसख्या (अनुसूचित जनजाति)	382
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	186
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	196

33— कानपुर नगर

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	4167999
पुरूष (व्यक्ति)	2247216
स्त्री (व्यक्ति)	1920783
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	685809
पुरूष (अनुसूचित जाति)	369488
स्त्री (अनुसूचित जाति)	316321
कुल जनंसख्या (अनुसूचित जनजाति)	2051
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	1078
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	973

34— जालौन

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	1454452
पुरूष (व्यक्ति)	786641
स्त्री (व्यक्ति)	667811
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	393307
पुरूष (अनुसूचित जाति)	214871
स्त्री (अनुसूचित जाति)	178436
कुल जनसख्या (अनुसूचित जनजाति)	140
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	68
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	72

35— झाँसी

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	1744931
पुरूष (व्यक्ति)	982818
स्त्री (व्यक्ति)	812113
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	489763
पुरूष (अनुसूचित जाति)	261406
स्त्री (अनुसूचित जाति)	228357
कुल जनंसख्या (अनुसूचित जनजाति)	1070
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	566
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	504

36— ललितपुर

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	977734
पुरूष (व्यक्ति)	519413
स्त्री (व्यक्ति)	458321
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	243788
पुरूष (अनुसूचित जाति)	128821
स्त्री (अनुसूचित जाति)	114967
कुल जनंसख्या (अनुसूचित जनजाति)	02
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	02
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	00

37— हमीरपुर

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	1043724
पुरूष (व्यक्ति)	563801
स्त्री (व्यक्ति)	479923
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	237902
पुरूष (अनुसूचित जाति)	129427
स्त्री (अनुसूचित जाति)	108475
कुल जनंसख्या (अनुसूचित जनजाति)	166
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	93
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	73

38– महोबा

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	708447
पुरूष (व्यक्ति)	379691
स्त्री (व्यक्ति)	328756
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	182614
पुरूष (अनुसूचित जाति)	97674
स्त्री (अनुसूचित जाति)	84940
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	065
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	32
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	33

39– बांदा

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	1537334
पुरूष (व्यक्ति)	826544
स्त्री (व्यक्ति)	710790
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	320226
पुरूष (अनुसूचित जाति)	172542
स्त्री (अनुसूचित जाति)	147684
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	054
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	026
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	028

40– चित्रकूट

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	766225
पुरूष (व्यक्ति)	409178
स्त्री (व्यक्ति)	357047
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	201839
पुरूष (अनुसूचित जाति)	106811
स्त्री (अनुसूचित जाति)	095028
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	01
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	01
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	00

41– फतेहपुर

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	2308384
पुरूष (व्यक्ति)	1219602
स्त्री (व्यक्ति)	1088782
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	578070
पुरूष (अनुसूचित जाति)	308463
स्त्री (अनुसूचित जाति)	273607
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	467
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	247
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	225

42— प्रतापगढ़

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	2731174
पुरूष (व्यक्ति)	1362948
स्त्री (व्यक्ति)	1368226
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	601043
पुरूष (अनुसूचित जाति)	295359
स्त्री (अनुसूचित जाति)	305684
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	159
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	077
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	082

43— कौशाम्बी

कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	1293154
पुरूष (व्यक्ति)	682290
स्त्री (व्यक्ति)	610464
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	466853
पुरूष (अनुसूचित जाति)	244354
स्त्री (अनुसूचित जाति)	222499
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	086
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	047
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	039

44— इलाहाबाद

कुल जनसंख्या (सामान्य)	4936105
पुरूष (व्यक्ति)	2626448
स्त्री (व्यक्ति)	2309657
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	1065097
पुरूष (अनुसूचित जाति)	561115
स्त्री (अनुसूचित जाति)	503982
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	4273
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	2337
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	1936

45— बाराबंकी

कुल जनसंख्या (सामान्य)	2673581
पुरूष (व्यक्ति)	1416921
स्त्री (व्यक्ति)	1256660
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	718897
पुरूष (अनुसूचित जाति)	380469
स्त्री (अनुसूचित जाति)	338428
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	456
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	235
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	221

46— फैजाबाद

कुल जनसंख्या (सामान्य)	2088928
पुरूष (व्यक्ति)	1077472
स्त्री (व्यक्ति)	1011456
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	471836
पुरूष (अनुसूचित जाति)	241212
स्त्री (अनुसूचित जाति)	230627
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	190
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	088
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	102

47— अम्बेडकर नगर

कुल जनसंख्या (सामान्य)	2026876
पुरूष (व्यक्ति)	1024953
स्त्री (व्यक्ति)	1001923
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	495375
पुरूष (अनुसूचित जाति)	248385
स्त्री (अनुसूचित जाति)	246990
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	143
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	082
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	061

48— सुल्तानपुर—

कुल जनसंख्या (सामान्य)	3214832
पुरूष (व्यक्ति)	1623819
स्त्री (व्यक्ति)	1591013
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	715297
पुरूष (अनुसूचित जाति)	362641
स्त्री (अनुसूचित जाति)	352656
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	466
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	235
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	231

49— बहराइच

कुल जनसंख्या (सामान्य)	2381072
पुरूष (व्यक्ति)	1275251
स्त्री (व्यक्ति)	1105721
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	342747
पुरूष (अनुसूचित जाति)	184717
स्त्री (अनुसूचित जाति)	158030
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	8558
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	4220
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	4338

50— श्रावस्ती

कुल जनसंख्या (सामान्य)	1176391
पुरूष (व्यक्ति)	631916
स्त्री (व्यक्ति)	544479
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	216352
पुरूष (अनुसूचित जाति)	117325
स्त्री (अनुसूचित जाति)	99027
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	4750
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	2420
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	2330

51— बलरामपुर

कुल जनसंख्या (सामान्य)	1682350
पुरूष (व्यक्ति)	887939
स्त्री (व्यक्ति)	749411
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	226753
पुरूष (अनुसूचित जाति)	121676
स्त्री (अनुसूचित जाति)	105077
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	19347
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	10130
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	9217

52— गोण्डा

कुल जनसंख्या (सामान्य)	2765586
पुरूष (व्यक्ति)	1451101
स्त्री (व्यक्ति)	1314485
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	433491
पुरूष (अनुसूचित जाति)	227851
स्त्री (अनुसूचित जाति)	205640
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	182
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	104
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	078

53— सिद्धार्थ नगर

कुल जनसंख्या (सामान्य)	2040085
पुरूष (व्यक्ति)	1047165
स्त्री (व्यक्ति)	992920
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	337311
पुरूष (अनुसूचित जाति)	173859
स्त्री (अनुसूचित जाति)	163442
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	228
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	125
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	103

54— बस्ती

कुल जनसंख्या (सामान्य)	2084814
पुरूष (व्यक्ति)	1075765
स्त्री (व्यक्ति)	1009049
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	435082
पुरूष (अनुसूचित जाति)	224685
स्त्री (अनुसूचित जाति)	219397
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	235
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	122
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	113

55— संत कबीर नगर

कुल जनसंख्या (सामान्य)	1420226
पुरूष (व्यक्ति)	719465
स्त्री (व्यक्ति)	70071
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	300902
पुरूष (अनुसूचित जाति)	152516
स्त्री (अनुसूचित जाति)	148386
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	307
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	161
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	146

56— महाराज गंज

कुल जनसंख्या (सामान्य)	2173878
पुरूष (व्यक्ति)	1124290
स्त्री (व्यक्ति)	1049588
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	424190
पुरूष (अनुसूचित जाति)	217875
स्त्री (अनुसूचित जाति)	206315
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	2564
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	1342
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	1222

57— गोरखपुर

कुल जनसंख्या (सामान्य)	3769456
पुरूष (व्यक्ति)	1923197
स्त्री (व्यक्ति)	1846259
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	831070
पुरूष (अनुसूचित जाति)	421449
स्त्री (अनुसूचित जाति)	409621
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	898
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	472
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	426

58— कुशीनगर

कुल जनसंख्या (सामान्य)	2893196
पुरूष (व्यक्ति)	1473637
स्त्री (व्यक्ति)	1419559
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	524149
पुरूष (अनुसूचित जाति)	266320
स्त्री (अनुसूचित जाति)	257829
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	419
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	199
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	220

59— देवरिया

कुल जनसंख्या (सामान्य)	2712650
पुरूष (व्यक्ति)	1355023
स्त्री (व्यक्ति)	1357627
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	493344
पुरूष (अनुसूचित जाति)	246895
स्त्री (अनुसूचित जाति)	246449
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	533
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	270
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	263

60— आजमगढ़

कुल जनसंख्या (सामान्य)	3939916
पुरूष (व्यक्ति)	1950415
स्त्री (व्यक्ति)	1989501
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	1013801
पुरूष (अनुसूचित जाति)	497014
स्त्री (अनुसूचित जाति)	516787
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	700
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	359
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	341

61— मऊ

कुल जनसंख्या (सामान्य)	1853997
पुरूष (व्यक्ति)	933523
स्त्री (व्यक्ति)	920474
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	421677
पुरूष (अनुसूचित जाति)	211599
स्त्री (अनुसूचित जाति)	210078
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	429
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	202
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	227

62— बलिया

कुल जनसंख्या (सामान्य)	2761620
पुरूष (व्यक्ति)	1413774
स्त्री (व्यक्ति)	1347846
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	454647
पुरूष (अनुसूचित जाति)	233722
स्त्री (अनुसूचित जाति)	220925
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	273
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	136
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	137

63— जौनपुर

कुल जनसंख्या (सामान्य)	3911679
पुरूष (व्यक्ति)	1941903
स्त्री (व्यक्ति)	1969776
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	857883
पुरूष (अनुसूचित जाति)	426291
स्त्री (अनुसूचित जाति)	431592
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	376
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	200
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	176

64— गाजीपुर

कुल जनसंख्या (सामान्य)	2804212
पुरूष (व्यक्ति)	1414994
स्त्री (व्यक्ति)	1389218
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	624327
पुरूष (अनुसूचित जाति)	316791
स्त्री (अनुसूचित जाति)	307536
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	253
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	132
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	121

65— चंदौली

कुल जनसंख्या (सामान्य)	1643251
पुरूष (व्यक्ति)	855123
स्त्री (व्यक्ति)	788128
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	399174
पुरूष (अनुसूचित जाति)	208061
स्त्री (अनुसूचित जाति)	191113
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	253
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	131
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	122

66— वाराणसी

कुल जनसंख्या (सामान्य)	3138671
पुरूष (व्यक्ति)	1649187
स्त्री (व्यक्ति)	1489484
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	435545
पुरूष (अनुसूचित जाति)	228734
स्त्री (अनुसूचित जाति)	206811
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	769
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	422
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	347

67— भदोही (संत रविदास नगर)

कुल जनसंख्या (सामान्य)	1353705
पुरूष (व्यक्ति)	705997
स्त्री (व्यक्ति)	647708
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	292747
पुरूष (अनुसूचित जाति)	154402
स्त्री (अनुसूचित जाति)	138345
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	225
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	123
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	102

68— मिर्जापुर

कुल जनसंख्या (सामान्य)	2116042
पुरूष (व्यक्ति)	1115249
स्त्री (व्यक्ति)	1000793
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	566160
पुरूष (अनुसूचित जाति)	298714
स्त्री (अनुसूचित जाति)	267446
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	1302
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	667
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	635

69— सोनभद्र

कुल जनसंख्या (सामान्य)	1463519
पुरूष (व्यक्ति)	770897
स्त्री (व्यक्ति)	692622
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	613497
पुरूष (अनुसूचित जाति)	318458
स्त्री (अनुसूचित जाति)	295039
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	493
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	249
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	244

70— बदाँयू

कुल जनसंख्या (सामान्य)	3069426
पुरूष (व्यक्ति)	1666669
स्त्री (व्यक्ति)	1402757
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	524684
पुरूष (अनुसूचित जाति)	284722
स्त्री (अनुसूचित जाति)	239962
कुल जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति)	106
पुरूष (अनुसूचित जनजाति)	53
स्त्री (अनुसूचित जनजाति)	53

उपरोक्त सारिणी से शोध का मूल उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर एक विहंगम दृष्टि डालना है। जिससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक परिवेश में उपरोक्त वर्ग की कितनी बड़ी हिस्सेदारी एवं सहभागिता है। वर्तमान तथा भविष्य से इन वर्गों के नजर अंदाज कर सामाजिक संतुलन बनाये रखाने असंभव होगा।

डॉ0 बीरेन्द्र के अनुसार आज का दलित मानवीय संवेदनाओं, समतामूलक समाज की स्थापना, स्वतन्त्रा के अधिकार पारस्परिक बंधत्व भाव उत्पन्न करने और वर्ण व्यवस्था से मुक्त होकर जीवन जीनें के सरोंकारों को मानता है। इन्हीं विचारों केन्द्र में रखकर दलित अपनी पहचान तलाशना चाहता है। वास्तविकता यह है कि जीवन की इस जद्दोजहद में दलित अभिव्यक्ति को सामाजिक उत्तरदायित्व से धनिष्ठ रूप से जोड़ा है इसे एक मुक्ति संघर्ष भी माना जा सकता है।[29(अ)]

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	सभी अनुसूचित जातियां All Scheduled Castes			अगरिया Agariya		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य0/P	35,148,377	30,816,596	4,331,781	18,678	17,396	1,282
	पु0/M	18,502,838	16,184,840	2,317,998	9,684	9,012	672
	स्त्रि0/F	16,645,539	14,631,756	2,013,783	8,994	8,384	610
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य0/P	7,234,774	6,482,252	752,522	4,502	4,234	268
	पु0/M	3,748,081	3,352,221	395,860	2,268	2,127	141
	स्त्रि0/F	3,486,693	3,130,031	356,662	2,234	2,107	127
3. साक्षर Literates	व्य0/P	12,916,266	10,834,212	2,082,054	3,064	2,618	446
	पु0/M	8,903,419	7,575,603	1,327,816	2,280	1,992	288
	स्त्रि0/F	4,012,847	3,258,609	754,238	784	626	158
4. कुल कर्मी Total workers	व्य0/P	12,194,790	11,020,178	1,174,612	7,252	6,885	367
	पु0/M	8,672,403	7,674,217	998,186	4,748	4,432	316
	स्त्रि0/F	3,522,387	3,345,961	176,426	2,504	2,453	51
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य0/P	7,949,207	7,012,503	936,704	4,397	4,110	287
	पु0/M	6,690,693	5,861,604	829,089	3,485	3,221	264
	स्त्रि0/F	1,258,514	1,150,899	107,615	912	889	23
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	3,142,828	3,108,273	34,555	1,537	1,519	18
	पु0/M	2,746,921	2,716,344	30,577	1,315	1,299	16
	स्त्रि0/F	395,907	391,929	3,978	222	220	2
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	2,386,635	2,320,860	65,775	1,730	1,706	24
	पु0/M	1,876,948	1,820,438	56,510	1,170	1,154	16
	स्त्रि0/F	509,687	500,422	9,265	560	552	8
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	350,092	288,206	61,886	213	151	62
	पु0/M	258,036	211,952	46,084	204	143	61
	स्त्रि0/F	92,056	76,254	15,802	9	8	1
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	2,069,652	1,295,164	774,488	917	734	183
	पु0/M	1,808,788	1,112,870	695,918	796	625	171
	स्त्रि0/F	260,864	182,294	78,570	121	109	12
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य0/P	4,245,583	4,007,675	237,908	2,855	2,775	80
	पु0/M	1,981,710	1,812,613	169,097	1,263	1,211	52
	स्त्रि0/F	2,263,873	2,195,062	68,811	1,592	1,564	28
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	628,684	623,977	4,707	347	345	2
	पु0/M	196,429	194,323	2,106	128	126	2
	स्त्रि0/F	432,255	429,654	2,601	219	219	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	2,797,793	2,746,663	51,130	2,049	2,029	20
	पु0/M	1,281,587	1,250,945	30,642	853	844	9
	स्त्रि0/F	1,516,206	1,495,718	20,488	1,196	1,185	11
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	180,329	156,726	23,603	82	79	3
	पु0/M	68,306	58,016	10,290	54	52	2
	स्त्रि0/F	112,023	98,710	13,313	28	27	1
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	638,777	480,309	158,468	377	322	55
	पु0/M	435,388	309,329	126,059	228	189	39
	स्त्रि0/F	203,389	170,980	32,409	149	133	16
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य0/P	22,953,587	19,796,418	3,157,169	11,426	10,511	915
	पु0/M	9,830,435	8,510,623	1,319,812	4,936	4,580	356
	स्त्रि0/F	13,123,152	11,285,795	1,837,357	6,490	5,931	559

टिप्पणी/Note:'सभी अनुसूचित जातियां' में 'अवर्गीकृत' के आंकड़े भी सम्मिलित है।/ 'All Scheduled Castes' includes figures for 'Unclassified'.
अनुसूचित जातियां जिनकी संख्या 'शून्य' है, नही दर्शायी गई हैं।/ Scheduled Castes having 'NIL' return are not shown.

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	बधिक Badhik			बादी Badi		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य0/P	11,142	8,463	2,679	11,721	10,638	1,083
	पु0/M	5,861	4,443	1,418	6,197	5,615	582
	स्त्रि0/F	5,281	4,020	1,261	5,524	5,023	501
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य0/P	2,423	1,991	432	2,547	2,361	186
	पु0/M	1,238	997	241	1,345	1,247	98
	स्त्रि0/F	1,185	994	191	1,202	1,114	88
3. साक्षर Literates	व्य0/P	3,745	2,572	1,173	3,820	3,331	489
	पु0/M	2,520	1,806	714	2,562	2,271	291
	स्त्रि0/F	1,225	766	459	1,258	1,060	198
4. कुल कर्मी Total workers	व्य0/P	3,206	2,479	727	4,221	3,942	279
	पु0/M	2,630	1,992	638	2,871	2,627	244
	स्त्रि0/F	576	487	89	1,350	1,315	35
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य0/P	2,137	1,679	458	2,903	2,666	237
	पु0/M	1,946	1,529	417	2,333	2,126	207
	स्त्रि0/F	191	150	41	570	540	30
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	767	745	22	798	793	5
	पु0/M	708	687	21	670	667	3
	स्त्रि0/F	59	58	1	128	126	2
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	635	607	28	944	911	33
	पु0/M	593	572	21	735	710	25
	स्त्रि0/F	42	35	7	209	201	8
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	105	64	41	73	61	12
	पु0/M	93	54	39	53	41	12
	स्त्रि0/F	12	10	2	20	20	-
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	630	263	367	1,088	901	187
	पु0/M	552	216	336	875	708	167
	स्त्रि0/F	78	47	31	213	193	20
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य0/P	1,069	800	269	1,318	1,276	42
	पु0/M	684	463	221	538	501	37
	स्त्रि0/F	385	337	48	780	775	5
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	88	88	-	164	162	2
	पु0/M	30	30	-	54	52	2
	स्त्रि0/F	58	58	-	110	110	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	654	627	27	846	835	11
	पु0/M	388	373	15	325	316	9
	स्त्रि0/F	266	254	12	521	519	2
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	31	24	7	79	76	3
	पु0/M	14	11	3	18	16	2
	स्त्रि0/F	17	13	4	61	60	1
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	296	61	235	229	203	26
	पु0/M	252	49	203	141	117	24
	स्त्रि0/F	44	12	32	88	86	2
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य0/P	7,936	5,984	1,952	7,500	6,696	804
	पु0/M	3,231	2,451	780	3,326	2,988	338
	स्त्रि0/F	4,705	3,533	1,172	4,174	3,708	466

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A-10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	बहेलिया Baheliya			बैगा Baiga		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			**UTTAR PRADESH**		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य०/P	118,932	101,865	17,067	26,476	25,981	495
	पु०/M	63,601	54,541	9,060	14,158	13,889	269
	स्त्रि०/F	55,331	47,324	8,007	12,318	12,092	226
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य०/P	26,371	22,869	3,502	6,378	6,270	108
	पु०/M	13,581	11,744	1,837	3,308	3,256	52
	स्त्रि०/F	12,790	11,125	1,665	3,070	3,014	56
3. साक्षर Literates	व्य०/P	34,864	29,373	5,491	3,643	3,515	128
	पु०/M	24,840	21,236	3,604	2,867	2,780	87
	स्त्रि०/F	10,024	8,137	1,887	776	735	41
4. कुल कर्मी Total workers	व्य०/P	38,307	33,313	4,994	8,540	8,366	174
	पु०/M	30,575	26,454	4,121	6,003	5,870	133
	स्त्रि०/F	7,732	6,859	873	2,537	2,496	41
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य०/P	28,020	24,435	3,585	5,002	4,870	132
	पु०/M	25,052	21,858	3,194	4,301	4,199	102
	स्त्रि०/F	2,968	2,577	391	701	671	30
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	13,838	13,553	285	2,314	2,313	1
	पु०/M	12,893	12,621	272	2,123	2,122	1
	स्त्रि०/F	945	932	13	191	191	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	7,730	7,273	457	1,100	1,099	1
	पु०/M	6,638	6,248	390	836	835	1
	स्त्रि०/F	1,092	1,025	67	264	264	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	1,695	1,333	362	99	98	1
	पु०/M	1,284	1,012	272	81	80	1
	स्त्रि०/F	411	321	90	18	18	-
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	4,757	2,276	2,481	1,489	1,360	129
	पु०/M	4,237	1,977	2,260	1,261	1,162	99
	स्त्रि०/F	520	299	221	228	198	30
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य०/P	10,287	8,878	1,409	3,538	3,496	42
	पु०/M	5,523	4,596	927	1,702	1,671	31
	स्त्रि०/F	4,764	4,282	482	1,836	1,825	11
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	1,964	1,888	76	480	480	-
	पु०/M	610	584	26	188	188	-
	स्त्रि०/F	1,354	1,304	50	292	292	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	5,821	5,533	288	2,163	2,159	4
	पु०/M	3,520	3,318	202	903	900	3
	स्त्रि०/F	2,301	2,215	86	1,260	1,259	1
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	943	732	211	93	90	3
	पु०/M	309	236	73	35	32	3
	स्त्रि०/F	634	496	138	58	58	-
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	1,559	725	834	802	767	35
	पु०/M	1,084	458	626	576	551	25
	स्त्रि०/F	475	267	208	226	216	10
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य०/P	80,625	68,552	12,073	17,936	17,615	321
	पु०/M	33,026	28,087	4,939	8,155	8,019	136
	स्त्रि०/F	47,599	40,465	7,134	9,781	9,596	185

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001

A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	बैसवार Baiswar			बजानिया Bajaniya		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
			उत्तर प्रदेश		UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य0/P	12,235	10,466	1,769	1,718	1,576	142
	पु0/M	6,422	5,453	969	875	801	74
	स्त्रि0/F	5,813	5,013	800	843	775	68
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य0/P	2,362	2,100	262	404	365	39
	पु0/M	1,213	1,086	127	199	182	17
	स्त्रि0/F	1,149	1,014	135	205	183	22
3. साक्षर Literates	व्य0/P	5,307	4,292	1,015	356	324	32
	पु0/M	3,859	3,209	650	272	246	26
	स्त्रि0/F	1,448	1,083	365	84	78	6
4. कुल कर्मी Total workers	व्य0/P	4,911	4,420	491	581	522	59
	पु0/M	3,023	2,622	401	436	403	33
	स्त्रि0/F	1,888	1,798	90	145	119	26
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य0/P	2,980	2,538	442	354	315	39
	पु0/M	2,420	2,050	370	303	282	21
	स्त्रि0/F	560	488	72	51	33	18
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	1,895	1,887	8	133	133	-
	पु0/M	1,609	1,603	6	120	120	-
	स्त्रि0/F	286	284	2	13	13	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	382	365	17	101	101	-
	पु0/M	209	194	15	89	89	-
	स्त्रि0/F	173	171	2	12	12	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	58	48	10	18	15	3
	पु0/M	47	41	6	15	13	2
	स्त्रि0/F	11	7	4	3	2	1
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	645	238	407	102	66	36
	पु0/M	555	212	343	79	60	19
	स्त्रि0/F	90	26	64	23	6	17
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य0/P	1,931	1,882	49	227	207	20
	पु0/M	603	572	31	133	121	12
	स्त्रि0/F	1,328	1,310	18	94	86	8
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	985	981	4	24	24	-
	पु0/M	296	295	1	13	13	-
	स्त्रि0/F	689	686	3	11	11	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	804	804	-	139	139	-
	पु0/M	214	214	-	76	76	-
	स्त्रि0/F	590	590	-	63	63	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	43	40	3	6	6	-
	पु0/M	26	24	2	5	5	-
	स्त्रि0/F	17	16	1	1	1	-
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	99	57	42	58	38	20
	पु0/M	67	39	28	39	27	12
	स्त्रि0/F	32	18	14	19	11	8
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य0/P	7,324	6,046	1,278	1,137	1,054	83
	पु0/M	3,399	2,831	568	439	398	41
	स्त्रि0/F	3,925	3,215	710	698	656	42

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	बाजगी Bajgi			बलहार Balahar		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			**UTTAR PRADESH**		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य0/P	640	610	30	7,910	6,460	1,450
	पु0/M	337	321	16	4,184	3,413	771
	स्त्रि0/F	303	289	14	3,726	3,047	679
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य0/P	143	140	3	1,684	1,403	281
	पु0/M	67	66	1	859	719	140
	स्त्रि0/F	76	74	2	825	684	141
3. साक्षर Literates	व्य0/P	189	180	9	2,822	2,233	589
	पु0/M	128	121	7	1,998	1,610	388
	स्त्रि0/F	61	59	2	824	623	201
4. कुल कर्मी Total workers	व्य0/P	202	190	12	2,787	2,352	435
	पु0/M	149	141	8	1,888	1,549	339
	स्त्रि0/F	53	49	4	899	803	96
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य0/P	144	133	11	1,689	1,361	328
	पु0/M	134	126	8	1,412	1,129	283
	स्त्रि0/F	10	7	3	277	232	45
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	14	13	1	518	497	21
	पु0/M	11	11	-	448	429	19
	स्त्रि0/F	3	2	1	70	68	2
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	20	20	-	477	462	15
	पु0/M	16	16	-	398	383	15
	स्त्रि0/F	4	4	-	79	79	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	1	1	-	80	70	10
	पु0/M	1	1	-	69	60	9
	स्त्रि0/F	-	-	-	11	10	1
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	109	99	10	614	332	282
	पु0/M	106	98	8	497	257	240
	स्त्रि0/F	3	1	2	117	75	42
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य0/P	58	57	1	1,098	991	107
	पु0/M	15	15	-	476	420	56
	स्त्रि0/F	43	42	1	622	571	51
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	8	8	-	145	141	4
	पु0/M	5	5	-	39	36	3
	स्त्रि0/F	3	3	-	106	105	1
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	35	35	-	674	637	37
	पु0/M	2	2	-	287	274	13
	स्त्रि0/F	33	33	-	387	363	24
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	1	1	-	78	71	7
	पु0/M	-	-	-	21	20	1
	स्त्रि0/F	1	1	-	57	51	6
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	14	13	1	201	142	59
	पु0/M	8	8	-	129	90	39
	स्त्रि0/F	6	5	1	72	52	20
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य0/P	438	420	18	5,123	4,108	1,015
	पु0/M	188	180	8	2,296	1,864	432
	स्त्रि0/F	250	240	10	2,827	2,244	583

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	बलाई Balai			बाल्मीकि Balmiki		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य०/P	1,014	741	273	1,166,383	699,428	466,955
	पु०/M	549	399	150	613,862	369,226	244,636
	स्त्रि०/F	465	342	123	552,521	330,202	222,319
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य०/P	184	147	37	225,180	143,235	81,945
	पु०/M	96	80	16	117,405	74,451	42,954
	स्त्रि०/F	88	67	21	107,775	68,784	38,991
3. साक्षर Literates	व्य०/P	422	271	151	442,024	235,956	206,068
	पु०/M	284	190	94	291,622	161,469	130,153
	स्त्रि०/F	138	81	57	150,402	74,487	75,915
4. कुल कर्मी Total workers	व्य०/P	385	299	86	355,448	231,035	124,413
	पु०/M	281	206	75	271,757	173,918	97,839
	स्त्रि०/F	104	93	11	83,691	57,117	26,574
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य०/P	266	194	72	270,804	164,967	105,837
	पु०/M	219	156	63	219,923	135,799	84,124
	स्त्रि०/F	47	38	9	50,881	29,168	21,713
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	116	116	-	31,583	30,741	842
	पु०/M	97	97	-	28,710	28,070	640
	स्त्रि०/F	19	19	-	2,873	2,671	202
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	33	33	-	59,894	56,896	2,998
	पु०/M	22	22	-	54,089	51,306	2,783
	स्त्रि०/F	11	11	-	5,805	5,590	215
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	6	5	1	11,118	9,066	2,052
	पु०/M	4	3	1	8,028	6,660	1,368
	स्त्रि०/F	2	2	-	3,090	2,406	684
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	111	40	71	168,209	68,264	99,945
	पु०/M	96	34	62	129,096	49,763	79,333
	स्त्रि०/F	15	6	9	39,113	18,501	20,612
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य०/P	119	105	14	84,644	66,068	18,576
	पु०/M	62	50	12	51,834	38,119	13,715
	स्त्रि०/F	57	55	2	32,810	27,949	4,861
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	15	15	-	5,162	5,042	120
	पु०/M	5	5	-	1,972	1,906	66
	स्त्रि०/F	10	10	-	3,190	3,136	54
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	69	68	1	38,292	36,005	2,287
	पु०/M	31	30	1	25,178	23,421	1,757
	स्त्रि०/F	38	38	-	13,114	12,584	530
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	-	-	-	5,378	4,353	1,025
	पु०/M	-	-	-	2,291	1,757	534
	स्त्रि०/F	-	-	-	3,087	2,596	491
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	35	22	13	35,812	20,668	15,144
	पु०/M	26	15	11	22,393	11,035	11,358
	स्त्रि०/F	9	7	2	13,419	9,633	3,786
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य०/P	629	442	187	810,935	468,393	342,542
	पु०/M	268	193	75	342,105	195,308	146,797
	स्त्रि०/F	361	249	112	468,830	273,085	195,745

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A-10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	बंगाली Bangali			बनमानुष Banmanus		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य०/P	18,660	15,412	3,248	18,730	18,394	336
	पु०/M	9,669	7,995	1,674	9,645	9,470	175
	स्त्रि०/F	8,991	7,417	1,574	9,085	8,924	161
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य०/P	3,772	3,320	452	4,258	4,192	66
	पु०/M	1,927	1,690	237	2,152	2,122	30
	स्त्रि०/F	1,845	1,630	215	2,106	2,070	36
3. साक्षर Literates	व्य०/P	6,634	4,675	1,959	3,084	3,005	79
	पु०/M	4,222	3,125	1,097	2,297	2,242	55
	स्त्रि०/F	2,412	1,550	862	787	763	24
4. कुल कर्मी Total workers	व्य०/P	6,492	5,443	1,049	9,035	8,902	133
	पु०/M	4,780	3,923	857	5,106	5,004	102
	स्त्रि०/F	1,712	1,520	192	3,929	3,898	31
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य०/P	4,599	3,679	920	5,240	5,148	92
	पु०/M	3,757	2,950	807	3,534	3,456	78
	स्त्रि०/F	842	729	113	1,706	1,692	14
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	1,388	1,376	12	607	605	2
	पु०/M	1,215	1,203	12	479	477	2
	स्त्रि०/F	173	173	-	128	128	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	1,386	1,174	212	1,369	1,338	31
	पु०/M	1,096	902	194	1,009	978	31
	स्त्रि०/F	290	272	18	360	360	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	278	256	22	2,586	2,579	7
	पु०/M	95	76	19	1,574	1,567	7
	स्त्रि०/F	183	180	3	1,012	1,012	-
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	1,547	873	674	678	626	52
	पु०/M	1,351	769	582	472	434	38
	स्त्रि०/F	196	104	92	206	192	14
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य०/P	1,893	1,764	129	3,795	3,754	41
	पु०/M	1,023	973	50	1,572	1,548	24
	स्त्रि०/F	870	791	79	2,223	2,206	17
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	205	204	1	164	164	-
	पु०/M	68	67	1	56	56	-
	स्त्रि०/F	137	137	-	108	108	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	1,261	1,206	55	1,692	1,688	4
	पु०/M	735	727	8	772	771	1
	स्त्रि०/F	526	479	47	920	917	3
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	92	86	6	1,595	1,585	10
	पु०/M	30	29	1	567	565	2
	स्त्रि०/F	62	57	5	1,028	1,020	8
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	335	268	67	344	317	27
	पु०/M	190	150	40	177	156	21
	स्त्रि०/F	145	118	27	167	161	6
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य०/P	12,168	9,969	2,199	9,695	9,492	203
	पु०/M	4,889	4,072	817	4,539	4,466	73
	स्त्रि०/F	7,279	5,897	1,382	5,156	5,026	130

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	बांसफोर Bansphor			बरवार Barwar		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य0/P	57,025	47,918	9,107	13,326	9,684	3,642
	पु0/M	30,401	25,556	4,845	6,947	5,010	1,937
	स्त्रि0/F	26,624	22,362	4,262	6,379	4,674	1,705
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य0/P	11,947	10,152	1,795	2,387	1,828	559
	पु0/M	6,237	5,247	990	1,229	933	296
	स्त्रि0/F	5,710	4,905	805	1,158	895	263
3. साक्षर Literates	व्य0/P	15,985	12,953	3,032	5,191	3,717	1,474
	पु0/M	11,040	9,011	2,029	3,470	2,586	884
	स्त्रि0/F	4,945	3,942	1,003	1,721	1,131	590
4. कुल कर्मी Total workers	व्य0/P	20,464	17,768	2,696	4,228	3,244	984
	पु0/M	14,568	12,551	2,017	3,365	2,467	898
	स्त्रि0/F	5,896	5,217	679	863	777	86
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य0/P	14,434	12,279	2,155	3,264	2,388	876
	पु0/M	11,424	9,768	1,656	2,887	2,070	817
	स्त्रि0/F	3,010	2,511	499	377	318	59
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	3,007	2,982	25	1,782	1,761	21
	पु0/M	2,693	2,673	20	1,610	1,589	21
	स्त्रि0/F	314	309	5	172	172	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	3,036	2,931	105	329	324	5
	पु0/M	2,600	2,506	94	250	247	3
	स्त्रि0/F	436	425	11	79	77	2
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	3,585	3,063	522	64	47	17
	पु0/M	2,357	2,034	323	49	39	10
	स्त्रि0/F	1,228	1,029	199	15	8	7
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	4,806	3,303	1,503	1,089	256	833
	पु0/M	3,774	2,555	1,219	978	195	783
	स्त्रि0/F	1,032	748	284	111	61	50
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य0/P	6,030	5,489	541	964	856	108
	पु0/M	3,144	2,783	361	478	397	81
	स्त्रि0/F	2,886	2,706	180	486	459	27
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	636	634	2	238	237	1
	पु0/M	209	209	-	80	79	1
	स्त्रि0/F	427	425	2	158	158	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	2,890	2,753	137	534	522	12
	पु0/M	1,704	1,604	100	286	275	11
	स्त्रि0/F	1,186	1,149	37	248	247	1
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	1,214	1,106	108	63	43	20
	पु0/M	437	397	40	10	6	4
	स्त्रि0/F	777	709	68	53	37	16
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	1,290	996	294	129	54	75
	पु0/M	794	573	221	102	37	65
	स्त्रि0/F	496	423	73	27	17	10
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य0/P	36,561	30,150	6,411	9,098	6,440	2,658
	पु0/M	15,833	13,005	2,828	3,582	2,543	1,039
	स्त्रि0/F	20,728	17,145	3,583	5,516	3,897	1,619

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	बसोर Basor			बावरिया Bawariya		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य0/P	137,013	116,633	20,380	6,054	5,811	243
	पु0/M	73,036	62,242	10,794	3,120	2,994	126
	स्त्रि0/F	63,977	54,391	9,586	2,934	2,817	117
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य0/P	29,185	24,953	4,232	1,309	1,275	34
	पु0/M	15,213	13,014	2,199	653	635	18
	स्त्रि0/F	13,972	11,939	2,033	656	640	16
3. साक्षर Literates	व्य0/P	44,963	37,239	7,724	2,278	2,177	101
	पु0/M	32,392	27,182	5,210	1,481	1,423	58
	स्त्रि0/F	12,571	10,057	2,514	797	754	43
4. कुल कर्मी Total workers	व्य0/P	57,355	50,702	6,653	2,321	2,248	73
	पु0/M	35,669	30,858	4,811	1,550	1,504	46
	स्त्रि0/F	21,686	19,844	1,842	771	744	27
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य0/P	35,103	30,486	4,617	1,644	1,588	56
	पु0/M	27,445	23,868	3,577	1,409	1,365	44
	स्त्रि0/F	7,658	6,618	1,040	235	223	12
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	10,318	10,185	133	467	467	-
	पु0/M	8,669	8,560	109	416	416	-
	स्त्रि0/F	1,649	1,625	24	51	51	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	10,970	10,772	198	755	754	1
	पु0/M	8,201	8,058	143	624	623	1
	स्त्रि0/F	2,769	2,714	55	131	131	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	6,249	5,323	926	68	55	13
	पु0/M	4,207	3,704	503	61	52	9
	स्त्रि0/F	2,042	1,619	423	7	3	4
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	7,566	4,206	3,360	354	312	42
	पु0/M	6,368	3,546	2,822	308	274	34
	स्त्रि0/F	1,198	660	538	46	38	8
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य0/P	22,252	20,216	2,036	677	660	17
	पु0/M	8,224	6,990	1,234	141	139	2
	स्त्रि0/F	14,028	13,226	802	536	521	15
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	2,610	2,583	27	128	128	-
	पु0/M	482	475	7	14	14	-
	स्त्रि0/F	2,128	2,108	20	114	114	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	13,553	13,164	389	441	440	1
	पु0/M	4,761	4,599	162	72	71	1
	स्त्रि0/F	8,792	8,565	227	369	369	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	3,102	2,560	542	9	6	3
	पु0/M	921	699	222	2	1	1
	स्त्रि0/F	2,181	1,861	320	7	5	2
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	2,987	1,909	1,078	99	86	13
	पु0/M	2,060	1,217	843	53	53	-
	स्त्रि0/F	927	692	235	46	33	13
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य0/P	79,658	65,931	13,727	3,733	3,563	170
	पु0/M	37,367	31,384	5,983	1,570	1,490	80
	स्त्रि0/F	42,291	34,547	7,744	2,163	2,073	90

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	बेलदार Beldar			बेरिया Beriya		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
			उत्तर प्रदेश			**UTTAR PRADESH**	
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य०/P	158,727	148,389	10,338	27,187	25,373	1,814
	पु०/M	81,435	75,939	5,496	14,204	13,235	969
	स्त्रि०/F	77,292	72,450	4,842	12,983	12,138	845
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य०/P	35,629	33,699	1,930	5,688	5,378	310
	पु०/M	18,383	17,371	1,012	2,882	2,707	175
	स्त्रि०/F	17,246	16,328	918	2,806	2,671	135
3. साक्षर Literates	व्य०/P	48,007	43,939	4,068	9,330	8,491	839
	पु०/M	34,831	32,121	2,710	6,062	5,584	478
	स्त्रि०/F	13,176	11,818	1,358	3,268	2,907	361
4. कुल कर्मी Total workers	व्य०/P	55,342	52,329	3,013	9,120	8,633	487
	पु०/M	36,725	34,176	2,549	6,349	5,946	403
	स्त्रि०/F	18,617	18,153	464	2,771	2,687	84
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य०/P	29,387	27,240	2,147	5,745	5,395	350
	पु०/M	24,478	22,518	1,960	4,726	4,422	304
	स्त्रि०/F	4,909	4,722	187	1,019	973	46
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	11,305	11,157	148	2,595	2,572	23
	पु०/M	10,032	9,898	134	2,238	2,220	18
	स्त्रि०/F	1,273	1,259	14	357	352	5
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	11,746	11,625	121	1,488	1,465	23
	पु०/M	8,706	8,599	107	1,154	1,133	21
	स्त्रि०/F	3,040	3,026	14	334	332	2
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	614	497	117	179	165	14
	पु०/M	480	405	75	136	126	10
	स्त्रि०/F	134	92	42	43	39	4
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	5,722	3,961	1,761	1,483	1,193	290
	पु०/M	5,260	3,616	1,644	1,198	943	255
	स्त्रि०/F	462	345	117	285	250	35
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य०/P	25,955	25,089	866	3,375	3,238	137
	पु०/M	12,247	11,658	589	1,623	1,524	99
	स्त्रि०/F	13,708	13,431	277	1,752	1,714	38
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	3,371	3,340	31	522	520	2
	पु०/M	1,302	1,288	14	161	159	2
	स्त्रि०/F	2,069	2,052	17	361	361	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	19,826	19,523	303	2,166	2,150	16
	पु०/M	9,002	8,839	163	1,037	1,033	4
	स्त्रि०/F	10,824	10,684	140	1,129	1,117	12
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	498	460	38	158	152	6
	पु०/M	261	245	16	58	52	6
	स्त्रि०/F	237	215	22	100	100	-
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	2,260	1,766	494	529	416	113
	पु०/M	1,682	1,286	396	367	280	87
	स्त्रि०/F	578	480	98	162	136	26
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य०/P	103,385	96,060	7,325	18,067	16,740	1,327
	पु०/M	44,710	41,763	2,947	7,855	7,289	566
	स्त्रि०/F	58,675	54,297	4,378	10,212	9,451	761

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	भंतु Bhantu			भुईया Bhuiya		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य०/P	8,184	2,895	5,289	18,055	17,281	774
	पु०/M	4,282	1,524	2,758	9,422	9,033	389
	स्त्रि०/F	3,902	1,371	2,531	8,633	8,248	385
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य०/P	1,307	521	786	4,291	4,146	145
	पु०/M	669	262	407	2,138	2,068	70
	स्त्रि०/F	638	259	379	2,153	2,078	75
3. साक्षर Literates	व्य०/P	4,877	1,400	3,477	2,796	2,444	352
	पु०/M	2,886	880	2,006	2,067	1,861	206
	स्त्रि०/F	1,991	520	1,471	729	583	146
4. कुल कर्मी Total workers	व्य०/P	2,113	895	1,218	8,355	8,128	227
	पु०/M	1,790	730	1,060	5,076	4,886	190
	स्त्रि०/F	323	165	158	3,279	3,242	37
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य०/P	1,509	596	913	4,634	4,448	186
	पु०/M	1,346	525	821	3,199	3,036	163
	स्त्रि०/F	163	71	92	1,435	1,412	23
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	375	357	18	906	897	9
	पु०/M	341	326	15	780	772	8
	स्त्रि०/F	34	31	3	126	125	1
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	99	81	18	1,013	995	18
	पु०/M	77	63	14	693	675	18
	स्त्रि०/F	22	18	4	320	320	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	27	9	18	227	222	5
	पु०/M	22	8	14	146	142	4
	स्त्रि०/F	5	1	4	81	80	1
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	1,008	149	859	2,488	2,334	154
	पु०/M	906	128	778	1,580	1,447	133
	स्त्रि०/F	102	21	81	908	887	21
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य०/P	604	299	305	3,721	3,680	41
	पु०/M	444	205	239	1,877	1,850	27
	स्त्रि०/F	160	94	66	1,844	1,830	14
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	104	104	-	211	211	-
	पु०/M	71	71	-	93	93	-
	स्त्रि०/F	33	33	-	118	118	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	143	105	38	2,308	2,306	2
	पु०/M	94	66	28	1,070	1,068	2
	स्त्रि०/F	49	39	10	1,238	1,238	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	20	8	12	152	152	-
	पु०/M	11	6	5	81	81	-
	स्त्रि०/F	9	2	7	71	71	-
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	337	82	255	1,050	1,011	39
	पु०/M	268	62	206	633	608	25
	स्त्रि०/F	69	20	49	417	403	14
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य०/P	6,071	2,000	4,071	9,700	9,153	547
	पु०/M	2,492	794	1,698	4,346	4,147	199
	स्त्रि०/F	3,579	1,206	2,373	5,354	5,006	348

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	भुईयार Bhuyiar			बोरिया Boria		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			**UTTAR PRADESH**		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य०/P	24,982	23,015	1,967	3,353	2,688	665
	पु०/M	13,353	12,322	1,031	1,800	1,455	345
	स्त्रि०/F	11,629	10,693	936	1,553	1,233	320
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य०/P	4,547	4,245	302	775	673	102
	पु०/M	2,405	2,259	146	408	360	48
	स्त्रि०/F	2,142	1,986	156	367	313	54
3. साक्षर Literates	व्य०/P	12,275	11,093	1,182	989	692	297
	पु०/M	8,152	7,423	729	656	471	185
	स्त्रि०/F	4,123	3,670	453	333	221	112
4. कुल कर्मी Total workers	व्य०/P	8,159	7,612	547	1,093	921	172
	पु०/M	6,534	6,061	473	781	619	162
	स्त्रि०/F	1,625	1,551	74	312	302	10
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य०/P	6,020	5,553	467	785	620	165
	पु०/M	5,409	4,985	424	629	472	157
	स्त्रि०/F	611	568	43	156	148	8
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	1,721	1,691	30	158	154	4
	पु०/M	1,567	1,538	29	134	130	4
	स्त्रि०/F	154	153	1	24	24	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	1,939	1,863	76	198	197	1
	पु०/M	1,798	1,723	75	141	140	1
	स्त्रि०/F	141	140	1	57	57	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	176	164	12	28	24	4
	पु०/M	148	139	9	19	15	4
	स्त्रि०/F	28	25	3	9	9	-
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	2,184	1,835	349	401	245	156
	पु०/M	1,896	1,585	311	335	187	148
	स्त्रि०/F	288	250	38	66	58	8
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य०/P	2,139	2,059	80	308	301	7
	पु०/M	1,125	1,076	49	152	147	5
	स्त्रि०/F	1,014	983	31	156	154	2
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	323	320	3	44	44	-
	पु०/M	73	72	1	7	7	-
	स्त्रि०/F	250	248	2	37	37	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	1,153	1,139	14	176	172	4
	पु०/M	700	692	8	91	88	3
	स्त्रि०/F	453	447	6	85	84	1
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	92	89	3	3	3	-
	पु०/M	39	37	2	-	-	-
	स्त्रि०/F	53	52	1	3	3	-
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	571	511	60	85	82	3
	पु०/M	313	275	38	54	52	2
	स्त्रि०/F	258	236	22	31	30	1
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य०/P	16,823	15,403	1,420	2,260	1,767	493
	पु०/M	6,819	6,261	558	1,019	836	183
	स्त्रि०/F	10,004	9,142	862	1,241	931	310

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A-10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	चमार, धूसिया, झूसिया, . . . Chamar, Dhusia, Jhusia, . . .			चेरो Chero		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			**UTTAR PRADESH**		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य०/P	19,803,106	17,543,404	2,259,702	32,405	32,310	95
	पु०/M	10,463,512	9,244,429	1,219,083	16,681	16,624	57
	स्त्रि०/F	9,339,594	8,298,975	1,040,619	15,724	15,686	38
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य०/P	4,060,723	3,668,454	392,269	7,839	7,823	16
	पु०/M	2,111,757	1,904,107	207,650	3,901	3,894	7
	स्त्रि०/F	1,948,966	1,764,347	184,619	3,938	3,929	9
3. साक्षर Literates	व्य०/P	7,770,565	6,639,283	1,131,282	5,297	5,249	48
	पु०/M	5,350,696	4,625,367	725,329	4,099	4,067	32
	स्त्रि०/F	2,419,869	2,013,916	405,953	1,198	1,182	16
4. कुल कर्मी Total workers	व्य०/P	6,779,766	6,180,884	598,882	14,110	14,073	37
	पु०/M	4,852,018	4,327,295	524,723	8,397	8,366	31
	स्त्रि०/F	1,927,748	1,853,589	74,159	5,713	5,707	6
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य०/P	4,364,740	3,891,789	472,951	7,499	7,464	35
	पु०/M	3,709,512	3,276,399	433,113	5,575	5,545	30
	स्त्रि०/F	655,228	615,390	39,838	1,924	1,919	5
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	1,667,200	1,646,875	20,325	2,967	2,967	-
	पु०/M	1,458,900	1,440,799	18,101	2,392	2,392	-
	स्त्रि०/F	208,300	206,076	2,224	575	575	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	1,396,953	1,354,876	42,077	3,415	3,415	-
	पु०/M	1,106,283	1,069,932	36,351	2,266	2,266	-
	स्त्रि०/F	290,670	284,944	5,726	1,149	1,149	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	150,187	126,395	23,792	123	123	-
	पु०/M	117,518	98,203	19,315	100	100	-
	स्त्रि०/F	32,669	28,192	4,477	23	23	-
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	1,150,400	763,643	386,757	994	959	35
	पु०/M	1,026,811	667,465	359,346	817	787	30
	स्त्रि०/F	123,589	96,178	27,411	177	172	5
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य०/P	2,415,026	2,289,095	125,931	6,611	6,609	2
	पु०/M	1,142,506	1,050,896	91,610	2,822	2,821	1
	स्त्रि०/F	1,272,520	1,238,199	34,321	3,789	3,788	1
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	341,568	338,732	2,836	754	754	-
	पु०/M	108,783	107,504	1,279	267	267	-
	स्त्रि०/F	232,785	231,228	1,557	487	487	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	1,621,753	1,591,079	30,674	4,983	4,981	2
	पु०/M	746,464	728,391	18,073	2,067	2,066	1
	स्त्रि०/F	875,289	862,688	12,601	2,916	2,915	1
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	82,779	73,052	9,727	96	96	-
	पु०/M	31,854	27,344	4,510	31	31	-
	स्त्रि०/F	50,925	45,708	5,217	65	65	-
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	368,[illegible]26	286,232	82,694	778	778	-
	पु०/M	255,405	187,657	67,748	457	457	-
	स्त्रि०/F	113,521	98,575	14,946	321	321	-
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य०/P	13,023,340	11,362,520	1,660,820	18,295	18,237	58
	पु०/M	5,611,494	4,917,134	694,360	8,284	8,258	26
	स्त्रि०/F	7,411,846	6,445,386	966,460	10,011	9,979	32

82

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	दबगर Dabgar योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	धांगर Dhangar योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य०/P	3,638	1,743	1,895	27,619	25,459	2,160
	पु०/M	1,934	936	998	14,332	13,230	1,102
	स्त्रि०/F	1,704	807	897	13,287	12,229	1,058
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य०/P	649	336	313	6,084	5,670	414
	पु०/M	354	185	169	3,164	2,969	195
	स्त्रि०/F	295	151	144	2,920	2,701	219
3. साक्षर Literates	व्य०/P	1,906	813	1,093	7,309	6,241	1,068
	पु०/M	1,205	538	667	5,293	4,640	653
	स्त्रि०/F	701	275	426	2,016	1,601	415
4. कुल कर्मी Total workers	व्य०/P	1,225	652	573	12,231	11,606	625
	पु०/M	861	421	440	7,396	6,871	525
	स्त्रि०/F	364	231	133	4,835	4,735	100
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य०/P	855	432	423	7,534	7,056	478
	पु०/M	711	359	352	5,286	4,852	434
	स्त्रि०/F	144	73	71	2,248	2,204	44
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	63	60	3	2,061	2,014	47
	पु०/M	61	58	3	1,662	1,616	46
	स्त्रि०/F	2	2	-	399	398	1
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	120	105	15	2,719	2,635	84
	पु०/M	106	91	15	1,810	1,727	83
	स्त्रि०/F	14	14	-	909	908	1
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	140	58	82	241	219	22
	पु०/M	78	33	45	177	162	15
	स्त्रि०/F	62	25	37	64	57	7
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	532	209	323	2,513	2,188	325
	पु०/M	466	177	289	1,637	1,347	290
	स्त्रि०/F	66	32	34	876	841	35
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य०/P	370	220	150	4,697	4,550	147
	पु०/M	150	62	88	2,110	2,019	91
	स्त्रि०/F	220	158	62	2,587	2,531	56
(i) कास्तकार Cultivators	व्य०/P	9	6	3	242	238	4
	पु०/M	2	-	2	102	98	4
	स्त्रि०/F	7	6	1	140	140	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	80	64	16	3,121	3,110	11
	पु०/M	56	43	13	1,341	1,331	10
	स्त्रि०/F	24	21	3	1,780	1,779	1
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	203	140	63	181	165	16
	पु०/M	31	9	22	72	66	6
	स्त्रि०/F	172	131	41	109	99	10
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	78	10	68	1,153	1,037	116
	पु०/M	61	10	51	595	524	71
	स्त्रि०/F	17	-	17	558	513	45
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य०/P	2,413	1,091	1,322	15,388	13,853	1,535
	पु०/M	1,073	515	558	6,936	6,359	577
	स्त्रि०/F	1,340	576	764	8,452	7,494	958

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001

A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	धनुक Dhanuk			धरकार Dharkar		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			**UTTAR PRADESH**		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य०/P	542,651	453,048	89,603	94,610	82,562	12,048
	पु०/M	291,605	244,406	47,199	49,274	42,869	6,405
	स्त्रि०/F	251,046	208,642	42,404	45,336	39,693	5,643
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य०/P	111,141	95,999	15,142	20,787	18,423	2,364
	पु०/M	58,189	50,237	7,952	10,689	9,417	1,272
	स्त्रि०/F	52,952	45,762	7,190	10,098	9,006	1,092
3. साक्षर Literates	व्य०/P	207,603	164,400	43,203	28,813	25,258	3,555
	पु०/M	137,877	111,396	26,481	20,157	17,807	2,350
	स्त्रि०/F	69,726	53,004	16,722	8,656	7,451	1,205
4. कुल कर्मी Total workers	व्य०/P	163,905	140,581	23,324	37,473	33,322	4,151
	पु०/M	136,327	116,510	19,817	23,285	20,285	3,000
	स्त्रि०/F	27,578	24,071	3,507	14,188	13,037	1,151
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य०/P	118,446	99,365	19,081	24,412	21,437	2,975
	पु०/M	108,127	91,608	16,519	17,605	15,318	2,287
	स्त्रि०/F	10,319	7,757	2,562	6,807	6,119	688
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	45,712	45,148	564	3,485	3,461	24
	पु०/M	43,296	42,779	517	2,852	2,831	21
	स्त्रि०/F	2,416	2,369	47	633	630	3
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	37,056	35,764	1,292	4,452	4,418	34
	पु०/M	34,261	33,051	1,210	3,124	3,093	31
	स्त्रि०/F	2,795	2,713	82	1,328	1,325	3
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	4,380	3,680	700	11,100	10,071	1,029
	पु०/M	3,347	2,834	513	7,138	6,493	645
	स्त्रि०/F	1,033	846	187	3,962	3,578	384
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	31,298	14,773	16,525	5,375	3,487	1,888
	पु०/M	27,223	12,944	14,279	4,491	2,901	1,590
	स्त्रि०/F	4,075	1,829	2,246	884	586	298
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य०/P	45,459	41,216	4,243	13,061	11,885	1,176
	पु०/M	28,200	24,902	3,298	5,680	4,967	713
	स्त्रि०/F	17,259	16,314	945	7,381	6,918	463
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	6,084	6,034	50	999	994	5
	पु०/M	2,056	2,024	32	369	365	4
	स्त्रि०/F	4,028	4,010	18	630	629	1
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	27,839	26,923	916	5,980	5,921	59
	पु०/M	18,893	18,117	776	2,584	2,555	29
	स्त्रि०/F	8,946	8,806	140	3,396	3,366	30
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	2,826	2,460	366	3,918	3,596	322
	पु०/M	1,009	806	203	1,374	1,218	156
	स्त्रि०/F	1,[illegible]17	1,654	163	2,544	2,378	166
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	8,710	5,799	2,911	2,164	1,374	790
	पु०/M	6,242	3,955	2,287	1,353	829	524
	स्त्रि०/F	2,468	1,844	624	811	545	266
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य०/P	378,746	312,467	66,279	57,137	49,240	7,897
	पु०/M	155,278	127,896	27,382	25,989	22,584	3,405
	स्त्रि०/F	223,468	184,571	38,897	31,148	26,656	4,492

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	धोबी Dhobi योग/Total	धोबी Dhobi ग्रामीण/Rural	धोबी Dhobi नगरीय/Urban	डोम Dom योग/Total	डोम Dom ग्रामीण/Rural	डोम Dom नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य०/P	2,184,212	1,917,197	267,015	49,569	35,211	14,358
	पु०/M	1,144,522	1,002,749	141,773	25,799	18,303	7,496
	स्त्रि०/F	1,039,690	914,448	125,242	23,770	16,908	6,862
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य०/P	441,980	396,309	45,671	10,736	7,667	3,069
	पु०/M	230,030	206,068	23,962	5,468	3,903	1,565
	स्त्रि०/F	211,950	190,241	21,709	5,268	3,764	1,504
3. साक्षर Literates	व्य०/P	852,230	716,794	135,436	12,233	8,738	3,495
	पु०/M	579,456	494,343	85,113	8,375	5,996	2,379
	स्त्रि०/F	272,774	222,451	50,323	3,858	2,742	1,116
4. कुल कर्मी Total workers	व्य०/P	725,998	649,366	76,632	17,987	13,858	4,129
	पु०/M	528,503	466,352	62,151	12,024	8,990	3,034
	स्त्रि०/F	197,495	183,014	14,481	5,963	4,868	1,095
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य०/P	509,536	444,116	65,420	12,726	9,274	3,452
	पु०/M	429,007	373,955	55,052	9,496	6,872	2,624
	स्त्रि०/F	80,529	70,161	10,368	3,230	2,402	828
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	221,618	219,052	2,566	1,669	1,632	37
	पु०/M	196,806	194,501	2,305	1,422	1,393	29
	स्त्रि०/F	24,812	24,551	261	247	239	8
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	101,524	99,163	2,361	1,802	1,749	53
	पु०/M	84,042	82,036	2,006	1,387	1,343	44
	स्त्रि०/F	17,482	17,127	355	415	406	9
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	50,685	39,449	11,236	3,738	3,355	383
	पु०/M	33,949	26,033	7,916	2,431	2,178	253
	स्त्रि०/F	16,736	13,416	3,320	1,307	1,177	130
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	135,709	86,452	49,257	5,517	2,538	2,979
	पु०/M	114,210	71,385	42,825	4,256	1,958	2,298
	स्त्रि०/F	21,499	15,067	6,432	1,261	580	681
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य०/P	216,462	205,250	11,212	5,261	4,584	677
	पु०/M	99,496	92,397	7,099	2,528	2,118	410
	स्त्रि०/F	116,966	112,853	4,113	2,733	2,466	267
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	41,002	40,688	314	467	457	10
	पु०/M	13,036	12,901	135	160	155	5
	स्त्रि०/F	27,966	27,787	179	307	302	5
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	120,999	119,300	1,699	2,321	2,250	71
	पु०/M	58,600	57,482	1,118	1,088	1,051	37
	स्त्रि०/F	62,399	61,818	581	1,233	1,199	34
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	19,089	16,768	2,321	1,287	1,161	126
	पु०/M	6,865	5,895	970	515	483	32
	स्त्रि०/F	12,224	10,873	1,351	772	678	94
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	35,372	28,494	6,878	1,186	716	470
	पु०/M	20,995	16,119	4,876	765	429	336
	स्त्रि०/F	14,377	12,375	2,002	421	287	134
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य०/P	1,458,214	1,267,831	190,383	31,582	21,353	10,229
	पु०/M	616,019	536,397	79,622	13,775	9,313	4,462
	स्त्रि०/F	842,195	731,434	110,761	17,807	12,040	5,767

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	डोमर Domar			दुसाध Dusadh		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
			उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH	
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य०/P	18,053	15,335	2,718	237,181	222,379	14,802
	पु०/M	9,550	8,108	1,442	121,853	113,853	8,000
	स्त्रि०/F	8,503	7,227	1,276	115,328	108,526	6,802
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य०/P	4,180	3,602	578	48,229	45,798	2,431
	पु०/M	2,140	1,849	291	24,771	23,536	1,235
	स्त्रि०/F	2,040	1,753	287	23,458	22,262	1,196
3. साक्षर Literates	व्य०/P	5,479	4,398	1,081	84,522	77,007	7,515
	पु०/M	3,761	3,050	711	58,873	53,941	4,932
	स्त्रि०/F	1,718	1,348	370	25,649	23,066	2,583
4. कुल कर्मी Total workers	व्य०/P	7,285	6,523	762	81,465	77,704	3,761
	पु०/M	4,512	3,926	586	54,321	51,000	3,321
	स्त्रि०/F	2,773	2,597	176	27,144	26,704	440
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य०/P	4,572	3,980	592	46,868	43,946	2,922
	पु०/M	3,372	2,884	488	37,261	34,584	2,677
	स्त्रि०/F	1,200	1,096	104	9,607	9,362	245
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	606	595	11	14,752	14,679	73
	पु०/M	476	466	10	12,102	12,043	59
	स्त्रि०/F	130	129	1	2,650	2,636	14
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	813	802	11	20,143	19,843	300
	पु०/M	609	598	11	14,328	14,085	243
	स्त्रि०/F	204	204	-	5,815	5,758	57
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	1,757	1,665	92	1,286	1,211	75
	पु०/M	1,159	1,098	61	994	937	57
	स्त्रि०/F	598	567	31	292	274	18
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	1,396	918	478	10,687	8,213	2,474
	पु०/M	1,128	722	406	9,837	7,519	2,318
	स्त्रि०/F	268	196	72	850	694	156
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य०/P	2,713	2,543	170	34,597	33,758	839
	पु०/M	1,140	1,042	98	17,060	16,416	644
	स्त्रि०/F	1,573	1,501	72	17,537	17,342	195
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	182	181	1	4,034	4,016	18
	पु०/M	42	42	-	1,559	1,548	11
	स्त्रि०/F	140	139	1	2,475	2,468	7
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	1,122	1,103	19	26,251	25,993	258
	पु०/M	464	452	12	12,326	12,169	157
	स्त्रि०/F	658	651	7	13,925	13,824	101
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	875	833	42	807	752	55
	पु०/M	317	306	11	396	364	32
	स्त्रि०/F	558	527	31	411	388	23
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	534	426	108	3,505	2,997	508
	पु०/M	317	242	75	2,779	2,335	444
	स्त्रि०/F	217	184	33	726	662	64
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य०/P	10,768	8,812	1,956	155,716	144,675	11,041
	पु०/M	5,038	4,182	856	67,532	62,853	4,679
	स्त्रि०/F	5,730	4,630	1,100	88,184	81,822	6,362

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	घरामी Gharami			घासिया Ghasiya		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य0/P	184	140	44	3,984	2,711	1,273
	पु0/M	100	78	22	2,086	1,432	654
	स्त्रि0/F	84	62	22	1,898	1,279	619
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य0/P	30	26	4	709	564	145
	पु0/M	14	13	1	363	298	65
	स्त्रि0/F	16	13	3	346	266	80
3. साक्षर Literates	व्य0/P	36	19	17	1,296	371	925
	पु0/M	28	17	11	827	304	523
	स्त्रि0/F	8	2	6	469	67	402
4. कुल कर्मी Total workers	व्य0/P	96	79	17	1,447	1,106	341
	पु0/M	61	48	13	1,017	730	287
	स्त्रि0/F	35	31	4	430	376	54
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य0/P	53	40	13	877	597	280
	पु0/M	40	29	11	659	424	235
	स्त्रि0/F	13	11	2	218	173	45
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	9	9	-	207	205	2
	पु0/M	7	7	-	178	176	2
	स्त्रि0/F	2	2	-	29	29	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	10	10	-	284	283	1
	पु0/M	9	9	-	168	168	-
	स्त्रि0/F	1	1	-	116	115	1
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	7	5	2	21	12	9
	पु0/M	3	3	-	14	9	5
	स्त्रि0/F	4	2	2	7	3	4
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	27	16	11	365	97	268
	पु0/M	21	10	11	299	71	228
	स्त्रि0/F	6	6	-	66	26	40
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य0/P	43	39	4	570	509	61
	पु0/M	21	19	2	358	306	52
	स्त्रि0/F	22	20	2	212	203	9
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	2	2	-	45	45	-
	पु0/M	1	1	-	27	27	-
	स्त्रि0/F	1	1	-	18	18	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	34	34	-	346	340	6
	पु0/M	16	16	-	209	204	5
	स्त्रि0/F	18	18	-	137	136	1
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	3	3	-	10	6	4
	पु0/M	2	2	-	5	3	2
	स्त्रि0/F	1	1	-	5	3	2
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	4	-	4	169	118	51
	पु0/M	2	-	2	117	72	45
	स्त्रि0/F	2	-	2	52	46	6
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य0/P	88	61	27	2,537	1,605	932
	पु0/M	39	30	9	1,069	702	367
	स्त्रि0/F	49	31	18	1,468	903	565

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	गोंड Gond			गुवाल Gual		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य0/P	443,457	406,654	36,803	7,330	5,170	2,160
	पु0/M	225,368	205,985	19,383	3,803	2,652	1,151
	स्त्रि0/F	218,089	200,669	17,420	3,527	2,518	1,009
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य0/P	94,115	87,921	6,194	1,459	1,094	365
	पु0/M	47,735	44,608	3,127	731	550	181
	स्त्रि0/F	46,380	43,313	3,067	728	544	184
3. साक्षर Literates	व्य0/P	155,859	136,171	19,688	2,856	1,692	1,164
	पु0/M	107,787	95,341	12,446	1,948	1,209	739
	स्त्रि0/F	48,072	40,830	7,242	908	483	425
4. कुल कर्मी Total workers	व्य0/P	153,988	144,803	9,185	2,387	1,738	649
	पु0/M	100,581	92,574	8,007	1,799	1,239	560
	स्त्रि0/F	53,407	52,229	1,178	588	499	89
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य0/P	89,824	82,321	7,503	1,685	1,149	536
	पु0/M	72,213	65,432	6,781	1,494	1,004	490
	स्त्रि0/F	17,611	16,889	722	191	145	46
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	39,909	39,705	204	634	612	22
	पु0/M	32,812	32,631	181	587	566	21
	स्त्रि0/F	7,097	7,074	23	47	46	1
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	22,018	21,701	317	288	230	58
	पु0/M	15,613	15,335	278	246	201	45
	स्त्रि0/F	6,405	6,366	39	42	29	13
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	4,028	3,611	417	78	20	58
	पु0/M	2,905	2,594	311	55	9	46
	स्त्रि0/F	1,123	1,017	106	23	11	12
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	23,869	17,304	6,565	685	287	398
	पु0/M	20,883	14,872	6,011	606	228	378
	स्त्रि0/F	2,986	2,432	554	79	59	20
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य0/P	64,164	62,482	1,682	702	589	113
	पु0/M	23,368	27,142	1,226	305	235	70
	स्त्रि0/F	35,796	35,340	456	397	354	43
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	11,678	11,635	43	104	102	2
	पु0/M	4,006	3,987	19	37	37	-
	स्त्रि0/F	7,672	7,648	24	67	65	2
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	42,638	42,242	396	429	401	28
	पु0/M	18,197	17,963	234	174	156	18
	स्त्रि0/F	24,441	24,279	162	255	245	10
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	2,378	2,283	95	31	11	20
	पु0/M	1,013	965	48	12	6	6
	स्त्रि0/F	1,365	1,318	47	19	5	14
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	7,470	6,322	1,148	138	75	63
	पु0/M	5,152	4,227	925	82	36	46
	स्त्रि0/F	2,318	2,095	223	56	39	17
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य0/P	289,469	261,851	27,618	4,943	3,432	1,511
	पु0/M	124,787	113,411	11,376	2,004	1,413	591
	स्त्रि0/F	164,682	148,440	16,242	2,939	2,019	920

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	हाबुरा Habura			हरी Hari		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य0/P	4,863	1,586	3,277	1,719	1,325	394
	पु0/M	2,575	845	1,730	897	694	203
	स्त्रि0/F	2,288	741	1,547	822	631	191
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य0/P	1,032	340	692	381	309	72
	पु0/M	514	170	344	188	158	30
	स्त्रि0/F	518	170	348	193	151	42
3. साक्षर Literates	व्य0/P	1,179	418	761	410	266	144
	पु0/M	809	286	523	279	189	90
	स्त्रि0/F	370	132	238	131	77	54
4. कुल कर्मी Total workers	व्य0/P	1,270	441	829	465	358	107
	पु0/M	1,162	406	756	389	297	92
	स्त्रि0/F	108	35	73	76	61	15
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य0/P	946	323	623	381	294	87
	पु0/M	890	302	588	335	256	79
	स्त्रि0/F	56	21	35	46	38	8
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	152	134	18	37	37	-
	पु0/M	145	128	17	36	36	-
	स्त्रि0/F	7	6	1	1	1	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	117	98	19	216	191	25
	पु0/M	109	92	17	187	164	23
	स्त्रि0/F	8	6	2	29	27	2
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	23	13	10	9	9	-
	पु0/M	22	12	10	9	9	-
	स्त्रि0/F	1	1	-	-	-	-
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	654	78	576	119	57	62
	पु0/M	614	70	544	103	47	56
	स्त्रि0/F	40	8	32	16	10	6
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य0/P	324	118	206	84	64	20
	पु0/M	272	104	168	54	41	13
	स्त्रि0/F	52	14	38	30	23	7
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	22	20	2	4	4	-
	पु0/M	21	19	2	2	2	-
	स्त्रि0/F	1	1	-	2	2	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	114	88	26	44	38	6
	पु0/M	94	82	12	27	22	5
	स्त्रि0/F	20	6	14	17	16	1
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	19	3	16	4	3	1
	पु0/M	10	-	10	2	2	-
	स्त्रि0/F	9	3	6	2	1	1
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	169	7	162	32	19	13
	पु0/M	147	3	144	23	15	8
	स्त्रि0/F	22	4	18	9	4	5
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य0/P	3,593	1,145	2,448	1,254	967	287
	पु0/M	1,413	439	974	508	397	111
	स्त्रि0/F	2,180	706	1,474	746	570	176

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	हेला Hela			कलाबाज Kalabaz		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य0/P	40,678	12,136	28,542	8,727	7,720	1,007
	पु0/M	21,173	6,316	14,857	4,630	4,096	534
	स्त्रि0/F	19,505	5,820	13,685	4,097	3,624	473
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य0/P	6,703	2,391	4,312	2,039	1,803	236
	पु0/M	3,351	1,194	2,157	1,076	955	121
	स्त्रि0/F	3,352	1,197	2,155	963	848	115
3. साक्षर Literates	व्य0/P	20,418	4,916	15,502	1,744	1,569	175
	पु0/M	12,973	3,337	9,636	1,320	1,191	129
	स्त्रि0/F	7,445	1,579	5,866	424	373	46
4. कुल कर्मी Total workers	व्य0/P	11,846	4,143	7,703	2,909	2,584	325
	पु0/M	8,588	2,825	5,763	2,144	1,882	262
	स्त्रि0/F	3,258	1,318	1,940	765	702	63
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य0/P	9,571	2,886	6,685	1,913	1,708	205
	पु0/M	7,300	2,247	5,053	1,631	1,437	194
	स्त्रि0/F	2,271	639	1,632	282	271	11
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	500	446	54	438	434	4
	पु0/M	403	362	41	374	370	4
	स्त्रि0/F	97	84	13	64	64	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	630	593	37	567	529	38
	पु0/M	441	416	25	480	443	37
	स्त्रि0/F	189	177	12	87	86	1
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	767	567	200	102	85	17
	पु0/M	520	387	133	76	60	16
	स्त्रि0/F	247	180	67	26	25	1
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	7,674	1,280	6,394	806	660	146
	पु0/M	5,936	1,082	4,854	701	564	137
	स्त्रि0/F	1,738	198	1,540	105	96	9
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य0/P	2,275	1,257	1,018	996	876	120
	पु0/M	1,288	578	710	513	445	68
	स्त्रि0/F	987	679	308	483	431	52
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	150	139	11	58	58	-
	पु0/M	45	36	9	18	18	-
	स्त्रि0/F	105	103	2	40	40	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	711	664	47	505	483	22
	पु0/M	320	292	28	274	258	16
	स्त्रि0/F	391	372	19	231	225	6
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	327	229	98	130	121	9
	पु0/M	150	98	52	44	39	5
	स्त्रि0/F	177	131	46	86	82	4
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	1,087	225	862	303	214	89
	पु0/M	773	152	621	177	130	47
	स्त्रि0/F	314	73	241	126	84	42
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य0/P	28,832	7,993	20,839	5,818	5,136	682
	पु0/M	12,585	3,491	9,094	2,486	2,214	272
	स्त्रि0/F	16,247	4,502	11,745	3,332	2,922	410

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	कंजर Kanjar			कापरिया Kapariya		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य0/P	93,207	55,407	37,800	14,300	10,079	4,221
	पु0/M	48,993	29,087	19,906	7,430	5,223	2,207
	स्त्रि0/F	44,214	26,320	17,894	6,870	4,856	2,014
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य0/P	23,014	14,041	8,973	3,314	2,397	917
	पु0/M	11,760	7,072	4,688	1,664	1,171	493
	स्त्रि0/F	11,254	6,969	4,285	1,650	1,226	424
3. साक्षर Literates	व्य0/P	18,170	10,747	7,423	3,077	2,023	1,054
	पु0/M	13,136	8,023	5,113	2,230	1,512	718
	स्त्रि0/F	5,034	2,724	2,310	847	511	336
4. कुल कर्मी Total workers	व्य0/P	29,052	17,581	11,471	3,896	2,786	1,110
	पु0/M	21,659	12,839	8,820	2,629	1,796	833
	स्त्रि0/F	7,393	4,742	2,651	1,267	990	277
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य0/P	20,048	11,215	8,833	2,516	1,737	779
	पु0/M	16,733	9,411	7,322	1,994	1,379	615
	स्त्रि0/F	3,315	1,804	1,511	522	358	164
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	2,094	2,042	52	499	495	4
	पु0/M	1,862	1,818	44	432	429	3
	स्त्रि0/F	232	224	8	67	66	1
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	2,876	2,576	300	512	500	12
	पु0/M	2,450	2,169	281	421	410	11
	स्त्रि0/F	426	407	19	91	90	1
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	3,506	1,738	1,768	607	328	279
	पु0/M	2,176	1,135	1,041	373	208	165
	स्त्रि0/F	1,330	603	727	234	120	114
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	11,572	4,859	6,713	898	414	484
	पु0/M	10,245	4,289	5,956	768	332	436
	स्त्रि0/F	1,327	570	757	130	82	48
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य0/P	9,004	6,366	2,638	1,380	1,049	331
	पु0/M	4,926	3,428	1,498	635	417	218
	स्त्रि0/F	4,078	2,938	1,140	745	632	113
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	354	349	5	41	41	-
	पु0/M	168	168	-	14	14	-
	स्त्रि0/F	186	181	5	27	27	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	2,277	2,103	174	637	583	54
	पु0/M	1,382	1,233	149	277	248	29
	स्त्रि0/F	895	870	25	360	335	25
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	2,645	1,652	993	235	153	82
	पु0/M	936	567	369	91	64	27
	स्त्रि0/F	1,709	1,085	624	144	89	55
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	3,728	2,262	1,466	467	272	195
	पु0/M	2,440	1,460	980	253	91	162
	स्त्रि0/F	1,288	802	486	214	181	33
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य0/P	64,155	37,826	26,329	10,404	7,293	3,111
	पु0/M	27,334	16,248	11,086	4,801	3,427	1,374
	स्त्रि0/F	36,821	21,578	15,243	5,603	3,866	1,737

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	करवल Karwal			खैरहा Khairaha		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
			उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH	
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य०/P	16,264	14,246	2,018	3,047	2,626	421
	पु०/M	8,696	7,604	1,092	1,557	1,327	230
	स्त्रि०/F	7,568	6,642	926	1,490	1,299	191
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य०/P	3,654	3,198	456	644	576	68
	पु०/M	1,896	1,666	230	325	288	37
	स्त्रि०/F	1,758	1,532	226	319	288	31
3. साक्षर Literates	व्य०/P	6,003	5,215	788	1,076	882	194
	पु०/M	4,311	3,762	549	748	628	120
	स्त्रि०/F	1,692	1,453	239	328	254	74
4. कुल कर्मी Total workers	व्य०/P	5,057	4,416	641	1,157	1,033	124
	पु०/M	3,939	3,408	531	728	636	92
	स्त्रि०/F	1,118	1,008	110	429	397	32
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य०/P	3,255	2,781	474	684	576	108
	पु०/M	2,871	2,437	434	580	496	84
	स्त्रि०/F	384	344	40	104	80	24
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	1,299	1,132	167	362	361	1
	पु०/M	1,195	1,035	160	319	319	-
	स्त्रि०/F	104	97	7	43	42	1
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	1,108	1,041	67	114	114	-
	पु०/M	993	934	59	89	89	-
	स्त्रि०/F	115	107	8	25	25	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	130	119	11	18	10	8
	पु०/M	112	101	11	15	9	6
	स्त्रि०/F	18	18	-	3	1	2
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	718	489	229	190	91	99
	पु०/M	571	367	204	157	79	78
	स्त्रि०/F	147	122	25	33	12	21
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य०/P	1,802	1,635	167	473	457	16
	पु०/M	1,068	971	97	148	140	8
	स्त्रि०/F	734	664	70	325	317	8
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	149	115	34	188	188	-
	पु०/M	51	47	4	21	21	-
	स्त्रि०/F	98	68	30	167	167	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	1,239	1,171	68	207	206	1
	पु०/M	831	790	41	92	91	1
	स्त्रि०/F	408	381	27	115	115	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	74	73	1	13	8	5
	पु०/M	27	27	-	8	7	1
	स्त्रि०/F	47	46	1	5	1	4
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	340	276	64	65	55	10
	पु०/M	159	107	52	27	21	6
	स्त्रि०/F	181	169	12	38	34	4
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य०/P	11,207	9,830	1,377	1,890	1,593	297
	पु०/M	4,757	4,196	561	829	691	138
	स्त्रि०/F	6,450	5,634	816	1,061	902	159

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	खरवार (बेनबांसी को छोड़कर) Kharwar (excluding Benbansi)			खटीक Khatik		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य0/P	119,248	110,748	8,500	764,765	540,221	224,544
	पु0/M	61,271	56,773	4,498	404,686	285,883	118,803
	स्त्रि0/F	57,977	53,975	4,002	360,079	254,338	105,741
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य0/P	25,631	24,258	1,373	156,541	116,569	39,972
	पु0/M	13,038	12,307	731	81,007	60,239	20,768
	स्त्रि0/F	12,593	11,951	642	75,534	56,330	19,204
3. साक्षर Literates	व्य0/P	37,664	32,568	5,096	288,076	182,912	105,164
	पु0/M	25,892	22,802	3,090	194,727	128,746	65,981
	स्त्रि0/F	11,772	9,766	2,006	93,349	54,166	39,183
4. कुल कर्मी Total workers	व्य0/P	43,131	41,062	2,069	244,493	185,795	58,698
	पु0/M	28,369	26,514	1,855	184,227	132,952	51,275
	स्त्रि0/F	14,762	14,548	214	60,266	52,843	7,423
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य0/P	26,398	24,611	1,787	171,080	122,953	48,127
	पु0/M	21,443	19,812	1,631	147,776	104,022	43,754
	स्त्रि0/F	4,955	4,799	156	23,304	18,931	4,373
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	13,560	13,516	44	49,113	47,898	1,215
	पु0/M	11,278	11,239	39	42,707	41,655	1,052
	स्त्रि0/F	2,282	2,277	5	6,406	6,243	163
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	6,957	6,807	150	33,916	32,194	1,722
	पु0/M	4,968	4,834	134	27,398	25,936	1,462
	स्त्रि0/F	1,989	1,973	16	6,518	6,258	260
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	557	503	54	11,650	8,018	3,632
	पु0/M	415	374	41	9,352	6,277	3,075
	स्त्रि0/F	142	129	13	2,298	1,741	557
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	5,324	3,785	1,539	76,401	34,843	41,558
	पु0/M	4,782	3,365	1,417	68,319	30,154	38,165
	स्त्रि0/F	542	420	122	8,082	4,689	3,393
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य0/P	16,733	16,451	282	73,413	62,842	10,571
	पु0/M	6,926	6,702	224	36,451	28,930	7,521
	स्त्रि0/F	9,807	9,749	58	36,962	33,912	3,050
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	3,288	3,283	5	9,843	9,651	192
	पु0/M	922	918	4	3,171	3,097	74
	स्त्रि0/F	2,366	2,365	1	6,672	6,554	118
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	11,420	11,370	50	38,547	36,713	1,834
	पु0/M	4,725	4,693	32	18,024	17,027	997
	स्त्रि0/F	6,695	6,677	18	20,523	19,686	837
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	349	334	15	5,620	4,347	1,273
	पु0/M	127	121	6	2,276	1,703	573
	स्त्रि0/F	222	213	9	3,344	2,644	700
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	1,676	1,464	212	19,403	12,131	7,272
	पु0/M	1,152	970	182	12,980	7,103	5,877
	स्त्रि0/F	524	494	30	6,423	5,028	1,395
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य0/P	76,117	69,686	6,431	520,272	354,426	165,846
	पु0/M	32,902	30,259	2,643	220,459	152,931	67,528
	स्त्रि0/F	43,215	39,427	3,788	299,813	201,495	98,318

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001

A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	खोरोट Khorot			कोल Kol		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य0/P	700	671	29	331,374	326,523	4,851
	पु0/M	382	364	18	173,338	170,684	2,654
	स्त्रि0/F	318	307	11	158,036	155,839	2,197
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य0/P	177	170	7	78,701	77,702	999
	पु0/M	89	86	3	40,034	39,499	535
	स्त्रि0/F	88	84	4	38,667	38,203	464
3. साक्षर Literates	व्य0/P	151	139	12	73,174	71,582	1,592
	पु0/M	120	111	9	53,705	52,564	1,141
	स्त्रि0/F	31	28	3	19,469	19,018	451
4. कुल कर्मी Total workers	व्य0/P	260	244	16	148,429	146,683	1,746
	पु0/M	191	180	11	86,329	85,037	1,292
	स्त्रि0/F	69	64	5	62,100	61,646	454
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य0/P	159	144	15	90,434	89,252	1,182
	पु0/M	137	126	11	63,197	62,236	961
	स्त्रि0/F	22	18	4	27,237	27,016	221
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	39	39	-	22,967	22,956	11
	पु0/M	32	32	-	18,016	18,010	6
	स्त्रि0/F	7	7	-	4,951	4,946	5
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	62	62	-	47,931	47,776	155
	पु0/M	56	56	-	30,530	30,435	95
	स्त्रि0/F	6	6	-	17,401	17,341	60
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	3	3	-	2,727	2,651	76
	पु0/M	3	3	-	2,333	2,268	65
	स्त्रि0/F	-	-	-	394	383	11
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	55	40	15	16,809	15,869	940
	पु0/M	46	35	11	12,318	11,523	795
	स्त्रि0/F	9	5	4	4,491	4,346	145
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य0/P	101	100	1	57,995	57,431	564
	पु0/M	54	54	-	23,132	22,801	331
	स्त्रि0/F	47	46	1	34,863	34,630	233
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	16	16	-	5,534	5,533	1
	पु0/M	8	8	-	1,576	1,575	1
	स्त्रि0/F	8	8	-	3,958	3,958	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	76	75	1	45,583	45,458	125
	पु0/M	39	39	-	18,150	18,083	67
	स्त्रि0/F	37	36	1	27,433	27,375	58
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	1	1	-	979	945	34
	पु0/M	1	1	-	491	483	8
	स्त्रि0/F	-	-	-	488	462	26
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	8	8	-	5,899	5,495	404
	पु0/M	6	6	-	2,915	2,660	255
	स्त्रि0/F	2	2	-	2,984	2,835	149
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य0/P	440	427	13	182,945	179,840	3,105
	पु0/M	191	184	7	87,009	85,647	1,362
	स्त्रि0/F	249	243	6	95,936	94,193	1,743

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	कोरी Kori			कोरवा Korwa		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			**UTTAR PRADESH**		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य०/P	2,000,628	1,623,848	376,780	1,594	1,434	160
	पु०/M	1,059,331	857,557	201,774	821	730	91
	स्त्रि०/F	941,297	766,291	175,006	773	704	69
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य०/P	380,260	318,412	61,848	336	317	19
	पु०/M	197,247	164,551	32,696	159	149	10
	स्त्रि०/F	183,013	153,861	29,152	177	168	9
3. साक्षर Literates	व्य०/P	743,027	557,183	185,844	310	212	98
	पु०/M	512,839	394,508	118,331	216	155	61
	स्त्रि०/F	230,188	162,675	67,513	94	57	37
4. कुल कर्मी Total workers	व्य०/P	747,471	636,085	111,386	784	738	46
	पु०/M	530,564	437,904	92,660	447	406	41
	स्त्रि०/F	216,907	198,181	18,726	337	332	5
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य०/P	493,150	405,745	87,405	434	389	45
	पु०/M	413,524	336,885	76,639	294	254	40
	स्त्रि०/F	79,626	68,860	10,766	140	135	5
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	180,818	178,645	2,173	105	105	-
	पु०/M	155,717	153,839	1,878	92	92	-
	स्त्रि०/F	25,101	24,806	295	13	13	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	157,193	152,634	4,559	140	140	-
	पु०/M	122,531	118,588	3,943	81	81	-
	स्त्रि०/F	34,662	34,046	616	59	59	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	24,693	14,393	10,300	10	8	2
	पु०/M	17,641	10,732	6,909	10	8	2
	स्त्रि०/F	7,052	3,661	3,391	-	-	-
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	130,446	60,073	70,373	179	136	43
	पु०/M	117,635	53,726	63,909	111	73	38
	स्त्रि०/F	12,811	6,347	6,464	68	63	5
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य०/P	254,321	230,340	23,981	350	349	1
	पु०/M	117,040	101,019	16,021	153	152	1
	स्त्रि०/F	137,281	129,321	7,960	197	197	-
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	35,908	35,595	313	26	26	-
	पु०/M	10,551	10,429	122	16	16	-
	स्त्रि०/F	25,357	25,166	191	10	10	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	169,534	165,928	3,606	180	180	-
	पु०/M	75,735	73,622	2,113	66	66	-
	स्त्रि०/F	93,799	92,306	1,493	114	114	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	12,195	8,128	4,067	17	17	-
	पु०/M	3,947	2,654	1,293	11	11	-
	स्त्रि०/F	8,248	5,474	2,774	6	6	-
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	36,684	20,689	15,995	127	126	1
	पु०/M	26,807	14,314	12,493	60	59	1
	स्त्रि०/F	9,877	6,375	3,502	67	67	-
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य०/P	1,253,157	987,763	265,394	810	696	114
	पु०/M	528,767	419,653	109,114	374	324	50
	स्त्रि०/F	724,390	568,110	156,280	436	372	64

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	लालबेगी Lalbegi			मझवार Majhwar		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य०/P	299	190	109	18,268	10,578	7,690
	पु०/M	166	100	66	9,616	5,557	4,059
	स्त्रि०/F	133	90	43	8,652	5,021	3,631
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य०/P	60	43	17	3,725	2,388	1,337
	पु०/M	33	22	11	1,965	1,254	711
	स्त्रि०/F	27	21	6	1,760	1,134	626
3. साक्षर Literates	व्य०/P	115	67	48	6,298	2,848	3,450
	पु०/M	77	41	36	4,197	1,977	2,220
	स्त्रि०/F	38	26	12	2,101	871	1,230
4. कुल कर्मी Total workers	व्य०/P	88	48	40	6,384	4,356	2,028
	पु०/M	78	44	34	4,552	2,809	1,743
	स्त्रि०/F	10	4	6	1,832	1,547	285
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य०/P	65	36	29	4,160	2,502	1,658
	पु०/M	60	34	26	3,292	1,839	1,453
	स्त्रि०/F	5	2	3	868	663	205
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	26	26	-	675	644	31
	पु०/M	25	25	-	585	560	25
	स्त्रि०/F	1	1	-	90	84	6
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	6	6	-	641	442	199
	पु०/M	6	6	-	494	360	134
	स्त्रि०/F	-	-	-	147	82	65
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	3	-	3	211	146	65
	पु०/M	3	-	3	146	86	60
	स्त्रि०/F	.	-	-	65	60	5
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	30	4	26	2,633	1,270	1,363
	पु०/M	26	3	23	2,067	833	1,234
	स्त्रि०/F	4	1	3	566	437	129
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य०/P	23	12	11	2,224	1,854	370
	पु०/M	18	10	8	1,260	970	290
	स्त्रि०/F	5	2	3	964	884	80
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	3	3	-	141	136	5
	पु०/M	3	3	-	42	40	2
	स्त्रि०/F	-	-	-	99	96	3
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	7	7	.	906	863	43
	पु०/M	5	5	-	542	509	33
	स्त्रि०/F	2	2	-	364	354	10
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	-	-	-	178	166	12
	पु०/M	-	-	-	61	52	9
	स्त्रि०/F	-	-	-	117	114	3
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	13	2	11	999	689	310
	पु०/M	10	2	8	615	369	246
	स्त्रि०/F	3	-	3	384	320	64
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य०/P	211	142	69	11,884	6,222	5,662
	पु०/M	88	56	32	5,064	2,748	2,316
	स्त्रि०/F	123	86	37	6,820	3,474	3,346

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	मज़हबी Mazhabi			मुसहर Musahar		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			**UTTAR PRADESH**		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य०/P	3,664	3,420	244	206,594	201,666	4,928
	पु०/M	1,927	1,798	129	106,763	104,141	2,622
	स्त्रि०/F	1,737	1,622	115	99,831	97,525	2,306
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य०/P	659	605	54	48,350	47,276	1,074
	पु०/M	345	312	33	24,627	24,100	527
	स्त्रि०/F	314	293	21	23,723	23,176	547
3. साक्षर Literates	व्य०/P	1,394	1,229	165	21,052	20,446	606
	पु०/M	885	797	88	15,724	15,280	444
	स्त्रि०/F	509	432	77	5,328	5,166	162
4. कुल कर्मी Total workers	व्य०/P	1,268	1,201	67	95,717	93,703	2,014
	पु०/M	1,046	985	61	56,351	54,962	1,389
	स्त्रि०/F	222	216	6	39,366	38,741	625
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य०/P	992	926	66	51,966	50,769	1,197
	पु०/M	885	824	61	36,049	35,120	929
	स्त्रि०/F	107	102	5	15,917	15,649	268
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	571	571	-	5,141	5,128	13
	पु०/M	496	496	-	4,047	4,038	9
	स्त्रि०/F	75	75	-	1,094	1,090	4
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	246	245	1	22,537	22,471	66
	पु०/M	233	232	1	15,609	15,552	57
	स्त्रि०/F	13	13	-	6,928	6,919	9
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	12	6	6	12,430	12,060	370
	पु०/M	10	4	6	7,272	7,056	216
	स्त्रि०/F	2	2	-	5,158	5,004	154
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	163	104	59	11,858	11,110	748
	पु०/M	146	92	54	9,121	8,474	647
	स्त्रि०/F	17	12	5	2,737	2,636	101
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य०/P	276	275	1	43,751	42,934	817
	पु०/M	161	161	-	20,302	19,842	460
	स्त्रि०/F	115	114	1	23,449	23,092	357
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	52	52	-	1,467	1,462	5
	पु०/M	13	13	-	548	543	5
	स्त्रि०/F	39	39	-	919	919	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	172	172	-	27,421	27,232	189
	पु०/M	126	126	-	12,711	12,637	74
	स्त्रि०/F	46	46	-	14,710	14,595	115
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	2	2	-	7,538	7,263	275
	पु०/M	1	1	-	2,610	2,478	132
	स्त्रि०/F	1	1	-	4,928	4,785	143
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	50	49	1	7,325	6,977	348
	पु०/M	21	21	-	4,433	4,184	249
	स्त्रि०/F	29	28	1	2,892	2,793	99
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य०/P	2,396	2,219	177	110,877	107,963	2,914
	पु०/M	881	813	68	50,412	49,179	1,233
	स्त्रि०/F	1,515	1,406	109	60,465	58,784	1,681

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001

A-10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	नट Nat			पंखा Pankha		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			**UTTAR PRADESH**		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य०/P	158,379	142,503	15,876	20,354	18,794	1,560
	पु०/M	83,263	74,926	8,337	10,586	9,771	815
	स्त्रि०/F	75,116	67,577	7,539	9,768	9,023	745
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य०/P	37,518	33,905	3,613	4,565	4,246	319
	पु०/M	19,067	17,232	1,835	2,291	2,136	155
	स्त्रि०/F	18,451	16,673	1,778	2,274	2,110	164
3. साक्षर Literates	व्य०/P	39,130	35,436	3,694	5,611	5,053	558
	पु०/M	27,673	25,166	2,507	4,203	3,838	365
	स्त्रि०/F	11,457	10,270	1,187	1,408	1,215	193
4. कुल कर्मी Total workers	व्य०/P	48,732	44,620	4,112	7,954	7,586	368
	पु०/M	36,062	32,618	3,444	5,025	4,696	329
	स्त्रि०/F	12,670	12,002	668	2,929	2,890	39
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य०/P	31,321	28,270	3,051	4,389	4,066	323
	पु०/M	26,599	23,893	2,706	3,529	3,232	297
	स्त्रि०/F	4,722	4,377	345	860	834	26
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	8,299	8,251	48	1,821	1,796	25
	पु०/M	7,465	7,428	37	1,542	1,518	24
	स्त्रि०/F	834	823	11	279	278	1
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	9,881	9,602	279	1,408	1,319	89
	पु०/M	8,347	8,098	249	984	903	81
	स्त्रि०/F	1,534	1,504	30	424	416	8
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	1,457	1,332	125	87	86	1
	पु०/M	1,094	1,001	93	47	46	1
	स्त्रि०/F	363	331	32	40	40	-
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	11,684	9,085	2,599	1,073	865	208
	पु०/M	9,693	7,366	2,327	956	765	191
	स्त्रि०/F	1,991	1,719	272	117	100	17
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य०/P	17,411	16,350	1,061	3,565	3,520	45
	पु०/M	9,463	8,725	738	1,496	1,464	32
	स्त्रि०/F	7,948	7,625	323	2,069	2,056	13
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	1,503	1,500	3	561	556	5
	पु०/M	565	562	3	186	185	1
	स्त्रि०/F	938	938	-	375	371	4
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	9,866	9,701	165	2,595	2,587	8
	पु०/M	5,433	5,331	102	990	987	3
	स्त्रि०/F	4,433	4,370	63	1,605	1,600	5
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	1,261	1,153	108	73	73	-
	पु०/M	490	424	66	44	44	-
	स्त्रि०/F	771	729	42	29	29	-
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	4,781	3,996	785	336	304	32
	पु०/M	2,975	2,408	567	276	248	28
	स्त्रि०/F	1,806	1,588	218	60	56	4
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य०/P	109,647	97,883	11,764	12,400	11,208	1,192
	पु०/M	47,201	42,308	4,893	5,561	5,075	486
	स्त्रि०/F	62,446	55,575	6,871	6,839	6,133	706

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	परहिया Parahiya			पासी, तरमाली Pasi, Tarmali		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य०/P	1,816	1,528	288	5,597,002	5,348,057	248,945
	पु०/M	960	799	161	2,916,104	2,782,334	133,770
	स्त्रि०/F	856	729	127	2,680,898	2,565,723	115,175
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य०/P	399	358	41	1,183,967	1,142,078	41,889
	पु०/M	216	187	29	606,743	585,110	21,633
	स्त्रि०/F	183	171	12	577,224	556,968	20,256
3. साक्षर Literates	व्य०/P	401	279	122	1,714,590	1,604,809	109,781
	पु०/M	273	206	67	1,208,905	1,137,900	71,005
	स्त्रि०/F	128	73	55	505,685	466,909	38,776
4. कुल कर्मी Total workers	व्य०/P	783	708	75	2,035,921	1,966,932	68,989
	पु०/M	465	401	64	1,414,462	1,355,767	58,695
	स्त्रि०/F	318	307	11	621,459	611,165	10,294
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य०/P	352	296	56	1,315,769	1,264,930	50,839
	पु०/M	255	208	47	1,108,004	1,062,219	45,785
	स्त्रि०/F	97	88	9	207,765	202,711	5,054
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	82	82	-	733,427	728,948	4,479
	पु०/M	73	73	-	640,621	636,645	3,976
	स्त्रि०/F	9	9	-	92,806	92,303	503
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	119	117	2	377,344	371,170	6,174
	पु०/M	74	73	1	286,695	281,819	4,876
	स्त्रि०/F	45	44	1	90,649	89,351	1,298
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	37	34	3	30,825	29,147	1,678
	पु०/M	25	24	1	23,811	22,392	1,419
	स्त्रि०/F	12	10	2	7,014	6,755	259
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	114	63	51	174,173	135,665	38,508
	पु०/M	83	38	45	156,877	121,363	35,514
	स्त्रि०/F	31	25	6	17,296	14,302	2,994
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य०/P	431	412	19	720,152	702,002	18,150
	पु०/M	210	193	17	306,458	293,548	12,910
	स्त्रि०/F	221	219	2	413,694	408,454	5,240
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	22	22	-	137,759	137,280	479
	पु०/M	13	13	-	40,312	40,111	201
	स्त्रि०/F	9	9	-	97,447	97,169	278
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	284	283	1	501,922	496,098	5,824
	पु०/M	115	114	1	213,768	210,528	3,240
	स्त्रि०/F	169	169	-	288,154	285,570	2,584
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	14	13	1	17,694	16,824	870
	पु०/M	10	10	-	7,110	6,596	514
	स्त्रि०/F	4	3	1	10,584	10,228	356
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	111	94	17	62,777	51,800	10,977
	पु०/M	72	56	16	45,268	36,313	8,955
	स्त्रि०/F	39	38	1	17,509	15,487	2,022
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य०/P	1,033	820	213	3,561,081	3,381,125	179,956
	पु०/M	495	398	97	1,501,642	1,426,567	75,075
	स्त्रि०/F	538	422	116	2,059,439	1,954,558	104,881

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	पटारी Patari			रावत Rawat		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य0/P	1,716	1,609	107	109,557	71,336	38,221
	पु0/M	901	836	65	57,737	37,445	20,292
	स्त्रि0/F	815	773	42	51,820	33,891	17,929
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य0/P	348	326	22	21,440	14,984	6,456
	पु0/M	175	162	13	11,125	7,776	3,349
	स्त्रि0/F	173	164	9	10,315	7,208	3,107
3. साक्षर Literates	व्य0/P	627	586	41	40,947	22,970	17,977
	पु0/M	455	422	33	26,537	15,398	11,139
	स्त्रि0/F	172	164	8	14,410	7,572	6,838
4. कुल कर्मी Total workers	व्य0/P	685	654	3.	36,140	26,027	10,113
	पु0/M	413	386	27	26,978	18,411	8,567
	स्त्रि0/F	272	268	4	9,162	7,616	1,546
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य0/P	372	345	27	24,724	17,271	7,453
	पु0/M	279	256	23	21,129	14 557	6,572
	स्त्रि0/F	93	89	4	3,595	2,714	881
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	158	158	-	9,319	8,837	482
	पु0/M	123	123	-	8,143	7,719	424
	स्त्रि0/F	35	35	-	1,176	1,118	58
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	107	107	-	4,854	4,508	346
	पु0/M	64	64	-	3,785	3,496	289
	स्त्रि0/F	43	43	-	1,069	1,012	57
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	10	10	-	485	303	182
	पु0/M	8	8	-	367	212	155
	स्त्रि0/F	2	2	-	118	91	27
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	97	70	27	10,066	3 623	6,443
	पु0/M	84	61	23	8,834	3,130	5,704
	स्त्रि0/F	13	9	4	1,232	493	739
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य0/P	313	309	4	11,416	8.756	2,660
	पु0/M	134	130	4	5,849	3,854	1,995
	स्त्रि0/F	179	179	-	5,567	4,902	665
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	75	75	-	1,712	1,664	48
	पु0/M	24	24	-	484	448	36
	स्त्रि0/F	51	51	-	1,228	1,216	12
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	192	192	-	6,410	5,786	624
	पु0/M	75	75	-	3,085	2,639	446
	स्त्रि0/F	117	117	-	3,325	3,147	178
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	12	12	-	438	218	220
	पु0/M	6	6	-	209	94	115
	स्त्रि0/F	6	6	-	229	124	105
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	34	30	4	2,856	1,088	1,768
	पु0/M	29	25	4	2,071	673	1,398
	स्त्रि0/F	5	5	-	785	415	370
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य0/P	1,031	955	76	73,417	45,309	28,108
	पु0/M	488	450	38	30,759	19,034	11,725
	स्त्रि0/F	543	505	38	42,658	26,275	16,383

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	सहारया Saharya			सनौरहिया Sanaurhiya		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			**UTTAR PRADESH**		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य०/P	60,238	58,513	1,725	1,066	687	379
	पु०/M	31,206	30,321	885	578	375	203
	स्त्रि०/F	29,032	28,192	840	488	312	176
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य०/P	14,862	14,438	424	216	142	74
	पु०/M	7,621	7,414	207	119	78	41
	स्त्रि०/F	7,241	7,024	217	97	64	33
3. साक्षर Literates	व्य०/P	8,702	8,363	339	379	215	164
	पु०/M	6,460	6,222	238	249	149	100
	स्त्रि०/F	2,242	2,141	101	130	66	64
4. कुल कर्मी Total workers	व्य०/P	28,012	27,255	757	311	235	76
	पु०/M	15,931	15,479	452	245	172	73
	स्त्रि०/F	12,081	11,776	305	66	63	3
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य०/P	17,164	16,642	522	185	123	62
	पु०/M	13,058	12,696	362	164	105	59
	स्त्रि०/F	4,106	3,946	160	21	18	3
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	8,769	8,745	24	22	22	-
	पु०/M	7,048	7,034	14	21	21	-
	स्त्रि०/F	1,721	1,711	10	1	1	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	4,629	4,608	21	17	17	-
	पु०/M	3,211	3,196	15	13	13	-
	स्त्रि०/F	1,418	1,412	6	4	4	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	440	272	168	3	2	1
	पु०/M	274	183	91	2	1	1
	स्त्रि०/F	166	89	77	1	1	-
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	3,326	3,017	309	143	82	61
	पु०/M	2,525	2,283	242	128	70	58
	स्त्रि०/F	801	734	67	15	12	3
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य०/P	10,848	10,613	235	126	112	14
	पु०/M	2,873	2,783	90	81	67	14
	स्त्रि०/F	7,975	7,830	145	45	45	-
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	2,109	2,109	-	4	4	-
	पु०/M	258	258	-	-	-	-
	स्त्रि०/F	1,851	1,851	-	4	4	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	6,516	6,436	80	9	9	-
	पु०/M	1,768	1,756	12	2	2	-
	स्त्रि०/F	4,748	4,680	68	7	7	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	185	174	11	1	1	-
	पु०/M	54	50	4	-	-	-
	स्त्रि०/F	131	124	7	1	1	-
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	2,038	1,894	144	112	98	14
	पु०/M	793	719	74	79	65	14
	स्त्रि०/F	1,245	1,175	70	33	33	-
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य०/P	32,226	31,258	968	755	452	303
	पु०/M	15,275	14,842	433	333	203	130
	स्त्रि०/F	16,951	16,416	535	422	249	173

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	सांसिया Sansiya			शिल्पकार Shilpkar		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य0/P	8,639	5,634	3,005	24,757	17,462	7,295
	पु0/M	4,514	2,968	1,546	12,971	9,109	3,862
	स्त्रि0/F	4,125	2,666	1,459	11,786	8,353	3,433
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य0/P	1,776	1,287	489	5,410	4,091	1,319
	पु0/M	893	641	252	2,757	2,083	674
	स्त्रि0/F	883	646	237	2,653	2,008	645
3. साक्षर Literates	व्य0/P	3,642	1,859	1,783	7,662	4,130	3,532
	पु0/M	2,339	1,322	1,017	5,126	2,978	2,148
	स्त्रि0/F	1,303	537	766	2,536	1,152	1,384
4. कुल कर्मी Total workers	व्य0/P	2,664	1,939	725	8,304	6,237	2,067
	पु0/M	2,089	1,452	637	6,063	4,289	1,774
	स्त्रि0/F	575	487	88	2,241	1,948	293
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य0/P	2,025	1,379	646	5,821	4,046	1,775
	पु0/M	1,776	1,201	575	4,940	3,344	1,596
	स्त्रि0/F	249	178	71	881	702	179
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	410	404	6	1,096	1,057	39
	पु0/M	393	387	6	987	952	35
	स्त्रि0/F	17	17	-	109	105	4
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	308	299	9	1,107	1,028	79
	पु0/M	279	273	6	898	827	71
	स्त्रि0/F	29	26	3	209	201	8
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	388	337	51	1,129	930	199
	पु0/M	301	269	32	830	689	141
	स्त्रि0/F	87	68	19	299	241	58
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	919	339	580	2,489	1,031	1,458
	पु0/M	803	272	531	2,225	876	1,349
	स्त्रि0/F	116	67	49	264	155	109
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य0/P	639	560	79	2,483	2,191	292
	पु0/M	313	251	62	1,123	945	178
	स्त्रि0/F	326	309	17	1,360	1,246	114
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	27	27	-	238	225	13
	पु0/M	10	10	-	65	60	5
	स्त्रि0/F	17	17	-	173	165	8
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	211	190	21	1,351	1,310	41
	पु0/M	127	107	20	636	621	15
	स्त्रि0/F	84	83	1	715	689	26
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	155	145	10	420	343	77
	पु0/M	40	35	5	115	84	31
	स्त्रि0/F	115	110	5	305	259	46
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	246	198	48	474	313	161
	पु0/M	136	99	37	307	180	127
	स्त्रि0/F	110	99	11	167	133	34
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य0/P	5,975	3,695	2,280	16,453	11,225	5,228
	पु0/M	2,425	1,516	909	6,908	4,820	2,088
	स्त्रि0/F	3,550	2,179	1,371	9,545	6,405	3,140

क-10 अनुसूचित जाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 10 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED CASTE - 2001

मद Item	लिंग Sex	तुरैहा Turaiha		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5
			उत्तर प्रदेश	
1. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Castes population (including institutional and houseless population)	व्य0/P	25,649	19,761	5,888
	पु0/M	13,423	10,326	3,097
	स्त्रि0/F	12,226	9,435	2,791
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या/ Scheduled Castes population in the age group 0-6	व्य0/P	5,725	4,607	1,118
	पु0/M	2,951	2,355	596
	स्त्रि0/F	2,774	2,252	522
3. साक्षर Literates	व्य0/P	7,825	5,449	2,376
	पु0/M	5,595	4,079	1,516
	स्त्रि0/F	2,230	1,370	860
4. कुल कर्मी Total workers	व्य0/P	8,289	6,712	1,577
	पु0/M	6,167	4,832	1,335
	स्त्रि0/F	2,122	1,880	242
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य0/P	5,799	4,577	1,222
	पु0/M	4,908	3,829	1,079
	स्त्रि0/F	891	748	143
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	2,213	2,198	15
	पु0/M	1,826	1,812	14
	स्त्रि0/F	387	386	1
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	1,200	1,099	101
	पु0/M	1,026	938	88
	स्त्रि0/F	174	161	13
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	193	148	45
	पु0/M	160	118	42
	स्त्रि0/F	33	30	3
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	2,193	1,132	1,061
	पु0/M	1,896	961	935
	स्त्रि0/F	297	171	126
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य0/P	2,490	2,135	355
	पु0/M	1,259	1,003	256
	स्त्रि0/F	1,231	1,132	99
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	490	486	4
	पु0/M	172	169	3
	स्त्रि0/F	318	317	1
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	1,198	1,131	67
	पु0/M	616	589	27
	स्त्रि0/F	582	542	40
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	127	87	40
	पु0/M	72	40	32
	स्त्रि0/F	55	47	8
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	675	431	244
	पु0/M	399	205	194
	स्त्रि0/F	276	226	50
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य0/P	17,360	13,049	4,311
	पु0/M	7,256	5,494	1,762
	स्त्रि0/F	10,104	7,555	2,549

क-11 अनुसूचित जनजाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A- 11 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED TRIBE - 2001

मद Item	लिंग Sex	सभी अनुसूचित जनजातियां All Scheduled Tribes			भोटिया Bhotia		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
			उत्तर प्रदेश		UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Tribes population (including institutional and houseless population)	व्य0/P	107.963	95.828	12.135	3.491	1,830	1,661
	पु0/M	55.834	49.276	6.558	1,800	917	883
	स्त्रि0/F	52.129	46,552	5,577	1,691	913	778
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या/ Scheduled tribes population in the age group 0-6	व्य0/P	23,897	21,720	2,177	748	405	343
	पु0/M	12,109	11,017	1,092	369	168	181
	स्त्रि0/F	11,788	10,703	1,085	379	217	162
3. साक्षर Literates	व्य0/P	29.536	24.447	5.089	1.153	478	675
	पु0/M	21.184	17.871	3.313	743	314	429
	स्त्रि0/F	8.352	6.576	1.776	410	164	246
4. कुल कर्मी Total workers	व्य0/P	43,528	40,282	3,246	1,110	633	477
	पु0/M	27,839	25,115	2,724	842	462	380
	स्त्रि0/F	15,689	15,167	522	268	171	97
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य0/P	28,998	26,458	2,540	806	436	370
	पु0/M	21,777	19,561	2,216	646	336	310
	स्त्रि0/F	7,221	6,897	324	160	100	60
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	15.779	15,732	47	123	107	16
	पु0/M	12,256	12,223	33	109	99	10
	स्त्रि0/F	3,523	3,509	14	14	8	6
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	6,331	6,294	37	61	54	7
	पु0/M	4,478	4,447	31	56	49	7
	स्त्रि0/F	1,853	1,847	6	5	5	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	677	487	190	45	25	20
	पु0/M	496	352	144	30	18	12
	स्त्रि0/F	181	135	46	15	7	8
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	6,211	3,945	2,266	577	250	327
	पु0/M	4,547	2,539	2,008	451	170	281
	स्त्रि0/F	1,664	1,406	258	126	80	46
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य0/P	1[illegible],530	13,824	706	304	197	107
	पु0/M	6,062	5,554	508	196	126	70
	स्त्रि0/F	8.468	8,270	198	108	71	37
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	3,623	3,616	7	12	12	-
	पु0/M	839	835	4	7	7	-
	स्त्रि0/F	2,784	2,781	3	5	5	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	7,352	7,291	61	51	51	-
	पु0/M	3,325	3,284	41	42	42	-
	स्त्रि0/F	4.027	4,007	20	9	9	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	376	315	61	19	10	9
	पु0/M	142	122	20	6	2	4
	स्त्रि0/F	234	193	41	13	8	5
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	3.179	2,602	577	222	124	98
	पु0/M	1,756	1,313	443	141	75	66
	स्त्रि0/F	1,423	1,289	134	81	49	32
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य0/P	64,435	55,546	8,889	2,381	1,197	1,184
	पु0/M	27,995	24,161	3,834	958	455	503
	स्त्रि0/F	36,440	31,385	5,055	1,423	742	681

टिप्पणी/Note:'सभी अनुसूचित जनजातियां' में 'अवर्गीकृत' के आंकड़े भी सम्मिलित हैं।/ 'All Scheduled Tribes' includes figures for 'Unclassified'.
अनुसूचित जनजातियां जिनकी संख्या 'शून्य' है, नहीं दर्शायी गई हैं।/ Scheduled Tribes having 'NIL' return are not shown.

क-11 अनुसूचित जनजाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A-11 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED TRIBE - 2001

मद Item	लिंग Sex	राजी Raji			थारु Tharu		
		योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Tribes population (including institutional and houseless population)	व्य0/P	998	769	229	83,544	77,897	5,647
	पु0/M	526	400	126	42,933	39,896	3,037
	स्त्रि0/F	472	369	103	40,611	38,001	2,610
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या/ Scheduled tribes population in the age group 0-6	व्य0/P	218	177	41	18,769	17,781	988
	पु0/M	108	87	21	9,528	9,031	497
	स्त्रि0/F	110	90	20	9,241	8,750	491
3. साक्षर Literates	व्य0/P	244	141	103	22,638	20,138	2,500
	पु0/M	175	104	71	16,366	14,738	1,628
	स्त्रि0/F	69	37	32	6,272	5,400	872
4. कुल कर्मी Total workers	व्य0/P	463	395	68	33,500	32,259	1,241
	पु0/M	275	217	58	21,200	20,100	1,100
	स्त्रि0/F	188	178	10	12,300	12,159	141
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य0/P	293	246	52	23,025	22,005	1,020
	पु0/M	191	147	44	17,305	16,370	935
	स्त्रि0/F	107	99	8	5,720	5,635	85
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	38	38	-	14,813	14,797	16
	पु0/M	29	29	-	11,441	11,427	14
	स्त्रि0/F	9	9	-	3,372	3,370	2
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	34	34	-	4,985	4,972	13
	पु0/M	21	21	-	3,491	3,479	12
	स्त्रि0/F	13	13	-	1,494	1,493	1
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	42	31	11	279	242	37
	पु0/M	29	20	9	226	195	31
	स्त्रि0/F	13	11	2	53	47	6
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	184	143	41	2,948	1,994	954
	पु0/M	112	77	35	2,147	1,269	878
	स्त्रि0/F	72	66	6	801	725	76
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य0/P	165	149	16	10,475	10,254	221
	पु0/M	84	70	14	3,895	3,730	165
	स्त्रि0/F	81	79	2	6,580	6,524	56
(i) काश्तकार Cultivators	व्य0/P	2	2	-	3,429	3,426	3
	पु0/M	1	1	-	788	786	2
	स्त्रि0/F	1	1	-	2,641	2,640	1
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य0/P	50	46	4	5,724	5,716	8
	पु0/M	26	24	2	2,403	2,396	7
	स्त्रि0/F	24	22	2	3,321	3,320	1
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य0/P	14	10	4	153	142	11
	पु0/M	7	3	4	57	55	2
	स्त्रि0/F	7	7	-	96	87	9
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य0/P	99	91	8	1,169	970	199
	पु0/M	50	42	8	647	493	154
	स्त्रि0/F	49	49	-	522	477	45
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य0/P	535	374	161	50,044	45,638	4,406
	पु0/M	251	183	68	21,733	19,796	1,937
	स्त्रि0/F	284	191	93	28,311	25,842	2,469

क-11 अनुसूचित जनजाति विशेष से सम्बन्धित राज्य प्राथमिक जनगणना सार-2001
A-11 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT FOR INDIVIDUAL SCHEDULED TRIBE - 2001

मद Item	लिंग Sex	बुक्सा Buksa योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban	जौनसारी Jaunsari योग/Total	ग्रामीण/Rural	नगरीय/Urban
1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश			UTTAR PRADESH		
1. अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या (संस्थागत और बेघर जनसंख्या सहित) Scheduled Tribes population (including institutional and houseless population)	व्य०/P	4,367	3,145	1,222	1,467	1,168	299
	पु०/M	2,290	1,546	644	847	634	213
	स्त्रि०/F	2,077	1,499	578	620	534	86
2. 0-6 आयु समूह की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या/ Scheduled tribes population in the age group 0-6	व्य०/P	985	715	270	310	278	32
	पु०/M	473	343	130	153	140	13
	स्त्रि०/F	512	372	140	157	138	19
3. साक्षर Literates	व्य०/P	1,055	729	326	591	364	227
	पु०/M	731	515	216	470	286	184
	स्त्रि०/F	324	214	110	121	78	43
4. कुल कर्मी Total workers	व्य०/P	1,524	1,178	346	440	367	73
	पु०/M	1,144	849	295	352	282	70
	स्त्रि०/F	380	329	51	88	85	3
5. दीर्घकालिक कर्मी Main workers	व्य०/P	987	749	238	244	173	71
	पु०/M	875	654	221	215	147	68
	स्त्रि०/F	112	95	17	29	26	3
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	221	221	-	66	66	-
	पु०/M	209	209	-	64	64	-
	स्त्रि०/F	12	12	-	2	2	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	386	386	-	42	42	-
	पु०/M	348	348	-	40	40	-
	स्त्रि०/F	38	38	-	2	2	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	43	14	29	8	6	2
	पु०/M	31	11	20	5	3	2
	स्त्रि०/F	12	3	9	3	3	-
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	337	128	209	128	59	69
	पु०/M	287	86	201	106	40	66
	स्त्रि०/F	50	42	8	22	19	3
6. अल्पकालिक कर्मी Marginal workers	व्य०/P	537	429	108	196	194	2
	पु०/M	269	195	74	137	135	2
	स्त्रि०/F	268	234	34	59	59	-
(i) काश्तकार Cultivators	व्य०/P	58	58	-	-	-	-
	पु०/M	7	7	-	-	-	-
	स्त्रि०/F	51	51	-	-	-	-
(ii) खेतिहर मजदूर Agricultural labourers	व्य०/P	258	234	24	98	98	-
	पु०/M	131	119	12	83	83	-
	स्त्रि०/F	127	115	12	15	15	-
(iii) पारिवारिक उद्योग कर्मी Household industry workers	व्य०/P	33	13	20	-	-	-
	पु०/M	8	1	7	-	-	-
	स्त्रि०/F	25	12	13	-	-	-
(iv) अन्य कर्मी Other workers	व्य०/P	188	124	64	98	96	2
	पु०/M	123	68	55	54	52	2
	स्त्रि०/F	65	56	9	44	44	-
7. गैर कर्मी Non-workers	व्य०/P	2,843	1,967	876	1,027	801	226
	पु०/M	1,146	797	349	495	352	143
	स्त्रि०/F	1,697	1,170	527	532	449	83

दलितों की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि

हमारे देश में दलितों के साथ कुछ ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां रही है। जिसके कारण करोड़ों अछूतां एवं शूद्रों (दलितों) को अमानवीय व्यवहार, अन्याय एवं अत्याचार का सामना करना पड़ा और इन वर्गो का जीवित रहना दुर्लभ हो गया।

डॉ0 बीरेन्द्र के अनुसार कि दलित समाज आज भी समाज की मुख धारा से कटा हुआ है। इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है इसी कारण इन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है तथा विकास की श्रंखला में सहभागी नहीं हो पाते है। आज समय की मॉग है कि समाज में असमानता की खाई को पाटकर प्रजातंत्र की परम्परा को हम आगें बढ़ायें।[29(अ)]

मनुष्य का जीवन–मरण प्राकृतिक है। उसके भौतिक शरीर में मनुष्य प्रकृति के अनुसार जन्मता और मरता है, चेतना, तर्क, विवेक, भावना, संकल्प आदि शक्तियॉ भी विद्यमान है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ उत्पादन कार्य अवश्य करने पड़ते हैं, परन्तु सभी व्यक्तियों में प्रत्येक प्रकार के कार्यो को करने की क्षमता एवं रूचि एक समान नहीं होती है। मानव ने अपनी निरन्तर बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उत्पादन की मात्रा में गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु श्रम– विभाजन की आवश्यकता महसूस की। श्रम विभाजन में रूचि एवं योग्यता के आध ार पर व्यक्तियों को कार्य सौंपे गये। इस प्रकार से समाज में एक संतुलित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हुई जिसे वैदिक व्यवस्था के वर्ण रूप में जाना गया परन्तु कुछ असामाजिक तत्वो ने हजारों साल से वैदिक व्यवस्था का रूप कर्मणा से बदलकर जन्मना कर दिया और समाज के उत्तम से उत्तम सेवा एवं मेहनत के काम को नीच कर्म का स्थान देकर अपने लिए उच्च जाति एवं बौद्धिक कार्य को आरक्षित करा लिया ताकि अयोग्य होकर भी महापण्डित कहला सकें और बिना मेहनत के पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें उत्तम भोजन, उत्तम सम्मान और उत्तम सेवा मिल सकें।

दलित से आशय संवैधानिक दृष्टिकोण से उन लोगों से है जो संविधान की धारा 341 (1) त्था (2) के अन्तर्गत अनूसचित जाति में रखे गये हैं। संविधान में इनकी अलग पहचान है जो इनकी सामाजिक निर्योग्यताओं एवं इसके आर्थिक पिछड़े पन को दूर करके उन्हें विशेष सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा की दृष्टि से निर्मित की गई है।[31]

मनुस्मृति में मनु ने शूद्रों के प्रति शोषण, अत्याचार एवं घोर अमानवीयता का परिचय दिया। उन्होंने शूद्रों को समाज के समस्त मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया था। "मनुस्मृति के अनुसार– यदि शूद्र जानबूझकर कर वेदों का पठन पाठन सुनता है तो उसके कानों में पिघलता शीशा या लाख डाल दी जाये, यदि वेदों का उच्चारण करता है तो उसकी जबान काट ली जाये यदि वेदों पर अपना प्रभुत्व स्थपित करता है तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिये जायें।[32]

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्, बाहू राजन्यः कृतः।
ऊरू तदद्वैश्यः पादभ्याम् शूद्रो अजायत्।।[33]

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है। कि संसार की समृद्धि ने लिए ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र को उत्पन्न किया, अर्थात ब्रह्मा ने मानव जाति को चार वर्णों में विभाजित किया। इस विभाजन को ही वर्ण–व्यवस्था

के रूप में माना जाता है। प्रत्येक वर्ण का कार्यक्षेत्र अलग–अलग है। यही कारण है कि हिन्दू विचारकों ने इस व्यवस्था को श्रम विभाजन का प्रमुख आधार माना है। इस श्रम विभाजन व्यवस्था का प्रारम्भिक उद्देश्य न्याय एवं एकता बताया गया है। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपना–अपना कार्य करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। वर्ग के आधार पर कोई जातीय विभेद न था। प्रत्येक वर्ग के लोग सामाजिक जीवन, राजनीतिक व समस्त क्षेत्रों में समानता से भाग लेना और कर्तव्य पालन में संलग्न रहकर लाभान्वित होते थे।[34]

नैतिक दृष्टिकोण से प्रत्येक वर्ग का स्थान अधिकारों की माँग पर न होकर केवल कर्तव्यों के ही आधार पर निश्चित था, अधिकारों की माँग करना अवैध समझा जाता था। इसलिए हिन्दू धार्मिक साहित्य में केवल कर्तव्यों पर ही अधिक बल दिया गया है। आधुनिक समाज अधिकारों की जिस महत्ता को स्वीकार करता हैं उसे हिन्दू समाज में कभी भी प्रमुख स्थान नहीं दिया गया, उनका मानना था कि अधिकारों की मांग हमेशा संघर्ष को बढ़ावा देती हैं। मनुष्य को अपने कर्तव्य करते रहने चाहिए। अच्छे एवं महान व्यक्ति कभी भी अधिकारों की मांग नही करते। वे सदैव कर्तव्यों का पालन करते हैं।[85] डॉ0 राधा कृष्णन् ने कहा है, कि "यदि सभी वर्गो के लोग अपने अपने निश्चित कर्तव्य करते रहें, तो वे उच्चतम अमिट आनन्द की अनुभूति कर सकते हैं।[86] अतः कहा जा सकता है कि हिन्दू समाज में सैद्धान्तिक रूप से सदैव कर्तव्य–पालन एवं श्रम–विभाजन पर बल दिया गया।

परन्तु इस श्रम–विभाजन एवं अधिकार भेद के सिद्धान्त को व्यवहारिक जीवन में किंचित मात्र भी स्थान नहीं दिया गया। सवर्ण पुत्र जन्म के आधार पर सर्वण ही माना गया। इसका दुष्प्रभाव यह हुआ, कि जन्म के आधार पर जातियों और उपजातियों का जन्म हुआ।[37] परिणामस्वरूप वर्ण–व्यवस्था का कागजी महल बुरी तरह से ढहने लगा। जिसको कायम रखने के लिये उन्होंने निम्न वर्गो पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये और विभिन्न अंध विश्वासों का सहारा लेकर उनका शोषण किया। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था ने शोषण की भावना को अत्यधिक बढ़ावा दिया। जिससे असमानता एवं अत्याचार जैसी सामाजिक बुराइयों को सरंक्षण मिला।[38] जिससे निम्न जातियों का शोषण और उत्पीड़न हिन्दू समाज का एक आवश्यक अंग बन गया। 19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इन्ही निम्न जातियों के लिये दलित शब्द का प्रयोग किया। हिन्दू धर्म का जो वास्तविक अर्थ एवं उद्देश्य था, वह धूमिल हो गया। सामाजिक आदर्श नितांत दोषपूर्ण बन गया, जिससे सभी निम्न वर्ग पीड़ित होने लगे।

इस वैदिक समाज से सम्बन्धित, व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो गयी। अतः समाज में व्याप्त इस रूढ़िवादी शोषणवादी व्यवस्था में सुधार के लिए भारत के महान समाज सुधारकों ने सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए बहुत ही प्रभावशाली आंदोलन किये। महावीर एवं बुद्ध जैसे महापुरूषों ने परम्परावादी सामाजिक व्यवस्था के विरूद्ध आवाज उठायी। "मानवीय एकता एवसं भ्रातृत्व" की भावना पर जोर दिया।[39]

उन्होंने सभी के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया, आज के सवर्णवाद के विरूद्ध आंदोलन किये और सवर्णो की अनुचित प्रभुसत्ता को हिला कर रख दिया।[40] दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उनके इन कुशल कार्यो से उन सभी दीन एवं असमर्थ वर्गो के व्यक्तियों को

सान्त्वना एवं साहस मिला, जो हिन्दू सामाजिक –व्यवस्था से दुःखी थे।

बौद्ध धर्म का एकमात्र उद्देश्य उस समय वर्तमान हिन्दू हठधर्मिता एवं सामाजिक अन्याय एवं आर्थिक अन्याय का अंत करना था। "मानव स्वरूप के अनुरूप, बुद्ध ने जाति–व्यवस्था के बंधनों को तोड़ डाला और समस्त मानवता के लिए समता का पाठ पढ़ाया।[41] भगवान बुद्ध ने मानव–अधिकारों की समानता पर अधिक बल दिया। उन्होनें उन बुराइयों को दूर करने के प्रयत्न किये, जिनसे मानव जाति आज भी दुःखी है। बुद्ध का आंदोलन केवल निषेधात्मक ही नही था बल्कि उन्होंने एक नवीन समाज का निर्माण किया, जिसमें सभी मनुष्य समता एवं स्वतंत्रता के अधिकारी थे।[42] सैद्धान्तिक रूप से उन्होंने "सम्पूर्ण हिन्दू धर्म को चुनौती दी।[43]

बुद्ध ने एक नवीन समाज की स्थापना की और उन नवीन सामाजिक एवं आध्यात्मिक सुधारों का अविर्भाव किया, जिनकी उस समय के सभी वर्गो की अत्याधिक आवश्यकता थी।

12 वीं शताब्दी के प्रारम्भ को भारतीय इतिहास का मध्यकाल माना जाता है। जब इस्लाम भारत आया, तो एक नवीन समाज, नवीन धर्म एवं नवीन आर्थिक दौर का प्रारम्भ हुआ, ऐसा दावा मुस्लिम नेताओं ने किया है। उनका यह भी मानना है। कि इस्लाम धर्म सभी के समान अधिकार एवं स्वतन्त्रता में विश्वास रखता है। प्रो0 हुमायूं कबीर ने लिखा, कि इस्लाम का तत्वज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा और इसने भारतीय समाज के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया।[44]

इस्लाम की ये विशेषताएँ भी भारत के जन–जीवन में वह कोई भी प्रगतिशील परिवर्तन नही ला पायी। इस धर्म के आगमन के बाद भारतीय समाज में छुआछूत का महल एवं जाति पाति का किला और अधिक सुदृढ़ हुआ। जाति व्यवस्था को नवीन आधार मिला जिससे इस्लाम भी भारतीय जातिवाद के शिंकजे में फंस गया।[45]

उस समय की वर्तमान सामाजिक बुराईयों को और अधिक बढ़ावा मिला। क्योंकि इस धर्म में राजनीति को धर्म का ही अंश माना जाता है। धर्म और राजनीति की समग्रता मुस्लिम समाज की एक विशेषता है।[46] इसी कारण मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदुओं, बौद्धों और यहाँ तक कि करोड़ों शूद्रों व अछूतों (दलितों) को तलवार की नोंक पर धर्म परिवर्तन कराया। जिससे राज्य में निर्धन लोगों की दशा और अधिक बिगड़ गयी। आर्थिक लाभ के व्यवसाय उनसे छीन लिये गये, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक खराब हो गयी। जिससे उनका जीवन स्तर पूर्णतया गर्त में चला गया। मुस्लिम विद्वान एवं समाज सुधारक उनकी समस्याओं को न तो समझ पाये और न उनका निराकरण कर सके। शूद्र एवं अछूत वैसे ही रहे, जैसे कि वे सदियों से थे। उनकी हाल में कोई सुधार नहीं हुआ।

उस समय के महान सूफी संत जैसे चक्रधर, स्वामी रामानन्द, कबीर, नानक, चैतन्य महाप्रभु, एकनाथ, तुकाराम, संत रविदास, चोखामेला, ज्योतिबा फूले इत्यादि ने समय–समय पर इस व्यवस्था के विरोधमें विचार प्रकट किये। जिससे सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण योगदान मिला परन्तु शूद्रों और अछूतों के जीवन स्तर में कोई बदलाव नही पाया। इस वर्ग के लिये लगभग प्रत्येक प्रकार के आर्थिक लाभ एवं सामाजिक सम्मान को दूर ही रखा गया। शिक्षा के द्वार बन्द कर दिये गये।[47] इस प्रकार इस्लाम के समय में भी शूद्रों और अछूतों को मानव अधिकारों से वंचित रखा गया। इस्लाम का महान संदेश आशा के बजाय निराशा में परिवर्तित हो गया।

ईसाई धर्म के आगमन के समय भी भारतीय समाज इन्हीं परिस्थितियों से जूझ रहा था। इस धर्म का आगमन भी इन्हीं परिस्थितियों में हुआ। इस धर्म के विद्वानों ने भारतीय सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया और यहां के वातावरण को उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के अनुकूल पाया। हिन्दू और मुसलमानों में संघर्ष हमेशा हुआ करता था। बेरोजगारी का प्रकोप एवं भुखमरी का बोलबाला था। जिससे सभी वर्गों की दशा बहुत बिगड़ चुकी थी।[48] इन परिस्थितियों में इस धर्म के विद्वानों ने अपने धर्म के संदेश का प्रचार प्रसार किया। इस धर्म के बारे में माना जाता है। कि यह धर्म बहुत ही क्रांतिकारी है, क्योंकि इसमें सभी लोगों को समान अधिकार दिये जाते हैं[49] परन्तु ईसाई धर्म के विद्वानों के ये उपदेश कुछ ही वर्गो के लिए सत्य हो सके। ये विद्वान शूद्रों और अछूतों के उपेछित भाग्य को समझ नहीं सके। धन का प्रयोग करके लाखों अछूतों और शूद्रों को ईसाई बना दिया गया। इन्होनें अपने धर्म की संख्या बढ़ाने पर ही ध्यान दिया। इन्होंने अपनी कठिनाईयों को निष्ठापूर्वक समाप्त किया। इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार एवं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना ही था।[50]

ईसाई धर्म के विद्वान एवं शासक केवल आर्थिक एवं राजनैतिक कार्यों में व्यस्त रहे जिससे उनके दूरस्थ उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से सम्भव हो सकती थी। इस काल में भी दलितों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पूर्ववत् ही बनी रही।

ब्रिटिश शासन के अंतिम दिनों तक दलितों की स्थिति अत्याधिक खराब रही।[51] जाति–पाँति, आर्थिक शोषण, राजनैतिक दासता एवं सामाजिक बुराइयों से इन दलितों को झुटकारा प्राप्त न हो सका। इसी समय भारतीय समाज सुधारक भी समाज में व्यापत कुरीतियों के समापन के लिये आगे बढ़े। इस काल को पुनर्जागरणकाल कहा जाता है।

हिन्दू समाज के विषय में इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है जिसमें मनुष्य की परछायी छूना एवं देखना केवल महापाप समझा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ऐसी ही सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियॉ विद्यमान थी।[53]

दलितों की दयनीय स्थिति देखते हुए अछूतोद्वार एवं दलितोद्वार की परम्परा इस देश में हमेशा से रही है। इस हेतु समय–समय पर अनेक संगठनों एवं संस्थाओं का उदय हुआ–जिनमें 1828 में बंगाल में राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज 1873 में पुणे में ज्योतिबा रांव फुले द्वारा गठित सत्य शोधक समाज 1875 में बम्बई में स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित आर्यसमाज 1916 में मद्रास में रामास्वामी नायकर द्वारा आरम्भ किया गया द्रविड़, पंजाब में संतराम द्वारा स्थापित जाति–पाँति तोड़क मण्डल गांधी जी द्वारा चलाया गया हरिजन सेवक संघ के प्रयास विशेष रूप से सराहनीय एवं स्मरणीय हैं बाबा साहब के राष्ट्रीय फलक पर आने के बाद इन प्रयासों को नवीन प्रेरणा मिली 1924 में उन्होनें बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की।[54]

दलितों के मसीहा डा0 भीमराव अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर मानवमात्र की समानता को स्थापित करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि भारतीय समाज का तानाबाना अभी भी जाति व्यवस्था पर आधारित है और भारतीय समाज के विभिन्न स्तरों में परिवर्तन का निर्धारण भी जाति के आधार पर होता है। प्रत्येक हिन्दू जिस जाति में जन्म लेता है उसकी वह जाति ही उसके धार्मिक सामाजिक आर्थिक और पारिवारिक जीवन का निर्धारण करती

है यह स्थिति जन्म से लेकर मृत्यु तक रहती है।[55]

दलितों को अपने जीवन निर्वाह के साधन स्वंय ही अन्वेषण करने होंगे। दूसरों की ओर रहम करम की नजरों से ताकने की बजाए अपनी गरीबी और दुःख दर्द को मिटाने के लिए स्वयं प्रयत्न करने होंगे। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने भी अनुसूचित जातियों/जनजातियों को गरीबी दूर करने हेतु प्रेरित करते हुए कहा था–तुम्हें अपनी गुलामी तथा गरीबी स्वंय ही दूर करनी होगी तुम्हारी गरीबी को दूर कोई भगवान या देवता या कोई बड़ा नेता कर देगा. इस भ्रम को तुरंत मन से निकाल दो।[56]

दलितों की दयनीय स्थिति को वास्तव में सुधारना है तो उन्हें सामाजिक न्याय दिलाना होगा। उनके खोये हुए सम्मान को वापस लौटाना होगा एवं समाज की विभिन्न जातियों के बीच भेदभाव को समूल नष्ट करना होगा। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की मूल भूत अनिवार्य आवश्यकताओं –भोजन, वस्त्र एवं मकान की पूर्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति को विकास का उचित अवसर मिले, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण रोका जाये और आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो।[57]

गाँधी जी की छबि एक ऐसे हिन्दू की है जो हिन्दुत्व के आदर्श रूप तक पहुँचा है। वे सर्वाधिक असमर्थ, वंचित और दलितों में ही ईश्वर का सबसे अधिक अंश देखते थे। वे अस्पृश्यता के ऐसाकलंक मानते थे, जो मानवता के चेहरे पर बदनुमा दाग है। डॉ0 अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था को ही सबसे बड़ी बुराई मानते थे। वे वर्ण व्यवस्था को ही समस्त असमानताओं की जड़ मानते थे। समानता का अर्थ है सभी को समान अवसर मिले और प्रतिभा को ही प्रोत्साहन दिया जाये। हिन्दू समाज का गठन समानता और जाति विहीन सिद्धान्तों पर किया जाये। मानव मूल्य डॉ0 अम्बेडकर के लिए सबसे बढ़कर थे। रोटी ही मानव के लिए सब कुछ नहीं हैं मानव के पास मन है वह चितन करता है उसको मान–सम्मान चाहिए क्योंकि मान सम्मान मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है जिससे वह सम्मानपूर्वक जीवन यापन करें। बाबा साहब ने दलित समाज को आगे बढ़ने के लिए एक मूल मंत्र दिया था–शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।

स्वतन्त्रता के पश्चात दलित को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में अनेक व्यवस्था की गई। स्वतन्त्रता के पश्चात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियाँ भारतीय संविधान निर्माण में केन्द्र बिन्दु रहीं। हमको संविधान में उनसे सम्बन्धित अनेक प्रावधान अस्पृश्यता निवारण कार्यपालिकाओं में आरक्षण की सुविधा सरकारी सेवाओं में आरक्षण तथा अन्य मामलों में उनके प्रति पक्षपात आदि है। ऐसी जागृति ने वास्तव में अनुसूचित जातियों/जनजातियों में आत्मचेतना ओर सम्मान की भावना जागृत कर दी।

दलितों का उत्पीड़न संवैधानिक व्यवस्थाओं के बाबजूद भी जारी रहा भले ही उत्पीड़न के तरीकों में बदलाव आया हो। दलित वर्ग के लोगों के प्रति कई शताब्दियों से अनेक निर्योग्यतायें ला दीं जाती हैं जैसे–मंदिर प्रवेश पर रोक, शिक्षा से वंचन, धार्मिक कृत्यों पर प्रतिबन्ध, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखना आदि। यद्यपि सन 1950 के उपरांत संवैधानिक रूप से इस प्रकार की निर्योग्यताओं को अमान्य कर दिया गया है परन्तु आज भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नही पड़ता है।

सन 1986 में पारित अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारंण) अधिनियम

के अर्न्तगत इस प्रकार की निर्योग्यताओं के विरूद्व उ0प्र0 में वर्ष 1990 एवं 1991 में क्रमशः 564 एवं 2920 अपराध पंजीकृत किये गये, जबकि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 1986, 1990 एवं 1991 में क्रमशः 353, 357 एवं 266 पंजीकृत कर पुलिस द्वारा सामाजिक न्याय दिलाने का प्रयास किया गया।[58]

संवैधानिक प्रावधानों एवं तमाम समाज सुधारकों के प्रयासों के बावजूद भी दलितों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ। आज भी उनका उत्पीड़न जारी है।

आज दलितों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में बहुत ही मामूली सुधार हुआ है। आज भारतीय संविधान को लागू हुए 61 वर्ष हो चुके हैं फिर भी अनेकानेक विभागों में दलितों का कोटा पूरा नहीं किया जा सका, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सौंपते हुए ठीक ही कहा था कि इस संविधान को चलाने वाले लोग बुरी मानसिकता वाले होंगे तो यह संविधान अच्छा होते हुए भी बुरा साबित होगा। वर्तमान ने दलितों का शोषण एवं अत्याचार जारी हैं, उन्हें जिन्दा जलाया जा रहा है। दलित महिलाओं को निर्वस्त्र करके गांवों में धुमाया जा रहा हैं सर्वाधिक बलात्कार दलित महिलाओं के ही हो रहे है। इन सबके बाद भी यह सच है कि उनमें नवीन चेतना जागृत हुई। आज दलित आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं धार्मिक दृष्टि से उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। हमारा मानना है कि दलित साहित्य किसी दलित के द्वारा ही लिखा जाना चाहिए जिन्होनें स्वयं या उनके पूर्वजों ने उस तड़प घुटन एवं छटपटाहट को महसूस किया हो वर्तमान में दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जाति व्यवस्था को संमूल नष्ट करने की आवश्यकता है। जाति व्यवस्था ही भेदभाव की जननी हैं इसे समाप्त करने का सबसे उत्तम उपाय है कि सभी व्यक्ति अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्दों को हटा दें एवं व्यवहार में ऐसे नामों का चलन बढ़े जिससे उनकी जाति का पता न चलता हो। वर्तमान में आरक्षण के कारण दलितों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ हैं जिसके कारण समाज के अन्य वर्ग भी स्वयं उनके निकट आ रहे हैं। यह संतोषजनक हैं।

वर्तमान में निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर जरूर बढ़े है, परन्तु निजी क्षेत्र में अधिकांशतः कार्य कुशल प्रशिक्षण तथा दक्ष श्रम की आवश्यकता होती है, जिसका दलित वर्ग में अनेकानेक कारणों से नितान्त अभाव है। इसलिए निजी क्षेत्र की रोजगार वृद्धि से दलित वर्ग का लाभान्वित होना एक मुश्किल कार्य है। निजी क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था का कोई प्रावधान भी नहीं हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र में जहाँ कि दलित वर्ग अधिक लाभान्वित हो सकता है। लेकिन वहाँ पर रोजगार के अवसर में भारी कमी आयी है जिससे दलित वर्ग को दो तरफा प्राणघातक प्रहार का सामना करना पड़ रहा है।

वर्तमान में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया से दलित शिक्षा एवं चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं से अनेकानेक कारणों से वंचित होते जा रहे है। क्योंकि नई आर्थिक नीति के कारण शिक्षा एवं चिकित्सा का निजीकरण हो रहा है। अब स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय उद्योगों की तरह संचालित हो रहे हैं। परन्तु दलित वर्ग के छात्रों को आरक्षित कोटे एवं अंकों की छूट के आधार पर प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दूसरी ओर स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय की फीस, पुस्तकें, ड्रेस तथा अन्य व्यय इतने बढ़ गये हैं कि दलित एवं कमजोर वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा डाक्टरी, इंजीनियरिंग एवं विभिन्न मैनजेमेन्ट तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा पाना अत्यधिक कठिन हो गया है।[59]

आर्थिक सुधारों ने ग्रामीण क्षेत्र के लघु कृषक एवं दलित वर्ग के किसानों के समक्ष गम्भीर सकंट खड़ा कर दिया हैं नई आर्थिक नीति में कृषि से सम्बन्धित व्यवसायों को प्राथमिकता नहीं दी गयी हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे एवं दलित किसानों के लिये खेती करना असंभव हो गया हैं वहीं कृषि क्षेत्र के दलित श्रमिक बेरोजगार होने लगे है।

आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप उपभोक्तावादी संस्कृति विकसित हो रही है। जिसमें दलित वर्ग के जीवन प्रवाह में अनेक संकट उत्पन्न हो रहे है। जिससे भारतीय संस्कृति भी प्रभावित होने लगी हैं सामाजिक स्थिति में बदलाव आ रहा हैं औरमानवीय मूल्य एवं नैतिकता में गिरावट आने लगी है। ऐसी स्थिति में दलित वर्ग के विकास का स्वप्न विलुप्त होता नजर आ रहा है। वैश्वीकरण नीति के तहत मुक्त विश्व बाजार व्यवस्था कायम की जा रही है। भारतीय अर्थ व्यवस्था को विश्व अर्थ व्यवस्था के साथ जोड़ने एवं सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही हैं इसके अन्तर्गत वस्तुओं और सेवाओं के स्वतंत्र प्रवाह की दृष्टि से सीमा शुल्क एवं अन्य शुल्कों में लगातार कमी की जा रही हैं इसके परिणामस्वरूप पिछले लगभग एक दशक में विदेशी आधुनिकतम तकनीक पर आधारित वस्तुओं सेवाओं आदि की बाढ़ सी आ गयी हैं जिसकी दोहरी मार भारत जैसे देश के दलित एवं कमजोर वर्गों पर पड़ी है। एक तो इससे उपभोक्तावादी संस्कृति जो कि भोग विलासिता पर आधारित हैं, विकसित हुई हैं जिससे इन वर्गो की आकांक्षाएं दिन–दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ी है। लेकिन संसाधन के अभाव के कारण दलित वर्ग मानसिक विक्षिप्तता के भंवर में फंस गये है।[60]

दलित वर्ग के समक्ष आर्थिक सुधारों के कारण अनेकानेक नवीन चुनौतियाँ उत्पन्न हो गयी हैं। आर्थिक सुधार के समर्थकों को यह समझना होगा कि भारतीय अर्थ व्यवस्था का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को निम्न स्तर पर रखना या ब्याज दर में भारी कटौती करना या कृषि क्षेत्र को निम्नतर स्तर पर रखना या ब्यांज दर में भारी कटौती करना या कृषि क्षेत्र को दी जा रही सब्सिडियों में कमी करना था, प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र को बेच देना मांत्र नहीं हैं। इसका उद्देश्य निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लगभग 27 करोड़ लोगों खुले आसमान के नीचे सोने वाले 15 करोड़ लोगों, अशिक्षा–अज्ञानता के जाल में फंसे 36 करोड़ लोगों के उद्धार करनें से है।[61] आर्थिक सुधारों का कोई भी कार्यक्रम उस समय तक सफल नहीं हो सकता जब कि कि समाज के दलित वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाए।

अनुसूचित जाति की समस्यायें--

अनुसूचित जाति अस्पृश्यों के लिए प्रचलित एक आधुनिक शब्द है। अनुसूचित जाति के अंतर्गत वे जातियां हैं, जिन्हें अस्पृश्यता के कारण उपेक्षित तथा अलग–थलग रखा गया अर्थात, उनकी निम्न सामाजिक स्थिति के कारण उनकी उपेक्षा की गई और उन्हें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक लाभों से वंचित रखा गया। बीसवीं शताब्दी के प्रारंम्भ में दलित जातियों (उस सयम उन्हें दलित कहा जाता था।) के उत्थान के लिए कई प्रयास किए गए। सन् 1901 में बहुसंख्यक हिंदुओं के वर्चस्व को देखते हुए इन जातियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात स्वीकार की गई। इस प्रकार यह मामला एक सामजिक मुद्दा की जगह राजनैतिक मुद्दा बन गया। जैसे–जैसे यह राजनैतिक मुद्दा गरमाता गया, उनके लिए राजनैतिक मांगों में बढ़ोतरी होती गई। किंतु इस विषय में सदैव घोर विवाद रहा है कि किसको इस वर्ग में रखा जाए और किसको नहीं।

अनुसूचित जाति के अंतर्गत वर्गीकरण में जाति प्रमुख आधार रहा है। जाति दोहरी आवयश्कताओं की पूर्ति करता है—प्रथम एक सामाजिक इकाई के रूप में अनुसूचित जाति के अंतर्गत चयन करने में तथा द्वितीय सामाजिक—आर्थिक स्तर समझने में। किंतु जाति एक मात्र कारक नहीं है। अनुसूचित जाति का निर्धारण राज्य द्वारा किया जाता है, अक्सर राज्य के अंतर्गत जिला अथवा क्षेत्र विशेष द्वारा। राज्य अथवा जिला में जो वर्ग अनुसूचित जाति में आता है, वह पड़ोसी राज्य अथवा जिलो में अनुसूचित जाति का नहीं हो सकता है।

अनुसूचित जाति में अधिकांश गरीब हैं। कल अनुसूचित जाति मजदूरों का 52 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं और 28 प्रतिशत कृषक हैं जिनमें अधिकांश सीमांत किसान, छोटे किसान बटाईदार, आसामी इत्यादि हैं। पश्चिमी भारत में प्रायः जुलाहे अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी भारत में सभी मछुआरे अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। विषम परिस्थितियों के बाबजूद अनुसूचित जाति के लोगों का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु उनमें से अधिकाश गरीबी रेखा से नीचें है ओर सदियों से उपेक्षा के शिकार हैं।[62]

अनुसूचित जातियों की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं—

सामाजिक समस्याएँ—

अनुसूचित जातियों के लोगों को सदियों से विभिन्न प्रकार की सामाजिक अशक्तताओं एवं शोषण का सामाना करना पड़ता आ रहा है, जो निम्नलिखित है—

1— **अति निम्न सामाजिक परिस्थिति—** अनुसूचचित जातियों की श्रेणी में आने वाली अधिकांश जातियां जाति—सरंचना में शूद्रों की श्रेणी में रही हैं। इस कारण जाति के स्तरण में उनका स्थान सबसे नीचा रहा है। जाति—सरंचना में उनकी निम्न प्रस्थिति को स्थायी एवं अपरिवर्तन शील समझा जाता है। यह प्रस्थिति जन्म पर आधारित होती है, जिसमें सिद्धांततः ऊँची जातियों के लोग अनुसूचित जातियों को प्रारंभ से ही हेय दृष्टि से देखते आए हैं।

2— **सामाजिक शोषण के शिकारः—** समाज में बहुत ही नीचा स्थान होने के कारण अनुसूचित जातियों को विभिन्न प्रकार के सामाजिक शोषण और अत्याचारो को सहना पड़ा है। उन पर ऊंची जातियों के लोगों के साथ उठने—बैठने, खाने—पीने, रहने बातचीत करने उत्सवों में भाग लेने, बराबरी के स्तर पर आचरण करने आदि पर कड़े प्रतिबंध लगे रहे हैं। उनके लिए ऊंची जातियों के समक्ष सम्मान दिखाना अनिवार्य था। उन्हें अच्छे वस्त्र पहनने, अच्छे मकानों में रहने, अच्छा भोजन खाने आदि के भी अधिकार नहीं थे। अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए निवास—स्थान भी ऊंची जातियों के घरों से दूर बस्तियों के किनारे पर ही रहते आए हैं। जन्म पर आधारित सामाजिक असमानता और शोषण के उदाहरण जिस प्रकार भारतीय जाति—व्यवस्था में मिलते हैं, वैसे अन्यत्र नहीं।

3—अस्पृश्यता की समस्या— अस्पृश्यता अनुसूचित जातियों की सामाजिक समस्या एवं शोषण का एक ज्वलंत उदाहरण है। जाति—व्यवस्था में सामाजिक दूरी और पवित्रता पर विशेष जोर दिया जाता है। जाति जितनी ऊंची होती है। उसके अपवित्र होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है इसके विपरीत, जाति जितनी नीची होती है उसमें अपवित्र करने की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। इसी भावना ने जाति—व्यवस्था में अस्पृश्यता को जन्म दिया। अस्पृश्यों से ऊंची जाति के लोग कई प्रकार से अपवित्र हो सकते हैं।, जैसे—दृष्टि पड़ने, छूने, के साथ—साथ खाने, देखने सामानों के प्रयोग

करने, छाया पड़ने आदि से। इसी कारण, अनुसूचित जातियों पर कुओं से जल लेने, उत्सवों में जाने, सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग करने, सड़कों पर चलने, मंदिरों में प्रवेश करने आदि पर कठोर प्रतिबंध लगे रहे हैं। मनुष्यों के बीच छुआछूत के भेदभाव के इस तरह के उदाहरण विश्व में अन्यत्र नहीं मिलते।

4— शैक्षणिक समस्या— परंपरा से जाति–व्यवस्था में शिक्षा पाने का अधिकार केवल ऊँची जातियों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों को ही रहा है। शूद्रो को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। इस कारण, अनुसूचित जातियां सदियों से शिक्षा से वंचित रही हैं। अनुसूचित जातियों के जो लोग शिक्षा पाने का प्रयास करते, उन्हें तरह–तरह से यातनाएँ दी जाती थी। ब्रिटिश शासनकाल में भी विद्यालयों में अनुसूचित जातियों के लड़के ऊँची जातियों के लड़कों के साथ नहीं पढ़ सकते थे। कई विद्यालयों में उनके नामांकन ही नहीं हो सकते थे। जहाँ उनके लिए शिक्षा–सुविधाएं उपलब्ध भी थीं, वहां निर्धनता के कारण वे शिक्षा पाने में असमर्थ थे। इन्हीं कारणों से अनुसूचित जातियों के बीच अशिक्षा और निरक्षरता व्यापक रूप से फैली हुई हैं। शिक्षा के अभाव में उन्हें तरह–तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

आर्थिक समस्याएं

अनुसूचित जातियों के लोगों को कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा हैं इन समस्याओं में निम्नलिखित मुख्य है–

1—व्यवसाय पर प्रतिबंधः— जाति–व्यवस्था में विभिन्न जातियों के कार्य दैवी–शक्ति द्वारा वितरित समझे जाते हैं। इस वितरण में ब्राह्मणों को अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करने, यज्ञ कराने दान लेने और दान देने के कार्य मिलें। क्षत्रियों को अध्ययन, यज्ञ करने, अस्त्र–शस्त्रों के प्रयोग शासन तथा दान देने के कार्य सौंपे गए। वैश्यों को अध्ययन, यज्ञ करने, दान देने, कृषि पशुपालन तथा व्यवसाय चलाने के कार्य दिए गए। शूद्रों को केवल तीनों ऊँची जातियों की सेवा करने का कार्य मिला। दूसरे शब्दों में, उन्हें ऊंची जातियों के आदेशानुसार कार्य करने पड़ते थे। उन्हें ऊँची जातियों द्वारा किए जाने वाले कार्य करने का अधिकार नहीं था। इस नियम का उल्लंघन करने पर उन्हें दंडित भी किया जाता था। अधिकांशतः उन्हें गंदे और कठिन शरीरिक श्रमवाले कार्यों पर ही लगाया जाता रहा है।

2— संपति के अधिकार से वंचितः— कई अनुसूचित जातियों को परंपरा से संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। उनकी अपनी जमीन नहीं होती थी और उनके घर भी दूसरों की जमीन पर बनें होतें थे। संपत्ति के नाम पर उनकी झोपड़ी तथा कुछ घरेलू सामान ही होते थे। आज भी अनुसूचित जातियों के अनेक लोग भूमिहीन हैं तथा निर्धनता –रेखा से नीचे आने वाले अधिकांश लोग अनुसूचित जायितों के ही लोग हैं। यद्यपि कानून के अंतर्गत उन्हें नागरिकों की तरह संपत्ति का अधिकार है, लेकिन व्यवहार में उनमें अधिकांश की संपत्ति नाममात्र की है।

3— गंदे एवं कठिन कार्यों पर नियोजनः— अनुसूचित जातियों को परंपरा से ही गंदे एवं कठिन शारीरिक श्रमवाले कामों पर लगाया जाता रहा है, जैसे–सफाई, गंदगी उठाने, झाड़ू देने, चमड़ा उतारने और पकाने, चमड़े के समान बनाने आदि के कार्य। कृषि, पशुपालन और व्यवसायों में भी उन्हें कठिन एवं गंदे कार्यों पर ही लगाने की परंपरा रही है। जाति की स्तरित सरंचना में उन्हें इन कार्यो के लिए बाध्य भी किया जाता रहा है।

4— निम्न मजदूरीः— एक ओर तो अनुसूचित जातियों के लोगों को गंदे और कठिनकार्यो पर लगाया जाता था, तो दूसरी ओर उन्हें इन कार्यो के लिए मजदूरी भी कम दी जाती थी। अति

निम्न सामाजिक प्रस्थिति एवं सामाजिक शोषण के शिकार होने के कारण उनकी निम्न मजदूरी को उचित ठहराया जाता था। धनोपार्जन के अन्य स्रोतां, जैसे–व्यापार, अच्छे व्यवसाय, नौकरी आदि पर प्रतिबंध लगे होने के कारण वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में असमर्थ थे। आज भी अनुसूचित जातियों के लोग जिन कार्यों पर परंपरा से लगे होते हैं, उनके लिए मजदूरी की दर बहुत कम है।

5– आर्थिक शोषणः– अनुसूचित जातियों के लोग अन्य प्रकार के आर्थिक शोषण के भी शिकार रहे हैं जैसे स्पष्ट किया जा चुका है उन्हें गंदे और कठिन शारीरिक श्रम वाले कामों पर तो लगाया ही जाता था, साथ ही उन्हें इन कामों के लिए मजदूरी भी कम दी जाती थी। उन्हें नकद मजदूरी की जगह अन्य तरह से मजदूरी स्वीकार करने के लिए भी विवश किया जाता रहा है। अनुसूचित जातियों लोगों से बेगार लेने की प्रथा भी सदियों से चली आ रही है। प्राचीन काल में उन्हें ऊंची जातियों की तुलना में अधिक दर से कर देना पड़ता था, इसलिए इनमें ऋणग्रस्तता भी अधिक रही है। अपने स्वामियों से मिलने वाले ऋण के बदले उन्हें उनके साथ बंधन जाल में फंस जाना पड़ता था। इसी ऋण–बंधन के कारण बंधुआ श्रम–प्रथा का व्यापक रूप से प्रचलन हुआ, जिसके अवशेष आज भी मिलते हैं। अनुसूचित जातियों के कम उम्र के बच्चों तथा स्त्रियों को भी कठिन शारीरिक श्रम वाले कामां पर व्यापक रूप से लगना पड़ा हैं।.

धार्मिक समस्याएँ

यद्यपि अनुसूचित जातियों के लोग हिन्दू–समाज के अंग हैं, फिर भी उन्हें तरह–तरह की धार्मिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है वे मंदिरों में जाकर पूजा नहीं कर सकते थे। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनने, पूजा–पाठ करने, जनेऊ धारण करने, तपस्या एवं यज्ञ करने, धर्मिक पुस्तक पढ़ने आदि की अनुमति नहीं थीं। ब्राह्मण उनकी पुरोहिती करने से ी इन्का रकरते आए हैं। अस्पृश्य होने के कारण वे ऊंची जातियों के धार्मिक कृत्यों में भी भाग नहीं ले सकते थें। इन धर्मिक समस्याओं के कारण अनुसूचित जातियों के कई लोगों ने अन्य धर्मों की शरण ली।

राजनीतिक समस्याएँ

अनुसूचित जातियों के लोगों को कई तरह की राजनीतिक अशक्तताओं का भी सामना करना पड़ा है। हिंदू –समाज अधिकारवाद के सिद्धांत पर आधारित है। जाति–व्यवस्था एवं अधिकार वांद पर आधारित समाज में अनुसूचति जातियों के लोगों को ऊंची जातियों की अध ानीता स्वीकार करनी पड़ती है। उन्हें ऊँची जातियों एवं शासकों के आदेशानुसार आचरण करना पड़ता था। विभिन्न जातियों के लिए कानून के उपबंध भी अलग–अलग थे। उन्हें प्रशासन एवं सार्वजनिक सेवाओं में भाग लाने का अधिकार प्राप्त नहीं था। एक ही प्रकार के अपराध के लिए ऊंची जातियों को हल्के दंड तथा नीची जातियों को कठोर दंड देने की व्यवस्था थी । छोटे– छोटे अपराधों के लिए भी उन्हें कठोर शरीरिक दंड दिया जाता था। मनु के अनुसार–ब्राह्मण द्वारा शूद्र की हत्या बिल्ली, नेवले, नीलकंठ पक्षी, मेढ़क, छिपकली, उल्लू या कौए की हत्या के समान होती है।

हरिजनों की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए महात्मा गाँधी ने कहा है, 'सामाजिक दृष्टि से वे गुलामों से भी बदतर हैं, धार्मिक दृष्टि से उन्हें 'भगवान के घर' में प्रवेश करने की मनाही है। उन्हें सार्वजनिक मार्ग, विद्यालय, अस्पताल, नलों, पार्कों आदि का उपयोग करने का निषेध है। कुछ मामलों में निश्चित दूरी के भी अन्दर उनका प्रवेश वर्जित हैं और कहीं–कहीं उनका दर्शन भी

सामाजिक अपराध है। नगर हो या ग्राम, सर्वत्र अत्यंत निकृष्ट कोटि के मकानों में उन्हें रहना पड़ता है, जहां उनकी सामाजिक सेवाओं की कोई व्यवस्था नहीं रहती। सवर्ण हिंदू वकील और डॉक्टर उनकी न तो वकालत करते हैं, न चिकित्सा। धार्मिक उत्सवों पर ब्राह्मण उनकी पुरोहिती भी नहीं करते।

अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ किये जाने वाले कार्य

अनुसूचित जातियों का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार किया गया है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या 13.82 करोड़ थी, जो देश की कुल तत्कालीन 84.63 करोड़ जनसंख्या का 16.48 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोगः पैंसठवें संविधान— संशोधन अधिनियम (1990) के अंतर्गत अनुच्छेद 338 के तहत नियुक्त किये जाने वाले विशेष अधिकारी के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग बनाया गया है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ पांच सदस्य नियुक्त किये जाते हैं। आयोग इस वर्ग की सुरक्षा तथा कल्याण के कार्यक्रमों की योजना बनाकर विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है।

संसदीय समितिः— अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों की सुरक्षा के संवैधानिक सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन की जांच के लिए सरकार ने तीन संसदीय समितियाँ गठित कीं हैं।

स्वयंसेवी संगठनः— अनेक स्वयंसेवी संगठन भी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने में लगे हैं। सरकार इनको अनुदान सहायता भी उपलब्ध कराती है। वर्ष 2001—02 में 453 स्वयंसेवी संगठनों को 29 करोड़ रूपये की सहायता दी गयी।

छुआछूत के खिलाफ कानून— छुआछूत की कुप्रथा को रोकने के लिए 1955 में बने कानून के दंडात्मक प्रावधानों को और कड़ा कर दिया गया हैं। अब इसका नाम नागरिक अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1955 दिया गया हैं। संशोधित अधिनियम 19 नवंबर, 1976 से लागू हैं। इसे राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता हैं।

अत्याचारों की रोकथाम :— अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ। इसमें अत्यचार की श्रेणी में आने वाले अपराधों के उल्लेख के साथ—साथ इनके लिए कड़े दंड की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 1995 में इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुर्नवास की भी व्यवस्था की गयी हैं।

छात्रवृत्तिः— मैट्रिक—पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत ऐसे परिवारों के बच्चों को दसवीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जो सफाई करने, मरे पशुओं की खाल निकालने और चमड़े का काम करने में लगे हैं। मैट्रिक बाद की छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य विभिन्न स्कूलों तथा कालेजों के मैट्रिक के बाद की कक्षाओं के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। लगभग 15.30 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल रहा हैं। उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति तथा यात्रा अनुदान योजना के अंतर्गत चुने गये प्रतिभाशाली छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमः— राज्य—स्तरीय अनुसूचित जाति विकास निगमों की मदद के लिए यह योजना वर्ष 1978—79 में शुरू की गयी थी, ताकि अनुसूचित जाति / जनजाति आबादी को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची– अध्याय–2

1– सिंह राम लोचन: इवोल्यइम ऑफ रूरल सेटिलमेंट इन मिडिल रांगा वैली, नेशनल ज्योग्राफिकल ऑफ इण्डिया, वी0एच0यू0, वाराणसी प्रेम कपाड़िया और डॉ0 प्रकाश लुईस, नई सदी भी तोड़ नहीं पायी उ0प्र0 में अछूतपन को, पृ0–182

2– अम्बेडकर बी0आर0, द अन्टचेबुल्स (और) वही

3– सेंसस आफ इण्डिया–1931 एवं राम अवतार गौतम 1986 अप्रकाशित शोधग्रंथ अवध प्रदेश के अनु0 जाति एवं जनजाति : सामाजिक भूगोल के परप्रेक्ष्य में एक अध्ययन भूगोल विभाग, गोरखपुर, विश्व विद्यालय गोरखपुर (वही)

4– माता प्रसाद, उ0प्र0 की दलित जातियों का दस्तावेज, पृ0–12

5– भारत की जनगणना(1911) भाग–1, पृ0117 एवं डॉ0 अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड्मय खण्ड14, पृष्ठ,73

6– माता प्रसाद उ0 प्र0 की दलित जातियों का दस्तावेज

7– वही

8– वही

9– वही, पृष्ठ–73

10– वही, पृष्ठ 14, 22

11– डा0 संजय पासवान और डॉ0 परामांशी जयदेव (एडीटर) इन्साइक्लोपीडिया ऑफ दलित इन इंडिया, खण्ड–2, पृष्ठ–43

12– माता प्रसाद, उत्तर प्रदेश में दलित जातियों का दस्तावेज, पृष्ठ–13

13– माता प्रसाद, उत्तर प्रदेश में दलित जातियों का दस्तावेज, पृष्ठ–14

14– वही, पृष्ठ–150

15– वही, पृष्ठ –14

16– वही

17– वाइड दि मिनिश्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफिकेशन नं0 70/53 (और) मिश्र जितेन्द्र इक्वालिटी वर्सेस जस्टिस, पृ0–49 (और) माता प्रसाद,उ0प्र0 की दलित जातियों का दस्तावेज, पृष्ठ–74

18– वही, पृष्ठ–54

19– माता प्रसाद, उत्तर प्रदेश में दलित जातियों का दस्तावेज, पृष्ठ–13

20– वही

21– वही

22– भारत की जनगणना उत्तरप्रदेश श्रंखला 10, पृष्ठ–9

23– उत्तर प्रदेश 2002, पृष्ठ 138, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

24– माता प्रसाद, उत्तर प्रदेश में दलित जातियों का दस्तावेज, पृष्ठ–20

25– माता प्रसाद, उत्तर प्रदेश में दलित जातियों का दस्तावेज, पृष्ठ–41

26– वही, पृष्ठ–157

27– वही, पृष्ठ–158

28– भारत की जनगणना 2001, श्रृंखला–10 उत्तर प्रदेश, पृष्ठ 9

29– वही

29– (अ) यादव डॉ0 बीरेन्द्र सिंह दलित चिंतन और चिंतन के सामाजिक सरोकार हम दलित' जून 2006 पृ0 33

29– (ब) यादव डॉ0 बीरेन्द्र सिंह दलित –विमर्श चिंतन एवं पराम्परा नवम्बर–2005,पृ0–69

30— वही

31— जयनारायण पाण्डेय : भारत का संविधान सेन्ट्रल लॉ एजेंसी इलाहाबाद

32— 12/4 मनु स्मृति

33— ऋग्वेद 10/90/12

34— यूनोस्को, द पब्लिकेशन : इण्टररिलेशन ऑफ कल्चर्स, 1955, पृष्ठ—152

35— वही, पृष्ठ 146—147

36— राधा कृष्णन एस0 ईस्टर्न रिलिजंस एण्ड वेस्टर्न थॉट, 1940, पृष्ठ—152

37— कीर धंनजय, डॉ0 अम्बेडकर लाइफ एण्ड मिशन, 1954, पृष्ठ—3

38— राधा कृष्णन एस0 द हिन्दू व्यू ऑफ लाइफ 1949, पृष्ठ 132

39— राधा कृष्णन एस, रिलिजन एंड सोसाइटी, 1956, पृष्ठ—132

40— पुरी बी0एन0 इण्डियन हिस्ट्री —ए रिव्यू, 1960, पृष्ठ—14

41— नरासू पीएल0 द एसंस ऑफ बुद्धज्म, 1958, पृष्ठ—117

42— थॉमस ई0जे0, द हिस्ट्री ऑफ बुद्धज्म थॉट 1953, पृष्ठ—14

43— वही पृष्ठ—110

44— पुरी बी0एन0, इण्डियन हिस्ट्री—ए रिव्यू,पृष्ठ —73

45— यामीन एम0, ए सोशल हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक इण्डिया, 1958, पृष्ठ—179

46— नार्थरोप एफ0एस0सी0, द मीटिंग ऑफ ईस्ट एण्ड वेस्ट, 1950, पृष्ठ—411—414

47— डॉ0 अम्बेडकर, लाइफ एण्ड मिशन, पृष्ठ—1

48— मुखर्जी डी0पी0 मॉर्डन इण्डियन कल्चर,पृष्ठ—1

49— थॉमस जी0एफ0 क्रिश्चियन एथिक्स एण्ड मॉरल फिलॉसफी, 1957,पृष्ठ—305

50— जाटव डी0आर0, डॉ0 अम्बेडकर का समाज—दर्शन,पृष्ठ—10

51— वही,

52— रामशरण शर्मा—शूद्रो का प्राचीन इतिहास पृ0—108

53— अक्षेन्द्र नाथा सारस्वतः सामाजिक न्याय मानवाधिकार और पुलिस पृ0—268—269

54— डॉ0 अम्बेडकर वाङ्मय —खण्ड—9 पृष्ठ—21,22

55— हिन्दी दैनिक अमर उजाला 6.3.1992 पृष्ठ—4

56— डा0 मुन्नी लाल विश्वकर्मा : सामाजिक न्याय की प्राप्ति मंजिल अभी दूर है। हिन्दी दैनिक हिन्दुस्तान नई दिल्ली 12.9.90

57— हरिजन अपर कास्ट कन्फिलिक्ट्स (1990) : डॉ0 बेंकटेश्वर लू पृ0—56

58— अक्षेन्द्र नाथ सारस्वत, सामाजिक न्याय मानवाधिकार पुलिस पृ0—280.

59— अनूसचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रक्रिया संक्षिप्त विवरण पृ0—19

60— शोध धारा पृ0—91

61— शर्मा रमेश चन्द्र 'विकास एवं नियोजन का अर्थशास्त्र 1997—2000

62— गौरीशंकर 'नई आर्थिक नीति : उपलब्धियों के विविध आयाम गांधी विचार —2(1)26—54 1993

63— क्रानिकल—भारत की सामाजिक समस्यायें पृ0—238

64— वही पृ0—240

तृतीय अध्याय

दलित आन्दोलन का उदय एवं विकास

किसी समाज से जुड़े आंदोलन का सूत्रपात सामान्यता तब होता है जब समाज में जागरूक उत्कृष्ट एवं विवेकशील पुरूष उसको गति देते हैं। प्रत्येक आंदोलन का उदयीमान के विभिन्न प्रतिमान एंव आयाम होते है। जिनका सम्बन्ध समाज के शोषित दलित एवं अस्तित्व हीनों को जागरूक करने के लिये उनको प्रेरणादेयी बनाते है।

प्रत्येक आंदोलन के निर्धारण में शोषित दलित एवं शक्तिहीन वर्ग के प्रति आशा आकांक्षा एवं लक्ष्य को संगठित बनाना एवं उनमें नवीन क्षमता पैदा करना यही प्रत्येक आंदोलन का उद्देश्य है जिससे कि दलित समाज के मुख्य धारा से जुड़कर अपने जीवन को व्यवस्थित एंव संगठित बना सके।

समाज में निम्न व उच्च लोगों को आपस में जोड़ना प्रत्येक आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है जिससे निम्न वर्ग को उच्च वर्ग की दासता से मुक्त कराकर उन्हें समानता व स्वाभिमान पर केन्द्रित करके एक नयी छवि दे सके जिससे वे अपने जीवन को सकरात्मक एवं सकल्पनात्मक बना सके।

समाज में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां उच्च और निम्न वर्ग को अलग-अलग विभेदित करतीं हैं परन्तु राष्ट्र भक्तों एंव समाज सेवियों द्वारा ऐसे आंदोलन चलाये जाते हैं जिससे सामाजिक सम्बन्धों, समानता, भाई चारा विश्वासों और नई सामूहिकता पनपे, जिससे सामाजिक रूढ़िवादिता एवं कट्टर पंथिता का पतन हो सके और एक ऐसा समाज बने जिसमें सभी लोग अपनी नई ज़िंदगी जी सकें, और अपने विचारों को समाज के सामने स्पष्ट कर सकें।

दलित समस्या जाति व्यवस्था की ही देन है अतः दलित आंदोलन की प्रकृति अथवा स्वरूप कुछ भी हो इसका उद्देश्य जातिविहीन नूतन समाज की स्थापना करना है जिससे वह व्यवहारिक रूप में सदैव बनी रहें ओर विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं को गति मिल सके।

दलित आंदोलन प्रकृति एवं स्वरूप से सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक आंदोलन की व्यवस्था सामाजिक सरंचना के परिप्रेक्ष्य में होती है। सामाजिक आंदोलन सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए किये जाने वाला सामूहिक प्रयास है।

आंदोलन के दौरान संरचनात्मक परिवर्तन के साथ संस्थागत नियमों एवं सांस्कृतिक मूल्यों में भी कमोवेश परिवर्तन होता है। फिर भी यह बहुत कुछ आंदोलन के लक्ष्य एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। कि उसका झुकाव संरचना अथवा संस्कृति में से किसी एक में परिवर्तन लाने की ओर अधिक है। अथवा दोनों में समान रूप से है।[1]

आंदोलन हमेशा समाज के लिये बड़े उपयोगी हैं क्योंकि इनसे समाज में दासत्व जीवन का पतन होता है जिससे मनुष्य एक नई स्वतन्त्र एवं उत्तम जिंदगी जी सके उसके ऊपर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध और जुल्म न हो क्योंकि वह भी समाज का एक प्राणी है उसमें भी वही अंग है जो उच्च वर्ग में है फर्क केवल अमीरी और गरीबी का।

इतिहास में दलित आंदोलन के तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है।

प्रथम चरण–ईसा पूर्व से 1600–1700 ई0 तक यह ऋग्वेद काल से प्रारम्भ होकर मुस्लिम (मुगल) काल तक चला। इस चरण के अन्तर्गत दलित आंदोलन एवं दलित जागृति की नींव पड़ी।

द्वितीय चरण– (1700 ई0 से 1947 तक) इस काल के अन्तर्गत यह आंदोलन उपायों से अधिक जुड़ा रहा। और दलितों के राजनैतिक अधिकारों से सम्बन्धित रहा।

तृतीय चरण– (1947 ई0 से अब तक) जिसके इस काल के अन्तर्गत दलितों के प्रयास सुदृढ एकता तथा दासता से मुक्त होने के निश्चय पर प्रयासरत है।[2]

दलित आन्दोलन की जहां तक शुरूआत की बात है तो इसका प्रथम चरण जा वैदिक काल से प्रारम्भ होकर मुगल काल तक रहा, इसी समय को दलित आंदोलन का प्रारम्भिक काल भी कहा जा सकता है।[3] एक प्रकार से ऋग्वेद के सूक्तों से प्रमाणित हो जाता है और यह पाया जाता है कि दलितों ने अपने शोषकों का विरोध किया ओर आंदोलन किया। दलितों ने केवल आंदोलन ही नही किया तथा उन से लड़ाई भी लड़ी यद्यपि अपने शत्रु से पराजित होकर अधीन हो गये।[4] उसके पश्चात ऋग्वेद काल के ही अन्तर्गत दो राजकुमार (जो ब्राह्मण नही थे) महावीर (ईसा से पूर्व 540–468) जैन धर्म के संस्थापक तथा गौतम बुद्ध (563–463 ईसा से पूर्व) बौद्ध धर्म के संस्थापित ने भी सवर्णो की प्रवरता एवं प्रमुखता के विरोध में विद्रोह किया। परन्तु इनके प्रयासों का कोई विशेष लाभ नही प्राप्त हुआ जो दलित वर्गो के हित में हो। इसका कारण यह रहा कि इस धर्म से जुड़े अनुयायी जाति प्रथा के दबाव का सामाना नहीं कर सके और अपनी एक धर्म प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने में लगे थे, जो अनुरूप थीं। बौद्धों को पड़ोसी देशों को जाने के लिये विवश कर दिया गया। जब वे भारत में पुनः आकर रहने लगे तो उनको उच्च जातीय हिन्दुओं द्वारा अछूत समझा जाता था।[5]

द्वितीय चरण के रूप में यह आंदोलन अंग्रेजी काल के समानान्तर ही चला, जो 1947 तक रहा है। जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी (लंदन) का उद्घाटन 1599 ई0 में हुआ था।[6] किन्तु यह भी एक सत्य तथ्य है कि इस काल के प्रथम 150 वर्षो के अनतर्गत ईस्ट इण्डिया कम्पनी का उद्देश्य मात्र कारोबार तथा व्यापार तक ही सीमित था। अतः इस समय दलितों के आंदोलन का वास्तविक प्रभाव प्लासी के युद्ध (1757) के तथा बक्सर के युद्ध (1764) के पश्चात दिखाई पड़ा। किन्तु दलित आंदोलन का वास्तविक परिवर्तन 1857 के विद्रोह से प्रारम्भ हुआ। अतः इस चरण को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है वह निम्न है।

(अ) विद्रोह से पूर्व

(ब) विद्रोह के पश्चात्

(अ) उस समय विद्रोह से पूर्व अंग्रेजों ने युद्ध सेवा में दलितों की भर्ती बड़े पैमाने पर बढ़ा दी गयी। दो पलटन दलित महार (1768)[7] और मरीन पलटन (1777)[8] बम्बई की सेना का विशेष अंग बनी। सैन्य सेवायें अन्य क्षेत्रों में भी उसी प्रकार बढ़ायी गयी। जिनमें बंगाल तथा पंजाब भी शामिल थे। सैन्य सेवा का महत्वपूर्ण प्रभाव दलित जागृति को सुदृढ़ करने में पड़ा इसके पश्चात् इस जागृति को और सशक्त बनाने में विभिन्न धर्मो के पुरूषों व महिलाओं की भूमिका का सम्मिलित योगदान था। अतः दलित नेताओं के योगदान को नही भुलाया जा सकता, जो इस कार्य में सम्मिलित थे। इनके नाम निम्न है।

(1)डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर (1891–1956) यह महार जाति के थे, जो पश्चिमी महाराष्ट्र से सम्बन्धित थे।

(2) अरीगे रामास्वामी (1885—1973)— यह आंध्र प्रदेश (दक्षिण) से सम्बन्धित थे तथा माला वंश के थे।

(3)अय्यन कालिस (1863—1941)— यह पुलाया वंशीय थे जो केरल (दक्षिण) से सम्बन्धित थे।

(4) बाबू राम चरन जी निषाद-- (1869—1935)— यह उत्तर प्रदेश (उत्तर) से सम्बन्धित थे।

(5) तेलू राम वेदवान (1914—1990) —यह हिमांचल प्रदेश (उत्तर पश्चिम) से सम्बन्धित बाल्मीकि जाति के थे।

(6) पन्ना लाल वीरपाल (जन्म 1913)—यह राजस्थान के उत्तर पश्चिम से जुड़े हुये थे तथा मेघवाल वंशीय थे।

(7) आर0डी0 भण्डारं (1916—1988)— यह महार वंशीय थे, जो महाराष्ट्र (पश्चिम) के थे।

(8) खेमचन्द्र भाई चावेदा (जन्म 1919)— यह गुजरात पश्चिम से सम्बन्धित थे

(9) एम0 चिक्कालिंगाययाह (1901—1966) — यह आदि कर्नाटक वंशीय थे।

(10) श्रीमती जा बाई चौधरी (1892—1964)—यह महार वंशीय थी, तथा महाराष्ट्र (पश्चिम) से सम्बन्धित थी।

(11)साधू राम चौधरी (1909—1975)— यह पंजाब (उत्तर पश्चिम) से सम्बन्धित चमार वंशीय थे।

(12)मोहनी मोहन दास (1886—1949)—यह नम शूद्र वंशीय थे, तथा बंगाल (पूर्व) से सम्बन्धित थे।

(13) नवान्त्र दास (जनम 1915)— यह पूर्वी बिहार से जुड़े हुये थे।

(14) इयोधीदास (1845—1914)— यह तमिलनाडू के दक्षिणी भाग से सम्बन्धित थे जो आदि द्रविड़ वंशीय थे।

(15) गुर्रम जसुवा (1895—1971) —यह एक दलित ईसाई थे तथा आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग से सम्बन्धित थे।

(16) गुरू बालक दास (1830—1870)— यह सतनामी वंशीय थे, तथा मध्य प्रदेश (मध्य) से जुड़े हुये थे।

(17) पम्पाडी जान जोसेफ (1887—1940) —यह केरल के दक्षिणी भाग से जुढ़े हुये थे, तथा पुलाया वंशीय दलित ईसाई थे।

(18) पं0 पटराम सिन्हा (1900—1972) — यह जाटव वंशीय थे तथा नई दिल्ली (उत्तर पश्चिम से सम्बन्धित थे।)

(19) एम0सी0 राजाह (1883—1947)— यह परियाह वंशीय थे, तथा तमिलनाडू के दक्षिणी भाग से सम्बन्धित थे।

(20) श्रीमती राजमनी देवी (1920—1985)— यह माला वंशीय थी, तथा आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग से सम्बन्धित थी।

(21)बाबू जगजीवन राम (1908—1986)— यह चमार वंशीय थे, तथा पूर्वी बिहार से जुड़े हुये थे।

(22)मंगूराम (1886—1980)—यह चमार वंशीय थे, जो पंजाब के (उत्तर पश्चिम) भाग से सम्बन्धित थे।

(23) आदरणीय जान रथनाम (1846—1942) —यह आदि द्रविड़ वंशीय थे, तथा तमिलनाडू के दक्षिणी भाग से सम्बन्धित थे।

(24) सरदार देवी सिंह (1896—1966)—यह जाटव वंशीय थे, तथा उत्तर पश्चिम दिल्ली से जुड़े हुये थे।

(25)श्रीमती मीनाम वाई शिवराज (1902–1992)– यह दक्षिणी तमिलनाडू से सम्बन्धित थी।

(26) पी0जी0 सोंलकी (1876–1953)– यह दलित ईसाई थे, तथा गुजरात (पश्चिम) से जुड़े हुये थे।

(27) आर0 श्री निदासन (1859–1945)– यह आदि द्रवेड़ वंशीय थे, तथा तमिलनाडू के दक्षिणी भाग से जुड़े हुये थे।

(२८) स्वामी अछूतानन्द (1879–1993)– यह उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से सम्बन्धित थे।

दलित अछूत एवं अस्पृश्य जातियों को सक्रिय एवं जागरूक करने के लिये कई प्रकार के आन्दोलन भी चलाये गये। जो निम्न है।

उरॉव आन्दोलन

"उरॉव जनजाति मुख्यतः बिहार, पश्चिम बंगाल म0प्र0 और उड़ीसा में पायी जाती है। उरॉव द्रविण भाषा बोलते थे। वे अपने आप को 'कुरूरत' कहते हैं, जिसका अर्थ मनुष्य होता है।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी को 1765 ई0 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का हक मिल गया और इस प्रकार छोटा नागपुर अंग्रेंजों के अधिकार में आ गया। इसी बीच कुछ जागीरदारों और व्यापारियों को भी आदिवासी भूमि पर जमींदारी अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार मुण्डाओं और उरॉवों के बहुत से अधिकार सीमित कर दिये गये। अभी तक लगान वस्तु के रूप में देना पड़ा था, लेकिन अब यह धन के रूप में देना अनिवार्य कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे–धीरे समस्त आदिवासी कर्ज़ में डूबने लगे। अब इन आदिवासियों को कम्पनी के लोग, जमींदार, व्यापारी, हेय दृष्टि से देखने लगे।

रांची में पुर्नजागरण आन्दोलन का प्रारम्भ 'ताना भगत आन्दोलन' से हुआ। यह रांची का सबंसे महत्वपूर्ण आन्दोलन था।

इस आन्दोलन के निम्नलिखित विशेषतायें थी।

1–पशु हिंसा मत करो।

2– मॉंस मदिरा का सेवन मत करो।

3–बेगार में मजदूरी बंद करो।

4– भूतों पिशाचों की पूजा बंद करो।

5–अखारा में नृत्य करना पाप है।

ताना भगत आन्दोलन से उरॉव में बहुत से परिवर्तन हो गया। उन्होने अपने शादी विवाह और मृतकों को दफनानें के रीति–रिवाजों में परिवर्तन कर दिया। उन्होंने एक ऐसी सभा का निर्माण किया, जो लोगों का पथ प्रदर्शन करती थी। इनकें इस आन्दोलन को सरकार ने शीघ्र ही कुचल डाला।

तिलका मांझी आन्दोलन (1750–1784)

वर्ण और जाति के आधार पर तोड़े गये मूल निवासियों में शताब्दियों के पश्चात आत्म सम्मान से जीने का आन्दोलन सर्वप्रथम बिहार के संथाल परगना, भागलपुर और छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने शुरू किया। इस आत्म सम्मान के आन्दोलन की एक विशेषता यह थी कि बिहार के इस आदिवासी क्षेत्र में धार्मिक कट्टरवादिता के विरूद्ध बगावत नहीं थी बल्कि गोरे अंग्रेज अफसरों और उनके गुलाम भारतीय काले जागीरदारों के शोषण और अत्याचार के

विरूद्ध खुला संघर्ष था। इन आदिवासियों के आक्रोश की तलवार केवल गोरे अंग्रेजों के सर कलम के लिए ही नहीं उठी थी बल्कि भारत के जमींदारों और सामंतों के विरूद्ध भी थी। इन आन्दोलनकारियों के कोप का भाजन अंग्रेज और भारतीय जमींदार समान रूप से थे। वह इन दोनों के शोषण से मुक्ति पाना चाहते थे।

गरीब आदिवासियों की भूमि खेत और जंगली वृक्षों पर अंग्रेजों व जमींदारों ने अपना अधिकार जमा रखा था। इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के बच्चे, महिलायें और पुरूष सभी समान रूप से अत्याचार का शिकार बने हुए थे। जमींदार खुले रूप से अंग्रेजों का साथ देते थे तथा अंग्रेजो को खुश करने के लिए आदिवासियों पर खूब जुल्म करते थे।

तिलका का जन्म 1970 में भागलपुर के निकट एक मांझी आदिवासी परिवार में हुआ था। किशोरावस्था में प्रवेश करते ही अंग्रेजों और जमींदारों का आदिवासियों पर अत्याचार का सिलसिला दिनों दिन बढ़ता चला गया। तिलका मांझी ने इन अत्याचारियों के विरूद्ध आदिवासी नवयुवको को संगठित किया और थोड़े ही दिनों में हजारों की संख्या में आदिवासी नवयुवक तिलका मांझी के नेतृत्व में संगठित होकर शोषण से मुक्ति के संग्राम में सर पर कफन बांधकर घर से निकल पड़ें।

भारतीय दलित आदिवासियों के इतिहास में तिलका मांझी प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है, जो आत्म सम्मान के युद्ध में फांसी के फन्दे पर झूला। तिलका मांझी की यह शौर्य गाथा यत्र–तत्र ही दृष्टिगत हो रही है। तिलका मांझी का योगदान स्मरणीय है।

बिरसा मुण्डा आंदोलन (1789–1820)

परिचय–

डॉ0 अम्बेडकर ने राजा राम मोहन राय के मानवीयता परक सामाजिक कृत्यों की प्रशंसा करते हुए लिखा है–

जिस समय महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिवा राव फूले और बंगाल में राजा राम मोहन राय का सामाजिक परिवर्तन और आत्म सम्मान का आन्दोलन गति पकड़ता चला जा रहा था, उसी समय पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आसाम, बिहार आदि प्रान्तों में मुंडा जाति के आदिवासी लोग आत्म सम्मान से जीने का आन्दोलन प्रारम्भ कर चुके थे।

मध्य छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजी सरकार, राजाओं, जागीरदारों, महाजनों इत्यादि का प्रवेश 1750 और 1800 के मध्य प्रारम्भ हो गया था। मुण्डाओं ने इनके आगमन का प्रबल प्रतिकार किया। राजा, जागीरदार, महाजन सभी मुण्ड़ा समाज की अज्ञानता, अशिक्षा का फायदा उठाकर उनका शोषण करते थे। सन् 1769 में प्रस्तुत की गयी एक अंग्रेजी अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार जुल्म की एक झलक, "अत्याचारी घोड़ा खरीदेगा और कोल कीमत देगा अत्याचारी पालकी खरीदेगा, सोयेगा कोल जमींदार को भेड़ चाहिए या दुधारू गाय या पान सब खर्च कोल भरेगा शादी, पूजा, त्योहार जो भी हो कोल को ही खर्च करना है। कचहरी में किसी ठेकेदार को जुर्माना किया गया, तो जुर्माने की रकम कोल भरेगा। और किसी के घर में जन्म, मृत्यु कुछ भी हो तो तब भी किसी कोल को ही पैसे देने होंगे। इस तरह लूट, दण्ड और अत्याचार का चक्र चलता रहता है। अभागे कोल को अपना गाँव छोड़कर भागना पड़ता है।"

मुण्डाओं (कोलो) पर हो रहे अत्याच रों के समय 15 नवम्बर, 1775 को छोटा नागपुर के समीप बाम्बा ग्राम में विरसा मुण्डा का ज म हुआ।

1789 और 1820 के मध्य अत्याचार ओर शोषण के विरूद्ध अनेक बार मुण्डाओं ने विद्रोह किया। विद्रोहियों में माधोसिंह तथा दिरिसिंः मुख्य थे। ये दोनों नाम अभी भी मुण्डा लोकगीतों के माध्यम से सम्मान के साथ लिए जाते है। विरसा इन दोनों क्रान्तिकारियों से अत्यधिक प्रभावित थे। विरसा ने 1786 से 1790 तक चाईव सा जर्मन मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। अध्ययन के समय एक पादरी ने कहा कि सब मुण्डा सरदार ठग, चोर हैं। विरसा से न रहा गया, वह तीखे स्वर में चीखे मुण्डा चोर नहीं है। मुण्डा ठग नहीं है। चोर वो हैं जो मुण्डाओं को ठग रहे हैं। उनका शोषण कर रहे हैं। इस आक्रोश के समय विद्रोही विरसा की आयु मात्र 15 वर्ष की थी। 1790 से ही विरसा अपनी अल्प आयु में ही मुण्डाओं को संगठित करने में लग गये।

इस अल्प आयु में विरसा ने अपने आन्दोलन की सफलता के लिए नैतिक बल का सहारा लियां। उस समय मुण्डा जाति अशिक्षा के कारण अनेक कुरीतियों के शिकार थे। सुरा पान की उनमें एक बुरी आदत थी। विरसा ने मुण्डाओं को आत्म सम्मान की लड़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए मद्यपान जैसी बुरी आदतों की तिलांजलि देने के लिए समझाया। इसी बीच अकाल और सूखा पड़ा तो चारों ओर महामारी और भुखमरी छा गयी। सामाजिक नियमानुसार मृतक को समाधि दी जाती थी साथ ही समाधि में कुछ पैसे भी रखे जाते थे। विरसा ने ऐसी कुप्रथाओं को तोड़ने के लिए समाज को सचेत किया। शीघ्र ही विरसा का निवास स्थान चालकाड तीर्थ स्थल बन गया। दूर–दूर से मुण्डा लोग उनसे मिलने आने लगे। विरसा उन्हें उपदेश देते थे कि चोरी करना, झूठ बोलना, हत्या करना तथा भिक्षावृत्ति पाप है, भूत–प्रेत पिशाच को मत मानों, नशा बंद करो, हर इंसान से प्रेम करो तथा संगठित होकर रहो।

सन् 1795–96 में फिर अकाल पड़ा, तो उन्होनें लोगो से लगान देने के लिये मना किया। और कहा कि अंग्रेज सरकार और जमींदार दोनों तुम्हारे घोर शत्रु हैं। अर्जी अदालत सब फर्जी हैं। शोषण के विरोध में तुम्हें विद्रोह करना होगा और शोषकों को इस जमीन से खदेड़ना होगा। विरसा के ओज–पूर्ण स्वरों ने मुण्डा जाति के आन्दोलित कर दिया चारों ओर एक आवाज सुनायी देने लगी कि लगान देना बंद, बेगार करना बंद। विरसा के इस आन्दोलन से अंग्रेज सरकार, जमींदार, शराब विक्रेता, महाजन सभी क्रोधित हो गये। मुण्डा आदिवासियों के हृदय में बगावत की भावना भरने के कारण सरकार तथा जमींदारों ने विरसा को कुचल देने का संकल्प किया। विरसा को गिरफ्तार किया गया कुछ दिन बाद साथियों सहित 30 नवम्बर 1797 को समझा–बुझाकर मुक्त कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद विरसा ने और उग्र रूप धारण कर लिया। अब बिरसा लगान न देने तथा बेगार न करने की बात नहीं कर रहे थे अब विरसा ने घोषणा कर दी कि हम आजाद होकर रहेंगे। हमारा मुण्डा राज अलग से स्थापित होगा। स्वतंत्र मुण्डाराज की स्थापना की गूँज चारों ओर सुनाई देने लगी। 1799 में एक समारोह में डोमवाटी पहाड़ पर मुण्डा राजा का प्रतीक सफेद निशान तथ अंग्रेजी राज का प्रतीक लाल निशान एक साथ रखे गये। विरसा ने लाल निशान पर तीर मार कर नष्ट कर दिया तथा बाद में आग के हवाले कर मुण्डा राज की घोषणा कर दी। उस सफेद निशान के समक्ष अपने साथियों सहित त्याग पूर्ण जीवन जीने की शपथ ली।

24 नवम्बर 1799 को अनेक ग्रामों में सभायें हुई। सिंह भूमि के चक्रधर, रांची के खुटि, कारा, तोरपा, तामाड़ और बानिग्रा इत्यादि स्थानों पर आन्दोलनकारियों ने एक साथ सभी उक्त ग्रामों को आग के हवाले कर दिया। अनेक गिरजाघर फूँक दिये गये कई पादरी और मिशनरी मारे गये। विरसा ने कहा हमारा अभियान शोषण और अत्याचार के विरूद्ध है तथा अत्याचारी सरकार और जमीदारों से है। इसे ईसाई और गैर ईसाई का झगड़ा नहीं समझना चाहिए।

3 फरवरी 1800 को मनमारू और जाराईकेल गॉव के कुछ व्यक्तियों ने जमींदारों के हाथ बिककर विरसा को उस समय पकड़वा दिया जब वह गहरी नींद में सो रहा था। विरसा ने कहा ऐसे लोग सदैव रहे हैं और रहेंगें, इसलिए इंसान पर विश्वास मत खोना।

विरसा मुण्डा को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। 9 जून 1800 को सुबह बिरसा की मृत्यु हो गयी। तत्कालीन अखबारों ने लिखा कि बिरसा को जहर देकर मार डाला गया। इस प्रकार विरसा मुण्डा का अत्याचार, शोषण तथा आत्मसम्मान का आन्दोलन भविष्य में सम्पूर्ण देश के दलित शोषितों का प्रेरणा श्रोत बना।

'चाण्डाल' नामशूद्र आन्दोलन (बंगाल) (1850)

नामशूद्र समाज एक बहुसंख्यक समाज बंगाल में हैं नामशूद्र का समानार्थी 'चाण्डाल' है। बंगाल में नामशूद्र को ही चाण्डाल कहा जाता था।

18 वीं शताब्दी के मध्य से प्रारम्भ नामशूद्र आन्दोलन का प्रारम्भ बंगाल हुआ। इस आन्दोलन के प्रवर्तक हीरा ठाकुर थे। इन्होंने नामशूद्रों को समझाया कि तुम्हें न तो हिन्दुओ के मंदिरों में जाने की आवश्यकता है, न आत्म की मुक्ति के लिए ब्राह्मणों को पुराहित मानने की। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। हीराचन्द्र ठाकुर की 1879 में मृत्यु हो गयी। परन्तु उनकी जन चेतना की हुँकार से बंगाल का समस्त चाण्डाल समाज जागृत हो गया।

हीराचंद ठाकुर की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र गुरूचंद ठाकुर ने नामशूद्रों के आत्म सम्मान के आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान किया। उन्होनें 'नामशूद्र हितकारी संस्था' की स्थापना की और समस्त बंगाल के नामशूद्रों की सभा 1881 में खुलना जिले के दत्तादंग (आजकल का बंगाल देश) में बुलाई। अपने भाषण में उन्होनें नामशूद्रों को सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उठ खड़े होने को ललकारा। उन्होनें शिक्षा और नैतिक बल पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने लोगो को सलाह दी कि वह अधिक आबादी वाले ग्रामों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वंय पाठशालाएं खोलें।

उनका दूसरा आन्दोलन था 'चाण्डाल' शब्द को जनगणना से हटाने के लिए, जिस शब्द का प्रयोग उच्च जाति के लोग नामशूद्र के स्थान पर उन्हें अपमानित करने के लिए किया करते थे। अपने इस कार्य में गुरूचंद ठाकुर सफल हुए। 1911 की जनगणना रिपोर्ट में 'चाण्डाल' शब्द हटा दिया गया। उन्होंने नामशूद्रों के बीच पहला स्कूल 'फरीदपुर' जिले के द्राकण्डी नामक स्थान पर शुरू किया।

इझवा आन्दोलन केरल (1854–1928)

19 वीं शताब्दी में केरल में जातिवाद चरम सीमा पर था। उच्च जातियों ब्राह्मण एवं नायरों ने सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान स्थापित कर लिया था। इझवा जाति इनकी दृष्टि में 'नीच' 'अछूत' के अतिरिक्त कुछ नहीं थी। जब कोई नायर या नम्बूदरी ब्राह्मण रास्ते से गुजरता

था तो इझवा तथा अन्य सभी नीच जातियों को 12 से 32 फीट दूर रहना पड़ता था। जो 'अछूत' ऐसा नहीं करता था तो उसके परिवार तथा सहित उसकी समस्त जाति को भी निर्मम तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, जिससे लोगों की मृत्यु तक हो जाती थी।

इस सामाजिक विभीषिका के समय 26 अगस्त 1854 को केरल के 'छेपम्पजन्दी' स्थान पर इझवा परिवार में नारायण का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मदन आसन था। नारायण को उनके त्याग और मानवता के लिए समर्पित भाव ने नारायण गुरू बना दिया। कुछ पढ़--लिखकर उन्होंने 1884 में सन्यास ग्रहण कर लिया। वह गाँव --गाँव जाकर अछूत जातियों को उच्च जाति के लोगों की गुलामी न करने की शिक्षा देकर जाति व्यवस्था के विरूद्ध संगठित होकर मुकाबला करने का संदेश देते थे। उनका मानना था कि मानव जाति एक है किसी की गुलाम नहीं हैं जाति व्यवस्था के प्रबल समर्थक गाँधी जी और रविन्द्र नाथ टैगोर क्रमशः 1925 और 1926 में नारायण गुरू से मिले।

उनके नेतृत्व में 1924 में बैकाम सत्याग्रह शुरू किया गया। केरल की सभी निम्न जातियों ने एकत्रित होकर नारायण गुरू के नेतृत्व में मंदिर में प्रवेश किया। 20 सितम्बर 1928 को उनका देहावसान हो गया।

भारत में सामाजिक परिवर्तन के लेखक बी0 कुप्पू स्वामी के अनुसार इन दो तरीकों से एक ओर आधुनिक शिक्षा और दूसरी ओर सांस्कृतीकरण के द्वारा नारायण गुरू 30 वर्ष की छोटी अवधि में झझवा जाति को केरल में अछूत वर्ग से पिछड़ी जाति में परिवर्तित कराने में सफल हुए।[9]

नारायण गुरू ने 30 वर्ष में पतित समाज को सशक्त बनाकर सिद्ध कर दिया कि यदि ईमानदारी और ह्रदय से व्यवस्था परिवर्तन को किया जाय तो राष्ट्र को विकसित राष्ट्रों की श्रृंखला में शीघ्र लाया जा सकता है। नारायण गुरू की व्यवस्था परिवर्तन का कार्य निश्चित ही समाजशास्त्रीय और राजनीतिक दृष्टि से गवेषणात्मक विषय हैं।

प्रसिद्ध इतिहासकार और साहित्यकार डा0 ब्रजलाल वर्मा की इस सन्दर्भ में सटीक तथ्य अवलोकनीय है--

"यह अत्यन्त शोचनीय प्रसंग है कि हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व ने इस समस्या पर गम्भीरता से विचार नहीं किया। भारत के राष्ट्रीय नेता सार्वजनिक मंचों से तो जाति प्रथा का खण्डन एवं विरोध करते हैं किन्तु आजाद भारत के लोकतंत्र को अपनी मुठ्ठी में रखने तथा वोट बटोरने के प्रच्छन्न उद्देश्य से इसे कार्यान्वयन की सीमा तक कभी पहुंचने ही नहीं दिया। अन्यथा देश के स्वतंत्र होते ही संवैधानिक उपायों एवं कानून के माध्यम से जाति प्रथा को समाप्त कर दिया होता।[10]

इन सभी आंदोलनों के कारण दलित जागृति ने अपनी जड़े प्रशासन तक जमा ली थी। फिर भी यह कार्य दलितों को आंदोलन के प्रति बढ़ते रूझान को रोक न सका। क्योंकि इस समय जो कुछ हुआ, उससे दलितों में जागृति आयी बल्कि और स्वयं को पहचानने में मदद मिली।

इन आंदोलनों से उनमें सत्य की अनुभूति हुई, कि वह अपनी मातृभूमि के मूल निवासी जन है। और दूसरी अनुभूति यह थी, कि हिन्दू सामाजिक व्यवस्था (जो जाति प्रथा पर आधारित थी) ही उनकी खराब आदत के लिये पूर्णतया जिम्मेदार थी। अतः इनके लिये यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि वे अपने मूल स्तर को पुनः प्राप्त करें।[11] और ब्राह्मण जाति का ही नही बल्कि

सम्पूर्ण रूप से इस धर्म का तिरस्कार करें। डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1956 में बौद्ध–धर्म में परिवर्तित होना, इस दिशा में दलितों का प्रस्थान एक चरम सीमा थी।[12]

इसके पश्चात तो भारत में दलितों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की बाढ़ सी आ गयी। आदि–द्रविड़ –महाजन सभा जिसके सदस्य दलित परियाह सम्प्रदाय के थे। यह सभा 1890 में प्रकाश में आयी।[13] इस सभा ने तमिलनाडू में दलितों के अधिकारों की मांग की। सरकार ने इनकी मांगों को 1894 में स्वीकार कर लिया। 1918 में उन्होंने यह भी मांग रखी। कि उनका उपेक्षित 'नाम' परियाह से बदलकर सरकारी लेखों में 'आदि द्रविड़' कर दिया जाय। इसका अर्थ था, कि द्रविड़ इस भूमि के मूल निवासी हैं एम0सी0 राजा इस सभा के प्रमुख नेता थे।[14]

गुरू रामचन्द्र राव जी के नेतृत्व में 1917 में आदि–आन्ध्र महाजन सभा का प्रारम्भ हुआ। इस सभा के एक अधिवेशन में यह निश्चित किया गया, कि इस प्रदेश में दलितों को 'आदि आन्ध्र' के नाम से पुकारा जाए। इस सभा की समस्त मांगें भी दलितों के उत्थान से सम्बन्धित थीं।

उत्तर भारत में दलित संघों में आदि धर्म (मूल–धर्म के अनुयायी) की बुनियाद 1926 में पंजाब में हुयी। इसकी नीवं मंगूराम ने डाली। इस धर्म के अनुयायियों का विश्वास था कि दलित सम्प्रदाय जिसमें (चमार, चुरहा, सानसीस, भंगर तथा भील) जातियां हैं, वे भारत के मूलनिवासी हैं। उनके अनुसार जब मानव जाति की उत्पत्ति हुयी तब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। सभी समान थे। उन्होनें दलित संत रविदास की शिक्षाओं का पालन किया।

एक दलित संगठन 1921 में उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ, जिसका नाम 'आदि हिन्दू आंदोलन' था। जो स्वामी अछूतानन्द (जिनका वास्तविक नाम हीरालाल था) के द्वारा प्रारम्भ किया गया।[15] आदि हिन्दुओं का एक परमात्मा पर विश्वास था। और उनके अनुसार साधुओं का धर्म ही भारत का मूलधर्म हैं उनका विश्वास समस्त मानव जाति की समानता पर था। उन्होंने समस्त सवर्णवादी हिन्दुत्व की शिक्षाओं का विरोध किया। यह विरोध 1950 तक चलता रहा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य दलित संगठन भी थे, जो अन्य राज्यों के दलितों के हितों का नेतृत्व कर रहे थे।[16]

तृतीय चरण में जो दलित आंदोलन की स्वतंत्रता प्राप्ति का समय है। इन सभी आंदोलनों के कट्टर समर्थक इस समय डा0 भीमराव अम्बेडकर थे, जो अपने अनुयायियों में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जाने जाते हैं। डॉ0 अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य भारत के महोबा में हुआ था तथा 6 दिसम्बर 1956 में नई दिल्ली में निधन हो गया।[17] इन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दलित समुदाय के हितों की लड़ाई में समर्पित कर दिया, डा0 अम्बेडकर के इस सफर का प्रारम्भ 1919 में हुआ। और मृत्युपर्यन्त अपने को दलित उत्थान के प्रति समर्पित रखा। दलितों के राजनैतिक हितों की रक्षा के लिये उन्होंने आंदोलन किया, जिसके विरोध में गाँधी जी ने आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया। यद्यपि डॉ0 अम्बेडकर पूर्णतया सफल नही रहे, तब भी उनका प्रतिनिधित्व विभिन्न राज्यों व केन्द्रीय स्तर की सभाओं में बढ़ चढ़ कर होता रहा। 1931–32 के अन्तर्गत उक्त आंदोलन का भाग गोलमेज वार्ता के रूप में प्रारम्भ हुआ जो लंदन में आयोजित की गयीं।[18] इस वार्ता का परिणाम दलितों को अनुसूचित जाति की विशेष पहचान के रूप में सामने आया।[19]

डॉ0 अम्बेडकर का ध्यान दलितों की संपूर्ण–दासता से मुक्ति पर था। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उन्होने सिद्धान्त भी बनाये। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत दलितों के

संगठन और उनकी शिक्षा को सम्मिलित किया गया। अपने इस प्रयास के अर्न्तगत पहला कार्य एक राजनैतिक दल 1936 ई0 में बनाया। जिसका नाम "स्वतंत्र श्रमिक पार्टी" था तथा दूसरा मुख्य कार्य एस0सी0एफ (अनुसूचित जाति संघ) की स्थापना 1942 में की गयी।[20] उनका मुख्य उद्देश्य, यह था कि दलित शक्ति राजनीति में भाग ले, जो उनके विश्वास से अति आवश्यक है। उन्होंने अपने द्वारा स्थापित संघ के बारे में कहा था कि " मैं निश्चित रूप से इस मत का हूँ, कि इस देश में राजनीतिक अधिकार हिन्दुओं के साथ-साथ दलित हिन्दुओं में भी बांटे जायें। निम्न वर्गीय लोगों को भी वैधानिक रूप से उनके सही अधिकार देश की सरकार में मिलना चाहिये। सभी दलितों को एक साथ एक झंडे के नीचे मिलकर आना होगा। अगर ऐसा हो पाया, तो मुझे इसमें कोई शक नही है, कि तुमको उस स्थिति तक पहुंचने में कोई परेशनी नही होगी, जिसके तुम अधिकारी हो।[21] अनुसूचित जातीय संघ के उद्देश्य के प्रति उन्होनें कहा था कि भारत के राष्ट्रीय जीवन में अनुसूचित जातियों को अपनी आवश्यकताओं, अपनी संख्या, और अपने महत्व के कारण भी एक पृथक तथा अलग तत्व की उपलब्धि के लिये राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति हो, जिसके वे अधिकारी हैं।[22]

आंदोलन को एक वास्तविक संयोग स्वतंत्रता के पश्चात प्राप्त हुआ। जब डॉ0 अम्बेडकर जो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमण्डल में विधि मंत्री बने, जिसके प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू थे। डॉ0 अम्बेडकर को रूपरेखा समिति (जो संविधान निर्माण को लेकर बनी थी) में अध्यक्ष भी चुना गया। 29 अगस्त 1947 को इस समिति ने संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की। जिसे 26 नवम्बर 1949 को स्वीकृति मिली। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। इस संवधिान में दलितों के समस्त अधिकारों का प्रावधान किया गया। समस्त प्राप्त अधिकार दलितों के 100 वर्ष पूर्व से चले आ रहे प्रयासों और आंदोलनों का प्रतिफल थे। जिसमें डॉ0 अम्बेडकर का विशेष प्रयास सम्मिलित है।

डॉ0 अम्बेडकर का अन्तिम प्रयास दलितों को एक साथ करने का था। उन्होंने अपनी इस सोच को एक नयी राजनीतिक (पार्टी) दल के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनकी नयी पार्टी का नाम इच्छानुसार 'पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी' (जन -लोकतांत्रिक संगठन) रखा गया। किन्तु उनसे अनुरोध किया गया, कि वह इस नाम को परिवर्तित कर दे तथा ऐसा नाम जिसमें साम्प्रदायिकता की झलक न हो। पीपुल्स (जन) शब्द प्रायः अधिक रूप से अखिल विश्व में मार्क्सवादियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। अतः उन्होंने अपनी पाटी का नाम बदलकर 'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया' (भारत की प्रजातंत्रवादी पार्टी) आर-पी0 आई कर दिया। उन्होंने इस पार्टी का संविधान बनाया और अनुसूचित जाति से जुड़े समस्त नेताओं को उसकी प्रतियां वितरित की। जिसका उद्देश्य दलितों की हितों की रक्षा एवं बचाव करना था। आदिवासी तथा अन्य वर्ग, किसानों, श्रमिकों के साथ कई नेता इस पार्टी से जुड़े।[23] आर-पी-आई, जो अपने पुराने नाम एस0सी0एफ0 चुनावी गठबंधन के अन्तर्गत संयुक्त महाराष्ट्र समिति से जुड़ गये। उनके 6 सदस्य लोकसभा तथा 19 सदस्य राज्य सभा में पहुँचने में सफल हुये।[24] इस पार्टी को अधिक संख्या में राज्य विधान सभा में सीटें मिली, जिनमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडू, मध्यप्रदेश तथ पंजाब प्रमुख है। इसके बाद यह दल कई बार टूटा। तथा पनुः संगठित हुआ। ख्याति प्राप्त नेता इधर से अधर गये आये। कई प्रांतों में यह दल टुकड़ों में विभक्त हो गया। यह पाटी सुसंगठित और सुदृढ़ नहीं रह

पायी, यह स्थिति अल्प साधनों व अल्प समर्थकों के कारण आयी। दलितों में कुछ वर्गों के लिये यह रूकावट महान हानिकारक सिद्ध हुयी।[25]

कुछ युवा वर्ग ने कुंठित होकर साहित्य उपलब्ध करने तथा लेखन के कार्य को अपना लिया। उन लेखकों ने अपने लेखों में दलितों के जीवन की उन भयावह परिस्थितियों को दर्शाना प्रारम्भ कर दिया, जिन में वह रह रहे थें। और गांवों में किस तरह का अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता हैं, वे (लेखक वर्ग) अधिकांश गांवों में भी गये, जहां उच्च लोगों द्वारा दलितों पर क्रूरता के व्यवहार से भयानक जातीय परिस्थितियाँ उत्पन्न हुयी थी।[26] इधर टूट के कारण आर0पी0आई0 की आवाज समाप्त सी हो गयी। इस दल के शुभचिन्तकों द्वारा कई प्रयास किये गये, दल–खण्डों को पुनः संगठित किया जाये।[27] इसके बाद कुछ अन्य नेताओं ने डॉ0 अम्बेडकर के विचारों के प्रचार के लिये एक अन्य संगठन "अखिल भारतीय समता सैनिक दल" की स्थापना की। इस संगठन को मिस्टर भगवान दास ने पुनर्जीवित किया।[28] इस कार्य में दलितों का उन्हें समर्थन नहीं मिला और वे लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाये।

कांशीराम द्वारा 1980 के अन्तिम दिनों में "बहुजन समाज पार्टी" की स्थापना हुयी। उन्होंने सबको एक साथ लेकर चलने का कार्य किया जिसमें दलित हितों में सुधार के साथ–साथ पिछड़ी जातियों को अल्पसंख्यक समुदायों तथा कर्मचारी महासंघों को मिलाकर प्रस्तुत किया गया। 1990 ई0 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने अपने दो सदस्य लोकसभा में भेजने में सफलता प्राप्त की। तथा पिछड़ी जातियों को साथ लेकर 12 सदस्य उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भेजने मे सफलता प्राप्त की तथा 10 प्रतिशत बोट प्राप्त किये।[29]

1993 ई0 में इनका वोट प्रतिशत 11.11 रहा। इस पार्टी ने समाजवादी पार्टी (जो पिछड़ी जातियों से जुड़ी हुयी थी) के साथ मिलकर पहली बार राज्य में सरकार बनायी।[30] इसके पश्चात् बी0जे0पी0 से मिलकर राज्य में पहली बी0एस0पी0 सरकार बनी। मायावती प्रथम दलित महिला थी, जो मुख्यमंत्री बनी। किन्तु यह सरकार मात्र 135 दिन ही चल सकी।[31]

मायावती ने इसी प्रकार विभिन्न दलों जिनकी विचार धारायें अलग–अलग थी से समझौता कर तीन बार भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने में सफलता प्राप्त की। प्रारम्भ में जहां कांशीराम द्वारा नारा दिया गया था, तिलक, तराजू और तलवार, उनको मारों जूते चार, सम्भवतः शताब्दियों में दबे कुचले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का बड़ा सहज तरीका था। लेकिन इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही इनकी संकीर्ण विचार धारा में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला जब इन्होंने समता मूलक समाज की बात करना प्रारम्भ किया। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ में दलित चेतना जागृति एवं दलित आंदोलन के रूप में स्वीकार किया।

आज समस्त भारत को विभिन्न प्रान्तों में दलितों के साथ विभिन्न प्रकार के अत्याचार किये जाते हैं। उसका मुख्य कारण अनुसूचित जाति और जनजाति अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ, निरक्षर और बहुत से पूर्वाग्रहों से पीड़ित है। दलितों के उदय एवं विकास के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की कमेटियाँ एवं जाँच आयोग बनाए गए है जिससे उनका जीवन स्वच्छ एवं आदर्शमय बन सके।

अम्बेडकर–वाद दलित स्वतन्त्रता का सिद्धान्त

भारत में अम्बेडकरवाद का महत्व मार्क्सवाद से अधिक उत्कृष्ट अनुपम एवं अतुलनीय हैं अम्बेडकरवाद दलित आंदोलन की आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टवादिता को परिभाषित करताहै। डॉ0 अम्बेडकर की विचार धारा दलित स्वतन्त्रता के सिद्धान्त पर खरी उतरती है। क्योंकि उसमें सामाजिकता और आर्थिकता के मतभेदों से दूर करने का प्रयास किया। उसके साथ–साथ तिरष्कृत उपेक्षणीय संकल्पनाओं नष्ट भी किया।

दलितों के जीवन का पददलित से रोकने के लिये अम्बेडकर ने उसे प्राथमिकता दी और उन्हें समाज में सम्पन्न एवं उच्च वर्ग के समकक्ष उठाने का प्रयास किया। धनाढ्य लोग समाज में हमेशा ऊँचे गिने जाते है परन्तु वह धनाढ़य बने कैसे ये भी एक चिन्तन का विषय है। जिन्होंने शोषित एवं दलित वर्ग का हमेशा शोषण किया और मूलभूत सिद्धान्तों से दूर रखा।

राष्ट्रीय एकता एवं दलित उत्थान की भावना ने डॉ0 अम्बेडकर को समाजवादी समाज की स्थापना के लिये प्रेरित किया, जिससे दलित व्यक्ति की स्वतन्त्रता सम्पन्नता एवं गतिशीलता मिल सके। आदर्शवाद एवं सामाजिक यथार्थवाद का एक समन्वय है। जिसमें बहुत से समाजवाद एवं भौतिकवाद को भी समाहित किया है। जो शोषित एवं दलित वर्ग के विकास के लिए उपयोगी है जिससे और समाज में सहयोग न्याय भ्रातृत्व की भावना पनपती हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का सार मिल सके।

बाबा साहब डॉ0 अम्बेडकर नें मनुस्मृति, वेद, उपनिषदों आदि के अध्ययन से यह सार निकाला था कि वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप ही अस्पृश्यता छूआछूत है। वर्णव्यवस्था ही छुआछूत और जाति–पाँति की जननी है। उसका पूर्व में रूप चाहे कर्म के आधार पर व्यवसाय के आधारपर कुछ भी रहा हो, बाद में जन्म के आधार ने मानव को मानव से अलग कर दिया, कि इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि शोषक वृत्ति के कारण उसने अपने ही सहोदर का शोषण कर शोषित दलित बना लिया हो।

अम्बेडकरवाद इस सदी के उन सिद्धान्तों से उद्भूत है जिसमें समता, स्वतन्त्रता, बन्धुत्व, करूणा, मैत्री, न्याय जैसे नैसर्गिक मूल्यों का समावेश हैं, उसने भारत की उस व्यवस्था, उन मूल्यों को झकझोर दिया है जो असमानता, असहिष्णुता, शोषण, दलन, दमन के द्योतक थे। अम्बेडकरवाद ने असमानतावाद, सामन्ती मूल्यों को झकझोरा ही नहीं है अपितु संविधान के माध्यम से उनकी जड़ों को जर्जरित करने में भी कोई कोर क़सर नहीं छोड़ी हैं। डॉ0 अम्बेडकर ने भारतीय समाज व्यवस्था की वर्णव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था जो कि ऋग्वैदिक काल से चलती–चलती स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व अन्त्यज अछूत के लिये नित नूतन प्रतीत होती थी, को अपने ज्ञान कौशल से वैचारिक क्रान्ति से उलट–पलट कर समान स्तर पर लाने के आजीवन प्रयास किये और भारत को ऐसा क्रान्तिकारी धर्म वापिस दिया जिसकी जड़ों को असहिष्णु वर्ण व्यवस्था पोषक ब्राह्मणवादी शक्तियों ने हजारों वर्ष पूर्व इस भारत भूमि से उखाड़ फेंका था।

"अम्बेडकरवाद ने बीसवीं सदी में एक ही चषक में सार रूप में उन मूल्यों को समता, स्वतन्त्रता, बन्धुत्व, करूणा, मैत्री, न्याय के तथागत बुद्ध के धर्म दर्शन के रूप में उन का अगणित अन्त्यजों अछूतों को पिलाया जिन्हें समानता की आवश्यकता थी, स्वतन्त्रता की आवश्यकता थी, और भाई–चारे–न्याय, करूणा, मैत्रीं सबकी आवश्यकता थी। अम्बेडकरवाद ने उच्चतम् कानून संविधान से लेकर राजनीति, अर्थनीति, समाजदर्शन नैतिकदर्शन, इतिहास, कला साहित्य, सांस्कृति चिन्तन, ज्ञान विज्ञान, नृशंसविज्ञान, विज्ञान आदि सभी पहलुओं को प्रभावित किया।"

इस समय यदि अन्त्यज अछूत अर्थात् आज के दलित पीड़ित के लिये सामाजिक क्रान्ति की चिंगारी का कोई दर्शन है तो वह है अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद ने हिन्दू समाज और हिन्दू धर्म की समीक्षा, जो उन्हीं के वैदिक–पौराणिक आधारों पर की है, के ऐतिहासिक, क्रान्तिकारी, समाज परिवर्तनवादी व न्यायवादी महत्व को कोई भी नही नकार सकता। आधुनिक भारत में न्याय समानता, भाईचारा, स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता का यदि कोई प्रभावी दर्शन है तो वह है अम्बेडकरवाद। बीसवीं सदी के अवसान से ही अम्बेडकरवाद पर आधारित लेखन ज्योतिबा फूले व डॉ० अम्बेडकर की विश्लेषणात्मक, तार्किक चिन्तन पद्धति से प्रेरणा लेकर सामाजिक, साहित्यक, राजनैतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में किया जा रहा है वैसा किसी अन्य क्षेत्र में दूर–दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। साहित्यिक क्षेत्र में अम्बेडकर के दर्शन ने तथागत बुद्ध को उनकी मातृभूमि में लाकर खड़ा कर दिया है, शशांक के जलाये बोधि वृक्ष की जड़ों को हरा–भरा कर पुष्पित पल्लवित कर दिया है। अम्बेडकर साहित्य अब मात्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अछूतों, पीड़ितों, दलितों की दशा को देखकर रूदन–क्रन्दन नहीं है अपितु दलित के हाथ में दी गई कलम रूपी वह तलवार है जो देर सबेर भारत से सच्चे अर्थो में असमानता असहिष्णुता, भेदभाव जैसा विषमतामूलक तत्वों को काट–छाँटकर समानता, स्वतन्त्रता बन्धुत्व, करूणा, मैत्री और न्याय पर आधारित मूल्य जन साधारण को उपलब्ध करायेगी। दलित के लिए बाबा साहेब का साहित्य ही सच्चे मायनों में सृजनात्मक, सुरूचिपूर्ण सौष्ठव मूल्यों का सहित्य हैं दलित साहित्य अब दलितों की पीड़ा क्रन्दन–रूदन वेदना चीख पुकार की कहानी मात्र नहीं है बल्कि इन सबसे बढ़कर आगे की यात्रा है। यह अस्मिता, आत्म सम्मान, जागरूकता हेतु शोषण के विरूद्ध आवाज है। ब्राह्मणवाद, सामान्तवाद पूंजीवाद के विरूद्ध एक आक्रोश है, तथा एक प्रतिकार है। दलित साहित्य अन्त्यंज पिछड़े दलितों का साहित्य ही नहीं है, बल्कि उनके लिये भी एक आवाज है जो असमानता के शिकार हैं तथा बंधन की बेड़ियों में जकड़े हुए है। दलित साहित्य उनको भी चक्षु प्रदाता है जो हजारों वर्षो से अशिक्षा के अन्धकार में डूबे हुए हैं, दीन है, दुःखी है, दरिद्र है। धारणाओं से मान्यताओं से विश्वासों से पतित है, दलित हैं।

डॉ० अम्बेडकर के व्यक्तित्व, कृतित्व, चिन्तन उनके अथक परिश्रम, अंठारह–बीस –बीस घंटे प्रतिदिन के अध्ययन का निचोड़ है। डॉ० अम्बेड़कर का अध्ययन शोषण के विरूद्ध अतीत की खोज है। जो उन्होनें भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषद, पुराण, गीता मनुस्मृति आदि में खोजी, तथा गुण–दोष का गहन अध्ययन मनन चिन्तन किया। बौद्ध दर्शन प्राच्य, पाश्चात्य, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक साहित्य का विस्तृत एवं गहन अध्ययन किया।

अम्बेडकर का साहित्य मूक, बधिर, निरीह प्राणियों की आवाज है जो आदमी के रूप में हजारों वर्ष पशुओं की तरह रहे, अस्तित्व में रहते हुए भी उनका कोई अस्तित्व नहीं समझा गया, हज़ारों वर्ष पीड़ित दलित अन्त्यज, अन्त्यवासिन दास दस्यु मृषवच जेसे तिरस्कारपूर्ण नाम कभी अपनी पहचान ही नही बना पाये। उल्टे जाति व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु धर्म और दर्शन दोनों का सहारा भी लिया गया। भारतीय दर्शन में जातिवाद, भेदभाव, ऊँच–नीच को धार्मिक आधार प्रदान किया जैमिनी, वादरायण, कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य के दर्शन ने यह कहकर कि वेद वाक्य आन्त बचन है, देववाणी है इसलिए सत्य है।

अम्बेडकरवाद मात्र 1901 से आरम्भ नहीं होता है बल्कि यह उत्पीड़न, शोषण, दलन–दमन, असमानता, विषमता मूलक तत्वों की अतीत की खोज है। बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेडकर द्वारा मात्र ज्योतिबा फुले से ही उत्पीड़न दलन–दमन तिरस्कार आदि के दर्शन को ही नहीं लिया गया है, बल्कि

उन्होनें प्राच्य, पाश्चात्य सभी शासन, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन कर अम्बेडकरवाद के रूप में शोषण के उन सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक तत्वों को लेखन के माध्यम से जन–समूह के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो शोषण, उत्पीड़न स्वार्थपरता, छल–फरेब, झूठ पर आधारित थे। अम्बेडकरवाद, अतीत में शोषण के विरूद्ध जो आवाज उठी उसके भी दर्शन कराता है। शोषण के विरोध की कहानी भी उतनी ही पुरानी है जितनी शोषण की। शोषण, उत्पीड़न अन्याय, अमानुषिक व्यवहार के विरूद्ध भारतीय जगत में आक्रोश पूर्ण उग्र स्वर तथागत बुद्ध के उद्घोष के रूप में, सिद्धनाथ संत परम्परा में गाँव–गाँव में छुटपुट विरोध के स्वर के रूप में, दलित अस्मिता, आत्म सम्मान, चेतना के दर्शन सन्त महात्मा तब भी कराते रहे, जब बहुसंख्यक भारतीय दीन, दरिद्र, पराधीन था। परन्तु दलित तो पराधीनों के भी पराधीन थे। गुलामों के गुलाम रहकर भी सन्तवाणी में, शोषण के विरोध में, खंजरी, इकतारा, सांरगी, ढोल, ढपली का स्वर तब भी गूँजते रहे, जब मानव शोषण, उत्पीड़न, दलन–दमन से कराह रहा था।[33]

अम्बेडकरवाद किसी भी शोषण के विरूद्ध जहाँ अपना आधार स्तम्भ तथागत बुद्ध के मानवीय करूणावादी दर्शन को बनाता है वहीं पर वह उन सन्तों को भी सम्मान की दृष्टि से जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करता है जिन्होने अपनी क्षमतानुसार समय काल और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विरोध के स्वर उठाये। जिस मन्दिर की नींव ईंट मिट्टी सब को लेकर एक महल नुमा आकार अन्त्यज अछूत मजदूर द्वारा दिया गया, जिस अछूत ने अपनी छेनी रूखानो से राह के पत्थर को कॉट–छॉट कर पुरोहित के आराध्य के रूप में बनाया। उसी मन्दिर और आराध्य देव की प्राण प्रतिष्ठा और पूजादि कर पवित्र कर निर्माता अन्त्यज अछूत शिल्पी के लिये द्वार दरवाजे बन्द कर दिये गये। मन्दिर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया लेकिन अछूत फिर भी समय–समय पर मन्दिर प्रवेश और भगवान पूजा के प्रयास करता ही रहा। पॉचवी सदी में दक्षिण में नन्दनार, तिरूपन्नजावर, महाराष्ट्र में चोखामेला उत्तर में कबीर, रैदास ऐसे नाम है जिन्होंने सगुणोपासक होने के प्रयास तो काफी किये परन्तु ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक पुरोहितों ने मन्दिर और भगवान दोनों को अछूत से दूर–दूर ही रखा।

बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर ने अपनी किताब 'अछूत, संत शिरोमणि नन्दनार चोखामेला और रैदास को ही समर्पित की है। इन सन्तों का जीवन दर्शन उस समय भी आडम्बर, कुरीतियों, छुआछूत, भेदभाव का विरोध करता रहा, अछूत की छाया तक से ब्राह्मण घृणा करता था। भारतीय इतिहास की बींसवी सदी में दक्षिण में नन्दनार (नयनार–शैव) और तिरूपन्जावर (अलवार वैष्णव) ऐसे सन्त हुये थे। जिन्होनें अपनी विरादरी के लोगों को आडम्बर कुरीतियों से अलग रहने के काफी उपदेश दिये तथा नये मार्ग भी बतलाये।

मुक्ति के दर्शन के रूप में बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने सन्तों के दर्शन को भी तथागत बुद्ध के दर्शन के साथ–साथ लिया चूँकि तथागत बुद्ध से लेकर सिद्ध नाथ सन्त मत तक में शोषण के विरोध में स्वर उत्पन्न हुए थे। जो वाणी तथागत बुद्ध के उपदेशों के रूप में ईसा से छः सदी पूर्व शोषण, अत्याचार, अनाचार, कुप्रथाओं का पाली भाषा में विरोध करती थी बौद्ध धर्म के देश से पलायन के पश्चात, सिद्धनाथ और सन्तों की गँवारू प्राकृत अपभ्रंश हिन्दी भाषा के रूप में आज भी गाँव–गाँव के अछूत पिछड़े समुदायों के बीच में पाते है।

अम्बेडकरवाद अलग–अलग बिन्दुओं को ध्यान में रखकर मात्र फूले–पैरियार के दर्शन को मानव मुक्ति का दर्शनिक आधार मानकर नहीं चलता, बल्कि मुक्ति का मूल तथागत बुद्ध के दर्शन

में निहित मानता है जो अप्रत्यक्ष रूप से अविरल धारा के रूप में सिद्ध नाथ, सन्त मतों में आज भी बह रही है। अम्बेडकरवाद मात्र मानवीय मुक्ति का दर्शनिक आधर ही प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि वह तो मानव मुक्ति हेतु शोषण के विरूद्ध संवैधानिक, सामाजिक व्यवस्था, राजनैतिक, धार्मिक प्रावधान भी सुझाता है। वह समता, समानता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व के मात्र दार्शनिक आधारों में ही विश्ववास नहीं करता, बल्कि समानता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्ववादी मूल्यों हेतु एक दलित को, पीड़ित को, शोषित को, जगाता भी है, तथा उसके अन्दर जागरूकता का प्रवाह कर जन चेतना का संचार करता है, उसे उनींदे से जागृत बनाता है, शक्तिहीन से शक्तिशाली बनाता है। अम्बेडकरवाद उन सभी अमानवीय प्रथाओं, व्यवस्थाओं विधानों का घोर विरोधी है जो असमानता में, सामन्ती सोच में, ऊँच–नीच में भेदभाव में विश्वास करती है भाईचारे में विश्वास नहीं करती, जाति–पाँति में विश्वास करती है, घृणा विद्वेष जैसे विषाक्त वातावरण में विश्वास करती हैं, सहयोग में विश्वास नही करती, अलगाव बाद में विश्वास करती है।[34]

डॉ0 अम्बेडकर अपने कुछ उद्देश्यों में दृढ़ थे, वे निम्न थे।

प्रथम– वह अपनी दलित जनता की आवश्यकताओं के प्रति आत्मसमर्पित थे।[35] इस समर्पण के माध्यम से वे जाति प्रथा के साकार रूप को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे।

द्वितीय–तथा उतने ही समर्पण के साथ उन्होंने भारत की वास्तविकता को तथा उसके इतिहास व सभ्यता से हिन्दुत्व को पहचानकर उसकी विशाल ख्याति प्राप्त मौलिकता को खोज निकाला है।[36]

तृतीय उन्होंने जातिवाद को उखाड़ फेंकने के लिये हिन्दुत्व को तिरस्कृत किया जाना और उसको धर्म न मानना। उसके स्थान पर विकल्प स्वरूप किसी दूसरे धर्म को ग्रहण किया जाना।[37]

चतुर्थ –भारतीय अर्थव्यवस्था के मूलभूत कारणों की वृहद समीक्षा करना तथा उसके गणतांत्रिक स्वतंत्रता तथा मानवीय अधिकारों के शोषण के घोर विरोधी थे।[38]

यह एक राजनैतिक विकास की मौखिक व्याख्या जो दलितों के स्वैच्छिक आंदोलन से सम्बद्ध है तथा सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर शोषितों (दलित, शूद्र, श्रमिक) से जुड़ी है। उसको आगे बढ़ाकर विकल्प स्वरूप कांग्रेस, जिसकों उन्होंने सवर्णो व पूंजीपतियों का एक सपाट मंच माना है, के विरोध में संयुक्त मोर्चा गठित किया।

राष्ट्रीय एकता एवं दलित उत्थान की भावना ने डॉ0 अम्बेडकर को समाजवादी समाज की स्थापना के लिये प्रेरित किया, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी उचित स्थान दिया तथा उनका समाजवादी दृष्टिकोण केवल वैचारिक ही नहीं है, बल्कि यह गम्भीर आदर्शवाद एवं सामाजिक यथार्थवाद का एक समन्वयवादी विचार हैं। यह मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद से, जो स्वयं निरपेक्ष सत्य माना जाता है, से अलग है। ये भौतिकवादी एवं वैज्ञानिक समाजवादी विद्वान नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को उचित स्थान नही देते क्योंकि उनका मानना है, कि वर्गहीन समाज की स्थापना में ये मूल्य बाधक हैं मार्क्सवादी दर्शन में, नैतिकता सदैव वर्ग–नैतिकता होती है। डॉ0 अम्बेडकर अपने राज्य समाजवाद में सामान्य नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को उचित स्थान देते थे, ताकि लोग इस समाज के लोग धार्मिक प्रेरणा भी लेते रहे और एक दूसरे के साथ सद्भावना, मित्रता, प्रेम एवं सहयोग की भावनाओं का प्रदर्शन करते रहें।[39]

डॉ0 अम्बेडकर का मानना था, कि भारतीय समाजवादियों का मुख्य दोष यह है, "कि वे आधुनिक यूरोपीय समाज में धन को शांति का महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। वे यह भी मानते हैं, कि

भूतकालीन यूरोपीय समाज के विषय में भी यही सत्य था। अतः वे मान बैठे, कि यह बात भारत में भी पूर्ण रूप से लागू होती है।" इसी कारण भारतीय समाजवादी अपने मत को केवल आर्थिक सुधार तक ही सीमित कर लेते हैं। डॉ0 अम्बेडकर की दृष्टि में, वे लोग यह भूल जाते हैं, कि केवल धन ही शक्ति का श्रोत नहीं है।[40] बल्कि समाज, धर्म, सामाजिक सम्मान एवं नैतिकता भी ऐसे विषय है, जिनसे शक्ति प्राप्त होती है इससे अन्तर केवल इतना है, कि एक विषय कभी अधिक प्रबल था, तो दूसरा विषय कभी अन्य समय पर। आज धन को शक्ति का साधन माना जाता है, किन्तु यह बात प्रत्येक परिस्थिति में सत्य नही है क्योंकि डॉ0 अम्बेडकर का मानना है कि "यदि स्वतन्त्रता एक आदर्श है, और तथा स्वतन्त्रता का अर्थ उस प्रभुत्व का अंत करना है, जिसे एक मनुष्य दूसरे से नीच प्रदर्शित करता है, तो स्पष्टतः इस बात पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता, कि आर्थिक सुधार ही एक मुख्य विषय हैं। यदि शक्ति एवं प्रभुत्व का श्रोत कभी भी सामाजिक एवं धार्मिक रहा है, तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों को भी सुधार का आवश्यक अंग मानना चाहिए।[41]

जातिवाद पर आधारित भारतीय सामाजिक संगठन उत्पन्न जटिल है। केवल आर्थिक सुधारों से ही समाजवाद की स्थापना करना एक संदेहात्मक बात है। डॉ0 अम्बेडकर का मानना है कि "मेरी समझ में यह नही आता, कि भारत में एक समाजवादी समाज उन समस्याओं को हल किये बिना, जो कुछ पक्षपातों से उत्पन्न हुई और ऊँच–नीच एवं जिनसे पवित्र–अपवित्र की भावनाएं जाग्रत होती है, एक क्षण के लिए भी कैसे कार्य कर सकता है?[42]

समाजवाद को यदि एक वास्तविक विषय बनाना है, तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों को भी अवश्य मानना पड़ेगा। भारत में रहने वाले समाजवादी क्रांति नही ला सकते और यदि भाग्यवश ले भी आये, तो बिना सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के वे अपने आदर्शों की प्राप्ति नही कर सकते है तथा बिना सामाजिक समता एवं स्वतंत्रता के क्रान्ति का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण करना अत्यन्त कठिन है, चाहे वह कुछ क्षेत्रों में भले ही सफल हो जाये।[43]

डॉ0 अम्बेडकर समाजवाद की स्थापना के लिये यह आवश्यक नही मानते थे, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता या समता को कम किया जाये और न वह इसकी स्थापना के लिए रूसी समाजवाद की भाँति शक्ति का प्रयोग ही उचित समझते थे।[44]

वह मार्क्सवादियों एवं सामजवादियों की यह सोच ठीक नहीं समझते थे, कि सामाजिक एकता शक्ति के प्रयोग से ही आ सकती है। अतः एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर नियंत्रण करने का अधिकार या सामजिक एवं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना न तो उन लोगों के लिये ही ठीक है, जो समाजवाद चाहते है और न उन लोगों के लिये हो, जो व्यक्तिवाद चाहते है।[45] डॉ0 अम्बेडकर उस समाज–व्यवस्था के पक्षधर थे, जो दलितों की स्वतंत्रत्रता के सिद्धान्त पर आधारित हो और जिसमें मानव–सम्मान एवं व्यक्तिगत ईमानदारी को सामाजिक मित्रता के सिद्धांतों के साथ जोड़ा गया हो।

डॉ0 अम्बेडकर बौद्ध धर्म के सामाजिक यथार्थवाद, नैतिक आदर्शवाद एवं मानव–प्रयत्नों की भावना से बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सामाजिक चेतना एवं निर्णय से काम करते हैं, वे ही सामाजिक उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निभा सकते हैं। ऐसे ही लोग, जो स्वतः प्रकाशवान, जाग्रत एवं ज्ञानवान हैं, एक स्वंतत्र समाज की स्थापना में योगदान कर सकते हैं।[46] डॉ0 अम्बेडकर, गांधी जी के ट्रस्टीशिप वाले सिद्धांत को भी नहीं मानते थे, उनका माननां था कि पूंजीपति वर्ग गरीब लोगों के सरंक्षक नही बन नहीं सकते। क्योंकि पूंजीपति इतने स्वार्थी होते हैं, कि उनका

परमार्थवाद की ओर जाना कठिन है स्वेच्छा से वे दूसरों को भला कैसे कर सकते हैं।[47]

डॉ० अम्बेडकर मध्यम–मार्गी थे और सामान्य लाभ का मार्ग अपनाना ठीक समझते थे। सामान्य लाभ का सिद्धांन्त डॉ० अम्बेडकर की दृष्टि में, व्यक्ति प्रधान और समाज–प्रधान सिद्धांतों में एक समझौता है। इन दोनों के उत्तम तत्वों को लेकर वह दलित स्वतंत्रता का सिद्धांत प्रतिपादित करते थे[48] दलित स्वतंत्रता के सिद्धांत में रहने वाले सभी व्यक्तियों की भलाई का एक सम्पूर्ण योग है। क्योंकि व्यक्ति का भला समाज में ही रहकर सम्भव है। सामूहिक उत्तरदायित्व लाभ का परिचायक है।[49] डॉ० अम्बेडकर का मानना था कि दलित स्वतंत्रता के सिद्धांत की प्राप्ति के लिए 'सामान्य नियम' सामान्यतः मापदण्ड और 'सामान्य रहन सहन' का ढंग आवश्यक हैं। सामान्य नियम एवं मापदण्डों के बिना समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता हैं। यदि समाज में विषमताएँ मौजूद है, तो विषमताओं का अंत करने का एक उत्तम उपाय है, कि नैतिकता के सामान्य नियम बनाये जायें तथा यह नियम सबके लिये समान होने चाहिये।[50]

प्रो० मैस्नर कहते हैं कि यदि एक और व्यक्तिवादी सिद्धान्त सामाजिक उद्देश्य में सामंजस्य के तत्व नही देखता, तो दूसरी और समूहवादी सिद्धांत व्यक्तिगत हितों की अवहेलना करता है। वे एक दूसरे को मान्यता नहीं देते, जो दलित स्वतंत्रता के सिद्धान्त का मूलाधार है।[51] डॉ० अम्बेडकर के अनुसार कृषि एवं उद्योग व्यापार वास्तव में समाज का महत्वपूर्ण आर्थिक उपकरण है, क्योंकि वह निजी सम्पत्ति और वैयक्तिक लाभ के अनुसरण पर आधारित होता हैं क्योंकि ऐसा किये बिना व्यक्तिगत प्रतिभा से उत्पन्न विशिष्ट लाभों को वितरित नहीं किया जा सकता।[52]

उनका मानना था कि मानव–हित व्यक्तिगत एवं समाजवाद और आदर्शवाद एवं यथार्थवाद में निहित है। वास्तव में, डॉ० अम्बेडकर ने संविधान के आधार पर ऐसे समाज की स्थापना की, जिसमे सामान्यतः दलित प्रमुख है, सबके अधिकार है तथा सभी के लिए स्वतंत्रता एवं समानता है।[53]

व्यक्तिगत एवं सामजिक उद्देश्यों का सामजस्य मुख्यतः कानून–व्यवस्था के बिना समाज छिन्न–भिन्न हो सकता है। और मनुष्यों के लिए, जीवित रहना कठिन हो जाएगा। अतः जहां कानून नहीं पहुंचता, वहां लोग नैतिक नियमों के आधार पर ही जीवन व्यतीत करते हैं। अतः डॉ० अम्बेडकर के अनुसार, कानून एवं नैतिकता दोनों ही एक अच्छे समाज के लिए अति आवश्यक है।[54]

डॉ० अम्बेडकर अपने राजनैतिक विचारों में संविधानवाद को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते थे। संविधानवाद दलित स्वतंत्रता के सिद्धांत की आत्मा है। तथा आदर्श समाज में, प्रत्येक उद्योग व्यक्तिगत स्तर पर दलित स्वतंत्रता के सिद्धांत के लिए बढ़ाया जा सकता है। कोई भी वह कार्य जिसकी प्राप्ति में रूकावट न हो वह नैतिक है। और ऐसा कोई भी कार्य जो इसकी प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न हो, अनैतिक है।[55]

डॉ० अम्बेडकर के दलित स्वतंत्रता के सिद्धांत का मूलाधार प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के मौलिक आधार स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व है उन्होंने कहा कि "मुझे ऐसा प्रतीत होता है, कि हमारा महान कर्तव्य है, कि प्रजातंत्र को जीवन सम्बन्धों के मुख्य सिद्धांत के रूप में समाप्त होता हुआ न देखें। यदि हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं तो हमें इसके प्रति सच्चा एवं वफादार होना चाहिए। प्रजातांत्रिक सभ्यता को बनाये रखने के लिए हम अन्य प्रजातांत्रिक देशों के साथ–साथ मिलकर चलना चाहिए।[56]

प्रजातन्त्र मनुष्य–मनुष्य के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने का एक ढ़ंग है प्रजातन्त्र के द्वारा संवैधानिक एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा होती है प्रत्येक प्रजातांत्रिक मूल्य हमेशा समाज के लिये बड़े जन उपयोगी एवं स्वेच्छाचारी है। जिसके द्वारा समाज में मानववाद एवं समतावाद को प्रोत्साहन मिलता है।

परिवर्तन बिन्दु—अम्बेडकर, गाँधी और मार्क्सवाद

भारत में दलित आंदोलन के इतिहास में बहुत से परिवर्तन हुये। ये परिवतनों का युग अम्बेडकरवाद और गाँधीवाद था। गोलमेज वार्ताओं एवं पूना समझौता ने दलितवाद को अधिक प्रभावशाली एवं प्रभुसत्ता की ओर ले जाने का प्रयास किया परन्तु अम्बेडकरवाद और गांधीवाद के विचारों में बहुत सी भिन्नतायें भी थी। फिर भी वो समाजवाद के उद्देश्यों की स्थितियों को समादिष्ट करने का प्रयास किया।

अम्बेडकरवाद गाँधीवाद तथा मार्क्सवाद इसमें से कोई भी विचार धारा सम्पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उनके विचारधाराये विकसित रूप में है परन्तु मौलिकवादिता और आधुनिकता के कारण विभिन्न सामाजिक प्रवृत्तियां और विकासात्मक तथ्य समाज के लिए कितने सार्थक और निरर्थक है।

सन 1945 में डॉ0 अम्बेडकर ने कांग्रेस और गाँधी के अछूतोद्धार संबंधी विचारों और कार्यो का एक आलोचनात्मक अध्ययन 'व्हाट कांग्रेस एंड गाँधी हैव डन टू दि अनटचेबिल्स' नाम से लिखा और प्रकाशित करवाया जिसकी कांग्रेसियों ने डटकर खिलाफी की। दलित आंदोलन के अध्येताओं ने इस कृति को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया। इसमें सन् 1885 से 1945 तक के कांग्रेस के समाज सुधारो और अछूतोद्धार के कार्यक्रमों का डॉ0 अम्बेडकर ने विश्लेषण करते हुए उन्हें खोखला, सतही और दिग्भ्रमित करने वाला तथा केवल दिखावे का कार्यक्रम बताया। राष्ट्रीय जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसमें लगभग आधी शताब्दी से ज्यादा (1885–1945) तक ऊँची जातियों की, दलितों के प्रति मानसिकता और उपेक्षा दर्शाती है।[57]

डॉ0 अम्बेडकर की यह कृति भारत के संक्रांतिकाल में दलित आंदोलन को समझने वाली एक तथ्यपूर्ण ऐतिहासिक शोधपूर्ण गाथा है। दलित इतिहास की एक कड़ी है। डॉ0 अम्बेडकर के धर्मयुद्ध का उन्हीं के कलम से वर्णन किया गया है और गांधी और काँग्रेस के तमाम छल–छिद्रों को दर्शाया गया है। इस कृति की सामग्री ग्याहर अध्यायों और सोलह परिशिष्टियों तथा कई तालिकाओं से परिपूर्ण है। इसके अध्यायों में निम्नलिखित वर्णन है।

1–अनोखी घटना–कांग्रेस ने अछूतों की ओर ध्यान दिया।

2–एक तुच्छ प्रदर्शन – कांग्रेस ने अछूतो के उद्धार की योजना त्याग दी।

3–कुत्सित व्यवहार– कांग्रेस ने राजनैतिक–अधिकारों में अछूतों को भागीदार बनाने में इंकार किया।

4–निम्नतम समर्पण–कांग्रेस का नियमों से से पीछे हटना।

5–राजनैतिक उदारता–अछूतों को उदारता से मारने की कांग्रेस की योजना।

6–काँग्रेस का झूठा दावा– क्या कांग्रेस सबका प्रतिनिधित्व करती है।

7–झूठा आरोप– क्या अछूत अंग्रेजों के पिट्ठू हैं?

8–वास्तविक समस्या– क्या अछूतों का पृथक अस्तित्व नहीं है?

9–विदेशियों को तार्किक उत्तर–निर्दयतापूर्वक को किसी को दास बनाने की स्वतंत्रता न दी जाए।

10—अछूत क्या कहते है— गाँधी जी से सावधान रहो।

11—गाँधी वाद— अछूतों की तबाही।

दलित आंदोलन की इस गाँधीवादी कृति के अध्यायों से ही पता चल जाता है कि डॉ0 अम्बेडकर कांग्रेस और गाँधी के प्रति किस सीमा तक जाकर तार्किक रूप से विरोध कर सकते थे तथा डॉ0 अम्बेडकर के सामाजिक—राजनीतिक कार्यो की भी स्पष्ट झलक प्रस्तुत करती है।[59]

1885 से 1945 तक के काल में गाँधी जी, कांग्रेस में 1915 में आए और पूंजोपतियों की मदद से उस संगठन पर प्रभावी होने में भी उन्हें 3—4 साल लगे। कांग्रेस ने प्रस्ताव बाजी बहुत की और 1917 में उसे कुछ अक्ल आई ऐसा इन दस्तावेजों में भी दर्शाया गया है। तीन दशक से भी कम के समय में गाँधीवाद क्या सक्रिय रहा होगा इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि कांग्रेस के नेता आधे समय तो जेलों में बंद रहे। जो चंदा कांग्रेस को मिला वह अछूतोद्वार या हरिजनोद्वार पर नहीं बल्कि कांग्रेस संगठन और उसके नेताओं पर व्यय हुआ।

कांग्रेस के ही कलकत्ता अधिवेशन सन् 1886 के समय समाज सुधार के लिए अलग संगठन बनाने का विचार हुआ था यह चर्चा हुई थी कि इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस का गठन किया जाए। दिसंबर 1887 में इस संस्था का जन्म मद्रास की भूमि पर हुआ जिसके सर0टी0 माधव राव अध्यक्ष बनाए गए थे।

पुणे में 1895 में हुए कांग्रेस अधिवेशन के समय एक वर्ग ने धमकी दी थी कि यदि कांग्रेस पंडाल में 'इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस' की बैठक की गई तो पंडाल फूंक दिया जाएगा। विरोधियों का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। इस प्रकार सामाजिक बुराइयों को मिटाने, जिसमें अस्पृश्यता और जाति—भेद जैसे दाग हिन्दू धर्म के लिए कलंक थे, चर्चा के विषय नहीं बन पाए।

कांग्रेस ने दलित वर्ग के विषय में एक प्रस्ताव सन् 1917 में पारित किया। बत्तीस साल के कांग्रेस के इतिहास में डॉ0 अम्बेडकर ने इसे एक अनोखी घटना बताया। अछूतों के लिए उनमें ऐसी चेतना कैसे आई? इससे उनका क्या लाभ था। इनका उत्तर समझने के लिए 11 नवंबर 1917 को हुई सभा के प्रस्तावों को देखना जरूरी है। जिसकी अध्यक्षता नारायण चन्दावरकर ने की थी।[60]

अस्पृश्यता, जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी कुरीतियों पर प्रहार हुआ। सन् 1835 में कांग्रेस की स्थापना से राष्ट्रीय जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ। कांग्रेस की प्रथम बैठक बंबई में हुई थी। जिसमे केवल 73 प्रतिनिधि सम्मिलित थे। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में संपन्न हुआ। जिसमें 436 प्रतिनिधि आए। कांग्रेसी नेता अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था और उनकी राजनीतिक संस्थाओं में निष्ठा तथा समाज सुधार की आवश्यकता महसूस करने लगे थे।[61]

तृतीय अधिवेशन सन 1887 में संपन्न हुआ। इसमें बदरूद्दीन तैयबजी ने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि समाज सुधार का काम सम्प्रदाय के उन लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए जो उस समाज के लिए कार्य करने के इच्छुक हैं फिर वे चाहे जितना कार्य करें। यह एक ढुलमुल नीति थी।

कांग्रेस अधिवेशन पुणे में सन् 1895 में हुआ जिसमें सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने अध्यक्षीय भाषण मे कहा हमारी कांग्रेस राजनीतिक संस्था है सामाजिक सुधार की संस्था नहीं। जबकि सन्

1885 में जब काग्रेंस का जन्म हुआ था, हिंदू समाज को पुनर्जीवन प्रदान करने और सामाजिक कुरीतियों तथा दोषों को दूर करने का संकल्प लिया गया था। कांग्रेंस प्रस्ताव के अतिरिक्त बंबई में दो अलग–अलग सभाओं में भी दलित अछूतों के उत्थान के विषय में नवंबर 1917 में प्रस्ताव पास किए गए। एक सभा की अध्यक्षता नारायण चन्दावरकर ने की, दूसरी सभा की अध्यक्षता बापू जी नामदेव बागड़े ने की जो एक गैर–ब्राह्मण पार्टी के नेता थे। दोनों ने ही ब्रिटिश राजभक्ति का परिचय देते हुए दलितों के निम्न जीवन स्तर और उसमें सुधार के लिए मांगें रखीं। इस प्रकार कांग्रेस के प्रस्ताव से मिलते–जुलते प्रस्तावों की तरह ही भारत सचिव मान्टेग्यू की 20 अगस्त 1917 की ब्रिटिश पार्लियामेंट ने घोषणा की थी कि भारत में उत्तरदायी शासन में सवैधानिक ढांचे में परिवर्तन किया जाएगा।

भविष्य में दलित वर्गो का समर्थन पाने के लिए यह सब नाटकबाजी शुरू हुई थी। कांग्रेंस के प्रस्ताव से चन्दावरकर और बागड़े के प्रस्तावों में दरअसल कांग्रेस के प्रति विद्रोह की झलक मिलती है।[62]

एक ही समय में तीन तरह के दलितों की सहानुभूति और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के ये प्रस्ताव कांग्रेस–मुस्लिम लीग योजना को समर्थन देने के सिवाय और कुछ नहीं थे। कांग्रेस अपने दुरगामी हित देख रही थी। अछूतों पर होने वाले अमानुषिक अत्याचारों को रोकने और छुआछूत के कलंक को मिटाने का यह सकंल्प पूरी तरह राजनीतिक था।

काँग्रेंस ने अछूतों के उत्थान के लिए फरवरी 1922 में बारदोली में एक प्रस्ताव पारित किया। चार माह पश्चात् जून, सन् 1922 में कांग्रेस ने दिल्ली बैठक में बारदोली प्रस्ताव की पुष्टि के लिए एक समिति बनाई। जिसमें शारदानंद, सरोजिनी नायडू आदि सदस्य थे। लेकिन एक वर्ष तक कोई काम नहीं हुआ। शारदानंद ने समिति से त्यागपत्र ही दे दिया। 1923 में कांग्रेस ने यह जरूर कहा कि अछूतों की दशा में कुछ प्रगति हुई है।[63]

डॉ0 अम्बेडकर ने अपनी इस किताब में दर्ज किया कि "कांग्रेस का कहना था कि अभी बहुत कुछ करना शेष है और जहां तक अस्पृश्यता का प्रश्न है जो विशेषकर हिंदुओं से सम्बंधित है यह समिति 'अखिल भारतीय हिन्दू महासभा' से अनुरोध करती है कि हिन्दू समाज से इस प्रकार के कलंक को मिटाने का भरसक प्रयत्न करें।

डॉ0 अम्बेडकर ने दुखी मन से कहा, "कांग्रेस के 1917 के प्रस्ताव के आरम्भ तथ उसके दुखद अंत की यह कहानी थी उत्साहपूर्ण आरम्भ, सज्जापूर्ण अंत। हिंदू महासभा द्वारा अस्पृश्यता मिटाने का ठेका डॉ0 अम्बेडकर की समझ में नहीं आया। कांग्रेसी दलित आंदोलन का यह निंदनीय चरण था।"[64]

20 अक्टूबर,1920 के यंग इंडिया में गाँधी जी ने लिखा था कि देश के दलितों के लिए तीन रास्ते खुले हैं:

'प्रथम यह है कि वे अपनी अधीरता से गुलाम रखने वाली सरकार की सहायता कर सकते हैं। आजकल अछूत गुलामों के गुलाम हैं। सरकारी सहायता पाकर वे अपने ही लोगों को दबाने का काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि वे धर्मान्तरण कर लें पर इसकी वे सलाह नहीं देगें। तीसरी बात स्वंय सहायता या स्वावलंबन की हैं कि सवर्ण हिंदुओं की सहायता करनी है।

गाँधी ने 2 दिसंबर 1920 के यंग इडिया में लिखा कि यदि हिंदू अस्पृश्यता के पाप को नही मिटाते तो सैकड़ों वर्षों के बाद भी स्वराज्य नहीं मिलेगा।

डॉ0 अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा गाँधी शाब्दिक मोहजाल में अछूतों को फंसाने की कला जानते थे।

सन् 1928 में भारत में 'साइमन कमीशन' आया था। कांग्रेस और गाँधी ने इसके विरोध में भारत व्यापी प्रदर्शन किए थे। डॉ0 अम्बेडकर और उनके साथियों ने इसका स्वागत किया था। 'स्टेचुटरी कमीशन' की नियुक्ति पर 30 मार्च 1927 को हाउस ऑफ कामन्स में लार्ड बर्कनहेड ने जो भारत सचिव थे कहा था :

"मुझे दलितों के मामले पर गौर करना है। भारत में दलितों की करोड़ों में जनसंख्या है। उनकी दशा दिल दहला देने वाली और हृदय पर चोट करने वाली है। उन्हें सभी प्रकार के सामाजिक व्यवहार से दूर रखा गया हैं इस वर्ग का व्यक्ति यदि उच्च वर्ण के बीच में आ जाता है। तो सूर्य का प्रकाश अपवित्र हो जाता है। वे सार्वजनिक जलश्रोत से पानी नहीं पी सकते। अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें मीलों भटकना पड़ता है। उन्हें सैकड़ों पीढ़ियों से अछूत कहा जाता है। तो क्या इस कमीशन में कोई दलित वर्ग का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए? लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति, हमारे विरोधियों समेत, इसका विरोध नहीं करेगा। मैं ऐसा कोई कमीशन बनाने के लिए तैयार नहीं जिसमें इस वर्ग का प्रतिनिधि न हो।"[65]

गाँधी के तमाम विरोधों के बाबजूद और पूरी कांग्रेस की शक्ति को स्वतंत्रता आंदोलन में झोंक देने के बाद भी ब्रिट्रिश सरकार यह अनुभव करती थी कि भारत के करोड़ों अछूत जिन्हें 'अनूसूचित जाति' कहा गया अल्पसंख्यकों में बदतर समाज के बहिष्कृत लोग हैं। जिसकी हालत सुधारी जानी चाहिए।

'1935 के भारत अधिनियम' के अंतर्गत 1937 में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। अछूतों को चुनाव में पहली बार प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिला था। पूना पैक्ट में यह आशा की गई थी कि कांग्रेस नेतृत्व अछूतों के प्रतिनिधि चुनने पर विध्न नहीं डालेगा। लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। अछूतों के लिए सुरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने अपनी विचार धारा के अछूत चुनवाए और डॉ0 अम्बेडकर का स्वप्न चकनाचूर हो गया।

"डॉ0 अम्बेडकर ने इस प्रस्ताव मे गाँधी की उन चालों का भी पर्दाफाश किया हैं जिसमें वे दलितों–अछूतों के मंदिर प्रवेश के विरूद्ध थे। गाँधी ने कहा था, यह कैसे संभव है कि अछूत सभी वर्तमान हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने के अधिकारी हों। इस तरह गाँधी ने एक धार्मिक –सामाजिक क्रांति के रास्ते ही बंद कर दिए।[66]

राजेन्द्र मोहन भटनागर के शब्दों में : "डॉ0 अम्बेडकर जानते थे कि जो अछूतों के सिरमौर बन रहे हैं वे सवर्ण हैं और अवर्णो को गुमराह रखकर आजादी की लूट अपने तक सीमित रखना चहते हैं। डॉ0 अम्बेडकर और गाँधी आमने–सामने आ गए थे। गांधी जी ने धर्म के अंधे डंडे से सबको हांकना चाहा विशेषतया अछूतों को। निस्संदेह डॉ0 अम्बेडकर न होते तो गाँधी का अछूतों पर जादू चल जाता।" डॉ0 अम्बेडकर ने अपनी कृति में गांधी वाद को अछूतों की तबाही कहा।[67]

लगभग तीन दशक (1917–1947) तक गाँधी और गाँधीवाद भारतीय सामजिक

राजनीतिक जीवन में हावी रहे। डॉ0 अम्बेडकर ने गांधीवादउ को अछूतों की तबाही की संज्ञा दी थी। अपनी इस आलोचनात्मक कृति के अंतिम अध्याय में उन्होंने निर्भीकतापर्वूक इसे 'अछूतों की तबाही' का कारण बताया।[68]

'गाँधीवाद क्या है वह किसलिए है आर्थिक समस्या के संबंध में उनकी क्या शिक्षाएं हैं। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें यह जानना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि "गाँधीवाद का अर्थ है पुनः गांव की ओर वापस लौटना और गांव का आत्मविश्वासी बनाना। इस धारणा से गाँधीवाद केवल क्षेत्रीयवाद बनकर रह जाता है। तथा विश्वास है कि गाँधीवाद न तो बहुत साधारण है और न क्षेत्रीय वाद की तरह निर्दोष ही। गाँधीवाद ने क्षेत्रीयवाद की अपेक्षा कहीं अधिक संतोष की गुंजायश है। क्षेत्रीयवाद 'गांधीवाद' का बहुत तुच्छ भाग है। इसका सामाजिक दर्शन है। और इसका आर्थिक दर्शन शास्त्र भी है। सर्वप्रथम गाँधीवाद का सही चित्रण करना नितांत आवश्यक है।[69]

'गांधीवाद' सामाजिक समस्या के सम्बंध में दी गई शिक्षाओं से आरंभ किया जाता है। वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी के विचार, जिस व्यवस्था ने भारत में मुख्य सामाजिक समस्या का सृजन किया है 1921–22 के गुजराती पत्रिका 'नवजीवन' में उन्हीं के द्वारा प्रसारित किए गए। गाँधी कहते है–

1–मुझे विश्वास है कि हिंदू समाज जो आज तक खड़ा रहने में समर्थ हुआ हैं तो इसलिए कि वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित है।

2– स्वराज्य के बीज वर्ण व्यवस्था में उपलब्ध हैं। विभिन्न जातियां सैनिक इकाइयों (डिवीजन) की भांति विभिन्न वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग सैनिक डिवीजन की भांति पूरे समाज के हित में काम करता है।

3– जो समाज जाति व्यवस्था का सृजन कर सकता हैं उसे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनमें अनोखी संगठन क्षमता है।

4–जाति व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा प्रसार के लिए सदा तैयार रहने वाले साधन मौजूद है। प्रत्येक जाति अपने बच्चों को अपनी जाति में शिक्षित करने की जिम्मेदारी लेती हैं। जातियों का राजनैतिक उद्देश्य है। जाति प्रतिनिधि सभा (जाति पंचायत) पंच को अपेन प्रतिनिधि चुनकर भेज सकती है। जाति अपने जातीय पारस्परिक झगड़ों को तय करने के लिए न्यायाधिकारी चुनकर न्यायिक प्रक्रिया को पूरा कर सकती है। प्रत्येक जाति को सैनिक टुकड़ी का दर्जा देकर सुरक्षा के लिए जबरदस्त सेना तैयार करना जातियों के लिए सरल है।

5– मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय एकता सुदृढ करने के लिए अंतर्जातीय विवाह आवश्यक नहीं हैं यह कहना कि अंतर्जातीय सहभोज से मित्रता बढ़ेगी अनुभव के ठीक विपरीत हैं यदि इसमें सच्चाई होती तो यूरोप में युद्ध न होते। सहभोज उसी प्रकार गंदा है जैसे कि प्रकृति के विरूद्ध कोई कार्य करना, अंतर इतना है कि प्रकृति के अनुसार कार्य करने से हमें शांति मिलती है जबकि हम प्रकृति के विरूद्ध भोजन कर परेशानी महसूस करते हैं। अतः जिस प्रकार हम शौच से एकांत में निवृत्त होते हैं उसी प्रकार भोजन भी एकांत में ही करना चाहिए।[70]

6–भारतवर्ष में भाइयों के बच्चों में पारस्परिक विवाह नहीं होते, क्या पारस्परिक विवाह न करने से उनके प्रेम में कमी आएगी? वैष्णवों में बहुत सी महिलाएं इतनी कट्टरपंथी है कि वे अपने परिवार के लोगों के साथ भोजन नहीं करतीं और न एक ही बर्तन से पानी पीना पंसद करती हैं,

क्या उनमें पारस्परिक प्रेम नहीं है? जाति व्यवस्था को बुरा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें विभिन्न जातियों में पारस्परिक भोज एवं पारस्परिक विचार की आज्ञा का निषेध है।

7—जाति प्रथा नियंत्रित तथा मर्यादित जीवन भोग का ही दूसरा नाम है। प्रत्येक जाति अपने आप में खुशहाल रहने के लिए ही सीमित है वह जातीयता की सीमा का उल्लंधन नहीं कर सकती। सहभोज और सह—विवाह जातीय नियंत्रण होने का यही अर्थ है।

8—जाति व्यवस्था को नष्ट करके पश्चिमी यूरोपीय सामाजिक व्यवस्था अपनाने का अर्थ होगा कि हिंदू उन पैतृक देशों के सिद्धान्त को त्याग दें जो वर्ण व्यवस्था की आत्मा है। पैतृक गुणों का संतति में आना एक स्वाभाविक एवं शाश्वत नियम हैं इसे तोड़ने से अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। यदि मैं उसे अपने जीवन के लिए ब्राह्मण कह कर नहीं पुकारता तो उस ब्राह्मण से क्या लाभ? यदि ब्राह्मणों को शूद्रो में और शूद्रों को ब्राह्मणों में परिवर्तित होने का नित्य प्रति का यह कार्य हो जाएगा तो समाज में विप्लव उत्पन्न हो जाएगा।

9—जाति प्रथा एक प्राकृतिक विधान है। भारतवर्ष में उसे धार्मिक परिधान दिया गया हैं अन्य देशों में जहाँ जाति व्यवस्था की उपयोगिता नहीं समझी गई वहां की सामाजिक व्यवस्था ढीली ढाली अवस्था में है। और इसी कमी के फलस्वरूप जाति व्यवस्था से होने वाले लाभ वे नहीं प्राप्त कर सके जबकि भारत लाभान्वित हुआ है।

मेरे इन्हीं विचारों के कारण वे लोग मेरा विरोध करते हैं जो जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं।

"वर्ष 1922 में गाँधी जाति व्यवस्था के सरंक्षक थे। इसकी जांच करने पर स्पष्ट हो जाता है कि 1925 में जाति व्यवस्था के संबंध में गाँधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार तीन वर्ष पहले प्रकट किए गए विचारों से कैसे भिन्न हो गऐ। 3 फरवरी 1925 में गांधी ने कहा था।"[71]

"जाति प्रथा का समर्थन मैंने इस आधार पर किया था कि वह संयम सिखाती हैं परंतु आजकल जाति प्रथा का अर्थ संयम नहीं वरन् सीमाबद्ध करना है। संयम अच्छा होता है और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सहायक सिद्ध होता हैं परंतु सीमाबद्ध होना बेड़ियों के समान है। जातियां जिस रूप में आज हैं उस रूप में उनकी तारीफ नहीं की जा सकती। जातियां आजकल शास्त्रीय सिद्धांतों के विपरीत हैं। जातियों की संख्या असीम है जिनमें पारस्परिक विवाह संबंध के विरूद्ध प्रतिबंध लगे हैं। यह उत्थान की स्थिति नहीं वरन् पतन होने की स्थिति है।"

गाँधी जी के आर्थिक जीवन के संबंध में उनके दो आदर्श थे :

पहला आदर्श यह कि मशीनों तथा मशीनीकरण का विरोध करना। बहुत पहले वर्ष 1921 में गाँधी ने मशीनीकरण के विरोध करने का संकेत दिया था। दिनांक 19 जनवरी 1931 के यंग इंडिया में लिखते हुए गाँधी ने कहा।

"क्या मैं उन्नति के पथ पर आरूढ़ घड़ी की सुई को पीछे घुमा देना चाहता हूं? क्या में मिलों के स्थान पर अब चरखा—करघा लाना चाहता हूं? क्या मैं रेलवे के स्थान पर बैलगाड़ी लाना चाहता हूं? क्या मैं मशीनों को पूर्णतया नष्ट करा देना चाहता हूं? इस प्रकार के प्रश्न पत्रकार एवं जनता के लोग मुझसे पूछते हैं मेरा उत्तर है कि यदि मशीनें पूर्णतया नष्ट कर दी जाती हैं तो मैं इसे कोई परेशानी नहीं समझूंगा और न कोई अफसोस करूंगा।"

जिस किसी ने गाँधी की पुस्तक 'हिन्द स्वराज्य' का अध्ययन किया हैं, उसे मालूम होगा कि उस पुस्तक के अनुसार गांधी वर्तमान सभ्यता के विरुद्ध हैं यह पुस्तक पहले पहल 1908 में प्रकाशित हुई। परंतु उनकी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं आया। गाँधी ने वर्ष 1921 में लिखते हुए कहा।

"यह पुस्तक आधुनिक सभ्यता की दृढ़ता से निंदा करती है। यह पुस्तक 1908 में लिखी गई थी। उस पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों पर मैं पहले से भी अधिक दृढ़ हूं। मैं महसूस करता हूं कि यदि भारत आधुनिक सभ्यता का परित्याग कर दें तो उसे अधिक लाभ मिलेगा।

गाँधी का दूसरा आदर्श था मालिकों और नौकरों तथा भूस्वामी तथा आसामी के संबंध में वर्ग संघर्ष को समाप्त करना। मालिकों और नौकरों के सम्बंध में गांधी के जो विचार थे 8 जून, 1921 के 'नवजीवन' में प्रकाशित हुए थे।

"भारत के सामने दो रास्ते खुले हैं। एक रास्ता पाश्चात्य सभ्यता का जिसकी लाठी उसकी भैंस' का और दूसरा रास्ता पूर्वी सभ्यता का 'सत्यमेव जयते' का है जिसमें शक्तिशाली और कमजोर दोनों को समान रूप से न्याय पाने का अधिकार है– जिस मार्ग को चाहे उसे पसंद करें। इस न्याय की प्रतिष्ठा हम श्रमिक वर्ग की समस्या से आरंभ करके कर सकते है। क्या हिंसात्मक तरीकों से उनकी मजदूरी बढ़वाई जानी चाहिए? यदि वह संभव भी हो तब भी श्रमिक हिंसा जैसे मार्ग का सहारा नहीं ले सकते– उनके अधिकार चाहे जितना न्यायोचित हों। अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए हिंसा का मार्ग भले ही सरल लगता हों परंतु अंततः वह कंटकाकीर्ण मार्ग है। जो तलवार के बल पर जीवित रहते हैं। उनका अतं भी तलवार से होता है। तैराक श्रमिक पूँजीपति पर विश्वास नहीं करता और पूँजीपति श्रमिकों पर भरोसा नहीं करता। दोनों शक्तिमान हैं परंतु तब भी दोनों सुखी व संतुष्ट नहीं है। उनमें जबरदस्त संघर्ष होता है। हर प्रकार की गति को उन्नति नहीं कहा जा सकता। हमारे पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि यूरोप के लोग उन्नति कर रहे हैं। उनके पास अधिक संपत्ति का होने का यह तर्क नहीं कि उनमें नैतिक अथवा आध्यात्मिक गुण भी हों।[72]

"उत्तर प्रदेश के आसामी किसानों को जिन्होनें अपने जमीदारों के विरोध में आंदोलन किया उससे संबंधित प्रकरण पर 18 मई, 1921 में यंग इंडिया में आसामी किसानों तथा जमींदारों के सबंधों का प्रतिपादन करते हुए गाँधी ने कहा था" कि–[73]

"जब उत्तर प्रदेश सरकार औचित्य और सद्व्यवहार की सीमा का उल्लंघन कर रही है और लोगों को धमकियाँ दे रही हैं यह कहने में कोई संदेह नहीं कि किसान भी अपनी नवीन प्राप्त शक्ति का बुद्धमानीं से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कई जमींदारियों में वे ज्यादती करने मे हद से आगे बढ़ गए बताए जाते हैं, उन्होनें कानून अपने हाथों में ले लिया है और इतना अध ीर हो उठे है कि जैसा चाहते हैं, वही करते हैं। वे सामाजिक बहष्किार का दुरूपयोग कर रहे हैं और हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। ऐसी सूचना मिली है कि उन किसानों का पानी भरना बंद कर दिया, बाल बनाना बंद कर दिया और सभी भुगतान वाले पेशे बंद कर दिए। यहां तक कि उन पर जमींदारों का जो लगान बाकी था उसका भी भुगतान करना बंद कर दिया। किसान आंदोलन ने 'असहयोग आंदोलन' से प्रेरणा ली है। परंतु उनका उससे भिन्न हैं जब किसान

आंदोलन चल पड़ा है तो हमें उन्हें यह सलाह देने में कोई हिचक नहीं कि वे सरकार को लगान देना बंद कर दें। परंतु इस बात पर विचार करना है कि असहयोग का आधार बनाकर वे जमींदारों को लगान देना बंद कर दें। किसान आंदोलन किसानों का स्तर ऊंचा उठाने तथा उनके और जमींदारों के बीच मधुर संबंध बनाए रखने तक सीमित रखना चाहिए। किसानों को नैतिकता सावध ानीपूर्वक जमींदारों से प्राचीन लिखित परंपरागत समझौतों के अनुसार चलाना चाहिए।

गांधीवाद में जिन विचारों को समाहित किया गया है वे विचार हमें आदिम युग की ओर ले जाते है। उनसे प्रकृति की ओर तथा वन्य जीवन की ओर वापस होने की प्रेरणा मिलती है। यदि उन विचारों में कोई अच्छी बात है तो वह है सादगी। जैसा कि सदैव ऐसे सीधी सादे साधारण लोगों की बड़ी संख्या में पलटन रही है जो उनकी ओर आकर्षित होती रही है। ऐसे सीध े–सादे साधारण विचार कभी समाप्त नहीं होते और मंद बुद्धि के लोग वैसे विचारो को उपदेशों के रूप में प्रचार करते रहे हैं इसीलिए गाँधीवादी जैसे विचारों को पैर जमाने का अवसर मिलता रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्यों के नित प्रति का सहज ज्ञान जो उन्हें पुरूषार्थ तथा प्रकृ ति के विरूद्ध खड़े होने की ओर ले जाता है और ऐसा समाज जो प्रकृति की ओर ही बढ़ रहा है ऐसे विचारों को अस्वीकार करना ही ठीक समझता है।[74]

गाँधीवाद में साधारण मनुष्य को कोई आशा नहीं हो सकती। इसमें साधारण मुनष्य के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता है। यह सच हैं कि पशुओं से मनुष्य का गहरा संबंध ा है वे कुछ मौलिक आवश्यकताओं जैसे 'मैथुन–आहार' एक समान है और वे प्रकृति की सुविध ाओं को अपरिवर्तित रूप में ही उपयोग करते हैं। परंतु पशुओं और मनुष्यों द्वारा उन प्राकृतिक सुविधाओं का उपयोग करने में अंतर है और वह अंतर है बुद्धि और विवेक का जिसका उद्देश्य होता है मनुष्य द्वारा हर एक बात पर सोच–विचार करना, चिंतन करना, अध्ययन करना और विश्व के सौंदर्य को खोज निकालना और मानव जीवन को प्रफुल्लित करना तथा अपने जीवन में पाशुविक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना।"[75]

वास्तविक रूप से गाँधी की ईमानदारी ने अम्बेडकर को छू लिया था। किन्तु उनकी नैतिक प्रतिभा, व्यक्तिगत रूप से कभी विचार बिंदु नहीं बनी। अस्पृश्यता के बारे में गाँध ी जी ने कहा, कि हरिजन सेवक संघ, इसका ही नहीं बल्कि चतुर्वर्ण का भी स्वयं समापन करेगा। गांधी इस पुष्टि के साथ थे, कि उसका नियंत्रण हिन्दू हाथों में होगा। इस आधार पर कि अस्पृश्यता, हिन्दू समाज की ही एक बुराई हैं, जिसे हिन्दू समाज को ही समाप्त करना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह चतुर्वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं है।[76] पूना समझौते के पश्चात गाँधी ने अस्पृश्यता विरोधी अभियान चलाया। जिसमें मंदिरों में प्रवेश सम्बंधी प्रस्ताव पूरे देश में चलाया गया।

डॉ0 अम्बेडकर को इस विश्वास पर निश्चय हुआ कि अस्पृश्यता एक सीमा तक सीमित बुराई नहीं है। बिना किसी सुधार के इस बुराई को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जातिवाद एक ऐसा विघटन कारक है जो स्वायत्तता के लिये आवश्यक है। चूँकि दलितों का उद्धार दलितों के ही माध्यम से होना था, इसके लिये स्वतंत्रता और स्वायत्तता अनिवार्य थी। इससे अम्बेडकर को स्वाभाविक रीति अपनाने हेतु मार्क्सवाद की दिशा प्रशस्त हुयी। यह विचार

धारा व्यवहारिकता, ऐतिहासिक तथा भौतिकवादी थी। अतः इसका उदय उस समय हुआ जब भारत में दलितों पर शोषण नीति का गहन विचार विमर्श हो रहा था उसका विरोध तथा उनकी आत्मा की स्वायत्ता पर ध्यान दिया जा रहा था। लेकिन उस समय प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि भारतीय मार्क्सवादियों के पास इस समाज को देने के लिये क्या है?"

कांग्रेस वामपंथियों का कोई भी दल किसी समझौते की कार्यवाही में उपस्थित नही होता था। उनका किसी प्रकार का लगाव इस ओर नही देखा गया। भारतीय मार्क्सवादियों द्वारा पूना समझौता तथा गाँधी –अम्बेडकर की वार्ता का भी विरोध भी हुआ। यह स्वतः ई। एक प्रमुख ऐतिहासिक सत्य है[78] मार्क्सवादियों को जाति तथा अछूतों की समस्यायें अनावश्यक प्रतीत होती थी।[79] 50 वर्ष पूर्व एम0एस0 नम्बूदरीपाद ने इसका उल्लेख 'भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास' में किया। जिसमें उन्होंने लिखा कि "हरिजनों के उत्थान के विषय को अत्यधिक महत्व देने के कारण जनता का रूझान भारतीय स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण विषय से हट गया।[80] भारतीय समाज पूंजीवादी व्यवस्था के ध्वस्तीकरण, जमीदारी प्रथा के समापन, खेत जोतने वाले ग्रामीण किसान के हितों की रक्षा के गुण स्वतः अपने अंदर छिपाये हुये है। ये आंशिक रूप से मार्क्सवाद के तथ्य थे। श्रमिकों और ग्रामीण खेतिहरों का आंदोलन भारत में उत्थान पर ही नहीं बल्कि मार्क्सवाद के नेतृत्व में इस योजना को भी धारण किये थे, कि जातिवाद को आर्थिक ध्वस्तीकरण प्रथा से जोड़ दिया जाय। श्रमिक वर्गो में दलितों की समस्याओं को छोड़ दिया गया था। प्रत्येक क्षेत्र के दलित श्रमिक वर्ग स्वभावतः एक दूसरे से अलग नहीं थे। जिसकें कारण इनमें बहुत सी समानता थी। इसी श्रेणी में बिहार के शाहाबाद जिले के अहिरों कुर्मियों, कोरियों ने एक त्रिवेणी संघ 1934 में गठित किया।[81] इनके पास अपने कुछ न कुछ कार्यक्रम थे, जो गांव के खेतिहरों के आंदोलन से जुड़े थे।[82]

दलित 1920 के दशक के अंत में गांव के खेतिहरों की समस्याओं से अपने को जोड़ने लगे तथा जमींदारी तत्वों का विरोध अपने दल के माध्यम से करने लगे। दिनकर राव दलित थे। और महाराष्ट्र से जुड़े हुये थे। उन्होनें अपना तर्क प्रस्तुत किया कि महाराष्ट्रीय अ–ब्राह्मण पार्टी का नाम बदल कर श्रमिकों तथा कृषकों का दल बना दिया जाय।[83] अतः यहां पर एक विशाल संगठन की स्थिति स्पष्ट हो जाती हैं अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ई0 में हुआ। इसमें किसी भी प्रकार की जाति अथवा अछूत जैसी प्रथाओं का उल्लेख 1945 तक उनके कार्यक्रमों के अन्तर्गत नही आया। सितम्बर 1945 में केन्द्रीय किसान समिति ने अपना एक मांग पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें एक सुझाव था, कि अछूतों पर दबाब डालने वाली सामजिक परम्पराओं के प्रति दण्ड का प्रावधान किया जाय।[84]

दलितों की समस्याओं को उसनें सम्मिलित किया गया। जमींदारी व्यवस्था के अन्तर्गत बंधुआ मजदूरी के बहिष्कार और वास्तव में इसके विरोध में आंदोलन हुये परन्तु मार्क्सवादियों की भाषा में पूर्व कालीन पूँजीवाद तथा जमीदारी की कुप्रथाओं के साथ जातिवाद की प्रथा का नाम तक नही लिया गया। अछूतों के प्रति एक विशेष प्रकार का भेदभाव को समाप्त करना अनिवार्य है। यह सोचकर कि यह उन मध्यम वर्गीय दलाल लोगों की चाल थी, कि अछूतों का आपसी जातिगत बँटवारा स्थिर रहे तथा उनकी प्रत्येक न्यायपूर्ण मांग के लिये संघर्ष न हो

कर इसके लिये सामान्य आंदोलन हो।[85] तथा इसको यह भी माना गया कि यह जातीय रूढ़िवादिता है, जिसके केवल दलाल मध्यस्त हैं, जो विलगाववादिता के समर्थक है। मार्क्सवाद स्वयं इस हेतु सक्षम नही था, कि वह जातिवाद तथा अन्य जातीय विरोधों के मामले ले सकें।

कम्युनिस्टों ने परिवार के अस्तित्व की दिशा में कार्य करने की अधिकांश प्रेरणा इसी समय मिली। यह अंशतः इसलिये भी हुआ, कि मार्क्स तथा ऐजिलस को ऐतिहासिक भौतिकवादी भारत के विषय की जानकारी नहीं थी। किन्तु यहाँ कोई ऐसा प्रश्न नही उठता कि मार्क्सवाद भारतीय कम्यूनिस्ट परम्परा में रहने लगा और उसका दृष्टिकोण संकीर्ण होता गया। वर्ग और श्रेणी ने मुख्य रूप से उस उपकरण का कार्य किया, जिससे मार्क्सवादियों को यह समझ में आया कि, उनके इर्द–गिर्द एक ही कार्य निश्चित रूपरेखा के अन्तर्गत हो रहा है। मार्क्सवाद को एक विज्ञान का रूप तथा एक निकटतम विचार माना गया। अतः इस बारे में अम्बेडकर जैसे नेता के साथ कोई बात नही हो सकी। इससे अम्बेडकर में एक विरोधात्मक सोच मार्क्सवाद से उत्पन्न हुई। उन्होंने इस विरोध का अंत पार्टी की प्रथा कहकर किया। जो पूर्व नियोजित बिंदुओं के ही नही थी, बल्कि दलितों के उत्थान के विरोधी भी थे।

अम्बेडकर का पहला दबाब एक स्वतंत्र दल बनाने का था। जिसके माध्यम से श्रमिकों और ग्रामीण कृषकों के हितों की रक्षा हो सके, जो पूँजीवादी व्यवस्था के विरोध में भी विचार रख सके। इस दिशा में "स्वतंत्र श्रमिक पार्टी" उनका मुख्य प्रयास था। कम्युनिस्टों के लिये अम्बेडकर की तुलना में यह कठिन था, कि वह अपने को एक राजनैतिक स्वतंत्र संगठन (जिससे दलितों के हितों की रक्षा हो सके) के रूप में दिखा सकें। जो सबसे आगे चलने वाला दल तथा अखिल भारतीय संगठित मोर्चे का रूप ले सके। 1920 के अन्तर्गत श्रमिक तथा किसान दल तथा छोटे–मोटे मुनाफाखोर मध्यस्थ वर्गीय बुद्धिजीवी, किन्तु विद्रोही प्रकार के राष्ट्रवादी कांग्रेस के विकल्प के रूप में थे। एम0एन0 राय ने एक अलग भाषा में इसे क्रांतिकारी पीपुल्स पार्टी का नाम दिया।[86] जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे इस लिखित प्रपत्र के रूप में स्वीकार किया है।

1925–30 के समय में जिन पार्टियों का गठन हुआ, वह राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्तर्गत कार्य कर रही थी। तथा एक आंदोलन के कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का आयोजन कर रही थी। तथा स्वतंत्र रूप से वर्गीय आंदोलनों को गठित रही थी।[87] भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में 1932 के पत्र में इस पार्टी का उल्लेख तक नही था। केवल एक अनाधिकृत पार्टी के गठन पर जोर दिया गया था। कम्युनिस्टों से निवेदन किया गया था कि वे एक लड़ाकू स्तर पर साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के लिए आगे बढ़े लेकिन अपना कोई अलग संगठन का खुला मंच न बनाये।[88]

कम्युनिस्ट कांग्रेस के अन्तर्गत कार्य करते रहे तथा वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अभ्युदय 1934 में कर पायें। सी0एस0पी0 वास्तव में कांग्रेस के अन्तर्गत कार्य करती रही। इसका परिणाम यह निकला कि कांग्रेस जब तक निहित पार्टी के रूप में कार्य करती, तब तक कम्युनिस्ट उसे राजनैतिक पार्टी का रूप देने के लिए एक उल्लेखनीय समर्थन का आधार प्रदान करते रहे, जिसके फलस्वरूप अन्य पार्टियों ग्रामीण कृषकों के समर्थन के आधार पर मूल सुधारों की योजना से वंचित रह गयी। जो कम्युनिस्ट ढांचे से उपलब्ध होने थे।[89]

कम्युनिस्टों के लिये एक नीति का प्रादुर्भाव हुआ, कि कांग्रेस के अन्तर्गत कार्य किया जाए या उनका विरोध कियाजाए अथवा यह न्यायसंगत है, इस आधार पर 'लिडले' तथा 'जोशी' के तर्क दिया कि गाँधी ने नारियों तथा निम्न जातीय लोगों की शक्ति के स्वरूप की पहचान कर ली और वह इन लोगों को संगठित करके इसका प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम में करेंगें।[90] दलित वर्गो में उपस्थित अन्याय, जाति तथा लिंग भेदभावयुक्त सम्बन्ध से भी इस रूपरेखा से इस प्रकार का उत्तर निकलता है, कि यह गिरावट आवश्यक थी, क्योंकि दलितों के हित, महिलाओं (दलित) के हित आदि के सामने सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन को सुदृढ़ करना था। परन्तु यह कोई खास मुद्दा नही था, बल्कि गाँधी जी के खिलाफ एक आरोप था।

इस प्रकार जब कम्युनिस्ट दिशा परिवर्तन के अन्तर्गत कांग्रेस के साथ पूर्ण स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने लगे। उन्हें किसी भी दृष्टिकोण से यह निर्देश नही मिला कि वह एक स्वतंत्र राष्ट्रीय संघर्षशील राजनैतिक मंच संगठित करें।

मार्क्स एक ऐसे युग में पैदा और विकसित हुए थे, जब क्रांतिकारी पूँजीपति वर्ग प्रतिक्रियावादी वर्ग में बदल रहा था और पूँजीपति वर्ग का रिजर्व सर्वहारा पूँजीपति वर्ग से खुली मुठभेड़ में उतरने लगा था तथा अपनी क्रांति का सिद्धांत और संगठन तलाशने लगा था। मार्क्स ने इसी युग धर्म को पूरा किया था।

अंम्बेडकर भारतीय इतिहास के एक ऐसे संधि में पैदा हुए थे, जब भारतीय राष्ट्र आजादी के लिए लड़ रहा था, किंतु उसके मनमस्तिष्क में एक ऐसा कोहरा छाया हुआ था, जिससे उसे यह सूझ नहीं रहा था कि आजादी पाकर वह करेगा क्या। लोग एक अति बुद्धिमान नेता के इशारे पर लड़ रहे थे, लेकिन वह बुद्धिमान नेता आजादी का जो अर्थ स्वयं समझ रहा था, कि वह प्रचलित अर्थ से काफी अलग है लेकिन और उसे केवल देशी पूँजीपति वर्ग ही भलीभाँति समझ रहा था, बाकी सब ठगे जा रहे थे। अंम्बेडकर ने ठगे जाने से अपने–आपको बचा लिया ; गाँधी की सर्वाधिक निर्मम आलोचनाएँ उन्हीं की कलम से निकलीं ; उन्होनें केवल दलितों के प्रति गाँधी की गद्दारी की आलोचना की, बल्कि उन्होनें गाँधी के मजदूर द्रोह और किसान द्रोह का भी बड़ी निपुणता के साथ भंडाफोड़ किया और यह कह सकते है कि गाँधी की वर्गाय चालों का पर्दाफाश किया। तथापि राष्ट्रीय आंदोलन के कटाव ने उनके जनवादी स्वर को एक संकीर्ण अर्थ दे दिया। इतिहास की द्वांद्विकता है कि वह दलित हित से ही सबसे अधिक प्रभावित हुआ, क्योंकि यह कांग्रेस ही है जो दशकों से दलितों को अपना बोट बैंक बनाये रही और कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में आज भी स्थिति यही है।

जगत विजेता पूँजीवाद का सामना मार्क्स को करना पड़ा था, इसलिए उन्हें एक ऐसे दर्शन की तलाश करनी पड़ी जो दुनिया की केवल व्याख्या न करे, बल्कि उसे परिवर्तित करने का हथियार भी बने। इसलिए उन्हें पूँजीवादी शोषण और सामाजिक उत्पीड़न के आर्थिक स्रोतो की तलाश करनी पड़ी तथा उन औजारों को ढूँढ़ना पड़ा, जो इस शोषणकारी–उत्पीडनकारी विश्व को बदल सके। इसके लिए उन्हें विश्व सर्वहारा की आम रणनीति की भी तलाश करनी पड़ी।[94]

मार्क्स और अंम्बेडकर की तुलना करते समय लोग कुछ भ्रमों से शुरू करते हैं। पहले कि तो वे भारतीय समाज के बारे में सी0पी0आइ0, सी0पी0एम0 के विश्लेषण और कृतित्व

को भारतीय संदर्भ में प्रामाणिक मार्क्सवाद मान लेते हैं और इसी के आधार पर निंदा–प्रशंसा सूत्रबद्ध करते हैं। लेकिन इस दृष्टिकोण को छोड़ना जरूरी हैं कि सी0पी0आइ0, सी0पी0एम0 के लिए भूमि सुधार का प्रश्न कभी भारतीय समाज का केंद्रीय प्रश्न नहीं रहा और आज भी नहीं हैं अतः सी0पी0आइ0, सी0पी0एम0 ने कभी अंम्बेडकरपंथियों से मैत्री करने का, सामयिक और सतही संयुक्त संघर्षों के बाबजूद, दिली आवेग महसूस नहीं किया। सी0पी0आइ0, सी0पी0एम0 के लिए मार्क्सवाद कठमुल्ला सूत्र भर है, इसलिए वे मार्क्स के मृत शब्दों को ढो रहे हैं, लेकिन जीती जागती आत्मा की रोशनी को नही पकड़ पा रहे हैं। वे तथ्यों से सत्य की तलाश करने, देश, काल और परिस्थिति के अनुसार भारतीय क्रांति की खुद अपनी राह तलाशने की हिम्मत खो चुके हैं तथा सत्ता या पूँजीपति वर्ग के एक हिस्से के सरंक्षण में क्रांति करने की हद तक पतित हो चुके हैं। आज तो सी0पी0आइ0 ने मार्क्स को भी पूरी तरह छोड़ दिया है। इसलिए वह हाशिये पर नयी–पुरानी शक्तियों को अपने पीछे गोलबंद कर मार्क्सवाद के शस्त्रागार को नये अवदानों से समृद्ध करने और लीक से हट कर कुछ सोचने–करने का ख्याल भी सी0पी0आई0, सी0पी0एम0 के अंदर नहीं उठता।

मार्क्स आर्थिक क्रांति के पक्षधर थे और अंम्बेडकर सामाजिक क्रांति के।[95] यह एक मूर्खतापूर्ण सरलीकरण है और इनमे मार्क्स या अंम्बेडकर ही नहीं, सामाजिक क्रांति को भी ठीक ढंग से नहीं समझा गया हैं मार्क्स ने हमेशा 'सामाजिक परिवर्तन', 'सामाजिक क्रांति' शब्द का इस्तेमाल किया है और उनके समाज की आर्थिक बुनियाद, राजनीतिक इंजन और सांस्कृतिक इमारत तीनों को एक साथ समेटता हैं यहाँ मार्क्स के उन विचारों को हाजिर करना हास्यास्पद हैं जिनमें उन्होनें सांस्कृतिक सवालों पर और गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता पर बल देने के लिए यह कहा है कि वे ऐसा नहीं कर सके। समाजवादी क्रांति से मार्क्स का तात्पर्य है, कि मेहनतकश जनसमुदाय के अन्य हिस्सों के साथ संशय कायम कर मजदूर वर्ग द्वारा सत्ता दखल, पुरानी राज्य मशीनरी को तोड़ना और सर्वहारा अधिनायकत्व की स्थापना उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक मालिकाना कायम करना और आर्थिक व सामाजिक प्रक्रियाओं के सामाजिक नियमन की पद्धति का निर्माण करना, शोषण व उत्पीड़न के तमाम रूपों का खात्मा, वर्गीय अंतर्विरोधें का खात्मा, समाजवादी जनवाद का विकास और सांस्कृतिक क्रांति इसको चीन की सांस्कृतिक क्रांति के साथ गड्डमड्ड नहीं कर देना चाहिए।

राज्य के संबंध में मार्क्स और अंम्बेडकर की धारणाऐं परस्पर विरोधी की हद तक अलग हैं। मार्क्स स्पष्टतः मौजूदा राज्य को बलपूर्वक उक्षाड़ फेंकने और उसे सर्वहारा राज्य के जरिये स्थानांतरित करने के पक्षधर हैं। इस कारण मौजूदा राज्य के तमाम उपकरण–सेना, पुलिस, अदालत, जेल और कानून सभी–शोषक वर्गों द्वारा शोषित वर्गो के शोषण और उत्पीड़न के हथियार भी हैं, जबकि सर्वहारा राज्य पूँजीवाद के दमन से अपना जीवन शुरू कर खुद राज्य के उच्छेद तक की यात्रा करेगा और राज्य धीरे–धीरे प्रबंधकारिणी संस्थाओं में बदल जायेगा। अंम्बेडकर के लिए आधुनिक राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर शासन करने और दमन करने का यंत्र नहीं, बल्कि सुन्दर भविष्य के लिए मानवीय हितों को आगे बढ़ाने का हथियार है। वे राज्य को किसी वर्ग का हथियार नहीं मानते, बल्कि उसमें सभी वर्गो से आस्था रखने का आग्रह करते थे।

हैं। आधुनिक पूँजीवादी–जनवादी राज्य के बारे में आंबेडकर का यही भ्रम है, जो उन्हें किसी सामानांतर राजनीतिक प्रणाली के चिंतन की ओर बढ़ने से रोक देता है और वे एक सच्चे राष्ट्रीय समाजवादी की हैसियत से राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के उपायों और योजनाओं पर अपना दिमाग खपाते है। इस अर्थ में अम्बेडकर एक उदारवादी जनवादी से आगे की यात्रा करने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः अम्बेडकरवादियों और मार्क्सवादियों के बीच की बहस मौजूदा राज्य के परिवर्तन बनाम मौजूदा राज्य के ध्वंस और एक नये राज्य के निर्माण की बहस भी है।[96]

राज्य के संबंध में यह फर्क ही अम्बेडकर को वर्ग–संघर्ष के विपरीत, जो मार्क्स के लिए एकमात्र रास्ता है, 'समाज की समाजिक और नैतिक चेतना' जगाने के आंदोलनों और राज्य के प्रयासों पर निर्भर बना देता है। इसलिए अम्बेडकर के लिए संघर्ष का अर्थ सीमित हो कर केवल समाज का उदारीकरण ही रह जाता है।

अम्बेडकर की राज्य संबंधी अवधारणा चूँकि उदारवादी और राष्ट्रीय समाजवादी राज्य है, इसलिए उसके अंदर दलितों और कम्युनिस्टों की एकता का बिंदु भी छिपा हुआ है। राज्य की कल्याणकारी भूमिकाओं के लिए सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन पर अम्बेडकर का आग्रह वह सूत्र है, जिस पर बहस जरूर तेज की जानी चाहिए, क्योंकि इस बहस से अंततोगत्वा सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन में राज्य के निर्णायक योगदान का प्रश्न सामने चला आ जाता है इसलिए तब आज के दलित चिंतकों को मौजूदा राज्य के ध्वंस और नये राज्य के निर्माण की चेतना तक बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कम्युनिस्ट राज्य की कल्याणकारी और सुधारवादी भूमिका का विरोध नहीं करते, अतः भूमि सुधार से ले कर सामाजिक–सांस्कृतिक सुधार तक का एक विशाल दायरा संयुक्त और एकताबद्ध कार्यवाहियों के लिए हाजिर है।[97]

राममोहन राय, फुले, रानाड़े सबसे विपरीत अंम्बेडकर दलित मुक्ति में राज्य और सत्ता में साझेदारी को निर्णायक भूमिका में सामने रखते हैं। कि यह राजनीतिक सक्रियता उन्हें राजनीतिक ध्रुवीकरणों की ओर ले जाती है। दलित शक्तियों को अगर आज तक कांग्रेस या अन्य प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ अपने पक्ष में ध्रुवीकृत कर लेतो रही है, तो इसी तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि कम्युनिस्टों द्वारा भी उन्हें अपने पक्ष में ध्रुवीकृत कर लेने की संभावनाएँ मौजूद हैं। इसलिये यह मूलतः कम्युनिस्टों पर निर्भर करता है कि वे दलित राजनीतिक शक्तियों को प्रतिक्रियावादी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष कर कैसे अपने पीछे खड़ा होने के लिए मजबूर करते हैं।

दलितों का अधिकांश ग्रामीण सर्वहारा है। अपनी जाति और समुदाय के निम्न–पूँजीपति वर्ग से वह अवश्य प्रभावित होगा, तथापि इस ग्रामीण सर्वहारा को जैसे ही स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया जाता है, जैसा कि आज बिहार और उ0 प्र0 में हुआ है, कि दलित निम्न–पूँजीपति वर्ग उन्हें राजनीतिक नेतृत्व देने में अक्षम हो जाता हैं और उसे या तो तटस्थ बन जाना पड़ता हैं अथवा सर्वहारा नेतृत्व का समर्थन करने के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि अंम्बेडकर के दौर में जब बोल्शेविक पार्टी नागपुर के दलित सर्वहारा को अपनी स्वतंत्र वर्गीय भूमिका में खड़ा कर पाने में असफल रही, तो वे सबके सब अंम्बेडकर के साथ चले गये, सी0पी0आइ0 के अधिकांश दलित कार्यकर्ता भी अम्बेडकरवादी बन गये, किंतु आज

बिहार में रामविलास पासवान द्वारा वर्षो भारी प्रयत्न करने के बाबजूद किसी स्वतंत्र दलित राजनीतिक शक्ति का उदय नहीं हो सका तथा उत्तर प्रदेश की शानदार सफलता के बाबजूद और उसका फल सुदूर आंध्र प्रदेश , उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बटोरने के बाबजूद, पूर्वांचल से, जो बसपा का सबसे ठोस गढ़ बना हुआ है, एकदम सटे भोजपुर–रोहतास में या समूचे बिहार में लाख कोशिशें करने पर भी कांशीराम एक प्रदर्शन तक आयोजित नहीं कर सकें।

दलित क्षेत्रों में अम्बेडकरवाद को समाजवाद और कम्युनिज्म तक की यात्रा तो मार्क्सवाद के सहारे ही करनी होगी। इस बीच खासकर तीसरी दुनिया की सैकड़ों छोटी–बड़ी जनपक्षीय धाराओं को अपनाना होगा और उन सबके सकरात्मक तत्वों को स्वीकार करना होगा और उनसे मार्क्सवाद के ज्ञानकोश को समृद्ध करना होगा। स्वयं मार्क्सवाद जैसे अपने युग में समग्र दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और अर्थशास्त्रीय विकासों को समेट कर मार्क्सवाद बना, वैसे ही मार्क्सोत्तर युग में मानव जाति के तमाम सकारात्मक चिंतनों को, जिसका सबसे बड़ा खजाना–पश्चिमी देशों में साम्राज्यवाद ने चूँकि दार्शनिक और समाजशास्त्रीय विकास को कुंठित और पथभ्रष्ट कर दिया है और चूँकि मार्क्सवाद के निर्माण में तीसरी दुनिया में बिखरी और लगातार उपज रही लेकिन इस ज्ञान राशि को मार्क्सवाद समेट नहीं पा सका था गरीब, गुलाम और पिछड़े देशों में छिपा है, समेट कर ही मार्क्सवाद का भी विकास करना संभव हैं इसलिए आवश्यकता किसी अनमेल खिचड़ी की जगह अंम्बेडकरवाद के सारतत्व को मार्क्सवाद द्वारा अपना लेने की है। मार्क्स और अम्बेडकर पर जब भी विचार किया जाना चाहिए, इसी दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से मार्क्सवादियों को आंबेडकर का जरूर अध्ययन करना चाहिए। वस्तुतः उनमें भारतीय सवालों से संबंधित मौलिक विश्लेषण का खजाना छिपा पड़ा हैं दुर्भाग्यवश इस मौलिक खजाने का उपयोग भारतीय वामपंथियों द्वारा बहुत कम किया गया है।[98]

अंम्बेडकरवाद से जो चीज तुरन्त आत्मसात की जा सकती है, वह है यह निष्कर्ष कि किसी कम्युनिस्ट पार्टी को ब्राह्मणवाद विरोधी संघर्ष और दलितोद्धार को अपने कार्यक्रमों में प्रमुख स्थान देना ही होगा, अन्यथा भारतीय नवजनवादी क्रांति कदापि पूरी नहीं की जा सकती।

अम्बेडकर, गाँधी, मार्क्सवाद, तीनों ही उत्थान के लिये बड़े उपयोगी और सार्थक है आज के भौतिकवादी युग में प्रत्येक जनमानस को आंदोलित एवं सकारात्मक जीवन व्यतीत करने के लिये तीनों ही वाद मानवता की पराकाष्ठा पर खरे उतरते है। परन्तु गाँधीवाद और मार्क्सवाद आज के युग में उनके आयाम एवं प्रतिमान सिद्धान्त एंव मत कितने उपयोगी है और विभिन्न वादों में इन तीनों को कितना समाहित किया जा सकता है।

अम्बेडकरवाद, गाँधीवाद एवं मार्क्सवाद का उत्कृष्ट रूप वर्तमान समय में समाजवाद को बढ़ावा देता है। और प्रत्येक नागरिक को उसे प्रयोगवाद एवं व्यवहारवाद पर केन्द्रीय भूत करने के लिये प्रेरित करता है।

डॉ0 बीरेन्द्र के अनुसार सामाजिक समानता एवं राष्ट्रीय एकात्मकता को बरकरार रखने के लिए कभी भी किसी भी समाज में विजातीय रोटी–बेटी का व्यवहार आगे ले जाता है पश्चिम का समांज आज इसलिए उसमें आगे हैं कि वह अपने समाज में सबको समान रूप से समाहित कर लेता है।[93(अ)]

दलित कृषि मजदूर—दिशा, दृष्टि और विचार

दलित कृषि मजदूर का सदियों से सामजिक आर्थिक राजनीति एवं धार्मिक शोषण होता रहा है। इस शोषण के लिए जिम्मेदार समाज का धनाढ़य एवं सम्पन्न वर्ग हैं। जिन्होनें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिये दलित मजदूरों का शोषण किया और उनको शारीरिक एवं मानसिक रूप से पंगु बना दिया। जिनके पास न तो कोई सही दिशा और दशा थी तथा जिनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गयी। और सामाजिक और आर्थिक ढांचे में निम्न स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया।

आज भी अपने आपको असहाय ही महसूस करते हैं। उनकी स्थिति दिन—पर—दिन खराब ही होती जा रही है और ग्रामीण स्तर पर सामंती जमींदारों की इच्छा पर काम करने के लिए ये एक तरह से लाचार हैं। मजदूरी कम उस पर महिला कृषक मजदूरों को तो यौन शोषण तक सहना पड़ता हैं यह सब वे इच्छा से नहीं करती, अपने जीवन को बचाने के लिए वे एक तरह से अभिशप्त है।[99]

यहां की बहुसंख्यक जनता कृषि कार्य करती है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। परन्तु यहाँ पर सभी कृषकों के पास जमीन नहीं है। यह सम्पूर्ण देश की विडम्बना ही है कि जो वर्ग आज कृषि कार्य संभाले हुए है, उसे कृषि मजदूर के नाम से जाना जाता है। यह वर्ग बिल्कुल भूमिहीन है। देश के कृषि मजदूरों का बड़ा हिस्सा दलित समाज से आता है, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ कृषि उत्पादन बढ़ाना है और बदले में उसे सिर्फ नाममात्र की मजदूरी दे दी जाती है।[100]

उत्तर भारत में इन्हें बटाईदार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में इन कृषि मजदूरों को अपनी जीविका के लिए जमींदारों की जमीन पर निर्भर रहना पड़ता है। मजदूरी से प्राप्त पारिश्रमिक उनके परिवार का भरण—पोषण करता है। अधिकांश दलित कृषि मजदूर कर्ज में डूबे रहते हैं, जिसके कारण पीढ़ी—दर—पीढ़ी वे बंधुवा मजदूर की जिन्दगी जीने को विवश है जिन दलित परिवारों के पास थोड़ी—सी जमीन है तो, वह भी उपजाऊ नहीं है।[101]

सरकार द्वारा भूमिहीन कृषि मजदूरों की दशा सुधारने के लिए चलायी जा रही योजनाएं लगभग असफल ही साबित हुई हैं। समन्वित ग्राभीण विकास योजना भी दलित कृषि मजदूरों, जो गरीबी की सीमा—रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, की आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं ला सकी। इसके विपरीत 'गरीबी हटाओ' योजना के कार्यान्वयन से बहुत से दलित कृषि मजदूर सरकार के कर्जदार अवश्य हो गए। समन्वित ग्रामीण विकास योजना दलित कृषि मजदूरों के लिए वरदान की स्थान पर अभिशाप सिद्ध हुई। आधुनिकीकरण और उपभोक्तावाद के आ जाने से ग्रामीण दस्तकार एवं शिल्पकार जैसे—कुम्हार, कालीन बुनकर, कसीदाकार, लकड़ी की दस्तकारी करने वाले, खिलौना बनाने वाले, जरी मजदूर, बुनकर, मजदूर और इसी के अन्य कार्य, जिस पर दलित मजदूरों की जीविका निर्भर थी, बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उपभोक्तावाद और आधुनिकीकरण के हर क्षेत्र में प्रवेश कर जाने से दलित मजदूर लगभग बेरोजगार हो गया है, इसका कारण यह है कि इन लोगों का व्यवसाय उपभोक्तावाद से प्रतियोगिता नहीं कर सकता है। दलित मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार न दिये जाने के कारण बेरोजगारी की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है।[102]

भूमि सुधार कानून

देश में कितने भूमि सुधार क नून बने और बड़ी कड़ाई के साथ लागू भी किये गए, फिर भी दलित भूमिहीन हैं आज भी भूमि पर ब्राह्मणों, राजपूतों, एवं भूमिहारों का स्वामित्व बना हुआ है। परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण कृषि संरचना असमानता पर आधारित होकर रह गयी हैं इस देश की जमीन उस वर्ग के अधिकार में है, जिन्हें यह पता नहीं होता कि वास्तव में कृषि कार्य कैसे किया जाता है।

खेतों पर काम करने वाले दलित मजदूर, जिन्हें सही अर्थों में कृषि वैज्ञानिक कहा जा सकता है, क्योंकि किस समय किस वातावरण में, किस तापमान और किस ऋतु में कौन–सी फसल लगायी जाए तो पैदावार अच्छी हो, का ज्ञान सिर्फ इन्हें ही होता है। फिर भी ये भूमिहीन हैं। यदि कहीं–कहीं दलितों के पास थोड़ी–बहुत जमीन है भी, तो उस पर इतने विवाद चल रहे होते हैं कि उस जमीन पर खेती करना असम्भव होता है। दलितों के पास जो निर्विवादित जमीन होती है, उसमें अधिकांश बंजर या ऊसर किस्म की जमीन होती है। जिसमें फसल पैदा नही हो सकती है। भूमि का 90 प्रतिशत हिस्सा ब्राह्मणों, राजपूतों एवं भूमिहारों के कब्जे में है। संविधान की धारा 39, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक भाग है, में वर्णन है कि राज्य ऐसी नीति बनाए जिससे राज्य की सम्पदा पर स्वामित्व और नियंत्रण के बंटवारे में सामान्य व्यक्ति की भी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, कहीं ऐसा न हो कि राज्य की सम्पदा पर कुछ ही लोगों को ही सभी क्षेत्रों में प्रवेश करने का अधिकार है, किन्तु संविधान की धारा 38 के अनुसार यह व्यवस्था की गयी है कि सबको समान अवसर दिये जाएं। किन्तु आजादी के 61 वर्षो बाद भी यह सब प्रयोग संभव नहीं हो सका। 50 के दशक में केन्द्र सरकार ने भूमि सुधार लागू किया, परन्तु आज भी दलित समाज भूमिहीन मजदूर के रूप में ही कार्य कर रहा है। उसकी सिथति में कोई सुधार नहीं हो सका है। जनगणना 2001, भारत सरकार नई दिल्ली के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 166197921 है, जिसमें अनुसूचित जाति की संख्या 351148377 और प्रतिशत 21.15 है।

"उत्तरप्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम सन् 1951 से लागू हुआ था। इसका उद्देश्य मूल कृषक के भूमि के अधिकार देना था, परन्तु इससे अनुसूचित जाति और गैर खेतिहर पिछड़ी जातियों जैसे केवट, कहार, काछी, निषाद, बिंद, पाल (गड़रिया) को कोई लाभ नहीं हुआ। इससे मात्र अहीर (यादव) लोधी, कुर्मी गुजर आदि जैसी खेतिहर पिछड़ी जातियों को जमींदारी में हिस्सा मिल सका। कुल मिलाकर खेती की जमीन पर खेतिहर लोगों का नहीं, सामंतों का ही अधिकार ही रहा। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जहां जमींदारी उन्मूलन के पहले प्रदेश की कुल खेतिहर भूमि का 61 प्रतिशत भाग मात्र 19 प्रतिशत लोगों के पास ही था, वहीं 1970 में 65 प्रतिशत भूमि 16 प्रतिशत जमींदारों के पास थी। अनुसूचित जाति आयोग के एक सर्वेक्षण के अनुसार मार्च 1985 तर्क प्रदेश के हर सौ बँधुआ मजदूरों में औसतन 92 बंधुआ मजदूर अनुसूचित जाति के थे। अनुसूचित जाति की 40 प्रतिशत आबादी पूर्णतः भूमिहीन है।

किसी भी प्रदेश अथवा देश की अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटते हैः

1–प्राथमिक क्षेत्र अर्थात् कृषि एंव इससे संबंधित समस्त कार्य

2–द्वितीय क्षेत्र अर्थात् उद्योग एवं इससे संबंधित समस्त कार्य

3–सेवाएं अर्थात् सरकारी–गैरसरकारी नौकरियों, होटल, संचार, यातायात इत्यादि।

उत्तरप्रदेश की **प्रति रूपये की आय से क्षेत्रवार योगदान और उसमें लगी श्रम शक्ति**

तालिका–1

आर्थिक क्षेत्र	प्रतिशत	प्रतिशत श्रम शक्ति
1–प्राथमिक क्षेत्र (कृषि)	43.6	73.0
2–द्वितीय क्षेत्र (उद्योग)	19.6	09.0
3–सेवाएं (सरकारी–गैरसरकारी)	36.8	18.0

स्रोत : जनगणना 1991, भारत सरकार, नई दिल्ली

उपुर्यक्त वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि कृषि क्षेत्र में करीब 2 श्रमिक मिलकर एक पैसा पैदा करते हैं, जबकि उद्योग एवं सेवाओं में एक श्रमिक अकेले 2 पैसें पैदा करता है। इससे स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र अत्यन्त घाटे वाला क्षेत्र है। अब देखना यह है कि प्रदेश का दलित समाज किस क्षेत्र में कितना प्रतिशत जुड़ा हुआ है।[102]

तालिका–2 दलितों की क्षेत्रवार श्रमिक भागीदारी

	क्षेत्र	प्रतिशत
प्राथमिक	अनुसूचित जाति	82.26
द्वितीय	अनुसूचित जाति	07.55
सेवाएं	अनुसूचित जाति	10.19

स्रोत : जनगणना 1991, भारत सरकार, नई दिल्ली

उपरोक्त तालिका–2 से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरप्रदेश का दलित समाज मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से अपनी आजीविका चलाता है और यह क्षेत्र घाटे का क्षेत्र हैं। यदि इसकी तुलना तालिका–1 से की जाए, तो पता चलता है कि जहां प्रदेश की कुल श्रमिका शक्ति का 90 प्रतिशत द्वितीय क्षेत्र में है, वहीं दलितों का प्रतिशत केवल 7.55 का है। इसी प्रकार सेवाओं वाले क्षेत्र में जहां प्रदेश की श्रमशक्ति का 18.0 प्रतिशत लगा है, दलितों का प्रतिशत केवल 10.19 है अर्थात् अर्थ–व्यवस्था के घाटे वाले क्षेत्र में दलित सर्वाधिक मात्रा में हैं।[103]

उत्तरप्रदेश के दलितों की पेशेगत स्थिति

जातियों का पेशगत बंटवारा जाति व्यवस्था का मूल तत्व रहा है। इसलिए प्रदेश में हर जाति की पहचान उनके पेशों से हो गयी। मार्क्सवादी तरीके से इसे श्रम–विभाजन कहा जाता है, परन्तु डॉ0 अम्बेडकर ने इसे श्रमिक विभाजन कहा है। अगर जाति व्यवस्था को तोड़ना है, तो पेशे को जातियों से तोड़ना सर्वप्रथम होना चाहिए।

किसी भी प्रदेश अथवा देश की जनसंख्या को अर्थशास्त्र के शब्दकोश में तीन श्रेणियों में बांटा गया है:

1–मुख्य श्रमिक–वे व्यक्ति, जिनका मुख्य कार्य किसी न किसी रूप में आर्थिक गतिविधि का होता है।

2–सीमान्त श्रमिक– वे व्यक्ति जिनका मुख्य कार्य कुछ और होता है, जैसे–छात्र पर वे कभी–कभी आर्थिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेते हैं।

3–गैर श्रमिक–बच्चे, बृद्ध और विकलांग

दलित जनसंख्या का श्रमिक शक्ति के दृष्टिकोण से विभाजन :

1991	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति योग
मुख्य श्रमिक	9485342	10337409588716
सीमान्त श्रमिक	00847388	021632008690020
गैर श्रमिक	18943725	16289519106620
कुल जनसंख्या	29276000	28790129564356

स्रोत : जनगणना 1991, भारत सरकार नई दिल्ली

इससे से यह ज्ञात होता है कि प्रदेश की कुल दलित जनसंख्या, जो लगभग तीन करोड़ (29564356) में से लगभग एक करोड़ (09588716) मुख्य श्रमिक हैं अर्थात् लगभग एक करोड़ दलित श्रमिकों पर लगभग दो करोड़ सीमान्त एवं गैर श्रमिक निर्भर हैं।

लगभग एक करोड़ मुख्य श्रमिकों का पेशगत विवरण निम्न है:

दलित मुख्य श्रमिकों का पेशेगत विवरण
वर्ष 1991

पेशेगत श्रेणी	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
कुल मुख्य श्रमिक	9485342	प्रतिशत	103374	प्रतिशत
जोतदार	4043905	42.6	71896	69.5
कृषि मजदूर	3677444	38.7	13433	13.0
कृषि से जुड़े हुए कार्य	65409	0.7	1742	1.7
खनन आदि	16108	0.1	128	0.1
घरेलू उद्योग	193811	2.0	3507	3.4
गैर घरेलू उद्योग	381823	4.0	1840	1.8
निर्माण	140213	1.5	1283	1.2
वाणिज्य एवं व्यापार	182687	1.9	2182	2.1
यातायात, सचांर आदि	123462	1.3	1087	1.0
अन्य सेवाएं (सरकारी–गैरसरकारी)	660375	6.7	6276	6.1
सीमान्त श्रमिक	847388	—	21634	—
कुल गैर श्रमिक	18943725	—	16289577	

स्रोत : जनगणना 1991

इससे के विश्लेषण से दलित समाज की श्रेणीवार श्रम की तस्वीर उभरती है।

इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक दृष्टि कोण से, जहां पर दलित कृषक ही उत्पादक हैं, वहां छोटे या सीमान्त कृषक को कोई लाभ नहीं पहुचंने वाला है। भारत में स्थिति यही है कि अधिकांश गरीब–दलित कृषकों के पास थोड़ी–सी भूमि है, वह भी वह पूर्णतः वर्षा पर आश्रित है तथा उससे उन्हें जो थोड़ी –बहुत उपज प्राप्त होती है, वह उन्हीं के गुजारे के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं वह भी वर्ष में एक बार, इससे इन कृषकों के जीवन–स्तर में कोई सुधार नहीं होने वाला है। इस कारण उसकी आय का बढ़ पाना नामुमकिन है महेन्द्रगढ़ (बनारस) में कुछ सर्वेक्षण किये गये थे।

छोटे व सीमान्त दलित कृषकों को समझने के लिये यह आवश्यक है कि हमें उनकी पहचान करनी पड़ेगी। उनके पास कितनी भूमि है, इस आधार पर यह विभाजन किया जाता है। यदि कृषक के पास एक दो हेक्टेयर जमीन है, तब वह लघु कृषक तथा यदि वह एक हेक्टेयर से भी कम भूमि का मालिक है, तब वह सीमान्त कृषक कहलाता है पढ़ाई का स्तर देखने से यह पाया गया कि 47.5 प्रतिशत लघु कृषक अनपढ़ और शेष 32.5 पतिशत ने प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की थी, माध्यमिक स्तर तक 13.1 प्रतिशत ही शिक्षित थे और सेकेन्डरी स्तर तक बहुत ही कम कृषक 6.9 प्रतिशत ही शिक्षित पाए गए। सीमान्त कृषकों में भी यही स्थिति देखी गई। इनमें से 49.6 प्रतिशत अशिक्षित 33.8 प्रतिशत प्राईमरी स्तर तक, 12.8 प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक एवं मात्र 3.8 प्रतिशत सेकेन्डरी स्तर तक शिक्षित थे।

इनकी कम भूमि के मालिक होने के साथ-साथ यह लघु व सीमान्त कृषक अशिक्षा के भी घने अंधकार में डूबे हुए हैं। इन पर आश्रित परिवारजनों की भी संख्या अधिक है। लघु कृषकों के लिए ये औसतन 6 हैं, जबकि सीमान्तक कृषकों के लिए ये 5-6 के बीच हैं।

"जातीय संरचना के आधार पर यदि इन कृषकों को देखा जाए तो ज्ञात होता है कि श्रेणियों के हिसाब से लघु कृषक वर्ग में 37.70 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लोग एवं 8.20 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग आते हैं। इसी प्रकार सीमान्त कृषकों के लगभग 60 प्रतिशत कृषक व लघु कृषकों में 45.50 प्रतिशत कृषक अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के होते हैं।[105]

प्रदेश के जमीन कापूर्ण लेखा जोखा हैं आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि दलित समाज जमीन से बेदखल है। अतः स्पष्ट है कि यह बेदखली प्रकृति के किसी निर्देश पर नहीं हुई हैं यह बेदखली मानव-रचित हैं यह बेदखली प्राकृतिक-न्याय के विरूद्ध है। प्राकृतिक न्याय की स्थापना के लिए समस्त मानव-रचित गैर-बराबरी को मानव के प्रयास ही ठीक कर संकते हैं। प्राकृतिक न्याय की स्थापना में प्रकृति को नहीं, बल्कि मानव को ही प्रयास करने होगें। सिद्धान्ततः प्रकृति पर मानव का समान अधिकार होंना चाहिए-

उत्तर प्रदेश के दलित जमीन से बेदखल

वर्ष 1885		सीमान्त 0-1 हेक्टेयर	लघु 1-2 हेक्टेयर	लघु--मध्यम 2--4 हेक्टेयर	मध्याम 4-10 हेंक्टेयर	विशाल 10 हेक्टेयर एवं ऊपर	योग
समस्त सामाजिक श्रेणियं	जोतदारों की संख्या	13782000	2964000	1582000	602000	55000	18985000
		(72.6)	(15.6)	(8.3)	(3.2)	(0.3)	(100)
	जोत क्षेत्रफल	4993000	4115000	4313000	3377000	849000	17648000
		(28.3)	(23.3)	(24.4)	(19.1)	(4.9)	(100)
अनु0जाति	जोतदारों की संख्या	2523000	354000	12000	27000	2000	3026000
		(8.3)	(11.7)	(4.0)	(0.9)	(नगण्य)	(100)
	जोत क्षेत्रफल	842000	848000	32000	148000	28000	1821000
		(46.2)	(26.6)	(17.6)	(8.1)	(1.5)	(100)
अनु0जनजाति	ज़ोतदारों की संख्या	17000	5000	5000	4000	(नगण्य)	31000
		(54.8)	(16.1)	(16.0)	(13.0)		(100)
	जोत क्षेत्रफल	6000	7000	11000	22000	4000	4000
		(11.3)	(13.3)	(26.4)	(41.5)	(7.6)	(100)

(1) एक हेक्टेयर = 2.41 एकड़

स्रोत: एग्रीकल्चरल सेन्सस ऑफ इण्डिया 1985-86

प्रदेश में कुल 3026000 दलितों के पास खेती योग्य भूमि है। 2523000 दलित

सीमान्त कृषक हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कुद दलित जोतदारों के 83.4 प्रतिशत जोतदार सीमान्त कृषक की श्रेणो में है यानि इनके पास एक हेक्टेयर से कम जमीन हैं 25 लाख, 23 हजार दलित जोतदारों के पास 8 लाख, 42 हजार हेक्टेयर (842000) भूमि है। सामान्य श्रेणी के 55 हजार जोतदारों के पास 8 लाख 49 हजार (849000) हेक्टेयर भूमि है यानि कि जितनी भूमि 25 लाख 23 हजार दलितों के पास है, उससे सात हजार हेक्टेयर और अधिक की मात्र 55 हजार बड़े जोतदारों के पास है। गैर–बराबरी की इससे बड़ी मिशाल और क्या हो सकती है।[106]

उत्तरप्रदेश		
कुल जनसंख्या 13.91 करोड	जनंसख्या प्रति वर्ग कि.मी.	471 सिंचित भूमि जोतें 73.5%
कुल भौगोलिक क्षेत्र 7.05 करोड़ एकड़	क्षेत्र भूमि जोतों के रूप में	4.23 करोड़ प्रति व्यक्ति आय 2866 रूपये एकड़ (1989-90)
अखिल भारतीय क्षेत्र 8.95	राज्य के कुल भूमि क्षेत्र 59.9 का प्रतिशत	
साक्षरता दर 41.6%		
अनु०जाति जनंसख्या 9.92	अनु.जाति की कुल भूमि 49.29 लाख एकड़	अनु.जाति की कुल 70.7% प्रतिशत का सिंचित प्रतिशत
राज्य की कुल 24.56 जनसंख्या में अनु. जाति काप्रतिशत	अनु. जाति की कुल भूमि का प्रतिशत (अनु.जाति)	10.88 अनु.जाति के शिक्षित 453967 बेरोजगार नवयुवक
अनु. जाति 26.85%	अनु.जाति (हाईस्कूल तक) 72.91%	
भूमि हदबन्दी कानून की उपलब्धियां		
कुल अतिरिक्त 5.39 लाख एकड़ घोषित भू–क्षेत्र	भूमि जो वितरित की जा चुकी	1.49 लाख एकड़
राज्य के कुल कृषि 1.27 योग्य भू–क्षेत्र का प्रतिशत	भूमि जो वितरित नहीं की गयी	3.90 लाख एकड़
	भूमि अनु.जाति/जनजाति को मिली	74,000 एकड़

सारे विश्लेषण साबित करते हैं कि दलित कृषि मजदूरों को उचित मजदूरी भी नहीं मिलती और फसल के समय असिंचित क्षेत्रों में निर्धारित दरों में काफी कम मजदूरी पर इन्हें काम करना पड़ता है।

अतः दलित कृषि मजदूर आन्दोलनों की असफलता के बाद भी कोई श्रम संगठन अपनी रणनीतियों में बदलाव क्यों नहीं ला रहा है? केन्द्र एवं राज्य सरकारें क्यों खामोश हैं? स्वयंसेवी संगठन क्यों इन आन्दोलनों में शामिल नहीं हो रहे हैं? अगर तत्काल ऐसा नहीं किया गया, तो न खेती रहेगी, न श्रमिक रहेंगे और न मजदूर संगठन। गांवों के सब गरीब–दलित मजदूर शहरों की ओर भागने के लिए विवश होंगे।

दलित मजदूरों की आज भी स्थिति बड़ी दयनीय एवं विचारणीय है उत्तरप्रदेश के ऐसे बहुत से जनपद है जिनमें रहने वाले दलित मजदूरों की दिशा और दशा सामन्नवाद एवं जमींदारवाद के शिकार हुये आज भी वे वही जिंदगी जी रहे हैं। जैसे आजादी के पूर्व भारत था।

उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद कई सरकारें बनी बस केवल उनको झूठे आश्वासन और वादे किये कही किसी वक्तव्य एवं तथ्यों में कोई ईमानदारी और सच्चाई नजर नही आती है। बस केवल सब्जबाग दिखाते रहे और उनका शोषण करते रहे जो एक अमानवीय धारा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–3

1– सिंह, रामगोपाल, भारतीय दलितः समस्यायें और समाधान, पृष्ठ–61

2– मासी जेम्स, दलित्स : इश्यूस एण्ड कनसर्न्स, पृष्ठ–121

3– वही

4– मासी जेम्स, दलितम् इन इंडिया, रिलीजन एस सोर्स ऑफ बोन्डाज ऑर फिल्टरेसन विद स्पेशल रिफरेन्स टू क्रिंशचियन्स, नई दिल्ली, 1995, पृ024–30

5– मासी जेम्स, दलितम् इन इंडिया, रिलीजन एस सोर्स ऑफ बोन्डाज ऑर फिल्टरेसन विद स्पेशल रिफरेन्स टू क्रिंशचियन्स, नई दिल्ली, 1995, पृ024–30

5– (अ) यादव डॉ0 बीरेन्द्र सिंह दलित –विमर्श चिंतन एवं परास्परा नवम्बर–2005,पृ0–85

6– वही पृष्ठ 124

7– मासी जेम्स, दलित्स : इश्यूस एण्ड कनसर्न्स, पृष्ठ–124

8– वही

9– वी0कुप्पूस्वामी–भारत में सामाजिक परिवर्तन

10– डॉ0 बृजलाल वर्मा–छत्रपति शाहू जी महराज

11– माही जेम्स, दलित्स : इश्यूस एण्ड कनसर्न्स पृष्ठ–129

12– वही

13– वही,पृ0–129

14– वही

15– वही

16– क्षीरसागर आर0 के0 दलित मूवमेण्ट इण्डिया एण्ड इट्स लीडरस, पृ069–108

17– माही जेम्स, दलित्स : इश्यूस एण्ड कनसर्न्स, पृष्ठ–130

18– वही

19– वही

20– वही

21– दास, भगवान (इडी) दस स्पोक

22– वही पृष्ठ–198

23– गोखले, जयश्री, कन्सेशन टू कन्फन्टेशन द पालिटिक्स ऑफ एन इण्डियन अनटचेएबल कमिन्युटी बम्बे, 1993, पृष्ठ–217–18

24– जिलिएट एल्नेयर, अनटचएबल टू दलित, ऐसे स आन अम्बेडकर मूवेंट, नई दिल्ली 1992, पृष्ठ–114

25– गोखले, जयश्री, कन्सेशन टू कन्फन्टेशन द पालिटिक्स ऑफ एन इण्डियन अनटचेएबल कमिन्युटी बम्बे, 1993, पृष्ठ–212–55

26– गुरूगकर लता, दलित पैन्थर मूवमेन्ट इन महाराष्ट्र, बाम्बे, 1991, पृष्ठ–115–

27– वही, पृष्ठ–231

28— जुर्गेन्समेयर, मार्क रिलिजिन ऐस सोशल वि॰ न, पृष्ठ—167

29— मासी जेम्स दलित्स : इश्यूस एंड कन्सर्नस, ष्ठ—136

30— संडे 5—11 दिसम्बर 1993, वाल्यूम 20, इश्यू 48, एन आनन्द बाजार पब्लिकेशंस, कलकत्ता पृष्ठ—37

31— वेबस्टेर जॉन सी0बी0, द दलित क्रिश्चन : हिस्ट्री देलही 1992, पृष्ठ—33—76

32— रघुबीर सिंह— इक्कीसवीं सदी में अम्बेडकरवाद पृ016

33— वही पृष्ठ—18

34— वही पृष्ठ—20

35— माना जाना चाहिए मैं सम्पूर्ण का भाग नहीं हूँ। मैं स्वयं एक प्रथक भाग हूँ

36— गेल ऑम्वेदस, दलितस एण्ड द डमोक्रेडिट रेवोलूशन, पृष्ठ—224

37— वही

38— वही

39— जाटव डी0आर,, डा0 अम्बेडकर का समाज दर्शनपृष्ठ—119

40— एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ,1936, पृष्ठ—16

41— एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ,1936, पृष्ठ—47

42— वही पृष्ठ—19

43— वही पृष्ठ—17

44— डॉ0 अम्बेडकर का भाषण : बुद्धिज्म एण्ड कम्युनिज्म, इण्टरनेशनल बुद्धिष्ट कान्फ्रेस, काठमाण्डू (नेपाल) 20 नवम्बर—1956, पैरा—6

45— एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ,193 पृष्ठ—47—49

46— डॉ0 अम्बेडकर का भाषणः बुद्धिज्म एण्ड कम्युनिज्म, इण्टरनेशनल बुद्धिष्ट कान्फ्रेंस, काठमाण्डू (नेपाल) 20 नवम्बर—1956, पैरा—11

47— हॉट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव इन टू द अण्टरचेबिल्स, 1846, पृष्ठ—297

48— वही अध्याय —5 "भाषाई राज्यों की रूपरेखा", शीर्षक खण्ड से

49— ब्हांट कांग्रेस एण्ड गांधी हेव इन टू द अनटचेबिल्स, अध्याय 4 "संसदात्मक प्रजातंत्र एवं समाजवाद" शीर्षक खण्ड से

50— द बुद्ध एण्ड हिज धम्म, 1957, पृ0 325

51— मैस्नर, जे, शोसल एथिक्स, 1957, पृष्ठ—127

52— अम्बेडकर, बी0आर0 हिस्ट्री ऑफ इण्डियन करैन्सी एण्ड बैकिंग, वाल्यूम—1 1947, पृष्ठ—1

53— स्टेट्स एण्ड माइनारिटिज् 1947, पृष्ठ—3

54— अम्बेडकर बी0आर0 बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलिजन (लेख) 1950, पैरा—17

55— स्टेट्स एण्ड माइनारिटिज् पृष्ठ—31—32

56— "आलॅ इण्डिया डिप्रेस्ट क्लासिक कान्फ्रेंस (तृतीय अधिवेशन) नागपुर में दिया गया।

57— आर0 चंद्रा के0एल0 चंचरीकः— आधुनिक भारत का दलित आंदोलन पृ0—198

58— वही पृ0—199

59— वही

60— अम्बेडकर, डॉ0 बी0आर0 : व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू दि अनटचेबिल्स 1945, (कांग्रेस और गांधी ने अछूतो के लिए क्या किया? हिन्दी अनुवाद : (जगन्नाथ कुरील)

61— आर0 चन्द्रा, के0एल0 चंचरीक—आधुनिक भारत का दलित आंदोलन पृ0—200

62— वही—पृ0201

63— वही

64— अम्बेडकर, डॉ0 बी0आर0 : व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू दि अनटचेबिल्स 1945, (कांग्रेस और गांधी ने अछूतो के लिए क्या किया? हिन्दी अनुवाद : (जगन्नाथ कुरील) पृ0—8,10,11

65— आर0 चन्द्रा, के0एल0 चंचरीक—आधुनिक भारत का दलित आंदोलन पृ0—200

66— अम्बेडकर, डा0 बी0आर. पृ0—124

67— आर0 चन्द्रा, के0एल0 चंचरीक—आधुनिक भारत का दलित आंदोलन पृ0—203

68— राजेन्द्र मोहन भटनागर : डा0 अम्बेडकर : चिन्तन और विचार पृ0—7

69— वही पृष्ठ—315

70— वही पृष्ठ—316

71— वही पृष्ठ—317

72— वही पृष्ठ—321

73— वही पृष्ठ—323

74— वही पृष्ठ—324

75— वही पृष्ठ—336—327

76— टाइम्स आफ इंडिया, 19 सितम्बर 1932, इस सोर्स वाल्यूम—1,पी0पी0 101—11

77 आम्वेदट गेल, दलितस एण्ड द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन,पृष्ठ—116

78— वही,पृष्ठ—177

79— वही

80— नम्बूदरीपाद, ई0एम0एस0, ए हिस्ट्री आफ द दंडियन फ्रीडम मूवमेंट पृष्ठ—492

81— आम्वेदट गेल, दलितस एण्ड द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, पृष्ठ—179

82— वही

83— आम्बेदट गेल, कल्चरल रिवोल्ट ए कोलोनियल सोसायटी : द नान—ब्रह्मन मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया, 1850—1935 पी0पी0 263—67

84— रसल, एम0ए0 हिस्ट्री आफ द आल इंडिया किसान सभा पृष्ट—123

85— राव, एम0बी0 (डी0) डाक्यूमेंटस आफ द कम्यूनिष्ट पार्टी आफ इंडिया, 1976 पी0पी. 111—12

86— अधिकारी, कम्युनिस्ट पार्टी, वाल्यूम 2, पृष्ठ—90

87— वही, पृष्ठ—100

88— आम्वेदट गेल, दलितस एण्ड द डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन, पृष्ठ—185

89— वही

90— डिले जान और जोशी राम, डाटर आफ इन्डीपेडेन्स, जन्डर, कास्ट एण्ड क्लास इन इंडिया 1986 पृष्ठ 35

91— राजकिशोर : हरिजन से दलित पृ0 123

92— राजकिशोर : हरिजन रो दलित पृ0—124

93— वही

93— (अ) यादव डॉ0 बीरेन्द्र सिंह जनसम्मान सितम्बर 2006 पृ0—32

94— वही पृ0—133

95— वही पृ0 136

96— वही पृ0 137

97— वही पृष्ठ 139

98— वही पृ0 141

99— कपाड़िया लुईस (संपादक) नई सदी भी तोड़ नही पाई उ0प्र0 के अछूतपन को, पृ0—128

100— वही

101— वही पृष्ठ—130

102— जनगणना 1991 भारत सरकार नई दिल्ली

103— जनगणना भारत सरकार नई दिल्ली

104— वही

105— 'शोषण के भंवर में फंसा दलित कृषक' व0श0 एवं अलका श्रीवास्तव हम दलित (मा0 पत्रिका) जनवरी 1996

106— एग्रीकल्चरल सेन्सस आफ इण्डिया 1985—86पृ0—18—19

चतुर्थ अध्याय

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में दलित सहभागिता

भारत को स्वतन्त्र कराने में केवल किसी एक महान व्यक्ति किसी एक वर्ग या किसी एक दल के प्रयासों का परिणाम नहीं है। बल्कि इस स्वतन्त्रता आन्दोलन को सफल बनाने के लिए विभिन्न धर्मो, विभिन्न वर्गो और विभिन्न दलों (राजनैतिक और अराजैनतिक) का योगदान रहा है। जो तन, मन, धन अर्पण करने से पीछे नहीं हटे। इसमें कोई शक नहीं है, कि विभिन्न वर्ग अपने अलग-अलग आर्थिक और राजनैतिक स्वार्थ लेकर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में सम्मिलित हुए थे। लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही था, वह था स्वतन्त्रता प्राप्ति। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ते हुए इस आंदोलन में लाखों भारतीय शहीद हुए थे। जिसमें दलित और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या सर्वाधिक में थे। प्रारम्भ में इन्हीं दलितों आदिवासियों ने अंग्रेजों का सामना किया। ऐतिहासिक अध्ययन से पता चलता है कि जो सुविधा-सम्पन्न वर्ग था, उसने सत्ता और सुविधाओं में और अधिक हिस्सेदारी के लिए ब्रिटिश आक्रमणकारियों से समझौते भी किये।

जाति के अनुपात से इस आंदोलन में भाग लेने वालों में जहाँ मुसलमान और सवर्ण आगे रहे, वही हाथरस के जाट सहित सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश के चमार, गूर्जर, और अन्य जाति के लोग भी आंदोलन मे कूदें। प्रत्येक धर्म तथा जाति से जुड़े अधिकांश व्यक्ति इस स्वतन्त्रता की लड़ाई में किसी न किसी प्रकार सम्मिलित हुए थें।

इन सभी वर्गो की भूमिका का ऐतिहासिक विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है, कि स्वतन्त्रता का सम्पूर्ण श्रेय उच्च, मध्यम वर्ग तथा उनके नेताओं और दलों को दिया गया। तथा मजदूरों, किसानों, निम्न मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग तथा उसके नेताओं की उपेक्षा की गई है। भारत के श्रमिक वर्ग, कोयले की खानों, चाय के बगानों में साम्राज्य वाद के विरूद्ध रोजी-रोटी और बेहतर जिन्दगी की लड़ाई लड़ते थे। उन्हें राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलन की लड़ाई का महत्वपूर्ण अंश माना जाना चाहिए था। उच्च वर्ग, उच्च मध्य वर्ग के स्वार्थो की लड़ाई को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की लड़ाई बताना और श्रम-जीवी वर्गो की रोजी-रोटी की लड़ाई को स्वतन्त्रता संग्राम का अंश न मानना अन्यायपूर्ण है।[1]

भारतीय समाज में 1200 ई0 से 1526 ई0 तक के समय में इस्लाम धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मुगल शासन के प्रारम्भ में बाबर के पश्चात हुँमांयू और अकबर से उदारवादी धार्मिक नीति से यद्यपि हिन्दू और इस्लामिक संस्कृति के समन्वय का नया रूप सामने आया। इन दोनों धर्मो के लोग सांस्कृतिक रूप से करीब आये लेकिन दलित और निम्न जाति के लोगों को इससे विशेष लाभ प्राप्त नही हुआ। समाज में जातिवर्ग के आधार पर ही कार्यो का विभाजन बना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता का पतन होने लगा और धीरे-धीरे बक्सर और प्लासी के युद्धों से ब्रिटिश शासन ने अपनी जड़े जमाना प्रारम्भ कर दिया।

1822 से 1857 के स्वतन्त्रता आंदोलन में लाखों रणबांकुरे शहीद हो गये। 1857 ई0 में तो गुर्जरों को खुला देशद्रोही करार दे दिया गया था लेकिन यह भी सच है, कि आजादी की प्रथम लड़ाई ब्रिटिश आक्रमणकारियों से 1822 में गुर्जरों ने ही प्रारम्भ की। उस समय चाहे कोई भी जाति रही हो, जिसने इनका विरोध किया, उसे गोली मार दी जाती थी। लाखों लोगों

ने भागकर जंगल में शरण ली। प्रत्येक स्थान पर इनका अपमान किया जाने लगा। जब इतना सब करने के बाद भी इनपर नियंत्रण न हो सका तो कानून का सहारा लेना शुरू कर दिया गया। उस समय ब्रिटिश सरकार ने निम्न क्रिमिलन एक्ट बनाए -

1793, आई0पी0सी0 (1860–1861), 1871, 1867–1902, 1902, 1903, 1914, 1920, 1923, 1924, 1946।[3] इन एक्टों के अन्तर्गत आने वाली जातियो में गुर्जर कोली, बंजारा, पिण्डारी, भर, खटीक, भील, बिजेरिया, बोपा, देलरा, धारी, दुसाध, कंजर, कूचबद, कायम्बाखा, लबानि, पासी, सांसीया आदि जातियाँ प्रमुख थीं।[4] भारतीय आदिवासियों के बारे मे अंग्रेज साम्राज्यवादियों की दोहरी चाल थी। इस दोहरी चाल का सत्यापन उस नीति से होता है, जिसके अर्न्तगत आदिवासियों को उनके जीवन, संस्कृति और सामाजिक संसार को बाकी लोगों से अलग–थलग रखकर, उसे एक ओर तो मानवशास्त्रियों के अध्ययन की वस्तु समझा गया था। तथा दूसरी तरफ दलित आदिवासियों के सम्पर्क में मिशनरियों को जाने और काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तथा इस कार्य के बारे में कहा गया कि वे (मिश्नरी) इस अंधेरें कोने में 'सभ्यता' और 'शिक्षा' का प्रकाश फैला रहे है।

भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों को चुनौती आदिवासियों ने दी तथा भीलों और सन्थालों इन दोनों जनजातियों को अंग्रेजों से विद्रोह का समय क्रमशः 1825–30 और 1855–56 था। अंग्रेजों को भय था, कि आदिवासियों की इस लड़ाकू शक्ति का सम्पूर्ण देश में उभर रहे स्वतन्त्रता आंदोलन से रिश्ता न जुड़ जाए। कुछ एक अपवादों को छोड़कर आदिवासियों के प्रति स्वतंत्रता आंदोलन का मापदंड उपेक्षा का रहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आदिवासियों और बाकी लोगों के बीच की खाई स्वतंत्रता संग्राम के बाबजूद बढ़ती ही रही, जो आज तक जारी है।

ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रथम आंदोलन 1817 में भीलों का था। प्रारम्भ में भीलों को ब्रिटिश शासकों से हार माननी पड़ी। लेकिन धार्मिक आंदोलनों के कारण वे अपने को हिन्दू रीति–रिवाज एवं हिन्दू आस्थाओं से जोड़ने में सफल हुए और इस प्रकार वे मैदानों क्षेत्रों में रहने वाले दलितों के बीच भी सामाजिक तथा स्वाधीनता आंदोलनों के माध्यम से उभरकर सामने आये। अब भीलों का संघर्ष अंग्रेजों सत्ता के विरोध में माना जाने लगा। अतः इसे खान देश का विद्रोह कहा गया। ब्रिटिश शासन 1846 में भीलों पर काबू कर पाये जब तक भीलों ने अंग्रेजों को जमकर छकाया। भीलों के साथ–साथ कई अन्य जनजातियों जैसे कोल, कोवा, कोली, सिंगफाओं, खासियों, मिशमित गोडो, झील, संथाल, खासी आदि जातियों ने भी अंग्रेजों से प्रारम्भिक संघर्ष किए।

सन् 1924 तक क्रिमिनल एक्ट की संख्या लगभग 127 थी। समय के साथ–साथ सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इन जातियों को अंग्रेजों के जुल्मों से राहत मिली। मद्रास में पेरियार, महाराष्ट्र में महात्मा फूले, सरदार पटेल तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर आदि ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया ये विमुक्त जातियां यद्यपि निम्न जातियों से सम्बन्धित थी। परन्तु इनमें साहस और शौर्य की कोई कमी नही थी। इतिहास से पता चलता है कि आजादी प्राप्त करने से लगभग 100 वर्ष पूर्व से ये लोग अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। अंग्रेज इन्हें एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स, डिनोटिफाइट ट्राइब्स, नोमेडिक ट्राइब्स कहते थे।

स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न जातियों ने भी अपनी भूमिका निभाई। उसमें भी पासी

जाति का विशेष स्थान रहा है। पासी जाति के व्यक्ति लगभग देश के प्रत्येक प्रदेश में किसी न किसी रूप में निवास करते थे, परन्तु उत्तर प्रदेश में इस जाति का गढ़ रहा है। नवाबी समय में अवध में बहुत बड़ी संख्या में पासी जाति की आबादी थी। यह जाति प्रारम्भ से ही लड़ाकू प्रवृत्ति की रही है। 1838 में अवध राज्य का शासन अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली था। केवल दिखावे के लिए नबाबो की सत्ता थी, परन्तु वास्तव में शासन ब्रिटिश रेजीडेंट के हाथों में था। लखनऊ से लगभग 43 किमी0 दूर 1838 में डेवा कासिमगंज में खुम्भा रावत के पोते गंगा बक्स रावत के शासन में 200 गांव थे। यह सभी पासियों के शक्तिशाली गढ़ माने जाते थे।[5]

अंग्रेज इतिहासकारों की पुस्तकों में पासियों को हत्यारे, लुटेरे तथा अति भयंकर डकैत आदि की संज्ञा से संबोधित किया है। मार्टिन गुबिंस ने अपनी पुस्तक 'अवध में विद्रोहियों के लेख में पासियों का उल्लेख करते हुए, उन्हें भयंकर डाकू बताते हुए अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि "1857 के विद्रोह में पासी जाति के अलावा किसी अन्य जाति ने वैसी विध्वंसक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। इन पासियों को भविष्य में अत्यंत क्रूरता से कुचलने की आवश्यकता है।

इस प्रकार यह पता चलता है, कि दलित जाति ने किस प्रकार अंग्रेजों को अपने युद्ध कौशल और देश भक्ति से नाको चने चबवा रखे थे। अंग्रेजों ने इस जाति से सीधे न टकरा कर उसको बदनाम करने की नीति का सहारा लेना पड़ा। इसी तरह अन्य दलित जातियों तथा आदिवासी जातियों ने उतनी आसानी से अंग्रेजों के सामने हथियार नही डाले, जितनी आसानी से स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सहभागिता को भुला दिया गया।

डॉ0 बीरेन्द्र के अनुसार देश की एकता और अखण्डता के लिए परम आवश्यक है कि वहाँ के नागरिकों में बंधुता मैत्री परस्पर प्रेम अर्थात राष्ट्रीय एकता की भावना व्याप्त हो। राष्ट्रीयता की पहली शर्त है साम्यभाव का सुदृढ़ होना क्या यह साम्यभाव आज भी सुदृढ़ हुआ। नही तो क्यों नही? उपर्युक्त पंक्ति दलित विमर्श की प्रासंगिकता सिद्ध करती है क्योंकि कोई भी राष्ट्र तब तक विश्व शक्ति नहीं बन सकता एकता जब तक उसके मानवीय संसाधनों का शत–प्रतिशत दोहन नहीं होता सभी की समुचित भागीदारी नहीं होती।[5(अ)]

उत्तर प्रदेश के प्रमुख दलित सेनानी

"इतिहास केवल राजनीतिक घटनाओं, बादशाहों, संम्राटों, महाराजाओं, जागीरदारों, नवाबों और निजामों की रंगरलियों, और रक्त रंजित युद्धों के किस्से–कहानियों का वर्णन मात्र नही होता, बल्कि एक ऐसा जीवंत साक्ष्य होता है। जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में अतीत की जानकारी देता है, कि हमारे पूर्वजों ने समाज, राष्ट्र और मानवता के लिये क्या कुछ किया। कौन–कौन से कार्य हुए और गलतियां कहां–कहां पर हुयी।[7]

मई 1857 से प्रारम्भ होकर 1858 के अंत तक चले भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कितने ही हिन्दुस्तानी शहीद हुए। इसकी गणना करना आसान नही है। दुर्भाग्य यह है, कि स्वाधीन भारत में सुगठित सरकारों के दौर आते रहे और जाते भी रहे, परन्तु कोई सार्थक गंभीर प्रयास इस ओर नही हुआ। लगभग 16 महीनों तक चले इस विद्रोह के बारे में कार्लमार्क्स ओर एंगिल्स ने 28 लेख लिखे। कार्लमार्क्स ने 15 जुलाई, 1857 को "न्यूयार्क डेली ट्रिब्यून" में लिखा था कि, "यह पहली बार हुआ है कि देशी फौजों ने अपने यूरोपीय अफसरों को मार डाला है।" इस महासंग्राम की पहली और सबसे बड़ी विशेषता यह थी, कि उत्तर भारत की दलित–दमित जनता ने अंग्रेजों से लोहा लिया, वह भी आमने सामने।[8] भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले उ0प्र0 के प्रमुख दलित सेनानी निम्नलिखित थे–

उदइया (चमार)

1857, से अलीगढ़ क्रांति के पचास वर्ष पहिले 1804 में अंग्रेजों के विरूद्ध क्रांति का बिगुल बज चुका था। छतारी के नबाब नाहर खां के पुत्र दूदे खां अंग्रेजी शासन के कट्टर विरोधी थे। उनके पुत्र रनमस्त खां, अशरफ खां तथा रोशन खां बड़े ही पराक्रमी थे। उन्होंने 1804 व 1807 में अंग्रेजों से घमासान युद्ध किया था। उनका परम हितैषी उदइया चमार था जिसने सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। उदइया चमार ने गनौरी के खाली किले में बारूद की सुरंगें बिछा दी जिससे अंग्रेज सैनिक जैसे ही किले में घुसे, सुरंगें अपने आप फटने लगीं। जिससे सैकड़ों अंग्रेज गनौरी के किले में दफन हो गये।

उदइया चमार को बाद में अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उस माहन क्रांतिवीर को फांसी पर चढ़ाया गया। उदइया चमार की गौरव गाथा आज भी क्षेत्र के लोगों में प्रचलित है।[9]

मातादीन (भंगी)

मातादीन भंगी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में विशेष महत्व हैं मंगल पांडे क्रांति के शोला थे तो मातादीन उनकी प्रथम चिंगारी।

10 मई 1857 की क्रांति की ज्वाला कैसे भभक उठी? इस पर ध्यान जाते ही जिज्ञासा होती है कि आखिर कौन सी ऐसी बात थी जो इस क्रांति का शुभारंभ हुआ?

इसकी पृष्ठभूमि में एक रोचक तथ्य है जो बहुत कम इतिहासकारों ने लिखा है।

बैरकपुर छावनी, जो कलकत्ता से 16 मील दूर। उसकी क्रान्ति के अनुसंधान से जो तथ्य प्रकाश में आये हैं वे इस प्रकार है–

कारतूस बनाने का एक कारखाना था। इस कारखाने में काम करने वाले बहुत से

व्यक्ति अछूत समझी जाने वाली कौम के थे। एक दिन इसी अछूत जाति के एक व्यक्ति को प्यास लगी। उन्होनें एक सैनिक से लोटा माँगा। वह सैनिक मंगल पांडे सरीखा कर्मकांडी ब्राह्मण था। उन्होंने लोटा मांगने वाले व्यक्ति को जो फैक्ट्री कर्मचारी था, लोटा यह समझ कर नहीं दिया कि वह नीच जाति का एक अछूत व्यक्ति है। लोटा न मिलने के कारण प्यासे कर्मचारी को अपमान सा लगा। उन्होंने उस ब्राह्मण सैनिक से कहा– "बड़ा आया है ब्राह्मण का बेटा! जिन कारतूसों का तुम उपयोग करते हो उन पर 'गाय' और 'सुअर' की चर्बी लगाई जाती है। और उन्हें तुम अपने दांतों से तोड़कर बन्दूक में भरते हो। उस समय तुम्हारा ब्राह्मणत्व और धर्म कहा चला जाता है। क्या किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पीने के लिये लोटा देने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जायेगा? धिक्कार है तुम्हारे ब्राह्मणत्व को।"

यह सुनकर ब्राह्मण सैनिक चौंक गया।

वह अछूत व्यक्ति और कोई नहीं था–मातादीन भंगी था। जिसने हिन्दुस्तानी सिपाहियों की आंखें खोल दीं तथा क्रान्ति के लिए प्रथम चिंगारी सैनिक छावनी में फेक दी।

पूरी छावनी में मातादीन की बात की चर्चा आग की तरह फैल गई। देखते–देखते क्रान्ति की ज्वाला में मंगल पांडे धधक उठे।

1 मार्च 1857 को सुबह परेड के मैदान में मंगल पांडे लाइन से निकल कर बाहर आ गये। अधर्मी अंग्रेजों को इन बातों के लिये दोषी ठहराते हुए गोलियों चलाने लगे। विद्रोह कर दिया। यही वह घड़ी थी जब से क्रांति का सूत्रपात हुआ और काम कर गई मातादीन की वह चिंगारी।

घायल अवस्था में मंगल पांडे गिरफ्तार किये गये। उनका कोर्ट मार्शल किया गया। 8 अप्रैल 1857 को पल्टनों के सम्मुख उन्हें फाँसी पर लटकाया गया।

मंगल पांडें का बलिदान सैनिकों के लिये प्रेरणा बन गया। 10 मई 1857 को बैरकपुर छावनी में क्रांति की लहर दौड़ गई और सम्पूर्ण क्रान्ति के लिये हिन्दू–मुसलमान सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसमें अनेक भारत माँ के सपूत शहीद हुए और गिरफ्तार क्रान्तिकारियों को कोर्ट मार्शल किया गया। मातादीन मातृभूमि की रक्षा करने के आरोप में शहीद हुए।[10]

चेतराम जाटव व बल्लू (मेहतर)

भारत में सदियों से अनैक्यता, अस्पृश्यता, असंगठन तथा पारस्पारिक द्वेष–भाव कलह के परिणामस्वरूप विदेशियों ने यहां राज किया।

सेठ अमीरचन्द्र और मीर जाफर जैसे अनेक देश द्रोहियों ने भारत को गुलाम बनाये रखने में अंग्रेजों का साथ दिया।

अछूत वर्ग ने अपनी दीन–हीन दशा में जीवन यापन करते हुए भी मातृभूमि के लिय कभी सौदा नहीं किया। ऐसा एक भी आरोप अछूत वर्ग पर कभी नहीं लगा। समस्त भारतीय समाज के साथ वह भी पूर्ववत दासता भरी जिन्दगी व्यतीत करता है। देश में जब भी आवश्यकता पड़ी इस वर्ग ने आगे बढ़ कर देशहित में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया।

उन्हीं देशभक्त सपूतों में चेतराम जाटव और बल्लू मेहतर हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिये अंग्रेजों से टक्कर ली और भारत मां की मर्यादा के लिए बलिदान हो गयें।

जब भारत में अंग्रेजी शासन था, मान–मर्यादा और आत्म सम्मान के साथ जीना

असम्भव सा हो गया था, प्रत्येक भारतवासी को सन्देह तथा हीन दृष्टि से देखा जाता था। अंग्रेज अधिकारी अछूतों को बड़े--बड़े सामंत और नबाबों को भी गाली दे बैठते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शेख, पठान सभी को एक चाबुक से हांकते थे। घोर अपमान और तिरष्कार की जिन्दगी जीते हुए भारतीयों के मन में क्षोभ और असंतोष ने जन्म लिया।

सर्वत्र क्रान्ति का बिगुल बज उठा, हजारों देशभक्त घरों से निकल कर क्रान्ति के कारवां में सम्मिलित हो गये। उन्हीं देशभक्तों में चेतराम जाटव व बल्लू मेहतर भी थे जिनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा।

एटा जनपद में बैरकपुर छावनी की क्रान्ति का समाचार मिलते ही क्रान्तिकारियों का काफिला सड़कों पर आ गया। मिस्टर फिलिप्स और मिस्टर हाल,जो एटा जनपद के तत्कालिक अधिकारी थे, क्रान्तिकारियों को काबू में करने की तैयारी करने लगे। जगह–जगह पहरा सख्त कर दिया गया। किसी पर जरा शक होने पर कठोर दंड दिया जाने लगा। किन्तु क्रान्ति की ज्वाला तीव्र रूप से भड़क उठी थी जिसकी लपटें सम्पूर्ण जनपद में फैल गई।

24 मई 1857 को क्रान्ति का ज्वालामुखी मानो फूट पड़ा। सैकड़ों देशभक्तों ने अंग्रेजों के विरूद्ध खुला संघर्ष छेड़ दिया। घमासान युद्ध में 10 देशभक्त क्रान्ति–वीरों ने वीरगति पाई।

26 मई 1857 को सोरों क्षेत्र की क्रान्ति ज्वाला में चेतराम जाटव व बल्लू मेहतर अपने प्राणों की आहुति देने कूद पड़े। इस क्रान्ति में उनके साथ सदाशिव मेहरे रामनाथ तिवारी, चतुर्भुज वैश्य, सदासुखराम सक्सेना, विशम्भर कोठेदार, द्वारिका प्रसाद तथा हफीज रजब अली आदि भी थे।

फिलिप्स की सेनाओं से इन देशभक्त सपूतों ने डट कर मुकाबला किया तथा इनकी शौर्यता, वीरता, बुद्धिमानी व साहस के सामने अंग्रेजी सेना को भागना पड़ा।

परन्तु आगरा और मैनपुरी से अंग्रेजी कुमुक आ जाने से पासा पलट गया। दुर्भाग्यवश क्रान्ति विफल हो गई। सभी क्रान्तिवीरों को गिरफ्तार कर लिया।

चेतराम जाटव व बल्लू मेहतर, को पेड़ों से बांध कर गोलियों से उड़ा दिया गया। बाकी को कासगंज में पेड़ों पर लटका कर फांसी दी गई।

इस तरह इन महान देश भक्तों ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी और सदा के लिए अमर हो गये।

चेतराम जाटव व बल्लू मेहतर ने एटा जनपद सोरों क्षेत्र के अति निर्धन एवं अछूत परिवारों में जन्म लेकर अछूत वर्ग को गौरवान्वित किया। उनके पिता निर्धन अवश्य थे किन्तु देशभक्ति व आत्म–सम्मान में किसी चक्रवर्ती सम्राट से कम न थे। उन्हीं संस्कारों में दोनों मित्रों का पालन–पोषण होने के कारण वे अन्य लोगों की भांति केवल क्रान्ति के पथ के पथिक नहीं बने बल्कि राष्ट्र हित एवं उत्सर्ग की भावना में अपने प्राणों को देश पर न्यौछावर कर दिया। उनकी शौर्यता, वीरता तथा साहस पर हर देशवासी को सदा गर्व रहेगा।[11]

वीरा (पासी)

स्वतंत्रता संग्राम में वीरा पासी का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। रायबरेली जनपद के मुरारमऊ स्टेट के राजा बेनी माधव सिंह का अंगरक्षक सेरा सावर वीरा पासी निवासी ग्राम डौंडिया खेड़ा मुरारमऊ 1857 में राजा बेनी माधव सिंह को जेल से निकाल कर लाया था। जबकि

अंग्रेज अधिकारी पूर्ण रूप से सतर्क थे। वीरा पासी के इस वीरतापूर्ण साहस तथा शौर्यता एवं बुद्धिमत्ता के कारण राजा बेनी माधव सिंह का जेल से निकल जाना एक चुनौती था।

अंग्रेजों ने वीरा पासी को मुर्दा या जिन्दा पकड़ने की घोषणा कर दी। और उस पर पचास हजार रूपये का इनाम घोषित कर दिया। परन्तु वीरा पासी एक महान देश–भक्त होने के साथ –साथ बहुत बहादुर एवं बुद्धिमान भी थे।

स्वतंत्रता संग्राम में राजा बेनी माधव सिंह के साथ उनका किया गया बलिदान एवं त्याग देश और समाज के लिए प्रेरणा दायक है।12

बांके (चमार)

अमर शहीद बांके चमार निवासी–ग्राम कुंवरपुर, तहसील मछली शहर, जनपद जौनपुर, 1857 की क्रान्ति में बागी नेता हरिपाल सिंह का साथी था। क्रान्ति विफल होने पर 18 लोग बागी घोषित किये गये।उनमें बांके चमार का नाम प्रमुख था, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने 50 हजार का इनाम घोषित कर रखा था। गिरफ्तार होने पर बांके चमार को मृत्यु–दण्ड दिया गया। वह वीर सेनानी अपनी मातृभूमि की रक्षा में हँसते–हँसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर फाँसी के फंदे में झूल गया।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम इतिहास में इस महान देशभक्त बाकें चमार का नाम सदैव अमर रहेगा।[13]

चौरी–चौरा काण्ड के दलित सेनानी

रामपति चमार व अन्य को फाँसी

ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति के कारण पुलिस बल पूर्णतया निरकुश हो चुका था। इस निरंकुशता के कारण वह आये दिन जनता के नेताओं एवं जन–साधारण लोगों को अपनी बर्बरता का शिकार बनाने लगा। राजनैतिक सभाओं पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था लेकिन पुलिस बल के लोग सामाजिक, धार्मिक तथा पारिवारिक संस्कारों में सम्मिलित हुए लोगों पर भी संदेह करते थे और अपमानित करने में संकोच नहीं करते थे।

चौरा ग्राम में 5 फरवरी, 1922 को चमारों की एक सभा हो रही थी। इस सभा में कुछ चमार व पासी राजनैतिक कार्यकर्ता भी सम्मिलित थे जो स्वराज्य प्राप्त करने के सम्बन्ध में वार्ता कर रहे थे कि अचानक एक पुलिस वाला उधर से निकला। उसने कुछ सुन लिया। और कि वह रामपति चमार को गाली देने लगा। उसके इस व्यवहार से सारी सभा आक्रोशित हो गयी। पुलिस वाले को दण्डित कराने के उद्देश्य से सभा जुलूस के रूप में चल दी। जुलूस में अनेक राजनीतिक कार्यकर्ता सम्मिलित हो गये। लोग इन्कलाब–जिन्दाबाद, ब्रिटिश हुकूमत मुर्दाबाद, का नारा लगा रहे थे। रास्ते में कुछ और पुलिस वालों ने इनके साथ दुर्व्यहार किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया, पुलिस ने गोली चलायी। पुलिस के गोली चलाने से जुलूस में शामिल सारे नेता व भीड़ उत्तेजित हो गयी और पुलिस पर हमला बोल दिया, सिपाही भाग कर थाने में धुस गये तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। जो सिपाही भागने के प्रयास से बाहर आये उसे भीड़ ने मार डाला और आग में फेंक दिया। 22 पुलिसकर्मी मारे गये।

इस घटना की खबर मिलते ही गाँधी जी ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कांग्रेस कार्य–कारिणी से इस फैसले को स्वीकृति देने की अपील की।

इस कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आन्दोलन समाप्त हो गया।

गाँधी जी के इस निर्णय ने एक विवाद खड़ा कर दिया, एक ऐसा विवाद जिस पर आज संगोष्ठियों, सम्मेलनों में बहस होती है। इतिहास की किताबों में बहुत कुछ इस सम्बन्ध में लिखा जा चुका है, और आज भी लिखा जा रहा है।

गाँधी जी के इस निर्णय से पं० मोतीलाल नेहरू, श्री सी०आर०दास, पं० जवाहर लाल नेहरू व नेता सुभाष चन्द्र बोस तथा अन्य नेतागण खबर सुनकर आवाक रह गये। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक दूर–दराज के गाँवों में लोगों द्वारा की गई क्रांति के लिए पूरे देश में आन्दोलन क्यों समाप्त किया जाए। तमाम लोगों को लगा कि गाँधी जी में नेतृत्व की क्षमता नहीं रह गई है। वह असफल हो गये हैं और उनकी लोकप्रियता के दिन अब समाप्त हो रहे हैं।

भारत में आज भी अनेक टीकाकार एवं राजनैतिक लोग, ब्रितानी मार्क्सवादी रजनीपाल दत्त के सिद्धान्तों के अनुसार इस निर्णय की आलोचना करते हैं। गाँधी जी के इस निर्णय को वे बतौर सबूत पेश करते हैं कि गाँधी जी अमीर वर्गो के हितों का ख्याल रखते हैं। इनका मानना है कि गाँधी जी ने निर्णय महज इसलिए नहीं किया कि चौरी–चौरा की घटना उनके अहिंसक सिद्धान्त के विरूद्ध थी बल्कि उन्हें यह महसूस होने लगा था कि भारतीय जनता जुझारू संघर्ष के लिए तैयार हो रही है। अमीर शोषकों के खिलाफ कमर कस रहे हैं। गाँधी जी को यह लगा कि आन्दोलन की बागडोर उनके हाथ से निकलकर लड़ाकू ताकतों के हाथ में जाने वाली है और यह महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार और पूंजीपतियों, भू–स्वामियों के खिलाफ संघर्ष होने वाला है, और देशमें खूनी क्रान्ति हो जायेगी इसलिए उन्होनें आन्दोलन वापस ले लिया।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चौरी–चौरा काण्ड एक बहुत बड़ी क्रान्ति थी जो जन साधारण लोगों द्वारा की गयी थी। यह क्रांति इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। ब्रिटिश शासन पर निश्चित रूप से एक प्रहार था।

इस क्रांति में सैकड़ों आदमी गिरफ्तार किये गये जिसमें 172 को फांसी की सजा हुई। फैसले के विरूद्ध अपील की गयी। परिणामस्वरूप 19 लोगों को फांसी तथा 14 को आजन्म कारावास, 232 व्यक्तियों के चालान कर दिए जिसमें 228 को सेशन सुपुर्द किया गया। हाईकोर्ट ने 19 व्यक्तियों की फाँसी की सजा बहाल रखी, 38 को छोड़ दिया। 14 को काले पानी की सजा तथा अन्य लोगों को 8–8, 5–5 तथा 3 व 2 वर्ष की सजा हुई।[14]

लोचन मल्लाह की चतुराई

27 जून 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह हो गया। अंग्रेज अपने परिवारों को लेकर गंगा नदी से नाव द्वारा इलाहाबाद भागना चाहते थे। लोचन मल्लाह ने अलग नाव पर क्रांतिकारियों जिनमें टीका सिंह, अजीमुल्ला, ताँत्या टोपे थे, अंग्रेजों का पीछा किया। अंग्रेजों ने इनकी नाव पर गोली चलाई आगे चलकर अंग्रेजों की नाव एक उथले जगह पर फंस गई। यह क्रान्तिकारी सेनानी 80 अंग्रेज स्त्री–पुरूषों को अपने कब्जे में लेकर वापस कानुपर लाये। स्त्री, बच्चों को छोड़कर अंग्रेजों को गोलियों से भून दिया गया। लोचन मल्लाह की सूझ–बूझ से ही इस कार्य में सफलता मिली।[15]

पासी जाति का बलिदान

लखनऊ जनपद पासी जाति बाहुल्य क्षेत्र रहा है। ग्यारहवीं शताब्दी में पासी राजाओं का राज्य था। राजा लखना रजपासी था। उसी के नाम पर प्राचीन लखनावती का नाम लखनऊ पड़ा।

लखनऊ नगर से पश्चिम की ओर नौ मील दूर हरदोई रोड पर काकोरी नामक एक कस्बा है। यह स्थान अपने आम के बागों और क्रान्तिकारी काण्ड के लिये प्रसिद्ध है तथा अपने रोचक इतिहास के लिये भी प्रसिद्ध है।

ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में काकोरी पर कसमंडी (कसमंडप) मलिहाबाद के निकट राजा कंस का अधिकार था जो जाति का पासी था। उस समय यहां पासी जाति की बस्ती थी। सन् 1130 में जब सैयद सालार गाजी मसूद दिल्ली से तशरीफ लाये तब उनकी इस पासी राजा से जम कर जंग हुई और इस भयंकर लड़ाई में काकोरी राज्य कंस के हाथ से निकल गया तथा मुसलमानों के कब्जे में आ गया। कुछ मुस्लिम फकीर यहां आकर बस गये। लेकिन महमूद गजनवी के प्रभाव के कम होने के साथ ही काकोरी फिर पासियों का गढ़ बन गया। उसके बाद पासियों के जोर को दबाने के लिये सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने मलिक नसीरूद्दीन को यहां भेजा जो पासियों को पराजित करके दिल्ली की हुकूमत कायम कर गया। मोहम्मद तुगलक के आखिरी वक्त तक इस पर कब्जा बना रहा। सन् 1393 में जौनपुर शर्की सल्तनत का केन्द्र बन चुका था। और काकोरी का क्षेत्र शर्की राज्य की जागीर हो गया।[16]

काकोरी क्षेत्र को संभालना कोई आसान काम नहीं था, ऐसे में पासियों ने फिर अपना सिक्का जमा लिया और धीरे धीरे काकोरी को अपने अधीन कर लिया। इसी युग में रजपासी राजा ने काकोरी का किला बनवाया और इसके चारों तरफ बस्ती आबाद की। यह किला बिल्कुल खंडहरों में बदल गया है फिर भी प्रवेश द्वार, जीर्ण–शीर्ण चहार दीवारी के कुछ भग्नावशेष अब भी विद्यमान हैं। शर्की राज्य के तीसरे बादशाह सुल्तान इब्राहीम शर्की ने सन् 1401 में मानिकपुर के निकट राजा फकीर को पराजित किया और फिर यहाँ इस्लामी सत्ता कायम की जो सन् 1458 तक ठीक प्रकार से चलती रही।

लखनऊ शहर के दक्षिण–पूर्व में कस्बा बिजनौर बसाने वाला राजा बिजली रजपासी एक समय लखनावती का प्रमुख माना जाता था– इसके बनवाये हुए बारह दुर्ग लखनऊ के आस–पास फैले हुए थे। उनमें से कुछ भग्नावशेष आज भी मौजूद हैं, जिनमें पुराना किला, नारंगाबाद क़िला, जलालाबाद किला, मोहम्मदी नगर के अब भी नाम लिए जाते हैं।

बिजली दुर्ग राजा बिजली रजपासी के बहुत दिन बाद मीर–बिन–कासिम के हाथों लगा। उसने इस किले को अपने दामाद जलालुद्दीन को बतौर नजराना दे दिया जिसके बाद इस किले का नाम जलालाबाद पड़ा।

अंग्रेजों ने भी लखनऊ को अपना प्रमुख केन्द्र बनाया। रेजीडेन्सी, बेली गारद में अंग्रेज अधिकारी रहते थे। सन् 1857 ई0 में क्रान्ति में रेजीडेन्सी को क्रान्तिवीरों ने चारों ओर से घेर रखा था। क्रान्तिवीरों को नेतृत्व चेतराम रैदास कर रहे थे, जिनका बनवाया हुआ टिकैत राय तालाब के निकट 'चेतरामी तालाब' आज भी मौजूद है।

बेगम हजरत महल, मम्मू खां, जनरल बरकत अहमद ने एक योजना बनाई कि

कानपुर से जब तक हेवलक की सेनायें लखनऊ आयें उससे पहले रेजीडेन्सी पर आक्रमण करके अपने अधिकार में ले लिया जाये। किन्तु रेजीडेन्सी में प्रवेश कर पाना उतना ही कठिन कार्य था। चारों ओर से रेजीडेन्सी पर तोपें लगी थीं। अंग्रेज सैनिक मुस्तैदी से किसी भी आक्रमण को असफल करने के लिए तैयार थे।[17]

हमारे पासी जाति के पुरखें सुरंग उड़ाने में बड़े माहिर थे। अक्सर बेली गारद वालों को उनसे नुकसान पहुचता रहता था।

10 अगस्त 1857 को जनरल बरकत अहमद के नेतृत्व में पासी जाति के लोगों को साथ लेकर फौज ने बेलीगारद पर आक्रमण कर दिया। तीन दिन तक घमासान युद्ध होता रहा—। बेलीगारद की सुरगें उड़ने लगी। रेजीडेन्सी में फंसे अंग्रेज भयभीत हो गये। लेकिन कानुपर से मि0 हेवलक की सेनायें लखनऊ सीमा पर आ पहुंची तथा दूसरी और से अंग्रेजी सेना फैजाबाद से चिनहट तक आ गयीं। बंथरा में उनका मुकाबल स्वंय बेगम हजरत महल ने किया जिससे वह जख्मी हो गयी और उनके वफादार सेनापति मानसिंह तथा कुंवर जियालाल सिंह उन्हें शहर ले आये।

सिकन्दरबाग के पास घमासान मुकाबला हो रहा थी। कम प्रतिष्ठित पंक्तियों की स्त्रियाँ (अछूत) नगर की रक्षा के लिये अपने प्राणों को न्यौछावर कर रही थीं, वे स्त्रियाँ जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही थीं, और उनके मरने के पहले यह पता नहीं चलता था कि वह स्त्रियाँ है या पुरूष। सिकन्दर बाग में सेमर के वृक्ष के नीचे जिसने अनेक अंग्रेजों को मार गिराया वह महिला उजरियांव की थी जिसका नाम जगरानी था वह महिला जाति की पासी थी। अन्त में यह महिला को भी गोली लगी और वह घायल होकर वीरगति को प्राप्त हो गई।[18]

दुर्भाग्यवश वेलीगारद की क्रान्ति असफल हो गयी और उसमें 220 देशभक्त शहीद हुए तथा 150 घायल हुए जिसमें अधिकांश पासी जाति के अज्ञात अमर शहीद थे।

सरदार ऊधम सिंह का बलिदान

ऊधम सिंह उ0प्र0 के एटा जिले के पटियाली गांव के निवासी थे इनके माता—पिता श्रीमती नारावसी देवी और चूहड़राम चमार थे। 1857 ई0 के बाद जीवनयापन का खोज में सुनाम जिला संगरूर पंजाब चले गये। सरदार धन्नासिंह ओवरसियर ने उन्हें श्रमिकों के साथ सुनाम से तीन मील दूर नीलोवालनुहर पर काम में लगा दिया। चूहड़राम के कार्य से धन्नासिंह बहुत प्रसन्न हुए। धन्नासिंह ने चूहड़ और उनकी पत्नी को सिख धर्म ग्रहण करवा दिया। जिससे इनका नाम सरदार धन्ना सिह ने सरदार टहलसिंह और हरनाम कौर रख दिया। सरदार धन्नासिंह ने अपने सम्बन्धी चंचल सिह से कहकर उसे उप्पली रेलवे फाटक पर गैटमैन पद पर रखवा दिया यहीं पर ऊधम सिंह का जन्म हुआ। जब ऊधमसिंह पांच वर्ष का था उसकी माँ का देहान्त हो गया। उसके एक वर्ष पश्चात टहलसिंह भी नहीं रहे ऊधम सिंह और उनके भाई को अमृतसर के रामबाग अनाथालय में भर्ती करा दिया गया। यहीं पर ऊधमसिंह ने अंग्रेजी, पंजाबी, हिन्दी, उर्दू के साथ 1926 ई0 में हाईस्कूल प्रथम श्रेणी में पास किया। साथ ही उन्होंने फर्नीचर बनाना तथा कुश्ती लड़ना सीखा।

जलियाँबाला बाग में 13 अगस्त 1919 ई0 को निहत्थे भारतीयों पर कर्नल डायर द्वारा गोलियों चलाई गई। इस धटना को आंखों से देखकर इसका बदला लेने का संकल्प ऊध मसिंह ने लिया। इसके लिए वह इंग्लैण्ड गया। वहां फर्नीचर की दुकान थी। 13 मार्च, 1948 ई0

को उसे अवसर मिला जब डायर एक सभा में भाषण करने वाला था। ऊधमसिंह एक वकील के रूप में हाथ में एक मोटी कानूनी पुस्तक लेकर गये, जिसमें काट पर पिस्टल रखी थी। भरी सभा में उसने माइकल डायर पर गोली चलाकर, उसे वहीं धराशायी कर अपने संकल्प को पूरा किया। ऊधमसिंह का बलिदान और त्याग स्वर्णक्षरों में लिखा जाने योग्य है।

13 अप्रैल, 1919 में जलिया वाले गोली कांड में अन्य लोगों के साथ नत्थू, धोबी, धुलिया धोबी, मंगल मोची और बुद्धा भगत भी शहीद हुए थे।[19]

गाँधीवादी आंदोलन में दलितों की भागीदारी

गाँधी जी के नेतृत्व में सन 1920 में कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष छेड़ा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, व्यक्तिगत सत्याग्रह नमक आन्दोलन और अन्त में सन 1942 ई. में अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो आन्दोलन चलाया। इनमें हजारो लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे गये, कुछ को काले पानी भेजा गया। इन सभी आन्दोलनों मे अन्य लोगों के साथ दलितों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।[20] गाँधीवादी आंदोलन के प्रमुख दलित सेनानी निम्नलिखित थे–

क्रान्तिवीर मिठाई चमार

ग्राम–थाना पुरन्दरपुर, गोरखपुर, 'असहयोग आंदोलन में दलित सेनानी' सन 1921 –तीन वर्ष की कड़ी सजा।[21]

क्रान्तिवीर मुक्खु चमार

ग्राम –थाना परुन्दरपुर, गोरखपुर 'असहयोग आंदोलन में दलित सेनानी' सन् 1923 –तीन वर्ष की कड़ी सजा।

क्रान्तिवीर ठेलू चमार

ग्राम–थाना पुरन्दरपुर, गोरखपुर 'असहयोग आंदोलन में दलित सेनानी' सन् 1922 –तीन वर्ष की कड़ी सजा।

क्रान्तिवीर कल्पू धोबी

ग्राम–थाना पुरन्दरपुर, गोरखपुर 'असहयोग आंदोलन में दलित सेनानी' सन् 1921 –तीन वर्ष की कड़ी सजा।

क्रान्तिवीर मोहन धोबी–

आत्मज श्री रग्घू धोबी, ग्राम खरैती, थाना पिपराइच। 'असहयोग आंदोलन में दलित सेनानी' सन् 1922 में एक वर्ष की सजा।

क्रान्तिवीर दुर्जन चमार

आत्मज श्री कुन्दर चमार, रहिमाबाद, सीतापुर 'असहयोग आंदोलन में दलित सेनानी' सन् 1922 में 6 माह की कड़ी सज़ा।

क्रान्तिवीर चौधरी परागी लाल

ग्राम दुर्गापुरवा, कोतवाली सीतापुर। 'असहयोग आंदोलन में दलित सेनानी' सन् 1921 में 5 वर्ष की कड़ी सजा, 75/–रूपया जुर्माना।

क्रान्तिवीर रामप्रसाद चमार

ग्राम–बस्ती, डाकघर–रामपुर, आजमगढ़। 'असहयोग आंदोलन में दलित सेनानी' सन् 1921 में 2 माह की कड़ी सजा।

क्रान्तिवीर सीताराम चमार

आत्मज श्री उल्ला, ग्राम–भुइयारिन बगिया, लालकुआं, लखनऊ 'असहयोग आंदोलन में दलित सेनानी' सन् 1921 में 9 माह की सजा 150/–रूपया जुर्माना।

क्रान्धिवीर जोधा चमार

आत्मज श्री बिन्दा चमार, ग्राम खड़उआं मलिहाबाद, लखनऊ, 'असहयोग आंदोलन में दलित सेनानी' 30 जनवरी 1922 को 3 माह की सजा।[22]

चौरी–चौरा काण्ड के दलित सेनानी

क्रान्तिवीर अयोध्या चमार

आत्मज श्री मँहगी चमार, ग्राम मोती पाकड़, थाना चौरा, जिला गोरखपुर, 'चौरी–चौरा काण्ड' के सिलसिले में धारा 302 के अन्तर्गत 1924 में 5 वर्ष का कठोर कारावास।

क्रान्तिवीर अलगू पासी

आत्मज श्री सुमन चमार, ग्राम भाग पट्टी थाना चौरा, जिला गोरखपुर, 'चौरी–चौरा काण्ड' के सिलसिले में 302 के अन्तर्गत सन् 1924 में 5 वर्ष की कठोर कारावास।

क्रान्तिवीर कल्लू चमार

आत्मज श्री सुमन चमार, ग्राम गोगरा, थाना झगहा, जिला गोरखपुर, 'चौरी–चौरा काण्ड' के सिलसिले में धारा 302 के अन्तर्गत 5 वर्ष की कठोर कारावास।[23]

क्रान्तिवीर श्री गरीब चमार

आत्मज श्री मंहगी चमार, ग्राम रेवती बाजर, थाना चौरी–चौरा, जिला गोरखपुर चौरी–चौरा काण्ड में 302 के अन्तर्गत सन् 1924 में 5 वर्ष की कड़ी सजा।

क्रान्तिवीर जगेशर

आत्मज रामफल पासी, ग्राम डुमरी, थाना चौरी–चौरा काण्ड –1923 में धारा 302 के अन्तर्गत 5 वर्ष की सजा।

क्रान्तिवीर मनोहर चमार

आत्मज देवीदीन चमार, गोरखपुर, चोरी–चौरा काण्ड में धारा 302 के अन्तर्गत 1923 में 6 वर्ष की सजा।

क्रान्तिवीर फलई चमार

आत्मज सुमन चमार, ग्राम व थाना चौरी–चौरा, चौरा काण्ड में धारा 302 के अन्तर्गत 1923 में 5 वर्ष की सजा! पहले इन्हें फाँसी की सजा हुई थी जो बाद में सजा में परिवर्तित हो गयी।

क्रान्तिवीर बिरजा चमार

आत्मज धवल चमार, ग्राम डुमरी, थाना धौरा, चौरी–चौरा काण्ड धारा 302 के अन्तर्गत 1923 में 5 वर्ष की सजा।

क्रान्तिवीर मंडी चमार

आत्मज मुरली चमार, ग्राम मदनपुर, गोरखपुर, चौरी–चौरा धारा 302 के अन्तर्गत 1922 में 5 वर्ष की सजा।

क्रान्तिवीर मेढ़ई चमार

आत्मज बुधई चमार गोरखपुर, चौरी–चौरा काण्ड में धारा 302 के अन्तर्गत 1923 में 5 वर्ष की सजा।

क्रान्तिवीर रघुनाथ पासी

आत्मज बरन पासी, थाना चौरा, गोरखपुर, चौरी–चौरा काण्ड में धारा 302 के अन्तर्गत फाँसी की सजा हुई थी जो बाद में बदलकर 5 वर्ष की सजा में परिवर्तित हो गई।

क्रान्तिवीर रामजस पासी

आत्मज जगरूप पासी, ग्राम करौता, थाना चौरी–चौरा, चौरा काण्ड में धारा 302 के अन्तर्गत फाँसी की सजा हुई थी जो बाद में अपील से परिवर्तित होकर 5 वर्ष की सजा हुई।

क्रान्तिवीर रामशरन पासी

निवासी गोरखपुर, चौरी–चौरा काण्ड में धारा 302 के अन्तर्गत 1923 में 8 वर्ष की सजा।[23]

सविनय अवज्ञा आंदोलन के दलित सेनानियों का विवरण –निम्न प्रकार है।

अमर शहीद बलदेव प्रसाद कुरील

बेलई डेरापुर कानपुर, कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। सन् 1932 में पुलिस स्टेशन पर धरना देने पर पुलिस की गोली से वीरगति को प्राप्त हुए।

अमर शहीद सुचित राम जयसवार (चमार)

निवासी, लाल कुआँ, लखनऊ, नारायण होटल कर्मचारी। सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया 26 मई 1939 को अमीनाबाद पुलिस चौकी फूंकने पर पुलिस द्वारा चलायी गई गोली से वहीं पर वीरगति को प्राप्त हुए।

क्रान्तिवीर बिन्देश्वरी

आत्मज श्री तपसी, ग्राम मुजहसा बुजुर्ग पिठौरा थाना कोठी भार गोरखपुर सविनय अवज्ञा आन्दोलन–1930 में एक वर्ष की सजा तथा 75/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर पूरन

आत्मज श्री दुली पासी, ग्राम क्रंदनी, विंसवा सीतापुर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 4 माह की सजा।

क्रान्तिवीर चौधरी परागी लाल

ग्राम दुर्गा पुरवा, कोतवाली सीतापुर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 6 माह की सजा, 50/–रू0 जुर्माना तथा 1932 में लगानबन्दी में 3 माह की सजा 25/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर शिवदयाल

आत्मज श्री गंगापासी, गाम डोरामऊ, थाना गौरीगंज सम्प्रति मठिया, सुल्तानपुर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1933 में 6 माह की सजा, 50/–रू0 जुर्माना। जुर्माना न अदा करने पर 6 सप्ताह की सजा।

क्रान्तिवीर भूसा पासी

आत्मज बदलू पासी, बरवां सलोन–रायबरेली। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर रमई कुरील

टयला बरौला, डाकखाना राजामऊ,रायबरेली। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर रघुबर चमार

आत्मज श्री हीरा लाल चमार, गोरखपुर, सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 4 माह की सजा।

क्रान्तिवीर रामदुलारे चमार

आत्मज श्री मनराल चमार, ग्राम नउआ डुमरी थाना सहजनवां, गोरखपुर सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में एक माह की सजा, 20/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर सहबली पासी

आत्मज श्री विदेशी पासी, ग्राम –डुमरी झगहा, गोरखपुर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930–31 में 6 माह की सजा, 40/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर सुखराज

आत्मज श्री शीतल, ग्राम–थाना महर जगंज गोरखपुर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर उमराव

आत्मज नायक चमार, गोरखपुर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 16 माह की संजा, 50/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर गोपीदास सूर

आत्मज श्री जवाहर खटिक, ग्राम वीरपुर, इमलिया, थाना इटिया थोक, गोंडा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा, 50/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर रामदुलारे कोरी

आत्मज श्री भवानी, ग्राम व थाना दोस्तपुर, रायबेरली। सिघौली संघर्ष में 3 माह की सजा।

क्रान्तिवीर छोटेलाल पासी

आत्मज श्री इन्दल, ग्राम भौली, डाकघर बक्शी का तालाब थाना मड़ियांव, 13 लखनऊ सविनय अवज्ञा आन्दोलन में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर टीकाराम पासी

आत्मज राम गुलाम, ग्राम दाउदपुर, लखनऊ। सविनय अवज्ञा आन्दोलन जनवरी 1932 में 5 माह की सजा।

क्रान्तिवीर रामबक्स कोरी

आत्मज चुरई, ग्राम हरिकुंवर खेड़ा निगोंहा, लखनऊ। सविनय अवज्ञा आन्दोलन, 23 जनवरी 1932 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवरी चंद्रिका प्रसाद पासी

ग्राम मौली थाना मडियांव लखनऊ। सविनय अवज्ञा आन्दोलन 23 जननरी 1932 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर पहलवान पासी

आत्मज श्री गजाधार, ग्राम शेरपुर मऊ थाना काकोरी, लखनऊ। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर घिर्रऊ

आत्मज श्री सुखराम कोरी, गाम बलरामपुर, गोंडा। सविनय–अवज्ञा आंदोलन सन् 1932 मे 3 माह की सजा, 50/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर बदलू पासी

आत्मज श्री जयपाल पासी ग्राम बलराम पुर गोंडा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 को 6 माह की सजा, 50/– रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर बदलू कोरी

आत्मज श्री भोंदू उर्फ खच्चू कोरी, ग्राम सहजीत, कौड़िया, गोंडा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 3 माह की सजा, 50/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर राम लखन

आत्मज श्री बदलू कोरी मोहल्ला महराज गंज, गोंडा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 2 माह की सजा। 50/–रू0 जुर्माना। पुनः 1932 में 6 माह की सजा तथा 20/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर सकटू

आत्मज श्री सूरजबली कोरी, ग्राम कटेसर थाना उतरौला, गोंडा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 5 माह की सजा, 20/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर शांति प्रसाद

आत्मज श्री रामप्रसाद कोरी, ग्राम तुलसीपुर बाजार, गोंडा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन में 6 माह की सजा, 20/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर सुमई

आत्मज श्री शंकर कोरी, ग्राम बलरामपुर, नगर गोंडा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा, 100/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर छेड़ई

आत्मज नरायण लाल पासी, रूपन पुरवा, भानपुर, खीरी। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा, 25/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर मोहन लाल

आत्मज श्री बलदी राम धोबी, ग्राम रौती, डाकघर काठिया खीरी। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा, 25/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर पूरनमासी

आत्मज श्री मदन चमार, देवरिया। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में एक वर्ष की सजा तथा 50/–रू0 जुर्माना, जुर्माना न देने पर 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर छत्तर पाल

आत्मज श्री भवानी धोबी, ग्राम पामा, थाना जैतपुर, आगरा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 3 माह की सजा तथा 20/ रू0 जुर्माना। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा।

क्रान्तिवीर छेदा लाल

आत्मज श्री सांवलिया धोबी–ग्राम साईपुरा थाना मलपुरा, आगरा। नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आन्दोलन 21 नवम्बर, 1930 को 6 माह की सजा तथा 50/– रू0 जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 माह की अतिरिक्त सजा।

क्रान्तिवीर पूरनमल जाटव

आत्मज श्री कल्लू जाटव, फतेहपुर सीकरी (आगरा) सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा तथा 20/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर भजन लाल

आत्मज श्री करन सिंह जाटव, फतेहपुर सीकरी ग्राम आगरा, सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा तथ 20 रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर तिल्लर उर्फ पिल्लर पासी

आत्मज श्री भोला पासी, ग्राम एवं थाना महाराज गंज, गोरखपुर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा तथा 50/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर सूरजबली

आत्मज श्री बिहारी, छावनी बाजार, बहराइच। नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर कंघई पासी

आत्मज श्री गंगा पासी,ग्राम डोरामऊ, थाना गौरीगंज, सम्पति मठिया, सुल्तानपुर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1933 में 6 माह कीसजा, 50/–रू0 जुर्माना, जुर्माना न देने पर 6 सप्ताह की सजा।

क्रान्तिवीर कोख पाल

आत्मज श्री कूसे कोरी, ग्राम अगसौली, सिकन्दराराऊ, अलीगढ़। नमक सत्याग्रह (सविनय अवज्ञा आन्दोलन) में 1 माह की सजा।

क्रान्तिवीर चिल्लू चमार

आत्मज श्री शिवराम चमार, ग्राम खुरभर शुक्ल, थाना देवरिया, सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 3 माह की सजा तथा 50/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर बलीकरन पासी

आत्मज श्री सहतू पासी, ग्राम नउआ डुमरी, थाना झगहा, गोरखपुर। सन् 1930 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में 4 माह की सजा तथा 50/– रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर अमीचन्द

आत्मज मूलचन्द, पिथौरागढ़। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 1 वर्ष की सजा, 50 रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर जयनन्द भारतीय

आत्मज श्री छविलाल सिरती (अनु0जाति) शिल्पकार, जन्म 17 अक्टूबर, सन् 1881 ग्राम अरकंडई सावली, गढ़वाल। राजद्रोह में गिरफ्तार, 1 वर्ष की सजा।

क्रान्तिवीर रामप्रसाद पासी

जनपद खीरी, सन् 1930 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के अन्तर्गत 1 वर्ष की सजा।

क्रान्तिवीर झब्बल रैदास

ग्राम नवरंगाबाद, पोस्ट बिजवा, खीरी। नमक सत्याग्रह (सविनय अवज्ञा आन्दोलन) सन् 1930 में 1 वर्ष की सजा।

क्रान्तिवीर भभूति चमार

आत्मज श्री बुझावन चमार, जिला गोरखपुर,। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा 50/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर अजुद्धी धोबी

आत्मज श्री क्षेत्रा धोबी, ग्राम विलीरपुर, उसराहार, इटावा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में सक्रिय कार्यकर्ता, 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर अयोध्या चमार

आत्मज श्री हुलासी चमार, ग्राम नगला पतीवां बकेवर, इटावा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन 1932 में 6 माह की सजा तथा 50/–रू0 जुर्माना एवं 1941 में व्यक्तिगत आन्दोलन में 9 माह की सजा और 50/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर कमले चमार

आत्मज श्री घिस्सू चमार, ग्राम बरौली, इटावा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन 1931 में 8 माह की सजा।

क्रान्तिवीर घुम्मन चमार

आत्मज डुम्मर चमार, ग्राम रायपुर, इटावा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1931 में 6 माह की सजा 5 रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर दुर्गा धानुक

आत्मज श्री गंगादीन धानुक, भरौली, इटावा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1931 में 8 माह की सजा।

क्रान्तिवीर धनपत चमार

आत्मज श्री जवाहर चमार, नौकापुर उछल्दा, इटावा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1931 में 1 वर्ष की सजा तथा 50/– रू0 जुर्माना न देने पर अतिरिक्त 3 माह की सजा।

क्रान्तिवीर जोखई लाल धोबी

आत्मज श्री मंगल धोबी ग्राम कोड़हार, इलाहाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर तालुक

शम्भू का पुरा जौसिया, इलाहाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर बनवारी चमार

आत्मज श्री हरी चमार, ग्राम भीखेपुर अजीतमल, इटावा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 6 माह की सजा, 10/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर भुल्लू कोरी

आत्मज श्री चुन्नी अछल्दा, इटावा। स वेनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 1 वर्ष की सजा तथा 50/– रू० जुर्माना, जुर्माना न देने ' र 3 माह की अतिरिक्त सजा।

क्रान्तिवीर रामलाल चमार

आत्मज श्री किशोर, चण्डूला बिल्हौर कानपुर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा, 35/–रू० जुर्माना।

क्रान्तिवीर हीरालाल धानुक

आत्मज श्री भगवानदीन धानुक, बतघ रामऊ पुखरायां, कानुपर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 2 माह की सजा।

क्रान्तिवीर कंघई लाल

आत्मज श्री सन्त पाल घुसिया मकान नं0 76/486 कुली बाजार, कानपुर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 6 माह की सजा सन् 1932 में 6 माह की सजा तथा सन् 1942 में भारत छोड़ों आन्दोलन में 8 माह की सजा पाई।

क्रान्तिवीर कल्लू राम कोरी

आत्मज जयलाल–नोनारी, कानपुर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर गोवर्धन धानुक

आत्मज श्री मक्का धानुक, राधरा, बिल्हौर, कानुपर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 2 वर्ष की सजा।

क्रान्तिवीर शीतल पासी

अमरोहा, मुरादाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 6 माह की सजा तथा 50/–रू० जुर्माना

क्रान्तिवीर दुलारा

आत्मज श्री ननहुआ पासी, बजरी, फतेहपुर सन् 1932 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर रघुबर पासी

ग्राम नौनारा, बिंदकी, फतेहपुर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन व लगानबन्दी में जबरन वसूली में तहसीलदार की हत्या में आजन्म कारावास।

क्रान्तिवीर बद्री प्रसाद

आत्मज श्री छेदा लाल कोरी, चिल्ली, डाकघर बिरनई, फतेहपुर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1931 में 6 माह, सन 1941 व्यक्तिगत सत्याग्रह में 6 माह तथा भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 6 माह की सजा सन् 1962 में विधायक निर्वाचित।

क्रान्तिवीर रहिमाल कोरी

थाना थरियांव, फतेहपुर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 तक तीन बार जेल यात्रा।

क्रान्तिवीर शिवरतन चमार

आत्मज श्री झाऊलाल चमार बिछलपुर, हथगांव फतेहपुर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 1 वर्ष की सजा।

क्रान्तिवीर अंगद कोरी

आत्मज श्री सूरज प्रसाद कोरी, कन्नौज, तलैयापुर, फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा तथा 10/-रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर केसरी

आत्मज श्री उमराव चमार, ग्राम मुहल्ला तलैया फतेहगढ़, फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर घासी चमार

नाजी टोला, कन्नौज, फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर जयचंद

आत्मज श्री हल्लू कोरी, पपियापुर ठठिया, फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा तथा 25/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर ढाकन कोरी

आत्मज श्री ईश्वरी, ग्राम जसपारापुर, कन्नौज, फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 5 माह की सजा।

क्रान्तिवीर दरशन चमार

आत्मज श्री लोचन चमार, तिलकापुर, कन्नौज, फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा तथा 10/- रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर दुलारे धोबी

आत्मज श्री रामचरन धोबी, भगरा ठठिया, फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर नत्थू धोबी

आत्मज श्री छेदा धोबी, हरनपुर शमसाबाद, फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 5 माह की सजा तथा 15/–रू0. जुर्माना।

क्रान्तिवीर फुल्ला

आत्मज श्री उमराय चमार, भलकापुर, कन्नौज। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 6 माह की सजा तथा 50 रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर बुलाकी

आत्मज श्री बैजनाथ चमार–जलालाबाद, फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 8 माह की सजा।

क्रान्तिवीर भीमसेन

आत्मज श्री झिंगुरी धोबी, अकमेलपुर कमालगंज, फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर मिठूलाल

आत्मज श्री हीरालाल कोरी, कन्नौरा बलारपुर, फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर मुल्ला

आत्मज श्री सुब्बा पासी, सिढ़चकरपुर राजेपुर, फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर मुल्ला

आत्मज श्री मिम्मा पासी, राजेपुर फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर ननकू कुरील

आत्मज श्री नोखे बिल्हौर, कानपुर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर डोढ़े कोरी

आत्मज श्री किशन, ग्राम तुलसीपुर, गोंडा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर साहबदीन धोबी

आत्मज मगल, तुलसीपुर, बाजार गोंडा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर रामदयाल

आत्मज श्री मधुरी, सकतपुर, इन्दरगढ़, फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 3 माह की सजा।

क्रान्तिवीर रामलाल

आत्मज मखन चमार, तिरसरा ठठिया, फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1931 में 3 माह की सजा तथा सन् 1932 में 1 माह की सजा।

क्रान्तिवीर लल्लू

आत्मज श्री गणेश धोबी, ठठिया, फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 6 माह की सजा।

क्रान्तिवीर लोहारी धोबी

आत्मज श्री पहलवान धोबी, अपरचा अकरातकीपुर कायमगंज, फ़र्रूखाबाद सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन 1932 में 6 माह की सजा, 10/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर सीताराम उर्फ कालीचरन

आत्मज श्री गिरधारी चमार, फिरोजपुर इन्दरगढ़, फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 6 माह की सजा तथा 25/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर सुब्बा

आत्मज श्री मंगल चमार, बरगांवपुर सहायगंज, फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन 1 वर्ष की सजा।

क्रान्तिवीर हुकुमचंद

आत्मज श्री रामचन्द्र चमार, फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा, 10/–रू0 का जुर्माना।

क्रान्तिवीर हुल्ला

आत्मज श्री चन्दन कोरी, जलाहाबाद, फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 6 माह की सजा तथा 25/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर हीरी धानुक

आत्मज पर्वत धानुक, पिरगांव फर्रूखाबाद। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 6 माह की सजा तथा 25/–जुर्माना।

क्रान्तिवीर राजाराम पिप्पल

ग्राम बागारोल, तहसील खैरागढ़ आगरा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 6 माह की सजा, पुनः सन् 1932 में 1 वर्ष की सजा

क्रान्तिवीर नारायन

कस्बा फतेहाबाद, आगरा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 तथा 1932 में 1 वर्ष की सज़ा।

क्रान्तिवीर अंगने

आत्मज श्री छोटे खटिक, तामसेनगंज, सीतापुर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 3 माह की सजा।

क्रान्तिवीर खैराती खटिक

तामसेनगंज, सीतापुर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1930 में 6 माह की सजा तथा 30/–रू0 जुर्माना।

क्रान्तिवीर गजाधर प्रसाद

आत्मज तिलक पासी, संख्यापुर महमूदाबाद, सीतापुर। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन् 1932 में 4 माह की सजा तथा 10/–रू0 जुर्माना।24

व्यक्तिगत सत्याग्रह में दलित सेनानी का विवरण –निम्न प्रकार है।

नारायण दास चमार

आत्मज श्री पुत्ती लाल, लाटूश रोड, लखनऊ

व्यक्तिगत आन्दोलन 6 जनवरी, सन 1941 में 1 वर्ष की सजा। म्युनिसिपल कमिश्नर, जिला परिषद् तथा विधान सभा के सदस्य रहे।

बाबादीन कोरी

आत्मज उलास, मोहनलालगंज, लखनऊ

व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त सन् 1940 में 6 माह की सजा।

मोहन लाल

आत्मज मेड़ई पासी, लखनऊ

व्यक्तिगत सत्याग्रह 1941 में डेढ़ वर्ष की सजा।

मैकूलाल

आत्मज श्री मितई पासी, गौरी थाना बंथरा, लखनऊ

व्यक्तिगत सत्याग्रह में 1 वर्ष की सजा।

रामदयाल

आत्मज मैकू पासी, भरोसा, लखनऊ

व्यक्तिगत आन्दोलन सन् 1941 में एक वर्ष की सजा, 65/–जुर्माना

टीकाराम

आत्मज डल्ला चमार, ग्राम थाना बंथरा, लखनऊ

व्यक्तिगत आन्दोलन सन 1941 में 8 माह की सजा, 20/–जुर्माना

उमराव

आत्मज बदलू चमार, ग्राम सोहापुर, थाना इटौजा, लखनऊ

व्यक्तिगत सत्याग्रह 24 अप्रैल सन् 1941 में 1 वर्ष की सजा।

जगन्नाथ प्रसाद

आत्मज श्री डोरी लाल चमार, भटगांव बंथरा, लखनऊ

व्यक्तिगत आन्दोलन 24 अप्रैल सन् 1941 में डेढ़ वर्ष की सजा, 20/–जुर्माना।

कंधई

आत्मज श्री खरगी, भटगांव लखनऊ

व्यक्तिगत आन्दोलन 12 अप्रैल सन् 1941 में 18 माह की सजा, 20/–जुर्माना

सत्तन पासी

आत्मज श्री नैपाल पासी, तिवारीपुर, पहाड़ा, मिर्जापुर

व्यक्तिगत आन्दोलन सन् 1941 में 3 माह की सजा, 10/–जुर्माना

सठोले कोल

आत्मज छोटई, जन्म 1912, ग्राम मौलनिया, लालगंज, मिर्जापुर व्यक्तिगत सत्याग्रह में 3 माह की सजा, 20/–जुर्माना

खेमराज चमार

आत्मज विपती, ग्राम धनीराम, थाना श्याम देवरहा

व्यक्तिगत सत्याग्रह में 1 वर्ष की सजा।

नन्हेदास कुरील

आत्मज श्री खेखारू, जन्म सन् 1911 ग्राम व डाकघर राजपुर, रायबरेली

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में 1 वर्ष की सजा, 50/–जुर्माना।

शिवराग चौधरी

आत्मज भीखू मुबारकपुर, रायबेरली

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 1 वर्ष की सजा, 30/–जुर्माना

सूबा

आत्मज रामचरण पासी, विसहिया, पुरवा सलौन, रायबरेली

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 1 वर्ष की सजा, 50/–जुर्माना

बल्देव धोबी

आत्मज सकदू धोबी आयजा, इटावा

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में सजा

दयाराम धानुक

आत्मज नंगल धानुक, कानपुर, इटावा

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 6 माह की सजा, 30/–जुर्माना

निक्सन

आत्मज रामशरण रावत, जैतपुरा, इटावा

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 6 माह की सजा

निरंजन

आत्मज रामदयाल चमार, नगला पतिया विधूना, इटावा

व्यक्तिगत आन्दोलन सन् 1941 में 6 माह की सजा, 25/–जुर्माना अतिरिक्त 6 सप्ताह की सजा।

अयोध्या चमार

आत्मज श्री हुलसी चमार, नगला पतिवार बकेवर, इटावा

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 9 माह की सजा, 50/–जुर्माना।

गिरधारी धोबी

आत्मज गुमानी धोबी, चगकुनी, इटावा

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 9 माह की सजा, 25/–जुर्माना न देने पर एक वर्ष की और सजा।

दुर्गाप्रसाद पासी

आत्मज धोबी, चगकुनी इटावा, कानपुर

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 6 माह की सजा, 20/–जुर्माना

मैकू

आत्मज छिदानी

व्यक्तिगत आन्दोलन सन् 1941 में 6 माह की सजा, 10/–जुर्माना

लालताप्रसाद

आत्मज भगोले, ग्राम मलुहिया दसौंधी, थाना इकौना, बहराइच

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 6 माह का सजा, 50/–जुर्माना।

शम्भू दत्त

नन्दवन थाना फखरपुर, बहराइच

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 6 माह की सजा, 10/–जुर्माना।

पलम्बी राय

आत्मज रामदीन, ग्राम एवं डाकघर मटेरा, फैजाबाद

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 1वर्ष की सजा।

अयोध्या चमार

आत्मज दुबरी चमार मोहम्मदपुर बसखारी, फैजाबाद
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 15 दिन की सजा, 25/--जुर्माना।

गुनई चमार

आत्मज जगेश्वर जलालपुर, फैजाबाद
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 3 माह की सजा।

बसंत पासी

आत्मज रामधन, ग्राम लालपुर, थाना झगहा, गोरखपुर
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 6 माह की सजा, 50/–जुर्माना।

विभूति चमार

आत्मज सम्पत चमार, ग्राम तिधरा थाना मनीला, गोला, गोरखपुर
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 1 वर्ष की सजा।

रामलाल

आत्मज बिहारी लाल पासी, दौलतपुर, पोस्ट बाँकेगंज, खीरी
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 1वर्ष की सजा।

शम्भर

आत्मज बदलू रैदास सकेतु, रामपुर, पोस्ट भीखमपुर, खीरी
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 9 माह की सजा, 40/–जुर्माना।

छेदालाल

आत्मज उजार लाल पासी, ग्राम गाजियापुर जिला खीरी
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 9 माह की सजा।

छेदीलाल

आत्मज धुन्नू रैदास, रामपुर, पोस्ट भीखमपुर, जिला खीरी
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 9 माह की सजा, 40/–जुर्माना।

छेदूलाल

आत्मज दीनाराम पासी, खानपुर गुरेला ओयल, खीरी
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 9 माह की सजा, 40/–जुर्माना।

दनकूदास

आत्मज उम्मेद लाल धोबी, मूडा गालिब, पोस्ट रेहरिगा, खीरी
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 9 माह की सजा, 40/–जुर्माना।

चेतराम कोरी

आत्मज अनन्तराम कोरी, बनवारी मार्ग डाकघर बरबर, जिला खीरी
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 9 माह की सजा, 15/–जुर्माना।

चेतराम

आत्मज बलदेव प्रसाद धोबी, भूलनपुर, खीरी
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 1वर्ष की सजा, 40/–जुर्माना।

भिखारी लाल

आत्मज हुसैनरी खटिक, जिला खीरी

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 9 माह की सजा, 60/–जुर्माना।

भोलानाथ जार खटिक

आत्मज हुसैनी खटिक, जिला खीरी

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 1 वर्ष की सजा, 60/–जुर्माना।

गंगाराम

आत्मज तेजीराम रैदास, खानपुर गुरैला, पोरट ओयल, खीरी

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 9 माह की सजा, 40/–जुर्माना।

पुत्तुलाल

आत्मज डोरीलाल नट, मोहम्मदाबाद भीखमपुर, खीरी

व्यवितगत सत्याग्रह सन 1941 में 9 माह की सजा, 60/–जुर्माना।

रामाधार चमार

आत्मज महादेव चमार, ग्राम उमांव, बलिया

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 9 माह की सजा, 50/–जुर्माना।

राजाराम छिपी

सहारनपुर

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 6 माह की सजा, 1000/–जुर्माना।

इन्द्रसेन

अमावतपुर लक्सर, सहारनपुर

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 1 वर्ष की सजा।

मंशाराम

आत्मज छुट्टन किशोरपुर मंगोह, सहारनपुर

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 4 माह की सजा।

इंदल

आत्मज नारायण पासी, भवानी खंडा थाना हसनगंज, उन्नाव

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 1वर्ष की सजा, 20/–जुर्माना।

बिहारी चमार

आत्मज माधो, थाना बांगरमऊ, उन्नाव

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 4 माह की सजा।

मुलई दास

आत्मज जालिम रैदास जियनपुर

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 9 माह की सजा, 40/–जुर्माना।

रामदीन

आत्मज मज्जा रैदास, ग्राम रामपुर, पोस्ट भीखमपुर

व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 1 वर्ष की सजा, 50/–जुर्माना।

मैकूलाल

आत्मज जीवन पासी, ग्राम बाबरपुर, बिलासपुर बांकेगंज
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 1 वर्ष की सजा, 25/–जुर्माना।

ननकू रैदास

आत्मज मन्दा रैदास, ग्राम खमलिया, पोस्ट सिसौरा
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 1 वर्ष की सजा, 30/–जुर्माना।

रामलाल

आत्मज बिहारी लाल पासी, दौलतपुर, पोस्ट बांकेगंज
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 1 वर्ष की सजा, 30/–जुर्माना।

मेड़ई पासी

आत्मज ललतू पासी, ग्राम बेनीगंज, हरदोई
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 1वर्ष की सजा, 50/–जुर्माना।

बद्रीप्रसाद

आत्मज श्री भिखारी प्रसाद निवासी चिल्ली, थाना जहानाबाद, फतेहपुर
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 1 वर्ष की सजा।

दुर्गादीन

ग्राम कनाब, थाना कुन्डा
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 1वर्ष की सजा, 50/–जुर्माना।

बिन्देश्वरी

ग्राम बंधन, जिला प्रतापगढ़
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 1 वर्ष की सजा, 100/–जुर्माना।

भगवानदीन

ग्राम पींग, थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 1 वर्ष की सजा।

मगन कोरी

आत्मज श्री कोरी, ग्राम लाला का बाजार मनार संग्रामगढ़, प्रतापगढ़
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 1 वर्ष की सजा, 52/–जुर्माना।

बसन्त लाल

आत्मज श्री मुन्ना पासी, डालीगंज, लखनऊ
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 1वर्ष की सजा, बाद में विधान सभा के सदस्य बने।

खुशीराम

आत्मज कल्लू सिंह कोल्हापुरी, बिजनौर
व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1941 में 4 माह की सजा, 150/–जुर्माना।[25]

भारत छोड़ो आन्दोलन के दलित सेनानी

मैकूलाल चमार

आत्मज श्री पन्ना चमार, हाजीपुर, सीतापुर

भारत छोड़ों आन्दोलन 18 अगस्त सन् 1932 को मोतीलाल बाग कांड में अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए शहीद हुए।

शिवधन चमार

ग्राम पहाड़ीपुर, मधुबन, आजमगढ

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942, 15 अगस्त का मधुबन थाना पर प्रातः 10 बजे हुए गोलीकांड में मातृभूमि के लिए शहीद हुए।

झाऊलाल जाटव

उम्र 40 वर्ष, आत्मज श्री तोता राम जाटव, सागर पुरा, मुरादाबाद

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में ब्रिटिश सरकार की सेना द्वारा चलाई गई गोली से शहीद हुए।

रिखई धोबी

गाम गोइती बुजुर्ग, डाकधर किन्नर पट्टी, थाना निबुआ नॉरगिया, देवरिया

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में पुलिस की मार से वहीं पर आन्दोलन में शहीद हुए।

छुटकई

ग्राम व डाकघर विजय आफ, देवरिया

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में मंझले नाले पर बने हुए पुल को उड़ाते समय पुलिस की गोली से शहीद हुए।

रामचन्द्र धोबी

आत्मज श्री बाबूराम धोबी, ग्राम नौतन हथियागढ़, थाना रामपुर, देवरिया।

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में कचहरी पर झंडा लहराते हुए पुलिस की गोली से 19 अगस्त सन् 1943 को शहीद हो गये।

ननकऊ मेहतर उर्फ ननकाजी

उम्र 30 वर्ष मोहल्ला बक्सी बाजार, इलाहाबाद

भारत छोड़ों आन्दोलन 12 अगस्त सन् 1942 को कोतवाली पर झंडा फहराते हुए बलूच रेजीमेंट के सैनिकों की गोली में शहीद हुए।

रामसुभग

आत्मज श्री खूदी चमार, ग्राम नेवरी, बलिया, उत्तर प्रदेश

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में सियर गोलीकांड में पुलिस की गोली से शहीद हुए।

हरी चमार

आत्मज श्री दुखित चमार, ग्राम सुल्तानपुर, बलिया

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में रसड़ा गोली कांड में पुलिस की गोली से शहीद हुए।

रामजन्म गोण्डा

आत्मज श्री भोला, गोण्ड, ग्राम मिलकी तिवारी, जिला बलिया

भारत छोड़ों आन्दोलन 18 अगस्त सन् 1942 को बैरिया थाने की ओर जाते हुए जुलूस में पुलिस की गोली से शहीद हुए।

विद्यापति गोण्ड

जन्म 1918, ग्राम मिलकी, जिला बलिया

भारत छोड़ों आन्दोलन 1 अगस्त सन् 1942 में बेरिया थाने पर आक्रमण में पुलिस की गोली से शहीद हुए।

धेला दुसाध

जन्म 1910 ग्राम नेबरी, जिला बलिया

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में पुलिस की गोली लगने से शहीद हुए।

दूधनाथ

आत्मज श्री छेदी कोरी, जन्म 1882, ग्राम गध्वार, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में पुलिस की गोली से शहीद हुए।

शिवधन चमार

आत्मज श्री रामदयाल, जन्म जनवरी सन् 1920 ग्राम पहाड़ी पुर, जिला आजनगढ़, उत्तर प्रदेश

भारत छोड़ों आन्दोलन के सक्रिय कार्यकर्ता, सन 1942 में मधुबन कांड में शहीद हुए।

संतू निवास

आत्मज श्री धूर धोबी, ग्राम श्रीनगर सियारहा, जिला आजनगढ़, उत्तर प्रदेश

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में के सक्रिय कार्यकर्ता सन 1942 में सरसइयां नामक स्थान पर पुलिस की गोली से शहीद हुए।

लक्ष्मण

गोवर्धन मथुरा मूल निवासी बीकानेर,राजस्थान

सन् 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने पर जेल गये। उनको 21 जुलाई सन 1941 को एक वर्ष की सजा हुई, छूट कर आने पर वृन्दावन में राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व करते हुए 28 अगस्त सन् 1942 को शहीद हुए। उसी दिन मूला धोबी भयानक मार से घायल हुआ और सदा के लिए अपंग हो गया।

सन्नू धोबी

ग्राम सियारहा, डाकघर गौरी नाराणपुर, जनपद आजमगढ़

सन् 1942 भारत छोड़ों आन्दोलन सियारहा पटबंध गोली कांड में शहीद हुए।

पंचम पासी

ग्राम–मुंशीगंज, रायबेरली

असहयोग आन्दोलन सन् 1921 में मुंशीगंज गोलीकांड में शहीद हुए।

भारत छोड़ों आन्दोलन के क्रान्तिवीर

श्री बसंत लाल

आत्मज मुन्ना पासी, डालीगंज, लखनऊ

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 6 माह की सजा।

मानसिंह आजाद

आत्मज सरजू प्रसाद, बड़ा चाँदगंज, लखनऊ

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 1 वर्ष की सजा।

अवतार पासी

आत्मज अंगने पासी, जन्म सन् 1899, टिकरा पहाड़गढ़, रायबरेली

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 1 वर्ष की सजा।

बैजू धोबी

कुडरिबा, जौनपुर

सन् 1942 भारत छोड़ों आन्दोलन में पुलिस की गोली से घायल हुए।

गोकुल पासी

आत्मज बादल, ग्राम मीनापुर बदलापुर, जौनपुर

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 2 वर्ष की सजा।

कल्लू चमार

आत्मज सुमेर, ग्राम लल्लेपुर सराय ख्वाजा, जौनपुर

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 18 माह की सजा, 30 /—जुर्माना।

विश्वनाथ प्रसाद कंजड़

आत्मज काशी प्रसाद, मोहल्ला तारकापुर, मिर्जापुर

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में (माह की सजा।

हुबलाल

आत्मज जगमोहन, ग्राम बजहा कछहा मिर्जापुर

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 9 माह की सजा।

संमता राव जाटव

मौजा बरारा, तहसील सदर, आगरा

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 1 वर्ष की सजा।

छिवनू चमार

बिरना, वाराणसी

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 18 की सजा।

सुमेरराम चमार

थाना धानापुर, वाराणसी

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 10 वर्ष की सजा।

बिहारीलाल

आत्मज भिम्मा कोरी, ग्राम दुलीपुर, डाकघर रोशन नगर, खीरी

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 10 वर्ष की सजा।

बुद्धाराम

आत्मज कुंअर धोबी, परसेहरा डाकघर सिकन्दराबाद, खीरी

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में डेढ़ वर्ष की सजा, 40/—जुर्माना।

भगवानदीन

आत्मज कढ़ले पासी, ग्राम, पोस्ट संसारपुर, खीरी

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 8 साल की सजा।

भुवन

आत्मज हुलासी रैदास, ग्राम पसियापुर, बांकेगंज, खीरी
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 10 वर्ष की सजा।

भोलानाथ

आत्मज होरी रैदास, ग्राम बनिका पो0, उतरौलिया
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 9 माह की सजा, 50/-जुर्माना।

घासीराम

आत्मज बिहारी चमार, हरिपर्वत, आगरा
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में पकड़े गये, 6 माह नजरबन्द।

छोटेलाल

आत्मज अंगने पासी, रायपुर बांकेगंज खीरी
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 10 वर्ष की सजा।

काशीराम

आत्मज डल्ला कोरी दुलीपुर गिरंट बा0 रौशन नगर, लखीमपुर खीरी
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 7 साल की सजा।

खग्गाराम

आत्मज चेतराम कोरी, सरदारपुर बांकेगंज, खीरी
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 10 वर्ष की सजा।

चेतराम

आत्मज बलदेव प्रसाद धोबी, भूलनपुर, खीरी
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 12 साल की सजा, 20/-जुर्माना।

मनोहरलाल

आत्मज रामदयाल धानुक, ग्राम कुकहापुर, बांकेगंज, खीरी
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 10 वर्ष की सजा।

मंगूलाल

आत्मज डल्ला पासी, ग्राम मऊ, भूलनपुर, खीरी
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 10 वर्ष की सजा।

लक्ष्मन प्रसाद

आत्मज छेदालाल पासी, खर्म नगर, पोस्ट खैमहरा, खीरी
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 10 वर्ष की सजा।

सालिगराम

आत्मज शोभा रैदास, पसियापुर, पोस्ट बांकेगंज़, खीरी
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 10 वर्ष की सजा, तथा 12 बेंत।

समसेर

आत्मज़ पूरन कोरी, चूलीपुर, पोस्ट रोशन नगर, खीरी
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 7 वर्ष की सजा।

सुखदेव

आत्मज हरखू चमार ग्राम बिलदास वाराणसी
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 4 वर्ष की सजा।

सत्यनारायण

आत्मज चमारू, ग्राम सेवई, महमूदपुर, गाजीपुर
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 2 वर्ष की सजा, 15/-जुर्माना।

स्वरूप

आत्मज चमारन, ग्राम सदियाबाद, गाजीपुर
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में [illegible] वर्ष की सजा।

शिवपति

आत्मज़ राम ओतार पासी, निवासी मी[illegible]लपुर, तहसील मड़ियांव, जिला जौनपुर
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 2 वर्ष और 15 बेंत की सजा हुई।

श्रीनाथ

मऊनाथ भंजन, आजमगढ़
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 6 माह की सजा।

रावहित प्रसाद पासी

निवासी ग्राम ओइना, तहसील किराकत, जौनपुर
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 6 माह की सजा।

गोपीदास सूर

आत्मज जवाहर खटिक, बीरपुर इमलिया, थाना इटिया थोक, गौंड़ा।
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 1 वर्ष की सजा, 25/-जुर्माना।

रणंजय

आत्मज गज्जू पासी, महरौली नबाबगंज,इलाहाबाद
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 14 माह की सजा।

जवाहर लाल

आत्मज मोहन कोरी, कोतवाली, इलाहाबाद
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 6 माह की सजा।

बैजू पासी

आत्मज रग्घू पासी, बरछुनपुर सोंरावा, इलाहाबाद
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 2 वर्ष की सजा।

बंशी पासी

आत्मज दादू, मसौली बवनी कैथे मेजा, इलाहाबाद
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 1 वर्ष की सजा।

बिन्देश्वरी प्रसाद

आत्मज तुलसी, महेवा पट्टी पश्चिम एग्रीकल्वर इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद
भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 6 माह की सजा।

श्रीनाथ पासी

आत्मज देव पासी, सोरांव , इलाहाबाद

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 20 माह की सजा।

कंधई लाल

आत्मज रामलाल धुसिया, मकान नम्बर 76/486, कुली बाजर, कानपुर

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 20 माह की सजा।

मुन्ना रविदास

आत्मज छेदी लाल रविदास, ध्रुवमऊ बिल्हौर, कानपुर

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 1 वर्ष की सजा।

रामदीन रविदास

आत्मज कल्याण रविदास ढुलमऊ बिल्हौर, कानपुर

भारत छोड़ों आन्दोलन सन् 1942 में 1 वर्ष की सजा।

लल्लू रविदास

आत्मज भीखम धुलमऊ बिल्हौर, कानपुर

भारत दोड़ो आन्दोलन सन् 1942, में 6 माह की सजा।

सरजू प्रसाद कोरी

आत्मज रघुनाथ घाटमपुर, कानपुर

भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942, में 6 माह की सजा।

लालता प्रसाद

आत्मज भगोले, ग्राम चलुहिया दसौधी, थाना इकौना, बहराइच

भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942, में 18 माह की सजा।

धज्जू चमार

आत्मज सहादू चमार बसरवारी, फैजाबाद

भारत छोड़ो आन्दोलन 18 सितम्बर सन् 1942, से 13 नवम्बर सन् 1945 तक सजा।

पलम्पी राय (अ0जा0)

आत्मज रामदीन, ग्राम एवं डाक0 ‌खरा, फैजाबाद

भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942, में 18 माह की सजा।

रामखिलख चमार

आत्मज गुरदीन चमार, थाना बसरवारी, फैजावाद

भारत छोड़ो आन्दोलन 13 अगस्त सन् 1942, 3 अक्टूबर सन 1943 तक नजरबन्द।

प्रेमचन्द

आत्मज सुखवासी, खुदागंज, फर्रुखाबाद

सन 1942 के आन्दोलन में रेल्वे स्टेशन पर गुरसहायगंज बाल्यावस्था में झंडा फहराया और तार काटने पर पकड़े गए, 10 साल की सजा।

पंचानन्द घुसिया

आत्मज ब्रिज मोहन, गोरखपुर

भारत छोड़ो आन्दोलन 13 जुलाई सन् 1942 से 26 अक्टूबर सन् 1943 तक सजा।

बालकरन पासी

आत्मज सहतू पासी, ग्राम नव डुमरी। थाना झगहा, गोरखपुर
भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942, में 18 माह की सजा।

महावीर हरिजन

आत्मज लुट्टी, चौके टोला थाना कम्पियर गंज, गोरखपुर
भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942, में 15 माह की सजा।

जियउ चमार

आत्मज पलटू, ग्राम दोहरिया, थाना सहजनवा, गोरखपुर
दोहरिया काण्ड के सिलसिले में 1942 में 2 वर्ष की सजा।

दुर्गाप्रसाद

आत्मज भूधर पासी, ग्राम अमलिया मधई, पोस्ट मितौली, खीरी
भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942, में 5 वर्ष की सजा।

पूरनलाल

आत्मज भुवन रैदास, ग्राम पसियापुर बांकेगंज, खीरी
भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942, में 4वर्ष तथा 12 बेंत की सजा भी।

इतवारी

आत्मज बुद्धा रैदास, ग्राम नन्दापुर बांके गंज, खीरी
भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942, में 9 माह की सजा।

गोकुलराम

आत्मज पूरनलाल रैदास, ग्राम नन्दापुर, बांकेगंज, खीरी
भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942, में 9 माह की सजा।

डोरेलाल

आत्मज दैवी रैदास, ग्राम नन्दापुर, बांकेगंज, खीरी
भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942, में 9 माह की सजा।

भगवत

आत्मज डल रैदास, ग्राम नन्दापुर, बांकेगंज, खीरी
भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942, में 9 माह की सजा।

रघुबर दयाल घरकार

आत्मज गोबिन्द दास, ग्राम समथर, झांसी
भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942, मे 7 माह की सजा।

रामसेवक रावत

झांसी, भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942, में बम काण्ड में 3 वर्ष की सज़ा।

रंजनलाल धोबी

आत्मज गोविन्द दास, ग्राम समथर, झांसी
भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942, में 7 माह की सजा।

मेवाराम धानुक

ग्राम व पोस्ट कुकाउली, जिला इटावा
भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942, में 6 माह की कैद।

गंगाराम धानुक

ग्राम चकवा, कायस्तो, पोस्ट चकवा बुजुर्ग तहसील, जिला इटावा।
भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942, में 6 माह की सजा।

मोही

आत्मज दिवानी धोबी, खुर्मनगर केमहरा चिरौंजी पासी, ग्राम नौरंगाबाद खीरी
भारत छोड़ो आन्दोलन में 6 माह की सजा।

कमला हरिजन

ग्राम भरोसा, जिला लखनऊ
भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942, में 9 माह की सजा।

बैजू पासी

ग्राम ममराजपुर, पो0 बेनीगंज, जिला हरदोई
राष्ट्रीय आन्दोलन में 7 मार्च सन् 1941 से 31 मई सन् 1941 तक 3 माह 2 दिन की सजा। डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत 6 महीने की सजा तथा 50/— जुर्माना।

मवाशी राम

आत्मज भोखाराम, (अनु0जा0) ग्राम जैतरा, डाकघर छायापुर, बिजनौर
भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942, में भाग लिया, 2 वर्ष की सजा।

कन्हैया लाल बाल्मीकि

आत्मज श्री चैताराम, जन्म 14 मार्च सन् 1919 ग्राम सराय धारी कोट, बुलन्दशहर
भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। सन् 1942 से सन् 1943 तक फरार रहे। पकड़े जाने परसन् 1943 से सन् 1945 तक राजनैतिक बन्दी रहे।

मोहब्बती

ग्राम भरोसा, जिला लखनऊ
भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942 में 6 माह की सजा।

गाजीराम चमार

आत्मज सीताराम, छितवापुर पजावा, लाल कुआं, भुइयांरिन बगिया, लखनऊ
भारत छोड़ो आन्दोलन में 12 अगस्त सन् 1942 शराबखाने पर पिकेटिंग में गिरफ्तार, 1 माह की सजा, 75/—जुर्माना।

जवाहिर चमार

आत्मज श्री नरायण, संडीला, हरदोई
व्यक्तिगत आंदोलन सन् 1941 में 1 वर्ष की सजा।

रामबली

आत्मज श्री गुरदीन, कुडांसर, तहसील कैसरगंज, बहराइच
भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942, में 1 वर्ष नजरबन्द।

छोटे धोबी

आत्मज गुनई शौकरपुर चौबिया, इटावा
भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942, में 18 माह की सजा, 50/—जुर्माना

रामशंकर रविवासी

आत्मज डोरीलाल, आलमनगर, लखनऊ

सन् 1941 से सन् 1942 में 18 माह की सजा।

अयोध्या हरिजन

रामपुर जालौन

10 मई 1941 को गिरफ्तार, दो महीने की सजा और 100/– जुर्माना।

बाबू

एट, जालौन

व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन सन् 1941 में 4 माह की सजा और 50/– जुर्माना

भगवान दास

बंगरा, जालौन, 1941 में कांग्रेस आन्दोलन में 4 माह की कैद एवं 50/–जुर्माना।

दुलारे

रामपुर, जालौन

1941 के आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के अपराध में 4 माह की कैद एवं 10/जुर्माना।

गंगादीन

उरगांव जालौन

सन् 1941 के कांग्रेस आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के आरोप में 4 माह की कैद।

जगन्नाथ धोबी

उरई, जालौन

सन् 1941 के कांग्रेस आन्दोलन में भाग लेने के अपराध में 6 माह की कैद एवं 10/जुर्माना।

नन्दी

भदेख, जालौन

सन् 1941 के सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के अपराध में 8 अप्रैल को गिरफ्तार, 4 माह की सजा, 50/–जुर्माना।

नत्थू

कुथोड़ा, जालौन

1941 के सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के अपराध में 1 वर्ष की कैद एवं 50/ जुर्माना

श्री टीकाराम

लुहारी, जालौन

1941 के सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के अपराध में 1 वर्ष कैद और 20/जुर्माना।

मंगल लाल चर्मकार

गरौठा, झांसी

सन् 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में 1 वर्ष की कैद।

देवी बसोर

आत्मज श्री रमजू धनौरी, हमीरपुर

सन् 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के अपराध में 1 वर्ष 6 माह की कैद।[26]

आजाद हिन्द फौज के दलित सेनानियों का विवरण –निम्न प्रकार है।

अमर शहीद रामप्रसाद चमार

आत्मज श्री ओरी लाल, बेना झाबर, कानुपर

इम्फाल में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।

अमर शहीद भोलाराम जैराबारा चमार

वाराणसी

29 दिसम्बर सन् 1944 को मलाया में आजाद हिन्द फौज में युद्ध में शहीद हुए।

अमर शहीद कांशीराम

जन्म ग्राम छारा, जिला रोहतक, हरियाणा

सितम्बर सन् 1942 को सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज में भर्ती हुए। बर्मा में मडाले के निकट लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।

अमर शहीद गबड़राम

ग्राम खरखेरी, जिला हिसार, हरियाणा, आत्मज श्री कल्लूराम, भारतीय सेना में नायक

15 फरवरी सन् 1942 को सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज में भर्ती हुए थाईलैण्ड और वर्मा में काम किया। बर्मा में युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुए।

अमर शहीद बाबूलाल

आत्मज श्री नत्थू, छितवापुर, लखनऊ

सन् 1942 इम्फाल में युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए।

अमर शहीद कन्या राय

ग्राम चौक, जिला गुड़गांव, हरियाणा

इम्फाल में युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए।[27]

3–उत्तर प्रदेश की दलित महिला वीरांगनाये

उत्तर प्रदेश की दलित महिला वीरांगनाओं का जीवन्तम इतिहास–इस प्रकार है।

प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में झांसी की अमर वीरांगना झलकारी बाई (कोरी)

मेरठ छावनी में 10 मई, 1857 को भारतीय सैनिकों के सशस्त्र विद्रोह के साथ भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारम्भ हुआ। जो जंगल में आग की तरह देखते–देखते सारे उत्तर भारत में फैल गया था।

मातृभूमि की रक्षा एवं स्वतन्त्रता के लिये जहाँ हजारों क्रांतिवीरों ने विद्रोह और संघर्ष किया वहीं अनेक वीरांगनाओं ने भी स्वतन्त्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहूति दी। उन्हीं वीरागंनाओं की सिरमौर थी अमर शहीद वीरागंना झलकारी बाई।

वीरांगना झलकारी बाई अछूत वर्ग की उपजाति कोरी थी–उनके पति पूरन कोरी राजा गंगाधर राव के राजदरबार में मामूली सिपाही थे।

वीरांगना झलकारी बाई अपने पति के पैतृक पेशा–कपड़ा बुनने के कार्य को करती थीं वे एक आदर्श महिला थी– उनका परिवारिक जीवन अत्यन्त संघर्षमय था– कभी–कभी अपने

पति के साथ राजमहल में जाती थी। रानी लक्ष्मीबाई उनके व्यक्तित्व तथा सुन्दरता से बड़ी प्रभावित थी क्योंकि झलकारी बाई की मुखाकृति रानी लक्ष्मीबाई से हुबहू मिलती थी। धीरे–धीरे रानी लक्ष्मी बाई और झलकारी बाई में गहरी मित्रता हो गई थी।

वीरांगना झलकारी बाई बचपन से ही वीर प्रकृति की थी– उनमें उत्साह तत्परता जैसे प्रधान गुणों का समावेश था। इसके अतिरिक्त झलकारी बाई ने अपने पति पूरन से सभी सैनिक गुणों को प्राप्त कर तीर, तलवार–बन्दूक चलाना तथा घुड़सवारी में निपुणता प्राप्त कर ली थीं यह सैन्य-शिक्षा भविष्य में काम आयी। जब अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार करने का कुप्रयास किया तब भारतीय सैनिकों ने स्वेच्छा से तथा रानी लक्ष्मीबाई की इच्छा के विरूद्ध विद्रोह कर दिया।

कानपुर के बलवे का समाचार झाँसी पहुंचा। झाँसी में अंग्रेजों के सेनानायक कप्तान डेनयाल थे। रानी लक्ष्मीबाई का इस विद्रोह से कोई सम्बन्ध नहीं था। परन्तु अंग्रेजों की काली पलटन बागी हो गयी थी। इस सेना के हवालदार गुरूबक्श ने अचानक बलवा का झण्डा खड़ा किया, गोला बारूद जो कुछ था उस पर से अधिकार कर लिया, अंग्रेज नमक अंग्रेज इस युद्ध में मारा गया था। झाँसी के कमिश्नर साहब स्कीन का वध इसी समय पर हुआ था।

विद्रोह के दो दिन पहले मिस्टर गार्डन रानी लक्ष्मीबाई से मिले थे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का पूरा विश्वास किया था कि वह अंग्रेजों से विद्रोह नहीं करेगी। विद्रोहियों ने झांसी के किले पर कब्जा करने के बाद शहर में रानी लक्ष्मीबाई के महल को घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों को मार कर भगा दिया और यह सब हाल अंग्रेजों को लिख भेजा। सागर के कमिश्नर की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई झाँसी की शासक बन गई थी। झाँसी के कमिश्नर थिंक भी रानी लक्ष्मीबाई को पूर्ण अधिकार प्रदान कर चुके थे।

सदाशिव नारायन एक बड़ी सेना लेकर झाँसी के समीप पहुंचा करेरा पर हमला कर के उसने अंग्रेजों के थानेदार और तहसीलदार को मार भगाया और करैरा पर अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना लेकर करैला गई इनको देखकर सदाशिव नाराण डर कर भाग गया और करैरा पर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया।

झलकारी बाई का पति पूरन कोरी, भाऊ बख्श कोरियों की सेना के साथ अंग्रेजों का नर संहार कर रहे थे। इस समय संघर्ष अपनी चरम सीमा पर था झलकारी बाई–रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अधिक चितिंत थी कि कही रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के हाथ न आ जाय और अंग्रेज अपनी विजय पताका फहरा दें। ऐसी नाजुक स्थिति में झलकारी बाई ने बड़ी सूझ–बूझ से रानी से मंत्रणा की, कि वह अंग्रेजों के हाथ न आयें वरना अंग्रेजों के मनसूबे कामयाब हो जायेगें। रानी ने भी सुरक्षित स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट की तब झलकारी बाई ने उन्हें भांडेरी फाटक से अपने बफादार साथियों के साथ रवाना कर दिया।

संघर्ष की ऐसी भंयकर स्थिति में भी झलकारी बाई संतुलित थी। उनमें धीरता और वीरता का अनोखा संगम था निश्चय ही वह जितनी सरल थी उतनी ही साहसी और जितनी सौम्य उतनी ही शौर्यकल में दक्ष।

भांडेरी गेट से लेकर उभाव गेट तक युद्ध संचालन स्वंय झलकारी बाई कर रही थी तोपखाने को भी सम्भाल रखा था जबकि उनके पति पूरन और भाऊ आदि दूसरे स्थान पर अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे।

झलकारी बाई का चेहरा और व्यक्तित्व रानी लक्ष्मीबाई के समान था जो उस समय मूल्यवान सिद्ध हुआ तब रानी लक्ष्मीबाई किले के बाहर बहुत दूर जा चुकी थी और झलकारी बाई अपने को रानी लक्ष्मीबाई घोषित कर घोर युद्ध में अंग्रेजों का संहार कर रही थी। उनका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को सारे दिन लड़ाई में उलझाये रखना ताकि रानी लक्ष्मीबाई बिठूर के सुरक्षित स्थान तक पहुंच जाय। झलकारी बाई की यह योजना तो सफल रही परन्तु अंग्रेज उन्हें रानी लक्ष्मीबाई समझकर दिन भर लड़ते रहे।

दुर्भाग्यवश उनके पति पूरन कोरी अपनी मातृ भूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गये। झलकारी बाई को इस दुखद घटना की जब जानकारी हुई वे वहाँ पहुँचकर कुछ क्षणों तक भाव शून्य हो अपने पति के शव को देखती रही परन्तु भावतन्द्रा भंग होते ही अपने पति के चरणों को स्पर्श कर विद्युत तरंगों की तरह उछल कर घोड़े पर सवार हो अंग्रेज सेना पर घायल सिंहनी की भांति टूट पड़ी बहुत से अंग्रेज सिपाई और सेना अधिकारी झलकारी बाई के हाथों मारे गये।

घमासान युद्ध –प्रलय का तांडव से अंग्रेज सेना के पल भर में पैर उखड़ गये, झलकारी बाई अंग्रेजों के लिये मौत की आँधी बन चुकी थी तभी एक सनसनाती गोली उनके सीने को चीरते हुए आर–पार हो गयी। उनका घोड़े से गिरना क्या था कि शरीर सैकड़ों गोलियों से छलनी हो गया।

रानी लक्ष्मीबाई के प्रति सच्ची मित्रता, मातृभूमि की रक्षा और उसकी स्वतंत्रता के लिये अपने कर्तव्य का पालन करते हुए –वीरागंना झलकारी बाई वीरगति प्राप्त कर अमर हो गई।

वीरांगना झलकारी बाई का नाम भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि वह दलित समाज की थी। जिसका न राज्य था, न राजमहल न व रानी हो सकती थी और न अधिकारिणी, वे मात्र अपने देश मातृभूमि की रक्षा न स्वतन्त्रता के लिये अपने प्राणों को न्योछावर कर शहीद हो गई।

उनका बलिदान व आदर्श भारतीय समाज के लिये अनुकरणीय है।

सन 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में मुजफ्फरनगर की अमर वीरांगना महाबीरी देवी (भंगी)

सन 1857 स्वतंन्त्रता संग्राम नें जिला मुजफ्फरनगर का भी योगदान किसी से कम नहीं बल्कि कुछ मायनों में अधिक ही हो सकता है क्योंकि वहाँ की नारियों ने क्रांतिवीरों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर स्वतन्त्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी थी।

सभी जाति व धर्म की रक्षा में नारियों ने वीरता का परिचय दिया, उन लोगो ने टोलियाँ बनाकर अंग्रेजों से लोहा ही नहीं लिया बल्कि अपनी शौर्यता तथा एकता का अभूतपूर्व परिचय दिया जिससे अंग्रेज सैनिकों के दाँत खट्टे हो गए और वे मैदान छोड़कर भाग खड़े हुये।

अपने देश की रक्षा एवं स्वतंत्रता के लिये खुशी–खुशी प्राणों को न्यौछावर कर अमर होने वाली वीरांगनाओं में थी–वीरांगना महाबीरी देवी।

अमर वीरांगना महाबीरी देवी ग्राम मुंडभर भाजू तहसील कैराना जिला मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी।

वीरांगना महाबीरी देवी थी तो अशिक्षित फिर भी उनकी बुद्धि विलक्षण थी। शौर्यता तथा निर्भीकता उनकी विशेषता थी बाल्यावस्था से ही साहसी तथा शक्तिशाली होने के कारण वह तेज स्वभाव की थी।

गाँव की धनी, सम्पन्न व्यक्ति यदि किसी गरीब को सताता अथवा उत्पीड़ित करता था तो वह उस असहाय निर्बल के लिये बड़े व्यक्ति से टक्कर ले लेती थी और डटकर विरोध करती थी। उल्लेखनीय है यह वह जमाना था जब अछूतों को पशु से बदतर कीड़े मकोड़े की तरह समझा जाता था।

वीरांगना महावीरी की देवी ने मानो दीन दुखियों के लिये ही जन्म लिया था उन्होनें जीवन पर्यन्त न्याय के लिये लड़ने की प्रतिज्ञा ली थी और अपने को उनकी सेवा के लिये समर्पित कर दिया था।

धीरे–धीरे उनका यश चारो ओर फैलने लगा और जगह –जगह उनकी शौर्यता निर्भीकता तथा समाज के प्रति मर मिटने की भावना की चर्चा होने लगी।

वीरांगना महावीरी देवी का पारिवारिक जीवन बड़ा ही कष्ट मय था– उनके पिता सूप–पंखा बनाने का कार्य करते थे। जो उनका पैतृक कार्य के साथ–साथ जीवन यापन का साधन था। गरीबी बेकारी से पीड़ित होते हुए भी उन्होंने अपने मान–सम्मान पर कभी आँच नही आने दी। कभी भी खैरात व पकवान को स्वीकार नहीं किया बल्कि अपने जाति के लोगों को इसके लिये मना करती थी।

वीरांगना महाबीरी देवी ने अपने समाज की नारियों का एक संगठन बनाया जिसका उद्देश्य था घृणित कार्यो में लगी महिलाओं व बच्चों को हटाना और सम्मान के लिये जीना और सम्मान के लिये मरना।

अंग्रेजों ने जब मुज्फ्फरनगर को अपने अधिकार में लेने के लिये आक्रमण किया तब इन स्वाभिमानी नारियों ने अपने मातृ–भूमि की रक्षा के लिए अपने को समर्पित कर दिया।

वीरांगना महाबीरी देवी ने बाईस नारियों की एक टोली लेकर अंग्रेजों की सेना पर सशस्त्र आक्रमण कर दिया– अंग्रेजों को यह उम्मीद नही थी कि गाँव की महिलाएँ उन पर आक्रमण करेगी क्योंकि उन्हें लड़ाई करके भला क्या मिलने वाला था। परन्तु महाबीरी देवी अपनी दलित स्त्रियों की टोली में काँते और गड़ासे लेकर अंग्रेजी सेना से जा भिड़ी, घमासान युद्ध हुआ, अंग्रेज उनकी वीरता देखकर आश्चर्यचकित रह गये। कई अंग्रेज महाबीरी देवी के हाथों से मारे गये। परन्तु अंग्रेजों की सेना बहुत विशाल थी अंत में महाबीरी देवी तथा उकने साथ 22 अज्ञात दलित वीरांगनायें भी मारी गई।

देश को उनके त्याग और बलिदान पर हमेशा नाज रहेगा।[30]

ऊदा देवी पासी का बलिदान

लखनऊ में विद्रोह भड़का तो यहाँ की पासी जाति ने अपनी वीरता और कौशल दिखाया। सन 1857 ई0 में नबाब वाजिद अली शाह के कलकत्ते के मठिया बुर्ज किले में कैद किये जाने पर उनकी बैगम हजरत महल ने अंग्रेजों से संघर्ष छेड़ दिया। इनकी सेना में पासियों की एक टुकड़ी थी तथा बेगम हज़रत महल की स्त्री सेना में पासी जाति की ऊदा देवी सैनिक थी। अंग्रेजों ने जब लखनऊ पर हमला किया तो ऊदा देवी ने सिकन्दर बाग में पेड़ पर चढ़कर अपने को पत्तों में छिपाकर वहां पानी पीने आने वाले 36 अंग्रेज सैनिकों को मार डाला था। बाद में उसकी भी हत्या कर दी गई। उसके पति पक्का पारी पहले ही युद्ध में मारे जा चुके थे। अंत में अंग्रेजों की गोली से इस वीरांगना को वीरगति प्राप्त हुई, और इतिहास में सदा के लिए अमर हो गई।

संदर्भ ग्रन्थ सूची– अध्याय–4

1– नैमिषराय मोहनदास, स्वतंत्रता संग्राम के दलित क्रांतिकारी,पृ0–8

2– वही पृ.–13

3– वही

4– नैमिषराय मोहनदास स्वतंत्रता संग्राम के दलित क्रांतिकारी, पृ0–13

5– वही, पृ0–8

6– वही

7– डींकन् डी0सी0, स्वतंत्रता संग्राम में अछूतों का योगदान, पृ0–36

8– स्मरण, द्वारा आर0के0 चौधरी, दैनिक जागरण (समाचार पत्र) पृ0–10, अंक दिनांक 16 नवम्बर, 2003 में प्रकाशित

9– सरकारी अभिलेख–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का संक्षिप्त परिचय से

10– श्री आचार्य भगवान देव– भारत के अमर क्रांतिकारी पृ0–8–9

11– चिन्तामणि शुक्ल–एटा जनपद का राजनैतिक इतिहास

12– डी0सी0 डींकर– स्वतन्त्रता संग्राम में अछूतो का योगदानपृ–54

13– एम0आर0 विद्रोही – दलित दस्तावेज पृ0–75

14– डी0सी0 डीन्कर– स्वतन्त्रता संग्राम में अछूतों का योगदान पृ0–71–72

15– दलित साहित्य (वार्षिकी) 2005–पृ0 –220

16– डी0सी0 डीकर– स्वतंत्रता संग्राम में अछूतों का योगदान पृ0–51

17– श्री अमृतलाल नागर : गदर के फूल

18– योगेश प्रवीन – लखनऊ नामा

19– दलित साहित्य (वार्षिकी) 2005 पृ0 221

20– वही पृ0–222

21– डी0सी0 डींकर–स्वतंन्त्रता संग्राम में अछूतों का योगदान पृ0–78–79

22– डा0 विमलेश व भण्डारी– भारतीय आंदोलन का संवैधानिक विकास

23– दलित साहित्य (वार्षिकी) 2005–पृ0–222

24– डी0सी0 डीकर–स्वतंन्त्रता संग्राम में अछूतों का योगदान पृ0–73–75

25– वही पृ0–85–98

26– वही पृ0 112–120 (सभी पते सरकारी अभिलेख से)

27– वही पृ0 123–138 (सभी पते सरकारी अभिलेख से)

28– वही पृ0 140–141 (सभी पते सरकारी अभिलेख से)

29– वही पृ0 37–42 (सभी पते सरकारी अभिलेख से)

30– वही पृ0 43–44 (सभी पते सरकारी अभिलेख से)

31– दलित साहित्य (वार्षिकी) 2005 पृ0 219

पंचम अध्याय

उ0प्र0 में दलितों पर अत्याचार साक्ष्यों सहित

हमारा देश प्रत्येक वर्ष आजादी का जश्न मनाता है परन्तु दलित अपनी आजादी पर आज भी आंसू बहाता है। वह रोजाना लुटता है, पिटता है, मरता है। कहीं–कहीं दलितों के घर जलाए जा रहे हैं तो कही बहन–बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा हैं। दुल्हे को घोड़ी पर बैठने नहीं दिया जा रहा हैं। तो कहीं कहीं अच्छे कपड़े पहनने पर सामंतों की लाठियां पड़ती हैं। कभी–कभी मूंछें ऊपर करने पर जमीदार सरेआम गोली मारता हैं तो कभी–कभी धरना–प्रदर्शन करने पर पुलिस मारती है। कोतवाली या थाने में रिपोर्ट लिखने के बजाय गाली सुनाकर भगाया जाता है। कानून बनते हैं, आयोग बैठते हैं, पर ढाक के तीन पात ही नजर आते हैं।

भारत के इतिहास में दलित उत्पीड़न, बलात्कार की मानसिकता, देवदासी प्रथा कुप्रथाओं के नाम पर यौन उत्पीड़न आदि के उदाहरण समय–समय पर देखने को मिलते रहते है। इससे पुलिस की भूमिका, का क्या कहना हैं? कानून, दलित उत्पीड़न ही क्यों, उत्पीड़न के खिलाफ दलितों का संघर्ष, अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग, हरिजन एक्ट की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता हैं।

दलित उत्पीड़न पर संवेदनशील लोगों की आंखों से आँसू टपकते हैं। वे अपना माथा पीटते हुए कहते हैं, आखिर मनुवाद कब तक इस देश में जिन्दा रहेगा। दलित अस्मिता कब तक उजड़ती रहेगी। सच कहा जाए तो बुद्ध, अंबेडकर व कांशीराम ने अपना सम्पूर्ण जीवन मनुवाद के विध्वंस पर न्यौछावर कर दिया परन्तु मनुवाद नष्ट नहीं हो सका।[1]

हरदेव बाबा, आशाराम बापू तथा रमेश भाई ओझा बौद्ध धर्म का उपदेश क्यों नहीं देते? सच तो यह है कि छुआछूत शंकराचार्यो की तरह इनके अन्दर भी है। छुआछूत आदि जातिभेद हिन्दू समाज के प्राण हैं। इस बात की वेद–पुराण एवं स्मृतियों के रचनाकारों तथा शंकराचार्यो ने पुष्टि की हैं। इन्होंने ही इस देश में कानून को कानून ही नहीं रहने दिया। भारतीय संविधान को ताक पर रखकर मनुस्मृति के आधार पर सरकारी वकील, नेता, पुलिस अपनी कलम चलाती रही। उड़ीसा के भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक घोष के अनुसार दलितों पर अत्याचार के लिए मुख्य रूप से जातीयता की भावना, अस्पृश्यता, भूमि विवाद, ऋण, बंधुआ श्रम आदि उत्तरदायी है।

"आर्य धर्मगुरूओं ने जो कानून के भी निर्णायक थे, समय–समय पर ऐसे काले कानूनों की घोषणा की जिनसे शूद्र को मानव स्तर से ही नहीं बल्कि उसे अधिकार विहीन कर पशु–स्तर से भी नीचे गिरा दिया।" अत्याचारों का उत्प्रेरक श्रोत किसी न किसी रूप में भारत की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ माना है। आज का दलित विरोधी समाज चींटियों को चीनी खिलाता है। परन्तु दलितों को उनकी रोजी–रोटी से महरूप रखता है। आज हमें अपने पुरखों/पूर्वजों जैसी लतियां नहीं दोहरानी है। बल्कि उनसे सबक लेकर आगे बढ़ना है।

आजादी के बाद उत्पीड़न का तेवर बदला हैं। पहले छुआछूत बाहर से नजर आती थी, अब अन्दर से नजर आती हैं यानी हम कह सकते हैं। कि भाषा सूंघ कर संपादक, दलित लेखकों की रचनाओं को कूड़ेदान में डाल देता है। भाषा सूंघ कर परीक्षक नम्बर देता हैं। चेहरा देखकर परीक्षक प्रयोगात्मक परीक्षाओं में नम्बर देता है। उच्च शिक्षा में दलित शोधार्थी को गाइड बनने को कोई आसानी से तैयार नहीं। कुल मिलाकर यह साबित करती है कि "सरकारी संस्थान

हों या निजी स्तर के शैक्षिक संस्थान, सब में दलित छात्राओं का उत्पीड़न होता है"।[2]

बलात्कार की तो कोई सीमा ही नहीं है। देश की राजधानी जहाँगीरपुरी में एक दलित महिला के साथ 26 बार बलात्कार किया। हनुमानगढ़ के बेलापुर निवासी मनीराम मेघवाल की 16 वर्षीय बेटी भगवती के साथ दो वर्षो के दौरान लगभग 70 व्यक्तियों ने बलात्कार किया। सच तो यह है कि आजादी के बाद बलात्कार का ग्राफ बढ़ा है। कहीं 11 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार हुआ है तो कहीं भंवरी बाई जैसी महिलाओं के साथ बलात्कारियों की मानसिकता नहीं बदली उन्होंने सरेआम कानून तोड़कर बलात्कार किया हैं। बंटी उर्फ बलविन्दर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, सामूहिक बलात्कार का एक ऐसा मामला जिसमें पच्चीस वर्षीय विवाहित महिला के साथ बलात्कार करने वाले पांच अभियुक्तों को बाइज्जत बरी किया।[3]

सवर्ण समाज के लोग दलितों में बैठकर यह कहते है कि अब छुआछूत नहीं है। परन्तु गाँव–कस्बों से लेकर शहरों तक छुआछूत मौजूद हैं। जब–जब दलित अस्मिता का उदय हुआ तब–तब उन पर जुल्म अत्याचार हुए। दलित ब्रिटिश शासन में हाशिए पर थे और हिन्दू साम्राज्य वाले देश हिन्दुस्तान में भी हाशिए पर हैं।

स्वतंत्रता से पहिले कई आक्रमणकारी भारत आये और उन्होनें सम्पूर्ण भारतीय जनता पर अत्याचार ढाये। इस प्रकार शासन वर्ग द्वारा उत्पीड़न का शिकार तो इतिहास हमेशा से रहा हैं किन्तु देश और काल के अनुसार उनके शोषण और दमन की मात्रा में अन्तर रहा है। उन दिनों विशेष रूप से दलितों की स्थिति समाज में बहुत दयनीय थी।[4]

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नए संवधिान के लागू होने के साथ समाज के परम्परात्मक ढांचे में मौलिक परिवर्तन का सूत्रपात हुआ। स्वतंत्रता और समानता के आधार पर नए समाज की संरचना की गयी। निर्बलों को समानता वास्तविक रूप से प्राप्त हो, इसके लिए उन्हें सविधान में विशेष सुरक्षा उपाय प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया। इन नवीन सरंचनात्मक सम्बन्धों के स्थापित होने से समाज के परम्परात्मक सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न होना स्वाभाविक था। संक्रमणकालीन व्यवस्था में नवीन संरचनात्क परिवर्तनों के एक असोचित दुष्कार्य के रूप में कमजोर वर्गो पर अत्याचार स्वतंत्रता के पश्चात एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक समस्या थी।[5] दलितों पर अत्याचार का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें ऐसे सभी प्रकार के दबाब शामिल किये जा सकते हैं, जो दलितों को सामान्य अधिकारों के उपभोग से वंचित करते हैं। शास्त्रीय नियमों एवं सामाजिक प्रथाओं और परम्पराओं के द्वारा अनेक निषेध व अयोग्यतायें दलितों पर थोपी गयी।[6] जिसे मजबूरी समझ कर दलितों ने भूतकाल में दबाब वश स्वीकार किया था। इस भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का विरोध करने पर उनका उत्पीड़न भूतकाल में कोई विशेष अर्थ नही रखता था। स्वतंत्रता समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के पश्चात अन्य ऐसे कार्य जैसे एक महिला से जबरदस्ती प्रसूति गृह की सफाई करवाना चर्मकार को उसकी इच्छा के विरूद्ध मरे मवेशी को उठाने के लिए बाध्य करना, एक दलित वर को विवाह के अवसर पर जबरदस्ती पालकी से उतार कर पैदल चलने के लिए मजबूर करना, किसी दलित को मत (वोट) देने से रोकना अथवा विपक्षी को मत देने पर उसे प्रताड़ित करना आदि उनके प्रति न केवल सामाजिक अन्याय ही नहीं बल्कि अत्याचार भी है।

प्राचीन काल से ही दलितों पर अत्याचारों की सूची बहुत लम्बी है और अत्याचारों के स्वरूप भी अलग–अलग रहे हैं।[7] अत्याचार शक्तिशाली वर्ग द्वारा अपने हितों पर चोट पहुंचाने वालों को दबाने के लिए किए जाते हैं। दबाव की मात्रा, प्रकृति एवं स्वरूप में समय, स्थान एंव संदर्भ में अत्याचार व पीड़ित व्यक्ति के अनुसार भिन्नता हो सकती है।[8] दलितों पर अत्याचार की समस्या पिछले दशकों में एक गम्भीर सामाजिक समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। समस्या की गम्भीरता को देखते हुए हाल में केन्द्र और राज्य सरकारों ने इसके नियंत्रण एवं निवारण हेतु समन्वित एवं त्वरित कदम उठाए हैं। किन्तु स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

आज पूरे भारत में जहाँ एक तरफ आरक्षण एवं दलित वर्ग हेतु लागू बहुत सी योजनाओं को तुष्टीकरण की राजनीति व समानता के सिद्धान्त के विपरीत करता नजर आता है, वहीं शहरी सभ्यता में बस गए तमाम दलितों को भी लगता हैं समाज में दलित वर्ग की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। चाहे के० आर० नारायन का राष्ट्रपति बनना हो अथवा मायावती का भारत के सबसे बड़े राज्य उ०प्र० की मुख्यमंत्री बनना हो, ऐसा जाहिर किया जाता है कि दलित वर्ग के लोगों के इन सर्वोच्च पदों पर आसीन होने के पश्चात स्थिति में काफी सुधार आया है, पर ग्रामीण इलाकों में दलितों की स्थिति जस की तस लगती हैं। आज हम 21 वीं सदी में पहुँचकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं परन्तु आज भी छुआछूत की प्रथा जस की तस है। आज तमाम संवैधानिक प्रावधानों के बाबजूद भी 38 फीसदी सरकारी स्कूलों में दलित विद्यार्थियों के भोजन करने की व्यवस्था अलग से है और 20 फीसदी स्कूलों के बच्चों को उस पेयजल श्रोत से पानी पीने की इजाजत नहीं है, जिनका सहकारिता संगठनों में दलित दूसरी जाति के लोगों के साथ मिलकर नहीं बैठते। 23.5 फीसदी दलितों के घर डाक नहीं पहुँचायी जाती तो 33 फीसदी सरकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने दलितों के घर जाने से इन्कार कर दिया। यही नहीं लोकतंत्र के सबसे निचले पायदान पँचायती राज में भी 29.6 व 14.4 फ़ीसदी दलितों को पँचायती कार्यालयों व पँचायती भवनों में जाने से रोका गया। सहकारिता वाले 47 फीसदी गांवों में दलितों को सहकारिता या निजी क्रेताओं को दूध बेचने की अनुमति नहीं दी गयी तथा 25 फीसदी गॉव में दलितों को सहकारी डेयरियों से दूध खरीदने से रोका गया।[9] उक्त आंकड़े स्वयं दलितों की सामाजिक स्थिति बयां करते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण भारत में अस्पृश्यता से सम्बन्धित एक रिपोर्ट, जो कि 2001–2002 के दौरान 11 राज्यों के 565 जनपदों में किया गया था, भी दलितों की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं बताता। सर्वेक्षित गांवों में से 19 फीसदी में दलितों को नये कपड़े पहनने की अनुमति नहीं तो 10–17 फीसदी गॉव ऐसे भी हैं जहॉ दलित चप्पल और चश्मा नहीं पहन सकते। सर्वेक्षण के दौरान एक छात्र ने बताया कि 60 किलोमीटर दूर अपने स्कूल जाते समय वह पुराने कपड़े पहनेकर घर से निकलता है व रास्ते में स्कूल आने से पूर्व बदलकर नये कपड़े पहन लेता है और पुनः अपने गॉव पहुँचने के पूर्व ही वह पुराने कपड़े पहन लेता है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट की प्रस्तावना गौरतलब है–"संविधान में पर्याप्त प्रावधानों और अन्य कानूनों के बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि सामाजिक अन्याय और अनुसूचित जायितों, अनुसूचित जनजातियों एवं कमजोर तबकों का शोषण जारी है। भारत वर्ष अपने को एक गणतंत्र देश घोषित करने के बाद भी आधी सदी को अपमान

से गुजरना पड़ता है जो एक शर्म की बात है।" रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में दलितों के नागरिक अधिकारों की रक्षा व उनके विरूद्ध अत्याचारों को रोकने के लिए बने कानूनों के तहत सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में घटित निम्न घटनाओं पर गौर करना आवश्यक है, जो कि इस बात के सूचक हैं कि पर्याप्त संवैधानिक प्रावधान, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, सुनियोजित विकास, शिक्षा व तद्नुसार फैली जागृति भी समाज की वर्ण व्यवस्था से उपजी सोच को बदलने में असफल रही है[10]

प्रदेश में उत्पीड़न की घटनायें दिन प्रतिदिन होती रहती हैं। सभाचारपत्रों में इन घटनाओं हम पढ़ते रहते हैं। पुलिस की भूमिका इन मामलों में संदिग्ध होती हैं क्योंकि ये उत्पीड़न प्रायः ही प्रभावी लोगों से जुड़े होते हैं क्योंकि यही प्रायः उत्पीड़क होते हैं। लगभग प्रत्येक प्रहर कोई न कोई सामूहिक हत्याकाण्ड या सामूहिक बलात्कार या दलित महिला सें दुर्व्यवहार की घटना घटती ही रहती हैं। दलितों पर अत्याचार के बार में कोई भी सरकार (चाहे वह दलितों की सरकार ही क्यों न हो) अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती है। पक्ष, विपक्ष के नेता एक दूसरे के सिर पर दोषारोपण करने में ही मग्न रहते हैं। सम्पूर्ण प्रदेश में ही नहीं देश में भी आजादी के बाद दलितों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। दलित महिला, बालिका, किशोरी के साथ बलात्कार की घटनायें आये दिन प्रकाश में आती हैं।

उत्तर प्रदेश में दलितों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में 20 जनपद प्रथम श्रेणी में है। इनमें मेरठ, हमीरपुर, आगरा, बदायूँ फतेहपुर, इटावा, बाँदा, जालौन, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती तथा आजमगढ़ है।[11] द्वितीय श्रेणी के जनपदों में लखीमपुर खीरी, फैजाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, कानपुर, नगर, कानपुर देहात, इलाहाबाद, झाँसी, एटा, अलीगढ़, मैनपुरी, बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर, गाजीपुर, बुलन्दशहर हैं।[12]

प्रस्तुत विचार बिंदु में विशेष रूप से दलित वर्ग के ऊपर होने वाले घटनाओं को साक्षयों सहित बताया गया है।

1–कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के तिसड़ा गांव के दलित हंसराज की पत्नी किशोरी जानवर चराते–चराते धूप से बचनें हेतु एक सवर्ण के जामुन के पेड़ की छाँव में बैठ गई, तो सवर्णो ने उसे जाति सूचक गालियाँ देते हुए पेड़ को भ्रष्ट कर देने का आरोप लगाते हुए डण्डे बरसाए जिससे वह अधमरी हो गई। इतने पर ही गुस्सा न शान्त हुआ तो उसके हाथ को हंसिए से काटने की भी कोशिश की। रही सही कसर पुलिस ने रिपोर्ट न दर्ज करके पूरी कर दी।[13]

2–फतेहपुर के किशनुपर थाने के जिहरवा गाँव के निवासी चौधरी पासी ने एक रिश्तेदार की हत्या में नामजद सवर्ण आरोपियों के बार–बार कहने के बाबजूद जब मुकदमें में सुलह नहीं करायी तो उसकी पत्नी को इन लोगों ने रात में सोने के दौरान लाठियों से पीट–पीट कर मार डाला।[14]

3–फतेहपुर के ही धाता थाने के गोंडवापुर गाँव में बच्चों द्वारा दूसरे के खेत में पेड़ से गिरे आम बीनने को लेकर हुए विवाद में एक बच्चे के दलित पिता महाराजदीन की लाठी–डण्डों से पीट–पीटकर हत्या कर दी गई।[15]

4–महोबा के उरहट गाँव का एक दलित किसान शिवराम अहिरवार माँ की बीमारी की सूचनापर गाँव आया था एवं सवर्णो से किसी बात पर उसका विवाद हो गया। ऐसी स्थिति

में जब वह अपनी माँ की तेरहवीं के लिए कार्यो में व्यस्त था गाँव के चौराहे पर दबंगों ने उसे घेरकर दौड़ा–दौड़ा कर कुल्हाड़ियों से काटकर मौत के घाट उतार दिया।[16]

5–मैनपुरी के बेवर विकासखण्ड में स्थित दुर्जनपुर गांव के मुकेश जाटव का कसूर बस इतना था कि चुनावी रंजिश के तहत कच्ची मिट्टी की सड़क बनवाने को लेकर हुए गोलीबारी में अपने गाँव के भागे लोगों को उसने दिशा नहीं बतायी और नतीजन उसे जमकर पीटने के बाद आँखों में तेजाब डालकर अंधा कर दिया गया व प्रतिरोध करने पर उसकी पत्नी को भी पीटा गया।[17]

6–हमीरपुर के राठ थाने के मवई गाँव में एक दलित पन्नालाल को बेवजह एक पुलिस वाले ने इतना प्रताड़ित किया कि क्षुब्ध होकर उसने कुँए में छलांग लगाकर जान दे दी।[18]

7–कानपुर देहात मंगलपुर क्षेत्र के पिलख गाँव में श्यामबाबू नामक दलित की गलती मात्र इतनी थी कि गाँव के ही कुछ सम्पन्न लोगों के गुजरने पर उनके सम्मान में वह चारपाई से नहीं उठा। नतीजन, उन्होंने उसे तमंचे से गोली मार दी।[19]

8–कन्नौज जिले के छिबरामऊ स्थित गाँव आहिरूआ राजा रामपुर के श्यामसुन्दर जाटव ने अपनी माँ के अंत्योदय योजना के राशन कार्ड को प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निरस्त कर दूसरे के नाम करने की शिकायत बी0डी0ओ0 से कर दी तो इससे नाराज ग्राम प्रधान के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके घर में घुसकर बुरी तरह पीटा।[20]

9–अलीगढ़ में दलित समुदाय की एक लड़की के विवाह समारोह के दौरान दूल्हा जब हाथी पर बैठकर आया तो गाँव के सवर्ण समाज ने इस पर विवाद खड़ा कर दिया। अंततः किसी तरह पुलिस की मौजूदगी में शादी सम्पन्न कराई गई।[21]

10–अलीगढ़ के गाँव जमालपुर के निवासी बनवारी लाल बाल्मीकि की बारात में बारात जब बैंड–बाजे की धुनों पर मस्त होकर नाच रहे थे, तो गाँव के कुछ दबंगों को गाजे–बाजे के साथ चढ़ती एक दलित की बेटी की बारात नागवार गुजरी एवं बारात को रोक उन्होंने हाथापाई आरम्भ कर दिया। यही नहीं दबंगों ने वर के गले में पड़ी सोने की जंजीर व तकरीबन 11 हजार रूपए भी लूट लिए। इससे पहले अलीगढ़ के ही अंतरौली क्षेत्र के एक गाँव में भी दबंगों ने एक दलित की बारात नहीं चढ़ने दी थी।[22]

11–कानपुर में महराजपुर के हाथीगाँव के परचून की दुकान चलाने वाले दलित व्यक्ति जयनाराण द्वारा कुछ लोगों से पुराना उधार चुकाने की बात कहने पर उसे जमकर पीटा गया। यही नही प्रतिरोध करने पर उसकी पत्नी व पड़ोसियों के भी हाथ–पाँव तोड़ दिये व कईयों की बालियाँ व जंजीर तक नोंच लीं गयीं।[23]

12–अलीगढ़ के एक दलित किसान विजय सिंह जाटव क़र्ज लेने के बाद तकादे वालों से इतना आजिज आ गया कि उसने अपनी पत्नी व सात बच्चों को जलाकर मारने का प्रयास किया, पर सफल न होने पर स्वयं शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा ली।[24]

13–बांदा जनपद के नरैनी तहसील के आधा दर्जन गांव में दलित लोग सार्वजनिक कुँओं और हैंडपम्प से पानी नहीं ले सकते। अगर गलती से उन्होंने उसे छू लिया तो सवर्ण जाति के लोग इस अपराध के लिए दूर से उन पर ईंट फेंककर प्रताड़ित करते हैं। इसी प्रकार विद्यालयों

की कक्षाओं में भी दलितों के बच्चों को अलग बैठाया जाता है और अध्यापक को जब इन्हें मारना होता है तो डण्डा या जूता फेंककर मारता है। इन गाँवों के दलितों का न तो कोई अस्पताल में इलाज करता है और न ही ये ऊँचे चबूतरे या चारपाई पर अन्य जातियों के सामने बैठ सकते हैं। ऐसी हिमाकत करने पर उनकी जमकर पिटाई होती है।[25]

14—वाराणसी जिले की ज्ञानपुर तहसील का थाना औराई का गांव बेहड़ा गांव में 1972 ई0 में चमार जाति की औरतों ने सवर्ण जाति के यहां बच्चा होने पर नारा न काटने पर सवर्णों ने इस गांव में सौ दलित मकानों में आग लगा दी। इस काण्ड में वहां के कुछ सवर्णों पर मुकद्मा चला किन्तु उनके विरूद्ध कोई सजा नहीं हो पाई।[26]

15—बाँदा जिले के गांव सबेहा में 05—04—1974 को एक शिक्षित दलित युवक ने मरे जानवर को उठाने से मना करने पर सभी गैर दलितों ने एकत्र होकर दलित बस्ती पर धावा बोला और बस्ती में आग लगा दी।[27]

16—प्रतापगढ़ जिले के थाना लालगंज के ग्राम शुकलन पुरवा के इटैला में पूरी मजदूरी मांगने पर 15 मार्च 1984 ई0 को कुछ दलितों की पिटाई की गयी, उनकी मदद में आये अन्य दलितों की भी पिटाई हुयी। एक दलित के घर में आग लगायी गयीं परन्तु अभियुक्तों की गिरफ्तारी नही हुयी।[28]

17—इलाहाबाद जिले में थाना सराय आकिल के गांव जुगराजपुर में दलितों द्वारा मरे पशु को न उठाने पर पूरी मजदूरी मांगने पर दलितों का गांव वालों द्वारा बहिष्कार किया गया। उनका निकलना बैठना, खेतों में मल—मूत्र त्यागने तक पर रोक लगायी गयी। इस पर विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। बाद में पुलिस अधिकारियों के हरकत में आने पर सब कुछ सामान्य हुआ।[29]

18—रायबरेली जिले के थाना डीहा ब्लाक में मरे पशुओं को न उठाने और पूरी मजदूरी मांगने पर वहां के दलितों के तीन घरों को बंद करके उनमें आग लगा दी गयी। इसमें तीनों परिवारों के सदस्य जिंदा जल गये।[30]

19—बाँदा जिले के मारकुंडी बाजार में अराजक तत्वों ने 28 जनवरी 1989 को एक आदिवासी कोल भूरा की बेटी का अपहरण कर लिया। स्थानीय पुलिस से कोई मदद नहीं मिली। बांदा से सटे मध्यप्रदेश की पुलिस ने लड़की को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया।[31]

20—फैजाबाद जिले के बसखारी से 1 फरवरी, 1989 ई0 को दलित समाज के संतलाल को जीप सहित पकड़ कर आग लगा दी गयी। और संतलाल की हत्या कर दी गई। पुलिस ने किसी के साथ कोई कार्यवाही नही की।[32]

21—27मई सन् 1989 को मेरठ जिले के कैन्ट में खेड़ा थाने के अन्तर्गत जंगेठी गांव में एक दलित युवक अपने खेतों पर बैठा पढ़ाई कर रहा था। कुछ जाट युवकों ने उस पर कट्टा चला दिया और वह मर गया।[33]

22—सुल्तानपुर में 10 जून, 1989 को लम्भुआ थाने के गांव सकेता में एक दबंग ने राम आसरे चमार को घर से खीचकर तालाब के किनारे खूब पिटाई की। उसे तालाब में भीतर जाने को मजबूर कर दिया। पांच घण्टे तक उसे तालाब में खड़े रखा और बेदम हो जाने पर राम आसरे को बाहर आकर, उसका पेशाब पीकर माफी मांगने की शर्त पर बाहर आने दिया। बाहर आने पर जब रामआसरे ने गैर दलित का पेशाब पिया तब उसे माफी मिली।[34]

23—बाराबंकी जिले के कुर्सी थाने के दो सिपाहियों ने दिरनगर थाने की एक हरिजन युवती कुंती से 18 जून 1989 ई0 को बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी।[35]

24—17 जून, 1989 ई0 को जिला गाजियाबाद थाना कविनगर गांव सिलाई की कल्लो को बाबूगढ़ थाने का एक सिपाही थाने ले गया। थानेदार की मिलीभगत से उसके साथ बलात्कार किया। कल्लो ने कविनगर थाने में इसकी रिपोर्ट लिखवाई।[36]

25—बाँदा जिले के पाठाा क्षेत्र में 28 जून, 1989 ई0 को सफेद पोश लोगों ने भुलिया नामक कोल (जनजाति) युवती के साथ बलात्कार किया। शिकायत किसी से भी न करने की शर्त पर छोड़ा, परन्तु भुलिया ने इसकी शिकायत कर दी। परन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की। इसके बाद सफेद पोश लोगों ने एक डाकू दल की मदद से 12 जुलाई को उसके घर पर लूटपाट की और उसके पति को मार दिया भुलिया को कई दिनों तक जंगलों में रखा।[37]

26—18 जुलाई 1989 ई0 को मेरठ जिले के कांकर खेड़ा थाने के अन्तर्गत रोशनपुर जरेली गांव में सवर्णों और जाटवों के बीच झगड़े में दोनों ओर से गोलियां चली। इसमें सवर्णों को काफी चोंटें आयी। 22 जुलाई की शाम दलितों की छः खोखेनुमा दुकाने, कई भिटौरे फूंक दिये गये। वहाँ पुलिस भी तैनात थी, जो मूक दर्शक बनी रही।[38]

27—29 जुलाई 1989 ई0 को गोण्डा जिले के बोरीजार ब्लाक में मिशन स्कूल के निकट पांच आदिवासी कन्याओं (कमला, कोड़ा, सूरजमुखी बेसारा, मकालु कोडा, पंका बेसारा और झादमुरमू) के साथ एक दर्जन हथियारों से युक्त बदमाशों ने बारी—बारी से बलात्कार किया। हैरानी की बात है, कि थानेदार ने रिपोर्ट भी नहीं लिखी।[39]

28—गाजियाबाद जिले के अन्तर्गत कविनगर थाने के सिपाही राजेन्द्र गुप्ता ने 28 जुलाई 1989 ई0 को कुछ लोगों की तलाश के बहाने दिन में ओमप्रकाश की झोपड़ी में घुस गया। ओमप्रकाश की पत्नी को अकेला पाकर उसके साथ अभद्रता की। पानी बरस रहा था इसलिए सभी लोग अपने—अपने घरों में थे। कुछ देर बाद सबको राजेन्द्र की करतूत का पता चला तो रिपोर्ट लिखायी गयी। लेकिन पुलिस इस मामले को झूठा बताती है।[40]

29—अगस्त 1989 ई0 में अलीगढ़ के थाना लोधा के अन्तर्गत ग्राम छजामल बरौठ में दलित परिवार के घर में घुसकर 7 सवर्णों ने स्त्री—पुरूषों की लाठी से पिटाई की, परिणाम स्वरूप एक 11 माह के बच्चे की मृत्यु हो गयी।[41]

30—दिनांक 6 सितम्बर 1989 ई0 को सहारनपुर जिले के सरसावा थाने के असदपुर गांव की घटना। इस गांव में गूजरों और बाल्मीकियों की झोपड़ियां पास—पास है। इस तारीख की शाम ऋषिपाल (बाल्मीकि) की बहन बबीता को कुछ गूजरों ने रोककर छेड़छाड़ की। बबीता ने यह बात घर में सबको बतायी। इसके बाद गूजरों और बाल्मीकियों में संघर्ष हुआ। गूजरों के पास बंदूकें होने के कारण बाल्मीकियों को बड़ी संख्या में जान से हाथ धोना पड़ा। रिपोर्ट लिखायी गयी और 17 हमलावरों में केवल आठ ही गिरफ्तार हुये, शेष लोगों को छोड़ दिया गया।[42]

31—यह घटना 17 फरवरी 2002 कानपुर देहात की है, जिसमें शिवराजपुर थाना क्षेत्र के शुक्लपुर के निवासी कन्हैयालाल धानुक की 14 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार उसी गांव के अखिलेश कुमार ने किया। इस जुर्म के बाद अभियुक्त को आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये की सजा सुनायी गयी।[43]

32—यह घटना कानपुर देहात के झींझक में 22 फरवरी 2002 को घटी। जिसमें मंगलपुर थाना क्षेत्र के अर्न्तगत गांव रानेपुर में एक दलित युवक की गला रेतकर शव गांव के पास झाड़ी में फेंक दिया गया । इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुयी।[44]

33—दिनांक 18 मार्च को महोबा मुख्यालय से करीब 6 कि0मी0 दूर कोतवाली क्षेत्र के बिलबई गांव में बीती रात तीन दलितों की धारदार हथियारों से गला काटकर नृशंश हत्या कर दी गयी। आरोपी युवक हरिजन है और फरार है।[45]

34—दिनांक 24 मार्च को कानपुर नगर के बिठूर निवासी राम पाल निषाद की पुत्री (19 वर्षीय) शैल कुमारी की गांव के शिवनारायण ने जमीन के समझौतें से इंकार करने पर पिटाई की। इस घटना की रिपोर्ट लिखायी गयी है।[46]

35—कानपुर नगर के महाराजपुर थाने के अन्तर्गत भेवली गांव में अलग होली लगाने के विवाद में सवर्णो व दलितों में जमकर लाठियां चली। गांव में मुनादी करायी गयी कि दलितों ने अलग होली जगायी तो खून बहेगा। भेवली समेत आस—पास के कई गांवों में तनाव है। यह घटना 23 मार्च 2002 की है।[47]

36—यह घटना कानपुर महानगर के गोविन्द नगर, कच्ची झोपड़ी की है। यहां के निवासी राम जीवन ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि, सेवाग्राम दादा नगर निवासी राजू श्रीवास्तव पुत्र सत्यनारायण ने साथियों के साथ उसकी 16 वर्षीय पुत्री के साथ सामूहिक दुराचार किया। इस घटना में अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुयी और सजा भी हुयी।[48]

37—हमीरपुर के थाना लालपुरा क्षेत्र के कलौलीजार ग्राम में 6 मार्च 2002 की रात तेज आवाज में टेप रिकार्ड बजाने के विरोध करने पर एक दलित के सर पर लाठी से वार कर उसको मार डाला। घटना की नामजद रिपोर्ट पंजीकृत कराई गयी है।[49]

38—बिल्हौर कानपुर नगर में 10 मार्च, 2002 को दलित नेता बैड़ी अलीपुर निवासी धर्मपाल को कमरे में बंधक बनाकर पीटा गया। बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया।[50]

39—कानपुर देहात के अन्तर्गत सचेंडी थाना क्षेत्र के कैंधा गांव के दलित लालाराम पासी के घर पर गाँव के लोगों के पथराव किया और पीटा। गांवों के लोगों के खिलाफ हरिजन उत्पीड़न का मुकद्मा दर्ज कराया गया।[51]

40—कानपुर नगर के अरमापुर में एक क्वार्टर के सामने एक दलित को होलिका में धक्का देकर जिंदा फूंकने का प्रयास किया गया पुलिस ने दो दिन बाद मुकदमा लिखा।[52]

41—अकबरपुर में गजनेर थाना क्षेत्र के मुक्तापुर गांव में एक नाबालिग दलित युवती (15 वर्षीय) कुंती के साथ उसी गांव के निवासी बुद्धा लोधी के पुत्र लाला ने बलात्कार किया। इसमें पुलिस ने कार्यवाही कर अभियुक्त को जेल भेजा।[53]

42—कानपुर (देहात) में थाना ककवन के अन्तर्गत ग्राम कसमंडा में दबंगों ने दलित रामचन्द्र का घर फूंक दिया। पूरे परिवार को लाठी डंडों से पीटा और लूटपाट की। इस मामले में एस0एस0पी0 ने जांच के आदेश दिये।[54]

43—कानपुर नगर के अर्न्तगत विश्व बैंक बर्रा एच—13 में रहने वाले आर्डनेस कर्मी रमेशचन्द्र भारतीय के घर दबंगों ने मकान पर कब्जा करने के उद्देश्य से दरवाजे तोड़ डाले और दीवार ढहा दी।[55]

44—लखनऊ, जो प्रदेश की राजधानी है, में गोसाईगंज में दो दलित युवकों (दुलारे पासी का पुत्र रज्जन लाल व मैकू लाल पासी का पुत्र राम सिंह) की हत्या कर लाशों को बाग में गाड़ दिया गया। और एक अन्य घटना में पूर्व होमगार्ड की अपहरण के बाद हत्या कर दी गयी। पुलिस घटनाओं पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी।[56]

45—मथुरा जिले के सुरीर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हरनौल में बीती रात एक मामूली विवाद को लेकर सवर्णों ने दलित के यहां आयी बारात पर हमला कर कई बारातियों को घायल कर दिया। सवर्णों के खिलाफ मुकद्मा दर्ज किया गया।[57]

46—जिला बिन्दकी में कोतवाली क्षेत्र के गाँव ठिठौरा में तीन युवकों ने दलित सेवालाल की पत्नी सुनीता उम्र 30 वर्ष के साथ बलात्कार किया, विरोध करने पर पति को घायल करके कुंऐ में फेंक दिया। पुलिस ने दलित एक्ट के तहत मुकद्मा दर्ज किया है।[59]

47—जिला लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र में अहिमामऊ गाँव के दलित सत्यनारायण पत्नी के साथ उसी गांव के कृषक कुमार सिंह ने जबरन बलात्कार किया। अभियुक्त फरार है।[59]

48—जिला आजमगढ़ के जनपद बक्शपुर (इसहाकपुर) गाँव के आज एक तालाब में पाली गयी मछलियों के मारे जाने से उठे विवाद में अल्पसंख्यकों ने दो दलितों की गोली मारकर हत्या कर दी और घर को आग लगा दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।[60]

49—कानपुर नगर में सिविल लाइंस क्षेत्र में रहने वाले दलित परिवार को घर से बेघर कराकर बसपा कार्यालय खोलने का स्वांग रचा गया। जिलाध्यक्ष (ब0स0पा0) के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास पर गुहार लगायी गयी।[61]

50—कानपुर देहात रसूलाबाद क्षेत्र के गाँव अंगदपुर में एक व्यक्ति रामदीन को हरजिन एक्ट के मुकद्में में सुलह न करने पर इस दलित को खेतों में लाठी—डण्डों से पीट—पीट कर मार डाला। अभियुक्त फरार है।[62]

51—कानपुर नगर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत गाँव कमालपुर में दलित गोपाली की पुत्री को स्कूल से खींच कर और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर बलात्कार किया गया। इस घटना के बाद गांव में भारी तनाव हो गया।[63]

52—अलीगढ़ जिले के देहली गेट थाने में तैनात उपनिरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह के साथ अभद्रता करने के साथ उसकी सर्विस रिवाल्वर और दो कारतूस लूट लिये और अभियुक्तों ने उन्हें जाति सूचक शब्द कह कर अपमानित किया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।[64]

53—घाटमपुर जिले में कोतवाली क्षेत्र के भदरस गाँव में दबंगों ने सरकारी हैण्डपम्प में ताला डालकर दलितों को पानी भरने से रोका और पम्प में जंजीर के सहारे ताला डाल दिया। फिर ए0डी0एम0 ने पुलिस की मदद से ताला खुलवाया। और दंबगों को खदेड़ा।[65]

54—चंदौली जिले के शहाबगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत घोड़सारी गाँव स्थित ग्राम समाज के पोखर के भीटे पर वर्षो से झोपड़ी बनाकर रह रहे धोबी, हरिजन के सत्ताइस परिवारों को सवर्णों ने बेरहमी से उनकी महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों—जवानों को पीटने के बाद सभी को बाहर निकालने के बाद उनकी झोपड़ी में आग लगा दी।[66]

55—देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के पौहारी छपरा गाँव में दबंगों

ने हमला कर दलितों के 26 घर फूंक दिये। अत्याचार की तब हद हो गयी, जब आग बुझाने का प्रयास कर रही महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने आठ लोगों को नामजद करते हुए एक को गिरफ्तार किया है।[67]

56—उन्नाव जिले के शुक्लागंज थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पूर्व देवराकलां में हुए हिंसक जातीय टकराव में पुलिस की लचर रवैये के कारण निवासी ब्रह्मापासी के 18 वर्षीय लड़के सरवन को दबंगों ने घर से बुलाकर उसकी हत्या करके लाश खेतों में फेंक दी। पुलिस ने घटना में शामिल दो बंदी बना लिया है।[68]

57—हरदोई जिले के बावन ब्लाक के जोगीपुर नामक गाँव में एक दलित महिला से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दलितों (जो 140 थे) को मारपीट व लूटपाट करके और महिलाओं से अभद्रता करके भगा दिया। इन लोगों नें विधान सभा का भी घेराव भी किया, परन्तु कोई सुध ा लेने तक नहीं आया। यह घटना दलित मुख्यमन्त्रीं सुश्री मायावती जी के मुख्यमंत्रित्व काल की है।[69]

58—फतेहपुर जिले के बिंदकी थाना के अर्न्तगत नरैचा गाँव के एक दर्जन दलितों के खेत पर दबंगों ने जबरन कब्ज़ा कर जोत डाला। ये दलित थाने से लेकर कलेक्टर तक के पास गए। लेकिन कहीं कोई सुनवाई नही हुई, उल्टे कहा गया, मायावती मुख्यमंत्री हैं, लखनऊ जाओ, वहीं जमीन पर कब्जा वापस कराएंगी।[70]

59—कन्नौज जिले के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम प्रतापपुर गाँव के निवासी ठा0 अहिवरन सिंह के पुत्रों ने अम्बेडकर नगर वार्ड निवासी स्व0 रामचन्द्र दोहरे के 15 वर्षीय बालक किशोर की गला घोंट कर हत्या कर दी गयी। कारण केवल यह था, कि उक्त किशोर ने केवल अपनी मजदूरी के पैसे मांगे थे। अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुयी।[71]

60—मुजफ्फरनगर जिले के शामली क्षेत्र के गाँव बरलाजट के निवासी एक दलित युवक को आधा दर्जन युवकों ने अगवा करने के बाद पेड़ से लटकाकर गरम सरियों से दागा। जब वह बसपा नेताओं को लेकर कोतवाली पहुंचा, तो रिपोर्ट दर्ज करने के बजाए उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ।[72]

61—बाँदा जिले के कोतवाली क्षेत्र के गौर शिवपुर के जंगल में दो दलितों को कुल्हाड़ी से काट डाला गया। अगले दिन पुलिस ने दोनों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया। बटवारे को हत्या का कारण बताया जाता है।[73]

62—जिला सहारनपुर के हरौड़ा विधानसभा क्षेत्र के गाँव हसनपुर में रविवार की दोपहर संतागढ़ गाँव के दो दलित युवकों को चोर बताकर पीट—पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना से तनाव को देखते हुए गांवों में भारी फोर्स तैनात कर दी गयी है।[74]

63—जिला उन्नाव के असीवन थाना क्षेत्र के गाँव पाठकपुर (श्री रामबली पासी) में प्रेमी प्रेम यादव संग भागी हुई पुत्री जब वापस अपने घर लौटी तो पिता ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। इससे नाराज़ प्रेमी ने प्रेमिका के बाप को लाठियों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। और प्रेमिका को साथ ले भागा।[75]

64—जिला बलरामपुर के ग्राम मनोहरापुर के एक दलित युवक नानबाबू 24 वर्षीय को एक युवती को भगाने के आरोप में पुलिस थाने लायी थीं दो दिन में प्रताड़ना के कारण उक्त व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। स्थानीयं लोगों ने थाने लाने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकद्मा दर्ज कराया है।[76]

65—जिला फतेहपुर के खागा क्षेत्र के बेलाई गाँव में गत रात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला कर अपने घर के बाहर सो रहे राम दयाल रैदास की 42 वर्षीय पत्नी रमदेइया तथा 25 वर्षीय पुत्र रामनरेश की हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में एक नामजद व पाँच अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकद्मा दर्ज किया गया है।[77]

66—जिला पीलीभीत के सुनगढ़ी क्षेत्र के भिखारीपुर गांव में बाल्मीकियों के बाल काटने से इंकार करने पर जातीय तनाव पैदा हो गया है। नाइयों की इस हरकत बाल्मीकियों में रोष व्याप्त है।[78]

67—बुलंदशहर जिला के चोला चौकी क्षेत्र के गांव फौलादपुर में जाटवों की बारात पर कुछ सवर्णों ने हमला कर दिया, कारण केवल उनकी बस्ती से बारात का गुजरना था। पुलिस के रिपोर्ट दर्ज न करने पर उत्तेजित दलितों ने पुलिस चौकी फूँकना की कोशिश की।[79]

68—जिला बलिया के नगरा क्षेत्र के सीहोरीडीह दलित बस्ती में घटना घटी। जिसमें पत्नी के चरित्र पर शक होने के बाद पति द्वारा बुलायी गयी पंचायत के फैसले के अनुपालन में पति ने स्वयं ही अपनी पत्नी के सिर को मूड़ कर बस्ती में निर्वस्त्र घुमाया।[80]

69—कानपुर नगर के थाना क्षेत्र कल्याणपुर के अन्तर्गत दलित महिला का सामान फेंक कर कब्जा करने में सपा नेता मनोज यादव के खिलाफ एस0पी0 साउथ के आदेश पर मुकद्म दर्ज किया गया।[81]

70—जिला मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र के गाँव बड़ौत में दबंगों ने एक दलित चन्द्रपाल को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। कारण इतना था, कि दबंगों ने उसकी युवा पुत्री से दुष्कर्म किया और चन्द्रपाल से मामले को वापस लेने का दबाव डाल रहे थे।[82]

71—जिला मेरठ के बागपत क्षेत्र के ग्राम खट्टा प्रहलादपुर में दलितों और राजपूतों के बीच प्लाट पर कब्जे को लेकर हुयी, मारपीट ने उस समय गम्भीर मोड़ लिया, जब सवर्णों ने उनके घरों में आग लगा दी।[83]

72—सुल्तानपुर जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली के अन्तर्गत गाँव गोंठवाँ की निवासी दलित युवती से दुराचार के आरोप में एक सरकारी चिकित्सक को कोतवाली पुलिस ने शहर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है।[84]

73—प्रतापगढ़ जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर गाँव में किसी विवाद को लेकर मारपीट हुयी। जिसमें गाँव के एक दलित युवक रामलखन की मृत्यु हो गयी।[85]

74—उन्नाव जिले थाना हसनगंज गाँव हरौली जहानपुर के दलित राम आसरे पासी के पुत्र (जो 22 वर्ष का था) को अवैध सम्बंध के मामले को लेकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गयी। और शव गंगा में बहा दिया गया।[86]

75—मुजफ्फरनगर जिले में भूमि से कब्जा हटवाने गई पुलिस का दलितों से संघर्ष हो गया। लाठी चार्ज से भड़के दलितों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। जिससे पुलिस को कई राउण्ड फायरिंग करनी पड़ी।[87]

76—कन्नौज जिले के तिर्वा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत रामपुर गाँव में ठाठिया ग्राम पंचायत के प्रधान सुभाष दोहरे के खेत पर रखवाली के लिये दलित युवक राजेश, छंगा लाल, सत्तीराम थे। रात में बदमाशों ने बंदूक के बल पर उनको न सिर्फ निर्वस्त्र किया बल्कि बीड़ी से

उनके गुप्तांग भी जलायें। परन्तु पुलिस इस क्षेत्र में हुयी, ऐसी किसी घटना से इन्कार कर रही हैं।[88]

77–कौशाम्बी जिले के जाति पंचायत के निर्देश पर एक दलित युवती को वहाँ के प्रधान (पति) ने युवती को तांत्रिक के इशारे पर उसे निर्वस्त्र करके, गधे पर बैठाकर पूरे गांव में धुमाया। यह घटना चंदूपुर गांव की है।[89]

78–अलीगढ़ जिले के अतरौली थाना क्षेत्र के गाँव नगला दलू के पिछड़ी जाति की एक विवाहिता को लालाराम दलित युवक द्वारा भगा ले जाने से गुस्साये लोगों ने दलितों के चार घरों में आग लगा दी।[90]

79–उन्नाव जिले के रूपऊ को बाजार में मारपीट के बाद ग्राम प्रधान की मौजूदगी में सुलह वार्ता के लिये आये दलित युवक को लोधों ने लाठी–डण्डों से पीट–पीट कर मार डाला। ग्राम प्रधान जान बचाकर भाग गये।[91]

80–जिला मेरठ में शराब के नशे में धुत तीन दरिंदों ने एक दलित अबला की अस्मत को तार–तार कर डाला गया। इस घटना के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।[92]

81–हमीरपुर जिले खन्ना थाना क्षेत्र के गाँव छिरका में एक बीस वर्षीय दलित युवती राजू को दबंग घर से उठा ले गये, दबंगों ने सामूहिक दुराचार किया और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद लाश में आग लगा दी। अधजली लाश नदी में बहा दी पुलिस ने रिपोर्ट लिखी है और जाँच के आदेश दिये हैं।[93]

82–जिला बहराइच तहसील नानपारा ने बेचई पुरवा गाँव में दबंगों ने दलितों को पीने के पानी से वंचित कर दिया। उनके कुएं पटवा दिये तथा सार्वजनिक कुएं से पानी निकालने गये दलितों के साथ अभद्रता की तथा उनकी बाल्टियां उठाकर फेंक दी। उपजिलाधिकारी नानपारा ने इस प्रकरण की जाँच प्रारम्भ कर दी है।[94]

83–कानपुर नगर के बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव सिंहपुर में एक जग पानी के लिए यादवों और दलितों में संघर्ष हुआ। इसमें आधा दर्जन लोग लहूलुहान हुये है। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों का हिरासत में लिया है। तनांव के देखते हुए पुलिस तैनात कर दी गयी है।[95]

84–6 जून 2007 सिद्धार्थ नगर में छेड़छाड़ के विरोध सवर्ण पर दंबगों ने दलित किशोरी को जलाया। बाद में पीड़ित परिवार की सुरक्षा की हिदायत के साथ आर्थिक मदद भी दी। दोनों उच्चाधिकारियों ने बताया कि नृशंस कांड के अभियुक्तों पर रासुका और गैंगस्टार लगाया गया।[97]

85–चलती कार में दलित विधवा के साथ बलात्कार किया गया लखनऊ शहर का आशियाना दुराचार कांड की तरह ट्रांस गोमती इलाके में चलती कार में एक दलित विधवा युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया जिसमें मुख्य आरोपी अमित तथा अखिलेश है।[98]

86–मानिकपुर चित्रकूट में दरिंदगी की हदें पार करते हुए लोगों ने बड़ी बेदर्दी के साथ दलित महिला विकलांग के साथ सामूहिक बलात्कार किया। चारपाई से हाथपैर बांधकार मुह में कपड़ा भर दिया। उसके बाद बलात्कार तथा लूटपाट की गई। थानाध्यक्ष आर0 के0 सिंह ने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला पंजीकृत कर हत्यारों का पता लगाया जायेगा।[99]

अशिक्षा

स्वतन्त्रता के बहुत पहिले से ही भारत में निरक्षरता को विकास में बाधा के रूप में माना गया हैं। सामान्य तौर पर यह विश्वास रहा है कि अशिक्षा को खत्म किये बिना भारत एक विकासशील औद्योगिक देश नहीं बन सकता। शिक्षा नागरिकों को उच्च कोटि का जीवन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के द्वारा सामाजिक भेदभाव एवं मानवीय कुरीतियों को भी समाप्त किया जा सकता है।

साक्षरता की क्या परिभाषा है? साक्षर कौन है? निरक्षरता की क्या परिभाषा है? तथा निरक्षर कौन है? यह विषय बड़ा विवादित और सामाजिक जीवन के प्रतिमानों एवं आदर्शों पर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाता है। किसी भी भाषा को समझना पढ़ने और लिखने मात्र से क्या वे साक्षरता की श्रेणी में आ जाते है या फिर उनके ऊपर संस्कारों का कवच चढ़ा दिया जाता है। तथा निरक्षरों की कौन सी श्रेणी है? तथा वे किस श्रेणी में रखे जाते है? यह भी एक सामाजिक एवं राष्ट्रीय विडम्बना है।[100]

1947 में हमारा देश विदेशी गुलामी से आजाद हुआ और आज वह अपनी मुक्ति की 61 वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है लेकिन दलितों को उनकी शोचनीय शैक्षिक दशा के कारण आजादी से होने वाला पूरा लाभ नहीं मिला। आज दलित के धर पैदा होने वाले प्रति तीन बच्चों में एक बच्चे का साधारण प्राइमरी स्कूल में भी दाखिला मिल पाना संभव नहीं है। इसका अर्थ यह है कि एक तिहाई दलित बच्चे शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने से वंचित हैं।[101]

दलित बच्चों के अभिभावकों की आर्थिक दशा इतनी खराब है, कि वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। भारत सरकार के एक दस्तावेज (अनुसूचित जाति, अ0जा0जा0 की शिक्षा–प्रकाशन भारत सरकार –1993 नई दिल्ली) के मुताबिक दलितों के जो बच्चे प्राइमरी स्कूलों में दखिला ले पाते हैं उनका 8 प्रतिशत हिस्सा हाईस्कूल तक की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही परिवारों के आर्थिक संकटों के चलते बीच ही में पढ़ाई छोड़ देने को विवश होते हैं। भारत सरकार की एक और रिपोर्ट के अनुसार 'स्नातक स्तर पर' दाखिला पाने वाले अनुसूचित जाति, अनु0जनजाति के बच्चों की कुल संख्या के 84.11 प्रतिशत और गैर विज्ञान गैर तकनीकी विषय पढ़ाते हैं। जबकि स्नातकोत्तर स्तर पर यह प्रतिशत 88.31 हो जाता है। शोध कार्यों के स्तर पर तो दलित छात्रों की संख्या नगण्य हैं। फिर भी जो दलित छात्र जैसे–तैसे पढ़ाई जारी रखते हैं वे न तो अपनी पसन्द के विषय पढ़ पाते हैं और न ही किन्हीं स्तरीय स्कूलों में आगे दाखिला ले पाते हैं। पब्लिक स्कूल और कान्वेंट स्कूल आज जो आधुनिक ज्ञान–विज्ञान की शिक्षा के केंद्र बन गए हैं। दलित बच्चों के लिए इनके दरवाजे पूरी तरह बन्द हैं। क्योंकि इन स्कूलों में दाखिला पाने वाले दलित छात्रों को न तो शुल्क मुक्ति मिलती है और न ही छात्रवृत्ति इन स्कूलों की शिक्षा इतनी महंगी है कि दलितों में से अफसर वर्ग भी इन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला नहीं करा पाते।[102]

भारतीय दलित समाज वैसे तो हजारों वर्ष से इंसानी सुख–सुविधाओं से वंचित रहा है लेकिन आजादी मिलने के बाद भी उसकी स्थिति नहीं बदल रही यही देश की चिंता का केंद्र बिन्दु हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 49.9 फीसदी अनुसूचित जाति और 32.69 फीसदी अनुसूचित जन जाति आबादी कृषि मजदूरों की आबादी हैं। इस तरह लगभग आधी दलित आबादी किसी भी सूरत में अपने बच्चों को आवश्यक शिक्षा दिलाने की स्थिति में नहीं है। वर्ष 1991 की ही जनगणना रिपोर्ट के अनुसार कुल दलितों की आबादी का 25.44 प्रतिशत

अनुसूचित जाति और 54.50 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति आबादी खेतिहरों की श्रेणी में है। वर्ष 1991 को कृषि जनगणना के अनुसार 85.6 प्रतिशत अनु0 जाति 64.8 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति जाते सीमांत और लघु श्रेणी में है। इस तरह बहुसंख्यक दलित खेतिहरों का हिस्सा भी अपने बच्चों का शिक्षा दिलाने में पूरी तरह असमर्थ है। क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति जैसा कि आंकड़ों के द्वारा आपके सामाने प्रस्तुत हैं एक गंभीर चिंताजनक स्थिति की द्योतक है।[103]

सन 1986 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति प्रस्तावित हुई जिसके द्वारा प्रत्येक भारत के नागरिक की शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन कर उसे साक्षरता की कोटि में रखा जाये और वह समस्त अपने मूलभूत अधिकारों को समझ सके जिससे उसका घृणित दलित एवं तिरस्कृत जीवन उच्च श्रेणी का बन सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निम्न मानक थे।

1— व्यक्तियों के जीवन से अधिक निकट का सम्बन्ध हो तथा उनके बीच में मानवता और भाईचारा के बीज अंकुरित हो।

2— शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिये निरन्तर प्रयास हो।

3— शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये सतत प्रयास।

4— नैतिक और सामाजिक मूल्यों का सम्वर्धन।[104]

शिक्षा के क्षेत्र में 50 के दशक में सबसे अधिक उन्नति हुई उसके पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को निर्देश दिये गये कि अधिक से अधिक समाज का गरीब दलित तथा अस्पृश्य वर्ग शिक्षित हो तथा वे अपने आपको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ सके और उनका सामाजिक जीवन भी विकसित और स्वच्छ हो।

शिक्षा की सुविधाओं में परिमाणात्मक प्रसार के साथ—साथ उसे गुणात्मक बनाने पर अधिक से अधिक बल दिया। जिससे भारत का प्रत्येक कमजोर और दलित वर्ग के नागरिक का जीवन समन्वयी और सामंजस्य के मानदण्डों पर निर्धारित हो जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र की निरक्षरता का उन्मूलन किया जा सके। इसके लिये भारत के प्रत्येक राज्य को निर्देश दिये गये कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम संचालित किया जाये जिससे प्रत्येक भारत का दलित और अस्पृश्य वर्ग उससे लाभान्वित हो सके।

सन् 1991 की जनगणना के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में साक्षरता की दरे अलग—अलग है। जिससे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 41.06 प्रतिशत है।

सन् 1991 में केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक था जबकि 1997 में उ0प्र0 में साक्षरता दर 41.60 प्रतिशत थी।[105]

भारत के विभिन्न राज्यों में साक्षरता दर घटती—बढ़ती रहती है उसका मुख्य कारण बेरोजगारी, शिक्षा के प्रति जागरूक न होना, संवैधानिक अधिकारों से वंचित रहना और अपने जीवन को स्वच्छ और स्वतन्त्र न बनाना।

उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में दलित महिला एवं पुरूष साक्षरता की दरें अलग—अलग है जिससे उनका जीवन आज भी एक संघर्षमयी परिस्थितियों से परिपूर्ण है। हमारे देश में महिलाओं में निरक्षता की समस्या बहुत गंभीर है। सन् 1981 के आकड़ों से उ0प्र0 में महिला साक्षरता दर 17.18 प्रतिशत थी जो कि अन्य प्रान्तों की तुलना में काफी दयनीय और विचारणीय है।[106]

बिमारू क्षेत्र में 1991 में निरक्षरता का विस्तार[107]

राज्य	क्षेत्र	जनसंख्या (करोड़)			निरक्षर (करोड़)		
		योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला
बिहार	योग	6.8	3.6	3.2	4.2	1.7	2.5
	ग्रामीण	5.9	3.1	2.8	3.9	1.6	2.3
	नगरीय	0.9	0.5	0.4	0.3	0.1	0.2
मध्यप्रदेश	योग	5.3	2.8	2.5	2.9	1.1	1.5
	ग्रामीण	4.1	2.1	2.0	2.5	1.0	1.5
	नगरीय	1.2	0.7	0.5	0.1	0.1	0.3
राजस्थान	योग	3.5	1.8	1.7	2.1	0.8	1.3
	ग्रामीण	2.7	1.4	1.3	1.8	0.7	1.1
	नगरीय	0.8	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2
उत्तर प्रदेश	योग	11.0	5.9	5.1	6.4	2.6	3.8
	ग्रामीण	8.8	4.7	4.1	5.6	2.3	3.3
	नगरीय	2.2	1.2	1.0	0.8	0.3	0.5

प्रो0 आशीष बोस ने हिन्दी क्षेत्र में निरक्षरता को अधिक बताया है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत चार राज्यों को सम्मिलित किया है। उसमें बिहार, म0प्र0, राजस्थान, और उ0प्र0 शामिल हैं इन्हें बीमारू क्षेत्र का नाम से पुकारा जाता है। इसका मुख्य कारण जनसंख्या धनत्व अधिक गरीबी, भुखमरी और अपने अधिकारों और जीवन के प्रति जागरूक न होना है।[108]

साधारणतया यह माना जाता है। कि दलित महिला साक्षरता का जनसंख्या वृद्धि दर से प्रत्यक्ष सम्बन्ध हैं उसका मुख्य कारण अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी हैं दलितों के पास आज भी संसाधनों की कमी हैं जिस कारण से उनका जीवन तुच्छ और तिरिस्कृत है। दलित वर्ग के पास सरकारी सुविधायें है। परन्तु उनका वह सही उपयोग करना नही जानते हैं जो उ0 प्र0 जैसे विशाल राज्य के लिये एक अभिशाप हैं इसका उन्मूलन करना अति आवश्यक है।

लोकसभा ने सन् 1986 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति को स्वीकृति प्रदान की थी जिससे शिक्षा प्रणाली को आकर्षक और निर्धारित बनाई जाये जिससे राज्य का प्रत्येक नागरिक एक अपने आप को मूल व्यवस्था में स्थापित करके समतावादी, प्रजातांन्त्रिक और धर्म निर्पेक्ष समाज के अन्दर अपनी मुख्य भूमिका निभा सके। शिक्षा न केवल समानता के लिये तैयार करती हैं बल्कि समाज की प्रतिकूल और शोषित परिस्थितियों से भी संघर्ष के लिये तैयार करती हैं जिससे दलितों की प्रतिष्ठा और गरिमा का सही समीकरण बन सके।

शैक्षणिक परिवर्तन, असमानताओं का घटना तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण और प्रौढ़ शिक्षा तथा वैज्ञानिक शिक्षा से दलितों को अधिक से अधिक लाभ देकर उनके जीवन को सुनिश्चित बनाया जा सके। और वह अपने आप को एक आदर्श नागरिक कह सके क्योंकि वे भी उसी ईश्वर के द्वारा बनाये गये है जिनके द्वारा सवर्ण बनाये गये है। सवर्ण और सामन्ती वर्ग का अन्तर केवल आर्थिक स्थिति का है।

उ0 प्र0 में निरक्षरता के उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति में कई प्रस्ताव रखे, उनमें प्रमुख रूप से सतत शिक्षा के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रों की स्थापना, मालिकों और सरकार की एजेन्सियों द्वारा दलितों का शैक्षणिक उत्थान, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्रों के द्वारा अधिक से अधिक दलितों को जागरूक और शिक्षित करना, दूरवर्ती शिक्षा के कार्यक्रमों से उनकी मनोस्थिति को बदलना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों और सेमिनारो के माध्यम से दलितों के जीवन को स्वच्छंद और स्वव्यापक बनाना।

अशिक्षा के उन्मूलन के लिये अनौपचारिक शिक्षा के अलावा तीन अन्य उपाय किये गये जिससे उ0प्र0 के प्रत्येक दलित निरक्षर पुरूष एवं महिलाओं को अधिक शिक्षित करके उनको प्रक्रियात्मक बनाना।[111]

1–राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

2–ग्रामीण प्रकार्यवादी साक्षरता कार्यक्रम

3–राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा समस्त उ0प्र0 के अधः संरचना को बदलना जिससे प्रत्येक नागरिक साक्षर हो सके और अपने जीवन को एक सामाजिक एवं राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों से जोड़कर उसे संगठित करे। उ0 प्र0 में विभिन्न प्रकार के केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा साक्षरता मिशन चलाये गये जिससे प्रत्येक दलित युवक व युवतियों उससे लाभान्वित होकर अपनी दिनचर्या को नवीन, नूतन एवं प्रवीण बना सकें।

उ0प्र0 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गो जो भारत की निरक्षर जनसंख्या का अधिकाँश भाग हैं जिससे शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा साक्षरता की प्रासंगिकता के प्रति जागरूक होकर अपनी अधिक से अधिक सामूहिक शक्ति जुटायें और जिससे जीवन को लाभान्वित कर सके।

आर0एफ0एल0 कार्यक्रम मई, 1986 में आरम्भ किया गया और इसमें महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों को शामिल किया गया जिससे वे दलितो के शिक्षा की गुणवत्ता ओजिस्वता व तेजिस्वता को सुधारें जिससे वे अपने आपको निरक्षरों की श्रेणी में न रखे तथा उत्तर प्रदेश की साक्षरता को गतिशील बनाये।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में भी शिक्षा का सार्वभौमीकरण करके निरक्षरता को समाप्त करने का प्रयास किया। इस सम्मेलन के प्रस्तावित कार्य के छः आयाम थे।[112]

1– विकास कार्यों का विस्तार, विशेषकर निर्धन तथा सुविधा वंचित तथा शोषित वर्ग।

2– प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना।

3– सीखने सम्बन्धी उपलब्धियों में सुधार करना।

4– वयस्क अशिक्षा दर में कम से कम आधे स्तर पर कमी करना और विशेष रूप से महिला साक्षरता पर बल देना।

5– दलित युवकों को मूल शिक्षा से परिचित कराना जिससे वह अधिक से अधिक कुशाग्र और कुशल बन सकें।

6– जन संचार माध्यमों के द्वारा दलित वर्गो को ज्ञानबर्धक बनाना और उनके जीवन को शोषित परिस्थितियों से बचाव करने के लिये जागृत करना।

सन् 1998 में विश्व के विभिन्न संगठनों ने भी जैस यूनेस्को, यू0एन0डी0पी0, यूनिसेफ तथा वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं ने एक रिपोर्ट तैयार की तथा उसके द्वारा सुझाव दिये गये कि विश्व के विभिन्न विकास शील देशों में कमजोर, दलित, अस्पृश्य और आदिवासी जनजाति के लोगों को शिक्षित किया जाये जिससे वे अपने जीवन को एक मूल्यांकन योग्य बनाये और राष्ट्र एवं विश्व की धारा से जुड़ें तथा असभ्य जीवन को सभ्य बनाये और अशिक्षा को दूर करके संस्कारित और शिक्षित बनें।[113]

अप्रैल 2000 में विश्व फोरम बनाया जिसका उद्देश्य शिक्षा को मूल मानवीय अधिकार मानना, शिक्षा के विस्तारित दृष्टि के प्रति बचनबद्धता और सन 2015 तक प्रत्येक दलित बालक, युवक और वयस्क को शिक्षा दिलाना जिसके अनतर्गत 15 सुझाव प्रस्तुत किये गये। जिला प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम, शिक्षाकर्मी प्रोग्राम, शिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्राम, पोषणहारप्रोग्राम, छात्रवृत्ति, मुफ्त, वर्दी, पाठ्य पुस्तक श्यामपट प्रोग्राम, इत्यादि। इसके लिये भारत सरकार ने शिक्षा कोष बनाया जिसके द्वारा भारत का प्रत्येक दलित नागरिक लाभान्वित हो। आज यह प्रोग्राम 9 राज्यों में संचालित है। जिसमें उ0प्र0 भी शामिल है।[114]

अशिक्षा को अधिक से अधिक समाप्त करने के लिये प्रमुख योगदान वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाये भी कर रही हैं जिससे प्रत्येक देश का प्रत्येक नागरिक साक्षर हो। उ0प्र0 के कई महानगरों में विश्व बैंक द्वारा कई शैक्षणिक संस्थायें संचालित हैं जिससे दलितों का जीवन विकासमय बन सके।

राममूर्ति रिपोर्ट ने अशिक्षा के प्रति विभिन्न सुझाव दिये जिसेस कि पूरा दलित समाज एक स्वस्थ आवासीय और रोजगार युक्त हो सके परन्तु उसके पूर्व शिक्षा एवं संस्कार आवश्यक है बिना शिक्षा के जीवन व्यवस्थित एवं आयोजित नहीं बन सकता।

उ0 प्र0 सरकार अकेले ही देश की निरक्षरता की विशाल समस्या को नही सुलझा सकती है। निरक्षरता का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने के लिये केवल विभिन्न संस्थायें और मानव समाजसेवी, वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध हो जिससे पूर्व अशिक्षित समाज प्रत्यक्ष और सशक्त बन सके।

विश्व साक्षरता अभियान एक ऐसी संस्था हैं जिसने भारत में 26 साक्षरता परियोजनाओं को लागू किया जिसमें लखनऊ का नाम भी शामिल हैं जिसको विभिन्न प्रकार के अनुदान देकर अधिक से अधिक स्त्रियों एवं पुरूषों को साक्षर बनाने की प्राथमिकता दें।

हमारा समाज और हमारी सरकार बच्चों को पढ़ाने के कर्तव्य से विमुख है। वास्तव में लाखों बच्चों को बचपन के अनुभव (खेलना, प्रयोग और आत्म खोज) से वंचित रह जाते है। औपचारिक वचन बद्धता से अनिवार्य पूर्ण कालिक शिक्षा की ओर पलायन सुस्पष्ट रूप से आर्थिक विकास और देश में बालश्रम की समस्या को कम करने में एक प्रतिगामी कदम हैं जिससे व्यापक निरक्षरता और बाल अशिक्षा से युद्ध स्तर पर निपटा जा सके जिससे पूरे उ0प्र0 के अशिक्षित दलित समाज को मूलभूत त्रासदी से उसकी रक्षा की जा सके।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में साक्षरता प्रतिशत[115]

क्र0	जिला	कुल जनसंख्या					
		व्यक्ति	व्यक्ति	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
		1991	2001	1991	1991	2001	2001
	उत्तर प्रदेश	40.71	57.36	54.82	24.37	70.23	42.98
1.	सहारनपुर	42.11	62.68	53.85	28.10	72.26	51.42

2. मुजफ्फरनगर	44.00	61.68	56.63	29.12	73.11	48.63
3. बिजनौर	40.55	59.37	52.57	26.50	70.18	47.28
4. मुरादाबाद	30.67	45.74	40.35	19.03	56.66	33.32
5. रामपुर	25.37	38.95	33.79	15.31	48.62	27.87
6. ज्योतिबा फूले नगर	31.96	50.21	44.98	16.58	63.49	35.07
7. मेरठ	52.41	65.96	64.88	37.67	76.31	54.12
8. बागपत	48.69	65.65	63.52	30.75	78.60	50.38
9. गाजियाबाद	54.43	70.89	67.15	39.08	81.04	54.12
10. गौतम बुद्ध नगर	51.66	69.78	69.12	29.82	82.56	54.56
11. बुलंदशहर	46.00	60.19	63.51	25.33	75.55	42.82
12. अलीगढ़	44.94	59.70	59.96	26.89	73.22	43.88
13. हाथरस	46.32	63.38	62.36	26.63	77.17	47.16
14. मथुरा	44.85	62.21	61.95	23.43	77.60	43.77
15. आगरा	48.58	64.97	63.09	30.83	79.32	48.15
16. फिरोजाबाद	46.30	66.53	59.76	29.85	77.81	53.02
17. एटा	40.15	56.15	54.09	22.91	69.13	40.65
18. मैनपुरी	50.29	66.51	64.34	33.12	78.27	52.67
19. बँदायू	24.64	38.83	33.96	12.82	49.85	25.53
20. बरेली	32.88	47.99	43.44	19.93	59.12	35.13
21. पीलीभीत	32.10	50.87	44.37	17.22	63.82	35.84
22. सहारनपुर	32.07	48.79	42.68	18.59	60.53	34.68
23. खेरी	29.71	49.39	40.58	16.35	61.03	35.89
24. सीतापुर	31.41	49.12	43.10	16.90	61.02	35.08
25. हरदोई	36.30	52.64	49.45	19.75	65.08	37.62
26. उन्नाव	38.70	55.72	51.63	23.62	67.62	42.40
27. लखनऊ	57.49	69.39	66.51	46.88	76.63	61.22
28. रायबरेली	37.78	55.09	53.30	21.01	69.03	40.44
29. फर्रुखाबाद	47.23	62.27	59.37	32.30	72.40	50.35
30. कन्नौज	47.90	62.57	59.29	33.88	73.38	49.99
31. इटावा	53.80	70.75	66.24	38.67	81.15	58.49
32. औरय्या	52.90	71.50	65.76	37.04	81.18	60.08
33. कानपुर देहात	51.86	66.59	64.56	36.32	76.84	54.49
34. कानपुर नगर	63.95	77.63	72.92	52.91	82.08	72.50
35. जालौन	50.72	66.14	66.21	31.60	79.14	50.66
36. झाँसी	51.99	66.69	67.32	33.95	80.11	51.21

37. ललितपुर	32.12	49.93	45.23	16.62	64.45	33.25
38. हमीरपुर	41.71	58.10	57.86	22.07	72.76	40.65
39. महोबा	36.49	54.23	50.98	19.09	66.83	39.57
40. बाँदा	37.33	54.84	53.06	17.90	69.89	37.10
41. चित्रकूट	32.19	66.06	48.06	13.37	78.75	51.28
42. फतेहपुर	44.69	59.74	59.87	27.24	73.07	44.62
43. प्रतापगढ़	40.40	58.67	60.29	20.48	74.61	42.63
44. कौशाम्बी	29.56	48.18	45.18	11.53	63.49	30.80
45. इलाहाबाद	45.17	62.89	61.85	25.72	77.13	46.61
46. बाराबंकी	31.11	48.71	43.71	15.99	60.12	35.64
47. फैजाबाद	37.44	57.48	52.42	20.56	7073	43.35
48. अम्बेडकर नगर	39.67	59.06	55.17	23.30	71.93	45.98
49. सुल्तानपुर	38.49	56.90	55.08	20.74	71.85	41.81
50. बहराइच	22.67	35.79	32.27	11.01	46.32	23.27
51. श्रावस्ती	29.55	34.25	44.91	10.57	47.27	18.75
52. बलरामपुर	23.75	34.71	34.43	11.22	46.28	21.58
53. गोण्डा	29.56	42.99	43.48	13.42	56.93	27.29
54. सिद्धार्थनगर	27.16	43.97	40.92	11.95	58.68	28.35
55. बस्ती	35.36	54.28	50.93	18.08	68.16	39.00
56. संतबिहार नगर	34.95	51.71	51.83	16.76	67.85	35.45
57. महाराजगंज	28.90	47.72	45.67	10.28	65.40	28.64
58. गोरखपुर	43.30	60.96	60.61	24.49	76.70	44.48
59. कुशीनगर	32.30	48.43	49.57	13.86	65.35	30.85
60. देवरिया	42.42	59.84	61.48	23.58	76.31	43.56
61. आजमगढ़	39.19	56.15	56.11	22.64	70.50	42.44
62. मऊ	43.80	64.86	59.44	27.86	78.97	50.86
63. बलिया	43.89	58.88	60.76	26.13	73.15	43.92
64. जौनपुर	42.22	59.98	62.24	22.39	77.16	43.53
65. गाजीपुर	43.27	60.06	61.48	24.38	75.45	44.39
66. चंदौली	44.81	61.11	61.43	26.28	75.55	45.45
67. वाराणसी	51.88	67.09	66.66	35.00	83.66	48.59
68. संत रविदास नगर	40.02	59.14	60.77	16.80	77.99	38.72
69. मिर्जापुर	39.68	56.10	54.75	22.32	70.51	39.89
70. सोनभद्र	34.40	49.96	47.56	18.65	63.79	34.26

स्वतंत्र भारत में शैक्षिक विकास की योजनायें

क्र0 सं0	प्रयासो का विवरण	स्थापना वर्ष	प्रमुख उद्देश्य
1.	राधा कृष्णन् आयोग	1948	उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु सरकार को सुझाव देना।
2.	मुदालियर आयोग	1952	माध्यमिक शिक्षा की अभिवृद्धि और सुधार हेतु सरकार को सुझाव देना।
3.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	1953	विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देकर उनके स्तर को उठाना।
4.	अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद	1955	माध्यमिक शिक्षा के विकास को दिशा प्रदान करना।
5.	अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद	1957	प्राविधिक शिक्षा के विकास हेतु परामर्श देना।
6.	अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद	1957	सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
7.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशि.परि.	1961	प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना।
8.	कोठारी आयोग	1964	शिक्षा के प्रत्येक स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार को परामर्श देना।
9.	पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति	1968	शिक्षा के समुचित विकास हेतु आधार प्रदान करना।
10.	शिक्षा दायित्व विषय संविधान संशोधन	1976	शिक्षा को केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी बनाना।
11.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	1979	प्रौढ़ लोगों (15 से 35 वर्ष) को कार्यशील साक्षरता प्रदान करना।
12.	अनौपचारिक शिक्षा योजना	1979	6 से 11 आयुवर्ग के स्कूल के बाहर के बच्चों को अल्प शिक्षा की व्यवस्था करना।
13.	इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय	1985	दूरस्थ शिक्षा प्रणाली द्वारा उच्च शिक्षा का प्रबंध करना।
14.	दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति	1986	परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप देश में शिक्षा के विकसित करने हेतु दिशा देना।
15.	ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना	1987	प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएँ जुटाना।
16.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम	1988	15–35 आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील साक्षरता प्रदान करना

17.	जनशिक्षण निलियम योजना	1988	साक्षरता प्रसार हेतु वातावरण तैयार करना।
18.	राष्ट्रीय ओपन स्कूल	1989	स्कूल छोड़ चुके बच्चों का माध्यमिक शिक्षा दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से प्रदान करना।
19.	यशपाल समिति	1992	बच्चों के बस्तों को बोझा कम करना।
20.	शैक्षिक प्रबंधन की विकेंद्रीकरण समिति	1993	शैक्षिक प्रबंधन में स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाना।
21.	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	1994	देश के प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण सुनिश्चित करना।
22.	राष्ट्रीय शिक्षक–शिक्षा परिषद	1995	देश में शिक्षक–शिक्षा की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना।
23.	माध्यान्ह् भोजन योजना	1995	प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में बच्चों के ठहराव को प्रोत्साहित करना
24.	शिक्षा गांरटी स्कीम	1999	प्राथमिक विद्यालयों से अनाच्छादित सभी गाँवों में पंचायतों द्वारा प्राथमिक विद्यालय खोलना।
25.	सुभाष चंद्र बोस साक्षरता मिशन कार्यक्रम	2000	देश में संपूर्ण साक्षरता हेतु विशेष अभियान चलाना।
26.	सर्वशिक्षा अभियान	2000	स्कूलों से बाहर सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित करना।
27.	नया मिलेनियम पाठ्यक्रम	2000	वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर का नया पाठ्यक्रम तैयार करना।
28.	93 वां सविधान संशोधन विधेयक	2001	प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण तथा इसे मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कर निःशुल्क और अनिवार्य बनाना।
29.	नया स्कूली पाठ्यक्रम	2001	शैक्षिक वर्ष 2002–03 से क्रक्षा 6, 9, 11 के लिये नया परिवर्द्धित पाठ्यक्रम पढाया जाना।
30.	भारत शिक्षा कोष	2001	शैक्षिक विकास की परियोजनाएं संचालित करने हेतु विभिन्न संगठनों तथा व्यक्तिगत स्तर से दान तथा सहायता राशि प्राप्त करना।
31.	विद्यावाहिनी योजना	प्रस्तावित	सेकेंड्री विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्रदान करना। (भारत सरकार की प्रस्तावित योजना)
32.	राष्ट्रीय शिक्षा विकास बैंक	प्रस्तावित	गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रमों की फीस भरने हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय औद्योगिक विकास बैंक की तर्ज पर शिक्षा विकास बैंक की स्थापना करना।

कुपोषण

प्रकृति ने मनुष्य को समस्त प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ बनाया है। मानव शरीर के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि भोजन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। आहार के अभाव में जीवन चलना असम्भव है। समस्त प्राणी आहार की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील रहते है। भोजन करने का उद्देश्य केवल भूख मिटाना या पेट भरना नहीं है। अपितु ऐसा भोजन ग्रहण करना जो शरीर के लिये आवश्यक पौष्टिकता से भरपूर हो जिसको लेने के बाद शरीर निरोग रह सके और शरीर की समस्त जैविक क्रियायें सुचारू रूप से चल सकें। पौष्टिक भोजन हमारे शरीर, मानसिक तथा नैतिक विकास में सहायक होता है। यह शरीर को परिपक्व, सुगठित सुडौल और सुन्दर बनाता है। स्वास्थ्य ही जीवन का असली धन है।

टर्नर के अनुसार "पोषण शरीर में विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थो को ग्रहण कर उपयोग करता है जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियन्त्रित, वृद्धि, तथा शारीरिक ऊतकों की टूट फूट तथा मरम्मत करता है। इसकी कई स्थितियाँ है। (1) उत्तम पोषण (2) कुपोषण

(1) स्वास्थ्य शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति ही शारीरिक मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्णता अच्छे होने की स्थिति है।

(2) ऐसा भोजन जिसमें पौष्टिक तत्वों की अधिकता या कमी से शरीर को रोग की अवस्था में पहुँचा देती है यह स्थिति कुपोषण की स्थिति कहलाती है। इसके मुख्य कारण अज्ञानता, गरीबी, बेराजगारी, अत्यधिक जनसंख्या, संक्रमण, अपर्याप्त भोजन निम्न आर्थिक स्तर, खाद्य पदार्थो के उत्पादन के कमी, उसका असमान वितरण, दूषित पानी, वातावरण, रूढ़िवादिता, परम्पराएँ अस्वच्छकर और भोजन की दोषपूर्ण आदतें आदि कारक व्यक्ति को कुपोषण की दशा में पहुँचा देते हैं। कुपोषण की दो स्थितियाँ है।

क–आवश्यकता से अधिक पोषण :– शरीर की आवश्यकता से अधिक पौष्टिक तत्व लेने से अत्याधिक पोषण की स्थिति आ जाती है जिससे मोटापा बढ़ जाता है।

ख–अल्प पोषण:– शरीर की आवश्यकता से कम पौष्टिक तत्वों को लेने से अल्प पोषण की स्थिति आ जाती है। यह विशेषकर बच्चों में हो जाती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से प्रोटीन कैलोरी कुपोषण हो जाता है। जिससे सूखा रोग तथा मरास्मास जैसी बीमारी हो जाती है।

कुपोषण का मुख्य कार्य गरीब एवं दलित परिवारों में संतुलित भोजन का अभाव, जिस कारण से बहुत से दलित परिवारों के बच्चे एंव गर्भवती महिलाओं को विभिन्न प्रकार की रक्त सम्बन्धी एवं परिवहन तन्त्र सम्बन्धी कई प्रकार की हानिकारक बीमारियां हो जाती है। जिस कारण से नवजात शिशुओं का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास नही हो पाता उसका मुख्य कारण आज बढ़ती हुई मंहगाई के कारण बहुत से दलित परिवार की महिलाओं को न तो हरी सब्जियां उपलब्ध हो पातीं हैं। और न विभिन्न प्रकार के फल जिस कारण से उनके शरीर में कुरूपता, उत्पन्न हो जाती है। शरीर में किसी प्रकार कोई आकर्षण या रोचकता नहीं होती।

विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन ने पुरूष और महिला के लिये क्रमशः 2600 और 1900 कैलोरी का आहार आवश्यक माना है। भारतीय भोज्य पदार्थों में दूध, मांस, अण्डे, मछली, फल, सब्जी तथा खाद्य पदार्थों की कमी है। जिस कारण से शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्त्यिों को सही कैलोरी

प्राप्त नही हो पाती और वे कुपोषण के शिकार हो जाते है यह एक भारत के समक्ष विकराल समस्या है।

सन 1996 में खाद्य एवं कृषि संगठन के रोम सम्मेलन में स्पष्ट किया गया कि सूक्ष्म पोषक तत्वों के अभाव में विश्व के 2 अरब लोग छद्म, भुखमरी के शिकार हैं जिसमें एक तिहाई सिर्फ भारत में है। देश में अन्न की अच्छी पैदावार के बावजूद प्रति व्यक्ति खाद्य एवं पोषक सुरक्षा तथा औसत राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ उपलब्धता के बीच भारी अन्तर है यह हमारे उत्पादन विकास के लिये सतत चुनौती है।[116]

देश के विभिन्न प्रान्तों में कुपोषण और गरीबी मुख्य समस्या हैं। इस कष्टदायक परिस्थिति के निदान के लिये विभिन्न कृषि वैज्ञानिकों, पर्यावरण विदों, मत्स्य पालक विशेषज्ञों जननांकी एवं अनुवांशकी विशेषज्ञों में कई प्रकार की रसायन और तकनीकी कृषि प्रणाली को विकसित किया जिससे अधिक से अधिक भारत के गरीब एवं शोषित वर्ग को पोषक तत्व युक्त भोजन मिल सके।

सामाजिक रूप से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु लिंग वर्ग और जाति विभेद पर ध्यान देना आवश्यक है। महिला जनजाति, लघु एवं सीमान्त किसान तथा भूमिहीन श्रमिक परिवार, खाद्य एवं पोषक, असुरक्षा के शिकार होते है। घर में भी महिलाए और लड़कियां पुरूष और लड़कों की तुलना में कुपोषण के शिकार रहते है।[117]

कुपोषण के कारण बहुत सी संक्रामक बीमारियां तथा पर्यावरणीय आपदाओं का प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर तन्त्र पर पड़ता है। समाज में कुपोषण से प्रभावित दलित वर्ग पर इनका शीघ्रगामी प्रभाव पड़ता है। जिस कारण से उ0प्र0 के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न एवं शोषित वर्ग की महिलाएं विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ रही है।[118]

खाद्यान्न भण्डारण के बाबजूद उ0प्र0 जैसे राज्य में भुखमरी की स्थिति से कुछ लोगों द्वारा चितिंत होकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जिससे देश में उपलब्ध खाद्यान्न को बरबाद होने से भी बचाने का रास्ता निकाला। सर्वोच्च न्यायालय ने भुखमरी, गरीबी और कुपोषण को समाप्त करने के लिये कई प्रयास किये जिससे वृद्धों विकलांगों, अनाथों, अभावग्रस्त व्यक्तियों गर्भवती महिलाओं को कुपोषित होने की सम्भावनायें अधिक रहती है उसका मुख्य कारण खाद्यान्नों की कमी है।

प्राकृतिक आपदाएँ भी भूकम्प बाढ़ तथा सूखा आदि के द्वारा दलित एवं गरीब परिवारों की व्यवस्था बिगड़ जाती है जिस कारण से उनको विभिन्न प्रकार के भीषणतम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

भविष्य के खाद्य एवं कुपोषण एवं असुरक्षा से निपटने के लिये सरकार की इच्छा शक्ति, नीतिगत सहयोग, उचित मूल्य, प्रोत्साहन, बेहतर संस्थागत आधारभूत संरचना, तकनीकी हस्तांतरण के लिये समन्वय, निरीक्षण एवं मूल्यांकन के बीच तालमेल की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।[119]

प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण को दूर करने के लिये लक्ष्य आधारित जन वितरण प्रणाली को शीघ्रता से उचित रीतिपूर्वक कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। लक्ष्य आधारित जन वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगो पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वास्तविक रूप से जन वितरण प्रणाली के माध्यम से न सिर्फ खाद्यान्न वितरित किया जाता है। अपितु अन्न खाद्यान्न नियोजन की गुणवत्ता भी बहुत कम रहती है।[120]

खाद्यान्न सुरक्षा चुनौती आर्थिक सामाजिक तथा परिस्थितिकी प्रकृति भी है। अतएव खाद्यान्न उपलब्धता सिर्फ आर्थिक दृष्टि से ही नही अपितु आर्थिक सामाजिक परिस्थितिकी

रूप से उचित एवं धारणीय कृषि पद्धति पर आधारित होना चाहिए।

कुपोषण एक जटिल समस्या है जो आज उ0 प्र0 के कई जनपद इससे पीड़ित है। उनमें मुख्य रूप से पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी उ0प्र0 है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 में पायी जाने वाली बहुत सी आदिवासी जनजातियाँ जो चित्रकूट मंडल में पाई जाती है। वह भी कुपोषण से पीड़ित है।

कुपोषण को समाप्त करने के लिये विश्व की कई महान संस्थायें जैसे यूनीसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तरष्ट्रीय श्रम संस्थान, यू0एन0डी0पी0 जैसे प्रतिष्ठानों ने भारत के गरीब एवं पिछड़े प्रान्तों में कुपोषण को दूर करने के लिये कई प्रकार के उपाय सुझायें जिससे भारत का प्रत्येक नागरिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छंद दिखाई पड़े ओर आगे आने वाली पीढ़ी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सके और उसके जीवन में आधुनिकीकरण के साथ साथ सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक श्रेष्ठता उत्पन्न हो जिससे उसका जीवन विभिन्न प्रकार के संलयन एवं विखण्डन से दूर रहे और वह एक स्वास्थ्य और आदर्श नागरिक बन कर अपने जीवन को आधुनिक बनाये।

भारत में दैनिक औसत आहार एवं संतुलित आहार[121]

विवरण	औसत वास्तविक आहार	संतुलित आहार
खाद्यान्न	471.0	396.2
दालें	64.0	85.0
पत्तीदार सब्जी	24.0	113.4
अन्य सब्जियाँ	116.2	170.1
घी एवं वनस्पति तेल	26.1	56.7
दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ	26.1	283.5
माँस, मछली एवं अंडे	93.8	193.4
फल एवं मेवे	16.4	85.0
चीनी एवं गुड़	18.9	56.7

भारत में खाद्यान्न उत्पादन और प्रति व्यक्ति उपलब्धता[122]

क्र0 स0	वर्ष	जनसंख्या (करोड़ में)	खाद्यान्न का कुल उत्पादन (करोड़ में)	खाद्यान्न आयात (करोड़ में)	खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता (करोड़ में)	प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता (ग्राम में)
1.	1951	36.3	5.49	4.81	.48	395
2.	1961	44.2	8.23	7.20	.35	469
3.	1971	55.1	10.84	9.49	.20	469
4.	1981	68.9	12.96	11.34	.07	455
5.	1991	85.2	17.63	15.43	–.01	510
6.	1997	95.5	19.94	17.45	–.05	506
7.	1998	97.1	19.22	16.82	–.25	450
8.	1999	98.7	20.31	17.77	–.13	470
9.	2000	100.2	20.59	18.02	–.10	466

खाद्य सुरक्षा हेतु संचालित विभिन्न योजनायें[123]

क्र0 सं0	योजना / कार्यक्रम का नाम	प्रारंभ होने का वर्ष	प्रमुख उद्देश्य	अन्य विवरण
1.	मध्यान्ह भोजन	1995–96	स्कूली बच्चों को नियमित रूप से निःशुल्क खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध कराना।	प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को प्रतिमाह निःशुल्क गेहूं/ चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।
2.	सोशल सेफ्टीनेंट योजना	1995–96	आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चो हेतु पोषक आहार उपलब्ध कराना।	इस योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने और उन्हें पोषाहार की समुचित व्यवस्था हेतु प्रयास किया जाता है।
3.	लक्षित	1997–98	चयनित गरीबों को आधी दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।	4.62 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से 30 हजार करोड़ रूपये का अनाज आधी दरों पर दिया जा रहा है। जुलाई 2001 से 10 किलो के स्थान पर 25 किलो अनाज प्रति परिवार प्रतिमाह कर दिया गया है।
4	समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत पोषण कार्यक्रम	1998–99	बच्चों के उचित पोषण हेतु गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।	गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों बी0पी0एल0 दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है।
5.	अन्नपूर्णा योजना	1999–2000	निराश्रित वृद्धों के लिये प्रतिमाह 10 किग्रा0 खाद्यान्न मुफ्त दिया जाना।	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत अनाच्छादित व्यक्तियों को 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जाता है।
6.	अंत्योदय अन्न योजना	2000–01	अत्यंत गरीब परिवारों को अत्यंत सस्ती दरों पर प्रतिमाह खाद्यान्न उपलब्ध कराना।	इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार प्रति माह 25 किग्रा गेहूं/चावल एक करोड़ गरीबों को 2/3 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से उपलब्ध कराया जा रहा है।

7.	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	2001–02	रोजगार के साथ खाद्य सुरक्षा हेतु प्रत्येक कामगार को नकद राशि के अलावा प्रतिदिन 5 किग्रा अनाज उपलब्ध कराया जाना।	15 अगस्त, 2001 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा राज्यों को 50 लाख टन अनाज निःशुल्क दिया जा रहा है।
8.	काम के बदले अनाज योजना	2001–02	सूखा और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों हेतु काम के बदले खाद्यान्न उपलब्ध कराना।	सूखा और बाढ़ प्रभावित राज्यों हेतु केंद्र सरकार द्वारा 2,425 करोड़ रूपये मूल्य का 24.42 लाख टन अनाज राज्य सरकारों को निःशुल्क प्रदान किया गया है।

गरीबी

निर्धनता और निर्धन व्यक्ति हमारी चिन्ता और कर्तव्य के विषय है। सदियों से नवजागरण काल तक निर्धन व्यक्तियों को उपेक्षित और तिरस्कृत किया। यह किस प्रकार हुआ? हमने क्या किया? तथा हम कहाँ तक सफल हुये है?

निर्धनता एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है। इसकी उत्पत्ति व स्परूप बड़ा जटिल हैं आज समस्त विश्व के सामने निर्धनता सामाजिक नैतिक और बौद्धिक चुनौती है। निर्धनता एक सर्वव्यापी समस्या है। विश्व में गरीब देशों की संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें तीसरी दुनिया के नाम से पुकारा जाता है। ये देश मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया महाद्वीप है।

भारत वर्ष में अधिक जनसंख्या होने के कारण निर्धनता ने बहुत बड़े वर्ग को अपने शिकंजे में कस लिया है उनमें मुख्य रूप से प्रमुख राज्य उ0प्र0 बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड म0प्र0 छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा हैं इन प्रान्तों में निर्धन लोगों के पास मूलभूत सुविधायें (रोटी, कपड़ा और मकान) का अभाव हैं ये वर्ग आज भी शोषण और उपनिवेश वादी संस्कृति से त्रस्त है।

डॉ0 योगेश अटल ने निर्धनता को निम्न रूप से परिभाषित किया है "गरीबी की अवधारणा का सम्बन्ध सापेक्ष रूप से बंचित रहने के तथ्य से है।"[124]

निर्धनता एक सापेक्ष शब्द है इसका अर्थ यह भी है कि एक देश जिसे हम हम गरीब कहेंगे उसे दूसरें देश को धनवान कह सकते है। इसका कारण यह है कि गरीबी का निर्धारण उस देश और प्रान्तों की प्रथाओं और जीवन स्तर के आधार पर होता है। सभी व्यक्ति उसी आदर्श को पानें का प्रयास करते है।

हेनरी वर्सटीन ने निर्धनता के चार आयाम बताये।[125]

1–जीविका रणनीतियों का अभाव

2–संसाधनों की अनुपगम्यता

3–असुरक्षा की भावना

4–संसाधनों का अभाव

निर्धनता को गरीबी रेखा के द्वारा देखा जा रहा हैं जिसका निर्धारण स्वास्थ्य के

लिये आवश्यक प्रचलित स्तर, निपुणता, बच्चों का पालन पोषण, सामाजिक सहभागिता और आत्म सम्मान की सुरक्षा द्वारा किया जाता है। हावर्ड बैकर ने व्यावहारिक रूप से निर्धनता रेखा कैलोरी ग्रहण की न्यूनतम वांछनीय पोषण स्तर से निर्धारित की जाती है।

वस्तुतः गरीबी का सम्बन्ध जीवन स्तर से है। उ0प्र0 का दलित समाज आज भी भौतिक एवं मूलभूत आवश्यकताओं से परे है। उसका मुख्य कारण रूढ़िवादी परम्परायें कट्टरपंथी संस्कृति सामन्तवादी परम्परायें एवं वित्तीय सुविधाओं का सही उपयोग न करना। जिस कारण से बहुत से दलित वर्ग आज भी दैनिक सुविधाओं से वंचित है।

निर्धनता भौतिक वस्तुओं और सम्पत्ति के तीन पहलू प्रकट करती है।[126]

1– ऐसी वस्तुयें जो शारीरिक पीड़ा से बचाती है। भूख और पनाह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक है।

2–ऐसी वस्तुयें जो स्वास्थय की मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है अर्थात् जो पोषण प्रदान करती है और बीमारियों से बचाती है।

3–ऐसी वस्तुये जो जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर को बनाये रखने में आवश्यक होती है।

शेपर्ड एवं वॉस ने दो प्रकार की गरीबी का वर्णन किया है।[127]

1–पूर्ण निर्धनता यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास मकान, भोजन एवं चिकित्सा सुविधा एवं जीवित रहने के लिये आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है।

2–सापेक्ष निर्धनता गरीबी को सापेक्ष तथा मानने वालों ने पूर्ण गरीबी की अवधारणा की इस आधार पर आलोचना की है कि पूर्ण गरीबी की अवधारणा स्थिर है, यह आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को बदलते मापदण्डों में सम्मिलित नहीं करते हैं।

उ0प्र0 में ग्रामीण और शहरी दलित व्यकितयों की आय में भी भंयकर असमानता है। जिसका मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में परिवार की औसत आय 5985 रूपये प्रतिवर्ष और ग्रामीण क्षेत्र के निम्नतम दलित अस्पृश्य वर्ग के परिवारों की औसत आय 1,044 रूपये हैं।[128]

ग्रामीण परिवरों में 70 प्रतिशत के पास कोई जमीन नहीं है। शेष 30 प्रतिवर्ष जो जमीन जोतते है। 44 प्रतिशत के पास 1 एकड़ से कम 33.8 प्रतिशत के पास 1.5 एकड़ से अधिक नहीं है।[129]

दलित भूमिहीन व्यक्तियों की ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी दुर्दशा है उसका मुख्य कारण गरीबी दरिद्रता और भुखमरी है। परन्तु सारा दोष इन तीनों बिंदुओं पर नहीं थोपा जा सकता है उसके अन्य भी कई कारण हैं, जैसे संयुक्त परिवार, रोजगार प्रतिदिन न मिलना अधिक जनसंख्या और धन का सही सदुपयोग न करना।[130]

निर्धनता का जन्म किसी एक कारण या घटना के परिणामस्वरूप नहीं होता यह अनेक कारकों की पारस्परिक क्रियाओं का प्रतिफल है। जिसमें मुख्य कारक है।

1–व्यक्तिगत कारक
2–भौतिक पर्यावरण
3–आर्थिक कारक
4–राजनीतिक कारक
5–युद्ध
6–सामाजिक कारक
7–सांस्कृतिक कारक
8–बढ़ी जनसंख्या
9–जमींदारी प्रथा
10–साहूकारी प्रथा

वर्तमान में भारत के सबसे बड़े राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उ0प्र0 में बड़ी दयनीय स्थिति है। उ0प्र0 के महानगरों जैसे कानपुर, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर एवं वाराणसी जैसे शहरो में उद्योग धंधों के बन्द हो जाने के कारण बहुत से दलित परिवार जो तकनीकी क्षमता रखते हैं परन्तु पैसा और संसाधनों की कमी होने के कारण उनका जीवन दरिद्र बन गया है या पलायनवादी विचारों को अपनाकर भारत के अन्य राज्यों में चले गये हैं अपनी जीविका चलाने के लिये।

निर्धनता की संस्कृति सभी मापदण्डों को प्रभावित करती हैं आस्कर लेविस ने 1958 में निर्धनता की संस्कृति के विचार को लोकप्रिय बनाया। उसका यह मानना था कि यह विशेष प्रकार की संस्कृति है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता को हस्तान्तरित करती है। इस रूढ़िवादी अवधारणा ने राजनीतिक एवं जनमानस विश्वास करता है कि दरिद्रता और निर्धनता एक भाग्यवादी प्रकृतिवादी और ईश्वरवादी प्रदत्त गुण हैं।[131]

उ0प्र0 में कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आने से निर्धनता बढ़ी परन्तु जनसंख्या वृद्धि हो जाने से विकास को दरें उ0प्र0 के दलित निवासियों के लिये न्यूनतम स्तर पर जीवन व्यतीत करने के लिये भी साधन उपलब्ध नहीं है।

आज जरूरत है कि एक नयी विकास परिषद बनाई जाये जिससे दलितों के विकास के लिये बिजली के औद्योगिक उत्पादन, यातायात, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके क्योंकि और मानव संसाधन के विकास सभी लक्ष्य से काफी कम रहे है। राजनेताओं और मंत्रियों ने केवल दलित और अस्पृश्य वर्ग को समय–समय पर भिन्न–भिन्न सब्जबाग दिखाते रहें हैं।

उ0 प्र0 मे निर्धनता को समाप्त करने के लिये कई प्रकार की योजनायें क्रियान्वित की गई उनमें विभिन्न पंचवर्षीय योजनायें प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि येाजना, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना एवं शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम इत्यादि। परन्तु ये समस्त योजनाओं को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाये जिससे दलितों का जीवन स्वच्छ एवं सुन्दर बन सकें।[132]

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा जुलाई 1999 से जून 2000 के बीच नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार योजना आयोग द्वारा देश में निर्धनता प्रतिशत 26.1 आकलित किया है जिसके अन्दर बिहार, उ0प्र0, म0प्र0 एवं उड़ीसा जैसे प्रान्तों में बहुत से दलित परिवार भुखमरी की कगार पर खड़े हैं तथा मूलभूत सुविधाओं से वंचित है।[133]

गरीबी का कारण पारिवारिक विघटन और चारित्रिक पतन भी है। आर्थिक अभाव के कारण कभी–कभी बाध्य होकर स्त्रियाँ अपने तन को बेंचकर परिवार का भरण–पोषण करती है। और गरीबी के कारण वैश्यागामी बन जातीं हैं।

निर्धनता और प्रदेश की जनसंख्या की आयु के ढांचे में भी सम्बन्ध है। अधिक जनसंख्या के कारण जीवन उपेक्षित और संकुचित हो जाता है। निर्धनता की पीड़ा अभिज़ात वर्ग क्या जानें। इन्होने हमेशा दलित वर्ग के साथ सामाजिक भेदभाव और सामाजिक निन्दा की हैं जिससे आज दलित वर्ग कई प्रकार के पूर्वाग्रहों से पीड़ित है। उसकी अलग एक उपसंस्कृति बना दी। इसके लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश का सामन्ती जमीदारीं एवं साहूकार वर्ग है। जिसने इस वर्ग को शारीरिक व मानसिक रूप से पंगु बनाया और भुखमरी और बेरोजगारी को जन्म दिया।

निर्धनता को समाप्त करने के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा कई प्रकार के प्रयास किये जा रहे है। जिनमें बेकारी को दूर करना, जनसंख्या पर नियन्त्रण कृषि व्यवस्था में सुधार ग्रामीण औद्यौगिकीकरण, ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण कार्य, भ्रष्टाचार का उन्मूलन, सामाजिक प्रथाओं को समाप्त करना तथा शिक्षा का प्रसार मुख्य है।[134]

निर्धनता पर प्रहार व्यक्तियों, सरकारें स्वयंसेवी संगठनों और उद्योगपतियों के बीच एक साझेदारी का आधार बन सकता है। समाज तो केवल निर्धनों, वृद्धों तथा अशक्त व्यक्तियों और नितान्त निराश्रयों जिनके पास जीविका के कोई साधन नहीं है अपितु उसे स्वस्थ्य निर्धनों और बेरोजगारों या अल्प बेरोजगारों को भी जनसंख्या के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वावलम्बी बनाने में सहायता प्रदान करनी है।

निर्धनता वास्तव में एक जटिल समस्या है जिसके द्वारा समस्त उ0प्र0 में जीवन स्तर का न्यूनतम प्रतिमान तय कर दिया जाये एवं उसे जुटाने के लिए सरकार अपने दायित्वों को वहन करे, तभी इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। गरीबी को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों में कार्य के प्रति अटूट निष्ठा पैदा की जाये जिससे उत्पादन का वितरण ठीक ढंग से हो। और गरीबी तथा अमीरी के भेद को कम किया जा सके जिससे आर्थिक विकास की सभी योजनाओं को सफलता पूर्वक लागू करने के लिए राजनेताओं अधिकारी वर्ग को कर्तव्य निष्ठा का पूर्ण परिचय देना होगा। इसके अतिरिक्त निर्धनता और दरिद्रता को समाप्त करने हेतु विभिन्न प्रयास किये जाये। जिससे समस्त समाज एक आदर्श सतम्भ पर खड़ा हो सके और केवल एक ऐसा समाज बने जो अपने आप मे समस्त विश्व में एक उत्कृष्टता की चरमोत्कर्ष सीमा पर केन्द्रीय भूत हो सके।

भारत में निर्धनता संबंधी अनुमान

वर्ष	निर्धनता अनुपात (प्रतिशत में)			निर्धनों की संख्या (दस लाख में)		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित
1973–74	56.4	49.0	54.9	261.3	60.0	321.3
1977–78	53.1	45.2	51.3	264.3	64.6	328.9
1983	45.7	40.8	44.5	252.0	70.9	322.9
1987–88	39.1	38.2	38.9	231.9	75.2	307.1
1993–94	37.3	32.4	36.0	244.0	76.3	320.3
1999–00	27.1	23.6	26.1	193.2	67.1	260.3
2007	21.1	15.1	19.3	170.5	49.6	220.1

वर्ष 2001–2002 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न नयी योजनाएं

क्र0 सं0	योजना का नाम	संचालन कर्ता प्रदेश	योजना का प्रमुख लक्ष्य
1.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वरोजगार योजना	उत्तर प्रदेश	शहरी क्षेत्रों के तकनीकी बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना।
2.	महर्षि बाल्मीकि मलिन बस्ती सुधार योजना	उत्तर प्रदेश	अनुसूचित जाति बाहुल्य नगरीय मलिन बस्तियों का सर्वांगीण विकास करना।

3.	आवास एवं रोजगार योजना	उत्तर प्रदेश	नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले दलित, अति पिछड़े वर्ग आश्रयहीनों को एक लाख आवासों एवं 10 हजार दुकानों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाना।
4.	स्कूली बच्चों हेतु सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना	उत्तर प्रदेश	6 से 16 वर्ष की आयु के सभी स्कूली बच्चों और उनकी माताओं को दुर्घटना से मृत्यु या अपंग हो जाने पर 25 हजार रूपये तक की 'माँ सुरक्षा' प्रदान करना।
5.	असंगठित श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना	उत्तर प्रदेश	असंगठित क्षेत्र के मजदूरों हेतु पति–पत्नी दोनों में किसी की भी मृत्यु पर 25 हजार रूपये के बीमें द्वारा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
6.	महिला समूहों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना	उत्तर प्रदेश	महिला समूहों की सदस्याओं की अपंगता या मृत्यु होने पर 25 हजार रूपये के बीमे द्वारा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
7.	रोजगारसंकल्प योजना	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारों को रोजगार कार्यक्रमों और योजनाओं के अंतर्गत लाभांवित करना।
8.	जलनिधि योजना	उत्तर प्रदेश	स्थानीय निवासियों की सहभागिता से गांवों में हैंडपंप लगाकर गांववासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।

गरीबों के लिये संचालित कुछ कल्याणकारी योजनाएँ

क्र0सं0	योजना का नाम	योजना के प्रमुख लक्ष्य	अन्य विवरण
1.	खेतिहर मजदूर बीमा योजना	ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले खेतिहर मजदूरों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के साथ 100 रूपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना।	गत वर्ष के बजट सत्र में घोषित इस योजना को 1 जुलाई, 2001 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है।
2.	शिक्षा सहयोग बीमा योजना	गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को 100 रूपये प्रतिमाह शिक्षा भत्ता प्रदान करना।	इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा गत वर्ष के बजट सत्र में की गयी।
3.	आश्रय बीमा योजना	उदारीकरण के फलस्वरूप विभिन्न उद्योगों से छँटनीशुदा कर्मचारियों/विस्थापित श्रमिकों हेतु स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करना।	गत वर्ष के बजट सत्र में इस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गयी।

4.	शैक्षणिक ऋण	देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को 7.5 लाख तक तथा विदेश में पढ़ने वाले बच्चों से 15 लाख तक का ऋण अपनी पढ़ाई पूरी करने हेतु आसान शर्तों पर प्रदान करना।	इस योजना की घोषणा भी गत वर्ष के बजट सत्र के दौरान की गयी।
5.	किशोरी शक्ति	चिंहित किशोरियों को पोषाहार देने के साथ–साथ स्वास्थ्य शिक्षा तथा व्यवसायिक कुशलता हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।	आई0सी0डी0एस0 ।।। कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित यह नयी योजना है।
6.	सर्वशिक्षा अभियान	6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक की शिक्षा सुनिश्चित करना।	सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा अगले 10 वर्षो में प्रदान करने हेतु यह एक महत्वाकांक्षी योजना है।
7.	महिला स्वाधार योजना	स्वयं सहायता समूहों के गठन के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण करना।	इन दोनों (क्र.सं0 7 और 8) योजनाओं की घोषणा जुलाई 2001 में मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा की गयी।
8.	महिला स्वयं सिद्धा योजना	महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करना।	पूर्व से संचालित इंदिरा महिला योजना तथा महिला समृद्धि योजना के स्थान पर महिला स्वयं सिद्धा योजना संचालित की जा रही है।
9.	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना तथा वहां गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।	योजना की घोषणा 15 अगस्त, 2001 को की गयी। इस योजना में मजदूरी के रूप में नकद राशि के साथ अनाज भी दिया जायेगा। योजना हेतु 10 हजार करोड़ रूपये प्रतिवर्ष खर्च किये जायेंगे।
10.	अंबेडकर–बाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना	शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों पिछड़े कमजोर वर्गों के लोगों को सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध कराना।	योजना की घोषणा 15 अगस्त, 2001 को की गयी। इस योजना में मजदूरी के अंतर्गत प्रतिवर्ष शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2000 करोड़ रूपये का ऋण तथा 1000 करोड़ रूपये का अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

11.	राष्ट्रीय पोषाहार	गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों गर्भवती महिलाओं माताओं किशोरियों को सस्ते दरों पर अनाज उपलब्ध कराना।	इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2001 को की गयी।
12.	संकट हरण बीमा योजना	सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उर्वरक के क्रय करने पर कृषकों को निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करने के साथ–साथ सहकारी आंदोलन मजबूत करना।	इस योजना को 30.9.2001 को उर्वरक उत्पाद संस्थाओं (इफको, कृषकों, तथा आई0पी0एल0)द्वारा संचालित किया गया है।
13.	महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना	महिला उद्यमियों को अगले तीन वर्षों तक सार्वजनिक बैंकें द्वारा कुल ऋण राशि का पांच प्रतिशत भाग ऋण के रूप में उपलब्ध कराना।	15 अगस्त, 2001 को इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गयी।
14.	सेना परिजन आवास योजना	सेना के जवानों के परिवारों के लिए अगले चार वर्षों में तीन लाख मकानों का निर्माण किया जाना।	इस योजना की घोषणा, 15 अगस्त 2001 को प्रधानमंत्री द्वारा की गयी।
15.	बीमा ग्राम योजना	चयनित गांवों में व्यक्तिगत बीमा को प्रोत्साहित करके ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करना।	फरवरी, 2002 में इस योजना की घोषणा जीवन बीमा निगम द्वारा की गयी।
16.	जय प्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना	देश के सर्वाधिक गरीबी वाले जनपदों में ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना।	फरवरी,2002 में हुए बजट सत्र में वित्त मंत्री द्वारा इस योजना की घोषणा की गयी।
17.	बंधक ऋण गारंटी योजना	सभी लोगों को और विशेष रूप से ग्रामीणों को आवास ऋण अधिक सुविधाजनक तथा वहनीय बनाना।	फरवरी,2002 में बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री द्वारा इस योजना की घोषणा की गयी।
18.	जनरक्षा बीमा योजना	चयनित व्यक्तियों को केवल एक रूपया प्रतिदिन के भुगतान के आधार पर अस्पतालों में निःशुल्क अन्तरंग उपचार की सुविधा मुहैया कराना।	फरवरी, 2002 में बजट सत्र में वित्त मंत्री द्वारा इस योजना को घोषित किया गया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची– अध्याय–5

1– दलित साहित्य (वार्षिकी) 2006 पेज न0–397

2– वही पेज नं0 398

3– साम्मर्थ अगस्त 07 पेज नं0 19

4– सिंह, राम गोपाल, भारतीय दलितः समस्यायें एवं सम्भावनाऐं, पृ0–115

5– वही, पृ0 –115

6– काम्बले, एन डी0, द शिड्यूल्य कास्ट्स,पृ0–12–18

7– घोष एस0के0, प्रोटेक्शन ऑफ माइनारिटीज एण्ड शिड्यूल्ड कास्ट्स, पृ0 17–24

8– अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां के आयुक्त की (27 वीं) रिपोर्ट भाग 1 व भाग 2, पृ0 संख्या क्रमशः 345 व 60

9– साम्मर्थ अगस्त 07 पेज न0 19

10– वही

11– माताप्रसाद, उत्तर प्रदेश में दलित जातियों का दस्तावेज, पृ0–104

12– वही, पृ0–104

13– सामर्थ्य अगस्ता 07 पेज नं0–19

14– वही

15– वही

16– वही

17– वही

18– वही

19– वही

20– वही

21– वही

22– वही

23– वही

24– वही

25– वही पृ0–105

26– प्रसाद माता, उत्तर प्रदेश में दलित जातियों का दस्तावेज, पृ0–106

27– दैनिक जागरण, अंक दिनांक 7–4–1974

28– प्रसाद माता, पूर्व उद्धत, पृ0 110

29– दैनिक पायनियर, अंक 2 जून, 1981

30– स्वतंत्र भारत, अंक 30–6–84

31– प्रसाद माता, उत्तर प्रदेश में दलित जातियों का दस्तावेज, पृ0–111

32– वही, पृ0–111

33– दैनिक जागरण, 30 मई 1989 ई0 का अंक

34-- लोकायन समीक्षा (दलित उत्पीड़न विशेषांक)
35— वही
36— जनसत्ता, 23 जून 1989 का अंक
37— नवभारत टाइम्स, 23 अगस्त 89 का अंक
38— नव भारत टाइम्स, 23 अगस्त 89 का अंक
39— लोकायन के दलित विशेषांक का अंक
40— जनसत्ता, 30 जुलाई 89 का अंक
41— लोकयन का दलित उत्पीड़न विशेषांक
42— नवभारत टाइम्स, 12 सितम्बर 89 का अंक
43— दैनिक जागरण, 17 फरवरी 2002 का अंक
44— दैनिक जागरण, 23 फरवरी 2002 का अंक
45— दैनिक जागरण, 19 मार्च 2002 का अंक
46— दैनिक जागरण, 25 मार्च 2002 का अंक
47— दैनिक जागरण, 24 मार्च 2002 का अंक
48— दैनिक जागरण, 27 मार्च 2002 का अंक
49— दैनिक जागरण, 7 मार्च 2002 का अंक
50— दैनिक जागरण, 10 मार्च 2002 का अंक
51— वही
52— दैनिक जागरण, 1अप्रैल 2002 का अंक
53— वही
54— दैनिक जागरण, 4 अप्रैल 2002 का अंक
55— दैनिक जागरण, 22 मई 2002 का अंक
56— दैनिक जागरण, 20 जून 2002 का अंक
57— दैनिक जागरण, 22जुलाई 2002 का अंक
58-- दैनिक जागरण, 26 अगस्त 2002 का अंक
59-- दैनिक जागरण, 12सितम्बर 2002 का अंक
60— दैनिक जागरण, 10 अक्टूबर 2002 का अंक
61— दैनिक जागरण, 9 नवम्बर 2002 का अंक
62-- दैनिक जागरण, 14 दिसम्बर 2002 का अंक
63— दैनिक जागरण, 22फरवरी 2003 का अंक
64— दैनिक जागरण, 12 जनवरी 2003 का अंक
65— दैनिक जागरण, 5 मार्च 2003 का अंक
66— दैनिक जागरण, 5 अप्रैल 2003 का अंक
67— दैनिक जागरण, 27 मई 2003 का अंक
68— दैनिक जागरण, 19 जून 2003 का अंक

69— दैनिक जागरण, 19 जुलाई 2003 का अंक
70— दैनिक जागरण, 3अगस्त 2003 का अंक
71— दैनिक जागरण, 20 सितम्बर 2003 का अंक
72— दैनिक जागरण, 4 अक्टूबर 2003 का अंक
73— दैनिक जागरण, 1 नवम्बर 2003 का अंक
74— दैनिक जागरण, 22 दिसम्बर 2003 का अंक
75— आज, 15 जनवरी 2004 का अंक
76— अमर उजाला, 10 फरवरी 2004 का अंक
77— आज, 12 मार्च 2004 का अंक
78— दैनिक जागरण 11 अप्रैल 2004 का अंक
79— दैनिक जागरण 9 मई 2004 का अंक
80— दैनिक जागरण 29 जून 2004 का अंक
81— दैनिक जागरण 26 जुलाई 2004 का अंक
82— दैनिक जागरण 14 अगस्त 2004 का अंक
83— दैनिक जागरण 8 सितम्बर 2004 का अंक
84— दैनिक जागरण 5 अक्टूबर 2004 का अंक
85— दैनिक जागरण 19 नवम्बर 2004 का अंक
86— दैनिक जागरण 4 दिसम्बर 2004 का अंक
87— दैनिक जागरण 18 जनवरी 2005 का अंक
88— दैनिक जागरण 9फरवरी 2005 का अंक
89— दैनिक जागरण 8 मार्च 2005 का अंक
90— दैनिक जागरण 5 अप्रैल 2005 का अंक
91— दैनिक जागरण 11 मई 2005 का अंक
92— दैनिक जागरण 16 जून 2005 का अंक
93— दैनिक जागरण 22जुलाई 2005 का अंक
94— दैनिक जागरण 1 अगस्त 2005 का अंक
95— दैनिक जागरण 19 अक्टूर 2005 का अंक
96— सिंह रामगोपाल, भारतीय दलित समस्यायें एंव समाधान, पृष्ठ—4
97— दैनिक जागरण 6 जून 2007 का अंक
98— दैनिक जागरण 6 जून 2007 का अंक
99— अमर उजाला कानुपर 31 जुलाई 2006 का अंक
100— राम आहूजा—सामाजिक समस्याऐं पृ0—256
101— डा0 श्यौराज सिंह बैचेन, डॉ0 रजत रानी 'मीनू' दलितख दखल पृ0—98
102— वही पृ0—99
103— वही

104— राम आहूजा —सामाजिक समस्याऐं पृ0—257
105— वही पृ0—258
106— वही पृ0—260
107— फ्रन्ट लाइन जुलाई उ0 1993
108— राम आहूजा —सामाजिक समस्याऐं पृ0—262—263
109— वही पृ.—264
110— वही
111— राम आहूजा —सामाजिक समस्याऐं पृ0—265
112— वही पृ0—267
113— वही पृ0—268
114— वही पृ0—269
115— सेन्शस जनगणना उ0 प्र0—2001
116— एन0एन0 ओझा—भारती की सामाजिक समस्याऐं पृ0—225
117— वही पृ0—226
118— वही पृ0—228
119— वही पृ0231
120— वही पृ0—232
121— वही पृ0—224
122— वही —पृ0222
123— वही पृ0—223
124— एम0एल गुप्ता—भारतीय समाज पृ0—3
125— वही पृ0—4
126— राम आहूजा —सामाजिक समस्याऐं पृ0—32
127— एम0एल0 गुप्ता—भारतीय समाज पृ0—9
128— वही पृ0 19
129— वही पृ0— 12
130— वही पृ0 26
131— राम आहूजा —सामाजिक समस्याऐं पृ0—49
132— एम0एल0 गुप्ता—भारतीय समाज पृ0—20—21
133— वही पृ0—24
134— वही पृ0 26
135— दसवीं पंचवर्षीय योजना, खंड—1 योजना आयोग

षष्टम्
अध्याय

बीसवीं सदी में दलित समाज की स्थिति

बीसवीं सदी के प्रारम्भ से लेकर आज तक दलितों की स्थिति पर नजर डालें, तो ज्ञात होता है कि, अनेकानेक परिवर्तनों के बाद भी दलितों की हालत आज भी अत्यन्त दयनीय एवं समाज के आखिरी पायदान पर जीवन मृत्यु के संघर्ष में ही बीत रहे हैं। वैदिक काल में ऋग्वेद के सूक्तों के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था प्रारम्भ हुयी। वह आज भी बदस्तूर लगातार जारी है। यहां तक कि, अंग्रेजों के शासन काल में विभिन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप यह प्रथा अधिक लोकप्रिय हो गयी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित न्यायालयों में 1864 तक सवर्णो की संबद्धता, बड़ी मात्रा में वेदों, पुराणों,काव्यों, महाकाव्यों का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद, हर जगह जाति सभाओं का प्रादुर्भाव, जों संस्कृति करण द्वारा अपनी–अपनी जाति के सुधार के प्रयत्नशील थे।[1] यद्यपि अंग्रेजों ने सतीप्रथा, बालिका वध, नरबलि दास प्रथा, बाल विवाह प्रशा, बहुविवाह प्रथा, आदि को समाप्त करने के प्रयास भी किये। इन प्रयासों का भी अधिकतर लाभ दलितेत्तर जातियों को ही मिला। दलितेत्तर जातियों ने भी अंग्रेजी शिक्षा आदि का खूब लाभ उठाया, वहीं शिक्षा से वंचित दलित इस अवसर से भी वंचित रह गये।[2]

अनादि काल से भारतीय समाज के दलित –वर्ग पर खुलकर नाना प्रकार के अन्याय एवं अत्याचार होते रहे हैं। उनका आर्थिक और सामाजिक शोषण किया जाता रहा है। उनकी बहू–बेटियों की इज्जत से सरे आम खेला जाता रहा है। आशा तो उन्हें यह थी कि भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद वे खुली हवा में साँस ले सकेंगें, समाज उन्हें मानवीय अधिकारों से वंचित नहीं रखेगा। लेकिन उनका यह स्वप्न भारत के स्वतन्त्र हो जाने के इकसठ वर्ष बाद भी पूरा नहीं हों पाया है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति एवं विशुद्ध भारतीय राष्ट्रीय सरकार का निर्माण होने के पश्चात मनीषी, विचारकों का विचार एवं सरकार की नीति इस प्रकार हो गई कि भारत की उन्नति के लिए अभिशाप के रूप में विद्यमान जातिप्रथा को समूल नष्ट किया जाय। भारतीय संविधान के अन्दर परिगणित जातियों के लिए विशिष्ट नियमों का निर्धारण किया गया हैं सन् 1955 में भारतीय लोकसभा ने 'अनटचेब्लिटी एक्ट' पास किया है, जिसके अनुसार निम्न जातियों को मन्दिरों, कुओं, विद्यालयों, दुकानों, जलपान गृहों एवं सिनेमा घरों में प्रवेश निषिद्ध करना अथवा अन्य किसी प्रकार के अपने से पृथक अथवा हीन समझने वालों को कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार की नौकरियों में जाने के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में निम्न जातियों के दलित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती हैं।

अतः स्पष्ट है कि संविधान और कानून के माध्यम से दलितों को उनके अधिकार प्रदान किये गये हैं। लेकिन अनादि काल से दलितों का शोषण करने का आदी भारतीय समाज अपना शोषण–कार्य जारी रखे हुए है। स्वतन्त्रता के पश्चात भी उनकी दयनीय स्थिति बरकरार रही है।

डॉ0 अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनाये गये भारत के संविधान में दलितों को अनेक प्रकार के उत्कर्ष सम्बन्धी अधिकार प्रदान किये गये। परन्तु आजादी के 61 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी वे अपने जीवन स्तर में सुधार नही ला सके। संविधान के अनुच्छेद–46 के अनुसार राज्य को समाज के दीन–हीन तबका विशेषतयः दलित तथा आदिवासियों के शैक्षिक एवं आर्थिक

हितों के सरंक्षण तथा उनको अन्याय और शोषण से बचाने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया हैं। दुःख की बात है कि, इस उत्तरदायित्व की घोर उपेक्षा की जा रही है। जीवन के सभी क्षेत्रों विषेषतः शिक्षा में दलितों का पिछड़ापन इस उपेक्षा का एक परिणाम हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2000 में कुल 20.59 करोड़ दलितों में स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या मात्र 76928 और केवल 618 पी–एच0डी0 प्राप्त लोग थे।[3] यदि उच्च शिक्षा की बात छोड़ दें, तो दलितों को मामूली प्राथमिक शिक्षा या साक्षरता भी उपलब्ध नही हो रही है। दलितों की औसत साक्षरता दर केवल 37 प्रतिशत है। दलित महिलाओं की साक्षरता तो केवल 19 प्रतिशत है।[4] लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के वर्तमान युग में दिन–रात अपनी रोजी–रोटी की व्यवस्था में लगे दलित अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की हालत में ही नहीं हैं इसके साथ ही साथ सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बदहाली तथा दलित जातियों में अपने प्रति घृणा के चलते भी दलित आज शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार समिति द्वारा जारी 'ब्लैक पेपर' के अनुसार केवल 16 प्रतिशत दलित बच्चे ही स्कूलों में अपना नाम लिखा पाते हैं।[5] पेट पालने के लिये 83 प्रतिशत दलित लड़कियां पढ़ाई के दौरान स्कूल छोड़ देती है। 90 प्रतिशत दलित बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते है।6 आज जब सरकार सामाजिक जिम्मेदारी के हर क्षेत्र से पीछे हट रही हैं। शिक्षा के निजीकरण होने के पश्चात तो दलित शिक्षा के भविष्य के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल नहीं होगा।

दलित की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हैं दलितों को अपने जीवन–यापन करने में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दलितों की आज कुल जनसंख्या 17 प्रतिशत है। इनका 85 प्रतिशत भाग ग्रामीण अंचलों में रहता है। तथा उनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि ही है। दलितों के पास खेती के साधन तथा कृषि योग्य भूमिं बहुत कम है, जिसके कारण लगभग 49 प्रतिशत दलित खेतिहर मजदूर हैं।7 मात्र 25 प्रतिशत दलितों के पास कृषि योग्य भूमि हैं। परिवार के भरण पोषण के लिये 80 प्रतिशत दलित महिलायें खेतिहर मजदूरी या अन्य प्रकार की मजदूरी का कार्य करती हैं। 45 प्रतिशत दलित आज भी गरीबी की रेखा के नीचे है। जो किसी प्रकार अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहा है। 92 प्रतिशत दलित परिवारों के व्यक्ति शौचालय, 70 प्रतिशत बिजली तथा 50 प्रतिशत पेयजल से वंचित है।[8] संविधान में दलितों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा आजादी के 61 वर्ष पश्चात भी पूरा नहीं हो पाया है। केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में दलितों के लिए आरक्षित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के पदों में केवल क्रमशः 8.23 प्रतिशत, 10.47 प्रतिश तथा 14.76 प्रतिशत स्थान ही भरे जा सके हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के प्रथम श्रेणी आरक्षित पदों में केवल 4.86 प्रतिशत तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में क्लर्कों तथा अधिकारियों के आरक्षित पदों में केवल 7.29 प्रतिशत ही भरे जा सके हैं।[9]

गरीबी का भयावह जीवन व्यतीत कर रहे दलितों, आदिवासियों के लिए अपनी स्वास्थ्य रक्षा तथा बीमारियों से इलाज की समस्या भी निरन्तर विकराल होती जा रही है। वे गरीबी–कुपोषण–बीमारी के दुष्चक्र में बुरी तरह घिरे हुये हैं। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2001 में स्वीकार किया गया है, कि 56 प्रतिशत दलित तथा 64 प्रतिशत आदिवासी खून की कमी का शिकार है।[10] सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, उनमें सेवाओं का पूरा पैसा लेने के प्रयास, दवाओं की आसमान छूती कीमतों तथा बाजार को प्रोत्साहान देने वाली नई स्वास्थ्य और दवा

नीतियों के लागू होने के बाद दलितों–आदिवासियों के स्वास्थ्य का क्या होगा?

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक प्रगति से भी पहले मानवीय गरिमा के साथ जीने का सवाल प्रमुख होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 61 वर्षो बाद भी अधिकांश दलित अशपृश्यता, कुपोषण अपराध, उत्पीड़न तथा भेदभाव के कारण पशुवत् जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक प्रख्यात पत्रकार पी0 साई नाथ ने देश भर में दलितों के अमानवीय उत्पीड़न को उजागर करने में महत्वपूर्ण काम किया है। उनके अनुसार हिन्दी भाषी क्षेत्रों में दलितों को मल--मूत्र पिलाने तथा उनकी बहू–बेटियों से बलात्कार कर नंगा घुमाने की घटनायें प्रायः होती ही रहती है। इसीं प्रकार के अत्याचर देश–प्रदेश के कोने–कोने में व्याप्त है। आदिवासियों को बहुत पहले ही उनकी जमीनों, पशुओं और जंगलों से वंचित कर सबसे दुर्गम तथा अनुपजाऊ क्षेत्रों में धकेल दिया गया है। अब बड़ी–बड़ी परियोजनाओं द्वारा इनको वहाँ से भी विस्थापित कर महानगरों की झुग्गी--झोपड़ियों में धकेला जा रहा है। पर्यावरण क्षरण तथा प्रदूषण का भी सबसे अधिक दुष्प्रभाव दलितों, आदिवासियों पर ही पक्ष है। इस प्रकार 20 वीं सदी में दलितों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। वे सामाजिक आर्थिक राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षिक आदि समस्याओं से जूझ रहे है।

20 वी सदी में आधुनिकता एवं भौतिकवादिता में प्रवेश करने पर भी मनुष्य के दिमाग में कई प्रश्न है। अछूत कौन है? अछूतपन कैसे पैदा हुआ? अछूतों की नस्ल सवर्णो से कैसे भिन्न है? अछूतों का क्या पेशा है? अछूतों का मूल्य क्या है? तथा भारतीय संविधान में अछूतों को क्या सुविधायें दी गयी है। क्या वास्तव में 20 वीं शताब्दी और 21 वीं शताब्दी में प्रवेश होने पर क्या प्रश्न दलितों के लिए विचारणीय और चिन्तनीय है। जिससे उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ जा सके।

दलित समाज की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत से नियम कानून गोष्ठियां और वर्कशॉप होते हैं क्या वास्तव में ये कितने सार्थक और प्रयोगिक हैं जिनसे दलितों की स्थिति सकारात्क बन सके और उनका जीवन भी स्वच्छ सुन्दर और समतामय बन सके। परन्तु आर्थिक मुद्दे और शोषण के तरीके दलितों को पिछड़ेपन का आभास कराते है।

दलितों की समस्यायें और समाधान का प्रयास

भारतीय समाज का बुनियादी ढांचा लोकतांत्रिक नहीं है। यह जन्मांत असमानता पर आधारित अनेक जातियों, उपजातियो में बँटा हुआ हैं। जिसमें दलित सबसे नीचे हैं। जिनका दुखद अतीत है और जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण पहचान है। हजारो वर्षो से दलित शोषण, वंचन और उत्पीड़न के शिकार रहे हैं। इनकी अनेक निर्योग्यतायें हैं। जो शास्त्रीय हैं जो ऐतिहासिक हैं। हांलाकि इन्हें दूर करने के प्रयास भी समय–समय पर होते रहे किन्तु बुद्ध से लेकर नानक और दयानन्द तक को इस बिन्दु पर पराजय का मुँह देखना पड़ा है।

बीसवीं सदी में गाँधी और अम्बेडकर ने अलग–अलग दिशाओं से दलित समस्या के समाधान के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश का नया संविधान बना। जाति–पांति और ऊँच–नीच का परम्परात्मक भेदभाव समाप्त कर दिया गया। शिक्षा, आत्मविश्वास, रोजगार सहित सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतन्त्रता और समानता के सिद्धांतों की स्थापना की गई। किन्तु नया समाज अभी तक नहीं बन पाया। समाज में जाति पांति का अस्तित्व

बरकरार है। दलितों की निर्योग्यतायें कम जरूर हुई हैं किन्तु इनकी समस्यायें बढ़ गई हैं।[11]

गत शताब्दी तक दलित समस्या के प्रति विचारकों का दृष्टिकोण बहुत कुछ धार्मिक था। बीसवीं सदी के आरम्भ से लोगों ने इस समस्या की ओर यथार्थवादी दृष्टिकोण से सोचना आरम्भ किया। किन्तु जाति व्यवस्था विशेष रूप से दलित समस्या के सम्बन्ध में व्यवस्थित जाँच का कार्य मुश्किल से चार पांच दशक पूर्व आरम्भ हुआ। अनेक पाश्चात्य एवं भारतीय समाजशस्त्रियों ने जाति व्यवस्था की प्रकृति तथा अन्य सम्बद्ध पहलुओं जैसे विभिन्न जातियों के बीच प्रकार्यात्मक सम्बन्ध, तुलनात्मक स्थायित्व, गतिशीलता, सामंजस्य, तनाव तथा संघर्ष आदि की विवेचना करने का प्रयास किया। किन्तु दलित समस्या के अध्ययन की ओर समाज वैज्ञानिकों का ध्यान अभी हाल में ही गया है।[12]

पुरानी पीढ़ी के समाजशास्त्रियों का दलित समस्या के अध्ययन की ओर झुकाव नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि वे दलित समस्या को बाल विवाह, विधवा विवाह अथवा दहेज की भांति एक सामाजिक समस्या मानते थे। जो समाजिक सुधार अथवा विधान न कि सामजिक विवचेना का विषय थी। इसलिये इसका सम्बन्ध मुख्यतः सामाजिक सुधारकों व सामाजिक नियोजकों से था न कि समाज वैज्ञानिकों से। किन्तु विशेष रूप से पिछले एक दशक में देश की सामाजिक व राजनैतिक संरचना में नये समीकरणों का उदय हुआ। नये सामाजिक व राजनैतिक समीकरणों में पिछड़ी एवं परिगणित जातियां महत्वपूर्ण कड़ियों के रूप में परिलक्षित हुई। बहुत कुछ इस कारण से समाज वैज्ञानिकों का ध्यान अब पिछड़ी जातियों तथा अनुसूचित जातियों के अध्ययन की ओर आकर्षित हुआ है। इन जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, परम्परात्मक एवं नवीन समस्यायें, सामाजिक गतिशीलता आदि विषयों का अध्ययन सामाजिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में किये जाने की अब आवश्यकता महसूस की जाने लगी है।[13]

दलित समस्याओं को समझने के लिए हमें इसके तीन पक्षों पर ध्यान देना पड़ेगा।

1— दलित समस्या की प्रकृति

2— दलित समस्या को संपोषित करने वाले कारक

3— दलित समस्या का निवारण[14]

भारतीय समाज में अन्य वर्गो की अपेक्षा दलितों की अपनी कुछ विशेष समस्यायें है। चाहे वे हिन्दू हों, बौद्ध हों अथवा सिख, ईसाई या इस्लाम में धर्म परिवर्तन किये हुये दलित हों, सभी स्थान पर उनके साथ परम्परात्मक आधार पर भेदभाव किया जाता है। इसलिये भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक संरचना का कोई अध्ययन दलित समाज के विशेष संदर्भ में ही अर्थपूर्ण व सार्थक सिद्ध हो सकता है। भारतीय समाज जन्म से ही असमानता पर आधारित है तथा यह समाज अनेक जातियों उपजातियों में बँटा हुआ है। जिसमें गरीब (दलितों का) स्तर बहुत ही दयनीय है। इनका अतीत दुःखद हैं तथा जिनकी पहचान दुर्भाग्यपूर्ण है। हजारों वर्षो से दलित शोषण, वंचन और उत्पीड़न के शिकार होते रहे हैं। बीसवी शताब्दी में गाँधी और अम्बेडकर ने अलग–अलग दिशाओं से दलित समस्या के समाधान के लिये विशेष संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का नया संविधान लागू हुआ। जाति तथा ऊँच नीच से सम्बंधित परम्परात्मक भेदभाव समाप्त कर दिया गया। शिक्षा, आत्मविश्वास, रोजगार सहित सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में

स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों की स्थापना की गयी।[15] परन्तु समाज का नवीनीकरण नहीं हो पाया। आज भी समाज में जाति–पंति का अस्तित्व प्राचीन काल की तरह है। दलितों की सामाजिक स्थिति में सुधार तो अवश्य हुआ है परन्तु इनकी समस्यायें बढ़ गयी है।[16]

भारत में दलित से अभिप्राय उन लोगों से है जो सविधान की धारा–341 (1) तथा (2) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखे गए हैं[17] देश में इनकी संख्या करीब चौदह (13. 82) करोड़ है। जो देश की सम्पूर्ण जनसंख्या का छठाई भाग (16.48) हैं संविधान में इनकी अलग पहचान, इनकी सामाजिक निर्योग्यताओं एवं आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने तथा इन्हें विशेष सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से निर्मित की गई हैं।[18] गरीबी, गन्दगी, बीमारी और अशिक्षा की शिकार ये जातियाँ समाज से बहिष्कृत और नागरिक अधिकारों से वंचित रही हैं इनके पास भूमि व जीविका के अन्य संसाधनों का स्वामित्व नहीं के बराबर हैं इनमें आधे से अधिक लोग भूमिहीन अथवा छोटे व सीमांत कृषक हैं। जो आजीविका के लिए कृषि मजदूरी पर निर्भर करते है। अभी हाल तक इनमें अधिकांशतः अपने भू–स्वामी के यहाँ पूर्णतः या अंशतः बंधुआ मजदूर थे। ये खाल निकालने और चमड़े का काम, नाली और गली की सफाई जैसे गन्दे और कम आमदनी वाले काम करते रहे हैं। आज भी दलित अधिकांशतः अभावग्रस्त और दरिद्र हैं।[19]

हमारे देश में दलितों की निर्योग्यताएँ ऐतिहासिक व समाज शास्त्रीय हैं समाज में सुविधा भोगी और सुविधाहीन तबके तो पूर्व वैदिक और वैदिककाल में भी थे। किन्तु छुआछूत जैसी निर्मम सामाजिकार्थिक बेड़ियों में मनुष्य को जकड़ने का चलन पुण्यमित्र शुंग के समय से प्रारम्भ हुआ। इस समय मौर्य वंश जिसने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया और अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया था के पतन और ब्राह्मण धर्म की स्थापना का समय था।[20] ऐसा करने में उन्होनें मुख्यतः तीन बिन्दुओं पर ध्यान दिया था।[21]

(1) ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्थायी बनाते हुए विभिन्न जातियों के बीच ऊँच नीच के स्तरण को अधिक स्पष्ट एवं कठोर बनाना।

(2) अल्पायु विवाह का अनुमोदन तथा अन्तर्विवाही नियमों को कठोर बनाना।

(3) इस व्यवस्था को न मानने वालो को समस्त सामाजिक एवं नागरिक अधिकारों से वंचित तथा समाज से बहिष्कृत करते हुए पशुवंत जीवन व्यतीत करने को बाध्य करना।

परन्तु इसके पश्चात भी दलित समाज की प्रमुख निर्योग्यताएँ निम्नांकित थी।[22]

(1) अध्ययन, अध्यापक व आत्मविकास के अवसरों से वंचित।

(2) धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन, वाचन और श्रवण पर रोक।

(3) पूजा पाठ और मन्दिर में प्रवेश करने पर रोक।

(4) उत्तम तथा स्वच्छ वस्त्र एवं आभूषण धारण करने की मनाही।

(5) झोपड़ी व टप्पर के अतिरिक्त अच्छे मकान बनाने और उसमें रहने पर प्रतिबन्ध।[23]

(6) रथ व घोड़े की सवारी करने पर रोक।

(7) गदहा, कुत्ता व सुअर के अतिरिक्त अन्य पशुओं को रखने का निषेध।

(8) सवर्ण बस्तियों में आवासीय मकान बनाने और रहने का प्रतिबन्ध।

(9) सार्वजनिक घाटों, तालाबों और कुओं से पानी लेने पर प्रतिबन्ध।

(10) सार्वजनिक धर्मशालाओं, भोजनालयों आदि में प्रवेश पर प्रतिबंध।

(11) सम्पत्ति रखने के अधिकार से वंचित।

(12) जजमानी सेवा (पुरोहितो बाल कटाई आदि) प्राप्त करने सम्बन्धी अधिकारों[24] से वंचित।

(13) मृत मवेशियों को फेंकने, खाल निकालने बांस की टोकरी, सूप और झाडू बनाने तथा चमड़े का काम, गली, कुची, मैला और गन्दगी की सफाई जैसे निम्न गन्दे और कम आमदनी वाले कार्यो के अतिरिक्त आजीविका के अन्य साधन अपनाने की मनाही।[25]

(14) राजनैतिक व शासन सम्बन्धी अधिकारों पर प्रतिबन्ध।

(15) अस्त्र–शस्त्र धारण करने और युद्ध कला सीखने पर प्रतिबन्ध।

(16) समान नागरिक अधिकारों से वंचित।[26]

(17) सवर्णो के स्पर्श से वंचित (यहॉ तक कि दलितों का सुबह मुह देखना, उनकी परछाई पड़ना द्विजों के लिए अशुभकारक समझा जाता था।)

सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक निर्योयताएँ देश के सभी भागों में और सभी अस्पृश्य जातियों पर समान रूप से लागू नहीं थीं। किन्तु कमोवेश सभी इलाकों में दलित जातियों के लोग निर्धन, शोषित, बहिष्कृत और उत्पीड़ित अवश्य थे।

आज का समय दलितों के लिए स्वर्णिम युग जैसा ही है। क्योंकि आज सरकार के प्रयासों से दलितों को उपरोक्त नागरिक अधिकारों पर समान अधिकार हैं किसी प्रकार का भेद भाव सरकार की ओर से देखने को नही मिलता है परन्तु इन प्रतिबंधों के कारण ही दलितो में विभिन्न उनमें समस्यायें बहुतायत हो गयी हैं, वे निम्न हैं।

सामाजिक भेदभाव–

दलित समस्या का आधार भूत पक्ष है– सामाजिक भेदभाव। दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव की समस्या आज भी वैसी ही हैं। अस्पृश्यता किसी न किसी रूप में आज भी बनी हुई है। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं बरता जायेगा और न ही उसके ऊपर निम्न कोई शर्त या प्रतिबंध होगा।

(अ)दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश।[28]

(ब) ऐसे कुंओं, तालाबों, स्नान घाटों सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों के जिनकी व्यवस्था पूर्ण अथवा आंशिक रूप से राज्य निधियों से की जाती है अथवा जो सामान्य जनता के उपयोग के लिये समर्पित कर दिए गए हैं।[29]

(स) संविधान के अनुच्छेद–17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया हैं। जिससे इसका किसी प्रकार का आचरण निषिद्ध कर दिया गया। अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी प्रकार की प्रतिबन्ध लगाना दण्डनीय अपराध निरूपित किया गया है।[30] अनुच्छेद–25(2)सभी सार्वजनिक धार्मिक हिन्दू संस्थाओं को सभी हिन्दुओं के लिये खोल दिया जाना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 29 (2) के तहत स्कूलों में सभी को प्रवेश पाने का समान अधिकार प्रदान किया गया।[31] संवधिान की धारा 25 (अ) (11) के तहत "अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955" के नाम दिनांक 19 नवम्बर–1976 से लागू हुआ।[32] इस सब के बावजूद आज भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों के साथ भेदभाव गया नहीं है।[33]

अस्पृश्यता व दलितों पर अत्याचार को रोकने के लिए अति व्यापक व कठोर कानून की आवश्यकता को देखते हुए "अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1989 बनाया गया। इस कानून के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के लिए भारतीय दण्ड संहिता की तुलना में अधिक कठोर दण्ड का प्राविधान किया गया है।

अत्याचार

सामान्य तौर पर अत्याचार से तात्पर्य सभी प्रकार के शोषण और उत्पीड़न से है जो गैर दलितों द्वारा गरीब, कमजोर और अपनी रक्षा करने में असमर्थ दलित जातियों के लोगों के ऊपर ढाए जाते हैं। सामान्यतया अत्याचार की श्रेणी में हत्या, बलात्कार, आगजनी तथा हिंसा सम्बन्धी अधिक गम्भीर किस्म के अपराध शामिल किए जाते हैं जिससे पीड़ित व्यक्ति को गम्भीर किस्म की शारीरिक क्षति और अथवा आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। अत्यचार निवारण अधिनियम (1989) के तहत अत्याचार के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के विरुद्ध गैर अनुसूचित जातियों द्वारा अस्पृश्यता व भेदभाव सहित किये गये सत्ताइस प्रकार के अपराधों को सम्मिलित किया गया हैं।[34] मोटे तौर पर अनुसूचित जातियों के विरूद्ध गैर अनुसूचित जातियों द्वारा किये गये वे सभी अपराध जो जिला अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ट में भारतीय दण्ड संहिता, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955) तथा अत्याचार निवारण अधिनियम (1989) के अन्तर्गत पंजीबद्ध किये गये है। अत्याचार की श्रेणी में आते हैं।[35]

दलितों पर अत्याचार के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने के लिए विभिन्न राज्यों विशेष अनुसूचित जाति सेल स्थापित किए गए हैं। साथ ही पुलिस व अर्ध सैनिक बलों में दलितों को भर्ती किए जाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अत्याचार पीड़ित व्यक्तियों को शासन की ओर से राहत के रूप में आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती हैं।[36] इन सब प्रयासों के अतिरिक्त सबसे अधिक ध्यान दलितों के शैक्षणिक व आर्थिक विकास पर दिया जा रहा है। विशेष रूप से इसलिए कि यदि दलित शिक्षित व आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर हो जाते है तो गैर–दलितों को उन्हें सताना मुश्किल हो जायेगा। अत्याचारों से वे अपनी रक्षा स्वंय कर सकेंगें।

अनुसूचित जातियों पर हुए विभिन्न प्रकार के अत्याचारों का विवरण (2002 एवं 2004)

क्र0	अपराध के प्रकार	वर्ष	
		2002	2004
01	हत्या	415	313
02	बलात्कार	317	234
03	गंभीर चोट	506	324
04	आगजनी	138	37
05	अ0जा0/ज0जा0 अत्याचार निरोधक कानून के विरूद्ध	1931	614
06	आई0पी0सी0 के अन्य हस्त0अपराध	2128	1155
	योग	5435	2677

अशिक्षा

केवल तीन दशक पहले से ही दलितों ने साक्षरता के प्रति उल्लेखनीय तेजी देखी गयी है।[37] फिर भी अनुसूचित जातियों का मुश्किल से एक हिस्सा ही साक्षर हो सका हैं तो भी सामान्य साक्षरता वृद्धि को देखते हुए अनुसूचित जातियों में साक्षरता वृद्धि की दर संतोषजनक कही जा सकती है।

अनुसूचित जातियों में साक्षरता

क्र0 सं0	जनगणना वर्ष	अनुसूचित जातियों में साक्षरता प्रतिशत	सामान्य साक्षरता प्रतिशत
1	1961	10.27	24.00
2	1971	14.71	29.00
3	1981	21.38	36.17
4	1991	37.41	51.20
5	2001 (लगभग)	42.00	57.36

स्रोत– रिपोर्ट 1970 : 76 सेन्सज आफ इण्डिया 1981 सिरीज–एक, भाग (2) व प्राइमरी सेंसज एब्सट्रक्ट, शिडयूल्ड कास्ट्स, 1991, और उत्तर प्रदेश 2002 (प्रकाशक सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0)

दलितो का व्यावसायिक पिछड़ापन

भारतीय समाज में जाति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था है इसलिये व्यवसाय भी जाति के आधार पर ही निश्चित होता है। पूर्व में व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था, वह केवल उसी जाति का व्यवसाय अपना सकता था। बहुत कुछ इसी कारण जाति व्यवस्था को संस्थागत शोषण का चरम रूप कहा जा सकता है। परम्परात्मक रूप से अपने भूस्वामी या स्वामी की सेवा तथा निम्न कार्यो का सम्पादन ही पिछड़ी जातियों के हिस्से में रहा है। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त वृत्ति के अधिकार की वजह से व्यवसायों को जातिगत आधार अर्थात व्यवसाय सम्बंधी जातिगत प्रतिबंध समाप्त हो जाता है।[38] परन्तु दलित जातियों की बहुत बड़ी संख्या (लगभग 52 प्रतिशत) आज भी आजीविका के लिए कृषि मजदूरी पर निर्भर करती हैं तथा शेष 28 प्रतिशत कृषक है। परम्परात्मक रूप से दलित चमड़े का काम, बुनकरी,मछली पकड़ना, टोकरी, चटाई व रस्सी बनाना तथा कपड़े की धुलाई जैसे निम्न और कम लाभ के कार्य करते रहे हैं। आज भी इन जातियों के लोग आजीवका के लिए कमोवेश परम्परात्मक व्यवसायों पर निर्भर रहते हैं।[39] अनूसूचित जाति का बहुत कम प्रतिशत ही सफेद पोश–व्यवसाय अपना सका हैं।[40]

हमारे देश में दलितों में गतिशीलता भी बहुत कम हैं प्रायः देखने में आया है, कि 75 प्रतिशत से अधिक लोग अपने ही जिलों में रोजगार खोजते हैं, शेष 12 प्रतिशत लोग अपने ही राज्य में रोजगार तलाश करते हैं।[41] केवल 13प्रतिशत लोग अपने राज्य से बाहर रोजगार की तलाश करते हैं। दलितों में अनुसूचित जातियों की निम्न स्थिति का आंकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 61 वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मना रही केन्द्र सरकार ने स्वयं माना है, कि वह अनुसूचित जाति व जनजाति की सरकारी सेवाओं के पद भरने में असफल रही है।[42]

बँधुआ मजदूरी

हमारे देश में बंधुआ मजदूरी ऋण के बदले में आदमी को गिरवी रखने की प्रथा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आयुक्त की इक्कीसवीं रिपोर्ट के अनुसार[43] एक व्यक्ति किसी ऋण के बदले में अपने को अथवा कभी–कभी अपने परिवार के किसी सदस्य को ऋणदाता के पास गिरवी रख देता है। गिरवीकर्ता अथवा उसके नामांकित व्यक्ति को केवल ऋण चुका देने पर ही छोड़ा जाता है। जब तक ऋण नही चुक जाता, तब तक स्वयं उस आदमी को अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को दैनिक भोजन के बदले में ऋणदाता का काम करना पड़ता है। चूँकि बंधक होने पर काम करने वाले व्यक्ति को कोई पैसा नही मिलता, इसलिए उसे अपनी मुक्ति के लिएं आवश्यक धन जुटाने हेतु परिवार के किसी अन्य सदस्य पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निःसंदेह बहुत कठिन होता है। यह संविदा कभी–कभी महीनों तो कभी वर्षो, यदा कदा सारी जिंदगी चलता रहता है। यह प्रथा विरल रूप में पुरूष उत्तराधिकारी तक समाप्त नही होता। संविधान की धारा 23 के अनुसार सभी प्रकार के बंधुआ या जबरन श्रम को निषिद्ध कर दिया गया है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बंधुआ श्रम प्रथा की कठोर निंदा की गई है। बंधक श्रम सम्बंधी संविदा को बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम, 1976 के तहत गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है[44] उत्तर प्रदेश में जो व्यक्ति बंधुआ श्रमिक रखता है, उसे तीन वर्ष की कैद और एक हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान है।[45]

मजदूरी की निम्न दर और निर्धनता

हमारे प्रदेश के प्रायः सभी भागों में मजदूरों या खेतिहर मजदूरों को श्रम के मुताबिक पारिश्रमिक नहीं मिलता। इसमें कृषि मजदूर अधिक हैं। कृषि में न्यूनतम मजदूरी निध ारित करने के अधिक प्रयास भी नहीं हुए हैं। हालांकि केन्द्रीय बजट 2005 में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी है।[46] प्रधानमंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में इस बात का प्रावधान है, कि राज्य सरकारें कृषि मजदूरों को उचित मजदूरी दिलाए जाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं।[47] अनुसूचित जाति के अधिकांश लोग भी इसी वर्ग में आयेंगे परन्तु आज स्थिति बदल रही है। आज का समय ऐसा है, कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों दलितों में मजदूरों के गिरते जीवन स्तर को ऊपर उठाने के कदम उठा रही है। परन्तु अभी तक इस दिशा में पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

ऋण ग्रस्तता

हमारे देश में मजदूरी की निम्न दर और निर्धनता का जीवन बिताने के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (दलितों) का ऋण ग्रस्त होना स्वाभाविक हैं। घरेलू खर्च तथा विवाह, मृत्यु व अन्य सामाजिक एवं धार्मिक संस्कारों को पूरा करने के लिए इन्हें साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार दलितों के आधे से अधिक परिवार ऋण ग्रस्त है।[48] एक और रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में इन जातियों के छोटे सीमांत कृषकों में 75 प्रतिशत से 80 प्रतिशत परिवार कर्ज में डूबें हुए हैं।[49]

समाधान के प्रयास

हमारे देश में दलितों के मुक्ति के लिए किए गए संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना है। किन्तु आधुनिक काल के पहले दलितों की विमुक्ति के लिए जो प्रयास हुए, उनका क्षेत्र प्रध

ानतः धार्मिक था। आधुनिक शिक्षा, विज्ञान एवं पाश्चात्य मूल्यों के प्रचार व प्रसार के फलस्वरूप दलितों की सामाजिक एवं आर्थिक मुक्ति के लिए संघर्ष तेज हुआ। ब्रिटिश व प्रांतीय सरकारों ने दलितों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कार्य किया, परन्तु इस दिशा में ठोस प्रगति आजादी के बाद ही सम्भव हो सकी। स्वतंत्र भारत के संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित आवश्यक मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। अस्पृश्यता, अपराध घोषित की गयी।[50] दलितों पर अत्याचार को रोकने के लिए केन्द्र व राज्य स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गयी। उन्हें विधान सभा व लोकसभा में सीटों के साथ–साथ सरकारी व अर्ध सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया। ज़िनका लाभ इन्हें निरन्तर प्राप्त हो रहा हैं और आगे भी प्राप्त होता रहेगा। संविधान में अनुसूचित जाति और जनजातियों के साथ–साथ पिछड़े वर्गो के लोगों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अधिकाधिक पूर्ती पर विशेष ध्यान दिया गया हैं दलितों के विकास और कल्याण के लिए कार्य करना राज्यों का मुख्य कर्तव्य बताया गया है। समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित आर्थिक विकास की गति देने के लिए संविधान की धारा 38 और 39 (अ), (ब) और (स) के अन्तर्गत शासन ने 1950 में योजना आयोग की स्थापना की।[51] प्रारम्भिक पंचवर्षीय योजनाओं में दलितों की शिक्षा, आर्थिक विकास तथा स्वास्थ्य एवं आवास की दशाओं में सुधार पर विशेष बल दिया गया। इन सभी प्रयासों का मूल लक्ष्य यह हैं, कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की निर्योग्यताओं को दूर कर शिक्षा व सामाजिक, आर्थिक विकास की विशेष सवुधिाएं मुहैय्या कराते हुए उन्हें शेष जनता के साथ बराबरी में खड़ा किया जा सके।

शैक्षिक और आर्थिक विकास

शैक्षिक विकास

भारतीय संविधान के प्रमुख लक्ष्यों में एक समतावादी समाज की स्थापना करना है। इसका अर्थ है कि सभी वर्गो के लिए किसी प्रकार के भेदभाव के बिना भारतीय समाज में समता और न्याय की स्थापना करना असंभव हैं भारत में कुछ जातियां सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक रूप से कमजोर हैं। अतः उन्हें शेष समाज के बराबर लाने के लिए संविधान तथा कानून में उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं।

वैदिक काल में जिन जातियों के निम्नतम स्थान थे, जो जातियाँ अपवित्र धंधे करती थीं। उन्हें चाण्डाल का नाम दिया गया था। चाण्डाल कस्बों और गांवों के बाहर के हिस्सें में रहते थे। युगों तक यह जातियां दबी हुई रहीं। ऐसी जातियों को अनुसूचित जातियॉ माना गया है।[52]

"अनुसूचति जातियों को न तो 'आदिम' कहा जाता है और न 'आदिवासी' न ही उन्हें अपने आप में एक कोटि माना जाता है। आम तौर पर उन्हें अनुसूचित जातियों के साथ सम्मिलित किया जाता है और पिछड़े वर्गो का एक समूह माना जाता है।"[53]

स्वतंत्रता से पूर्व दलित वर्ग ने शिक्षा मे बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। वैदिक काल में इन्हें शूद्र माना जाता था और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रखा गया था। हस्तकार्य और सेवा करना उनका कर्तव्य माना जाता था इसलिए वैदिक काल में इनकी शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। उत्तर वैदिक काल में भी दलित वर्ग की यही स्थिति बनी रही। बौद्ध

काल में आकर इन्हें स्वतंत्रता तथा शिक्षा का अधिकार मिला कि दलित वर्ग बौद्ध बिहारों तथा मठों में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। परन्तु मुगल काल दलित वर्ग की शिक्षा में उतार का काल था। मुगल काल में शिक्षा का आधार धार्मिक था। इस युग में शिक्षा सुविधाएं बहुत कम थीं। परिणाम स्वरूप शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया गया। कम्पनी शासन काल में भारतीय शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत इनके संचालकों की देन थी जो कि दलित वर्गो की शिक्षा पर अधिक व्यय करने के पक्ष में नहीं थे। वह सिर्फ उच्च वर्ग को शिक्षित करना चाहते थे। लार्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र (1835) में 'निस्पंदन सिद्धांत' का समर्थन किया था।[54] इसके अतिरिक्त उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड ऑकलैंड ने 24 नवम्बर 1839 में इसे स्वीकार करते हुए लिखा है कि "सरकार के प्रयास समाज के केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करने के हों, जिनके पास अध्ययन हेतु अवकाश हो ताकि संस्कृति छन छनकर जनसाधारण तक पहुंचे। वुड घोषणा पत्र 1854 में निस्पंदन सिद्धांत को अनुपयोगी करार देते हुए जनसाधारण की शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग ने हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों की शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिए।

1—हरिजनों तथा पिछड़ी जाति के छात्रों का सरकारी नगर पालिकाओं या स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में प्रवेश की व्यवस्था की जाए।

2—जिन स्थानों पर इन छात्रों के विद्यालय प्रवेश पर अन्य जातियों द्वारा विरोध प्रकट किया जाए या इनके लिए विशिष्ट विद्यालय स्थापित किए जाए। आयोग ने आदिवासियों तथा पहाड़ी जाति के लिए कुछ सुझाव दिए थे जो निम्न थे—[55]

1—अनुसूचित जन—जाति के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रकार के विद्यालय, खोले जाएं।

2—अनुसूचित जन जाति के बालकों से विद्यालय शुल्क न लिया जाए।

3—अनुसूचित जन—जाति के छात्रों का शिक्षण कार्य इन्हीं जाति के शिक्षकों को सौंपा जाए।

4—यदि इनकी अपनी लिखित भाषा है। तो उसे ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए।

5—आदिवासियों को इस प्रकार शिक्षा दी जाए जिससे वे अपनी पड़ोसी सभ्य जातियों से सम्बन्ध स्थापित कर सकें।

6—आदिवासियों को इस प्रकार शिक्षा दी जाए जिससे वे अपनी पड़ोसी सभ्य जातियों से सम्बन्ध स्थापित कर सकें।

उपर्युक्त सुझावों का दलित वर्ग की शिक्षा पर बड़ा ही अनुकूल प्रभाव पड़ा। आयोग के महत्व को स्वीकार करते हुए नूरुल्ला तथा नायक ने लिखा है कि "इस अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व उल्लेखनीय है। आयोग की जाँच के फलस्वरूप भारत में महान शैक्षिक जागृति हुई है। सरकार ने भी इन सुझावों को स्वीकार कर दलित वर्ग की शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए विशेष प्रयास किए परन्तु यह सारे प्रयास शैक्षिक उत्थान के लिए पर्याप्त नहीं थे।[56]

स्वामी दयानन्द ने अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाए एवं स्वामी विवेकानन्द तथा दूसरे महापुरूषों ने समाज सुधार के कार्यक्रम किए। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में "सर्वेंट्स ऑफ इण्डिया" नामक संस्था स्थापित की इस संस्था के माध्यम से स्त्री शिक्षा, पिछड़ी जातियों की शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा एवं शास्त्रीय शिक्षा के विकास के लिए विशेष कार्य किए। महात्मा गांधी

ने अछूतों को हरिजन की संज्ञा दी। अस्पृश्यता आन्दोलन द्वारा पिछड़ी जातियों में नव चेतना आई, नव जागरण हुआ, स्त्री और अछूतों के लिए शिक्षा का मार्ग खुला। इन कार्यो का अछूतों की शिक्षा पर बड़ा ही अनुकूल प्रभाव प्रड़ा और उच्च वर्ग के लोगों का उनके प्रति उदार दृष्टिकोण बना।[57]

सन् 1921 के बाद का समय राष्ट्रीय आन्दोलनों का समय था। इस अवधि में सरकार तथा राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय आंदोलनों में व्यस्त हो गये। परिणाम स्वरूप दलित वर्ग की शिक्षा की ओर न तो सरकार का ध्यान गया और न ही राष्ट्रीय नेता ध्यान दे पाए। सन् 1937 में जब प्रान्तों में स्वशासन की स्थापना हुई तब अवश्य हरिजनों के उद्धार के लिए कुछ प्रयास किए गए। परंतु स्वशासन की समाप्ति के साथ ही यह प्रयास ठंडे पड़ गए।[58]

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दलित वर्ग की शिक्षा के लिए स्वतंत्रता से पूर्व किए गए प्रयास संतोषजनक नहीं थे जो भी थोड़े बहुत प्रयास किए गए वह दलित वर्ग के शैक्षिक उत्थान के लिए पर्याप्त नहीं थे। पूर्व में दलित वर्ग की जो दशा थी वैसी ही रही वास्तव में समतावादी समाज की स्थापना के लिए भेदभाव न करके सबको समान समझते हुए प्रयास किए जाने चाहिए।

ब्रिटिश भारत में भी अनेक समाज सुधारकों ने दलित जातियों में सामाजिक चेतना का संचार किया एवं दलितों को शिक्षित करने हेतु विशेष प्रयास किये। इन प्रसिद्ध समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चन्द विद्यासागर, मदन मोहन मालवीय, ज्येतिबा फुले, पेरियार स्वामी, नारायण स्वामी महात्मा गांधी आदि प्रमुख थे।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा की वास्तविक स्थितियों एवं समस्याओं के अध्ययन हेतु श्री यू0एन0 ढेवर की अध्यक्षता में सन 1960–61 में ढेवर समिति का गठन किया गया। ढेवर समिति ने अथक परिश्रम कर इस वर्ग की शिक्षा समस्याओं का अध्ययन किया और भारत की राज्य एंव केन्द्र सरकारों से आग्रह किया कि विशेष कार्यक्रम और निर्देशन में अनुसूचित जाति एंव जनजाति के लोगों में प्रिवर्तन लांने के लिए इसमें प्राथमिक शिक्षा का विकास किया जाये। ढेवर समिति ने इस वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, मध्यान्ह भोजन, पुस्तकें, वस्त्र एवं लेखन सामग्री आदि देने का सुझाव दिया। तथा इस वर्ग की बालिकाओं हेतु आवासीय आश्रम स्कूल पूरे देश में बनवाने की सिफारिश की।[59]

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाज में व्याप्त असमानता दूर करने तथा अनुसूचित जाति–जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो एवं महिलाओं की शिक्षा के बारे में व्यापक स्तर पर सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गये। इन सभी विशिष्ट वर्गो को एक समान शैक्षिक अवसर सुलभ कराने एवं शैक्षिक स्तर ऊँचा उठाने हेतु कई कार्य योजनायें निर्मित एवं क्रियान्वित की गई।[60]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजनाओं से प्राप्त हुए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए संशोधित कार्य–योजना 1992 प्रस्तुत की गई। अनुसूचित जाति के शैक्षिक स्तर ऊँचा उठाने एंव समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई नई योजनायें बनाई गयी।[61]

अनुसूचित जातियों के शैक्षिक स्तर पर समानता प्रदान करने वाले संवैधानिक प्रावधानः–

संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गो के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा सामाजिक कमियों को दूर करने के लिए सुरक्षा

और सरंक्षण की व्यवस्था की गयी है इस हेतु कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित है।
अनु–15–धर्म, मूलवंश जाति लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेद–भाव किसी भी भारतीय नागरिक के साथ नही बरता जायेगा।
अनु0–16– सरकारी नौकरियां सभी के लिए खुली होंगी तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष सुविधायें सुरक्षित स्थानों के रूप में होगी।
अनु0–17–अस्पृश्यता का उन्मूलन।
अनु0–25–(ख) हिन्दुओं की सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं को समस्त हिन्दुओं के लिए खोलना।
अनु0–28–शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के मामले में कोई भेद–भाव किसी के साथ नही बरता जायेगा।
अनु0–29–राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश पर किसी भी तरह के प्रतिबन्ध निषेध।
अनु0–46–इन जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा और उनका सभी प्रकार के शोषण और सामाजिक अन्याय से बचाव।
अनु0 244– अनुसूचित जातियों एवं जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था।
अनु0–330 व 332–संसद और विधान मण्डलों में अनुसूचित जातियों को विशेष प्रतिनिधित्व मिलेगा।
अनु0–335–सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के दावे।
अनु0–338–अनुसूचित एवं जनजाति हेतु एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति आयोग के नाम से जाना जायेगा।

इस संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर राज्य एवं राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अनुसूचित जातियों हेतु शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु, नौकरियों में लोकसभा, विधानसभा आदि में स्थानों के आरक्षण की विशेष व्यवस्था की गयी हैं राज्य सभा एवं विधान परिषद के स्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं हैं। अनु0 338 के अन्तर्गत जुलाई 1978 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु एक आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में अनुसूचित जातियों के काल्याणार्थ अलग आयोग बना दिया गया है।[62]

दलितों को शिक्षित करने एंव समानता दिलाने वाले सरकारी साधन एवं प्रयासः–

वर्तमान समय में दलितों का शैक्षिक स्तर उठाने एवं सामाजिक उत्थान हेतु सरकार द्वारा अनेक योजनायें संचालित की जा रही है। कुछ प्रमुख सरकारी प्रयास निम्नलिखित है–

1–अनुसूचित जाति एंव जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कोंचिग एवं अन्य कार्यक्रम–

इस योजना का उद्देश्य केन्द्र/राज्य सरकारों/सार्वजनिक उपक्रमों के विभिन्न पदों /सेवाओं के लिये आयोजित की जाने वाली प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिये परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करके उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि करना हैं इसके अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय/राज्य सेवा परीक्षाओं, बैंकों की प्रयोगात्मक परीक्षाओं, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, भारतीय रक्षा अकादमी, संयुक्त रक्षा सेवा जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं केलिए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देना है।

2–अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए 10वीं कक्षा के बाद छात्रवृत्ति–

इस वर्ग के छात्रों के लिए 10वीं कक्षा के बाद छात्रवृत्ति देने की योजना 1944–45 में शुरू की गयी थी। इसका उदेश्य 10 वीं कक्षा के बाद देश में विभिन्न स्कूलों कालेजों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था। जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

3– अनुसूचित जातियों की बालिकाओं के लिए छात्रावास योजना–

अनुसूचित जातियों की जूनियर माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेन्ड्री कालेजों और विश्व–विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भवन बनाये गये हैं। केन्द्र इस कार्य के लिए राज्यों /केन्द्रशासित प्रदेशों को कुल खर्च की आधी राशि उपलब्ध कराता है।

4– अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक योजना–

यह योजना मेडिकल/इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गयी हैं जो सरकारी सहायता से बिना शिक्षा के भारी खर्च को उठाने में असमर्थ है। इस योजना के अन्तर्गत 5000 रू0 मूल्य की पुस्तकों का एक सेट तीन विद्यार्थियों के लिए होता हैं और इससे तीन वर्षो तक काम चलाया जा सकता है।

5– अनुसूचित जातियों एंव जनजातियों के विद्यार्थियों हेतु राष्ट्रीय स्तर की विदेशी छात्रवृत्तियां– कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय विदेश और यात्रा अनुदान योजना को अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा अन्य विद्यार्थियों के लिए लागू कर कर रहा हैं यह योजना 1954–55 से चल रही हैं जिसका उदेश्य अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों को उचित वित्तीय और अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना है। जिनके पास उच्चतर अध्ययन के लिए विदेश जाने के साधन नहीं हैं। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के छात्रों के अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े कुछ अन्य वर्गो के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी ये छात्रवृतियाँ दी जाती है।

स्नातकोत्तर /पी0एच0डी0/पोस्ट डाक्ट्रेट स्तर की शिक्षा तथा अनुसंधानों के लिए भी छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं वर्ष 1985–86 से हर साल 25 छात्रवृत्तियाँ दी जा रही है।

6.– अस्वच्छ व्यवसायों में लगे छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां–

सन 1977–78 में शुरू की गयी यह योजना उन लोगों के बच्चों के लिए बनाई गयी जो तथा कथित अस्वच्छ व्यवसायों में लगे है।यह योजना छठीं से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए हैं। इसके अन्तर्गत छठीं से दसवीं कक्षा तक के प्रत्येक छात्र को 200 रू0 प्रतिमाह और ग्यारहवी तथा बारहवीं कक्षा के छात्रों को 250 रू0 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है।

7– अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु अन्य छात्रवृत्तियां–

अनुसूचित जाति के छात्रों को सामाजिक उत्थान हेतु प्राथमिक स्तर से 10 वीं तक निम्न छात्रवृतियां प्रदान की जाती है।

कक्षा 1 से 5 तक	40 रू0 प्रतिमाह
कक्षा 6 से 8 तक	60 रू0 प्रतिमाह
कक्षा 9 से 10 तक	75 रू0 प्रतिमाह

11वीं एवं 12वीं के छात्रों को राज्य सरकार के माध्यम से छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृति हेतु आय सीमा बढ़ाकर 1 लाख कर दी गयी हैं। कक्षा 3 से 8 तक के छात्र जो छात्रावासों में रहते हैं उन्हें 300 रू0 प्रतिमाह कक्षा 9 से 10 तक के छात्रों को 375 रू0 एवं प्रतिदिन आने–जाने वाले छात्रों को 500 रू0 मिलते है।

8– राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना

अनुसूचित जाति के छात्रों जो एम0 फिल0 और पी–एच0डी0 में पंजीकृत है, हेतु यह योजना प्रारम्भ की गयी है जिसमें छात्रवृति यू0जी0सी0 के माध्यम से छात्रों को प्राप्त होती है। वर्ष 2005–06 हेतु 16.03 करोड़ रू0 इस फेलोशिप के लिए आवंटित हुए।

इसके अतिरिक्त विशिष्ट वर्गो हेतु अप्रैल 2005 से भारत के 150 जिलों में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनविार्य कर दी गयी है। प्राथमिक विद्यालयों में मिड–डे–मील योजना संचालित की जा रही है। अन्य कई योजनाएँ भी इस वर्ग के उत्थान हेतु सरकार सामाजिक द्वारा संचालित की जा रही हैं।

2001 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरूष साक्षरता दर 75.26 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 53.67 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की साक्षरता दर अपेक्षाकृत काफी कम है।

1981 में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 31.38 प्रतिशत थी जो 1991 में बढ़कर 37.41 प्रतिशत हो गई। वर्तमान में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैं एक बात जो सर्वाधिक उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति की महिला साक्षरता दर इस वर्ग की पुरूष दर से अधिक है।[63]

इन मिले जुले प्रयासों से दलित वर्गो में शिक्षा एवं अपनी समाजिक स्थिति को लेकर काफी जागृति आई हैं। देश के राष्ट्रपति, स्पीकर मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री आदि के पदों का इस वर्ग के व्यक्तियों द्वारा सुशोभित करना इस बात का द्योतक है। लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि दूर दराज गांवों में रहने वाली इस वर्ग की बड़ी जनसंख्या अभी भी मूलभूत मानवीय सुविधाओं से वंचित हैं अभी भी सामाजिक आर्थिक वंचना का अभिशाप उसे झेलना पड़ रहा है। राष्ट्र के सभी नागरिकों का यह पुनीत कर्तव्य होगा कि वे इस वर्ग के उत्थान हेतु सार्थक प्रयास करें। सामान्य जनसंख्या की तरह इस वर्ग का भी शैक्षिक एंव सामाजिक स्तर ऊँचा उठे। देश में सच्चे अर्थो में तभी लोकतंत्र स्थापित हो सकता है, जब इस देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ स्थिति वाला हो। इतने वर्ष इस वर्ग को आरक्षण की बैसाखी मिलें हुए हो गये लेकिन अभी भी यह वर्ग सबसे कमजोर वर्ग बना हुआ है। ऐसा क्यों है? इस पर भी विचार होना आवश्यक हैं जरूर व्यवस्था एवं प्रयासों में कमी है। आवश्यकता है निष्ठा के साथ सभी का उत्थान करने की। देश की जब सम्पूर्ण जनसंख्या शिक्षित होगी एवं सभी में समानता का भाव होगा तभी देश में सच्चे अर्थो में लोकतन्त्र स्थापित हो सकेगा।

आर्थिक विकास

सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष भारत का निर्माण करने सामाजिक न्याय स्थापित करने, सदियों से शोषित दलित वर्गो के हितों की रक्षा करने एवं राष्ट्र की मुख्यधारा में दलित एवं कमजोर वर्गो को समाहित करने के लिए अनेकानेक संवैधानिक प्रावधानों का समावेश भारतीय संविधान में किया गया, जिसके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, (1–2–3) 18 से 19 तथा 23, 25 और 35 में यह व्यवस्था की गयी है कि देश में व्याप्त असमानता, भेदभाव अस्पृश्यता का अन्त किया जाये तथा शोषण, बेगार एवं धार्मिक निर्योयताएं समाप्त करने के साथ ही समानता और कोई भी व्यवसाय प्रारम्भ करने सम्बन्धी अधिकार दिये गये है। इसी के साथ अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षणिक उन्नति करने का प्रावधान एवं अनुच्छेद 335 में शासकीय नौकरियों में स्थान आरक्षित रखने सम्बन्धी प्रावधान किये गए है। जो संवैधानिक आधार पर आज भी लागू है। किन्तु दलित एवं कमजोर वर्गो की समस्याओं का आज तक आशातीत समाधान नहीं हो पाया है।[64]

तत्कालीन वित्त मंत्री तथा वर्तमान प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति लागू की जिसके साथ ही भारत में आर्थिक सुधारों का सूत्रपात हुआ। आर्थिक सुधारों ने सदियों से शोषित दलित वर्ग के उत्थान स्तम्भ "आरक्षण व्यवस्था" को भस्मासुर की तरह भस्म कर रहा है।

आर्थिक सुधारों के तारतम्य में उदारीकरण का मुख्य अभिप्राय अति नियंत्रित एवं विनियमित अर्थव्यवस्था मतलब लाइसेन्स, कोटा, परमिट राज की जगह बाजार पर आधरित अर्थव्यवस्था का संचालन करना है। अर्थात् मांग एवं पूर्ति की सार्वजनिक शक्तियों के आधार पर आर्थिक क्रियाओं का संचालन करना, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता, उत्पादकता, कुशलता एवं गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। निष्कर्षतः उदारीकरण द्वारा संरक्षण की नीति को धीरे–धीरे समाप्त किया जाना है।[65]

निजीकरण प्रक्रिया में सार्वजनिक उपक्रमों को या तो शत–प्रतिशत निजी हाथों में बेंच दिया जाता है या फिर कुछ हिस्से निजी क्षेत्रों को सौंप दिये जाते हैं, इन दोनों ही स्थितियों में आरक्षण की अवधारणा को आघात पहुंचता है। क्योंकि निजी स्वामित्व में जाने के बाद उद्देश्य मुनाफा कमाना हो जाता है न कि आरक्षण प्रदान करना, जब तक कि इसके लिए अलग से प्रावधान न किया जायें।[66]

आर्थिक सुधारों के परिप्रेक्ष्य में उदारीकरण के फलस्वरूप संरक्षण के अभाव में परम्परागत रोजगार (लघु एवं कुटीर उद्योग) के अवसर ही समाप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आरक्षण की व्यवस्था अपने आप समाप्त होती जा रही है। निजीकरण से सार्वजनिक उपक्रमों एवं सार्वजनिक सेवाओं का स्वामित्व निजी हाथों में जाने से विभिन्न कारणों से एक तरफ दलित वर्गो के रोजगार एवं कुशलता (शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य) का ह्मास होता है, तो दूसरी तरफ निजी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान भी नहीं है। इससे आरक्षण व्यवस्था का भविष्य मकड़जाल में फंसता जा रहा है।

आर्थिक सुधारों का रोजगार पर प्रभाव का विश्लेषण कर दलित एवं कमजोर वर्ग के साथ किये गए षड़यन्त्र एवं दलित तथा कमजोर वर्ग के समक्ष उत्पन्न गम्भीर चुनौतियों का सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है। भारत में अपनायी गयी उदारीकरण की नीति के

फलस्वरूप कुछ सकारात्मक परिवर्तन तो हुए, परन्तु यह नीति रोजगार के स्तर में वृद्धि तथा दलितों की दशा में वांछित सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल नहीं हुई।

भारत में श्रम शक्ति एवं बेराजगारी की वृद्धि दर

अवधि	श्रम शक्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत प्रति वर्ष)	रोजगार की वृद्धि दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष)
1977–78 से 1983	2.4	2.17
1983 से 1987–88	1.74	1.54
1987–88 से 1993–94	2.29	2.43
1993–94 से 1999--2000	1.03	0.98
1999–2000–2003–04	1.00	0.94

स्रोत–

1.आर्थिक समीक्षा 2001–02 भारत सरकार वित्त मत्रांलय नई दिल्ली, सारणी 10.6, पृष्ठ 240

2. आर्थिक समीक्षा 2004–05 भारत सरकार वित्त मंत्रालय नई दिल्ली सारणी 10.4 पृष्ठ 238

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि कुल रोजगार (संगठित एवं असंगठित) क्षेत्र के आर्थिक वृद्धि दर 1977–78 की अवधि में 2.17 प्रतिशत थी किन्तु 1983 से 1987–88 के दौरान घटकर 1.54 प्रतिश रह गयी। जबकि 1987–88 से 1993–94 में बढ़कर 2.43 प्रतिशत प्रति वर्ष हो गयी। किन्तु आर्थिक उदारीकरण की अवधि 1993–94 से 1999–00 से 2003–04 के दौरान समग्र रोजगार की वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 0.98 तथा 0.94 प्रतिशत हो गयी। उल्लेखनीय है कि आर्थिक सुधारों की इसी अवधि में श्रम शक्ति की वृद्धि दर घट कर क्रमशः 1.03 प्रतिशत तथा 1.00 प्रतिशत तक हो गयी जो कि 1987–88 से 1993 –94 की अवधि 2.29 प्रतिशत प्रति वर्ष के उच्च स्तर पर थी। इसके बाबजूद भी समग्र रोजगार की वृद्धि दर का प्रतिशत से भी नीचे आना आर्थिक उदारीकरण की रोजगार सृजन क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।[67]

अतः स्पष्ट है कि आर्थिक उदारीकरण के दौरान रोजगार की उपलब्धता ही घटती जा रही है। इसका सबसे अधिक प्रभाव भारत के दलित वर्ग पर पड़ा है। क्योंकि दलित एवं कमजोर वर्ग के समक्ष रोजगार के अभाव में अस्तित्व संकट उत्पन्न हो गया है।

भारत में उदारीकरण के दौरान श्रम शक्ति की वृद्धि दर में तीव्र गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस अवधि में संगठित क्षेत्र की रोजगार वृद्धि दर तेजी से घटी यह तथ्य इस विवरण के अध्ययन से स्पष्ट होता है।

क्षेत्र	वृद्धि दर प्रतिशत में	
	1983–94	1994–03
कल जनसंख्या	2.12	1.83
कुल श्रम शक्ति	2.05	1.01
कुल रोजगार	2.04	0.96
संगठित क्षेत्र रोजगार	1.20	0.49
सार्वजनिक क्षेत्र	1.52	–0.02
निजी क्षेत्र	0.45	1.95

स्रोत–

1.आर्थिक समीक्षा 2000–01 सारणी 10.8 पृष्ठ 269

2. आर्थिक समीक्षा 2004–05 सारणी 10.5 पृष्ठ 238

भारत में आर्थिक उदारीकरण के पूर्व तथा प्रारम्भिक वर्षा के (1983–94) दौरान की वृद्धि दर 2.04 प्रतिशत प्रति वर्ष थी जो कि उदारीकरण के दौरान (1994–2003) घटकर 0.96 प्रतिशत प्रति वर्ष रह गई। इसी अवधि संगठित क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर भी 1.20 प्रतिशत प्रतिवर्ष से घटकर 0.49 प्रतिशत रह गयी। संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर में तीव्र गिरावट दर्शाती हैं कि उदारीकरण के दौरान पंजीयन तकनीक का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के वृद्धि में तीव्र गति से गिरावट आयी है। यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण हे कि 1983–94 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि उर 1.52 प्रतिशत प्रति वर्ष थी जो कि उदारीकरण के दौरान (1994–2003) ऋणात्मक रही हैं. किनतु दूसरी ओर इसी अवधि में निजी क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि पर 0.45 प्रतिशत से बढ़कर 1.95 प्रतिशत प्रति वर्ष हो गयी। इस प्रकार उदारीकरण की अवधि में निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ें हैं जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में कमी आयी है।

अतः स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर जरूर बने हैं। परन्तु निजी क्षेत्र में अधिकांशतः कार्य कुशल प्रशिक्षण तथा दक्ष श्रमिक की आवश्यकता होती है। जिसका दलित वर्ग में अनेकानेक कारणों से नितान्त अभाव हैं अतः निजी क्षेत्र के रोजगार वृद्धि से दलित वर्ग का लाभान्वित होना एक दुरूह कार्य है। साथ ही साथ निजी क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था का कोई प्रावधान भी नहीं है। पुनः सार्वजनिक क्षेत्र में जहां कि दलित वर्ग अधिक लाभान्वित हो सकता हैं वहाँ रोजगार के अवसर में भारी कमी आयी है। जिससे दलित वर्ग को दो तरफा प्राणघातक प्रहार का सामना करना पड़ रहा है।

आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया से दलित शिक्षा एवं चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं से अनेकानेक कारणों से वंचित होते जा रहे है। क्योंकि नई आर्थिक नीति के कारण शिक्षा एवं चिकित्सा का निजीकरण हो रहा है। अब स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय उद्योगों की तरह संचालित हो रहे हैं। अब दलित वर्ग के छात्रों को आरक्षित कोटे एवं अंकों की छूट के आधार पर प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दूसरी ओर स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय की फीस, पुस्तकें, ड्रेस तथा अन्य व्यय इतने बढ़ गये हैं कि दलित एवं कमजोर वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा डाक्टरी, इंजीनियरिंग एवं विभिन्न मैनजमेन्ट तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा पाना कठिन हो गया है।

आर्थिक सुधारों ने ग्रामीण क्षेत्र के छोटे किसानों एवं दलित वर्ग के किसानों के समक्ष गम्भीर संकट उत्पन्न कर दिया हैं नई आर्थिक नीति में कृषि और कृषि से सम्बन्धित व्यवसायों को प्राथमिकता नहीं दी गयी है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे एवं दलित किसानों के लिये खेती करना मुश्किल हो गया है। वहीं कृषि क्षेत्र के दलित श्रमिक बेरोजगार होने लगे हैं।

आर्थिल सुधारों के परिणाम स्वरूप उभोक्तावादी संस्कृति विकसित हो रही हैं जिसमें दलित वर्ग के सरल जीवन प्रवाह में अनेक बाधायें उत्पन्न हो रही है। जिससे भारतीय रासकृति भी प्रभावित होने लगी है। सामाजिक स्थिति में बदलाव आ रहा हैं और मानवीय मूल्य एवं नैतिकता में गिरावट आने लगी है। ऐसी स्थिति में दलित वर्ग के विकास का स्वप्न विलुप्त

होता नजर आ रहा है। वैश्विकरण नीति के तहत मुक्त विश्व बाजार व्यवस्था कायम की जा रही है। भारतीय अर्थ व्यवस्था को विश्व अर्थ व्यवस्था के साथ जोड़ने एवं सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही हैं इसके अन्तर्गत वस्तुओं और सेवाओं के स्वतंत्र प्रवाह की दृष्टि से सीमा शुल्क एवं अन्य शुल्कों में लगातार कमी की जा रही है। इकसे परिणाम पिछले लगभग एक दशक में विदेशी आधुनिकतम तकनीक पर आधारित वस्तुओं, सेवाओं आदि की बाढ़ सी आ गयी हैं जिसकी दोहरी मार भारत जैसे देश के दलित एवं कमजोर वर्गो पर पड़ी है। एक तो इससे उपभोक्तावादी संस्कृति, जोकि भोग विलासिता पर आधारित हैं विकसित हुई हैं जिससे इन वर्गो की आकांक्षाएं दिन–दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ी हैं लेकिन संसाधन के अभाव के कारण ये वर्ग मानसिक विक्षिप्तता के भंवर में फंस गये हैं।[68]

इस प्रकार आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप दलित वर्ग के समक्ष अनेकानेक नवीन समस्यायें उत्पन्न हो गयी है। आर्थिक सुधार के समर्थकों यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को निम्न स्तर पर रखना या ब्याज दर में भारी कटौती करना या कृषि क्षेत्र में निम्नतर स्तर पर रखना या ब्याज दर में भारी कटौती करना या कृषि क्षेत्र को दी जा रही सब्सिडियों में कमी करना था प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र को, निजी क्षेत्र को बेच देना मात्र नहीं हैं। इसका उद्देश्य निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लगभग 27 करोड़ लोगों, खुले आसमान के नीचे सोने वाले 15 करोड़ लोगों, अशिक्षा–अज्ञानता के जाल में फंसे 36 करोड़ लोगों के उद्धार करने से है। आर्थिक सुधारों का कोई भी कार्यक्रम उस समय तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि समाज के दलित वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान नही रखा जाए।

अतः आर्थिक सुधारों के परिप्रेक्ष्य में दलित वर्ग के समक्ष उत्पन्न नवीन समस्याओं का मुकाबला करने तथा दलित वर्ग के सरंक्षण एवं उत्थान के लिये नये सिरे से ज्यादा प्रभावकारी योजनाएं, कार्यक्रम एवं नीति बनाने एवं उसे पूरी तत्परता तथा निष्ठापूर्वक लागू करने की आवश्यकता है। साथ ही समाज की मनोवृत्ति एवं मनोदशा की शिक्षा रूपी मानसिक औषधि से उपचार की आवश्यकता है। इस प्रकार आर्थिक सुधारों के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दलित वर्ग के समक्ष उत्पन्न नवीन समस्याओं के समाधान के लिये गौतम बुद्ध तथा भीमराव अम्बेडकर का यह मूलमंत्र कि 'अप्प दीपो भव' तथा शिक्षित बनो, संगठित रहो एवं संघर्ष करो' ज्यादा प्रासंगिक प्रतीत होता है।

स्वयंसेवी संगठन और उनकी भूमिका

विश्व बैंक की पहल पर सरकार के अलावा समाज की भलाई के काम में लगी संस्थाएं जो सामान्य जनता के लोगों से ही बनी होती है। स्वयंसेवी संस्थाएं कहलाती है। स्वयंसेवी संस्थाओं का कार्य सरकार एवं जनता के बीच ताल मेल बैठाकर विकास करना होता है। अर्थात ये स्वयंसेवी संस्थाएं सरकारों से तालमेल बिठाकर उनकी योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाती है। इसके साथ ही जनता की प्रतिक्रियाएं आंकाक्षाएं और अपेक्षाओं को सरकार के पास तक ले जाती हैं। वास्तव में देखा जाये तो ये स्वयं सेवी संस्थाएं सरकार एवं आम जनता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी हैं क्योंकि इन संस्थाओं में समाज के ऐसे व्यक्ति जुड़े होते हैं। जो निःस्वार्थ सेवा भावी, त्यागी और निष्ठावान होने के साथ–साथ उनका अन्तिम लक्ष्य समाज अथवा देश की सेवावृत्त से जुड़ा होता है। डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव के शब्दों में कहे तो "इतिहास में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं मिलती है जिन्हें बिनोवा भावे जैसे व्यक्ति सज्जन कहा

करते थे विनोवा भावे जी ने गॉधी जी के समय में भंगी मुक्ति से लेकर चर्खा और खादी संघों की स्थापना कर इन्हें निष्ठापूर्वक चलाया। लेकिन सेवा और राहत के इन कामों में लगे रहने के बाबजूद इन समाज समाजसेवियों को यह एहसास तो होता ही था कि अपने समाज के दलितों, गरीबीं की सेवा करके परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता हैं। तब इन्हीं स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े कुछ लोगों ने समाज के विकास का जिम्मा उठाया था क्योंकि यह भारत के नवनिर्माण का दौर था और हमारे यहाँ विकास के नाम पर सरकारें भी तरह–तरह के उपक्रम करने में लगी थी।[72]

सरकार से इतर (गैर सरकारी) लोगों ने स्वयंसेवक के रूप में, कृषि, शिक्षा साक्षरता आदि को लेकर महत्वपूर्ण संस्थाएं खड़ी की। और नेकनेयती एवं ईमानदारी से जुड़कर कार्य करते रहे और देखते–देखते अपने कार्यो एवं विकास के बल पर इनकी स्वतंत्र पहचान बननी शुरू हो गई। इसी दौर में ये और सरकारी समूह समाज को बदलने के लिए संघर्षरत जुझारू समूहों में तब्दील होते गये। यही दौर था कि जब देश में बाढ़, सूखा महामारी में ऐसे अनेक स्वयंसेवी संगठनों ने इनके विकास के साथ–साथ अपनी निजी ज़िन्दगी में भी समग्रता, शुचिता और संयम के सिद्धान्तों का कड़ाई से पालन करते रहे।

गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं में कार्य करने वाले लोग विभिन्न समाजों से भिन्न–भिन्न लोग आते हैं। जिसमें सामान्य शिक्षा स्तर के लोगों के समूह से लेकर उच्च शिक्षित एवं अपने क्षेत्र में दक्ष तथा (तकनीकी डाक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, विधिवेत्ता, आर्कीटेक्ट आदि।) सभ्रांत लोग इन संस्थाओं से जुड़े रहते है। ये संस्थायें केन्द्र तथा राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त (रजि0) होती है। साथ ही उनके नियमों से प्रतिबंधित भी होती है। यहॉ यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि जब हम अराजकीय संस्थाओं की बात करते है तब हमारा आशय उन संस्थाओं से नहीं है जो निजी तौर पर बनती हैं अथवा बनी होती है और जिनको कोई धन लाभ कमाने का लालच है। हमारा स्पष्ट आशय ऐसी संस्थाओं से है जो निजी गैर सरकारी तो है पर स्वयंसेवी भी है और जिनका शोषित दलित एवं गरीब जनता के कष्ट दूर करना तथा देश के विकास में सहायक होना होता हैं।

अपने कार्यो की विस्तृत रूप रेखा बनाकर यह स्वयंसेवी संस्थाएं छोटे बड़े आफिस के रूप में अपने को स्थापित करती है और धनराशि एकत्रित करने का उनका आधार कुछ समाज के दानी लोगों के साथ–साथ कुछ विदेशी संस्थाएं भी सहायता देती है। धन की कमी होने पर ये संस्थाएं किसी भी गैर सरकारी श्रोतों से धन एकत्रित करती हैं इसका प्रमुख कारण यह है कि समाज में इनकी साफ–सुथरी छबि होती है और लोग जानते है कि वास्तव में ये संस्थाएं समाज की भलाई ही करती हैं। वर्तमान में भारत, कनाडा, फ्रांस, इग्लैण्ड, जर्मनी एवं संयुक्त राष्ट अमेरिका में अनेक ऐसी संस्थाएं कार्य कर रही है जिनका कार्य केवल समाज कल्याण से सम्बन्धित है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब हम स्वयंसेवी संस्थाओं की बात करते है तो विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा यहॉ पर इनकी संख्या बहुत कम है। इसके पीछे सरकार की नीतियों एवं विश्वास की कमी ही स्पष्ट दिखती है वहीं दूसरी ओर कुछ इन संस्थाओं में भी कमिंया दिखती हैं। क्योंकि "इन संस्थाओं के आका सरकार को झूठा झांसा देते हैं और समाज सेवा की मीठी–मीठी बातें देकर प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार से करोड़ों रूपये बसूल किया करते थें और सरकारी नुमांदृदे भी इनकी बातों में फंसकर इन्हें रूपया दे देते है। जबकि यह संस्थायें सौ प्रतिशत में केवल एक प्रतिशत नगर की जनता व सरकार के दिखावे के लिए कार्य करवाती है बाकी 99प्रतिशत का पैसा ये संस्थाए अपने कर्मचारियों को बांटती है

जिसका जीता जागता उदाहरण आज सामने है कि कल तक जिनके पास खाने को कुछ भी न था और आज वही संस्था से जुड़े कर्मचारी व आला अधिकारियों के बड़े ठाट बांट है आज इन संस्था कर्मचारियों के पास रहने के लिए आलीशान मकान व ए सी लग्जरी गाड़िया देखी जा सकती है।

अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि कल तक जिन संस्था कर्मचारियो व अधिकारियों के पास खाने के लाले पड़े थे लेकिन अब इनके पास इतनी सम्पत्ति कहां से आ गयी इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि यह सम्पत्ति सरकारी है। जो कि प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार इन संस्थाओं को जनता की सेवा के लिए अर्पित करती है। लेकिन यह संस्थाए जनता के सेवा के नाम पर अपना पेट भरने में लगी हैं।[72]

स्पष्ट है कि जो पैसा देश के गरीब एवं पद दलित एंव जरूरत मंद लोगों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है।

बीसवीं सदी के आखिरी दशक में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ पूरी दुनिया में एन0जी0ओ0 की संख्या में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हुई हैं कहीं यह संख्या सौ फीसदी है, तो कहीं दो सौ फीसदी तक बढ़ी हें यह दशक विचारधारा के अंत और किसी तरह कमाई करने के दशक के रूप में जाना जाता हैं इसीलिए समाज सेवा के नाम पर भी कमाई करने को अब बुरा नहीं माना जाता। न ही उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है।

1–बींसवी सदी में साठ के दशक से गैर–सरकारी संगठनों ने विकास के कामों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देने का काम शुरू किया। पर तीसरी दुनिया में एन0जी0ओ0 का आगमन सत्तर के दशक में हुआ।[74]

2–बौद्धिक चर्चाओं में इन पर ध्यान सत्तर के दशक के अंत और अस्सी के दशक कें आरम्भ में शुरू हुआ। विशेष तौर पर इन्दिरा गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीस एम0डी0 कुंदाल की अध्यक्षता नें आयोग बिठा कर इन संगठनों की भूमिका पर विवाद खड़ा किया।[75]

3–इस समय ओ0ई0सी0डी0 सदस्य देशों के 4000 एन0जी0ओ0 दक्षिण के देशों के करीब 2000 गैर–सरकारी संगठनों के साथ मिलकर विकास का काम कर रहे हैं। इस काम में वे अरबों डालर की सहायता दे रहे हैं।[76]

4–कहा जाता है कि इस समय सिर्फ दक्षिण एशियाई देशों में 85 हजार से ज्यादा एन0जी0ओ0 सक्रिय हैं।[77]

5– इस दौरान ओ0ई0सी0डी0 देशों द्वारा विकास संबंधी कार्य करने वाले गैर–सरकारी संगठनों को मिलने वाली पब्लिक फंडिंग में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हुई। ओ0ई0सी0डी0 देशों द्वारा 1975 में अन्य देशों एन0जी0डी0 ओ0 के मार्फत दी जाने वाली विकास संबंधी सहायता का जी0एन0पी0 प्रतिशत 0.7 फीसदी था। पर 1993–94 में यह बढ़कर 5 फीसदी हो गया।[78]

6–इसी तरह फिनलैंड से दी जाने वाली यह राशि 0.3 फीसदी से बढ़कर अब 6 फीसदी हो गई हैं।[79]

7–भारत में 1990 में पचास हजार एन0जी0ओ0 होने का अनुमान था। लेकिन छह साल बाद यह संख्या बढ़कर डेढ़ लाख हो गई। हालांकि इसमें सभी संस्थाएं विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं है।[80]

8–उत्तराखंड में तेरह हजार गांव है और लगभग उतने ही एन0जी0ओ0 वहां सक्रिय हैं।[81]

9–स्वीडन के पर्यावरण संघ के एक अनुमान के अनुसार 1992 में ब्राजील में पर्यावरण संबंधी काम करने वाली तीन हजार संस्थाएं थी। जबकि सम्पूर्ण लैटिन अमेरिका में ऐसी संस्थाओं की संख्या 15 हजार थी।[82]

10–जिम्बाम्बें में बहुदलीय प्रणाली लागू होने के पहले एन0जी0ओ0 की संख्या बहुत कम थी। पर

उसके बाद इस संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। 1996 के एक अनुमान के अनुसार वहां 2 हजार एन0जी0ओ0 खड़े हो गए थे और रोजाना नए एन0जी0ओ0 का पंजीकरण हो रहा था।[83]

11—नेपाल में 1995 में 6 हजार एन0जी0ओ0 पंजीकृत थे, लेकिन 1996 मेंयह संख्या 18 हजार तक पहुंच गई थी।[84]

12—केन्या में 1988 में महिला स्वयंसेवी की संख्या 25 हजार थी।

13—पेरू में 1989 में 615 एन0जी0ओ0 थे, जो 1994 में बढ़कर 800 हो गए। वही लेकिन 1997 में उनकी संख्या घट कर 738 पर आ गई, इसकी बजह पेरू के लिए मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय सहायता में कटौती बताई जाती है जिसके लिए उत्तरी देशों की संस्थाओं की घरेलू मंदी जिम्मेदार है।[85]

14—धाना में 1980 के दशक में समाज कल्याण विभाग में पंजीकृत एन0जी0ओ0 की संख्या सिर्फ आठ थी, पर 1980 के दशक में वह संख्या 350 हो गई। अनतर्राष्ट्रीय सहायता बढ़ने के साथ यह संख्या अब 9 सौ हो गई है।[86]

15—आस्ट्रेलिया में देश के कल्याण कार्यक्रमों में आधे से ज्यादा कार्यक्रम 11 हजार चैरिटी संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं। जिनका सालाना टर्नओवर 44 करोड़ डालर है।[87]

16—ब्रिटेन में करीब एक लाख पंजीकृत चैरिटी संगठनों का सालाना टर्न ओवर 270 करोड़ डालर है।[88]

17—श्री लंका में सिर्फ एक ग्रामीण विकास एन0जी0ओ0 के तहत 50 हजार कार्यकर्ता है, जो दस हजार गांवों में फैले हुए है।[89]

आजादी के 61 साल के बाद भी दलित समुदाय का विकास सिर्फ कागजों मे सिमट कर रह गया हैं जिसे हम विकास की उपमा दे रहे हैं। वह विकास नहीं बल्कि सिर्फ परिवर्तन हुआ हैं आज भी दलितो के नाम पर सरकारी योजनाओं का बंदरवाट (लूट—खसोट) हो रहा हैं। इसमें अफसर से लेकर छोटे—बड़े कर्मचारी शामिल हैं। इनका हक उन तक पहुंचने नहीं पाता हैं इसका कारण उनमें शिक्षा, एवं जानकारी का अभाव है हमें यह भी कहने में संकोच नहीं है कि आज तक दलितों के नाम पर होने वाले विकास कार्यो एवं सहायता पर राजनेता या स्वयंसेवी संगठनों ने अपनी—अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेंकने का काम किया है।

हकीकत यह है कि भारत की जनसंख्या की लगभग 55 प्रतिशत दलितों की आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। कुछ अपवादों को छोड़कर निर्पेक्ष रूप से देखे तो दलितों के आर्थिक, सामाजिक उत्थान के लिये स्वयंसेवी संगठनों ने महती भूमिका का निर्वाह किया। अगर दलितो के लिए दलितों के द्वारा गठित ये स्वयंसेवी संगठन न होते तो पता नहीं इन दलितों की स्थिति और कितनी दयनीय होती। सोचने पर ऐसा अहसास होता है। फिर भी जिस प्रकार दलितों की समस्याओं को चिन्हित करना चाहिये था, उस प्रकार से ये स्वयंसेवी संगठनों ने पहचान नहीं की। कारण कि स्वयंसेवी संगठन भी बड़े लोगों के हाथों में ही काम कर रहे थे। वर्तमान में जब सामाजिक, राजनैतिक चेतना दलितों में आई है, तो दलित वर्ग के लोगों ने भी गैर सरकारी संस्थाओं का गठन कर दलितों के लिए काम करना शुरू कर किया है। जिसका कुछ हद तक दलितों को अवश्य लाभ मिल रहा हैं। जैसा कि कहा गया है कि माँ अपने बच्चों की जितनी अच्छी प्रकार से समस्या का निराकरण करने में सक्षम होती है। उतना पिता नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार दलित स्वयंसेवी संगठन मां का काम कर रही हैं। और गैरदलित संगठन पिता के रूप में काम कर रहे है। इस प्रकार देखा जाए तो दलित संगठनों

की भूमिका माँ जैसी हैं।

इस समय दलितों की समस्याओं के निराकरण के लिये दलित स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए।

1—दलित स्वयंसेवी संगठनों को एकदम पारदर्शिता अपनानी होगी।[19]

2—दलितों के सम्मान की रक्षा के लिये उनमें आत्मबल आत्मसम्मान जगाने का काम करना चाहिये।[91]

3—शिक्षा के प्रति उनमें एक लालसा बनानी होगी क्योकिं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दलितों के लिए शिक्षा ही जीवन है।

4—रोजगार एवं आय संसाधनों की खोज करनी होगी। स्थाई रूप से आय अर्जित करने के लिये सम्भावनाओं की तलाश करनी होगी।[92]

5—सरकार द्वारा संचालित दलित समुदाय के विकास के लिये चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दलित स्वयंसेवी संगठनों को पूर्णरूप से देने के लिये समर्पित रूप से काम करना होगा।[93]

6—आज तक आजादी का मतलब दलितों को मालूम नहीं है। उन्हें आजादी का मतलब समझाने के लिये दलित संगठनों को मां की भूमिका का निर्वाह करना होगा।[94]

7—पंचायतों द्वारा स्वराज की कामना की गई है। इसकी भी जानकारी स्वयंसेवी संगठनों को दलितों में निष्पक्ष रूप से देने का काम करना होगा।[95]

8—महिलाओं में अनिवार्य शिक्षा, लिंग भेद का खात्मा और दलित समुदाय को जन जागरण के माध्यम से इनमें जागरूकता लानी होगी।[96]

पिछले दो दशकों में भारत में एन0जी0ओ0 यानी गैर—सरकारी संगठन का जाल बहुत तेजी से बढ़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से जुड़े कई क्षेत्र ऐसे है। जहां सरकारी उपक्रम अधूरे हैं और एन0जी0ओ0 ने महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका निभाई हैं फिर भी देश भर में इन संगठनों से जुड़ी कई बुनियादी बहसें जारी है। उनके कामकाज के ढंग से लेकर साधन और स्रोत जुटाने के तरीकों पर प्रश्न उठते रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिहाज से एन0जी0ओ0 की कितनी उपयोगिता है और उनकी सीमाएं कहां से शुरू होती हैं? आज यह बहस का प्रमुख मुद्दा हो गया है।

पिछले 61 वर्षो में देश की स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, शिक्षा आतंकवाद, सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्ष सरकार, समता मूलक समाज आदि बनाने के लिए भारत में तमाम राजनीतिज्ञों एवं समाजसेवी लोगों ने अपने—अपने स्तर से आन्दोलन आदि शुरू करके भारत को नई दिशा देने में लगे रहे। इस कार्य को आजादी के बाद करीब—करीब देश के हर वर्ग के जागरूक लोगों ने किया और अनेक लोगों ने कागजी खानापूर्ति और लम्बे—चौड़े भाषण देकर मददगारों में अपना नाम दर्ज करवाने में कोई कसर नहीं रखी। लेकिन देश में वास्तविक रूप में जिस कार्य को करना चाहिए था, वह नहीं हुआ।

शिक्षा रोजगार एवं विकास की दृष्टि से देखा जाय तों देश की तमाम सरकारों ने दलितों के लिए, जो कुछ भी किया वह सन्तोषजनक नही कहा जा सकता। इसका हमें कोई गिला शिकवा नहीं लेकिन 61 वर्षो से लगातार इस दलित समाज की राजनीति कर उन पर हुकुमत और शासन किया, इसमें हमारा हस्तक्षेप अवश्य है। क्योंकि इतिहास इस बात का सांक्षी है कि हम दलितों ने सच्ची निष्ठा और लगन के साथ सेवा करके इस देश को ऊंचे शिखर पर पहुँचाने का कार्य किया है और इसके बदले में सरकार ने हमारे लिए लगातार सिर्फ पंगु कमीशन और आयोग बनाये।

वर्तमान में दलित समाज की बात करे तो अभी भी यह समाज पूर्णरूप से न तो शिक्षित हुआ है और नही जागरूक। हर दलित स्वयंसेवी संगठन को यह चाहिये कि वो दलितों को एंव उनकी समस्याओं को सर्वोपरि दर्जा प्रदान करे और दलितों के दुःख –सुख और उनको रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे और हर दलित संगठन एक–दूसरे दलित संगठन से हमेशा स्वस्थ सम्बन्ध बनाये रखे और जब भी कोई दलित समस्या उत्पन्न हो तो मिल-जुलकर उसका निदान करे और यदि समस्या राष्ट्रीय स्तर की है तो सभी दलित स्वयंसेवी संगठनों को मिलाकर एक राष्ट्रीय मोर्चा या संगठन बनाकर सरकार की गलत नीतियो का विरोध करे। वर्तमान की यह आवश्यकता है कि तो ऐसे में दलित स्वयंसेवी संगठनों की जिम्मेदारी एवं भूमिका बढ़ जाती है और हर दलित स्वयंसेवी संगठन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह एक ऐसा रचनात्मक आन्दोलन चलाये जिसमें दलित समाज के हर वर्ग (हर स्तर) के लोगों का पूर्णरूप से व्यक्तित्व निर्माण हो सके।

आज की अनेक दलित समस्याओं को मद्दे नजर रखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत के दलित स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका दलित हितों में संतोषजनक नहीं है इसके लिए एक व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

यह सुधार तभी हो सकता है जब दलित आपसी भाई चारे बंधुत्व तथा एकजुट होकर कार्य करेंगें।

सुझाव

दलित समाज को विकासोन्मुखी एवं गत्यात्मक बनाने के लिए प्रत्येक दलित शिक्षित युवक एवं युवतियों को अग्रसारी बनना चाहिए जिससे समाज की गरीबी बेरोजगारी, दरिद्रता एवं असन्तोष व पिछड़ापन को दूर किया जा सके। परन्तु इस कार्य को समग्रता देने के लिए सभी दलित समाज के प्रत्येक स्वंयसेवी संगठनों को प्रयत्नशील एवं जुझारू होना पड़ेगा जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को सही एवं उचित मार्गदर्शन मिल सकें।

1–दलित समाज को विज्ञान और प्रोद्योगिकी का अधिक से अधिक ज्ञान दिलाने के लिए स्वंय सेवी संगठनों को प्रयासरत होना चाहिए जिससे विश्व के बहुत से पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले दलितों को अपने जीवन को विकसित करने का अवसर मिल सके।

2–स्वंयसेवी संगठनों के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को एवं नैतिक मूल्यो को अधिक से अधिक बढ़ाकर दलित समाज को सतत एवं प्रयत्नशील बनाए जिससे प्रत्येक दलित का सही तरीके से उसका और उसके परिवार का विकास हो सके।

3–स्वंयसेवी संगठनों के द्वारा शिक्षा के साथ–साथ स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए जिससे दलित समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन स्वच्छ स्वच्छंद एवं निरोगी रहे तथा उसमें प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जिससे प्रत्येक घातक बीमारी से लड़ सके। परन्तु उसके पहिले उसे अपने जीवन को व्यवस्थित करना पड़ेगा।

4–दलित स्वंयसेवी संगठनों का प्रमुख उत्तरदायित्व यह भी है कि दलितों को जागरूक एवं चैतन्य बनाये जिससे वह अधिक से अधिक समाज एवं राष्ट्र की उत्कृष्ट विकास की धारा में आ सकें।

5–स्वंयसेवी संगठनों को चाहिए कि वह ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे दलितों के लिये ऐसे कार्यक्रम निश्चित करे जिससे यह वर्ग अपनी कुरीतियो बुरी आदतों (मद्यपान, जुआ, आदि) से

छुटकारा पाकर अपना तथा अपने परिवार का विकास कर सके।

6–प्रत्येक दलित संगठन अपने समाज में व्याप्त बुराईयों पर पूरी निगरानी रखें और उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास करें। अपने समाज को शिक्षा के प्रति जाग्रत करें।

7–प्रत्येक दलित संगठन का कर्तव्य है कि वे अपने समाज में स्वाभिमान पैदा करें ताकि दलित अपने को हीन भावना से ऊपर उठा सके तथा उन्हें समझाये कि गरीबी भुखमरी, गन्दगी, अशिक्षा, हीनता, बेईज्जती आदि किसी ईश्वर ने उनकी किस्मत में नहीं लिखी है। यह तो एक व्यवस्था का दुष्परिणाम हैं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए सही दिशा में पुरूषार्थ और अपने अधिकारों को समझें और उनकी प्राप्ति के लिए संघर्ष करें।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख दलित स्वयंसेवी संगठन

1 अध्यक्ष
अखिल भारतीय स्वच्छकार
एसोसिएशन
बरदा रोड महानी गली
जिला परिषद, निशातगंज
लखनऊ–226001, उ0प्र0

2– अध्यक्ष
स्वच्छकार कल्याण समिति
वार्ड नं08 युसुफपुर मुहम्मदाबाद
जिला गाजीपुर–233001
उत्तर प्रदेश

3 अध्यक्ष
लोक उत्थान संयुक्तकर्ताक्रम
एवं सेवा संस्थान
ग्राम व पोस्ट–हाजीपुर (शहर बाईपास)
आजमगढ़–276002, उ0प्र0

4 प्रभारी
डेंवलपमेंट इन्फारमेशन सेन्टर
पोस्ट बाक्स संख्या –38
बलियॉ कलॉ
लखीमपुर खीरी, उ0प्र0

5. अध्यक्ष
थारू ग्रामीण विकास एवं
प्रशिक्षण समिति
सिसई खेड़ा, सितारगंज
उधमसिंह नगर, उ0प्र0

6. अध्यक्ष
साहस सेवा समिति
सिसिया, बहराइच–271801
उत्तर प्रदेश

7. अध्यक्ष
दलित संघर्ष मंच
ग्राम–डभरी कला, त्रिलोकी सराय
जौनपुर–222002, उ0प्र0

8. प्रभारी
राष्ट्रीय जन कल्याण सेवाश्रम
धनश्यामपुर रोड (बाईपास तिराहा)
बदलपुर
जिला–जौनपुर–222001, उ0प्र0

9. अध्यक्ष
ग्रामीण विकास परिषद
ग्राम–देईडीहा पो. बरहज
देवरिया–2274001, उ0प्र0

10. प्रभारी
कम्युनिटी रिर्सोस सेन्टर
तुलसीपुर, नई बाजार
बलरामपुर–271201

11. अध्यक्ष
ग्रामीण नारी समाजोत्थान समिति
पटेल नगर
बरहज–देवरिया–274001, उ0प्र0

12 अध्यक्ष
डा0 अम्बेडकर सोशल
वेल्फेयर सोसाइटी
ग्रा व पो0 –असनवार
जिला –बलिया–221701, उ0प्र0

13. निदेशक
इण्डियन रूरल टेक्नोलॉजी
डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट
रेलवे स्टेशन रोड, गढ़ी
मानिकपुर
प्रतापगढ़–230202, उ0प्र0

14 निदेशक
भारतीय सामाजिक संस्थान
आजादपुरा
ललितपुर–284403, उ0प्र0

15. संयोजक
डग
11–बी राजसी, डालीगंज
लखनऊ–226007, उ0प्र0

16. अध्यक्ष
दलित चेतना विकास संस्थान
इ–578 आवास विकास
कालोनी
योजना–1 निकट–केसा
पनकी रोड, कल्याणपुर
कानपुर–208017, उ0प्र0

17. अध्यक्ष
भारतीय दलित साहित्य अकादमी
जिला शाखा पिथौड़ागढ़
जिला पिथौड़ागढ़–262552, उ0प्र0

18. संयोजक
डेवलपमेन्ट फार रूरल पिपुल्स एण्ड न्यूट्रिशन
इन्दिरा नगर, जैतीपुर रोड
घाटमपुर, कानपुर–209206, उ0प्र0

19. अध्यक्ष
समाज कल्याण मंच
जिन्हैरा–मिरहची
एटा–207125 उत्तर प्रदेश

20. अध्यक्ष
डा0 अम्बेडकर ग्रामोद्योग सेवा
संस्थान
292/7, भटवलिया
देवरिया–274001, उत्तर प्रदेश

21. अध्यक्ष
डा0बी0आर0 अम्बेडकर समिति
लोहागढ़, झांसी–284001, उत्तर प्रदेश

22. महामंत्री
गुरू रविदास समाज विकास
समिति मण्डल, झांसी–2
203, गुदरी बाजार
झांसी 284002, उत्तर प्रदेश

23. परियोजना समन्वयक
करूणा समाज सेवा संस्थान
कोटवारा–246149, उत्तर प्रदेश

24. निदेशक
भारतीय मानव समाज कल्याण
क्षेत्रीय कार्यालय मिहिंपुरवा
बहराइच–271801, उत्तर प्रदेश

25. जिला कमाण्डर
समता सैनिक दल
मौर्य सदन सराय
पो.–बरला, 202001
जिला–अलीगढ़, उत्तर प्रदेश

26. अध्यक्ष
डॉ0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक पुस्तकालय
रायबरेली–229001, उत्तर प्रदेश

27. अध्यक्ष
अखिल भारतीय बाल समाज
विकास परिषद्
नगला खेप्पड, पो.–घआयन
मुजफ्फरनगर– 251001, उत्तर प्रदेश

28. निदेशक
दिशा सोशल आर्गनाइजेशन
सुल्तानपुर, चिल्काना
सहारनपुर–247231,उत्तर प्रदेश

29. सचिव
जन शिक्षण केन्द्र
ग्राम कुटिवावा
पो.–बेवाना224122
जिला–अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश

30. अध्यक्ष
संचालक मण्डल
डा0 अम्बेडकर संचेतना समिति
98, शुतुरखाना
मकबूगंज
लखनऊ–226003, उत्तर प्रदेश

31. अध्यक्ष
शोषित जना उत्थान समिति
राजनगर, चुचैलाकलां
मुरादाबाद–244231, उत्तर प्रदेश

32. अध्यक्ष
मानव कल्याण एवं ग्रामीण विकास समिति
निवास–शाहपुर बसखोलिया
पोस्ट खिंझना
जिला बाराबंकी–225305, उत्तर प्रदेश

33. अध्यक्ष
डा0 अम्बेडकर विचार क्राति मंच
1167/1 अम्बेडकर नगर (तालपुरा) कानपुर रोड
झांसी–284001, उत्तर प्रदेश

34. अध्यक्ष
मंथन कदम
223 प्रकाश निकुंज
पावर हाउस रोड
निजामुद्दीन पुरा
मऊनाथ भंजन
मऊ 275101 उत्तर प्रदेश

35. सचिव
अमर शहीद चेतना संस्थान
बरहज
देवरिया–274601, उत्तरप्रदेश

36. अध्यक्ष
सेन्ट्रल बैंक एस0सी0/एस0टी0
कर्मचारी वेल्फेयर
एसोसिएशन
335, फेथफुल गंज कैंट
कानपुर–208004, उत्तर प्रदेश

37. हिन्ड स्वीपर्स बेलफेयर सोसाइटी
आदर्श बाल्मीकि कालोनी
बाडूजई पेशावरी
शाहजहांपुर –242001, उत्तर प्रदेश

38. सचिव
अमिता महिला विकास सेवा संस्थान
ग्राम एवं पोस्ट–खीरों
रायबरेली–229001, उत्तर प्रदेश

39. सचिव
शाश्वत
ग्राम–नन्दना
पोस्ट बेलावाखुर्द
जिला महाराजगंज–273303, उत्तर प्रदेश

40. सचिव
आदर्श महिला कल्याण समिति
230, फिरोज गांधी नगर
रायबरेली–229001, उत्तर प्रदेश

41. सचिव
डॉ0 अम्बेडकर अनुसूचित जाति
विकास संस्थन
मधुवन
मऊ–275101, उत्तर प्रदेश

42. सचिव
बिंधया ग्रामोदय संस्थान
मरूहामा
विंधवा कालोनी
मिर्जापुर–231001, उत्तर प्रदेश

43. राष्ट्रीय क्रांति दलित मोर्चा
ओजपुरा, सहारनपुर, उ0प्र0

44– बौद्ध बिहार
सिलदार पार्क लखनऊ, उ0प्र0

45– डॉ0 अम्बेडकर मिशन ऑफ पूर्वांचल
542, जुगले तुलसीराम बिचिया
गोरखपुर उ0प्र0 273014

46–अम्बेडकर स्टूडेन्टस मूवमेन्ट ऑफ इण्डिया
स्वामी विवेकानन्द हॉस्टल
यूनिवर्सिटी गोरखपुर
गोरखपुर, उ0प्र0 462003

47– अध्यक्ष/महासचिव
लोक कल्याण संस्थान
1760, नया राम नगर, उरई, जालौन

48– डायरेक्टर
इन्ट्रीग्रेटेड सेन्टर फॉर ग्लोबल स्टडीज (आई0सी0जी0एस0)
3, राठ रोड, उरई, जालौन

दलित साहित्य और विचारक

हिन्दी साहित्य के इतिहास की एक विस्तृत परम्परा है। इस साहित्य के इतिहास में अनेकानेक परिवर्तन हुये हैं, जिन्होंने हिन्दी साहित्य की मुख्य धारा को प्रभावित किया है। आदिकाल में नाथों और सिद्धों का साहित्य, भक्तिकाल में कबीर और रैदास जैसे संतों की रचनाएं और काल में कवि हीरा डोम के साथ ही गद्य के आगमन और अभिव्यक्ति के नये–नये माध्यम से साहित्य ने साहित्य की इस मुख्य धारा को विभिन्न दिशाओं में मोड़ने की कोशिश की। हिन्दी में दलित जीवन से जुड़ी रचनाओं का अभ्युदय हीरा डोम, निराला और प्रेमचन्द्र जैसे रचनाकारों से हुआ है, लेकिन उनको रचनाओं को पहचान दलित साहित्य के रूप में कम गरीब वर्ग (दलित

समाज) पर केन्द्रित साहित्य के रूप में अधिक होती हैं। सन् 1960 के आसपास मराठी में दलित आंदोलन के उभार के साथ धीरे–धीरे दलित जीवन से जुड़ी रचनाओं का आना प्रारम्भ हुआ तथा 1980 ई0 आते आते हिन्दी में दलित साहित्य के रूप में रचनाओं की रचना प्रारम्भ हुयी।[96] फिर यह कारवां आगे बढ़ता चला गया।

सर्वप्रथम दलित साहित्य का प्रयोग डा0 अम्बेडकर के लोक "लोक शिक्षा–प्रसारक मण्डल' के कारण दलित साहित्य सेवक संघ' में किया गया।[97] शायद इसी कारण दलित साहित्य डा0 अम्बेडकर की विचार धारा को अपना मूलश्रोत मानता है इसलिए उसकी परिभाषा या सीमाओं पर विचार करते समय, उस मूल विचारधारा की विवेचना भी आवश्यक हो जाती है, जो इस साहित्य के जनक हैं। डा0 अम्बेडकर की विचार धारा का केन्द्र मूल साहित्य का रूप ले रहा है, और सम्भवतः वह ही इक्कीसवीं सदी का मूल साहित्य होने वाला है।[98] दार्शनिक एवं चिंतक तुलसीराम के अनुसार, "आज के समय में डॉ0 अम्बेडकर की व्यापकता ही दलित साहित्य की मुख्यधारा है।[99]

दलित साहित्य का तात्पर्य उस साहित्य से है, जिसमें दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को वर्णित किया है। अपने जीवन–संघर्ष में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है, दलित साहित्य उनके द्वारा उन्हीं की अभिव्यक्ति का साहित्य है। यह कला के लिये कला का नहीं, बल्कि जीवन का और जीवन का विभीषिका का साहित्य है। इसलिये कहना होगा कि वास्तव में दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य की कोटि में आता है।[100] इस अवधारणा को लेकर गैर दलित लेखकों की आपत्ति यह है कि दलित साहित्य पर गैर दलितों का लेखन दलित साहित्य क्यों नही है? या यह कि दलित समस्या पर सिर्फ दलित ही लिख सकता है, गैर दलित नही? दलित जीवन की पीड़ा की जैसी अनुभूतियाँ एक दलित को ही होती है, वैसी अनुभूमि एक सवर्ण को नही हो सकती।[101] मार्क्स, गांधी और उदारवादी हिन्दू विचारधारा से प्रभावित सवर्ण लेखक की दलित पीड़ा या प्रश्नों के साथ सह–अनुभूति हो सकती है और उसी आधार पर वह अपने समाधान भी प्रस्तुत कर सकता है। जैसा कि प्रेमचन्द्र, निराला, गिरिराज किशोर, नागार्जुन, अमृतलाल नागर और डॉ0 जगदीश गुप्त आदि ने प्रस्तुत किये, परन्तु दलित चेतना इन विचारधाओं को पूरी तरह नकारती है।

हिन्दी दलित साहित्य ने मुख्य ऊर्जा और चेतना डॉ0 अम्बेडकर के दर्शन से प्राप्त की है, परन्तु डॉ0 अम्बेडकर उसके जनक नही है। दलित साहित्य का इतिहास उतना ही प्राचीन है, जितना कि हिन्दी साहित्य का इतिहास।[102] दलित साहित्य की धारा को जिन साहित्यकारों ने आगे बढ़ाया, उनमें चन्द्रिका प्रसाद जिज्ञास, का योगदान मुख्य है।[103] उन्होंने अम्बेडकर साहित्य को हिन्दी में प्रकाशित कर प्रचारित करने का अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसने हिन्दी में अम्बेडकर मिशन के साथ–साथ आधुनिक दलित साहित्य की आधारशिला भी रखी। यहीं से हिन्दी दलित साहित्य डॉ0 अम्बेडकर की दलित मुक्ति की चेतना और विचारधारा से जुड़ा। इस विचार धारा से जुड़ने के बाद न सिर्फ दलित साहित्य को नया अर्थ मिला, अपितु सामाजिक परिवर्तन की सम्पूर्ण विद्रोही चेतना ही उसकी अवधारणा बन गयी। इस आधार पर दलित साहित्य का अभिप्राय है, कि आधुनिक हिन्दी दलित साहित्य वह साहित्य है, जो दलित मुक्ति के सवालों पर पूरी तरह अम्बेडकरवादी है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, सभी क्षेत्रों में उसके सरोकार वही हैं, जो डॉ0 अम्बेडकर के थे।[104]

सर्वप्रथम सामाजिक असमानता की खाई 2500 वर्ष पूर्व महात्मा गौतम बुद्ध ने पाटने का प्रयास किया। 16 वीं और 17 वीं शताब्दी में जब मुसलमान शासक सत्ता में थे तब संत

कवियों ने भगवान या राम की उपासना को महत्व दिया। उन्होंने जाति पाति, भेदभाव की निंदा की। जाति के स्थान पर 'भक्ति' को उच्च बताया। संत कबीर दास, नानक, चोखा–मोला, दादू दयाल आदि संतों तथा उनके चेलों ने आम जनता में लोक भाषा के द्वारा हीन भावना निकालने का प्रयास किया। संत कबीर दास और संत नानक को काफी सफलता मिली।[105] 19 वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती, राजा राम मोहन राय ने भी अपने तरीके से जाँत–पाँत की बुराई को दूर करने का प्रयास किया, किन्तु इन्हें पूर्ण सफलता नही मिली। 20 वीं शताब्दी में महात्मा गांधी और उनके सहयोगी ठक्कर बाबा, आचार्य विनोवा भावे ने दलितों को 'हरिजन' कहा। 1848 ई0 में पूना में महात्मा ज्योति राव गोविन्द फूले ने दलितों और स्त्रियों के लिए अलग पाठशालाएं खोली। महात्मा फुले की इस भावना को डॉ0 अम्बेडकर ने तीव्र गति प्रदान की। डॉ0 अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में समता आंदोलन प्रारम्भ किया। समता आंदोलन को सफल बनाने के लिए सांस्कृतिक, शैक्षिक और राजनैतिक आंदोलन की शुरूआत की। डॉ0 अम्बेडकर के आंदोलन का मुख्य आयाम सामाजिक समता थी। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पूर्व ही डॉ0 अम्बेडकर ने तीन सूत्र "शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो" दिये थे। ये तीनों सूत्र महात्मा बुद्ध के सूत्रों बुद्धम् शरणम् गच्छामि (शिक्षित बनो), संघम् शरणम् गच्छामि (संगठित रहो), धम्मम् शरणम् गच्छामि (संघर्ष करो) से प्रभावित थे। दलित साहित्य की पृष्ठभूमि में भी ये तीन सूत्र थे।[106] डॉ0 अम्बेडकर के इन्हीं विचारों में दलित साहित्य के बीज छिपे थे।

सर्वप्रथम डॉ0 अम्बेडकर द्वारा 31 जनवरी, 1920 में सम्पादित एवं प्रकाशित 'मूकनायक' पत्रिका द्वारा दलितों में जागृति का प्रयास किया गया। तीन साल के उपरान्त डा0 अम्बेडकर के विलायत चले जाने के बाद इसका प्रकाशन बंद हो गया। उनके वापस आने पर 3 अप्रैल, 1929 से मूकनायक के स्थान पर 'बहिस्कृत भारत' के नाम से एक पत्रिका प्रकाशित की गयी। बहिस्कृत भारत के बाद 'समता मासिक' का प्रकाशन 29 जून, 1956 में प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन होने लगा। उस समय तक डॉ0 अम्बेडकर की अनेकों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। वे ज्यादातर इन्हीं मराठी पत्रिकाओं में अपने विचार लिखते रहे। डॉ0 अम्बेडकर के इन्हीं विचारों को दलित साहित्य की आरम्भिक अवस्था कहा जा सकता है। इन्ही पत्रिकाओं द्वारा दलितों से सम्बन्धित बहुत--सा साहित्य और दलित साहित्य प्रकाशन में आया था। इसके कारण डा0 अम्बेडकर को दलित साहित्य का मुख्य विचारक कहा जाता है।[107]

दलित साहित्य ने गुरू रविदास और संत कबीर की अमरवाणी, समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और अछूतानंद 'हरिहर' के अमर संदेश और डॉ0 अम्बेडकर के मूलमंत्र–शिक्षित बनो, संगठित रहों, संघर्ष करो की सही व्याख्या प्रदान कर दलितों में एक नई वैचारिक क्रांति पैदा की है। जिससे देश की सत्ता व सम्पदा में बराबर की हिस्सेदारी के लिए दलित संघर्ष तेज हुआ है दलितों ने अपने मत का सही इस्तेमाल करके राजनैतिक क्षेत्र में भारी उथल पुथल मचा दी। सामाजिक परिवर्तन का जो काम हिन्दी साहित्य कई शताब्दियों में भी नही कर पाया, दलित साहित्य ने वह 2–3 दशक में राजनैतिक क्षेत्र में कर दिखाया। देश की 21 वीं सदी कैसी होगी?

दलित साहित्य उसकी रूपरेखा का अंकन करके आगे बढ़ रहा है।[108]

1980 के बाद दलित साहित्य की सभी विधाओं में अब तक काफी मात्रा में लिखा गया हैं। दलित नाटकों में श्री माता प्रसाद द्वारा लिखित 'अछूत का बेटा', 'धर्म के नाम पर धोखा', 'धर्म परिवर्तन', 'तड़प मुक्ति की वीरांगना झलकारी बाई', श्री ए0के0 लाल का 'मुझे फांसी दो', 'प्लेटफार्म', श्री मोहनदास नैमिशराय का 'क्या मुझे खरीदोगे', श्री रूपनारायण सोनकर का 'विषधर' और श्री गोकरण करूणाकर का 'दलितों के मसीहा बाबा साहब' काफी लोकप्रिय हैं। दलित उपन्यास / कहानी / कथाओं में श्री जय प्रकाश कर्दम का छप्पर, डा0 धर्मवीर का 'पहला खत', एन0आर0 सागर का 'अन्तिम अवरोध', श्री बलवंत सिंह चार्वाक का 'भूखी चिंगारी की लाल मुस्कराहट', प्रेम कपाड़िया का 'मिट्टी की सौगंध', ओमप्रकाश बाल्मीकि का 'जूठन', मोहनदास नैमिशराय का 'अपने–अपने पिंजरे', दयानन्द बटोही का 'सुरंग', सत्यप्रकाश का 'जस–तस भई सबेर', काफी लोकप्रिय हैं।[109]

दलित खण्ड काव्य तथा कविता संकलनों में डा0 धर्मवीर का 'हरीमन', डॉ0 सुखवीर सिंह का 'बयारे बहार', डॉ0 पुरूषोत्तम सत्यप्रेम का 'द्वार पर दस्तक', 'मूकमाटी की मुखरता', 'सवालों का सूरज', डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर का 'अंधा समाज व बहरे लोग', 'अम्बेडकर शतक', 'सिंधू घाटी बोल उठी', जय प्रकाश कर्दम का 'गूंगा नही था मै', कंवल भारती का 'तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती', ओम प्रकाश बाल्मीकि का 'बस बहुत हो चुका', अनुसुय्या अनु का 'बंजारी', डॉ0 कुसुम वियोगी, टुकड़े–टुकड़े दंश आदि काफी लोकप्रिय है।[110]

आज दलित साहित्य के प्रादुर्भाव ने देश और समाज में उथल–पुथल मचा रखी है। इसने धर्म, साहित्य, इतिहास की परिभाषा ही बदल दी हैं। इससे सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनैतिक समीकरण ही बदल गये हैं। इसने निर्जीव, संवेदनहीन, अनपढ़, गंवार, बंधुआ दलितों में चेतना का संचार करके उनकी अस्मिता और स्वाभिमान को जगाकर उन्हें अपने छिने अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए विद्रोही तेवर देकर, संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे देश में एक नव जागरण प्रारम्भ हुआ है।

उत्तर प्रदेश की दलित पत्रिकाएं

क्र.	नाम	संपादक	स्थान एंव प्रकाशन वर्ष
1.	समता (सा)	हरिप्रसाद टमटा	एक जून 1934 में अल्मोड़ा से प्रकाशित
2.	परिवर्तन (पा)	स्वामी अज्ध्यानाथ	1950 में अलीगढ़ से प्रकाशित
3.	सिंहनाद (सा)	सुदंरलाल सागर	जनवरी 1957 में प्रकाशित
4.	शोषित पुकार	बलवीर सिंह आजाद	सितम्बर 1966 में बुलंदशहर से प्रकाशित
5.	जमीं के तारे	रामचरन सिंह	स्वतंत्रता सेनानी मेवाराम ने 1962 में अलीगढ़ से
6.	स्वाधीन भारत	उपलब्ध नहीं	1968 में अलीगढ़ से

7.	समता शक्ति	मोहनदास नैमिशराय	1972 में मेरठ से दो पत्र प्रकाशित
8.	बहुजन अधिकार	मोहन दास नैमिशराय	1981 में मेरठ से शुरू हुआ
9.	भीम भूमि (सा)	आर0के0 गौतम	1982 में बुलंदशहर से प्रकाशित
10.	निर्णायक भीम	डा0 कवलधारी	6 दिसम्बर 1977 कानपुर से प्रकाशित
11.	लोक चिंता (स)	डॉ0 आर0एस0 आजाद	1978 में बुलंदशहर से प्रकाशित
12.	हिन्द सेनानी (दै)	दुर्गा प्रसाद देशमुख	4 अगस्त 1985 से आगरा से प्रकाशित
13.	बहुजन दिग्दर्शक	राम समुझ	अप्रैल 1990 आलमबाग लखनऊ से प्रकाशित
14.	अनार्य भारत	सुंदरलाल सागर	मई 1990 मैनपुरी से प्रकाशित
15.	भीम सैनिक	पी0एस0 मौर्य	सितम्बर 1970 मेरठ से प्रकाशित
16.	दलित चेतना	मोती राम शास्त्री	3 मार्च 1978 से लखनऊ से प्रकाशित
17.	मूक भारत	कवल भारती	14 अप्रैल 1980 को प्रकाशित
18.	दलित केसरी	एस0राव संजीवन नाथ बौद्धाचार्य	1985 से इलाहबाद से प्रकाशित
19.	दलित जन उद्गार	सुभद्रा देवी	1991 में मैनपुरी से प्रकाशित
20.	अम्बेडकर उजाला	हरी सिंह मौर्य	अमरोहा से प्रकाशित
21.	नाग टाइम्स	टी0पी0 आजाद	सीतापुर से प्रकाशित
22.	किरणों का बसेरा	मांगाराम शिबा	सहारनपुर से प्रकाशित
23.	भीम आदेश	तेजपाल आज़ाद	मथुरा से प्रकाशित
24.	बुद्ध उपदेश	राम अवतार	मुरादाबाद से प्रकाशित
25.	सावधान	तिलक कुरील	कानपुर से प्रकाशित
26.	समता संदेश	रामगोपाल भारतीय	गाजियाबाद से प्रकाशित
27.	बहुजन का भाईचारा	डॉ0 क्रांति	बदायु से प्रकाशित
28.	दलित एशिया टुडे	वेद कुमार डॉ0 शूरा दारापुरी	लखनऊ से प्रकाशित
29.	कृतिका	डॉ0 बीरेन्द्र सिंह यादव	उरई से प्रकाशित

दलित साहित्य ने सदियों से मिट्टी के अन्दर दबे इतिहास की परते खोली हैं। सिन्ध घाटी के लोग कौन थे? मोहन जोदड़ें, हड़प्पा, लोथल किनकी सभ्यता थी? उसे कैसे, कब किसने उजाड़ा? आर्य और द्रविड़ कौन हैं? आज के दलितों के पूर्वज कौन थे? दलित कैसे दास, दस्यु, राक्षस, असुर, अछूत, और गुलाम बने? मनुस्मृति संविधान में आया वर्णो से अलग उनके लिए कठोर दंड विधान का प्रावधान क्यों किया गया? आज दलित साहित्य ने उन दलित नायक–नायिकाओं

को यथोचित सम्मान देकर महान बना दिया है। जिन्हें मनुवादी साहित्यकारों से निन्दित करके इतिहास के हाशिये पर पहुंचा दिया था। शम्बूक, एकलव्य, बर्बरीक, रावण, बाली, कर्ण, हिरण्यकश्यप नल–नील भागीरथ, बिरसा, मुण्डा, उधम सिंह, मातादीन भंगी, राजाराम मेघवाल, रामपति चमार, कान्हू धोबी आज दलितों के वीर नायक है। इसी कैकयी, मथंरा, उर्मिला, शबरी, सूपनखां, मन्दोदरी, तारा, अहिल्या, द्रोपदी, गंधारी, झलकारी बाई, सावित्री फुले, फूलनदेवी, आदि के चरित्र को गरिमा प्रदान कर दलित साहित्य ने उन्हें पूज्यनीय वीरांगना बना दिया हैं हिन्दी साहित्यकार इन्हें अस्पृश्य समझ मौन साधे हुए थे।

दलित साहित्य ने गुरू रविदास और संत कबीर की अमरवाणी समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और अछूतानन्द 'हरिहर' के अमर संदेश और बाबा साहब डा0 अम्बेडकर के मूलमंत्र –शिक्षित बनो, संगठित रहों, संघर्ष करो की सही व्याख्या प्रदान कर दलितों में एक नई वैचारिक क्रान्ति पैदा की है, जिससे देश की सत्ता व सम्पदा में बराबर की हिस्सेदारी के लिए दलित संघर्ष तेज हुआ है। दलितों ने अपने मत का सही इस्तेमाल करके राजनैतिक क्षेत्र में भारी उथल–पुथल मचा दी है।

संदर्भ सूची–6

1– सिंह रामगोपाल, भारतीय दलितः समस्याएं एवं सम्भावनाऐं पृ0–115

2– वही पृ0–115

3– काम्वले, एन0डी0 द शिड्यूल्स कास्ट्स पृ0 12–18

4– घोष एस0के0 प्रोटेक्शन ऑफ माइनारिटीज एण्ड शिड्यूल्ड कास्ट्स–17–24

5– अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की (27 वीं) रिपोर्ट भाग 1 व भाग–2 पृ0 सं0 क्रमशः 345 व 60

7– वही पृ0 –104

8– वही पृ0–105

9– प्रसाद माता, उत्तर प्रदेश में दलित जातियों का दस्तावेज पृ0–104

10– दैनिक जागरण अंक दिनांक 7–4–1974

11– डा0 रामगोपाल सिंह : समस्याएँ एवं समाधान पृ0–3

12– वही पृ0–3

13– वही पृ0–4

14– सिंह रामगोपाल, भारतीय दलितः समस्याएं एवं समाधान पृ0–4

15– वही, पृ0–4

16– वही, पृ0–4

17– डॉ0 रामगोपाल सिंह, भारतीय दलितः समस्यायें एवं समाधान, पृष्ठ–5

18– वही, पृष्ठ–129 और अनुसूचित जातियां की सूची विभिन्न राज्यों के राज्यपालों से विचार विमर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा "शिड्यूल्ड कास्ट आर्डर 1950" के तहत जारी की गई। जो बाद में 1956 में संशोधित की गई।

19– वही, पृष्ठ–126

20— वही, पृष्ठ—129

21— मनु, बृहस्पति, गौतम, नारद, अपस्तृम्ब, याज्ञबल्क्य भारद्वाज (1979 : 3)

22— सिंह, रामगोपाल, समस्याएँ एवं समाधान पृ0—130

23— वही पृ0—130

24— वही पृ0—130

25— वही पृ0—130

26— काम्बले एन0डी0, एट्रोसिटीज आन शिल्ड्यूल्ड कास्ट्स इन पोस्ट इंडिपेण्डैंट, पृष्ठ—131

27— वही पृ0—131

28— वही पृ0—131

29— वही पृ0—131

30— सिंह राम गोपाल, भारतीय दलितः समस्याएं एवं समाधान,पृ0—132

31— वही पृ0—132

32— वही पृ0—132

33— घोष एस0के0, प्रोटैक्शन आफ माइनारिटीज एण्ड शिड्यूल्ड कास्ट्स, पृ0—21 (और) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के आयुक्त की 21 वीं रिपोर्ट 1971—72 और 1972—73

34— सिंह राम गोपाल, भारतीय दलितः समस्याएं एवं समाधान, पृ0—134

35— वही (और) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की 27 वीं रिपोर्ट भाग—1, 1979—81 पृ0—331

36— डॉ0 राम गोपाल सिंह : समस्याएँ एवं समाधान का प्रयास पृ0—134

37-- वही

38— वही पृ0—136

39— राव, ऊषा एन0जे0, डिप्राइव्ड कास्ट्स इन इण्डिया, इलाहाबाद, चुक पब्लिकेशन पृ0—342

40— अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की 27वीं रिपोर्ट भाग—2, पृ0—200

41— राम जगजीवन, भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या, दिल्ली, पृ0—66

42— दैनिक जागरण, अंक सोमवार 29 अगस्त 2005, पृ0—2

43— अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की 27वीं रिपोर्ट भाग—2 पृ0—240

44— सिंह राम गोपाल, भारतीय दलितः समस्याएं एवं समाधान, पृ0—137

45— टवेंटी थर्ड रिपोर्ट आफ द कमिश्नर फार शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिडयूल्ड ट्राइब्स, पृ0—116

46— अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की 27 वीं रिपोर्ट भाग—1, पृ0—141

47— सिंह, पी0 इक्वैलिटी रिजर्वेशन एण्ड डिस्क्रिमिनेशन इन इण्डिया, पृ0—138

48— अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के आयोग की 21 वीं रिपोर्ट, पृ0—17

49— टवेंटी थर्ड रिपोर्ट आफ द कमिश्नर फार शिड्यूल्ड कासट्स एण्ड शिडयूल्ड ट्राइब्स, पृ0—74

50— सिंह राम गोपाल, भारतीय दलितः समस्याएं एवं समाधान, पृ0—139

51— सिंह राम गोपाल, भारतीय दलितः समस्याएं एवं समाधान, पृ0—140

52— डा0 नीलम मुकेश : शोध धारा दलित विशेषांक दिसम्बर—2005 पृ0—110

53— जी0एस0 धुर्ये : द शैड्यूल्ड ट्राइब्स—1959

54— डा0 नीलम मुकेश : शोध धारा, दलित विशेषांक दिसम्बर—2005 पृ0—111

55— सुझान—भारतीय शिक्षा आयोग—1882

56— शोध धारा दलित विशेषांक दिसम्बर—2005 पृ0—111

57— वही पृ0—111

58— वही पृ0—111

59— शोध धारा दलित विशेषांक दिसम्बर—2005 पृ0—137

60— शोध धारा दलित विशेषांक दिसम्बर —2005 पृ0—138

61— वही पृ0—138

62— शोध धारा, दलित विशेषांक दिसम्बर—2005 पृ0—139

63— वही पृ0—141

64— सिंह, आर0जी0 भारतीय दलितों की समस्याएं एवं समाधान पृ0—234

65— मिश्रा एवं पुरी ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' पृ0 —236

66— पी0के0 घर 'इण्डियन इकोनामी पृ0—654

67— भारतीय आर्थिक समीक्षा, भारत सरकार बिल मन्त्रालय 2004—05 पृ0—238

68— शर्मा रमेशचन्द्र, 'विकास एवं नियोजन का अर्थशास्त्र' 1997—2000

69— सिंह राम गोपाल, भारतीय दलित : समस्याऐं एवं समाधान, पृ0—142

70— सिंह, रामगोपाल, समस्याएँ एवं समाधान पृ0—142

71— वही पृ0—143

72— (पर्यावरण: वर्तमान और भविष्य, डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव, लोक कल्याण संस्थान, 1760 नया राम नगर, उरई, जालौन संस्करण 2006 पृ0—73)

73— (राष्ट्रीय सहारा कानपुर, 20 जनवरी 2008, समाज सेवा के नाम पर संस्थाएं कर रहीं करोड़ों का घोटाला, पृ0 12)

74— नयी सदी भी तोड़ नहीं पायी उत्तर प्रदेश में अछूतपन को, प्रेम कपाड़िया डॉ0 प्रकाश लुइस) पृ0—111

75— वही

76— वही

77— वही

78— 7—नयी सदी भी तोड़ नहीं पायी उत्तर प्रदेश में अछूतपन को, प्रेम कपाड़िया डॉ0 प्रकाश लुइस) पृ0—112

79-- वही

80– वही

81– वही

82– वही

83– वही

84-- वही

85– वही

86– वही

87– नयी सदी भी तोड नहीं पायी उत्तर प्रदेश में अछूतपन को, प्रेम कपाड़िया डॉ0 प्रकाश लुइस) पृ0–113

88– वही

89– वही

90– वही

91– 20–(नई सदी भी तोड़ नही पायी उ0प्र0 में अछूतपन को प्रेम कपाड़िा, डॉ0 प्रकाश लुईस, पृ0–126)

92 – वही

93– वही

94– वही

95– (नई सदी भी तोड़ नही पायी उ0प्र0 में अछूतपन को दलित स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका कैसी है? पृ0–127)

96– दलित साहित्य विशेषांक, उत्तर प्रदेश/सि0 –अक्टू0 2002, पृ0–107

97– दलित साहित्य के प्रेरणा स्रोत (लेख), द्वारा एच0आर0 गौतम, उद्धत दलित साहित्य विशेषांक उत्तर प्रदेश/सि0–अक्टूबर 2002, पैरा 3

98– दजित साहित्य की अवधारणा अद्धत राष्ट्रीय सहारा,

99— दलित साहित्य की मूल विचारधारा की विवेचना (लेख) द्वारा रमणिका गुप्ता—उद्धत दलित साहित्य विशेषांक 2002, उत्तर प्रदेश सि0—अक्टूबर, पृ0—12

100— दलित साहित्य विशेषांक 2002, उत्तर प्रदेश सि0 अक्टूबर, पृ0—12

101— वही, पृ0—12

102— वही, पृ0—12

103— वही, पृ0—13

104— दलित साहित्य विशेषांक 2002, उत्तर प्रदेश सि0—अक्टूबर, पृ0—108

105— वही, पृ0—108

106— प्रेम कपाड़िया और डा0 लुईस (संपादक) नई सदी भी तोड़ नही पायी उ0प्र0 मे अछूतपन को, पृ0—105

107— दलित साहित्य के प्रेरणा स्रोत—उद्धत —दलित साहित्य विशेषांक उ0प्र0 2002, सि0—अक0, पृ0—108

108— पेम कपाड़िया और डा0 लुईस (संपादक) नई सदी भी तोड़ नही पायी उ0प्र0 में अछूतपन को, पृ0—108

109— वही, पृ0—108

110— दलित साहित्य विशेषांक, उत्तर प्रदेश सि0—अक्टूबर 2002, पृ0—108

सप्तम् अध्याय

भविष्य की ओर दलित समाज

हमारे देश में दलितों का अतीत संसार में अतुलनीय है। वर्तमान में दलितों की पहचान, गरीबों, अज्ञानता, लाचारी, भुखमरी, दुखदर्द, दासता से होती है। मगर गुजरा समय इस बात को प्रमाणित करता है कि देश की इस धरती पर कभी दलितों का भी राज था, मगर हम लोग शासक से सेवक बन गये, और ब्राह्मणवाद विजयी हो गया।

ज्ञान का प्रयोग जो लोग मनुष्य को धोखा देने के लिए करते थे। वही लोग आडम्बर को ईश्वरीय चमत्कार सिद्ध करते आये। देश के सारे ब्राह्मणों का आन्तरिक जीवन का असली आधार स्वहितार्थ रहा। जब कि स्वार्थ और परस्वार्थ दोनों का सम्बन्ध पूर्णतः पृथक–पृथक है। स्वार्थ मनुष्य का मनोवैज्ञानिक गुण है। जबकि परस्वार्थ नीति शास्त्र और धर्म शास्त्र का विषय है। देश में ब्राह्मणवाद के सफल होने का यही कारण है कि ब्राह्मणों ने सदा स्वहितार्थ पर स्वार्थ की व्याख्या की हैं। यानी अपने भौतिक कल्याण को साध्य एवं आध्यात्मिक कल्याण के साधन के रूप में आर्यो ने स्वीकार किया। देश में 40 प्रतिशत भूखे–नंगे लोगों के आंसू इसको सजीव प्रमाण सहित प्रमाणित करते हैं।[1]

अतीत में जो बेलगाम थे तो एक दिन में गुलाम नहीं हो गये बल्कि गुप्त काल से स्वतंत्रता प्राप्ति तक दलितों का सतत् मानसिक शोषण के साथ–साथ सामाजिक अन्याय का शिकार भी होना पड़ा। इतिहास के अवलोकन से एक निष्कर्ष तो परिमार्जित निर्गत होता हैं कि हर्ष काल से भारत से अंग्रेजों के जाने तक भारत की व्यवस्था अन्याय पर आधारित रही है। अन्याय किसी मानवीय जीवन शैली का आधार नहीं हो सकता है। यद्यपि कोई भी व्यक्ति अन्याय को न्याय के रूप में करता है, तो वह सबसे पहले अपने प्रति ही अन्याय करता है। हमारे पूर्वजों के साथ, दिशा दर्शन, नीति सब कुछ था। परन्तु दलितों का कोई भी महापुरूष अतीत के गौरव की पुर्नप्रेषित न करा सका और न ही दलितों के सामाजिक जीवन में गुणात्मक परिवर्तन का संचार करा पाया।[2]

दलित समाज के मामूली दोष दलितों के पतन के लिए पर्याप्त नहीं थे, बल्कि भारतीय दलित समाज किसी निर्दयी की तलवार की धार से काटा गया हैं उन लोगों को दलित लोग अच्छी तरह जानते हैं। जिन लोगों ने दलितों को मनुष्य न मानकर पशु माना हैं वह भी निरा पशु।[3] शक्ति सत्य भी और सनातन भी हैं शक्ति जब कभी इस धरती पर अबुद्धिजीवियों के हाथों में पहुंची है तब–तब मानवता पीड़ित होकर बिलख उठी है। शक्ति का प्रयेाग मानवता और मनुष्य की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। परन्तु संसार में देखने में

अक्सर कुछ अटपटा ही मिला है। उस देश के लिए तो और भी शर्म की बात है। जिस देश में संसार में सबसे पहले मानवता का पाठ लिखा हो।[4]

हमारे देश में प्राचीन काल से अब तक जितनी भी नीतियां बनी हैं, वो मानव कल्याण का एक संकीर्ण पथ बना सकीं। प्रमुख कारण यह था कि शक्ति अन्यायियों के हाथों में बनी रही। हमारे देश के अन्यायियों ने दलितों के साथ कभी भी न्याय नहीं किया। दलितों को बड़ी बेरहमी से कुचला और मसला गया। उकने मनोबल को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया गया। यानी अत्याचारियों ने दलितों के साथ कभी भी मानवीय व्यवहार नहीं किया। बिखरे लोगों ने भी सवर्णों से पृथक–पृथक संघर्ष किया हैं फिर भी सवर्णो को भारी क्षति न पहुंचा सकें। अवर्ण समाज में कमजोर एकता के कारण दलित समाज इतनी उन्नति नहीं कर सका जितनी कि उससे उम्मीद की जाती थी।[5]

वर्तमान अतीत से निकलता है, तो भविष्य के बीज भी वर्तमान में अर्न्तनिहित होते हैं। कहने का तात्पर्य वर्तमान में ही भविष्य की संभावनाएं और आशाएं हकीकत में बदला करती हैं। जीवन की क्रियात्मक ऊर्जा उम्मीदों से निकला करती है। आशाएं तभी फलती–फूलती है। जब मनुष्य संयम, साहस, तप, त्याग, मनोबल से दिन--रात सींचा करता हैं वरना तो ख्याल, ख्याल में ही मर जाते हैं। इस संसार में बिना प्रयास और परिश्रम के कुछ भी संभव नहीं है। अटूट लगन और सच्चे विश्वास से संसार में सब कुछ हासिल किया जा सकता है।[6]

अपनी मेहनत पर विश्वास दलित कुछ ज्यादा किया करते हैं। परन्तु दलितों के मन पर सदियों से लोग मानसिक अतिक्रमण किये हुए हैं। बचपन से ही उन्हें गीता के उपदेश दिये जाने लगते हैं। माँ के आंचल से लेकर मौत के साये तक उसे हर जगह यही सुनाई देता रहता है। कर्म किये जा, फल की इच्छा मत कर रे नादान।[7]

एक मूर्ख ब्राह्मण ने मुझसे कहा– "परिवर्तन संसार का नियम है। दुनिय की हर चीज बदलती है, इसलिए भारत के संविधान को भी बदलना चाहिए।" सुनते ही मैंने मूर्खानन्द जी से प्रश्न किया– "नर, मादा मैं नहीं बदल सकता तो भारत का संविधान कैसे बदल सकता?" आसपास खड़े सब मनुष्य हंस पड़ें, पाण्डे जी के कुछ समझ में नहीं आया क्या कहें? फिर घबराते हुए दबी आवाज में बोले– "तम्बाकू पान, बीड़ी, सिर्फ जानती है। नई पीढ़ी का जमाना आ गया। मुँह भगवान ने बोलने के लिए दिया, लेकिन सब लोग बोलना भी नहीं जानते।" मैंने कहा– ठीक कहा पाण्डे जी, पहले लोग सिर्फ मुंह का प्रयोग बोलने के लिये किया करते थे। अब खाने के लिए भी प्रयोग करने लगे हैं।"[8]

इस साधारण बातचीत से सवर्णो की समसामयिक सोच का पता चलता है।

आन्तरिक द्वेष की सांकेतिक झलक दिखाई देती है उनके चिन्तन की धारा किस दिशा की ओर चल रही हैं। इसकी जानकारी लगभग मिल ही जाती है। सवर्णो की शैतानी मानसिकता शत–प्रतिशत किसी न किसी अव्यवस्था को जन्म देगी। तीसरी सहस्त्राब्दी षड्यंत्रों की शताब्दी होगी। मनुष्य की तो बात ही क्या? सन्तों के स्वार्थो में टकराव होगा। विनाश के द्वारा विकास होनें की सभांवना प्रतीत होती है। दलितों के मन पर सदियों से जो अनैतिक कब्जा सवर्णो ने कर रखा हैं। अब वह ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगा। आगामी समय में दलितों की मानसिक स्वतंत्रता मिलने वाली है। जिस दिन दलित मानसिक आजादी हासिल कर लेंगे, वो अर्द्धशिक्षित मनुष्य से पूर्ण बौद्धिक प्राणी बन जायेंगें। दलितों का उद्धार किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा नहीं होना है, बल्कि व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने से होगा।[9]

आज की वर्तमान राजनीति में हमारे देश के नेताओं के आदर्शो का जीवन काल लगभग नगण्य ही है। अतः इन पर विश्वास करना आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। वर्तमान समय में, दलितों मैं दलित विकास करनें में काफी पिछड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं दलितों का विकास होना अतिआवश्यक है। दबे, कुचले, बिल्कुल पिसे हुए लोगों के विकास करने के लिये विशेष अवसर प्रदान करना होगा। जिससे कि सभ्य मनुष्य बनकर समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त कर सकें।[10]

मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं को सह कर भी दलित जनमानस न केवल अपने स्वंय के लिये अपितु देश और राष्ट्रहित के लिए भी हमेशा अग्रसर रहा हैं विद्वान इस सत्य को और भी अधिक गंभीरता से रखते हैं। उनके अनुसार 'दलित जनमानस जिन वंचनाओं का शिकार रहा है, और जिस तरह हिंसा के समस्त ज्ञात रूपों को भोगा है। इस सब के बावजूद इनका अस्तित्व में बने रहना, किसी अनोखे संयोग से कम नहीं आंका जा सकता। अस्तित्व में बने रहने के इस अद्भुत संयोग के कुछ मौलिक कारण भी रहे होंगे। मौलिक कारणों से आंतरिक रूप से सशक्त होना, दलित समाज की प्रवृत्ति रही है।[11] आंतरिक रूप से नियमतः दलित–विरूद्ध सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी यदि दलित समाज अस्तित्व में बना रहा है, तो आंतरिक रूप से सशक्त अपनी सोच से न्यायप्रिय तथा सामाजिक व्यवहार में विद्रोही रहा हैं ये समस्त विशिष्टताएं दलित चेतना में परिलक्षित होती हैं।[12]

दलित समाज में उभर कर आ रही नई चेतना के साथ–साथ अन्य जन आंदोलनों के मुद्दों को भी समझना और मुद्दों पर आधारित साझा मंच बनाना समय की आवश्यक मांग हैं इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है, कि वैश्वीकरण, निजीकरण,

उदारीकरण, बाजारीकरण आदि लोक विरोधी ताकतों से सिर्फ गरीब और गरीब व्यक्ति ही लोहा ले सकते हैं। चूंकि ये ही इन आयामों के शिकार होते हैं। इनके ही संघर्ष से इन ताकतों का प्रतिरोध हो सकता हैं मानव अधिकार आंदोलन, पर्यावरण सुरक्षा संग्राम, महिला मुक्ति संघर्ष आदि के जरिये ही मानव जीवन स्वस्थ जीवन का पुनः निर्माण किया जा सकता है।[13] इन आंदोलनों की ऊर्जा पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं में, शक्ति सम्पन्न से वंचित समुदायों में विद्यमान है।[14]

बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के तहत दलित और आदिवासी समाज के लिए कई सारे प्रावधानों को नैतिक आधार प्रदान किए थे। वे निम्न हैं।

सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा।

परन्तु सवर्ण जाति–उच्च वर्ग ने नई आर्थिक नीति के तहत इन संवैधानिक प्रावधानों की धज्जी उड़ायी है। फिर भी डा0 अम्बेडकर के अन्य दर्शन मौजूदा हाल में दलित चेतना के जरिए दलित मुक्ति संघर्ष में लाभदायक सिद्ध होगा। विद्वानों के अनुसार भारत में दलित चेतना की शुद्धतम छबि अम्बेडकर के कार्य एवं चिंतन में परिलक्षित होती है। अम्बेडकर दर्शन में 3 केन्द्रीय तत्व समाहित क्योंकिं "अम्बेडकर कोई व्यक्ति नही एक विचार है।"[15]

1–वर्ण समाज का विनाश –डॉ0 अम्बेडकर का मानना है, कि परम्परागत वर्ण व्यवस्था से प्रगतिशील शक्तियां नही उभरेंगी, अतः वर्ण व्यवस्था को ही नष्ट करें। इस कार्य को आधुनिक राज्य ही करेगा।

2–दलित समाज की मुक्ति– दलित समाज तब तक शासक वर्ग के रूप में नहीं उभर सकता है, जब तक वह शासक वर्ग की समस्त योग्यताएं हासिल नहीं कर लेता।

3–समता एवं सार्वभौमिकता–न्याय के आधार पर दलित नेतृत्व में नए समाज की संरचना।[16]

इसके साथ–साथ दलित समुदाय के बुद्धिजीवियों को चाहिए, कि, वे वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, बाजारीकरण और नई आर्थिक नीति का विश्लेषण गांव से शहरों के हर घर तक एंव अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर करें और इन्हें दलित और वंचित समुदायों के सामने रखे। उन्हें इन प्रक्रियाओं को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए गोलबंद करें। जहां भूमण्डलीयकरण के पैरोकर अर्थतंत्र में ढांचागत परिवर्तन की वकालत करते हैं। दलित समाज की आवश्यकता है, कि वे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, भूमि सुधार कानूनों में परिवर्तन, संसाधनों के कब्जे में परिवर्तन आदि की मांग करें।

मध्यवर्गीय मानसिकता पर भी वार करना बेहद आवश्यक है। 90 के दशक में मध्य वर्ग में निम्न प्रकार के विचार पनपने लगे। 'समाज, देश, कृषि क्षेत्र में कुछ भी इस समाज के लिए सकारात्मक नहीं हो रहा है। मंदी का दौर है, आर्थिक, सुधार नये प्राण फूंकेगा। कुछ लोगों का यह भी मानना था, कि "भूमण्डलीयकरण एक वास्तविकता है, इससे कोई भी अछूता नही रह पायेगा। इसलिए हमें भी इस धारा में बह जाना चाहिए"। ऐसी वकालत करने वालों की पाँचों अंगुलियां घी में हैं। उनके लिए वैश्वीकरण ईश्वरीय देन है। लेकिन इस स्वार्थपूर्ति हेतु कई करोड़ दलित और गरीबों के घर उजड़ रहे हैं, इसका कोई हिसाब–किताब नहीं है।[17]

दलितोत्थान के लिये इस समय में दलित बुद्धिजीवियों, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अग्रणी भूमिका निभायी। सामाजिक, आर्थिक आयाम में जगह–जगह दलित उत्थान हेतु संगठनों को खड़ा करना पड़ेगा। इनके बीच में संयोजन बनाए रखना होगा। राजनीतिक क्षेत्र मुें दलित–समाज को नेतृत्व उभारने की कोशिश करनी होगी। बहुजन समाज पार्टी जैसे दलित–बहुजन राजनीतिक दलों को अपने–अपने एजेण्डे लोगों के सामने स्पष्ट करने होगें। ब0स0पा0 की कार्य योजना और रणनीति इस तरह हो, कि न केवल सत्ता पर अपना कब्जा जमाए, बल्कि सत्ता हस्तांतरण के साथ–साथ सामाजिक परिवर्तन के भी दिशा–निर्देशन तय करें। वर्ण व्यवस्था के नाश से ही सवर्ण मानसिकता और क्रूर जाति आध ारित व्यवहार का नामोनिशन मिट सकता है।[18]

भूमण्डलीय करण का प्रतिरोध करते हुए दलित समाज को प्रत्येक स्तर में भविष्य के लिये नये विकल्प को ढूढँना होगा। यह विकल्प इतनी सहजता से दलित समाज को प्राप्त नहीं होगा। इसके लिये दलित समाज को सैद्धान्तिक, वैचारिक, सांगठनिक संघर्ष तेज करने होंगे। चूँकि वैश्वीकरण की ताकतें शक्तिशाली हैं, उनसे लोहा लेने का आशय यह होगा कि, गरीब, गुर्बा समुदाय को व्यापक रूप में गोलबंद करना होगा। इस घोर शोषण और घनघोर चक्रव्यूह से मुक्ति पाने के लिए दलित चेतना, दलित संघर्ष समिति और दलित मुक्ति संघर्ष ही मात्र विकल्प बचे हैं।[19] डा0 अम्बेडकर के मूलमंत्र शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, आज भी दलित समाज का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी से दलितोत्थान संभव है।

सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोग

हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनुसूचित जातियों और जनजातियों में जागरूकता आई है। उनमें शिक्षा का प्रसार भी लगातार बढ़ रहा है। जमींदारी प्रथा समाप्त होने, मतदान का अधिकार मिलने, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लागू होने, नौकरियों में

आरक्षण की सुविधाओं के मिलने, अपने परिश्रम की कमाई से जहाँ उनकी स्थिति में सुधार हुआ हैं उनमें आत्मसम्मान पैदा हुआ है वहीं इसकी प्रतिक्रिया भी दूसरे शोषण करने वालों में पैदा हुयी। इस कारण दलितों के साथ अन्याय और उत्पीड़न की घटनायें अभी कम नहीं हुयी। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिनियम संख्या : 16/1995 के अर्न्तगत "उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग" का गठन किया गया था।[20] इस आयोग की स्थापना दिनांक 08.08.1994 से मानी गयी तथा यह आयोग जून 1995 से कार्यरत है।[21]

आयोग का गठन शासन द्वारा किया जाता है। जिसमें एक अध्यक्ष (अनुसूचित जाति), एक उपाध्यक्ष (अनुसूचित जाति) एवं चार सदस्य, जिनमें से एक महिला सदस्य तथा कम से कम एक अनुसूचित जातियों या जनजातियों के व्यक्तियों में से होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कार्यकाल तीन वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष, जो भी पहले हो, होता है। नियुक्ति ऐसे योग्य निष्ठावान और प्रतिष्ठावान व्यक्तियों में से की जाती हैं जिन्होनें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा में योगदान दिया हो।[22]

आयोग के कार्य

1—संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना और रक्षोपायों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करना।

2—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।

3—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

4—राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

5—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक—आर्थिक विकास के लिए उन रक्षा उपायों और अन्य उपायों के प्रभाव क्रियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों के सम्बंध में, जो राज्य सरकार द्वारा किये जाएं ,

सिफारिश करना।

6—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण विकास और अभिवृद्धि के सम्बंध में ऐसे अन्य कृत्यों का, जो राज्य सरकार द्वारा उनको निर्दिष्ट किया जाए, निर्वहन करना।[23]

आयोग के अधिकार

आयोग को किसी वाद का विचारण करने में सिविल न्यायालय से प्राप्त अधिकार विशेषतः निम्नलिखित है।

1—किसी व्यक्ति की उपस्थिति या बुलाने के लिये बाध्य करने और शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

2—किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करना।

3—शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।

4—किसी न्यायालय या कार्यालय में सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना।

5—साक्ष्यों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिये कमीशन जारी करना।

6—किसी अन्य विषय मे जो विहित किया जाए।[24]

मार्च 2003 में आयोग में नियुक्तियों का विवरण:—

क्र0	नाम	पदनाम स्थायी पता व टेलीफोन नं0	लखनऊ का पता	टेलीफोन कार्यालय	आवास
1.	श्री श्रीराम अरूण	अध्यक्ष	डी0—8विज्ञानपुरी महानगर, लखनऊ	2287231	2326464
2	श्री नरपति लाल	उपाध्यक्ष	5/389 विराम खण्ड—5 गोमती नगर, लखनऊ	2287230	2725153
3.	श्री सत्य नारायण	सदस्य	9/748 इन्दिरा नगर लखनऊ	2288209	2344193

4.	श्रीआनन्दरत्न मौर्य	सदस्य	ग्राम व पोस्ट चिरई गांव जिला–वाराणसी 0542–2590767 2590788 9415203530	1203 लॉ प्लास कॉलोनी लखनऊ		2288345
5.	श्री कमलाकांत गौतम	सदस्य	36/22 बेली गांव थाना–कैण्ट जिला–इलाहाबाद 0532–2641078, 9839088827 2641645	303, लाप्लास कालौनी, लखनऊ	2288345	
6.	श्रीमती पुष्पा देवी	सदस्य	ग्राम–नगलापीतम पोस्ट–फतेहगढ़ जिला–फर्रूखाबाद 05692–2238019 2237636	–		2287230
7.	श्री पंकज गंगवार	सचिव	–	बी–112 निरालानगर, लखनऊ	फोन, फैक्स 2287217	2789605
8.	श्री महामिलिंदलाल	वित्त एवं लेखाधिकारी	– सी–44 सेक्टर–एफ़ अलींगज, लखनऊ	2287230		2323388

स्रोत–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, अशोक मार्ग, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित ग्राम्य विकास विभाग की कुछ विशेष योजनाये हैं। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (दलित समाज) के जीवन स्तर को उच्च कोटि का बनाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में 31.34 लाख परिवार अनुसूचित जाति के हैं। अनुसूचित जनजाति के 8593 परिवार हैं।[25] ग्रामीण आवास योजना, जवाहर ग्राम

समृद्धि योजना, ऋण एवं अनुदान ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रध ानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण पेयजल) आदि योजनायें है, जिनमें दलित समाज की हिस्सेदारी है।[26] महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा गरीब और साक्षर महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये जाते जा रहे हैं। प्रदेश के कुपोषित और अति कुपोषित महिलाओं एवं बच्चों में पुष्टाहार वितरण सुनिश्चित करना भी इस विभाग का उत्तरदायित्व है।[27] प्रदेश का एक और बड़ा और महत्वपूर्ण विभाग समाज कल्याण विभाग द्वारा भी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण सेक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/विमुक्त जातियों के व्यक्तियों के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही हैं। इस विभाग की स्थापना 1948–49 में हुयी थी। उस समय इस विभाग का नाम "हरिजन सहायक विभाग" था।[28] इस विभाग के द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम के माध्यम से पूर्व दशम कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों के शुल्क क्षतिपूर्ति सुविधा, दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति एवं अन्य शैक्षिक सुविधा, बुक बैंक की स्थापना, अनावर्तीय सहायता, अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को मेरिट उच्चीकृत किये जाने की केन्द्र पुनर्निर्धारित योजना, विशेष कोचिंग व्यवस्था, प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं, केन्द्रीय पुनर्निर्धारित योजना के अन्तर्गत अस्वच्छ पेशा (चमड़ा उतरने, चमड़ा, कमाने, मैला उठाने) में लगे व्यक्तियों के बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, छात्रावास, शादी एवं बीमारी के लिये अनुदान, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड[29] योजनायें जो दलित समाज के उत्थान के लिये है, चलायी जा रहीं हैं।

आयोगो द्वारा लिये गये निर्णयों का विवेचनात्मक अध्ययन

भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पिछड़े और शोषित वर्ग से जुड़े लोगों के लिये, उनके जीवन स्तर को उच्च कोटि का बनाने के लिये आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य करना चाहती थी। सन् 1951 में संसद भवन में वाद–विवाद में धारा–15 के अर्न्तगत पं0 जवाहर लाल नेहरू ने कहा, [30] "कि हम सब एक समाप्ति चाहते हैं, उन सभी प्रकार के बंटवारे की, जो हमारे सामाजिक जीवन में पैदा हुये हैं। हम सब उन्हें जातिवाद और धर्मवाद आदि के नामों से जानते हैं। यद्यपि ये बंटवारे आर्थिक स्तर के हैं। फिर भी हम इन्हें मान्यता देते हैं। इस प्रकार एक आर्थिक और सामाजिक ढांचा सा उत्पन्न हो गया है।

इन सभी बातों का ध्यान में रखकर भारत के राष्ट्रपति इन सभी बातों को ने धारा 340 के अर्न्तगत सर्वप्रथम एक आयोग की मंजूरी दी।[31] 29 जनवरी, 1953 ई0 को काका

साहब कालेलकर की अध्यक्षता में भारत के संविधान के अर्न्तगत राष्ट्रपति के आदेश से पिछड़ी जातियों की विभिन्न पहलुओं की जांच के लिये यह आयोग बना।[32] श्री अरूण नागेश डे इस आयोग के सचिव थे। अन्य सदस्य निम्नलिखित थे।

1–श्री नारायण सोदाब कजरोलकर (मध्यप्रदेश)

2–श्री भीखा भाई (मध्यप्रदेश)

3–श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया

4–श्री राजेश्वर पटेल (मध्यप्रदेश)

5–श्री अबुल कलाम अंसारी, एम0एल0ए0 (बिहार)

6–श्री टी मणिअप्पा, एम0एल0ए0 (मैसूर)

7–लाला जगन्नाथ (पी0जी0 शाह के स्थान पर)

8–श्री आत्मा सिंह नामधारी (मध्य प्रदेश)[33]

30 मार्च 1955 ई0 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने पारम्परिक जाति व्यवस्था, शैक्षिक विकास की कमी, सरकारी सेवाओं में, व्यापार, वाणिज्य उद्योग में पर्याप्त प्रतिनिधित्व को आधार बनाया। समूचे देश के लिये आयोग ने 2399 पिछड़ी जातियों की पहचान की। उत्तर प्रदेश में 120 पिछड़ी जातियों को नामांकित किया गया।[34]

आयोग ने इनके विकास के लिये बहुत से सुझाव दिये। वे मुख्य सुझाव बिंदु निम्न हैं।

जाति के आधार पर पिछड़ी जाति का निर्धारण 1961 ई0 की जनगणना में जातिवार गणना, सभी महिलाओं को पिछड़ा वर्ग मानना, तकनीकि और व्यवसायिक संस्थाओं में 70 प्रतिशत पिछड़े वर्ग को प्रवेश में आरक्षण, सभी सेवाओं में आरक्षण जिनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में क्रमशः 25 प्रतिशत, 33.5 प्रतिशत और 40 प्रतिशत नियुक्ति में तथा 70 प्रतिशत आरक्षण मेडिकल, वैज्ञानिक व शास्त्र सम्बन्धी संस्थाओं मे आरक्षण देने की संस्तुति थी।[35]

भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि पिछड़ी जाति की पहचान के लिये मापदण्ड और विषय पूरक परीक्षण नहीं किया गया था। किन्तु भारत सरकार ने सभी राज्यों को अपने प्रदेशों में पिछड़ी जातियों की पहचान और उनके विकास के लिये 14 अगस्त 1961 ई0 को अलग–अलग आयोग बनाने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश में डॉ0 छेदीलाल साथी की अध्यक्षता पिछड़ी जाति का आयोग बना।

''डॉ0 छेदी लाल साथी आयोग''

14 अगस्त, 1961 ई0 में भारत सरकार ने राज्यों को पत्र भेजा कि, वे चाहें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (4) एवं 16 (4) के अन्तर्गत दी गयी, व्यवस्थानुसार अपने राज्यों में पिछड़ें वर्गो के हितार्थ विशेष व्यवस्था कर सकते है।[36] इसी प्रपत्र के अनुसार 31 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीन सदस्यों को सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। इस आयोग के अध्यक्ष श्री छेदीलाल साथी बनाये गये।[37] इस आयोग के दो अन्य सदस्य निम्न थे।

1—श्री सीताराम निषाद, एडवोकेट

2—श्री मलखान सिंह सैनी, एडवोकेट

इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 17 मई, 1977 को उत्तर प्रदेश सरकार को संस्तुतियों के साथ दी। इसमें आयोग ने 29.5 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ी जातियों को देने के लिए कहा गया। इसके साथ 10 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के किसान व कारीगर जातियों को, 17 प्रतिशत दास और प्रजापति जातियों को जो भूमिहीन हैं, और घरेलू श्रम पर आश्रित हैं। 2.5 प्रतिशत आरक्षण मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को देने के लिए कहा।[38]

''मण्डल आयोग'' एवं पिछड़ी जातियों का आरक्षण

उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों के लिये सन् 1976 से ही 15 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार ने कर रखी है।[39]

फरवरी 1978 में भारत के राष्ट्रपति ने अपने मंत्रिमण्डल की सलाह पर एक पिछड़ी जातियों के आयोग का गठन किया। यह गठन राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत था।[40] इस आयोग का अध्यक्ष श्री वी0पी0मण्डल को बनाया गया। इनके साथ आयोग में पांच सदस्य और थे, वे निम्न हैं।

1—श्री आर0आर0 भोले, सांसद

2—श्री दीवान मोहन लाल

3—श्री एल0आर. नाइक, पूर्व सांसद

4—श्री के0 सुब्रहमण्यम्

5—श्री एस0एस0 गिल सचिव

इस आयोग को 31 दिसम्बर 1979 तक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजने का आदेश था। परन्तु बाद में यह समय बढ़ाकर सन् 1980 तक कर दिया गया।[41] सरकार को इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 31.12.1980 में दे दी। इस कमीशन ने 1931 की जनसंख्या को आधार बनाया। इसका कारण यह था, कि यह जनसंख्या जाति आधारित थी। दस वर्षों में जिस अनुपात से देश की जनसंख्या बढ़ी उसी अनुपात से 1976 में पिछड़ी जातियों आंकलन किया गया। इस हिसाब से कमीशन (आयोग) ने पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 52 प्रतिशत मानते हुए 27 प्रतिशत आरक्षण देने की संस्तुति दी।[4]

भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 में मण्डल कमीशन लागू करने की घोषणा कर दी। सम्पूर्ण राष्ट्र इसके विरोध में उठ खड़ा हुआ। राष्ट्रीय सम्पत्ति को हानि पहुंचायी गयी, कई जाने गयी। विद्यार्थियों ने आत्मदाह किया। 25 सितम्बर 1991 में भारत सरकार ने इसमें संशोधन किया, कि 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ी जातियों को तो दिया जाएगा किन्तु पिछडी जातियों में जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ी होंगी।

भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था

भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज में निर्बल, निर्धन, कमजोर, अभावग्रस्त, शोषित पीड़ित, दलितों को समाज की मूलधारा में सम्मिलित करने के

लिये सरकार या कानून के माध्यम से जो ठोस कानूनी उपाय किये गये हैं। इन्ही उपायों को ''आरक्षण'' कहा जा सकता है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ों, शोषित पीड़ित दलितों के हितों को सरंक्षण प्रदान किया गया। अब तक कई आरक्षण सम्बंधी संशोधन हो चुके हैं। परन्तु आरक्षण के मूलनीति एवं प्रवृत्ति में कोई अन्तर अभी तक नहीं आया है।[43] संविधान में प्रदत्त आरक्षण सम्बंधी धारायें निम्नलिखित हैं।

अनुच्छेद 15(4)[44] इस अनुच्छेद में सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोग हैं) की प्रगति तथा उत्थान के लिये राज्य सरकारों द्वारा विशेष क़ानूनी व्यवस्था करके विशेष प्रकार की सुविधायें देने का उल्लेख किया गया है।

अनुच्छेद 16(4)[45] इस अनुच्छेद के अनुसार कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिये, विशेष रूप से आरक्षण देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया।

अनुच्छेद46 इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकार समाज के कमजोर, पिछड़े और दलितों के आर्थिक एवं शैक्षिक हितों का ध्यान रखकर उनके उत्थान के लिये विशेष प्रकार की व्यवस्था करेगा।[46]

अनुच्छेद 330 इस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय लोकसभा में एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देने हेतु स्थान आरक्षित किये गये हैं।[47]

अनुच्छेद 332 इसके अनुसार समस्त प्रदेश की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए स्थान आरक्षित किये गये हैं।[48]

अनुच्छेद 335 इसके अनुसार देश–प्रदेश की सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था दलितों (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) के लिये की गयी है।[49]

अनुच्छेद 338 इस अनुच्छेद के अनुसार केन्द्र सरकार को एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, जो देखेगा, कि दलितों को जो आरक्षण सुविधा दी गयी है, वह पूरी हो रही है या नही। वह अधिकारी अपनी रिपोर्ट समय–समय पर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी। जिस पर सदन में विचार हो सकता है।[50]

अनुच्छेद 340(1)[51] इस अनुच्छेद के अनुसार, सामाजिक, आर्थिक और

शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गो के लोगों की स्थिति की आंकलन के लिये राष्ट्रपति एक पिछड़ा वर्ग कमीशन नियुक्त करेंगें। वह कमीशन पिछड़े वर्ग की स्थिति का सही आकलन करके, अपनी रिपोर्ट संस्तुतियों सहित राष्ट्रपति को पेश करेगा और बतायेगा, कि पिछड़े वर्गो की निम्न स्थिति को सुधारने के लिये केन्द्र व प्रदेश सरकारें क्या–क्या उपाय कर सकती हैं।

आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

संविधान में विशेष प्रकार की व्यवस्था दलितों के जीवनस्तर को सुधारने का एक प्रयास हैं सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर दृष्टिकोण इस बात से लगाया जा सकता है, कि आरक्षण के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट ने सन् 1976 ई0 के अपने निर्णय में कहा कि, "जिस दिन जातीय व्यवस्था समाप्त हो जाए, उस दिन से जातीय आरक्षण समाप्त कर दिया जाए।"[52]

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ–साथ विभिन्न मुकद्मों में अपने निष्पक्ष फैसले से आरक्षण के समर्थन में वक्तव्य दिये है। उनमें से कुछ मुकद्में के निर्णय निम्न है।

1

सीमित विभागीय परीक्षाओं के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की आर्हता का निर्धारण करने वाले नियम से सम्बन्धित मुकदमा (जो एस0एस0 शर्मा बनाम यूनियन आफ इण्डिया था) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस बात में कोई श्रेष्ठता नही है। आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित किया जाये अभाव नहीं, यह मामला मूलतः सरकार के प्रशासकीय विवेक के अर्न्तगत आता है। सामान्य वर्ग से संम्बंधित रिक्तियों को भरने की चेष्टा करने वालों को आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने का आग्रह करने का तब तक कोई अधिकार नही है, जब तक आरक्षित रिक्तियों को भरने का कानून संभव हैं। किंचित दावा इस सम्बन्ध में उठा सकता है। अतः आरक्षित रिक्तियों को भरने की कोई वैधानिक व्यवस्था बनाई जाये। अनारक्षण उस निषेध के कारण किया जाता है, जो दिनांक 20 जून सन् 1974 के कार्यालय ज्ञापन के पैराग्राफ 2 के 5 वें क्लाज में उस नियम के विरूद्ध था, जो दलित (अनुसूचित जाति/जनजाति) के उम्मीदवारों की संख्या किसी वर्ष अपर्याप्त होने की दशा में आरक्षण को वर्षानुवर्ष आगे बढ़ाने के लिये बना था।[53] अनुच्छेद 309 केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम 12 (2a) रिक्तियों को पूर्व वर्ष में भरने का सम्बन्ध भी इसी मुकद्में से था।[54]

2

एस0सी शर्मा बनाम यूनियन आफ इण्डिया का एक अन्य मुकदमा जो अनुच्छेद 14–15 और 12 (2), केन्द्रीय सचिवालय ग्रेड 1 (सीमित विभागीय प्रतियोगी

परीक्षा) जो अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति की आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये बनाई गयी। व्यवस्था से सम्बंधित था, में मानवीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुये कहा कि, यह अनुरोध केवल भ्रम पर आधारित था। कानूनी तौर पर ऐसी कोई आवश्यकता नही थी, कि किसी विशेष वर्ष की चयन सूची उसी वर्ष ही पूर्ण कर ली जाये। सरकार इसके लिए स्वतंत्र है, कि वह चयन प्रक्रिया को पूर्ण करे और उस वर्ष के समाप्त होने तक उसे अंतिम रूप प्रदान करें।[55]

3

अनुच्छेद 309 एस0एस0 सी0 ग्रेड–1 सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा जोअनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के भरने के लिये। कानून व्यवस्था 1979 –अर्हता की छूट का नियम सिद्धांत से सम्बन्धित मुकद्मा जो एस0एस0 शर्मा बनाम यूनियन आफ़ इण्डिया था।[56] इस मुकद्में में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया, कि अनारक्षण प्रक्रिया की सहायता तब ली जानी चाहिये। जब रिक्तियों के भरने की प्रक्रिया कानूनी विचार के क्षेत्र के अन्तर्गत संभव न हो। अन्यथा अनारक्षण की प्रक्रिया धारा 16(4) तथा 46 में निहित सिद्धांतों की विरोधी हो जायेगी।[57]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की नौकरियों में आरक्षण पर भारत सरकार द्वारा तैयार की गई एक पृथक पुस्तक के पैराग्राफ 10.4 में कहा गया है, कि अनारक्षण तभी प्रस्तावित करना चाहिये, जब अनु0 जाति/जनजाति के उम्मीदवार आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो। और जब ऐसे उम्मीदवारों के विषय में छूट के नियम लागू हो चुके हों। इस आशय की निर्धारित प्रक्रिया का भली–भांति आंकलन कर लिया गया हो।

जब एक बार पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिये आरक्षित रिक्तियों का निर्णय ले लिया गया है, तो इस उद्देश्य से संम्बन्धित कार्य प्रणाली को तब तक बाधा नही पहुंचानी चाहिए, जब तक इन्हें भरने का अन्य मार्ग खोज न लिया गया हो अथवा इसमें असफलता मिली हो। यदि वादी यह दिखाने में सफल हो जाता है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों में दी व्यवस्था तथा परिणाम, जो सीमित विभागीय परीक्षायें कराने के लिये दी गई हैं, निरर्थक हो गई हो और आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए कोई संभावना न हो। तब यह उचित ही होगा, कि सरकार उन रिक्तियों को अगले वर्ष ले जाने के बजाए, उन्हें आरक्षित कर दें। किन्तु यहां यह मामला नहीं हैं।[58]

4

ज्ञापन के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित

रिक्तियाँ संवैधानिक हैं। इस नियम से सम्बंधित मुकदमा जो एस0एस0 शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया था, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, "कि अब यह अच्छी प्रकार से स्वीकार कर लिया गया है और इस न्यायालय के लगातार निर्णयों द्वारा निश्चित हो गया है, कि अर्हता की छूट की सीमा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यायोचित रहेगी। यह सिद्धांत केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों के मौलिक नियम-12 में भी स्पष्ट दिखता है। लेखा इस बात का संकेत करता है, कि निम्न अर्हता मापदण्ड यूनियन सर्विस कमीशन के अध्यक्ष से विचार विमर्श के पश्चात् ही निश्चित किया गया। अर्हता के लिए अनुमोदित सेवा हेतु दिया गया समय पर्याप्त है।"[59]

5

एस0एस0 शर्मा बनाम यूनियन आफ इण्डिया का एक अन्य मुकद्मा जो "अनुच्छेद 16(4) केन्द्रीय सरकार व्यक्तिगत तथा प्रशासकीय सुधार पदों का आरक्षण चुनौती के लिए मुक्त नहीं है" से सम्बन्धित था। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि, "यह मुकद्मा एम0आर0 बाला जी वर्सेस मैसूर स्टेट[60] के लिये स्थापित सिद्धांतों के अन्तर्गत आता है। केरल राज्य बनाम एन0एम0 टामस के बहुमत का दृष्टि कोण आरक्षण की वैद्यता को समर्थन देता है"। सर्वोच्च न्यायालय ने आफिस मेमोरेन्डम को वैद्यता से उठे प्रश्न को प्रोत्साहित करने में अरूचि दिखाई अर्थात दिलचस्पी नही ली।[61]

6

प्रेम प्रकाश वर्सेस यूनियन आफ इण्डिया[62] के मुकद्में में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, कि "वर्ष 1979 के दो उम्मीदवारों को 1979 के चैनल में ही सम्मिलित करना चाहिए था और जब उप न्यायाधीश के पदों पर उनकी नियुक्ति करनी चाहिए थी, भले ही पैनल की अवधि समाप्त हो गई। हाई कोर्ट ने इस बात पर जरा भी ध्यान नही रखा, कि दो व्यक्तियों को सम्मिलित करने का यह अर्थ बिल्कुल नही है, कि 1980 के दो अन्य व्यक्तियों को निकला देना। यदि ऐसा विचित्र परिणाम होता है, तो हर कीमत पर उसे दर किनार कर देना चाहिये। भले ही वह नियमों की परिधि (सीमा) में क्यों न हो अथवा प्रशासकीय निर्देशों के अन्तर्गत क्यों न हो। एक ग्रुप के साथ न्याय की कीमत पर दूसरे ग्रुप के साथ अन्याय की बात से तो अन्याय अनवरत चलता रहेगा। अर्थात अन्याय को प्रशय मिलेगा। जिस त्रुटि से हाई कोर्ट की गणना दोषपूर्ण हुई वह यह है, कि उसने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या सामान्य सीटों के सफल उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर निश्चित किया। प्रतिवेदन शपथपत्र

स्पष्ट रूप से कहता है, कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की रिक्तियों की उपलब्धता सामान्य श्रेणी के लिये योग्य उन 7 उम्मीदवारों के आधार पर निश्चित की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यह न तो नियमानुसार न्यायोचित था और न प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार। आरक्षित रिक्तियों को निश्चित करने के लिए इस प्रकार के आधार की आवश्यकता नही थी। पहले उदाहरण में 16 रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया। जिनमें 11 सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए तथा 5 आरक्षित श्रेणी के लिए थे। यह माना जा सकता है, कि प्रशासन उन सभी रिक्तियों को भरने के लिए बाध्य नही है, जिनका विज्ञापन किया गया है और वास्तव में यदि प्रतियोगी परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दी गई संख्या से कम है। तो यह स्पष्ट है, कि जो रिक्तियाँ भरी जा सकती है। उनकी संख्या विज्ञापन में दी गई संख्या से कम होगी। किन्तु आरक्षित श्रेणी के लिए रिक्तियों की उपलब्धता, सामान्य श्रेणी के लिए रिक्तियों की उपलब्धता, सामान्य श्रेणी के लिए सफल उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर नही करती।[63] सबसे पहले यह 1978 की कानून की पुस्तक के पैराग्राफ 4.2 और 9.2 में उल्लेखित निर्देशों के विपरीत होगा। दूसरे यह तरीका बड़े भद्दे और अनापेक्षित परिणाम की ओर ले जायेगा। जब परीक्षा में सामान्य श्रेणी के एक या दो उम्मीदवार ही सफल होगें, तो आरक्षित श्रेणी का एक भी उम्मीदवार नियुक्त नही होगा। सही तरीका यह है, कि आरक्षित उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर निश्चित करना चाहिए''।[64]

G

(अनुच्छेद 15(4) मेडिकल कालेज में 49 **प्रतिशत** आरक्षण को औचित्य की सीमा को पार **नही करती) से सम्बन्धित** मुकद्मा जो सुभाष चन्द्रा वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य था, मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि, ''इस राज्य में 6 मेडिकल कालेज हैं, जिनमें से प्रत्येक नगर पालिका वाले शहर में स्थित हैं। उत्तराखण्ड में या पर्वतीय क्षेत्रों मे या **ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल** एजूकेशन देने की कोइ व्यवस्था नही है। अतः राज्य सरकार द्वारा **इस क्षेत्र के नागरिकों** के साथ सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुये नागरिकों के जैसा **व्यवहार किया जाये**।''[65]

H

डी0एन0 चन्द्रा बनाम स्टेट आफ मैसूर का मुकद्मा जो अनुच्छेद–16 शिक्षा संस्थानों में **सीटों के आरक्षण** के औचित्य का निर्धारण केन्द्रीय सरकार के मनोनीत सदस्यों के लिए दी गई **सीटों से सम्बन्धित** था, में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना मन्तव्य प्रकट

किया, "ऐसे श्रोतों की स्थापना की व्यवस्था, सच कहा जाये तो आरक्षण नहीं है। जैसा कि धारा–15 में कहा गया है, जिसके खिलाफ इस आधार पर आपत्ति उठाई जा सकती है कि यह अत्यधिक है।"[66]

I

सुभाष चन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश (राज्य) मुकद्में में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया, कि "राज्य सरकार कुछ स्थानों को केन्द्र सरकार के मनोनीत (अनुमोदित) सदस्यों के लिए देने को विवश रही होगी, प्रांरम्भिक मेडिकल परीक्षा द्वारा 26 सीटें भरे जाने की बात खुले तौर पर नहीं आई। अन्य सभी आरक्षित श्रेणी की संयुक्त प्रारम्भिक परीक्षा द्वारा भरी जानी थी। न्यायालय ने यह माना, कि आरक्षित सीटों के औचित्य के निर्णय करते समय इन 26 सीटों को गणना में नही रखा जायेगा।[67]

माननीय सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने जाति के आधार पर आरक्षण का समर्थन करते हुये चीफ जस्टिस माननीय गजेन्द्र गड़कर ने कहा:–

हिन्दू सामाजिक ढाँचे में दुर्भाग्यवश; जाति, समाज में नागरिकों का स्तर निध ारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। समाज शास्त्रियों और वेद वेत्ताओं के अनुसार जाति प्रथा का आरम्भ, पेशों व व्यापार के आधार पर हुआ, किन्तु कालान्तर में जाति प्रथा रूढ़िवादिता तथा कठोर सामाजिक बन्धनों में जकड़ गई। जाति की उत्पत्ति का इतिहास बताता हैं कि जातिप्रथा का मूल आधार पेशा तथा व्यापार से हटकर शास्त्रीय –विधि तथा जातीय धाराओं से प्रेरित होकर, अपने असलीपन को कायम रखने के विचार से, इसको विभिन्न जातियो व गोत्रियों की विभिन्न शाखाओं में विभाजित कर दिया गया। जिसने इस (जातिवाद) को रूढ़िवादिता और कठोर बन्धनों में जकड़कर रख दिया। इस प्रकार की कृत्रिम जातियों और गोत्रियों की उत्पत्ति से लोगों में श्रेष्ठ व हेय एवं ऊँच व नीच की भावना का पैदा होना स्वाभाविक था। अतः इस प्रश्न पर विचार करने के लिये कि नागरिकों का कौन सा वर्ग सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, उस वर्ग के सम्बन्ध में "जाति" पर विचार करना असंगत न होगा।[68]

सी०एम० अरूमुगम बनाम राजगोपाल एण्ड अदर्स

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा:–[69]

जाति प्रथा ने गोतियों को जन्म दिया। एक जाति दूसरे को नीच और हेय दृष्टि से देखने लगी। इस प्रकार समाज में पुरोहितवाद ने जन्म लिया, जिसके परिणाम स्वरूप तथा कथित अभिजातियों ने , छोटी समझी जाने वाली जातियों पर सामाजिक व आर्थिक

अन्याय करना आरम्भ कर दिया। यही कारण है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने आवश्यक समझा कि छोटी जातियों, जो सामाजिक शोषण का शिकार हुई हैं, को विशेष सुविधा की व्यवस्था की जाय।

ए0आई0आर0 1976 एस सी0 पेज 490 (सात जजों का बेंच)

स्टेट केरला बनाम वी0एस0 एम0 थामस:मि0 जस्टिस एच0आर0 खन्ना ने कहा:–

मैं कह सकता हूँ कि जहाँ तक पिछड़े वर्ग जिनमें अनुसूचित जातियाँ / अनुसूचित जनजातियाँ भी सम्मिलित हैं, के उत्थान तथा ऊपर उठाने के प्रश्न पर मेरा कोई मतभेद नहीं है। हम सभी सातों जज इस प्रश्न पर एक राय हैं। समाज के इन वर्गो का यह पिछड़ापन, हमारी सामाजिक व्यवस्था पर कलंक है।

इसके अतिरिक्त ए0आई0आर0 1981 (तीन जजों की पूरी बेंच) अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ उच्च जाति जनता बनाम भारतीय रेलवे एवं अन्य ने भी जाति व्यवस्था के आधार पर पिछड़े वर्गो के आरक्षण का समर्थन किया है।

डॉ0 बीरेन्द्र के अनुसार आरक्षण के आधार योग्यता हो या जाति यह विवाद का विषय था और बना हुआ है। यह अकाट्य सत्य है कि योग्यता को आधार माना जाय तो सदियों से सुविधा सम्पन्न अनुभवी व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में तथाकथित अंत्याज्ञ लोगों से आगे होगें ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य का हजारों वर्ष से जातीय आधार पर आरक्षण रहा है न कि योग्यता के। इसी आरक्षण के बल पर अयोग्य व्यक्ति भी बन्दनीय हुआ।[70]

संदर्भ ग्रन्थ सूची– अध्याय–7

1-- प्रेम कपाड़िया, डॉ0 प्रकाश लुईस : नई सदी भी तोड़ नही पाई उ0 प्र0 में अछूतपन को पृ0--89

2-- वही

3-- वही पृ0–90

4-- वही

5-- वही पृ0–91

6-- वही

7-- वही पृ0–92

8-- वही पृ0–94

9-- वही

10– वही पृ0–95

11– लुईस प्रकाश, नई आर्थिक नीति और दलित, पृ0–54

12– प्रसाद चन्द्रभान, समकालीन भारत में चेतना, मनोरमा इयर बुक, पृ0–17

13– लुईस प्रकाश, नई आर्थिक नीति और दलित, पृ0–54

14-- गुप्ता दीपंकर, कल्चर, स्पेस एंड द नेशन–स्टेट, पृ0–166

15-- लुईस प्रकाश, नई आर्थिक नीति और दलित, पृ–55

16– प्रसाद चन्द्रभान, समकालीन भारत में चेतना, मनोरमा इयर बुक, पृ0–201

17– लुईस प्रकाश, नई आर्थिक नीति और दलित, पृ0–56

18– वही, पृ0–56

19-- वही, पृ0–56

20-- मार्च 2003 में आयोग से प्रकाशित साहित्य एवं दिग्दर्शिका, पृ0–1

21– वही

22– वहीं

23– वही

24– वही, पृ0–4

25-- उत्तर प्रदेश 2002, पृ0 191

26— वही, पृ0—196

27— ग्राम्य विकास विभाग, उद्धत उत्तर प्रदेश 2002, पृ0—259

28— समाज कल्याण विभाग, उद्धत उत्तर प्रदेश 2002, पृ0—263

29— वही, पृ0—270

30— पार्लियामेंट्री डिवेट्स, वाल्यूम कालम 9616

31— मिश्रा, जितेन्द्र, इक्वालिटी वर्सेस जस्टिस,पृ0—48

32— वाइड द मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स नोटिफिकेशन नं0 70/53

33— मिश्रा जितेन्द्र, इक्वालिटी वर्सेस जस्टिस, पृ0—49

34— प्रसाद माता, उत्तर प्रदेश में दलित जातियों का दस्तावेज, पृ0—74

35— मिश्रा जितेन्द्र, इक्वालिटी वर्सेस जस्टिस, पृ0—50

36— प्रसाद माता, उत्तर प्रदेश में दलित जातियों का दस्तावेज, पृ0—76

37— वही, पृ0—76

38— वही,पृ0—76

39— वही, पृ0—77

40— मिश्रा जितेन्द्र, इक्वालिटी वर्सेस जस्टिस,पृ0—64

41— वही, पृ0—65

42— प्रसाद माता, उत्तर प्रदेश में दलित जातियों का दस्तावेज, पृ0—77

43— प्रसाद माता, उत्तर प्रदेश की दलित जातियों का दस्तावेज, पृ0—84

44— डा0 संजय पासवान डा0 परमांशी जयदेव (एडीटर), इनसाइक्लोपीडिया आफ दलित्स इन इंडिया पृ0—30

45— प्रसाद माता, उत्तर प्रदेश की दलित जातियों का दस्तावेज,पृ0—84

46— डा0 संजय पासवान, डा0 परमांशी जयदेव (एडीटर), इनसइक्लोपीडिया आफ दलितस इन इंडिया पृ0—31

47— प्रसाद माता, उत्तर प्रदेश की दलित जातियों का दस्तावेज, पृ0—85

48— प्रसाद माता, उत्तर प्रदेश की दलित जातियों का दस्तावेज, पृ0—84

49— वही

50— वही

51— वही

52— डा0 संजय पासवान, डा0 पारमाशी जयदेव (एडीटर) इनसाइक्लोपीडिया आफ दलितस इन इंडिया पृ0—30

53— प्रसाद माता, उत्तर प्रदेश की दलित जातियों का दस्तावेज, पृ0—199

54— आल इंडिया रिपोर्टर (ए0आईआर0) 1981 सुप्रीम कोर्ट पृ0—588

55— मंडोलिया मातादोन, सुप्रीम कोर्ट आन रिजर्वेशन पृ.—199

56— आल इंडिया रिपोर्टर (ए0आई0आर0) 1981 सुप्रीम कोर्ट (एस0सी0) पृ0—588

57— मंडोलिया मातादीन, सुप्रीम कोर्ट आन रिजर्वेशन पृ0—201 और वही

58— मंडोलिया मातादीन, सुप्रीम कोर्ट आन रिजर्वेशन पृ0—201

59— वही

60— आल इंडिया रिपोर्टर (ए0आई0आर0) 1981 सुप्रीम कोर्ट (एस0सी0) पृ0—588

61— आल इंडिया रिपोर्टर (ए0आई0आर0) 1963 सुप्रीम कोर्ट पृ0—435 आल इंडिया रिपोर्टर 1963, सुप्रीम कोर्ट, पृ0469

62— डा0 मातादीन मंडोलिया, सुप्रीम कोर्ट आन रिजर्वेशन पृ0—203

63— आल इंडिया रिपोर्टर (ए0आई0आर0) 1984 सुप्रीम कोर्ट पृ0—851

63— मंडोलिया, मातादीन : सुप्रीम कोर्ट आन रिजर्वेशन, पृ0 —204

65— वही, पृ0—204

66— आल इंडिया रिपोर्टर (ए0आई0आर0) 1973 सुप्रीम कोर्ट पृ0—295

67— माता प्रसाद : दलित जातियों का दस्तावेज पृ0—92

68— वही पृ0—93

69— वही

70— यादव डॉ0 बीरेन्द्र सिंह दलित —विमर्श चिंतन एवं पराम्परा नवम्बर—2005,पृ0—60

अष्टम्
अध्याय

दलित समाज की राजनैतिक भागीदारी

भारतीय राजनीति में वहीं परिस्थितियें फिर दिखायी दे रही हैं, जो ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपे जाने के समय थीं। लेकिन उस समय परिस्थितियाँ उतनी भयानक नहीं थी, जितनी आज हैं। उस समय डॉ0 अम्बेडकर के रूप में दलित वर्गो का एक ईमानदार प्रतिनिधि भारतीय राजनीति में था, लेकिन आज भारतीय राजनीति में दलितों का एक भी ईमानदार प्रतिनिधि नहीं है। दलितों का राजनैतिक विकास तो हुआ है, पर उस लड़ाई को वे हार गए हैं, जिसे डॉ0 अम्बेडकर ने अपने कठिन संघर्षो में जीता था।

26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय समाज में व्याप्त असमानता का विश्लेषण करते हुए उन्होंने यह कहा था कि– " 26 जनवरी, 1950 को हम लोग एक विपरीत जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में हम लोग समानता का अधिकार भोग सकेंगे, किन्तु सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में हमें मिलेगी "असमानता"। रणनीति के क्षेत्र में हम लोग एक नागरिक का एक ही वोट एवं प्रत्येक वोट के एक ही मूल्य की नीति को स्वीकृति देने जा रहे हैं। हम लोगों को अवश्य ही निकटत्तम समय के मध्य इस विपरीतता को दूर कर लेना होगा, अन्यथा "असमानता" से पीड़ित जनता इस राजनैतिक गणतंत्र के ढांचे को ही विस्फोटित कर सकती हैं।"[1]

राजनैतिक क्षेत्र में दलित समाज आजादी के समय से ही अपने राजनैतिक दल का गठन करने और अपने लिए एक अलग पहचान बनाने के लिए संघर्षशील रहा है। यह भी सच है कि आजादी के पूर्व से ही सवर्णो की पार्टियों ने दलितों को मात्र अपना 'वोट बैंक' समझकर इस्तेमाल किया है।[2] फिर भी देश के विभिन्न कोनों में समय –समय पर दलित राजनैतिक पार्टियों को खड़ा करने की कोशिश अनवरत जारी है। ये कोशिश कितने हद तक कामयाब हुयी हैं यह भले विश्लेषण का मुद्दा हो सकता है। मगर यह सच है कि इन प्रयत्नों के अच्छे परिणाम भी मिले हैं।[3]

इस ऐतिहासिक तथ्य के साथ–साथ एक और सत्य यह भी है कि दलित समुदाय को ही खड़ा करने की कोशिश नहीं हुई है, मगर व्यापक रूप से "बहुजन समाज" को एक ही मंच पर लाने के प्रयत्न भी किए गए हैं।[4] उदाहरण के लिए, बहुजन समाज पार्टी का जो 1984 में उद्गम हुआ था। इसका भी मुख्य उद्देश्य एवं कार्ययोजना इसी दिशा में थी। इसी प्रकार महाराष्ट्र फरवरी 1993 में बहुजन महासंघ के उद्गम के पीछे हिन्दूवाद के

विघटनकारी मनसूबों को नाकाम करने के लिए कांग्रेस और दलित राजनैतिक पार्टियों की शक्तिहीनता कारण है।[5] बहुजन महासंघ की दो प्रमुख रणनीति रही।[6] पहला, बहुजन समाज को सामाजिक–सांस्कृतिक दायरे के तहत गोलबन्द करना आवश्यक है, विशेषकर हिन्दुत्ववाद का मुकाबला करने के लिए। दूसरा, "बहुजन" नामकरण के साथ सभी धर्म बिरादरी के शोषित–पीड़ितों को एकताबद्ध करने की जरूरत हैं तब ही सार्थक काम हो सकता है।

परन्तु आज भारतीय दलितों में जिस तीक्ष्णता से आत्म विश्वास और दृढ़ संकल्पता उत्पन्न हो रहा है, वह आज के भारतीय दलित समाज की सत्यता हैं ऐसा नहीं है, कि यह सब अचानक ही घटित हो गया, बल्कि यह पूर्व सदी के अन्तिम दस वर्षो में दलित आंदोलनों की सफलता का प्रतिफल है। इस दृढ़ संकल्पता को हम दलितों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देख सकते हैं। चाहे वह सांस्कृतिक जीवन हो, या आर्थिक राजनैतिक। सभी क्षेत्रों में दलितों ने अपने अधिकारों हेतु सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया, जिसके लिये उन्हें निरन्तर संघर्ष करना पड़ा है।[8] और इस संघर्ष ने आज सवर्णो ने दलितों को सत्ता के उन उच्च पदों पर स्वीकार करने पर विवश कर दिया है, जिसका दलित समाज स्वप्न भी नहीं देखते थे।

हमारे इतिहास में दलितों को सत्ता के इतने सारे उच्चतम पदों पर एक साथ काबिज होते पहली बार देखा गया। सर्वप्रथम एक दलित जो कुछ समय पूर्व तक उपराष्ट्रपति और फिर भारत का राष्ट्रपति बना।[9] भारतीय गणतंत्र के चार राज्यों में राज्यपाल भी दलित रह चुके हैं। इतना ही नहीं, संसार के सबसे बड़े गणतंत्र की दो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित रह चुके हैं।[10] इसके अलावा भारतीय केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों में अनेक मंत्री भी दलित समाज से जुड़े लोग रह चुके हैं। जिनकी सूची तैयार करना आसान नही है। भारत संघ के राज्यों में अनेक विश्वविद्यालयों के उपकुलपति भी दलित समाज के ही है। और कुछ समय पहले से एक दलित महिला भारत के सबसे बड़े प्रान्त उत्तर प्रदेश (जनसंख्या के आधार) की मुख्यमंत्री हैं।[11] वह भी कई बार ये सारी घटनायें भारतीय इतिहास में एक क्रांति के रूप में घटित हुयी हैं। इससे यह आभास हो रहा है, कि भारत में यंथास्थितिवादी ताकतों की नींव कुछ हिलने लगी हैं और दलित आंदोलन द्वारा दलितों में फूंकी गयी चेतना से भयभीत होकर सवर्ण मानसिकता के हिमायती दलितों को जगह देने के लिये तैयार हैं। इस सामाजिक स्थिति तक पहुंचने के लिये भारत में दलितों के संघर्ष का एक लम्बा इतिहास रहा है। जो

मुख्यधारा के लेखन में दृष्टिगोचर नहीं होता है। या यह भी कह सकते है कि दलितों के संघर्ष को तथाकथित मुख्यधारा के इतिहासकारों एवं समाजशास्त्रियों ने जानबूझ कर गुमनाम कर दिया।[12]

हमारे देश में दलितों को आज की स्थिति में लाने के लिये पहले डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने दलित समस्याओं को शिक्षा एवं राजनैतिक अधिकारों के हथियार से लड़ने का प्रयास किया। डॉ0 अम्बेडकर की यह यात्रा 1919 से ही प्रारम्भ हुयी थी।[13] सर्वप्रथम इस वर्ष वे साउथवरो कमेटी के समक्ष दलितों का पक्ष रखने के लिये प्रस्तुत हुए, उसके पश्चात उन्होंने मूकनायक समाचार पत्रिका का सम्पादन प्रारम्भ किया और फिर 1920 में दो दलित रैलियों को सम्बोधित किया। इन सब कृत्यों से डा0 अम्बेडकर ने अपने आपको दलितों का नेता सिद्ध किया।[14] एक ऐसा नेता, जो आधुनिक शिक्षा एवं ज्ञान के आधार पर दलितों की लड़ाई के लिये तत्पर था।[15] 1932 में पूना पैक्ट में दलितों को पृथक निर्वाचन की जगह आरक्षण की सुविधा मिल गयी, जो आज तक लागू है। इस प्रकार डॉ0 अम्बेडकर दलितों को राजनैतिक अधिकार दिलाने में सफल हुए। इसके उपरान्त उन्होंने भारत के प्रथम कानून मंत्री एवं संविधान रचयिता के रूप में दलितों को अनेक संवैधानिक अधिकार दिलाये जो आज दलितों के उत्थान में अहम् भूमिका निभा रहे हैं। आज एक बोट के अधिकार ने दलित समाज को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है, और इसी कारण प्रत्येक राजनैतिक दल उनके अपनी ओर आकर्षित करने हेतु दलितो की उचित अनुचित मांगों को स्वीकार भी करता है। राजनैतिक चेतना से ही राजनैतिक शक्ति आती है और शक्ति से ही दलित अपनी सब कठिनाइयां दूर कर सकते हैं, को डा0 अम्बेडकर भलीभांति समझते थे। अतः उन्होंने राजनैतिक आरक्षण मांगते समय राज्य एवं केन्द्र की कैबिनेट में भी दलितों हेतु आरक्षण मांगा था।[16] 25 अप्रैल, 1948 में लखनऊ के अपने भाषण में उन्होंने दलितो का आह्वान करते हुए कहा था, कि "राजनैतिक शक्ति ही आपके (दलितों के) सर्वांगीण विकास की चाभी है।"[17] डॉ0 अम्बेडकर द्वारा 1955 तक दलितों का राजनीतिकरण करने का भरसक प्रयत्न रहा और उसमें वे कुछ हद तक सफल भी रहे।

डॉ0 अम्बेडकर के परिनिर्वाण के साथ ही दलितों को प्रदत्त राजनैतिक एवं सामाजिक सिद्धांतों के आधार पर दलित आंदोलन के तीसरे चरण की नींव पड़ी। यह समय ऐसा था, जब स्वतंत्र भारत का संविधान धीरे–धीरे दलितों की समझ में आने लगा था। अतः

जगजीवन राम ने दलितों में जागृत होती स्वतंत्र चेता को कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया, और दलित आंदोलन को भी जड़ से खत्म करने का पूर्ण प्रयास किया। जगजीवन राम के नेतृत्व ने दलितों को उस कांग्रेस पर आश्रित कराने का प्रयास किया, जिस कांग्रेस के खिलाफ डॉ0 अम्बेडकर जीवनभर संघर्ष करते रहे।[18] जिससे दलित आंदोलन दो भागों में पुनः बट गया। दलित आंदोलन की एक शाखा कांग्रेस एवं अन्य सवर्ण जातियों से युक्त पार्टियों से मिलकर दलित उत्थान को दिशा देने लगी तथा दूसरी शाखा के रूप में बहुजन समाज पार्टी एवं कही–कहीं दलित पैंथर दल से जुड़ गयी हैं।[19]

डॉ0 अम्बेडकर की वैचारिक क्रांति के कारण उभरे स्वतंत्र दलित नेतृत्व ने जब दलितों के अधिकारों (आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक) की लड़ाई तेज की तो कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से इन दलित पार्टी विशेष कर आर0पी0आई0 का एजेण्डा ही आत्मसात कर लिया इतना ही नही कांग्रेस ने दलित नेताओं को भी लालच तथा के प्रलोभन देकर अपने दल में मिला लिया, जिससे पूरा दलित आंदोलन ही खत्म हो गया।[20] इसके उपरान्त 1972 में उठे दलित पैंथर्स की भी यही दशा हुई। यद्यपि दलित पैंथर्स ने दलित आंदोलन के माध्यम से दलित साहित्य से जरूर परिचय कराया। आंतरिक कलह के कारण और कुछ कांग्रेस की कूटनीति के कारण दलित[21] पैंथर्स भी शीघ्र ही खण्डित हो गया।

दलित संघर्ष में 1978 में बामसेफ (बैकवर्ड एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0) एण्ड माइनार्टीस कम्युनीरीस इम्पलाइज फैडरेशन) का जन्म 6 दिसम्बर को हुआ। इस आंदोलन ने कर्मचारियों के माध्यम से दलितों में एक स्वतंत्र नेतृत्व को जन्म दिया, जो कांग्रेस विचारधारा एवं पार्टी से अलग थी। प्रारम्भ में बामसेफ के पास 200,000 सदस्य थे, जिसमें 15000 वैज्ञानिक एवं 300 डाक्टर थे।[22] बामसेफ के माध्यम से इसके संस्थापक कांशरीम ने "पे बैक टू द सोसाइटी" का नारा दिया, यानि जिन दलितों ने दलित समाज से लाभ लिया है। उनका कर्तव्य बनता है, कि अगर वे इस स्थिति में पहुंच गये हैं, कि वे समाज को कुछ दे सकते हैं, तो अवश्य दें। बामसेफ के संस्थापक ने अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए 6 दिसम्बर, 1981 को दलित शोषित समाज संघर्ष समिति (डी0एस0–4) की स्थापना की एवं राजनीति में भी कदम रखा। इस सफलता से प्रेरित होकर कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी (ब0स0पा0) का गठन कर दलित आंदोलन को नयी दिशा दी। आज 2005 से बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और ऐसा भारतीय समाज में पहली बार हुआ है, कि एक

दलित द्वारा बनाई गयी राजनैतिक पार्टी को राष्ट्रीय दल का स्तर मिला। इतना ही नही, बोटों के प्रतिशत में बसपा राष्ट्र में चौथे नम्बर का राजनैतिक दल है। इस पार्टी की इकाइंया भारत के सभी राज्यों में विद्यमान है।[23]

बहुजन समाज पार्टी, जो कल तक मात्र दलितों की पार्टी थी, आज सर्वसमाज की पार्टी बन चुकी है। उसका आधार शहर से निकलकर दूर–दराज के क्षेत्रों में भी फैल रहा है, बसपा को मिल रही सफलता इस बात का प्रमाण है, कि बसपा का सर्वसमाज का नारा अब काम कर रहा हैं।

बसपा का उद्गम और प्रगति अपने आप में एक अनोखा दास्तान है। 1978 में श्री कांशीराम जी ने तत्वावधान में सरकारी कर्मचारियों का ''बामसेफ'' यानी बैंकवर्ड अंड मैनारिटी कम्युनिटीस फेडरेशन का गठन किया गया था।[24] धीरे–धीरे बामसेफ के कार्यक्षेत्र बढ़ते गए और 1982 में यानी 'दलित शोषित समाज संघर्ष समिति' का निर्माण हुआ था।[25] इस समय का प्रमुख नारा था–ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर चोर बाकि हैं सब डी एस–4 इस नारे के तहत सभी शोषित–पीड़ित समाजों को एकत्रित करने और सवर्णो को मुकम्मल चुनौती देने की कोशिश की गई थी।[26] 1984 में बामसेफ ने बहुजन समाज पार्टी का रूप धारण किया है।

बसपा का विकास दिन दुगना रात चौगुना होता गया। 1989 के लोकसभा एवं विधान सभा चुनावों में बसपा ने अपना खाता खोला था। उत्तर प्रदेश में हासिल की गई इस जीत ने बसपा को राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी का हक दिलाया था।[27] साथ ही साथ दलितों में राजनैतिक नेतृत्व को उभारने के लिए एक मंच का काम किया हैं। यहां इस बात को भी स्पष्ट करने की जरूरत है कि बसपा के उभार में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ हैं। क्योंकि अब तक कांग्रेस अपने आपको दलितों का मसीहा मानकर चुनाव लड़ती थी।[28]

कालांतर में बसपा की गतिविधियों को लेकर दलित समाज में ही विवाद छिड़ गया हैं।[29] विवाद का कारण यह है कि बसपा और उसका शीर्ष नेता कांशीराम जी जातिवाद, जातिविनाश आदि के बारे में क्या सोच अपनाते हैं। क्वालालम्पुर में 10 अक्टूबर, 1998, में काशीराम जी ने अपने भाषण में यह कहा[30] था कि–''जातिविहीन समाज का निर्माण करने की भावना हो सकती है, लेकिन इसके साथ भी सत्य है कि अभी निकट भविष्य में जाति के विनाश की भावना लगभग नहीं के बराबर है। तो जब तक जाति का पूरा विनाश न हो जाए तब तक हमें क्या करना चाहिए? मेरा यह मानना है कि जब तक हम एक ज़ातिविहीन समाज

की स्थपना करने में सफल नहीं हो जाते तब तक जाति का उपयोग करना होगा।[31]

मौजूदा हालत में श्री कांशीराम जी की यह विचारधारा सामान्य तौर पर सही मालूम पड़ती है। गैर–बराबरी के समाज का निर्माण से पूर्व जाति को दलितों के उत्थान हेतु एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना उचित जान पड़ता हैं।[32] लेकिन कांशीराम जी यह भूल जाते हैं कि रोजमर्रा की जिन्दगी से जुड़ा हुआ आम आदमी जाति का उपयोग उस रीति से नहीं कर सकता, जिस मायने में शिक्षित, सम्पन्न दलित वर्ग कर सकता है।[33] बसपा के राजनैताओं के जीवन से यह बात स्पष्ट रूप से झलक गई थी।

कांशीराम जी का मानना थ कि राजनैतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है, जिससे आप अपनी तरक्की और सम्मान के सभी दरवाजे खोल सकते हैं।[34] कांशीराम जी का यह कथन ऊपरी तौर पर आन्दोलनकारी लगता है। मगर धरातल पर उतरने से यह भी दिन की उजाले की तरह स्पष्ट है कि तरक्की वे ही कर सकते हैं, जो मौजूदा वर्ण व्यवस्था के तहत, शिक्षा और आरक्षण से लाभान्वित हुए हैं।[35]

बाबा साहब ने अपने अन्तरबोध से यह चट्टान की तरह इंगित किया कि "दलित वर्ग के सभी रोगों पर राजनीतिक सत्ता की यह औषधि लागू नहीं हो सकती, यह आपको बताना परमावश्यक है। उनकी मुक्ति सामाजिक उत्थान में ही है।[36] अपने जीवंत अनुभव, अध्ययन, लेखन, वाद–विवाद और मनन चिन्तन के दरम्यान बाबा साहब ने देखा कि सत्ता परिवर्तन से दलितों का उद्धार नहीं होगा। दलितों के साथ–साथ गैर दलितों की मुक्ति सामाजिक परविर्तन में निहित है।[37]

बसपा के लिए और दलित समुदाय के लिए यह मानना अत्यत्न आवश्यक है कि सत्ता पर काबिज होना समाज का मात्र एक आयाम पर दखल देना है।[38] आजादी के बाद से ही कई दलित नेता राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में हिस्सा लिए थे। लेकिन इससे दलित समुदाय के लिए कोई खास लाभ नहीं हुआ। क्योंकि ये दलित नेता अपने को दलित कहलाने में भी परहेज करने लगे और हिन्दुत्व के अनुयायी बन कर सत्ता का प्रयोग करने में खो गए। हिन्दुत्व ताकतें यही सदा ही चाहती रही हैं।[39]

आज दलित समाज के सामने सामाजिक इज्जत, उचित मजदूरी, प्राकृतिक संसाधनों में भागीदारी, विशेषकर जमीन का पुनः बंटवारा, स्थानीय प्रशासन आदि प्रमुख मुद्दे हैं। बसपा आरक्षण के पक्ष में रैलियां एवं आम सभाएं आयोजित करती हैं, मगर इन

बुनियादी सवालों पर मौन हैं। आम दलित के सामने ये बुनियादी एवं जीवंत समस्याएं हैं इन सवालों का जबाब ढूंढ़ना बसपा की प्रमुख कार्यनीति होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर दलित उभार इसी का संकेत हैं। अंततः बसपा उत्तर प्रदेश में जहां से वह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना पाई, इन मुद्दों के इर्द–गिर्द दलितो को गोलबन्द करने का प्रयोग प्रारंभ करें। अन्यथा सवर्णो के विरूद्ध उभर रहे दलितों का क्रोध और आक्रोश कल बसपा को अपना निशाना बनाएगा। यह न केवल उत्तर प्रदेश के दलितों के लिए, मगर सारे दलित समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। यह आक्रोश ही आने वाले समय में दलितों की दिशा तय करेगा।

डॉ0 बीरेन्द्र के अनुसार डॉ0 राममनोहर लोहिया का कथन पूर्णतः सटीक है– "आज कल बहुत बार राजनीतिक कहते है कि हममें आपस में एकता नहीं है, इसलिए हम बार–बार गुलाम बन जाते हैं। एकता नहीं सो बात नहीं है असल बात यह है कि जो लड़ सकते हैं उनमें जान नहीं है, उनको जाति प्रथा के कारण इतना मुरदा बना दिया है कि राजनीति, राजगद्दी, युद्ध बगैरह से उनको दिलचस्पी नहीं है।[39(अ)]

दलित समाज के उत्थान के लिये शासनादेश एवं अध्यादेशो का विवेचनात्क अध्ययन

दलित समाज के सर्वांगीण विकास के लिये स्वतंत्रता मिलने के कुछ समय बाद ही समस्त प्रकार के प्रयासों में जबरजस्त तेजी आयी। भारत देश के प्रत्येक प्रांत में दलितों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) के जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के शासनादेश व अध्यादेश पारित किये गये। अन्य प्रदेशों के साथ–साथ उत्तर प्रदेश में भी अध्यादेश और शासनादेश पारित किये गये हैं। उनमें से कुछ निम्न हैं।

1

उत्तर प्रदेश शासन के, उप सचिव श्री कृष्ण प्रकाश बहादुर ने, दिनांक 3 जून, 1964 को प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों और प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को शासन की ओर से लिपिकीय तथा अन्य सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (दलितों) के लिये आरक्षण सम्बन्धी पत्र भेजा। जिसमें कहा गया कि "आदेशों के अधीन विभिन्न सेवाओं में भर्ती के लिये उन रिक्तियों का, जिनकी पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा अथवा विभागीय अभ्यर्थियों तक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति करके की जाती है, 18 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिये निर्धारित किया गया है। समय–समय पर सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 2328/2बी–104–1952[40] जारी किये गये अनुदेशों के बावजूद सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि 18 प्रतिशत आरक्षित रिक्तियों के कोटे को पूरा करने के लिये अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी सामान्यतया पर्याप्त संख्या में भर्ती नहीं किये गये हैं। अतएव अनुसूचित जातियों के लिये निर्धारित आरक्षण को पूरा करने के उद्देश्य से राज्यपाल यह आदेश देते हैं, कि भविष्य में लिपिकीय तथा अवर सेवाओं में की जाने वाली भर्तियों के संबंध में अनुसूचित जातियों का आरक्षण उस समय तक क्रमशः 25 प्रतिशत और 45 प्रतिशत होगा। जब तक कि उनके संबंधित सुवर्गो में 18 प्रतिशत का कोटा पूरा न हो जाए। किन्तु यह इस शर्त के अधीन होगा, कि अग्रमनीत रिक्तियों सहित यदि कोई हो, ऐसी आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या किसी भारतीय विशेष के समय कुल रिक्तियों के 45

प्रतिशत से अधिक न हो।

2

उत्तर प्रदेश सरकार के उप सचिव श्री हर चरण सिंह सोढ़ी ने उत्तर प्रदेश शासन की ओर से लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, काशी, विद्यापीठ, वाराणसी, संस्कृत विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रारों को दिनांक 2 जुलाई, 1974 को विश्वविद्यालयों की शिक्षणोत्तर सेवाओं में अनु0 जाति तथा जनजाति के आरक्षण से सम्बन्धित पत्र लिखा, जो संख्या–शि (10)/2992–15–60/140/73 के अन्तर्गत था।[41] जिसमें कहा गया, कि "विश्वविद्यालय की शिक्षणोत्तर सेवाओं में दलितों (अनुसूचित जाति तथा जनजाति) के लिये क्रमशः 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था करें।

3

उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव (प्राविधिक शिक्षा) श्री एच0एन0 अग्रवाल ने शासन की ओर से दिनांक 21.05.1974 को पत्र संख्या–3007 टी/18घ–134–73 के माध्यम से कुलपति, निदेशकों और प्रधानाचार्यों को जो कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, दयालबाग में थे, को पत्र इन्जीनियरिंग संस्थाओं की शैक्षिक एवं शैक्षणिकेत्तर कक्षाओं में अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति के आरक्षण क्रमशः 18 प्रतिशत और 2 प्रतिशत की व्यवस्था करने को कहा गया।[42]

4

सन् 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार शासन के उप सचिव, श्री गौरीशंकर सिंघल ने शासन की तरफ से पत्र संख्या 19/10/1974 के माध्यम से दिनांक 18 जनवरी, 1975 को, सचिव लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को पत्र के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थियों के लिये प्रोन्नत के कोटा की रिक्तियों में आरक्षण व्यवस्था के शासनादेश की जानकारी दी।[43]

5

उत्तर प्रदेश शासन में आयुक्त एवं सचिव श्री सत्य प्रकाश भटनागर ने दिनांक 25 मार्च, 1976 में पत्र संख्या 1532/75 रा0एकी0 के माध्यम से समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को

"सेवाओं में अनुसूचित जाति /जनजाति के प्रतिनिधित्व को पूरा करने एवं तद्विषयक विभिन्न शासनादेशों को कार्यान्वित करने के संबंध में जानकारी दी।[44]

6

आयुक्त एवं सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री सत्य प्रकाश भटनागर ने दिनांक 4 मार्च, 1976 को पत्र संख्या 15/53/72 रा0एकी0 के माध्यम से प्रबंध निदेशक, समस्त सार्वजनिक उद्यम /निगम/सरकार कम्पनियाँ, उत्तर प्रदेश को "सरकारी सेवाओं की भांति सार्वजनिक उद्यमों /कम्पनियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये नियुक्ति हेतु आरक्षण" सम्बन्धी सूचना शासनादेश संख्या 1078/ब्यूरो-111-74 दिनांक 2 सितम्बर 1974 के बारे में जानकारी दी।[45]

7

उत्तर प्रदेश शासन के उप सचिव श्री अजय शंकर ने 14 सितम्बर 1977 को पत्र संख्या 6553 (5) 77-101 (90)/76 के माध्यम से शिक्षा निदेशक एवं अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, पीरपुरा हाउस, तिलक मार्ग लखनऊ को "सरकारी सेवाओं की भांति उत्तर प्रदेश बैसिक शिक्षा परिषद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये नियुक्ति तथा पदोन्नति हेतु आरक्षण" किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश 2003/चालीस-रा-एकी-6/11/77 की जानकारी दी।[46]

8

उत्तर प्रदेश शासन के उप सचिव श्री आत्म प्रकाश नें पत्र संख्या -2642/15-7-12 (71) 74 के माध्यम से शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद, लखनऊ को दिनांक 12 जुलाई, 1978 को "मान्यता प्राप्त आशासकीय सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों में नियुक्ति हेतु अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़ों वर्गों के आरक्षण सम्बन्धी जानकारी दी।[47]"

9

उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त विधि परामर्शी ने दिनांक 6 अगस्त, 1976 में पत्र सख्या डी-2096/सात -वि0सं0 म0 -1979 के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को "अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति के लोगों को सरकारी वकीलों के पदों पर

नियुक्ति हेतु प्राथमिकता सम्बंधी दो शासनादेश पहला डी–3196/सात--वि0मां0 88/77, दिनांक 19 अक्टूबर 1977 तथा दूसरा डी–3521/सात–वि0मं0–35/77, दिनांक 7 सितम्बर, 1978 के बार में जानकारी दी।[48]

10

उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री त्रिभुवन प्रसाद ने दिनांक 30 सितम्बर, 1981 को पत्र संख्या 5119/चालीस–1–81–25 (28) 80 के माध्यम से समस्त सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश शासन, समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को "राज्याधीन सेवाओं पदों में अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य के लिये पदोन्नतियों में आरक्षण सम्बन्धी पहला शासनादेश 65/2–69 रा0एकी0, दिनांक 8 मार्च 1973, दूसरा शासनादेश 15/5–73 रा0एकी0 दिनांक 27 दिसम्बर 1974 की जानकारी दी।[49]

11

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निदेशक श्री बी0एन0 श्रीवास्तव ने मंत्रालय के दिनांक 10 फरवरी, 1982 के पत्र संख्या बी0सी0 12025/44–80–एस0सी0 एण्ड बी0सी0डी0–1/4 के माध्यम से सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के मुख्य सचिव अनु0जाति/अनु0जनजाति प्रमाण पत्रों में "हरिजन" और "गिरीजन" शब्द ने लिखने सम्बंधी जानकारी दी।

12

उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव श्री जी0पी0. शुक्ल ने दिनांक 17 मई, 1984 को पत्र संख्या 2/39/1982– कार्मिक–2 के माध्यम से समस्त सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश शासन, समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को "अर्न्तजातीय विवाह तथा गोद लिये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति में राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को अनुमन्य आरक्षण का लाभ" से जुड़ी जानकारी दी।[51]

13

उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव डा0 विजय कृष्ण सक्सेना ने दिनांक 31

अक्टूबर 1991 को पत्र संख्या 1265 / सचिव रा0एकी0 90-91 के माध्यम से समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तर प्रदेश शासन को "राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती तथा पदोन्नतियों दोनों में अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों का प्रतिनिधित्व पूर्ण करने हेतु विशेष चयनों के आयोजन सम्बंधी जानकारी दी।[52]

14

उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री कृपा नारायण श्रीवास्तव ने दिनांक 20 अगस्त, 1977 को पत्र संख्या 2003 / चालीस-रा. एकी0-6-1-77 के माध्यम से समस्त सचिव / विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलायुक्त एवं जिलाधिकार उत्तर प्रदेश को "पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिये शासकीय सेवाओं में आरक्षण" की जानकारी दी।[53]

15

उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री दिलीप कुमार भट्टाचार्य ने दिनांक 19 जून 1978 को पत्र संख्या 4630 / चालीस / 13-188-77 के माध्यम से समस्त सचिव उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश एवं समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को प्रदेश के आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण नगर महापालिकाओं नगर पालिकाओं तथा अन्य स्थानीय निकायों द्वारा तैयार किये गये भूखंडों भवनों तथा दुकानों के आवास एवं नीलाम में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग आरक्षण को देने की जानकारी दी।[54]

16

उत्तर प्रदेश शासन के सचिव उच्च शिक्षा ने श्री डॉ0 सूर्यप्रसाद ने दिनांक 6 अप्रैल 1994 को पत्र सं0 1305 / 15-10-94-15 (18 / 94 के माध्यम से कुलपति समस्तय राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद एवं शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों की शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर सेवाओं में अनुसूचित जाति / जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों के आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जानकारी दी।[55]

आज दलित समान तीव्र गति से जागृत हो रहा हैं तथा भारतीय समाज की

सभ्यता एवं संस्कृति के मुख्य धारा से जुड़कर उसने अपनी एक विशिष्ट पहिचान बनाई जो दलितों में एक चेतन्य मानसिकता का पैरोकार बनकर दलितों को समाज में कुछ दे रहा है। जिससे सदियों से शोषित एवं प्रताड़ित समाज आज अपने आप को सर्वोच्च सोपानें पर केन्द्रीय भूत कर सके और समाज में दलित और सवर्ण की घिनौनी मानसिकता एक पारदर्शिता के सिद्धान्तों से आत्म ज्ञात हो सके।

स्वतन्त्र भारत के इतिहास में आज दलितों की राजनैतिक भागीदारी एवं उत्कृष्ठ सामाजिक व्यवस्था के अन्दर आर्थिक राजनैतिक एवं सामाजिक विकासोन्मुखी लक्ष्य की ओर अग्रसर है जिससे सारा दलित समाज विकसित, शिक्षित एवं संस्कारित हो सकें।

संदर्भ सूची–8

1– प्रेम कपाड़िया डा0 प्रकाश लुईस नई सदी भी तोड़ नही पायी उत्तर प्रदेश में अछूपन को पृ.–196

2–

3– वही पृ0–201

4– वही पृ0–201

5– वही

6– वही

7– वही

8– आल इंडया रिपोर्टर (ए0आईआर0) 1971 सुप्रीम कोर्ट पृ0–1792 और मंडोयिा मातादीन, सुप्रीम कोर्ट आन रिजर्वेशन,पृ0–209

9– आल इंडिया रिपोर्टर (ए0आई0आर0) 1973 सुप्रीम कोर्ट पृ0–295

10– कपाड़िया प्रेम और लुईस प्रकाश, नयीसदी भी तोड़ नही पायी उत्तर प्रदेश को अछूतपन को,पृ0–207

11– वही

12– वही

13– वही

14– वही, पृ0–207

15– वही, पृ0–209

16– वही

17– एलिनॉर, जीलियट, फ्रांम अनटाचेबुलस टू दलित : ऐसेस आन अम्बेडकर मूवमेंट,पृ0–209

18– अम्बेडकर बाबा साहब, डॉ0 बाबा साहब राईटिंग्स एंड स्पीचिस, बाल्यूम–9 पृ0–52

19– गोर, एम0एस0 टी सोशल कान्टेक्ट ऑफ इन आइडियालॉजी : अम्बेडकर पालिटिकल एण्ड सोशल थॉट, पृ0–213

20– कपाड़िया प्रेम और लुईस प्रकाश, नयी सदी भी तोड़ नही पायी उत्तर प्रदेश में अछूतपन को, पृ0–212

21-- लुईस प्रकाश, कपाड़िया प्रेम, नयी सदी भी तोड़ नही पायी उत्तर प्रदेश में अछूतपन को, पृ0–212

22-- मेण्डलशन ओलवर एवं विकाजियानी मारिला, द अनन्टचेबेल्स : सर्बाडिनेशन, पावर्टी एंड दी स्टेट इन मार्डन इंडिया (कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी प्रेस), यूनाईटेड किंगडम। पृ0–213

23-- वही, पृ0–213

24-- लुईस प्रकाश कपाड़िया प्रेम, नयी सदी भी तोड़ नही पायी उ0प्र0 में अछूतपन को पृ0--202

25-- वही पृ0–202

26-- प्रदीप कुमार, दलित एंड बी0एस0पी0 इन उ0प्र0 पृ0822

27-- नाम– पृ0–203

28-- वही–पृ0203

29-- वही पृ0–203

30-- वही पृ0–203

31-- एन0जी0 काम्बले, कांशीराम का अम्बेडकर मिशन कि दिशा की ओर हम दलित अक्टूबर 1999 पृ0–13

32-- वही पृ0–204

33-- वही पृ0–204

34-- नाम पृ0–204

35-- नाम पृ0–204

36-- अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषद नागपुर 8–8–19 30

37-- नाम पृ0–204

38-- नाम पृ0–204

39-- नाम पृ0–204

39 (अ) यादव डॉ0 बीरेन्द्र सिंह दलित –विमर्श चिंतन एवं परामपरा नवम्बर–2005,पृ0–60

40-- गोखले जफ श्री, फ्राम कनशेसन टू कनफर्टेशन : दी पालटिक्स आफ एन इण्डियन अनटचेबल कम्युनिटी, पापुलर प्रकाशन मुम्बई, पृ0–277

41— जेफ्रेलॉट, क्रिस्टोफर, द बहुजन समाज पार्टी इन नार्थ इंडिया, दलित इण्टरनेशनल न्यूजलेटर वाटर फोर्ड, यू0एस0ए0 पृ0--213

42— लुईस प्रकाश, कपाड़िया प्रेम, नई सदी भी तोड़ नही पायी उत्तर प्रदेश में अछूतपन को, पृ0—213

43— प्रसाद माता, उत्तर प्रदेश की दलित जातियों का दस्तावेज, पृ0—159

44— प्रसाद माता, उत्तर प्रदेश की दलित जातियों का दस्तावेज, पृ0—160

45— वही, पृ0—161

46— वही, पृ0—162

47— प्रसाद माता, उत्तर प्रदेश की दलित जातियों का दस्तावेज, पृ0—166

48— वही, पृ0—167

49— वही, पृ0—168

50— वही, पृ0—170

51— प्रसाद माता, उत्तर प्रदेश की दलित जातियों का दस्तावेज, पृ0—171

52— वही, पृ0—172

53— वही, पृ0—173

54— वही पृ0—190

55— वही पृ0—191

उपसंहार

उपसंहार

दलितों ने यातना और अभावों में कई हजार वर्षो को भोगा है। हमेशा ही दलितों को गंवार, पेटू और दासत्व की दृष्टि से देखा गया। दलितों के लिए अस्पृश्य चांडाल, पंचमा, द्रविड़, हरिजन, शूद्र आदि विभिन्न सम्बोधन प्रयुक्त किए जाते रहे, तथा इन पिछड़े तथा निम्न वर्णीय जनों को विभिन्न नामों से पुकारा गया। यह सत्यता है कि प्राचीन काल से वर्तमान काल तक दलितों के जीवन में बहुत से परिवर्तन होते रहे, इसी कारण से आज समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है।

ऋग्वैदिक काल में दासों से दान लेने तथा ऋषि पुत्रों के साथ–साथ दासों के लिये भी प्रार्थना के उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि शूद्र अथवा दास अस्पृश्य नही माने जाते थे इसके विपरीत उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवस्था काफी विकसित हो चुकी थी। शूद्र शब्द का प्रयोग अनेकों बार हुआ इस समय तक शूद्र समुदाय में चाण्डाल, पौल्कस, निषाद, बहदेन तथा उग्र आदि अनेक वर्ग हो गए थे।

शूद्रो को विद्याध्यन, यज्ञोपवीत तथा धनार्जन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। निर्वासित शूद्र नगर के बाहर रहते थे। साफ–सफाई तथा उच्च वर्णों के लिए वो त्याज्य समझे जाने वाले कार्यो को करते थे। धीरे–धीरे वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ चुकी थी। किसी भी वर्ग को उनके लिये नियत कार्यों के अतिरिक्त कोई भी अन्य कार्य न करने की बाध्यता थी।

वर्ण व्यवस्था अपनी जटिलता के कारण अव्यावहारिक हो गई जिससे सामाजिक परिवर्तनों के फलस्वरूप लोग चतुर्वर्ण व्यवस्था के विरूद्ध आचरण करने लगें। लोग भिन्न भिन्न व्यवसाय, अर्न्तजातीय विवाह करने लगे, जिससें अनेक वर्ण संकर जातियाँ बनी।

बौद्ध धर्म की ओर बहुत से शूद्र आकर्षित हुए। उनमें मातंग, उपाली और सुनीति आदि शूद्रों ने बौद्ध धर्म ने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की वह भी सम्भवतः शूद्रों को आकर्षित करने का प्रमुख कारण था। जिससें बहुत से शूद्र बौद्ध धर्म की ओर मुड़े बुद्ध के अनुसार जन्म से कोई ब्राह्मण अथवा अब्राह्मण नही होता, बल्कि कर्म से ही जाति का निर्धारण होता है। बुद्ध के प्रयासों से लोगों में जागृति आयी जिससे वर्ण व्यवस्था में काफी तीव्र परिवर्तन हुआ।

आर्य काल में भी कौटिल्य तथा मैगस्थनीज ने अनेक वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया जिसमें चाण्डालों के अतिरिक्त अम्बष्ठ, निषाद, पारशव, क्षला, बैदेहक मागध

पुल्कस, वेण, तथा श्वपाक इत्यादि जातियों को शूद्र माना है। यद्यपि विदेशी शासकों के भारत आक्रमण पर दलित जातियों में कई परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं।

गुप्तकालीन समाज भी जाति व्यवस्था से अछूता नहीं दिखाई देता। गुप्तों के समय में अधिकारियों की नियुक्ति में जाति और वंश का विशेष ध्यान रखा जाता था। गुप्त काल से मुगल काल तक कमोवेश दलितों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नही हो सका लेकिन मध्यान्ह के इस काल में दलितों और गैर दलितों के द्वारा सामाजिक और आर्थिक हितों के संरक्षण का निस्फल प्रयास मात्र था। हालांकि मुस्लिम शासकों द्वारा दलितो को सेना में भाग लेने का अधिकार अवश्य था। मुस्लिम शासन काल में बहुत से हिन्दू संतों जैसे चैतन्य महाप्रभु,नामदेव, संत रविदास, संत कबीर आदि ने भक्ति और धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से जाँति व्यवस्था पर कुठाराघात किया। लेकिन इनके प्रयासों का भो परम्परावादी भारतीय समाज पर किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा।

अंग्रेजों ने भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में बहुत कम परिवर्तन किए उनमें जाति प्रथा और अछूतों की समस्या में कोई विशेष परिवर्तन नही आ सका, न ही भारत एक परिवर्तित राष्ट्र बन सका। अधिकांश भारतीय नेताओं ने भी सामाजिक परिवर्तन में भी रूचि नहीं ली। उत्तर भारत में निम्न जातियों ने अपनी लगातार गिरती हुई स्थिति के कारण समय–समय पर विद्रोह किया लेकिन उनके आंदोलनों को कठोरता पूर्वक दमन कर दिया गया।

अंग्रेजों ने भारत मे बहुत से सुधारवादी कानूनों को लागू किया और उनके साथ आये ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी अनेकों समाज सुधार के कार्य किए निश्चिय ही उनके कार्य भारतीय समाज के लिए अच्छे परिणामों के वाहक थे, परन्तु दलित जातियों की सहायता के बदले उनमें ईसाई करण करने की भावना भी कार्य कर रही थी।

19 वीं सदी में महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले और डा0 अम्बेडकर जैसे महान व्यक्तियों ने सामाजिक जीवन में व्यापक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। डा0 अम्बेडकर ने हिन्दू सामाजिक व्यवस्था को ही दलितत्व बढ़ाने का कारण माना। सम्भवतः इसी कारण से दलित जातियों के प्रगति के अवसर अवरूद्ध थे। डा0 अम्बेडकर ने भी अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दलितों के हित के लिए समर्पित किया। जिससे दलित समाज सम्पूर्ण दासताओं से मुक्त हो सकें ओर उनका जीवन चैतन्य एवं विकसित बन सके।

डा0 अम्बेडकर के अतिरिक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी हरिजनों के उद्धारक माना जाता है। मार्क्सवादी व्यवस्था भी आर्थिक हितों को अधिक महत्वपूर्ण मानती है क्योंकि उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा वर्ग जो कृषि एवं मजदूरी पर निर्भर है अतः उस वर्ग को आज जरूरत है कि मार्क्सवाद के विचार एवं सिद्धान्तों को अपनायें। दलित शाषित तिरस्कृत एवं असहाय वर्ग के लिए मार्क्सवाद विचारधारा जीवन उनके जीवन को उत्कृष्ठ बनाने के लिए काफी उपयोगी है।

उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में बहुत सी दलित जातियॉ निकृष्ट एवं निष्ठुर जीवन व्यतीत कर रही हैं क्योंकि कि उनके पास न तो किसी प्रकार के संसाधन है न कोई अच्छी नौकरी या पैतृक सम्पत्ति, बस केवल दो वक्त की रोटियां कमाने के लिए रात–दिन संघर्ष कर रहे हैं उन्हें केवल उतना ही धन मिलता हैं जिससे कि शरीर का गोश्त गर्म रहें और अपने सामर्थ्य को रख सकें।

सन् 2001 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की संख्या 3514837 हैं। जिसमें 66 उपजातियां सम्मिलित हैं। केवल उत्तरप्रदेश में ही इतनी बड़ी संख्या में ही अनुसूचित जातियों की उपजातियाँ है। इनमें से चमार, धानुक, धोबी, खटिक, कोरी तथा पासी को छोड़कर शेष सभी उपजातियों की स्थिति खराब या बहुत दयनीय है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात बहुत सी दलित जातियों का जीवन स्तर बदला और कुछ आज भी घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं। उनके जीवन में कहीं भी किसी प्रकार का प्रकाश नही है केवल जीवन एक बोझ बनकर रह गया है। दलित जातियों के जितने आय के श्रोत हैं वह समस्त सवर्ण एवं भ्रष्ट लोगों के हाथ से गुजरते हैं। उन्हें मात्र केवल कुछ थोड़ा सा अंश ही मिलता है जिससे कि वह अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। परन्तु वह भी समय से प्राप्त नही होता है या उसमें से भी कुछ हिस्सा काट लिया जाता है।

सन् 1822 से 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में दलितों का विशेष योगदान रहा स्वतन्त्रता के बाद यह वर्ग केवल अपनी सुविधाओं, आरक्षण की पूर्ति और सत्ता में भागीदारी मांगता रहा। परन्तु सवर्ण वर्ग ने दलित जाति को लोगों को आत्सम्मान से नही जीने दिया। धीरे--धीरे दलितों ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक तथा स्वाधीनता आंदोलनों के माध्यम से अपने अधिकारों को मॉगा जिससे उनका जीवन सम्पन्नता एवं स्वच्छंदता के प्रतिमानों में

स्थापित हो सकें।

उत्तर प्रदेश के दलित सेनानियों तथा महिला वीरांगनाओं ने मानवता की रक्षा की एवं अपने अधिकारों के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए जिससे प्रतिशोधत्मक मानव उत्कृष्ठता की श्रेणीं में आ सके।

दलित महिला वीरांगनाओं ने बहुत सी भयंकर यातनाएं झेली, जो मानवता के विरूद्ध थी, तथा उनका जीवन नारकीय था। वर्तमान तथा भविष्य की विभिन्न प्रकार की झंझावतों तत्कालीन समाज से जकड़ा हुआ था। इन लोगों ने अपनी आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक अस्मिता की रक्षा की। और अपने सामाजिक संगठन, एकता और अनुशासन से अनेक कठिनाईयां झेलते हुए अपने जीवन का समायोजित किया, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।

उत्तर प्रदेश में दलितों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार एवं यातानाऐं होतीं रहीं हैं। जिसके दुखद् फल सम्पूर्ण समाज को सहन करने पड़े। उनकी अस्मिता हड़प ली गयी? उनकों मिटा डालनें की चेष्टा की गई उन वंचित लोगों के बजूद को? क्यों किए गये अनेकों प्रकार के अन्याय और अत्याचार उन निर्दोष लोगों पर? क्या कसूर था उनका? आज का दलित नौजवान इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए बेतावी से प्रतीक्षा कर रहा है, और इसे समाप्त करने वह शिद्दत के साथ आगे बढ़ भी रहा है।

अशिक्षा, कुपोषण एवं गरीबी भी दलितों के समक्ष एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी है जिस कारण से उनका बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास नहीं हो पा रहा है। अशिक्षा एवं कुपोषण जैसी समस्याओं ने दलितों के जीवन को बौद्धिक एवं शारीरिक दृष्टि से पिछड़ा बना दिया जिससे दलितों का जीवन बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हुआ उसका मुख्य कारण पौष्टिकता का अभाव है।

गरीबी के कारण बहुत से दलित परिवारों का जीवन अवांछनींय रहा उनको मौलिक एवं भौतिक सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा जिससे उनके जीवन में हीनता, तुच्छता आत्म–निरादर और पत्थर सा सब्र करने वाला बनना पड़ा।

संघर्षशील दलितों ने अपने जीवन को एक निश्चित दिशा में ढाला जो पूर्व में अज्ञान की घोर निद्रा में डूबा हुआ था अपनों के प्रति सदैव द्वेष–भाव रखता था तथा शत्रुओं को मित्र समझता था। परन्तु उन्होंने संघर्षशील एवं चैतन्य बनकर अपने जीवन को बदला

तथा विजय और पराजय के इतिहास को समझा।

बीसवीं सदी में स्वतन्त्रता के पश्चात दलित समाज की स्थिति दिन प्रतिदिन उत्कृष्टता की ओर बढ़ रही है जिसका मुख्य कारण दलित समाज में चैतन्यता और संघर्ष है। आज संघर्षमयी जीवन बनाकर दलितों ने समाज में एक आदर्श स्थान स्थापित करके वर्ण और अवर्ण, द्विज और अद्विज दलित और सवर्ण का भेद समाप्त करने का प्रयास किया है।

समस्यायें और समाधान का आपस में गठबंधन सतत जारी है। दलितों के जीवन में बहुत सी समस्यायें आई जो सामाजिक एवं प्राकृतिक थीं। परन्तु इस समाज ने बड़े धैर्य के साथ इन समस्याओं का मुकाबला किया और उनका निराकरण भी। समस्याओं का निराकरण करने के लिऐ केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बहुत से आयोग बनाए गए इसके अतिरिक्त बहुत सी योजनाऐं भी बनाई गई जिनके द्वारा दलितों की दरिद्रता कुपोषणता, एवं गरीबी को दूर कर उनका जीवन सुखी बनाया जा सके।

आज दलितों को शैक्षिक और आर्थिक विकास के द्वारा उनके स्तर को ऊपर उठाया जा रहा है। जिससे दलित समाज की अपनी एक विशेष आकर्षक संस्कृति एवं सभ्यता हों। वर्ण–वर्ग की सोच बदले तथा तकियानूसी सोच ख़त्म हों। ऊँच–नीच की भावना का समग्र परिहरण कर इस कलंक को सदा के लिए मिटा दिया जाऐं जिससे दलितों की एकता और समृद्धि में जातीय समानता उत्पन्न हों। यह तभी सम्भव है जब सम्पूर्ण दलित समाज शैक्षिणिक प्रतिमानों पर केन्द्रीयभूत हों।

दलित समाज की स्थिति को सुदृढ़ एवं उत्कृष्ठ बनानें के लिए बहुत से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन कार्यरत है जिससे सम्पूर्ण समाज का संवैधानिक एवं नियामक तरीके से विकास हो सकें।

दलितों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत से आंदोलन चलाए गये जो प्राचीन काल में अज्ञानता का बीजारोपण कर चुके थे वह समाप्ति की ओर है तथा उनके स्थान पर एक नये निदानात्मक एवं समाधानात्मक परम्पराएं स्थापित हों जिससे सम्पूर्ण दलित समाज के प्रति घृणित निराधार आस्था समाप्त हों और उसके स्थान पर एक नया सुसंस्कृत समाज का निर्माण हो सके।

दलित साहित्य एवं विचारकों ने दलितों के उत्थान के लिए कई प्रकार के पहलुओं और मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रकार के व्यापक प्रचार–प्रसार किए

जिससे सम्पूर्ण दलित समाज कष्टों और कठिनाइयों से मुक्त हो सके। बहुत से महापुरूषों ने अछूतों के अधिकारों के लिए आवाज बुलन्द की तथा कई साहित्यक विधाओं के द्वारा दलितों का झंकृत करने का प्रयास किया तथ बहुत से विचारक दार्शनिक इतिहासविदों, शिक्षाविदों ने दलितों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को दिलाने के पक्ष में बहुत से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया।

आज दलित समाज का भविष्य विभिन्न सामाजिक गतिविधियों परम्पराओं, सरलता, सौम्यता, एवं बोधगम्यता के स्थानों पर खरी उतरती है। आज दलितों का जीवन जहाँ पहले जटिल था वही वर्तमान में मंथर गति से आगे की ओर नदी की धारा के समान वह रहा है। आज दलित अपने शौर्य एवं पराक्रमों के द्वारा गर्व का अनुभव कर रहा है।

दलित समाज के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कई आयोग गठित किऐं जिससे उनका जीवन लोभहर्षक, ओजस्वी और सारगर्भित बनें। इस आयोगों का मुख्य लक्ष्य सामाजिक, धार्मिक, नैतिक और शैक्षणिक दृष्टि से प्रगतिमयी बनकर वर्तमान भावी पीढ़ी के दलित समाज के लोगों के लिए प्रेरणास्पद बनें।

गठित आयोगों के द्वारा दलितों के लिए कई प्रकार के नये सुझाव प्रस्तुत किए गये जिससे उनके जीवन में आमूल –चूल परिवर्तन हो और उनकी जीवन पद्धति संगठित और विकासशील बन सकें।

आज का दलित सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ–साथ अपने अस्तित्व एवं स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। आज का दलित अपनी स्थिति को पहचान गया है तथा अपने अधिकारों को पाने के लिए सचेत हो गया है ये समस्त कार्य विभिन्न आयोगों के द्वारा किए गये।

मण्डल आयोग एवं पिछड़ी जातियों का आरक्षण, के तहत आज स्वतन्त्र भारत में दलित समाज किस तरह से अपने जीवन को गौरवान्वित कर रहा है। आज दलितों का इतिहास समस्त समाज में विभिन्न उपलब्धियों को अर्जित कर चुका है जिसे छुपाया नही जा सकता। मण्डल आयोग में दलितों एवं पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए, मण्डल आयोग एक मानवीय अधिकारों की रक्षा करने की सामाजिक व्यवस्था भी कर रहा है।

भारतीय संविधान में अछूत एवं दलित जातियों के आरक्षण की व्यवस्था के लिए बोधिसत्व डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने सिफारिश की जिससे दलितों का सर्वांगीण विकास

हो सकें। जिससे प्रत्येक दलित वैश्वीकरण, भूमण्डलीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण जैसी संकल्पनाओं से जुड़कर अधिक से अधिक आर्थिक लाभ अर्जित कर सकें। दलितों को विभिन्न अमानवीय पक्षों से लड़ने के लिए चेतना ही एक मात्र शस्त्र होगा।

दलितों के आरक्षण पर प्रदेश स्तर के हाईकोर्ट एवं उसके खण्डपीठ इसके अतिरिक्त दिल्ली में स्थित सुप्रीम कोर्ट ने भी दलितों के आरक्षण के लिए सिफारिशें की जिससे दलितों का जीवन सुन्दर और आकर्षक बने। जो सदियों से दासत्व का जीवन जी रहे थे, वे आज मुक्त एवं स्वच्छंद जीवन जी सकें।

आज का दलित समाज विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में अपनी सहभागिता प्रदर्शित कर रहा है। प्रत्येक दलित आज अपनी पीढ़ी को चैतन्य एवं लोमहर्षक बनाने के लिए बहुत सी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टियों से जुड़ा हुआ है, जिससे वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और भारतीय संविधान की व्यवस्था तथा अपने अधिकारों को समझे।

आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की राजनैतिक पार्टियां एवं प्रदेश स्तर की क्षेत्रीय पार्टियां दलितों के विकास के लिए रात-दिन प्रयास कर रहीं है। जिससे वे अपने समस्त अधिकारों को प्राप्त कर सकें।

विकसित समाज आज आधुनिकता एवं भौतिकवादिता की पराकाष्ठा में लिप्त है। परन्तु दलित समाज को आज आवश्यकता है कि लोकतन्त्रात्मक पहलुओं को समझे जिससे उनका जीवन सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से मानक एवं गुणवत्तायुक्त बन सके।

दलित हमेशा से दबा कुचला वर्ग रहा है परन्तु वह आज सम्पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन चुका है जिससे एक नवीन समाज का अभ्युदय हो रहा है जो जीवन पुरातन काल में था अब नवजागरण काल में विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों को अर्जित कर जीवन को अप्रभावी से प्रभावी बनाने की ओर अग्रसर है।

संदर्भ

ग्रन्थ सूची

संदर्भ ग्रन्थ सूची

प्रारम्भिक स्रोत– सरकारी रिपोर्ट एवं पत्रिकायें

1– द कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया (एज मोडीफाइड अपटू 15 अगस्त, 1989), गवर्नमेंट आफ इंडिया, मिनिस्ट्री आफ लॉं एंड जीस्टस, नई दिल्ली सन् 1989

2– द शेड्यूल्ड कास्ट्स, पीपुल आफ इंडिया, नेशलन सीरीज वाल्यूम II, अंथ्रोपोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया, दिल्ली, सन् 1993

3– रिपोर्ट आफ द कमीश्नर फार सेड्यूल्ड कास्ट्स एंड सेड्यूल्ड ट्राइब्स द पीरियड इंडीग 31 दिसम्बर, सन् 1951

4– रिपोर्ट आफ द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, फर्स्टपेपर, बाल्यूम 1 व 2, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली सन् 1980

5– द कमेटी आन द वेलिफिसर आफ द शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिडयूल्ड ट्राइब्स की (छब्बिसर्गी) रिपोर्ट, नई दिल्ली, लोकसभा सेक्रेटिएट

6– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की (तेइसवीं) रिपोर्ट, सन 1976

7– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की (इक्कीसवीं) रिपोर्ट, सन 1974

पत्रिकायें–

1– बुद्धप्रिय बी0आर0– युगपुरूष डॉ0 अम्बेडकर, नारायण प्रिन्टर्स बरेली संस्करण–2006, 2007

2– डॉ0 सिंह दलबीर– अम्बेडकर चिंतन 2004, 2005, 2006

3– शोध धारा– उरई

4– स्पंदन – नया राम नगर, उरई

5– कृतिका– नया राम नगर, उरई

6– उत्तर प्रदेश, सितम्बर–अक्टूबर 2002, दलित साहित्य विशेषांक, प्रकाशक –सूचना प्रसारण एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

7– भारत की जनगणना 2001, श्रंखला 10, उत्तर प्रदेश, प्रकाशक–जनसंख्या निदेशालय, उत्तर प्रदेश

8– उत्तर प्रदेश 2002, प्रकाशक–सूचना प्रसारण एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ

समाचार पत्र—

1— जनसम्मान साप्ताहिक —मुण्ड विचार
2— जनसत्ता
3— नवभारत टाइम्स
4— दैनिक पायनियर
5— दैनिक जागरण, कानपुर, एवं मेरठ संस्करण
6— आज, कानपुर संस्करण
7— अमर उजाला
8— गुजरात टाइम्स बड़ौदा
9— राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ
10— दैनिक राष्ट्रबोध जयपुर,
11— पंजाब केसरी, चंडीगढ़
12— नई दुनिया भोपाल
13— दैनिक भाष्कर ग्वालियर
14— राजस्थान पत्रिका, जोधपुर
15— स्वदेश, भोपाल

किताबें—

1— सिंह रघुवीर— इक्कीसवीं सदी में अम्बेडकर वाद आतिश प्रकाशन, हरीनगर, नई दिल्ली, 2001
2— हटन जे0एच0— भारत में जातीय प्रथा (स्वरूप, कर्म और उत्पत्ति) श्री जैनेन्द्र प्रेस नई दिल्ली प्रकाशन वर्ष 2007
3— नार्गाजुन— वरूण के बेटे, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली प्रकाशन वर्ष 1998
4— प्रो0 श्यामलाल— सामाजिक न्याय एवं दलित राजनीति सबलाइम पब्लिकेशन्स शांति नगर जयपुर प्रकाशन वर्ष—2004
5— प्रसाद चन्द्रभान— भारतीय समाज एवं दलित राजनीति प्रकाशक—गौतम बुक सेन्टर संस्करण—2006
6— खोब्रागड़े मुंशी एन0एल0— मध्य प्रान्त में दलित आंदोलन का इतिहास, प्रकाशन— मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी बालाघाट प्रकाशक वर्ष—1999
7— दुबे अभंय कुमार—आधुनिकता के आईने में दलित, वाणी प्रकाशन—नई दिल्ली प्रकाशन वर्ष—2002
8— शर्मा रामशरण— शूद्रों का प्राचीन इतिहास, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली संस्करण—1992
9— डॉ0 एन0सिंह —दलित साहितय और युगबोध, लता साहित्य सदन (गाजियावाद) संस्करण 2005
10— राजकिशोर—हरिजन से दलित, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली संस्करण 2004

11-- राजकिशोर--दलित राजनीति की समस्याएँ, वार्णी प्रकाशन नई दिल्ली संस्करण--2006

12-- चन्द्रभान प्रसाद--भारतीय समाज और जातिगत अत्याचार, गौतम बुक सेन्टर दिल्ली संस्करण--2006

13-- डॉ0डी0आर जाटव--भगवान बुद्ध और कॉर्ल मार्क्स समता साहित्य सदन जयपुर संस्करण--1970

14-- बेचैन डॉ0 श्यौराज सिंह, मीनू, रजतरानी --दलित दखल आकाश पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीव्यूटर्स लोनी गाजियाबाद संस्करण --2007

15-- विद्रोही एम0आर0--. दलित दस्तावेज, सम्पक प्रकाशन संस्करण--1989

16-- कर्दम जयप्रकाश--चमार, न्यू ज्ञान ऑफसेट प्रिन्टर्स दिल्ली, संस्करण--2005

किताबें /इन्साइक्लोपीडिया/वाडंमय--

1-- मौर्य, ओमप्रकाश : आधुनिक भारत, के निर्माता, प्रकाशक सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत।

2-- स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक (संक्षिप्त परिचय) खण्ड 3 इलाहाबाद डिवीजन प्रकाशक सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश

3-- डॉ0 अम्बेडकर सम्पूर्ण वांडमय, खण्ड 14, प्रकाशक कलयाण मंत्रालय, भारत सरकार

4-- इन्साइक्लोपीडिया आफ दलित्स इन इंडिया (1 से 11) वाल्यूम, प्रकाशक कल्पना पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।

द्वितीयक स्रोत /हिन्दी

1-- श्रीवास्तव, के0सी0 : प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, प्रकाशक

2-- श्री निवास, एम0एन0: आधुनिक भारत में जातिवाद एवं अन्य निंबध (हिन्दी अनुवाद) शरद जोशी, प्रकाशक मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल

3-- शर्मा, रामशरण :भारत के प्राचीन नगरों का पतन, प्रकाशक राजकमल नई दिल्ली।

4-- विनायक, अनुराधाः प्राचीन भारत में जातियों की सामाजिक गतिशीलता।

5-- लुईस, प्रकाश,: नई आर्थिक नीति और दलित, प्रकाशक भारतीय सामजिक संस्थान, लोदी रोड, दिल्ली।

6-- मिश्रा, एस0 के0 : हिन्दू राष्ट्रवाद का विकास, प्रकाशक मरवाह प्रकाशन नई दिल्ली

7-- मधोक, बलराज : भारतीयकरण, नई दिल्ली, प्रकाशक राज्यपाद एण्ड संस।

8-- मुखर्जी, एल0 : भारत वर्ष का इतिहास (प्राचीन)

9-- मुखर्जी राधामुकुद : हिन्दू सभ्यता, प्रकाशक राजकमल, नई दिल्ली।

10-- प्रसाद, बेनी : हिन्दूस्तान की पुरानी सभ्यता, प्रयाग 1981।

11-- नैमिशराय, मोहनदास : स्वतंत्रता संग्राम के दलित क्रांतिकारी, प्रकाशक–नीलकंठ नई दिल्ली।

12-- दत्त, आर0सी0 : प्राचीन भारत की सभ्यता का इतिहास, इलाहाबाद, 1960।

13-- जाटव, डी0आर0 डॉ0 अम्बेडकर संविधान के मुख्य निर्माता, प्रकाशक समता साहित्य सदन, जयपुर।

14-- जाटव, डी0आर0 : डॉ0 अम्बेडकर का समाज दर्शन, प्रकाशक समता साहित्य सदन, जयपुर

15-- डीकन, डी0सी0 : स्वतंत्रता संग्राम में अछूतों का योगदान।

16-- गाँधी, कर्मचन्द्र मोहनदास : वर्ण व्यवस्था, अनुवादक राम नारायण चौधरी

17-- काम्बले, एन0जी0 –कांशीराम का अम्बेडकर मिशन। किस दिशा की ओर? हम दलित, 1999।

18-- राधाकृष्णन, एस : धर्म और समाज।

19-- कर्वे, इ : हिन्दू समाज और जाति व्यवस्था, 1975, प्रकाशक ओरिएन्ट लांग मैन, नई दिल्ली।

20-- कपाड़िया, प्रेम : दलित उत्पीड़न उत्तर प्रदेश की दास्तान, प्रकाशक भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली।

21-- उपाध्यांय, रामजी, :प्राचीन भारत की सामाजिक संस्कृति, इलाहाबाद, 1963।

22-- आचार्य, श्री राम शर्मा : 108 उपनिषद, : प्रकाशक संस्कृति संस्थान, बरेली उ0प्र0 तृतीय संशोधित संस्करण 1967।

23-- अग्निहोत्री, प्रभुदयाल : पंतजलि कालीन भारत, 1963, पटना।

24-- अम्बेडकर, बी0आर0 : जाति भेद का उच्छेद, 1974, प्रकाशक अम्बेडकर साहित्य रक्षक परिषद, मुम्बई।

द्वितीयक स्रोत/अंग्रेजी

1-- क्षीर सागर, आर0 के0 : दलितस मूवमेंट इन इंडिया एण्ड इटस लीडर्स (1857–1956) नई दिल्ली, 1994।

2– राव, एम0बी0 : द डाक्यूमेंटस आफ द कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इंडिया, प्रकाशक पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, 1976, न्यू दिल्ली।

3– राव, एम0एस0 ए0: कानसेप्चुअल्स प्राबलम द स्टडी आफ सोशल मूवमेन्ट्स, भाग (1) प्रकाशक साउथ एशिया बुक्स, कोलम्बिया।

4– राव, उषा एन0जे0 : डिप्राइव्ड कास्ट्स इन इंडया, इलाहाबाद, 1981, प्रकाशक चुग पब्लिकेशन।

5– राम जगजीवन : कास्ट चैलेंज इन इण्डिया, नई दिल्ली, 1980 प्रकाशक विजन बुक।

6– रौथ, आर0 : शब्रह्म एण्ड डार्ठ ब्रोहनेन साइट शिफ्ट डेर डायचेन मेर्नेनलेडिशन गेजे डेर डाचेन मेर्नेनलेडिशन गेजेल शाफ्ट, खण्ड–1, बर्लिन।

7– मून बसंत (एडीटर) : डा0 बाबा साहब अम्बेडकर, राइटिंग्स एण्ड स्पीचेस, वाल्यूम 2, 1982, प्रकाशक बाम्बे गवर्नमेंट आफ महाराष्ट्र एजूकेशन डिपार्टमेंट।

8– माशी, जेम्स : दलितस इन इंडिया, रिलीजन एज सोर्स आफ वोन्डाज ऑर फिल्ट्रेशन विद स्पेशल रिफरेंस टू क्रिश्चियन, नई दिल्ली, 1995 प्रकाशक बी0आर0 पब्लिशिंग कार्पोरेशन।

9– मुखर्जी आर0एन : ए हिस्ट्री आफ शोशल थौट।

10– मजूमदार एण्ड मदान : ए इन्ट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोलॉजी, प्रकाशक एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई–1957

11– नम्बूदरीपाद, ई0एम0एस0 : ए हिस्ट्री आफ द इडियन फ्रीडम मूवमेंट, प्रकाशक–सोशल साइंटिस्ट प्रेस, त्रिवेन्द्रम, 1986।

12– द आर्यन हायपाथिसिस इन इण्डियन आर्कियोलॉजी : इण्डियन स्टडीज पास्ट एण्ड प्रेसेन्ट, खण्ड–9

13– जैन, प्रतिभा : डिस्प्रेरड क्लास मूवमेंट : ए गांधीशन एप्रोच, गांधी मार्ग, नई दिल्ली, 1980।

14– घोष, एस0 के0 : प्रोटेक्शन आफ माइनारिटीज एण्ड शिडयूल्ड कास्टस, नई दिल्ली, 1980।

15– गोखले, जय श्री : कन्सेशन टू कन्फंटेशन –द पोलिटिक्स आफ इन इंडियन अनटचेबल कम्यूनिटी, बाम्बे, 1993।

16– काम्बले, एन0डी0 : द शिडयूल्ड कास्ट्स, प्रकाशक आशीष पब्लिसिंग हाउस, 1982, नई दिल्ली।

17– कुमार, विवेक : दलित एजर्सन एण्ड बहुजन समाज पार्टी, प्रकाशक बहुजन साहित्य संस्थान लखनऊ।

18– कस्बे, राव साहेब : अम्बेडकर एण्ड मार्क्स, प्रकाशक सुगावा प्रकाशक, पूना, 1985।

19– कीर, धनंजय : महात्मा ज्योति राव फूले, बाम्बे, 1974।

20– कौशम्बी, डी0डी0 : जर्नल आफ ओरियन्टल रिसर्च, मद्रास

21– एल्नेयर, जिलिएट : अनटचेबल टू दलित, ऐसेस आन अम्बेडकर मूवमेंट, नई दिल्ली, 1992।

22– आम्वेद्त गेल : कल्चरल रिवोल्ट इन ए कोलोनियल सोसायटी : द नान–ब्राह्मन मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया प्रकाशक साइंटिफिक सोर्शलिस्ट ऐजुकेशन ट्रस्ट (1850–1935)

23– अधिकारी : कम्यूनिस्ट, वाल्यूम 2।

24– अम्बेडकर, बी0आर0 : हिस्ट्री आफ इण्डियन करैन्सी एंड बैंकिंग, 1947।

25– अम्बेडकर बी0आर0 : राना डे, गांधी एण्ड जिन्ना।

26– अम्बेडकर, बी0आर0 : कास्ट्स इन इंडिया, 1997